26926



श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ

# संसदीय मर्मज्ञ

श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ का यह छठवाँ
खण्ड है। संसदीय मर्मज्ञ नाम से अभिहित इस खण्ड
में 1985 से लेकर 1996 तक लोकसभा तथा
991 से 1993 तक की राज्यसभा की कार्रवाइयों में
सांसद, संचार मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्री
के रूप में उनकी भूमिका को रेखांकित करते हुए उनके
संसदीय व्यक्तित्व की झाँकी प्रस्तुत की गई है। उनकी
चारिक प्रतिबद्धता, भारतीय सामाजिक राष्ट्रीय मूल्यों
ी चिंता, देश की एकता और अखण्डता तथा समग्र
प से राष्ट्रीय परिदृश्य परिवर्तन की तड़प स्पष्ट रूप
परिलक्षित होती है।

धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव और
म्प्रदायिक सौमनस्य के लिए उनकी व्यग्र चिन्ता इस
क्तव्य से प्रकट होती है: "अगर यह साम्प्रदायिक
सा देश में फैल गई तो उसका क्या परिणाम होगा?
ा आप चारों तरफ़ के वातावरण के प्रति जागरूक
? मैं अन्तर्राष्ट्रीय ताकतों की चर्चा कर रहा हूँ। देश
चारों तरफ हम धर्मान्ध ताकतों का उत्कर्ष देख रहे
देश में कट्टरवाद की आग को भड़काकर आप देश
उन कट्टरवादी ताकतों के साथ संघर्ष के लिए
ार कर रहे हैं।..... मैं देख रहा हूँ कि फासिस्टवाद
लम्बी छाया इस देश पर मंडरा रही है। हमारा
व्य है कि हम इस छाया को वास्तविकता का रूप
लेने दें।..... डायलन थामस के शब्दों में यह एक
रे का विरोध करने का समय नहीं है और कम से
ा उन व्यक्तियों को ऐसा नहीं करना चाहिए जो इस
की धर्मनिरपेक्ष शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते
"

अपनी तात्कालिक परम्परा के प्रति एक
यावनत दर्द भी उनके इन शब्दों में देखा जा
ता है: "हम बहुत छोटे लोग हैं तथा उन महान्
क्तियों जैसी ज़िम्मेदारियाँ उठाने की सामर्थ्य हममें
हैं; परन्तु हमें निश्चय ही उस विरासत पर गर्व है
ा वह महान् विरासत हमारी पथप्रदर्शक शक्ति,
र्ग ताकत है... और हम भरसक इस बात की
िश करेंगे कि इस विरासत को हम अपनी दूसरी
ी तक उससे अधिक समृद्ध रूप में पहुँचाएँ, जिस
में हमने उसे प्राप्त किया था।"



Data Entry Complete
26926
REFERENCE BOOKS
Knowledge
General
CAREER COLLEGE
ACC.No.....
Book No.....
Date.....



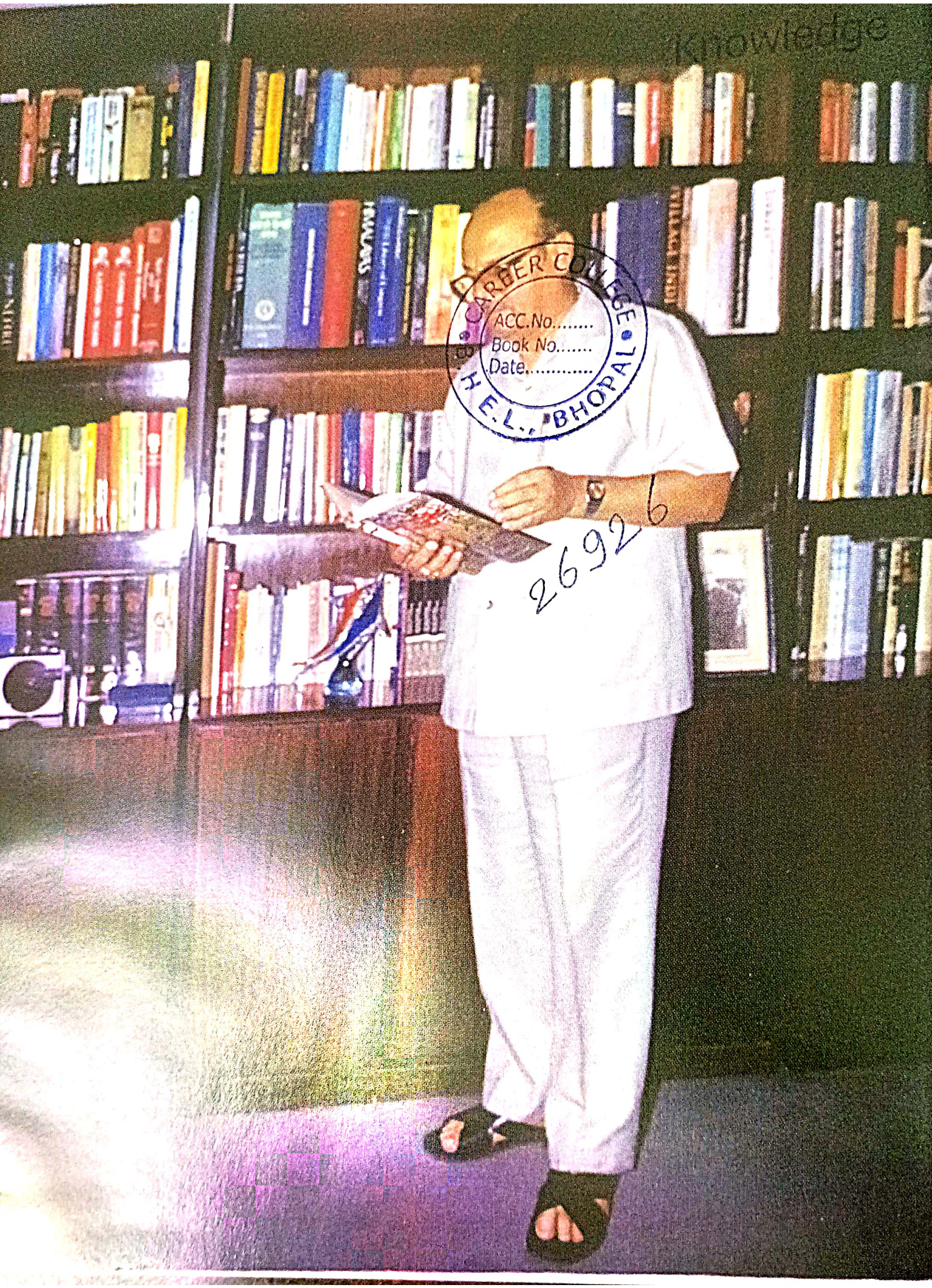
Knowledge
CAREER COLLEGE
ACC.No.....
Book No.....
Date.....
H.E.L., BHOPAL
26926

General Knowledge

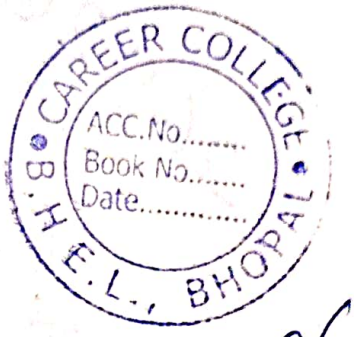


26926

## श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ

# संसदीय मर्मज्ञ

(षष्ठ खण्ड)

संयोजक
मुरारीलाल अग्रवाल

सम्पादक
विष्णु राजोरिया

संयोजन
इण्डियन रायटर्स एसोसिएशन, कोलकाता
प्रकाशन
श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ समिति, भोपाल

26926

# श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ

षष्ठ खण्ड : संसदीय मर्मज्ञ

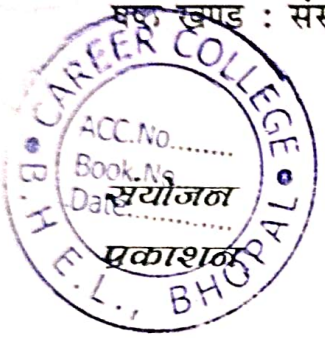


*संयोजन : इण्डियन रायटर्स एसोसिएशन, कोलकाता*

*प्रकाशन : श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ समिति,*
*4 इन्दिरा प्रेस परिसर, महाराणा प्रताप नगर,*
*भोपाल-462011*

☐ प्रथम आवृत्ति

☐ कार्तिक कृष्ण अष्टमी, विक्रम संवत् 2061, 5 नवम्बर, 2004

☐ © लेखकों के सौजन्य से संपादक

☐ **प्रस्तुति दिग्दर्शक : आशीष**

☐ **मुद्रण निदेशक : मनीष**

*कम्पोजिंग : आकृति फोटोटाइपसेटर्स एण्ड प्रोसेसर्स*

*मुद्रण : आदर्श प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स*

*4/1, इन्दिरा प्रेस परिसर, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462 011*

☎ : *2555442, 2550291*

General
Knowledge




26926

# श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ समिति

खुशवन्त सिंह
सैय्यद हैदर रज़ा
प्रो. के. अयप्पा पणिकर
प्रो. कल्याणमल लोढ़ा
जिया फरीदुद्दीन डागर
प्रोफेसर डॉ. धनंजय वर्मा
दिग्विजय सिंह
डॉ. बिन्देश्वर पाठक
विष्णु खरे
कमलाकर सोनटके
मदन मोहन जोशी
प्रो प्रेमशंकर रघुवंशी
अजीत जोगी
प्रभात गांगुली
राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल
सुभाष यादव
झुमकलाल भेड़िया
वी.आर.यादव

राजेन्द्र सिंह
महेन्द्र सिंह चौहान
बंशीलाल धृतलहरे
प्रताप सिंह बघेल
श्रीमती उर्मिला सिंह
मोहम्मद अकबर
कांतिलाल भूरिया
चरणदास महन्त
डॉ. आर.के. बिसार्य
सत्यनारायण शर्मा
दीपचंद यादव
मोहम्मद युनुस
बी.एल. सिंह
भूपेन्द्र गुप्ता
मुरारीलाल अग्रवाल
पी.सी. पाठक
आशिस सान्याल
छतरसिंह
विष्णु राजोरिया

# इंडियन रायटर्स एसोसिएशन

**संरक्षक**

महाश्वेता देवी
डॉ. प्रतापचन्द्र चन्द्र
नीरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी
अमिताभ चौधरी
सेवाब्रत गुप्ता
तरुण सान्याल
डॉ. प्रभा खेतान
डॉ. सुरभि बन्दोपाध्याय
नीतिश बिस्वास
डॉ. एस. घोष
एस. कृष्णमूर्ति
गौतम प्रसाद बरुआ
डॉ. नलिन पटेल
एस.ए.मलिहाबादी
विश्वम्भर नेवार
डॉ. उज्जल कुमार मजुमदार
होसेनुर रहमान
देवूलाल बनर्जी
गणेश प्याने
सुचित्रा मित्रा
देवाजंन चक्रवर्ती
सुधांशु शेखर डे
के.सी. धर
संकर मण्डलोई
समित सरकार

**कार्यसमिति**

प्रेसिडेंट
प्रो. कल्याणमल लोढ़ा
कुलपति, जोधपुर विश्व विद्यालय

**उपाध्यक्ष**

डॉ. के.सी. भुनया
उड़िया लेखक
गीतेश शर्मा
हिन्दी आलोचक

**जनरल सेक्रेटरी**

प्रो. आशीष सान्याल
बांग्ला लेखक

**मुख्य सलाहकार**

मुरारी लाल अग्रवाल

**कोषाध्यक्ष**

प्रो. श्री शंकर झा
हिन्दी-अंग्रेजी लेखक

**सदस्य**

सचिन दास
बांग्ला लेखक
कल्याण गंगोपाध्याय
बांग्ला लेखक
डॉ. ज़रीना ज़रीन
उर्दू शायर - आलोचक
प्रणब बरुआ
असमी कवि
ज्योर्तिमय दास
बांग्ला लेखक
सोमेन्दु गंगोपाध्याय
बांग्ला लेखक
डॉ. इन्दु जोशी
हिन्दी लेखिका

CAREER COLLEGE
ACC No.....
Book No.....
Date.....
B.H.E.L., BHOPAL
26926

**संपादन सलाहकार**
*पद्मभूषण डॉ. बिन्देश्वर पाठक*
*प्रोफेसर डॉ. धनंजय वर्मा*
*डॉ. उज्जल कुमार मजुमदार*
*डॉ. अवधेश प्रसाद पाण्डेय*
*माधव शुक्ल मनोज*
*प्रो. प्रेम शंकर रघुवंशी*
*मदन मोहन जोशी*
*आशिस सान्याल*
**संपादन सहयोगी**
*पंकज शर्मा*
*संजय द्विवेदी*
*डॉ. हरिकृष्ण दत्त*
*अहद प्रकाश*
*मोहम्मद युनुस*
*उत्पल बैनर्जी*
*ज्योतिष जोशी*
**सहायक संपादक**
*मनोहर चौरे*
**संपादक**
*विष्णु राजोरिया*

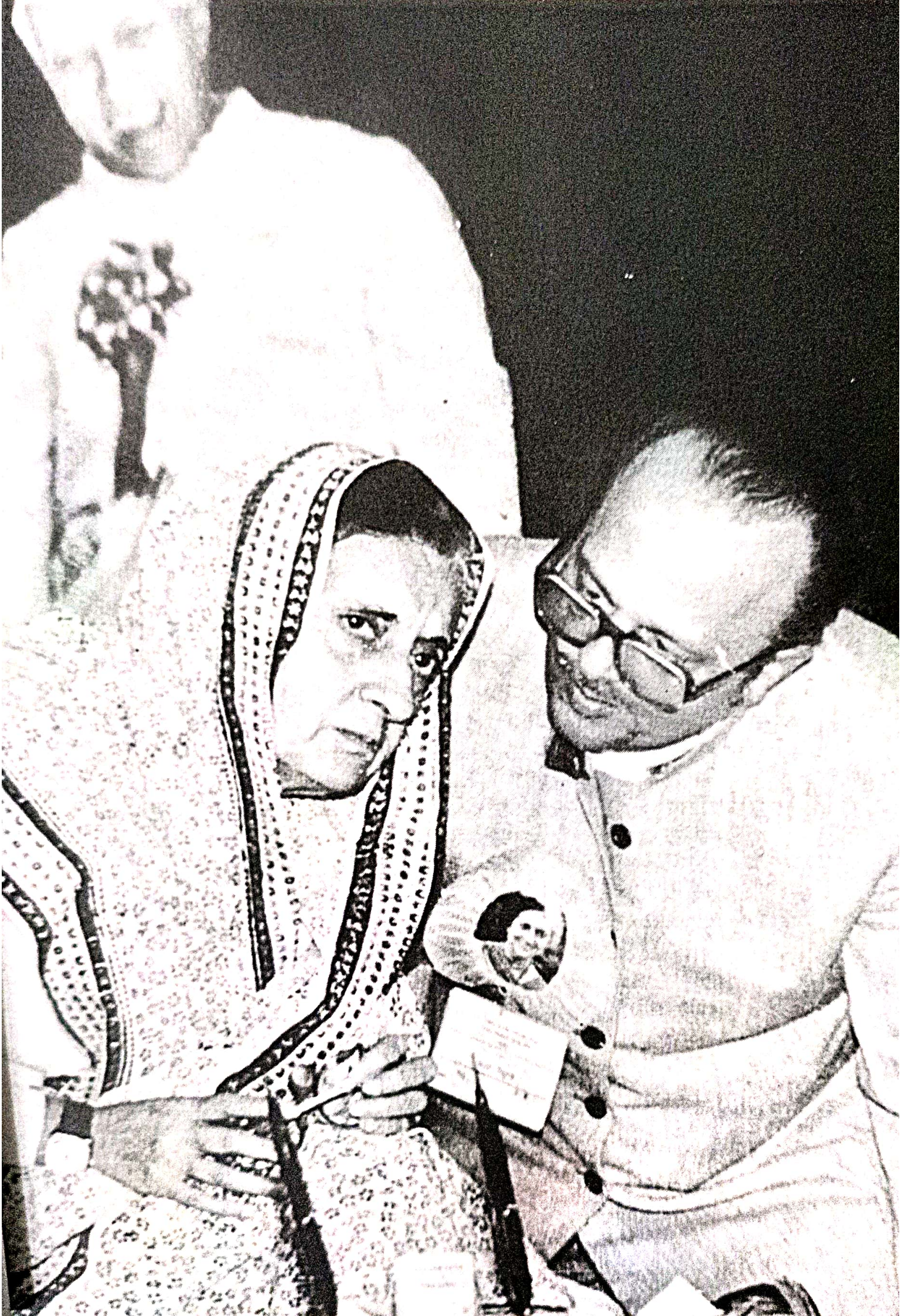

# पुरोवाक्

**''किसी भी समुदाय अथवा राष्ट्र की सांस्कृतिक रूपरेखा ही अन्ततः इसके समूचे ढाँचे को अवधारित करती है। यह हमारा सौभाग्य है कि विगत कई शताब्दियों से देश में हो रही अत्यधिक उलटफेर के बाद भी, इस देश की संस्कृति को सुरक्षित रखा गया है, इसे कायम रखा गया है और यहाँ तक कि इस देश के लोगों ने इसका विकास किया है। भले ही कुछ सरकारें भारतीय संस्कृति की मौलिक अवधारणा के विपरीत ही क्यों न रहीं हों, इस देश के लोगों ने भारत की संस्कृति को पोषित किया, उसकी सुरक्षा की और उसको बढ़ाया है। इसलिए मेरे विचार से देश की सांस्कृतिक रूपरेखा की प्रत्येक बात का अपेक्षाकृत काफी अधिक महत्त्व है और वास्तविक शिक्षा केवल तभी आ सकती है जब हमें अपने सांस्कृतिक ढाँचे की सही समझ हो।''**

*राजनीति की उस दुनिया से रू-ब-रू होना जिसमें-से हमारी यह वास्तविक दुनिया रूपायित और प्रतिकृत होती है, सचमुच एक बिलकुल अलहदा और उत्तेजक अनुभव है। विधानसभा और संसद की कार्रवाई के दौरान प्रदेश और देश, समाज और व्यक्ति की नियति बनती-बिगड़ती है और कदाचित इसी आधार पर कहा जा सकता है, बकौल श्री अर्जुनसिंह ''इस देश में प्रत्येक व्यक्ति राज करेगा क्योंकि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी समाज, जाति अथवा धर्म से सम्बन्ध रखता हो, उसको इस बात का अधिकार है कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से भारत शासन में हाथ बँटा सकता है।'' अपने मताधिकार का उपयोग कर प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रतिनिधि ही नहीं चुनता बल्कि सरकारें भी बदलता है और इसीलिए सैद्धांतिक दृष्टि से यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति राज करता है। कुछ लोग कहते ज़रूर हैं कि चुनाव, सरकार के काम से नहीं, प्रबन्धन से जीते जाते हैं, व्यावहारिक दृष्टि से यह सच भी हो, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके अविश्वास का द्योतक है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास और निष्ठा ही उस मूल्य आधारित राजनीति की बुनियाद है जो समकालीन परिदृश्य में धीरे-धीरे दुर्लभ होती जा रही है और इसीलिए उसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। श्री अर्जुनसिंह उन बिरले राजनेताओं में अन्यतम हैं जो आज भी*

मूल्य आधारित राजनीति में विश्वास करते हैं और अपने आचरण से उसे चरितार्थ करते है। इसका साक्ष्य है— संसदीय कार्रवाई का यह दस्तावेज। दिसम्बर 1985 से लेकर 1996 तक लोकसभा और 1991 से 1993 तक राज्यसभा की कार्रवाइयों में सांसद, संचार मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में श्री अर्जुनसिंह की सक्रिय भागीदारी, उनके वक्तव्य, भाषण और उनके लिखित उत्तर भी इसमें शामिल हैं। वे राज्यसभा में मंत्री के रूप में कार्रवाइयों में भाग लेने जाते थे।

इनमें उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता, मूल्य चिन्ता, और गहन चिन्तन-मनन सहज ही प्रकट होता है। मसलन पंजाब की तत्कालीन स्थिति पर बहस के दौरान उनके वक्तव्य से देश की प्रभुसत्ता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता में उनकी अडिग निष्ठा व्यक्त होती है: **"कोई देश की सम्प्रभुता एवं अखंडता को चुनौती देने का साहस करता है या कोई इस देश की एकता या अखंडता को खतरा पैदा करने का साहस सकता है (तो) इस सम्माननीय संसद को, इस देश के लोगों को और हम सभी को उसका सामना करना है और उन्हें कुचल देना है।.... हमारे देश के उस भाग में दुर्भाग्यवश यह हुआ है कि कुछ थोड़े से लोगों ने मुख्य रूप से राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हिंसा और आतंकवाद को अपना साधन बनाया और अब उनकी वास्तविक योजना का भंडा फूट गया है और यह ऐसी कोई बात नहीं है जो संविधान के ढाँचे के अन्तर्गत प्राप्त की जा रही है; लेकिन एक विदेशी शक्ति के उकसाने पर राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल तथा देश के उस भाग में अत्यंत स्पष्ट रूप से अलगाववाद का समर्थन करने के उद्देश्य से अपने मंसूबे पूरा करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि सभा में कतिपय बातों पर विचार किया जाए क्योंकि इतिहास की प्रगति में अक्सर हम घटनाओं के महत्त्व को और शक्तियों के स्वरूप परिवर्तन को भूल जाते हैं।.... जो लोग देश की प्रभुसत्ता और अखंडता को विघटित करने का प्रयास करेंगे, उनको इस प्रकार का सबक सिखाया जाएगा कि वे फिर कभी अपना सिर नहीं उठा सकेंगे।"**

एक सम्पूर्ण राष्ट्रीय मानसिकता के निर्माण और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति उनकी भावात्मक संसक्ति और वैचारिक निष्ठा का ही प्रमाण है कि वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के गायन के मुद्दे को महज़ कानून के आधार पर नहीं बल्कि एक सच्ची राष्ट्रीय भावना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। डॉ.राजेन्द्र प्रसाद की घोषणा का स्मरण करते हुए वो कहते हैं "वन्देमातरम का सम्मान, स्तर और स्थान हमारे देश की उन भावनाओं से जुड़ा है, जिन भावनाओं को सारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने लिए प्रेरणा मानकर बलिदान देकर देश को आज़ाद कराया। इसी रूप में इस गान का सम्मान होना चाहिए लेकिन हम किसी कानून के माध्यम से उसको एन्फोर्स नहीं कर सकते है।"

राष्ट्र की उनकी संकल्पना क्या है? **"यह राष्ट्र केवल किसी व्यक्ति विशेष, किसी आस्था विशेष वाले लोगों, किसी जाति या किसी वंश का नहीं है बल्कि**

सबका है तथा यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारत के संविधान में अधिकारों और कर्त्तव्यों की व्यवस्था की गई है।...'' यही राष्ट्र की व्यापक, समग्र और सर्व समावेशी अवधारणा है और इसी राष्ट्रीय चेतना को वे युवकों में स्पन्दित करना चाहते हैं। नेहरू युवक केन्द्रों की "यह योजना किसी पार्टी को ऊपर उठाने के लिए नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय चेतना उभारने के लिए है, उस राष्ट्रीय चेतना को जिससे विचार जगते हैं, मनन होता है और फिर सृजन होता है जो हमारी वैचारिक प्रक्रिया को राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय अखंडता की बृहत् धारा से भटकने नहीं देती।''

धर्मनिरपेक्षता में श्री अर्जुनसिंह की अडिग आस्था और दृढ़ विश्वास है। वे कहते हैः "राज्य किसी धर्म का आचरण नहीं करता; राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता और वह किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म पर आचरण कर सकता है। अपने धर्म में श्रद्धा और निष्ठा रख सकता है।'' धर्मनिरपेक्षता की यही मूल और तात्त्विक अवधारणा हैः इसमें आधुनिक और पश्चिमी 'सैक्यूलर स्टेट' की अवधारणा के साथ भारतीय सर्वधर्म समभाव का संश्लेष है। इसमें न किसी का तुष्टीकरण है और न किसी का बहिष्कार। धर्म का तिरस्कार और उसे अफीम कहने वाला वामवादी अतिरेक भी इसमें नहीं है। एक समदृष्टि और समग्र की आकांक्षा ही इससे व्यंजित होती है। कुछ लोगों को उनके इस वक्तव्य से हैरत हो सकती है— **''मैं कहना चाहता हूँ कि एक स्वैच्छिक समान सिविल संहिता बनाना समय की माँग है; परन्तु शब्द ''स्वैच्छिक'' है और सदन के सभी वर्गों से अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक के पारित होने के बाद वे इस देश की एक ऐसी नागरिक संहिता तैयार करने में प्रधानमंत्री की सहायता करें जो भारत के लोगों के सभी वर्गों को स्वेच्छा से स्वीकार्य हो।''** समान नागरिक संहिता की माँग को अक्सर ही लोग धर्मनिरपेक्षता की कसमें खाकर अल्पसंख्यकों के हितों के विरुद्ध समझते-समझाते रहे हैं; लेकिन श्री अर्जुनसिंह ने "स्वैच्छिक" शब्द से उस आशंका का निराकरण कर दिया है और उनकी अवधारणा न केवल आधुनिक, प्रगतिशील बल्कि पूरी तरह उदारवादी हो जाती है।

धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव और साम्प्रदायिक सौमनस्य के लिए उनकी व्यग्र चिन्ता इस वक्तव्य से प्रकट होती हैः **''अगर यह साम्प्रदायिक हिंसा देश में फैल गई तो उसका क्या परिणाम होगा? क्या आप चारों तरफ के वातावरण के प्रति जागरूक हैं? मैं अन्तर्राष्ट्रीय ताकतों की चर्चा कर रहा हूँ। देश में चारों तरफ हम धर्मान्ध ताकतों का उत्कर्ष देख रहे हैं। देश में कट्टरवाद की आग को भड़काकर आप देश को उन कट्टरवादी ताकतों के साथ संघर्ष के लिए तैयार कर रहे हैं।..... मैं देख रहा हूँ कि फासिस्टवाद की लम्बी छाया इस देश पर मंडरा रही है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस छाया को वास्तविकता का रूप न लेने दें।..... डायलन थामस के शब्दों में यह एक दूसरे का विरोध करने का समय नहीं है और कम से कम उन व्यक्तियों को ऐसा नहीं करना चाहिए जो इस देश की धर्मनिरपेक्ष**

**शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते है।''**

सर्वधर्म समभाव के विकास के लिए उनकी यह युक्ति कितनी नायाब और असरकारी है: "अगर अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो हम विभिन्न धर्मों पर एक दस्तावेज या किताब इस सदन में वितरित करवा दें, जिससे हमें सूचना और जानकारी तो प्राप्त होगी ही, साथ ही हमें अपनी उस संकीर्ण विचारधारा से भी छुटकारा मिल जायगा, जिसके कारण हम भारत की आत्मा को चोट पहुँचाते हैं और इसका तिरस्कार करते हैं।''

मंदिर-मस्जिद विवाद की राजनीति के नेपथ्य को उद्घाटित करते हुए श्री अर्जुनसिंह समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक तरीके से करने पर ज़ोर देते हैं और धर्म तथा भगवान् का नाम अपने निहित स्वार्थों के लिए उपयोग करने वालों का डटकर विरोध करते हैं। उन्होंने बार-बार, अनेक बार यह चेतावनी दी कि धार्मिक कट्टरता को फैलाकर कुछ लोग सत्ता हथियाना चाहते हैं। यदि इस कट्टरता को रोका नहीं गया तो देश की दुर्दशा की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसीलिए अयोध्या की स्थिति पर चर्चा के दौरान उन्होंने बेहद तीखा और सीधा वैचारिक हमला किया: "वास्तव में यह समस्या लोगों के एक ग्रुप द्वारा उत्पन्न की गई है जो एक राजनीतिक नाम से जाना जाता है जिन्होंने अपने ज़ेहन में, अपनी हताशा में भी यह निर्णय कर लिया है कि इस मुद्दे को इस प्रकार उठाया जाए जिससे मुहिम के अन्तर्गत इसे देश में मौज़ूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सत्ता हासिल करने हेतु एक राजनीतिक हथियार बनाया जा सके।'' कुछ लोग अक्सर मंदिर विवाद और अयोध्या के मसले को धार्मिक आस्था से जोड़ने के आदी रहे हैं। श्री अर्जुनसिंह ने अपनी आस्था को स्पष्टतः स्वीकार किया — **''यदि मेरी आवाज़ सुनी जा रही है तो मैं चाहूँगा कि इस आवाज़ को देश के एक विनीत नागरिक की आवाज़ के रूप में सुना जाय जो आस्था से हिन्दू और विश्वास से एक राष्ट्रवादी है।''** लेकिन साथ ही उन्होंने धार्मिक आस्था का राजनीतिक लाभ लेने वाले धार्मिक ढोंगियों पर भरपूर चोट भी की — **''आप जिन भगवान् राम की सेवा की बात करते हैं, उन्हें हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए माध्यम नहीं बनाते हैं। भगवान् राम हम सबके हृदय में हैं, हम सबकी कल्पनाओं में हैं, आस्थाओं में हैं; लेकिन भगवान् राम हमारे लिए, इसके लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं हैं कि जहाँ हमको 10 सीटें मिलती हैं, उनको बढ़ाकर हम 20 कर लें।... इस विवाद से इस बात का भी निर्णय होगा कि क्या हमारा देश गाँधीजी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रहा है, क्या यह देश उनके पदचिह्नों का अनुकरण कर रहा है या गोडसे के मार्ग और उसके पदचिह्नों का अनुकरण कर रहा है, जिससे राष्ट्रपिता की हत्या करवाई गई।''**

श्री अर्जुनसिंह ने सांसद की हैसियत से बहुत पहले (28 जुलाई 1986 को) यह सुझाव दिया था कि— "सभी राजनीतिक दलों को गम्भीरता के साथ एक आम घोषणा करनी होगी कि ऐसे मामलों पर जिससे लोगों की जान को खतरा हो अथवा जो ऐसे

मामलों को प्रभावित करते हों, जो स्पष्टतः राष्ट्रीय महत्त्व के हों और विशेषकर जहाँ राष्ट्र विरोधी, साम्प्रदायिक, अलगाववादी तथा उग्रवादी बातों का मामला हो, हम ऐसे किसी मामले का राजनीतिक लाभ नहीं उठाएँगे।'' अपनी इस प्रतिश्रुति के कारण ही, मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने सीधे श्री अटलबिहारी वाजपेयी और श्री लालकृष्ण आडवाणी की ओर मुखातिब होकर कहा था— ''राजनीति के शिखर पर पहुँचने के लिए आपका प्रयास करना बिलकुल वाजिब है और इस देश की जनता आपको उस शिखर की ओर ले जाए, यह उसकी मर्ज़ी है, उसमें कोई आड़े नहीं आता है; लेकिन यदि इस रास्ते पर चलते हुए आप भारत की तमाम राजनैतिक मान्यताओं को, संविधान के सभी अनुच्छेदों के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, मर्यादाओं के व्यावहारिक आचरण के सभी मानदण्डों को कुचलकर आगे जाना चाहते हैं तो ऐसा मत समझिए कि उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, उसकी कोई खिलाफ़त (मुख़ालिफ़त) नहीं होगी, उसका विरोध नहीं होगा और यदि आज भारत को कोई संकट पैदा हुआ है, तो वह संकट शक्ति की लड़ाई नहीं है, सत्ता की लड़ाई नहीं है, वह संकट इस तरह के आचरण से पैदा हुआ है जो आचरण न केवल स्वेच्छाचारी है, जो आचरण न केवल राजनीतिक रूप से मर्यादा को तोड़ने वाला है बल्कि जो आचरण केवल अपनी तुष्टि के लिए, अपने दल की तुष्टि के लिए आगे बढ़ना चाहता है।''

इस वक्तव्य में विचार और व्यवहार, कर्म और सिद्धान्त, के जिस द्वैत और द्विविधा की ओर संकेत किया गया है, वे उसके प्रति स्वयं अतिरिक्त रूप से सजग थे। जब वे कहते हैं— **''व्यक्ति का व्यवहार, विचार और कार्यकलाप महत्त्वपूर्ण होते हैं।... मैं जानता हूँ कि हर राजनैतिक दल के विचार और आचार में कभी ऐसे मौके आते हैं जब तात्कालिकता हावी हो जाती है। विचार दूसरे नम्बर पर चला जाता है और आचार तीसरे नम्बर पर चला जाता है।''**... यहाँ यह स्पष्ट है कि श्री अर्जुनसिंह तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए विचार और आचार की एकता और समरसता भंग करने के पक्षधर नहीं हैं और यही मूल्य आधारित राजनीति है।

6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाँचे को ढहा देने की घटना की, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, सभी दलों ने एक स्वर से लोकसभा में 6 दिसम्बर 1995 को निन्दा की और उसे 'राष्ट्रीय शर्म' करार दिया। इस प्रसंग में श्री अर्जुनसिंह का वक्तव्य ध्यान देने योग्य है। वे कहते हैः ''भारत की एकता और अखंडता इस बात पर निर्भर करती है कि हम भारत के गंगा-जमुनी सांस्कृतिक स्वरूप को बनाकर रखें, हम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से मानने के लिए स्वीकार करते हुए उस पर कदम उठाएँ। किन्हीं भी संकीर्ण बातों से भले ही हमें कोई राजनीतिक लाभ मिलता हो, यह हम सबका कर्तव्य है कि उससे परे रहकर हम देश के प्रजातंत्र को संचालित करें।'' इसी तरह चरार-ए-शरीफ़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर विचार के लिए लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर श्री अर्जुनसिंह का वक्तव्य उनके पवित्र आक्रोश का प्रमाण है— ''इससे मात्र

किसी धार्मिक स्थल के प्रति आस्था ही किरच-किरच होकर नहीं बिखरी है अपितु मैं तो आक्रोश और विनम्रता के साथ यही कहूँगा कि हम न केवल कश्मीर में अपितु समूचे देश में हमारे विश्वास, प्रतिबद्धता और गणतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति आस्था के बिखरने के संकट का सामना कर रहे है।" उन्होंने लगभग एक दार्शनिक अंदाज़ में समापन करते हुए कहा था— कोई भी देश या कोई भी नेता अपने प्रति या देश के प्रति तब तक न्याय नहीं कर सकता है, जब तक कि वह अधिकार की सीमाओं से परिचित नहीं है।"

कश्मीर के प्रसंग को राष्ट्र की स्वाभाविक विशिष्टता और देश की भावी राजनैतिक स्थिति से पूरी तरह सम्बद्ध मानते हुए श्री अर्जुनसिंह ने कहा था— "कश्मीर... एक ऐसी कड़ी परीक्षा का स्थान रहा है जहाँ स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्र के वास्तविक स्वरूप को बाध्यकारी बनाया गया। कश्मीर ऐसा स्थान है जहाँ दो राष्ट्र के सिद्धांत की, जिससे दुर्भाग्यवश देश का विभाजन हुआ था, के हानिकारक सिद्धांत को दफ़न किया गया था।" यह आधुनिक भारत के समकालीन इतिहास की गहरी समझ और इतिहास की सीख से समृद्ध वक्तव्य है।

अपनी तात्कालिक परम्परा के प्रति एक विनयावनत दर्प भी उनमें देखा जा सकता है — **"हम बहुत छोटे लोग हैं तथा उन महान् व्यक्तियों जैसी ज़िम्मेदारियाँ उठाने की सामर्थ्य हममें नहीं है; परन्तु हमें निश्चय ही उस विरासत पर गर्व है तथा वह महान् विरासत हमारी पथप्रदर्शक शक्ति, हमारी ताकत है... और हम भरसक इस बात की कोशिश करेंगे कि इस विरासत को हम अपनी दूसरी पीढ़ी तक उससे अधिक समृद्ध रूप में पहुँचाएँ जिस रूप में हमने उसे प्राप्त किया था।"** श्री राजीव गाँधी की याद करते हुए उन्होंने जिस रिक्थ (Legacy) की बात की वह इसी तात्कालिक परम्परा की चेतना है: ***Shri Rajiv Gandhi left his impression on each one of us. This is our legacy and it is our sacred duty to preserve it. But this legacy belongs to the entire nation and not to any particular individual.*** इसीलिए स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी की नृशंस हत्या की जाँच कर रहे जैन आयोग की स्थिति पर चर्चा शुरू करते हुए श्री अर्जुनसिंह ने हत्यारों को पकड़ने में हो रहे विलम्ब पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उनकी माँग थी कि सरकार को इस हत्या के पीछे के षड्यंत्र का भी पर्दाफ़ाश करना चाहिए और अपराधियों को अविलम्ब दण्डित किया जाना चाहिए। इस प्रसंग में उनके सारे वक्तव्य, हस्तक्षेप और बहस में उनकी सूक्ष्म परीक्षण शक्ति, निपुण प्रबोधन क्षमता, तार्किक विश्लेषण और कुशल वकालत के लक्षण प्रकट होते हैं।

श्री अर्जुनसिंह वर्षों तक मध्यप्रदेश के शिक्षामंत्री और केन्द्र में वर्षों तक मानव संसाधन विकास मंत्री रहे हैं। स्वभावतः ही शिक्षा और संस्कृति के बारे में उनकी अपनी एक स्पष्ट सोच, विचारधारा और निर्भ्रान्त दृष्टिकोण है। वो श्री राजीव गाँधी की इस बात

से अपनी सहमति व्यक्त करते हैं कि "शिक्षा की नीति कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती है, एक बदलते हुए समाज के लिए इसकी सार्थकता, उपयोगिता और इसका स्वरूप तीनों बदलते रहेंगे।" श्री अर्जुनसिंह का अपना शिक्षा दर्शन उनके इस वक्तव्य से स्पष्ट होता है: **"शिक्षा सिर्फ़ एक प्रशासनिक गतिविधि तक सीमित नहीं रहनी चाहिए.... और न ही उसका उपयोग किसी खास विचारधारा को उभारने या खंडन करने में किया जाना चाहिए.... बल्कि उसका प्रयोग तो लोगों को जानकारी देने और उन्हें शक्ति प्रदान करने के लिए होना चाहिए, जिससे कि इस देश के योग्य नागरिक बनने में स्वतः सक्षम हो सकें और स्वयं ही यह देख सकें, समझ सकें, फैसला कर सकें और तदनुसार निर्णय कर सकें कि उनके लिए, समाज के लिए और देश के लिए क्या सही है और क्या ग़लत।"** इसीलिए शिक्षा के लोकव्यापीकरण और शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में उनकी रुचि रही है। समूचे राष्ट्र को प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण तथा सार्वभौम साक्षरता के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनेक योजनाओं का सूत्रपात और उनका क्रियान्वयन किया। शिक्षा के प्रति एक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण को रूपायित करते हुए उन्होंने कहा था— "शिक्षा जनहित से जुड़ा हुआ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। अब शिक्षा के साथ महिला तथा बालविकास, खेल और संस्कृति विषय भी जुड़ गए हैं। ये सब मिलकर उसे बहुत ही व्यापक और विशिष्ट विषय बना देते हैं जिसके सम्बन्ध में हमारे समुदाय के सभी वर्गों के अपने-अपने विचार हैं।" इसीलिए शिक्षा में सभी की न केवल पहुँच के लिए बल्कि सभी की सफलता के लिए समान अवसर मुहैया कराने की पहल उन्होंने की। उनका यही प्रयत्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रसंग में भी था। "हमें इस संसार में हुई उन वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी प्रोन्नतियों को बड़ी सतर्कतापूर्वक चुनना चाहिए जो इस देश के लिए उपयोगी हैं तथा उनका ऐसे स्तर पर एवं ऐसे ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि उनसे देश के निर्धन वर्ग को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में तत्काल सहायता मिल सके।"

श्री अर्जुनसिंह ने वर्षों पहले मध्यप्रदेश के शिक्षामंत्री के रूप में, संस्कृति के सम्बन्ध में अपना स्पष्ट चिन्तनपरक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था जिसमें रचनाकर्म की स्वायत्तता और स्वतंत्रता में उनकी कलाकारोचित एकान्त निष्ठा अभिव्यक्त हुई थी। फिर मुख्यमंत्री के रूप में संस्कृति विभाग का गठन करके भारत भवन तथा अनेक साहित्य संगीत-कला अकादेमियों के माध्यम से उन्होंने एक सांस्कृतिक नवाचार का शुभारम्भ किया था। उनके मार्गदर्शन में प्रदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों ने पूरे देश में रोल मॉडल की भूमिका निभाई थी। वे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में संस्कृति के वास्तुविद् कहे जा सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में भी उन्होंने शिक्षा में संस्कृति को वरीयता प्रदान की। संस्कृति की केन्द्रीयता पर उनका यह वक्तव्य काबिले गौर है: "किसी भी समुदाय अथवा राष्ट्र की सांस्कृतिक रूपरेखा ही अन्ततः इसके समूचे ढाँचे को अवधारित करती है। यह

हमारा सौभाग्य है कि विगत कई शताब्दियों से देश में हो रही अत्यधिक उलटफेर के बाद भी, इस देश की संस्कृति को सुरक्षित रखा गया है, इसे कायम रखा गया है और यहाँ तक कि इस देश के लोगों ने इसका विकास किया है। भले ही कुछ सरकारें भारतीय संस्कृति की मौलिक अवधारणा के विपरीत ही क्यों न रहीं हों, इस देश के लोगों ने भारत की संस्कृति को पोषित किया, उसकी सुरक्षा की और उसको बढ़ाया है। इसलिए मेरे विचार से देश की सांस्कृतिक रूपरेखा की प्रत्येक बात का अपेक्षाकृत काफी अधिक महत्त्व है और वास्तविक शिक्षा केवल तभी आ सकती है जब हमें अपने सांस्कृतिक ढाँचे की सही समझ हो।'' इसी समझ के तहत देश की सांस्कृतिक छवि के बारे में एक केन्द्रीय विचारधारा की ज़रूरत रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा है: ''भारत की सांस्कृतिक छवि ऐसी होनी चाहिए जो कि साम्प्रदायिकता, संकीर्णता और तंग विचारधारा से परे हो और जो कि अनिवार्यतः मानवीय हो, धर्मनिरपेक्ष हो, दूरदर्शी हो और उदार हो ताकि उसमें इस देश की हज़ारों वर्षों की अच्छी बातों का ही समावेश न हो अपितु उसमें इस तरह की क्षमता होनी चाहिए कि हमारी संस्कृति की द्योतक सभी बातों को परिलक्षित कर सकें।'' वे संस्कृति को सिर्फ़ चंद चुनिन्दा 'इलीट' बुद्धिजीवी, सुविधा सम्पन्न उच्चवर्ग या मध्यवर्ग के मनोरंजन का साधन नहीं मानते, इसीलिए वो कहते हैं : **''वास्तविकता यह है कि सांस्कृतिक क्षेत्र के किसी भी कार्यकलाप में यदि इस देश की जनजातीय तथा लोक संस्कृति को हृदयंगम नहीं किया जाता तो उस कार्यकलाप का कोई अर्थ ही नहीं है।''** संस्कृति के संरक्षण, और प्रोत्साहन के नाम पर वे राज्य के हस्तक्षेप को बहुत अधिक काम्य न मानते हुए संस्कृति के क्षेत्र में राज्य की भूमिका स्पष्ट करते है: ''जहाँ तक संभव हो राज्य को संस्कृति से अलग ही रहना चाहिए। इसे केवल अभिव्यक्ति, निष्पादन, विकास के लिए साधन उपलब्ध करवाने चाहिए क्योंकि यदि राज्य संस्कृति के क्षेत्र में अत्यधिक अंतर्ग्रस्त रहता है (तो) इससे गंभीर संकट पैदा हो सकता है, जैसा कि विश्व के बहुत से भागों में हुआ है।..... हम नहीं चाहते कि किन्हीं भी परिस्थितियों में इस देश में यह सब हो।''

सामान्यतः प्रशासनिक ढाँचा ठंडा, बेहिस और मशीनी माना जाता है; लेकिन यदि उस ढाँचे के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति में मानवीय संवेदनशीलता हो तो वह पूरे प्रशासन को जनहित और शोषित-दलित सर्वहारा की सेवा में सक्रिय कर सकता है। मध्यप्रदेश में संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में प्रख्यात श्री अर्जुनसिंह जब केन्द्र में संचारमंत्री बने तब मज़दूर आन्दोलन के प्रति उनकी संवेदनशीलता इस वक्तव्य में सहज ही देखी जा सकती है: **''भारतीय मज़दूर आन्दोलन का एक बहुत उल्लेखनीय इतिहास है और इस देश के विकास के लिए, इस देश के मजदूर आन्दोलन और श्रमशक्ति ने एक विशेष भूमिका अदा की है और यह भूमिका अदा करते रहेंगे।''** इसके साथ ही उनकी अपेक्षा है कि **''वे इस बात पर विचार करें कि जिस क्षेत्र में वे कार्यरत हैं, वह ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसका सम्बन्ध देश के किसी एक भाग से हो, लोगों के**

एक वर्ग से हो और कुछ ऐसे हितों से हो जिनकी, अगर यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं चल रहा है तो कुछ समय के लिए, अवहेलना की जा सकती है।....दूरसंचार के माध्यम एक देश की ताकत, नसें और नाड़ियाँ हैं और मैं नहीं सोचता कि इसको किसी भी तरह उचित ठहराया जा सकता है कि उनको अपनी किसी ऐसी बात को मनवाने के लिए या हित की पूर्ति हेतु ठप्प किया जाए, जिसे अपने आप में न्यायोचित ठहराया जा सके।'' 29 नवम्बर 1991 को लोकसभा में प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल के प्रश्न पर श्री अर्जुनसिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे मज़दूर संघों के हड़ताल करने के अधिकार को स्वीकार करते हैं लेकिन उनका सदैव यही प्रयास रहा कि श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण चर्चाओं के माध्यम से होना चाहिए और यदि उचित समाधान नहीं मिलता है तभी हड़ताल का रास्ता अपनाया जाए। उसी तरह लोकसभा में 20 फरवरी 1996 को जब श्रमजीवी पत्रकारों की माँगों तथा उनके वेतनमान के पुनरीक्षण का मामला उठाया गया तब श्री अर्जुनसिंह ने उनकी माँगों को उचित ठहराते हुए सत्ता पक्ष से पत्रकारों को राहत देने और उनकी माँगों का समर्थन करने का आग्रह किया।

हमारे पुरुष-प्रधान समाज में सदियों से दलित और शोषित महिला को सुरक्षा और संरक्षण देने और अधिकार सम्पन्न बनाने के मामले में श्री अर्जुनसिंह की वचनबद्धता और क्रियाशीलता एक ऐसा उदाहरण है जो समकालीन राजनेताओं के विचार और आचरण के संदर्भ में लगभग अन्यतम है। वे कहते हैं: ''**इस देश की महिलाओं को सुरक्षा, संरक्षण तथा अधिकार देने की कोशिश होना चाहिए ताकि वे न केवल राष्ट्र निर्माण के क्रियाकलापों में ही अपनी भूमिका अदा कर सकें, बल्कि एक व्यक्ति विशेष के रूप में भी सम्मान अर्जित कर सकें तथा इस देश का नागरिक होने के नाते उन्हें सभी अधिकार मिल सकें।**'' इसीलिए वे महिला एवं बाल विकास को देश में सर्वोच्च वरीयता दिए जाने के पक्षधर थे। उन्होंने राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की घोषणा इसी मकसद से की थी ताकि अनौपचारिक क्षेत्र में ग़रीब महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराए जाने की चिर प्रतीक्षित माँग पूरी हो सके।

इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था, महिला शिक्षा, आरक्षण, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, खेलकूद को प्रोत्साहन, नवोदय विद्यालय, वैदिक गणित में शोध, रवीन्द्रनाथ ठाकुर की पाण्डुलिपियाँ, साक्षरता, प्रौढ़ निरक्षरता की समाप्ति, विश्वविद्यालय अनुशासन, संस्कृत अध्ययन-अध्यापन, ताजमहल वायु प्रदूषण, पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक सर्वेक्षण, शृंगेरी में संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्तरप्रदेश में एशियाई भाषा संस्थान, बिहार में पुरातत्व खुदाई, कमज़ोर वर्गों के बच्चों को शिक्षा, स्कूली बच्चों के बस्ते के भार को कम करने के लिए पाठ्यक्रम का पुनर्निर्धारण, नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, उर्दू संवर्द्धन ब्यूरो, उर्दू का विकास, मदरसों का आधुनिकीकरण, विदेशों में भारतीय मूल की पाण्डुलिपियाँ, तकनीकी शिक्षा का मानकीकरण, रोजगारोन्मुखी शिक्षा नीति, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् और अन्तर्विषयक अध्ययन,

विज्ञान शिक्षा, कॉपीराइट, शासकीय लोक अभिलेख रख-रखाव, परिरक्षण और मूल्यांकन आदि बीसियों विषयों से जुड़े प्रश्नों के लिखित उत्तरों में भी श्री अर्जुनसिंह की व्यापक अध्ययनशीलता, अद्यतन जानकारी और विविध विषयों से गहरा परिचय व्यक्त होता है।

15 जुलाई 1992 को लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान श्री अर्जुनसिंह ने एक खास सांकेतिक और लगभग व्यंग्यात्मक लहज़े में कहा था: "हम सबने माननीय सदस्य का एक बहुत आकर्षक भाषण सुना जो कि विषयवस्तु के मुकाबले वक्तृता की दृष्टि से अधिक आकर्षक है।".... उनके इस वाक्य से ही स्वयं उनकी भाषण शैली और वक्तृत्व की प्रकृति समझी जा सकती है। वे शैली से अधिक विषयवस्तु को महत्त्व देते हैं। उनके सारे वक्तव्य और भाषण लिखकर नहीं पढ़े गए हैं, वे त्वरित प्रतिक्रियाएँ और तत्काल अन्तर्क्रियाओं से सम्पन्न हैं इसीलिए उनमें प्रत्युत्पन्नमतित्व, गहन-सोच-विचार, अवधारणा की पारदर्शिता, और हाज़िर जवाबी के साथ सीधे सम्बोधन और बोले गए शब्द की सहजता है। उनमें शेक्सपीयर के प्रसिद्ध चरित्र मार्क एण्टनी की सी वक्तृता से अधिक विषयवस्तु की केन्द्रीयता होती है। उनमें एक प्रखर तार्किकता और आश्वस्तकारी प्रबोधन क्षमता मिलती है। संसदीय कार्रवाई में निपुण और कुशल हस्तक्षेप के साथ ही सदन की गरिमा के प्रति उनकी जागरूकता इस वाक्य से प्रकट होती है: **"इस देश की निष्पाप इच्छा इस सभा में व्यक्त होती है और यह इच्छा कोई विलम्ब, विरोध नहीं चाहती और इस देश की आतंकवादी, मूलतत्त्ववादी, उग्रवादी तथा साम्प्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उपलब्ध सभी उपायों का प्रयोग किया जाए ताकि दोनों ही रूप, इस सभा के सदस्य तथा इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के संतरी होने के नाते से हम अपना कर्तव्य निभा सकें।"**.... विधानसभा हो या लोकसभा या फिर राज्यसभा, उन्होंने कभी, कहीं, किसी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कहीं, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिससे सदन की मर्यादा या किसी सम्मानित सदस्य की प्रतिष्ठा का उल्लंघन हुआ हो। इन वक्तव्यों और भाषणों में उनकी भावना का प्रवाह विचारों के तटबंधों में मर्यादित है; भावों पर बुद्धि का अनुशासन है और उनकी वैचारिकता में मानवीय संसक्ति और पक्षधरता का सरोकार केन्द्रित है। उनके भाषण जब सुने गए होंगे तब तो प्रभावशाली और आश्वस्तकारी अवश्य ही रहे होंगे, उससे अधिक उद्वेलित, आन्दोलित और प्रेरित वो अब करते है; जब आप इन्हें धैर्य से पढ़ते और गुनते हैं। आप इन्हें पढ़िए, इनसे गुजरिए, मेरा विश्वास है कि ये आपको भावोद्दीप्त तो करेंगे ही, आप में एक वैचारिक उत्प्रेरणा भी जागृत करेंगे।.....

**—प्रोफेसर (डॉ.) धनंजय वर्मा**

इस देश में प्रत्येक व्यक्ति राज करेगा क्योंकि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह किसी भी समाज, जाति अथवा धर्म से सम्बन्ध रखता हो, उसको इस बात का अधिकार है कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से भारत शासन में हाथ बटा सकता है और ऐसा होकर रहेगा।

– श्री अर्जुन सिंह
*5 मई 1986*

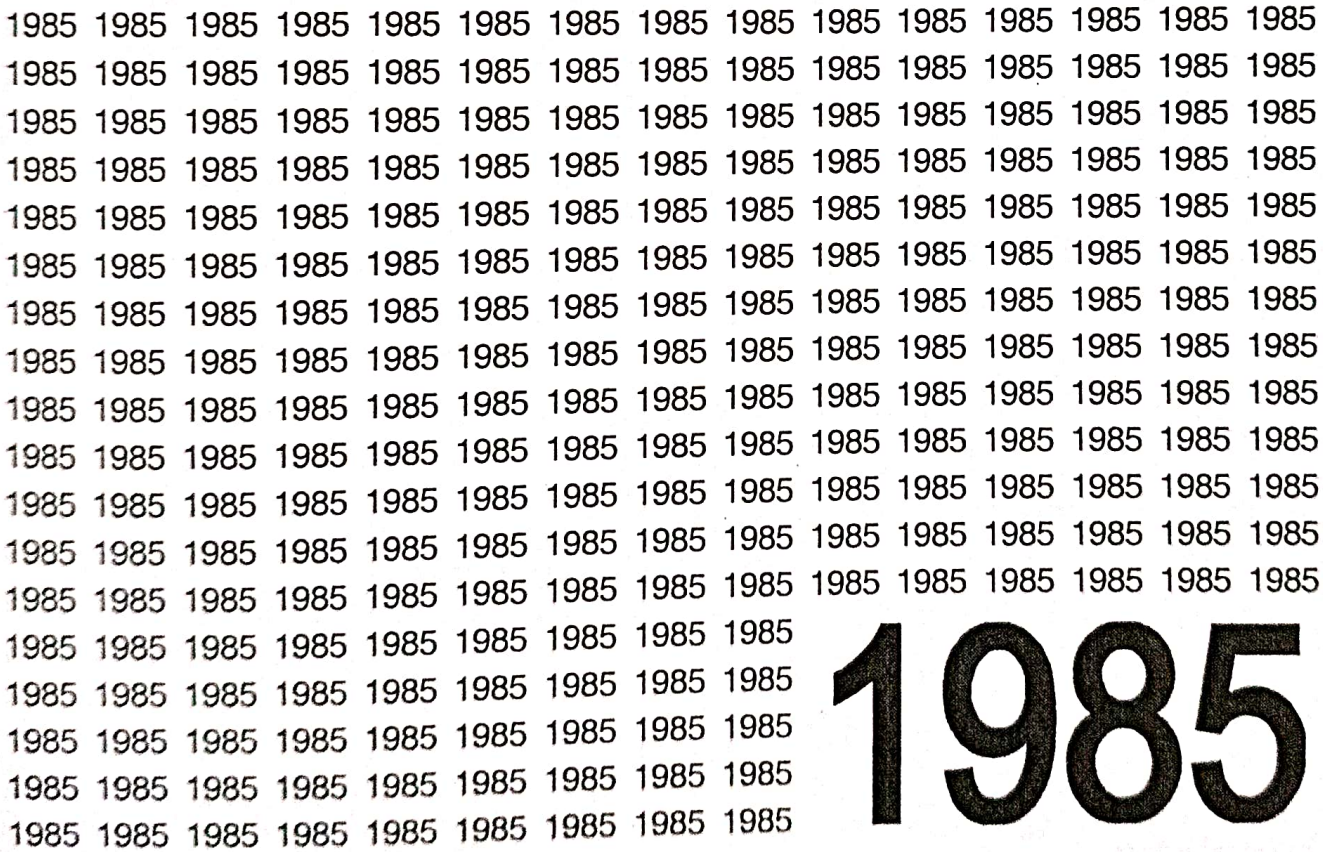

# 1985

*बुधवार, 18 दिसम्बर सन् 1985 को माननीय श्री अर्जुन सिंह ने 8वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। इस समय लोकसभा का चौथा सत्र चल रहा था। वे दक्षिण दिल्ली से काँग्रेस प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा में पहुँचे थे। श्री अर्जुन सिंह ने शरदकालीन सत्र में जब शपथ ली तो श्री जयपाल रेड्डी व श्री मधु दण्डवते के बीच मीठी तकरार भी हुई। इस समय लोकसभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ पीठासीन थे और श्री राजीव गाँधी सदन के नेता थे।*

बुधवार, 18 दिसम्बर, 1985/ 27 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोकसभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

**अध्यक्ष महोदय** : आ गए प्रोफेसर साहब?

**श्री एस. जयपाल रेड्डी** : वह अपने साथ 3 अन्य सदस्यों को सदन में लाए हैं और अपने दल के सदस्यों की संख्या बढ़ाई है।

**श्री बालकवि बैरागी** : प्रोफेसर साहब के.के. तिवारीजी को लेकर आए हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : लगता है ये दोनों सलाह कर के आए हैं।

**प्रो. मधु दण्डवते** : तिवारीजी एक नया आरोप लेकर आए हैं।

श्री अर्जुन सिंह (दक्षिण दिल्ली) सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

**श्री एस. जयपाल रेड्डी** : उन्हें अब पुनः मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जानी चाहिए।

**प्रो. मधु दण्डवते** : श्रीमान्, उन्होंने अनेक शपथ ली हैं।

(लोकसभा कार्रवाई 18 दिसम्बर, 1985, पृष्ठ 1)

इस देश में बिना किसी विवाद के सम्पूर्ण राजनीतिक विचारधारा, अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतों एवं देश की एकता को खतरा पैदा करने वाली ताकतों के विरुद्ध संगठित हों।

*— अर्जुन सिंह*
*7 नवम्बर 1986*

1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986

# 1986

*पंजाब की ताजा स्थिति के बारे में चर्चा शुरू हुई। उस समय माननीय अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ पीठासीन थे। नियम-193 के अंतर्गत चर्चा शुरू करते हुए श्री इंद्रजीत गुप्त ने खालिस्तान की माँग करने वाले लोगों को देश की एकता के लिए खतरा बताया। उन्होंने पवित्र सिख पूजा स्थल से चलाई जा रही गतिविधियों की निंदा की। श्री गुप्त ने सरकार को आश्वासन दिया कि उसके द्वारा उठाए गए किसी भी कठोर कदम पर संपूर्ण सदन और संपूर्ण देश सरकार के साथ रहेगा।*

*श्री अर्जुन सिंह सदन में उस समय आए जब श्री इंद्रजीत गुप्त का भाषण अपने समापन पर था। श्री अर्जुन सिंह ने देश की सम्प्रभुता एवं अखंडता को चुनौती देने वालों को कुचल देने की बात कही। वास्तव में इस भाषण से उनके पंजाब के साथ भावनात्मक लगाव की पुष्टि होती है। वे सदैव पंजाब में लोकतंत्र की बहाली के समर्थक रहे। उन्होंने प्रधान मंत्री द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई की प्रशंसा की, साथ ही सुरक्षा बलों की सफलता की कामना की। उनकी इस टिप्पणी से यह बात साफ होती है कि वे विघटनकारी ताकतों का किसी भी कीमत पर देश से सफाया चाहते हैं। श्री अर्जुन सिंह द्वारा इस बहस में की गई भागीदारी, देश के लोकतंत्र, प्रभुसत्ता व धर्म निरपेक्षता के प्रति उनकी सम्पूर्ण निष्ठा का दर्पण है।*

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा शुरू करेंगे। श्री इन्द्रजीतजी गुप्त आप अपना भाषण शुरू कीजिए।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) :** महोदय, आज प्रातः माननीय गृह मंत्री द्वारा सभा में जो वक्तव्य दिया गया है, उस पर विचार करने के लिए मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है। दिन में हमें बताया गया था कि वाद-विवाद का समय 4 बजे की बजाय 6 बजे हो सकता है और हमें यह भी बताया गया था कि शायद समय में इस परिवर्तन के कारण मंत्री महोदय नवीनतम स्थिति अथवा जानकारी के बारे में और अधिक बता सकें। इससे पहले कि मैं अपना भाषण शुरू करूँ, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी कोई बात है जो पर्याप्त रूप से स्थिति को प्रभावित करती हो अथवा ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में यह अब सभा को जानकारी दे सकते हों। वह चर्चा शुरू होने से पहले ऐसी जानकारी दे सकते हैं। वह संक्षिप्त रूप से बता सकते हैं।

**मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंहराव) :** इस बहस में हमें कितना समय लगेगा?

**अध्यक्ष महोदय :** इसमें लगभग एक घंटा लग सकता है।

**एक माननीय सदस्य :** दो घंटे भी लग सकते हैं।

**श्री पी.वी. नरसिंह राव :** यदि यह बहस दो घण्टे चलेगी तो यह बेहतर रहेगा कि मैं इस समय बोलने की अपेक्षा दो घंटे बाद ही बोलूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप चाहें तो मैं इस बहस का समय तीन घण्टे भी कर सकता हूँ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : कुछ सदस्यों ने राय प्रकट की है, कि इस प्रकार की चर्चा करना अभी उचित नहीं है क्योंकि इससे स्वर्ण मंदिर में बैठे लोगों, जिन्होंने यह घोषणा की है, को अधिक महत्त्व मिलेगा और हमें उन्हें अधिक महत्त्वपूर्ण बनाने में अनावश्यक सहायता नहीं करनी चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि मेरा इन पांच व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि वे अधिक महत्त्वपूर्ण हों। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि वे पाँच पागल व्यक्ति है। मैं जानता हूँ कि उन पाँच व्यक्तियों में से कम से कम तीन व्यक्ति घोषित अपराधी हैं जिनकी हत्या सहित अत्यन्त गंभीर आरोपों में तलाश है। लेकिन हम इन पाँच व्यक्तियों के बारे में चिंतित नहीं हैं। वस्तुत: मैं यह कहना चाहूँगा कि यहाँ पर चर्चा करने से अथवा इस वाद-विवाद का प्रचार करने से ही केवल उनका महत्त्व नहीं बढ़ेगा अपितु यदि उनको बिना किसी रोकटोक के अब जहाँ वे बैठे हुए हैं वहाँ से उन्हें घोषणाएँ करने देने और यदि देश यह समझता है कि कोई भी व्यक्ति उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो इस बात से भी निश्चित रूप से उनका महत्त्व बढ़ेगा। यहाँ पर वाद-विवाद के कारण नहीं। सम्पूर्ण देश के बारे में और जो अधिक चिंताजनक बात है उसके संबंध में आप कुछ कहना चाहते हैं ....

**आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्यमंत्री (श्री अरुण नेहरू)** : नहीं, श्रीमान् ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इससे वाद-विवाद को संक्षिप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि आपके पास वास्तव में कोई महत्त्वपूर्ण बात है तो वह आप हमें बताइए। इसके लिए आप हमें दो घण्टे इन्तजार करने के लिए कह रहे हैं। क्या ऐसा ही है? (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : आपके भाषण के जवाब में।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं यह कह रहा था कि देश के लिए जो अत्यन्त चिन्ताजनक बातें हैं, वह ये पाँच व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण बात है वह उस स्थान से सम्बन्धित है जहाँ वे बैठे हुए हैं और जहाँ से वे इस प्रकार की घोषणाएँ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि शायद सिख समुदाय के सभी पवित्र स्थानों में से यह स्थान सबसे ज्यादा पवित्र है और परिक्रमा के कमरा संख्या 46 से— जहाँ उन्होंने पत्रकारों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया था— यह घोषणा की थी, जिसे हम सबने पढ़ा है। महोदय, केवल कुछ दिन पहले, एक लम्बे समय के बाद राष्ट्रीय एकता परिषद ने अपनी बैठक की और उस परिषद के उद्घोषणा वक्तव्य में निम्न वाक्यांश कहे गए:—

"पूजा स्थलों के दुरुपयोग का अन्त होना चाहिए, विशेष रूप से विध्वंसकारी तत्वों द्वारा स्वर्ण मन्दिर के कुछ भागों में गैर-कानूनी कब्जे का जिन्होंने उसकी पवित्रता को नष्ट किया है।"

उस दिन राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में यही बात कही गई थी। लेकिन मैं यह बताना चाहूँगा कि इन लोगों ने क्या किया है। ये लोग अब क्या कह रहे हैं इन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद की घोषणा का उपहास उड़ाया है। अत: वह स्थान जहाँ से ये लोग अपनी कार्रवाई का संचालन कर रहे हैं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसकी एक पृष्ठभूमि है। इसका एक इतिहास है। मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि पहले उस स्थान से क्या कुछ हुआ है।

दूसरे, मैंने उस घोषणा की विषय-सूची को देखा है। जैसी कि प्रेस में प्रकाशित हुई है, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मेरे पास इस बात को प्रमाणित करने के लिए कोई साधन नहीं है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा वह समाचार पत्रों में दी गई जानकारी से अधिक है या थोड़ी। प्रश्न यह है कि उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि खालिस्तान की उत्पत्ति के लिए यह युद्ध की शुरुआत है और खालिस्तान का यह स्वप्न अब वास्तविकता में परिणत होगा। मैं हैरान हूँ कि इस प्रकार की घोषणा के लिए यह विशेष समय क्यों चुना है। इस क्षण का क्या महत्व है? क्या कोई नई बात हुई है?

अथवा क्या विदेशों में बैठे खालिस्तान के परामर्शदाताओं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि वे पीछे से इन आतंकवादियों का संचालन कर रहे हैं और खालिस्तानी गतिविधियों के समर्थक हैं, ने विशेष अवसर को चुना है। हम जानते है कि कुछ दिन पहले ही अमरीकी सरकार के एक सरकारी प्रवक्ता ने हमारे देश और हमारी सरकार को करीब-करीब एक अपमान भरे ढंग से यह कहकर फटकारा है कि "इस देश ने, जिसकी हम ने आतंकवाद को रोकने में इतनी सहायता की है", लीबिया में अमरीकी कार्रवाई का प्रतिरोध करने का साहस किया है। आप जानते हैं कि दूसरे दिन क्या कहा गया था। मैं समझता हूँ कि यदि बलिराम भगत यहाँ होते तो वे और स्पष्ट रूप में बताते कि क्या कहा गया था। मैं इस बात के लिए हैरान हूँ कि क्या लीबिया में अमरीकी कार्रवाई को चुनौती देने की धृष्टता करने के परिणामस्वरूप यह हमारे देश के प्रति किसी प्रकार का प्रतिशोध है। इसके बाद ये लोग इस बात का दावा कर रहे है कि वे आतंकवाद से लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं। इस सभा में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है कि वे अपने देश में किस प्रकार आतंकवाद के लिए स्कूल चला रहे हैं; जहाँ हमारे लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब वही लोग कह रहे हैं कि वे आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारी सहायता कर रहे हैं। कुछ भी हो, मै यह नहीं जानता कि इस विशेष क्षण का सही रूप में क्या महत्व है, इन पाँच व्यक्तियों ने, चाहे वे पागल हों अथवा अपराधी हों, अथवा वे चाहे जो कुछ भी हों, यह कहने का साहस कैसे किया है कि युद्ध शुरू होने जा रहा है। समाचार पत्रों के अनुसार उन्होंने यह भी कहा है कि 4 जून, 1984 की सुबह 4 बजकर 22 मिनट पर खालिस्तान की नींव रखी गई थी। हम सब जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था? निस्सन्देह वे परस्पर-विरोधी व्यक्ति हैं— स्वतः विरोधी है— क्योंकि अन्य स्थान पर उन्होंने यह कहा है कि सिख राज्य की प्रभुसत्ता के लिए वास्तविक लड़ाई 1947 से अर्थात् विभाजन से जारी है।

यहाँ पर वे इसे आपरेशन ब्लूस्टार से निर्धारित कर रहे हैं। कभी-कभी वे कहते हैं कि इसके लिए वे 1947 से लड़ रहे हैं।

अब वे कहते हैं कि अकाल तख्त से एक समानान्तर सरकार की घोषणा की जाएगी। सीमाएँ, मन्त्रिमण्डल, प्रधान मंत्री और अन्य बातों की घोषणा बाद में की जाएगी लेकिन इस दौरान दिल्ली के लाल किले से खालिस्तानी झण्डा लहराएगा। सिख नियमों पर आधारित एक अलग संविधान की घोषणा की जाएगी।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मित्रवत विदेशी सरकारें, विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, चीन, कनाडा, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, बर्मा, भूटान और बंगला देश तथा संयुक्त राष्ट्र संघ से भी— और वास्तव में उनका बड़ा अहसान है कि— भारत से भी, मान्यता प्राप्त की जाएगी। प्रेस के अनुसार उन्होंने गुप्त रूप से यह धमकी भी दी है कि खालिस्तान राज्य की अलग स्थापना के प्रयास का जो भी विरोध करेगा "उन्हा दी सफाई कीती जावेगी" (उनकी सफाई की जाएगी)। इस प्रकार के सभी लोगों की सफाई कर दी जाएगी।

अत: अब यह केवल पाँच लोगों की बात नहीं है। इसका सम्बन्ध इस बात से है कि वे कहाँ से कार्य कर रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं, वह विदेशी हाथ जो स्पष्टतया उनके पीछे कार्यरत है और ऐसी घोषणा करने के समय से है।

अत: सरकार से, जो मैं नम्रता से कहना चाहूँगा, वह यह है कि मैं नहीं जानता हूँ कि इन महीनों में उनके पास क्या कोई योजना थी, यदि विशेष परिस्थिति पैदा हो जाती है तो उससे निपटने के लिए क्या कोई आकस्मिक योजना है। मैं नहीं जानता और न ही हमको बताया गया है। जब से अकाली नेतृत्व ने स्वर्ण मन्दिर को छोड़ने का निश्चय किया तथा स्वर्ण मन्दिर को इन लोगों के हाथों में छोड़कर आनन्दपुर साहिब में सरबत खालसा का आयोजन करने के लिए गए— ये दमदमी टकसाल के तथा अन्य लोग अब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होंगे और इन स्थानों

को उस समय से इन लोगों के हाथों में छोड़कर— यद्यपि आनन्दपुर साहिब में इस बात की घोषणा की गई थी, कि इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि इन लोगों से स्वर्ण मन्दिर को वे मुक्त कराएँगे, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है कि किसी भी प्रकार की मुक्ति के लिए अभी तक एक भी कदम नहीं उठाया गया है।

लेकिन जहाँ तक हमारी सरकार, केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, इसका बहुत कुछ दाव पर लगा है। सारे देश का बहुत कुछ दाव पर लगा है। यह केवल पंजाब से सम्बन्धित कोई अकेला मुद्दा नहीं है। सारे देश की एकता और अखंडता इससे जुड़ी हुई है। मैं इन युक्तियों को समझ सकता हूँ कि हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि पंजाब सरकार कार्रवाई करे। इसी प्रकार के जवाब हम लोगों को अभी तक दिए गए हैं। सरकार इन्हीं युक्तियों को अपना रही है और वह सभी प्रकार के साधन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने हमारे अर्द्ध सैनिक बलों को वहाँ भेजा है। लेकिन स्पष्ट रूप से वे इस स्थिति में नहीं हैं कि कोई कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को प्रेरित करें।

इसलिए यदि कोई विशेष प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है तो पंजाब सरकार कार्रवाई करे या न करे, क्या सरकार के पास कार्रवाई के लिए कोई आकस्मिक योजना थी? यदि पंजाब सरकार और केन्द्र सरकार एक-दूसरे से तालमेल करके कार्रवाई करे तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि पंजाब सरकार स्वयं कोई कार्रवाई करती है तो कुछ खास अच्छा नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यदि किसी आकस्मिक योजना के तहत, अपनी इस प्रकार की गतिविधि को और आगे न जारी रहने देने के लिए, कुछ नहीं किया गया, तो वहाँ बैठे इन स्वयंभू-खालिस्तानी लोगों का महत्व लोगों की निगाहों में और समस्त संसार की निगाहों में हर वक्त बढ़ता जा रहा है।

मुझे याद है वह दिन जब काफी समय पूर्व स्वर्ण मंदिर के भीतर से प्रसाद लेकर के निकल रहे डी.आई.जी. अटवाल की दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और वह खून से लथपथ वहाँ दो घंटे पड़े रहे थे। इस प्रकार का आतंक था उस समय कि किसी ने सामने आकर के उनके शरीर को उठाने का साहस नहीं किया था। उस समय मैंने सुना था कि कार्रवाई करने के लिए एक प्रकार का विचार एक प्रकार की योजना है क्योंकि इससे अधिक और क्या आप चाहते हैं। पुलिस के उपमहानिरीक्षक की मंदिर में पूजा करने के पश्चात्, हाथ में प्रसाद लेकर मंदिर से बाहर निकलते समय हत्या कर दी गई। वह एक हिन्दू नहीं था। वह एक सिख अधिकारी था। लेकिन वह क्षण आया, वह अवसर आया और चला गया। कुछ नहीं हुआ। और इसके बाद मंदिर में क्या घटित हुआ हम सभी जानते हैं। हम जानते हैं कि काफी संख्या में हमारे सिख भाई व बहन अनुभव करते हैं कि जून 1984 में धार्मिक स्थल की पवित्रता को भंग किया गया था। अब इस धार्मिक स्थल की पवित्रता को क्या हो गया है। अब उस मंदिर और धार्मिक स्थल में किस प्रकार का अपवित्रीकरण हो रहा है? जिस प्रकार की गतिविधि ये लोग मंदिर के अंदर कर रहे हैं, कोई भी पूजा का स्थान इसके लिए नहीं होता है। मैं आशा करता हूँ कि जहाँ तक सिख समुदाय और अकाली नेतृत्व का संबंध है उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाई है। निस्सन्देह जो कुछ बरनाला ने कल कहा उसका मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने इसको धर्म विरोधी गतिविधि बताया है। उन्होंने इसे बेतुका और मूर्खतापूर्ण कहा है। उन्होंने कहा है कि समय अब आ गया है कि इन गतिविधियों की मात्र निन्दा करनी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें उनका सामना करना चाहिए। मैं नहीं जानता की इससे उनका क्या तात्पर्य है लेकिन यह एक साहसी वक्तव्य है। केवल निन्दा करने का कोई अर्थ नहीं है हमें उनका सामना करना है यह कल श्री बरनाला ने कहा था। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि इन वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, किसी कार्रवाई की योजना वास्तव में बनाई जा रही है या नहीं या कोई कार्रवाई की जा रही है या नहीं। मैं महसूस करता हूँ कि यदि इस बार भी केन्द्र और राज्य सरकारें कोई कठोर कदम उठाने में असफल रहती हैं तो इन सरकारों की बची हुई विश्वसनीयता पूर्णतया समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार की गलती को इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी।

अत: संक्षेप में, जैसा कि मैंने सुबह कहा था। हम यहाँ इस घटना के प्रभाव से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, श्रीमान् जी।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : हम सरकार को भी यह आश्वासन देना चाहेंगे कि उनके द्वारा उठाए गए किसी भी कठोर कदम से सम्पूर्ण सदन और मैं सोचता हूँ कि सम्पूर्ण देश उनके साथ होगा। हम श्री बरनाला और उनके मित्रों को भी यह बताना चाहते है कि उन्हें साहस जुटाना चाहिए। उन्हें आनन्दपुर साहब में हुए सरबत खालसा को लागू करने का प्रयास करना चाहिए और देश ऐसा करने में उनके साथ होगा।

जब आप कहते है कि इन लोगों का कोई महत्व नहीं है, वे वहाँ बैठे कुछ पागल लोग जो कि लोगों से पूर्णतया अलग-थलग है, तब उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। इसलिए यदि आप कार्रवाई नहीं करते है तो पूरे देश के लिए स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाएगी और इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। "आपकी" का तात्पर्य आपकी नहीं; यह जिम्मेदारी सरकार की होगी। यदि स्थिति और खराब होती है क्योंकि इस प्रकार की परिस्थितियाँ आती है और चली जाती हैं और यदि सरकार बिना किसी योजना के और बिना किसी दृढ़ निश्चय के कार्य करती है, तो हम जानते हैं जिस तरह से भी कार्य करना है, उसके कुछ लाभ होंगे और वास्तव में कुछ कठिनाइयाँ भी होंगी जिनका कि मुकाबला करना पड़ेगा। इसको हम अच्छी तरह से महसूस करते हैं। हम सरकार को परेशान करने का प्रयास नही कर रहे हैं या सरकार को उस स्थिति में पहुँचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जहाँ पर कि स्थिति विनाशकारी हो। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? यहाँ पर एक बड़ा षड़यंत्र रचा जा रहा है। मेरा ऐसा विश्वास है कि ये पाँच लोग अपने भरोसे इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हैं। उनके पीछे एक विशेष प्रेरणा है, उनके पीछे विदेशी सहायता है और वे जान-बूझकर देश में अस्थिरता की स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे कि लोग यह महसूस कर सकें कि सरकार पूर्णतया असहाय है और कुछ भी नहीं कर सकती है।

उन दिनों जब भिण्डरावाले को तीन बार गिरफ्तार किया गया था और तीन बार छोड़ दिया गया था तब भी लोगों ने यह महसूस किया था कि वह इतना शक्तिशाली व्यक्ति है कि उसे जेल में रखने का साहस सरकार के पास नहीं है। और आप जानते हैं कि अन्त में क्या हुआ, उसी घटनाक्रम में हमने देश का प्रधान मंत्री खो दिया, लौंगोवाल जैसे महान आदमी को खो दिया और यदि इन लोगों को इसी प्रकार पागलपन करने की छूट दी गई तो मैं नहीं जानता कि अब हम किसे खोने जा रहे हैं। अत: मैं यह कहकर समापन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता कि अब सरकार के लिए केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार कार्रवाई करे और हमारा कार्य परदे के पीछे रहकर उनकी सहायता करना है। यदि वे कार्रवाई करते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। जिस बात की जरूरत है वह पुलिस की कार्रवाई है। यदि आप कहते हैं कि अनेक कारणों की वजह से पंजाब पुलिस ऐसी कार्रवाई करने में अक्षम है, तब आपको तय करना है कि क्या किया जाए? किन्तु यदि श्री रिबैरो के अधीन पंजाब पुलिस को लाया गया है जो कि एक सक्रिय नए पुलिस प्रमुख के रूप में वहाँ भेजे गए हैं; आपने वहाँ एक नया राज्यपाल यह कहते हुए भेजा है कि वे एक बहुत ही सक्रिय व्यक्ति हैं, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। इसलिए, इन सभी बातों को देखते हुए देश में यह आशा बंधी है कि अब सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। महोदय, मेरा विश्वास है कि दूसरे सदन में जो कुछ कहा गया वह यह है कि हम राज्य सरकार पर इस बात के लिए निर्भर कर रहे हैं कि वह कुछ करे तथा हम उसे निश्चित रूप से सहायता प्रदान करेंगे। यह फार्मूला अब और काम करने वाला नहीं है क्योंकि कार्रवाई करने में असफलता का मतलब होगा कि मंदिर के भीतर रहने वाले लोग तथा उन्हें सहायता देने वाले विदेशी लोग यह महसूस करने लगेंगे कि यह सरकार कोई निश्चित कार्रवाई करने में बिल्कुल कमजोर, ढुलमुल तथा अनिश्चित-सी है और तब इसके जो परिणाम होंगे, वे अब तक हुई घटनाओं से बहुत ज्यादा गंभीर होंगे। अत: मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय अन्तत: सदन को विश्वास में लेंगे और थोड़ा प्रोत्साहन, थोड़ा भरोसा दिलाएँगे कि जब इस प्रकार का खेल खेला जा रहा हो, तो हम मात्र निश्चेष्ट दर्शक नहीं रहेंगे।

**श्री अर्जुन सिंह (दक्षिण दिल्ली)** : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में 'पंजाब की स्थिति पर चर्चा हो रही

है जिसको कि हम सभी ने बहुत अधिक पसन्द किया होता यदि यह न होती। मैंने माननीय सदस्य श्री गुप्तजी के भाषण का समापन अंश सुना। जो कुछ उन्होंने कहा उससे यदि पूरी स्थिति स्पष्ट होती है, तो मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूँ कि यह एक ऐसी समस्या है जिस पर कि हम विभाजित दृष्टिकोण या किसी भी स्थिति में किसी सन्देह से विचार नही कर सकते हैं। मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं। उनमें से एक तो यह है क्या एक व्यक्ति है, क्या पाँच व्यक्ति हैं या 500 व्यक्ति है, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है यह यह बात महत्त्वपूर्ण है कि कोई देश की सम्प्रभुता एवं अखंडता को चुनौती देने का साहस करता है या कोई इस देश की एकता या अखंडता को खतरा पैदा करने का साहस करता है, इस सम्माननीय संसद को, इस देश के लोगों को और हम सभी को उनका सामना करना है और उन्हें कुचल देना है। हमारे पास अब केवल यही विकल्प बचा है।

यह अच्छा है और मैं सोचता हूँ कि यदि मैं ऐसा कह सकूँ कि यह एक बहुत उत्साही लक्षण है। इस मुद्दे पर इस देश में बिना किसी अपवाद के संपूर्ण राजनीतिक विचारधारा, अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतों एवं देश की एकता को खतरा पैदा करने वाली ताकतों के विरुद्ध संगठित है। इसके लिए इन दलों को श्रेय दिया जाना चाहिए और जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, मैं फिर भी कहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय, इस देश के नेता के रूप में इस देश में इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दे में राष्ट्रीय सहमति बनाने में प्रधान मंत्री की बहुत ही निर्णायक एवं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसी स्थिति में, जैसी कि उत्पन्न हो गई है, मैं जानता हूँ कि यह कह देना एक आसान बात है कि फलाँ-फलाँ व्यक्ति ने यह कार्य किया है। अमुक व्यक्ति इसके लिए दोषी है। मैं कह सकता हूँ कि हिंसा की प्रत्येक वारदात, हो-हल्ला मचाने के लिए किया गया प्रत्येक प्रयास कभी भी न्याय-संगत सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता और इन कार्यों की सदैव भर्त्सना की जाती रहेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के उस भाग में दुर्भाग्यवश यह हुआ है कि कुछ थोड़े से लोगों ने मुख्य रूप से राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हिंसा और आतंकवाद को अपना साधन बनाया और अब उनकी वास्तविक योजना का भंडा फूट गया है और यह ऐसी कोई बात नहीं है जो संविधान के ढाँचे के अंतर्गत प्राप्त की जा रही है लेकिन एक विदेशी शक्ति के उकसाने पर, राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल तथा देश के उस भाग में अत्यंत स्पष्ट रूप से अलगाववाद का समर्थन करने के उद्देश्य से अपने मंसूबे पूरा करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि सभा में कतिपय बातों पर विचार किया जाए क्योंकि इतिहास की प्रगति में अक्सर हम घटनाओं के महत्व को और शक्तियों के स्वरूप-परिवर्तन को भूल जाते हैं। जो कभी एक का पक्ष लेती हैं और कभी दूसरे का।

अध्यक्ष महोदय, हम बड़े दु:ख से इस बात को याद करते हैं कि केवल दो वर्ष पूर्व पंजाब में क्या हुआ? आज जो कुछ हो रहा है वह करीब-करीब वैसा ही है और हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक यह उसी की पुनरावृत्ति है। लेकिन यहाँ एक भारी गुणात्मक अंतर है और हमें इस अंतर के महत्व को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि इससे वे उत्तम और महान चीजें सामने आई हैं जो भारतीय गणतंत्र प्रस्तुत कर सकता है। आज हम देखते हैं- मैं पंजाब के बारे में कह रहा हूँ, देश में जो हो रहा है उसके अलावा - वे सभी शक्तियाँ, वे सभी लोग, वे सभी राजनैतिक दल जो उभयनिष्ट, मूक और शायद दो वर्ष पहले जो कुछ हो रहा था उसका मूक समर्थन करते थे, आज न केवल खुल्लम-खुल्ला विरोध कर रहे है बल्कि मैं समझता हूँ कि वे इन शक्तियों का सामना करने को तैयार हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बात कही है कि जो कुछ पंजाब में हो रहा है वह देश के हित में नहीं है और धर्म सिद्धांत के रूप में वे इस देश की प्रभुसत्ता और अखंडता की रक्षा करेंगे और मैं समझता हूँ कि दो वर्ष पूर्व जो हुआ और जो कुछ आज हो रहा है उसी संदर्भ में आज स्थिति में एक भारी अंतर है। एक महत्वपूर्ण बात जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए वह यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद अर्थात् सरकार के बनने के बाद इसे समाप्त हो जाना चाहिए,

क्योंकि हमारे लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों पर ही, चाहे जैसे भी लोग उन्हें निर्वाचित करें- सारा भार पड़ता है। अत:, पंजाब सरकार को इस मुख्य उत्तरदायित्व को निभाना है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हाल में हमने विगत में जो अनिश्चितता और कमियाँ देखी हैं, कम से कम इस संकटकालीन स्थिति में पंजाब सरकार और पंजाब के लोग इन लोगों का सामना करने के लिए एकजुट होकर खड़े हुए हैं और वे पूर्णतया इन लोगों को उन्मूलन कर देना चाहते हैं।

समाचार पत्रों और टेलीप्रिन्टर समाचारों के अनुसार यह बात स्पष्ट हो गई है कि वास्तव में सुरक्षा बलों द्वारा स्वर्ण मंदिर परिसर में कुछ कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है। आपकी इजाजत से, मैं उन बहादुर लोगों के लिए सफलता की कामना करता हूँ, जो संतुलन को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, और जो उन तत्वों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने इस देश की प्रभुसत्ता और अखंडता से टकराने अथवा उसे चुनौती देने का साहस किया है। क्योंकि इस स्थान को पूर्णरूप से सुरक्षित बनाया गया है और जिन्होंने इसको चुनौती देने का साहस किया है उनका पूर्णरूप से उन्मूलन किया गया है।

इसका एक राजनैतिक पहलू भी है। जैसा कि मैंने शुरू-शुरू में कहा है, यह बात रिकार्ड करने वाली है कि प्रधान मंत्री- मैं इस बात को यहाँ दोहराना चाहता हूँ - शायद शासन कला की कल्पना-शक्ति से, जैसा कि हमने देखा है, धीरे-धीरे धैर्य, सहानुभूति, दृढ़ता और स्पष्ट उद्देश्य के साथ उन शक्तियों का पता लगाने और उनको पूर्ण रूप से अलग-थलग करने में समर्थ हुए हैं जो इस देश के शत्रु हैं। वे इसी बीच सभी प्रयासों के फलस्वरूप पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर करने में समर्थ हुए हैं और पंजाब में लोकतांत्रिक गठबंधन को मजबूत और दृढ़ करने के लिए और देश में इन लोगों का सामना करने के लिए उन्होंने सभी प्रकार के प्रयास किए हैं। अन्तत: यह देखने के लिए यह लोकतंत्र की जीत है, भारत की जीत है और जो लोग देश की प्रभुसत्ता और अखंडता को विघटित करने का प्रयास करेंगे उनको इस प्रकार का सबक सिखाया जाएगा कि वे फिर कभी अपना सिर नहीं उठा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि इस समय सभा, हाल में हुई घटनाओं के संबंध में अपनी भारी चिन्ता व्यक्त करते हुए उन लोगों के प्रति जो आज विघटनकारी और आतंकवादी शक्तियों का सामना कर रहे हैं अपने अटल संकल्प और वचनबद्धता से सिद्ध करेगी। इस सभा की आवाज, इस सभा का संकल्प, उनके संकल्प को दृढ़ करेगा और उनको इस योग्य बनाएगा कि वे अपने कर्तव्य को बेहतर ढंग से निभा सकें।

**श्री सी. माधव रेड्डी (आदिलाबाद)** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अर्जुन सिंहजी से सहमत हूँ कि इस मामले में सारा हाउस और सारी पार्टियाँ सरकार का साथ दे रही हैं और हमारी राय यह है कि सब के सब मिलकर इस संकट काल का मुकाबला करें। अच्छा होता अगर श्री अर्जुन सिंहजी के बजाए ये लफ्ज़ जो अभी आखिर में उन्होंने कहे, होम मिनिस्टरजी कहते तो हमें बड़ी खुशी होती। श्री गुप्ताजी ने भी यह कहा था, यही डिमांड की थी कि बताइए कि क्या हो रहा है, एक्शन जो हुआ है, उसके बारे में बताइए। श्री अर्जुन सिंहजी के मुँह से हम लोगों ने सुना, ठीक है, अच्छी खबर है, चाहे श्री अर्जुन सिंहजी के मुँह से सुनें या होम मिनिस्टर के मुंह से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जरूर उनका साथ देंगे और हमें बड़ी खुशी है कि इसका कोई हल निकला है, मगर इस बारे में मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन की एक बात याद आती है –

वह प्रत्येक कार्रवाई जिसे हम कर रहे हैं, पिछली कार्रवाई का अपरिहार्य परिणाम है।

"ब्लू स्टार" हमने किया, मिनी ब्लू स्टार या कुछ भी कहिए, छोटा-मोटा ब्लू स्टार तो करना ही पड़ेगा शायद, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ज्यादा खून-खराबा नहीं होना चाहिए, गोल्डन टैम्पल में खून-खराबा होना कुछ अच्छी बात नहीं है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।

**बहुत से माननीय सदस्य** : तो फिर क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं।

**श्री सी. माधव रेड्डी** : मेरी बात तो सुनिए, थोड़ा सब्र कीजिए। मेरा ख्याल है कि ये जो बातें चल रही

है यहाँ पर "राज करेगा खालसा" एम आई राइट सर, "राज करेगा खालसा" यह ज़हनियत कैसे पैदा हुई, क्या इसका मतलब है कि खालसा ही इस देश में राज करेगा, कैसे करेगा और यहाँ पर गोल्डन टैम्पल तक ही बात नहीं है, रैड फोर्ट पर झंडा लगेगा। इस देश में राज करेगा खालसा ही नहीं, खालसा भी राज करेगा, कुरान भी राज करेगा, गीता भी करेगा, बाइबल भी करेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : उसमें मेरे ख्याल में जो "खालसा" की बात थी वह "शुद्ध राज" की बात थी।

**श्री अर्जुनसिंह** : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य सच्चाई बयान कर रहे हैं। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति राज करेगा क्योंकि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह किसी भी समाज, जाति अथवा धर्म से संबंध रखता हो उसको इस बात का अधिकार है कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से भारत शासन में हाथ बँटा सकता है और ऐसा होकर रहेगा।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा)** : लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि वे खतरा पैदा कर रहे हैं।

**श्री सी. माधव रेड्डी** : यही मैंने अर्ज किया, लेकिन उर्दू में किया। इस देश में खालसा राज करेगा या कोई कुरान राज करेगा, गीता राज करेगा, ये बातें नहीं होनी चाहिए। यह देश सब लोगों का है। सारे लोगों का है, हिन्दुओं का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, सभी ने कुरबानी दी है, सबका यह देश है और हमें याद रखना चाहिए कि –

चिश्ती ने जिस जमीन में पैगामे हक सुनाया,
नानक ने जिस चमन में वहदत के गीत गाए।

नानक ने वहदत के ही गीत क्या गाए थे, आज हम भूल जाते हैं।

तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया,

यही तो हमारा वतन है। हम यह क्यों नहीं समझते हैं? मुझे बड़ा अफसोस है कि कुछ दिन तक हमारे एक मित्र ने वहाँ कोशिश की, उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई, इसका मुझे अफसोस है। वे चाहते थे कि जो भूले-भटके लोग हैं, नौजवान हैं, उनको रास्ते पर लाया जाए। मगर, बहुत हो चुका। उनकी नादानी इतनी बढ़ गई है, मुझे एक बात याद आ रही है। कवि भर्तृहरि ने कहा था –

"फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर,
मरदे नोदां पर, कलामे नर्मी नाजुक बे-असर"

क्या करेंगे आप, कलामे नर्मी से। कलामे नर्मी नाजुक से नहीं बल्कि गरम और सख्त कलम चाहिए।

(व्यवधान)

**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : यह कह दीजिए कि मैं देश के साथ हूँ और एक कदम आगे हूँ। **(व्यवधान)**

**श्री सी. माधव रेड्डी** : मुझे उम्मीद है जो भी कदम आज शाम चार-पाँच के करीब उठाया गया है। हम सम्भवत: बाल की खाल निकाल रहे हैं।

जो कुछ एक्शन लिया गया है, उसमें बरनालाजी का और सब लोगों का साथ है और जरूर रहेगा।

**श्री अर्जुनसिंह** : उन्हीं के द्वारा एक्शन लिया गया है और कोई एक्शन नहीं ले सकता है।

**श्री सी. माधव रेड्डी** : बहुत अच्छा है और हम उसका समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि हम सारे हिन्दुस्तान में शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखने में सारे विरोधी दल आपका साथ देंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : ये चाहते हैं कि अधूरा काम न हो, पूरा काम हो। जब समय उपयुक्त होगा तक वह बताएँगे। उसी वजह से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसी वजह से हम लोगों ने चर्चा विलंब से शुरू की थी। यही कारण है जिसे हमें समझना चाहिए। अधीर मत बनो। **(व्यवधान)**

**ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे):** जब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा होता है तो व्यवधान नहीं करते।

**श्री बसुदेव आचार्य:** यह केवल पाँच लोगों का कार्य नहीं है। बार-बार वे कहते रहे हैं कि साम्राज्यवादी ताकतें, खालिस्तानी, अलगाववादी आन्दोलन के पीछे हैं। वे हमारे देश को खण्डित करने और अस्थिर करने पर तुली हुई हैं। यह नृशंस घोषणा भी साम्राज्यवादी ताकतों के कहने पर की गई है जो कि हमारे देश को अस्थिर करने पर तुली हैं। यह देश की एकता एवं अखंडता को चुनौती है और इस घोषणा ने उग्रवादियों, जो कि अपनी गतिविधियों को धार्मिक विश्वास की आड़ में छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, के राष्ट्र विरोधी मंसूबे को स्पष्ट कर दिया है। जो कुछ कल घटित हुआ वह उग्रवादियों द्वारा अपनाए गए रुख की विस्तृति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब 26 जनवरी को उन्होंने सरबत खालसा का आयोजन किया था, तब उन्होंने घोषणा की थी कि सिख भारत के गुलाम नहीं हैं और स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य से अकाली नेतृत्व ने भी इसे दोहराया है। उन्हें उसी दिन उनको सरबत खालसा के आयोजन की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी जिस दिन उन्होंने भी स्वर्ण मन्दिर में सरबत खालसा के आयोजन का निश्चय किया था। उन्हें स्वर्ण मन्दिर पर कब्जा कर लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। आनन्दपुर साहिब ने यह घोषित करने के बाद भी कि वे स्वर्ण मन्दिर को बलपूर्वक खाली कराने का प्रयास करेंगे, यह घोषणा मात्र कागजी बन कर रह गया है।

महोदय, धर्म के राजनीति के साथ ऐसे सम्मिश्रण को रोका जाना चाहिए। यह केवल राज्य सरकार का दायित्व नहीं है बल्कि केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों को संयुक्त रूप से स्वर्ण मन्दिर से उग्रवादियों को निकालने के लिए कड़ा रुख अपनाना चाहिए और यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि भविष्य में इन गुरुद्वारों और धार्मिक स्थलों का प्रयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सशस्त्र विद्रोह के केन्द्रीय स्थलों के रूप में नहीं करने दिया जाएगा।

केन्द्र सरकार को पंजाब समस्या को केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं मानना चाहिए। जो समझौता किया गया था उसका सभी राजनीतिक दलों द्वारा स्वागत किया गया था।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी:** श्री अरुण नेहरू, यह महत्त्वपूर्ण है।

**मानव संसाधन विकास और गृह मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव):** महोदय, जैसा कि मैंने अभी वायदा किया है, मैं निम्नलिखित सूचना देना चाहूँगा। अमृतसर के पुराने शहर और स्वर्ण मन्दिर परिसर के चारों ओर 17.00 बजे कर्फ्यू लगाया गया था। पंजाब पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल गुरु रामदास सराय, गुरु नानक निवास और अकाल रेस्ट हाउस में प्रवेश कर चुकी हैं। तलाशियां जारी हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। परन्तु यह निरन्तर जारी है। अब महोदय, माननीय सदस्यों ने जो भी कहना है और जितनी भी देर कहना है, क्या करना चाहिए, उसे मैं शान्ति से सुनूँगा, हमारे पास केवल यही सूचना है। मेरे सहयोगी फिर वापिस जा रहे हैं। मैं उनसे और इस सदन से यह आशा नहीं करता कि वे नियन्त्रण कक्ष और संसद भवन के बीच अग्रिम सूचना के साथ चक्कर लगाते रहें।

**एक माननीय सदस्य:** वे जा सकते हैं।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर):** महोदय, चूँकि मन्त्री वक्तव्य दे चुके हैं, हमें इस पर बहस जारी नहीं रखनी चाहिए।

(लोकसभा कार्रवाई /30 अप्रैल 1986, पृष्ठ 252-384)

**माननीय अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ पीठासीन थे**

*मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक, 1986 पर चर्चा शुरू हुई जब उस समय संपूर्ण देश के मुसलमानों की निगाह संसद पर थी, क्योंकि न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्णय काफी चर्चा में थे।*

विधेयक पर ज्यों ही चर्चा शुरू हुई प्रो. मधु दण्डवते ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। उन्होंने इस विधेयक से संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 13 (2) के उल्लंघन की बात कही। इस संबंध में श्री सोमनाथ चटर्जी ने संविधान के अनुच्छेद 38 व 39(2) का हवाला देते हुए इसके उद्देश्यों व कारणों के आधार पर विधेयक पर विचार करने की बात कही। उन दिनों मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद से संबंधित कुछ मामले न्यायालय में चल रहे थे, जिनके आधार पर श्री सैफुद्दीन चौधरी व श्रीमती गीता मुखर्जी ने विधेयक को सदन में रखने का विरोध किया। इस मामले पर तत्कालीन विधि मंत्री श्री ए.के. सेन ने सदन को विभिन्न धर्मों के द्वारा परिभाषित पति-पत्नी के संबंधों की व्याख्या की। उन्होंने सदन मे बताया कि सरकार यह चाहती है कि कोई भी मुसलमान इससे परेशान न हो चूंकि धारा 127(3) के अनुसार अगर व्यक्ति 'स्वीय विधि' के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करता है तो धारा 125 लागू नहीं रहेगी। श्री ए.के. सेन ने इस संबंध में 'शाहबानो प्रकरण' का भी उल्लेख किया, जिसे लेकर श्री इंद्रजीत गुप्त, सैफुद्दीन चौधरी ने श्री ए.के. सेन के साथ बहस भी की। श्री ए.के. सेन ने धारा 125 का हवाला देते हुए सदन को बताया कि एक मुसलमान पति को जिसने अपनी पत्नी को तलाक दिया है, यदि पत्नी असहाय है, तो इद्दत की अवधि के बाद भी उसे निर्वाह भत्ता देने से मुक्ति नहीं मिलती। इद्दत की अवधि कितनी हो इस पर सदन में माननीय सदस्यों के बीच बहस हुई। इस संबंध में पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान के कानूनों की भी चर्चा हुई, जिस का श्री अर्जुन सिंह ने अपने भाषण के दौरान विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत की तुलना तानाशाह अथवा कुलीनतंत्र देशों से करना अनुचित है। और इस तरह की बातें कर विपक्षी सदस्य मामले को टालना चाहते हैं। श्री ए.के. सेन ने शाहबानो मामले का वर्णन भी किया। इस संबंध में उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उद्धृत किया जिसमें यह घोषणा की गई थी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-125 धर्मनिरपेक्ष है।

इस विधेयक पर बोलने के लिए श्री अर्जुन सिंह ऐसे समय उपस्थित हुए जब सदन में गहमा-गहमी चल रही थी। इस विधेयक के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने सदन को बताया कि यह विधेयक संविधान में उल्लेखित अल्पसंख्यकों के अधिकार, उनके विश्वास और अन्य सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री अर्जुन सिंह ने सदन में धर्म-निरपेक्षता के सामान्य दृष्टिकोण को व्याख्यायित किया। उनका यह भाषण उनके मन में अल्पसंख्यकों के प्रति सजगता को दर्शाता है। उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात सदन में इस प्रकार रखी।

**श्री अर्जुनसिंह (दक्षिण दिल्ली)** : मैं इस सभा में चल रहे वाद-विवाद में बहुत अच्छे मौके पर बोलने को खड़ा हुआ हूँ, जबकि बहुत ही उत्तेजक और विवादास्पद भाषण के बाद माननीय सदस्य ने हमारा समर्थन किया है।

**श्री पी. कुलनदईवेलू** : क्या आपका मतलब है कि मुझे आपका समर्थन नहीं करना चाहिए।

**आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्यमंत्री (श्री अरुण नेहरू)** : हम इसका स्वागत करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ.....

**विधि और न्याय मंत्री (श्री ए.के. सेन)** : अन्तिम भाग हमेशा पहले भाग को समाप्त करता है।

**श्री अर्जुनसिंह**: महोदय, कानूनी आधार पर इस पर चर्चा करने के लिए मेरे पास कानूनी विशेषज्ञता तो नहीं है लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि संविधान प्रख्यापित किए जाने के बाद हमारी भारतीय राजनीति का मोटा ढाँचा सामने आया है। अध्यक्ष महोदय, राजनीति का यह मोटा स्वरूप हमारे देश में स्वतंत्रता आन्दोलन के समय उभर कर सामने आया। उस समय हम एक शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्ति का मुकाबला कर रहे थे और हमारे देश के

नेता इस साम्राज्यवादी शक्ति का मुकाबला व्यापक आधार पर करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारतीय समाज की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्म के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली रूप से तैयार होने के लिए तैयार किया। और इस शक्ति के द्वारा ही हम अन्ततः इस साम्राज्यवादी शक्ति का मुकाबला कर सके और मेरी राय में देश को स्वतंत्रता आन्दोलन के लिए एक जुट होकर तैयार करने में उनके द्वारा अपनाए गए सही तरीके से प्रमाणित करता हूँ। हमारे संविधान के निर्माता जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया था उस सबके प्रति काफी सचेत थे और इसीलिए उन्होंने इस संविधान को इतना व्यापक स्वरूप प्रदान किया। हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन में किए गए संघर्ष से ही यह बातें सामने आई और उन्होंने संविधान के द्वारा जो कुछ स्थापित किया उसे हमने अपने लिए स्वीकार कर लिया। इसलिए धर्म निरपेक्षता को जिस रूप में समझा जाता है और इस विधेयक में जिन बातों पर विचार किया गया है उनके स्रोत को इस विधेयक के पुरःस्थापित करने अथवा इस पर चर्चा में नहीं खोजा जाना चाहिए।

परन्तु संविधान में लिखा है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार, उनके विश्वास और अन्य सभी मामलों की हर तरह से रक्षा की जाएगी और यही सोचकर यह विधेयक इस सदन में लाया गया है।

महोदय मैं यह कहना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता का पहले ही बहुत सदुपयोग हो चुका है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या करता है, मैं इतना समझदार नहीं हूँ कि अपनी व्याख्या दे सकूँ। मैं केवल सामान्य दृष्टिकोण बता सकता हूँ जिसका अर्थ है कि राज्य किसी धर्म का आचरण नहीं करता; राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता और वह किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म पर आचरण कर सकता है। अपने धर्म में श्रद्धा और निष्ठा रख सकता है। यदि यह गारण्टीशुदा है, तो मैं चाहता हूँ कि यह वह आधार और आइना होना चाहिए जिसके माध्यम से अल्पसंख्यकों के प्रत्येक कार्य को देखा जाना चाहिए बजाय इसके कि इनको मामलों को राजनैतिक उद्देश्य या किसी अन्य दृष्टि से देखा जाए। यह दुर्भाग्य है और अध्यक्ष महोदय 'दुर्भाग्य' शब्द का प्रयोग जानबूझकर कर किया है। क्योंकि किसी लाभ को प्राप्त करने के प्रयास में इस मामले को हमने ऐसा बना दिया है। इसका उस वास्तविक समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं है जिसका इस विधेयक में संकल्प किया गया है। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। परन्तु मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि हम सम्प्रदायवादियों से पराजित हो गए हैं जिनके अनुसार काँग्रेस पार्टी अपनी पुरानी अवधारणाओं और सम्बद्धता से मुँह फेर रही है। आलोचना पूरे देश में की जा रही है और यदि मैं कहूँ कि यह आलोचना उन लोगों द्वारा की जा रही है जिनकी धर्मनिरपेक्षता में विश्वसनीयता और आस्था अभी बरकरार होनी है। परन्तु प्रश्न यह है कि कांग्रेस को अपनी विश्वसनीयता, वचनबद्धता, धर्मनिरपेक्षता, और आस्था सिद्ध करने के लिए किसी के पास नहीं जाना है क्योंकि यह उसके पास वर्षों से है और उसने अपने आपको देश की महत्ता और नियति के अनुरूप ढाला है। और यह विधेयक एक और प्रयास है क्योंकि देश में एक अल्पसंख्यक, बहुत विशाल अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कुछ ऐसे पहलू हैं जिनसे उनके 'पर्सनल लॉ' प्रभावित होते हैं। काँग्रेस पार्टी की भारत के अल्पसंख्यकों के प्रति वचनबद्धता और उनके लिए चिन्ता न केवल आज है बल्कि गत सैकड़ों वर्षों से है। यदि आप अनेक मंचों पर हमारे संकल्पों और हमारे नेताओं के भाषणों को पढ़ें तो पता चलेगा कि वे सुसंगत, गतिशील और चिरस्थायी हैं। अतः उस पृष्ठभूमि में प्रधान मंत्री ने देश के मुस्लिम समुदाय को एक आश्वासन दिया है कि जहाँ तक पर्सनल लॉ का सम्बन्ध है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मुसलमानों के पर्सनल लॉ को उसी ढंग से शासित किया जा सकता है जिस ढंग से वह उचित दिखाई दे और उनकी दृष्टि से उनके लिए जो उचित है और उनकी दृष्टि से जो सही है, वह हमारे लिए सही है।

मैं एक बात का उल्लेख करता हूँ। कुछ तुलनाएँ की गई हैं कि इस देश में यह है और उस देश में वह है और इस ढंग से है। प्रत्येक देश के अपने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और वही करते हैं जो उनकी अपनी पसंद के अनुसार कार्य करने का अधिकार है परन्तु भारत की उन देशों के साथ तुलना न करें जो भारत की तुलना में कुछ भी नहीं है। यदि भारत की तुलना उन देशों के साथ करते हैं जिनमें तानाशाही है, कुलीनतंत्र हैं तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए अनुचित है और मेरे विचार से इस मुद्दे को टालना है और इस मुद्दे को उलझाना है; जो कुछ इस विधेयक में है उससे इन उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक स्वैच्छिक समान सिविल संहिता बनाना समय की माँग है परन्तु शब्द "स्वैच्छिक" है और सदन के सभी वर्गों से अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक के पारित होने के बाद वे इस देश की एक ऐसी नागरिक संहिता तैयार करने में प्रधान मंत्री की सहायता करें जो भारत के लोगों के सभी वर्गों को स्वेच्छा से स्वीकार्य हो। इससे संविधान में दी यह गारंटी भी पूरी हो जाएगी जिसे हमें लागू करना है। यही मेरे विचार हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और मुझे विश्वास है कि यह भारी बहुमत से पारित होगा।

(लोकसभा कार्रवाई /8 मई 1986, पृष्ठ 334-337)

*पंजाब की स्थिति पर नियम 193 के अंतर्गत एक बार फिर चर्चा शुरू हुई। 4 दिन पहले भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। पीठासीन माननीय अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ ने सर्वप्रथम अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब की समस्या के बारे में किसी की जाति का या किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है। उन्होंने खालिस्तान की माँग करने वालों को कैंसर बताया और कैंसर को किसी तरह से खत्म करने की बात कही।*

*राजापुर से निर्वाचित प्रो. मधु दण्डवते ने पंजाब में नारी हिंसा पर वेदना प्रकट की, साथ ही 1974 के पूर्व की कुछ घटनाओं का खुलासा करने का प्रयत्न किया। पंजाब की स्थिति पर श्री जगन्नाथ कौशल, श्री पी. कुलुन दईवेलु, श्री बालकवि बैरागी, श्री चरणजीत सिंह, श्री भागवत झा आजाद, श्री सैफुद्दीन चौधरी, श्री एम.आर. सैकिया, श्री रघुनन्दन लाल भाटिया, श्री डी.पी. यादव, श्री के. रामचंद्र रेड्डी, श्री सी. जंगा रेड्डी, तथा श्री आर.एस. स्पैरो ने भी अपने विचार व्यक्त किए।*

*जब प्रधान मंत्री श्री राजीव गाँधी इस विषय पर बोलने के लिये खड़े हुए तो उसी समय, एक बार फिर अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ पीठासीन हुए। प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने आतंकवादियों के साथ सख्ती से पेश आने की बात कही। उन्होंने राज्य पुलिस बल को कार्य करने की स्वतंत्रता देने की वकालत की। उन्होंने सर्वधर्म समभाव पर जोर दिया व धर्मनिरपेक्षता को देश की एकता का आधार बताया। इसके बाद बसीरहाट से विजयी श्री इंद्रजीत गुप्त ने सदन में अपनी चिंता व्यक्त की। उनके पश्चात् माननीय श्री अर्जुन सिंह ने अतीत की कुछ दुःखद यादों का संदर्भ देते हुये सदन को बताया कि किस तरह धार्मिक कट्टरता, घृणा व हिंसा ने श्रीमती इंदिरा गाँधी के रूप में सबसे बड़े नेता को हमसे छीन लिया। श्री अर्जुन सिंह ने देश की एकता अक्षुण्ण रखने में पंजाब समझौता को महत्वपूर्ण कदम बताया। पंजाब में चुनाव कराने के निर्णय के पीछे वास्तव में तत्कालीन सरकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति दृढ़ विश्वास था जिसने विपरीत परिस्थितियों में चुनाव कराए तथा देश के लोकतंत्र की जीत संभव की। श्री अर्जुन सिंह ने प्रधान मंत्री द्वारा उठाए गए कदमों को सही बताते हुए उनकी प्रासंगिकता को स्पष्ट किया।*

*पंजाब में चल रही आतंकवादी गतिविधियों को लेकर श्री अर्जुन सिंह सदैव चिंतित रहे। जहाँ एक ओर वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जनता की सत्ता स्थापित रखने के कट्टर समर्थक है वहीं दूसरी ओर देशद्रोहियों*

*को बलपूर्वक खदेड़ देने को वे अंतिम विकल्प मानते हैं।*

**प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी)** : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं अत्यन्त जोरदार शब्दों में तीन दिन पहले मुक्तसर में हुए जघन्य अपराध की निन्दा करता हूँ। पूरे राष्ट्र ने इन हत्याओं के विरुद्ध अपना तिरस्कार और दुःख दर्शाया है। हमारी सहानुभूति घटना में शिकार हुए लोगों के साथ है। मैंने बूटा सिंहजी से बात की है जिन्होंने उस स्थान का दौरा किया है जहाँ हत्याएँ हुई है और उनके वर्णन के अनुसार यह सामान्य मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति का कार्य नहीं है। जिन लोगों ने इस घटना को इस ढंग से किया है उनके साथ कोई मानसिक समस्या है। किसी अन्य बात को हम इसमें नहीं समझ सकते।

आतंकवादियों के साथ बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए। इस सम्बन्ध में कोई शक नहीं रहना चाहिए और केन्द्रीय सरकार भी इस बारे में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएगी। पंजाब में आतंकवाद से लड़ने के लिए उस राज्य के लिए सरकार जो भी सहायता और समर्थन माँगती है, हम उसे देंगे। परन्तु यदि आतंकवाद को प्रभावशाली ढंग से हल करना है तो कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सम्भवत: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस को कार्य करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। पुलिस बल के राजनीतिकरण, पुलिस के कार्य के हस्तक्षेप से पुलिस बल इन भयंकर दंगों के खतरे से प्रभावशाली ढंग से न तो लड़ सकती है और न ही लड़ पाएगी। पंजाब में चुनौती राज्य सरकार को सीधे ही मुकाबला करने के लिए ललकारा है। राज्य सरकार को बहुत सावधानीपूर्वक इस खतरे से निपटना चाहिए। उन्हें उन शक्तियों को शक्तिशाली बनाना चाहिए जो आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्हें उन शक्तियों से लड़ना चाहिए जो खुले रूप से या गुप्त रूप से उन शक्तियों की सहायता कर रही है या उकसा रही हैं जो हमारे राष्ट्र को कमजोर कर रही है, जो आतंकवाद का समर्थन करने के लिए निकल पड़ी है; चाहे यह खुले वक्तव्य के रूप में हो या उनकी गतिविधियों के कारण हो। हमें आशा है कि राज्य सरकार समय के अनुसार कार्य करेंगी और इस धमकी का सामना करेगी।

राष्ट्र की प्रभुसत्ता, एकता व अखण्डता के लिए कोई भी खतरा राजद्रोह से कम नहीं आँका जाना चाहिए। और इससे इसी प्रकार से निपटा जाना चाहिए। हजारों, लाखों लोगों ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए कुर्बानी दी है। इस जिम्मेदारी को अब अपने कंधों पर लेना हमारा काम है। हम उन शक्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमारे राष्ट्र को कमजोर करने के लिए, अस्थिरता उत्पन्न करने के लिए निकल पड़ी है। हमारी स्वतन्त्रता या हमारी एकता को खतरे में डालने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं दी जा सकती। हमारी शक्ति का आधार धर्मनिरपेक्षता है। अधिकतर अँग्रेजी शब्दकोषों द्वारा संकुचित रूप से परिभाषित धर्मनिरपेक्षता नहीं—अपितु जैसा हमने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उसे प्रयुक्त किया है "सर्व धर्म समभाव" शायद जब आप आयु में कुछ बड़े हो जाएँगे तो आप समझ जाएँगे।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यह दोनों पक्षों पर लागू होता है।

**श्री राजीव गांधी** : महोदय, धर्मनिरपेक्षता हमारी एकता का आधार है। और कोई भी शक्ति जो धर्मनिरपेक्षता का प्रतिकार करती है, ऐसी किसी भी साम्प्रदायिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति, जो साम्प्रदायिकता या धार्मिक स्वार्थों पर आधारित है, उन्हें देश को कमजोर करने के लिए स्वार्थ का उपयोग नहीं करने देना चाहिए। हमें बिलकुल स्पष्ट करना है कि एक ओर तो सभी धर्मों के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता है, हमें सभी धर्मों को फलने-फूलने के लिए सभी सुविधाएँ प्रदान करनी है परन्तु दूसरी ओर हम साम्प्रदायिकता में वृद्धि की अनुमति नहीं दे सकते। हम धर्म को राजनीति में नहीं मिला सकते जैसा कुछ विशेष दलों द्वारा आजकल बड़ी आसानी से किया जाता है।

हमारे इतिहास में साम्प्रदायिकता ने हमें कमजोर बनाया है। हम पीछे बाईबिल के समय तक पीछे जा सकते

है, और जब हम पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी भारत का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष रहा है, भारत ने उत्थान किया है और जब कभी हमारा दृष्टिकोण साम्प्रदायिक रहा है, भारत का पतन हुआ है। इस बात में आज भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि भारत को मजबूत रहना है तो हम साम्प्रदायिक शक्तियों को, धर्म में राजनीति को मिलाने की अनुमति नहीं दे सकते। हमें इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। विभिन्न युगों में हमारे बुद्धिमान व्यक्ति उसी प्रकार एकत्रित रहे है जैसे हम संश्लेषित कर रहे है, जैसे हमने समन्वय किया है, जैसे हमने विभिन्नता को सहन किया है, जैसे हमने अपने देश में विभिन्न समुदायों के बीच सामन्जस्य स्थापित किया है। आधुनिक भारत में साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई को वास्तव में गाँधीजी ने आरम्भ किया था और पण्डित जी और इन्दिराजी ने इसे आगे बढ़ाया था। हम उस रास्ते को आज भी नहीं छोड़ेंगे। भारत में साम्प्रदायिकता से सभी के लिए खतरा है। यह एक खतरा है जो सभी पर समान रूप से आक्रमण करता है चाहे वह बड़ा समुदाय हो या छोटा समुदाय। हमारी शक्ति इसके फलने-फूलने में निहित नही है अपितु यह देखने में है कि साम्प्रदायिकता को कम करके सभी के हितों को पूरा किया जाए।

पिछले दो दिनों में जो घटनाएँ घटी हैं, वे दुःखद थीं, निर्दोष लोगों की जानें गई। दुर्भाग्य से पंजाब में आतंकवादियों की कार्रवाई का यह गलत उत्तर था। आतंकवादी यही तो चाहते थे। हमने उन्हें वही उत्तर दिया है जो वे चाहते थे। इससे अधिक खतरनाक बात और कोई नहीं हो सकती। आज हमें सभी राजनैतिक दलों से यह कहना है कि वे इस दुःख का लाभ न उठाएँ, आग से न खेलें, भारत की एकता को खिलौना न समझें। प्रत्येक राजनैतिक दल को उत्तरदायित्व के साथ कार्य करना चाहिए। यह एक तुच्छ मामला नहीं है। यह एक गम्भीर मामला है यदि देश को ताक पर रखकर कोई अपने को राजनैतिक दृष्टि से ऊपर उठाना चाहता है तो यह दुःखद होगा। यही समय है जब हम सभी को इस खतरे का सामना करने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति आतंकवादियों के हाथों का खिलौना बन रहे हैं आन्दोलन करके या लोगों की साम्प्रदायिक भावनाएँ भड़काते हैं, वे उन आतंकवादियों को परोक्ष रूप से सहयोग दे रहे हैं। आज हमें उन लोगों का पता लगाना है जो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। आतंकवादियों को एक तो इस प्रकार मदद दी जा सकती है कि उनके इस कार्य में स्वयं शामिल होना उनकी सहायता करके अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों को मदद पहुँचाना है। कोई भी व्यक्ति जो आतंकवादियों का उत्साहवर्द्धन करता है आतंकवाद को बढ़ाने में उतना ही उत्तरदाई है। जो उनके हित का संरक्षण करते हैं, तथा उनके पक्ष में बोलते हैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

यह केवल कानून और व्यवस्था का ही प्रश्न नहीं है जिसके लिए केवल पुलिस ही कार्रवाई करे, हम भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। हममें से कितने लोग अभी भी इनके साथ मेल-जोल रख रहे हैं, उनसे सम्बन्ध स्थापित किए हुए हैं और उन लोगों को अपना परम मित्र बनाए हुए हैं जो देश में अस्थिरता उत्पन्न करने पर तुले हुए हैं? पंजाब में कौन खुले आम आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। इन लोगों के कार्यों का समर्थन नहीं किया जा सकता, महोदय, ऐसे लोगों को जो आतंकवादियों के साथ सम्बन्ध स्थापित किए हुए हैं, जो आतंकवादियों की गतिविधियों की प्रशंसा करते हैं, समाज से बहिष्कृत करने के लिए एक जन आन्दोलन शुरू किया जाना चाहिए। ऐसा हममें से प्रत्येक और सबको करना चाहिए, लेकिन सभी राजनीतिक नेताओं द्वारा तो निश्चित रूप से ऐसा किया जाना चाहिए।

महोदय, देशभक्ति के लिए कोई आरक्षित निर्धारण नहीं है। भारत में प्रत्येक देशभक्त है— चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, पारसी हो या जैन, बुद्ध या किसी भी अन्य धर्म का हो। देशभक्त बनने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है। हमें यह देखना है कि कोई भी समुदाय देशभक्ति पर एकाधिकार स्थापित करने का दिखावा न कर सके। वर्षों से लोगों ने दिखाया कि देशभक्ति पर किसी एक समुदाय का अधिकार नहीं है, यह हर भारतीय

के रुधिर में प्रवाहित हो रही है। देशभक्ति और राष्ट्रीयता प्रत्येक के लिए है, सबके लिए है। हम कुछ लोगों को जानबूझकर ऐसे कार्य करने की अनुमति नही प्रदान कर सकते जिससे पूरे समुदाय की बदनामी हो। क्योंकि, यदि हम ऐसा करने देते है, तो हम अपने को आतंकवादियों के हाथों में सुपुर्द करते है।

भारत को मजबूत बनाने के लिए एक स्पष्ट कल्पना की आवश्यकता है। इसके लिए राजनीतिक प्रज्ञा, धैर्य तथा संभवत: सबसे अधिक महत्वपूर्ण अध्यवसाय की जरूरत है। हमारी स्वतन्त्रता हमें आसानी से नहीं मिल गई। यह थोड़े ही समय मे नही मिल गई। यदि हमने इस स्वतन्त्रता को बनाए रखना है तो हमें मिल करके कठिन तथा सतत् संघर्ष करना पड़ेगा। किसी को भी अपनी जिम्मेवारी से नहीं बचना चाहिए। इससे केवल पाशविक बल से ही नहीं निपटा जा सकता। इससे नैतिक बल से निपटना होगा तथा मैं चाहता हूँ कि इस नैतिक बल का प्रदर्शन इस सदन से हो।

महोदय, मिजोरम के सम्बन्ध में मैने जो वक्तव्य दिया था उसके सम्बन्ध में बड़ी ही गलतफहमी रही। बाद में मैने इसका स्पष्टीकरण दिया, लेकिन फिर भी इसे सदन में उठाया गया। अतएव मेरा विचार है कि सदन में इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। महोदय, जैसा कि मैने पहले कहा, जैसा कि मैं इस गरिमापूर्ण सदन तथा राज्य सभा में कह चुका हूँ कि हम किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। वार्ता केवल उन्हीं लोगों से की जा सकती है जो संविधान के ढाँचे के अन्दर रहकर कार्य करना चाहते हैं। यह केवल उन लोगों से ही हो सकती है जो किसी भी प्रकार की बातचीत करने के पूर्व शर्तें नहीं रखते और वार्ता निश्चित रूप से उनसे भी नहीं हो सकती जो आज भी आतंकवादियों की प्रशंसा कर रहे हैं। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनसे भी बात नहीं करेंगे जो हमारी दृष्टि में राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो भारत की एकता और अखण्डता के विरुद्ध हैं तथा जो एक भारतीय की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। पृथक् राज्य के मुद्दे पर बातचीत नहीं हो सकती। हम किसी भी परिस्थिति में ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे।

महोदय, आतंकवाद की परिभाषा है लोगों को सताना तथा आतंकित करने की चेष्टा है। यह इस अभिप्राय से कि जिससे लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। एक आतंकवादी इसी ढंग से सोचता है। हमारे सामने आज जो प्रश्न है वह यह है कि क्या हम आतंकवादियों की इस धारणा का अनुसरण करने जा रहे हैं? क्या हम अपना धैर्य खोने जा रहे हैं? यह प्रश्न है। आज हम एक असामान्य स्थिति में हैं। राष्ट्र को अपना धैर्य नहीं खोने दिया जा सकता और न खोने दिया जाएगा। हम आवेग में कोई कार्य न करें क्योंकि आतंकवादी वास्तव में यही चाहते हैं। समय की माँग है— राजनीतिक बुद्धिमत्ता, सुविचारित प्रतिक्रिया तथा दृढ़ता लेकिन हमारे अधिकांश कृत्य प्राचीन मूल्यों पर आधारित हो।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त (बशीर हाट)** : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रधान मंत्रीजी को गौर से सुना (व्यवधान) उन्हें सुनने से पहले मैं सोच रहा था कि इस सदन ने पंजाब के मसले पर अनेकों बार बहस की है, संभवत हमें दोबारा इस पर बहस करनी पड़े क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा कि इस भयावह स्थिति का, जिसका हम सामना कर रहे हैं, कोई सरल और शीघ्र समाधान नहीं हो सकता। इस समय देश का भविष्य बहुत कुछ पंजाब के भविष्य पर निर्भर करता है इसी कारण सभी इसके विषय में चिन्तित हैं।

पहली बात जिसे मैं कहना चाहूँगा कि हमने प्रभावकारी कदम उठाने के संबंध में बहुत सी चर्चाएँ की हैं ताकि इन आतंकवादी तत्वों को हमारी सीमा के आर पार जाने से रोका जाए क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने एक शरणगाह बना ली है। जैसा कि सरकार ने हमें अनेकों बार बताया है कि उसके पास प्रमाण हैं लेकिन इन प्रमाणों को सदन के सामने नहीं लाया गया। शायद अति गोपनीय कारणों से। लेकिन इन्हें पाकिस्तान सरकार को भेजा गया है— यह

असहनीय बात है कि हम वर्षों से सीमा पर हो रही गतिविधियों को रोकने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। यह सच्चाई है। यह सीमा किसी राज्य से लगी सीमा नहीं है। यह केवल पंजाब की सीमा से नहीं लगती है। यह सारे देश की सीमा से लगती है। यह राष्ट्रीय सीमा से लगती है। अत: हम सरकार से जानना चाहेंगे कि वह किन उपायों के बारे में सोच रही है जो इस कार्य को संभव बनाएँगे। मैं गुरदासपुर, फिरोजपुर तथा अमृतसर के जिलों में इन गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा को बन्द करने की बात नहीं करूँगा क्योंकि सीमा को बन्द करना एक बड़ी बात है।

सीमा के आर-पार बार-बार आने-जाने की समस्या को यों ही नहीं छोड़ा जा सकता। क्या यह केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? ठीक है, राज्य सरकार को एक बड़ी भूमिका निभानी है, लेकिन चूँकि यह हमारे देश की सीमा है; न कि केवल पंजाब की सीमा। इसलिए केन्द्र सरकार की निश्चित ही एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि इस सदन में एक या दो सदस्यों द्वारा रखे गये प्रस्तावों पर कौन क्या रुख अपनाएगा? मैं इसे हाथ से नहीं निकलने देना चाहता यद्यपि इसकी गंभीर जटिलताएँ हैं। मुझे बताया गया है कि सीमा पार न केवल आतंकवादी ही है बल्कि कुछ ऐसे शक्तिशाली निहित तत्व भी हैं जो अत्यन्त संगठित ढंग से कार्य कर रहे हैं तथा तस्करी का धंधा चला रहे हैं। अभी से नहीं बल्कि वर्षों से। इनमें से बहुत से लोग सुरक्षा बलों द्वारा सीमा पार करते समय पकड़े जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं, संभवत: वे आतंकवादी न हों प्रत्युत तस्कर गिरोहों के सदस्य हो सकते हैं। आतंकवादियों, तस्करों तथा अन्य बुरे तत्वों को एक साथ मिला दिया गया है। और स्पष्ट रूप से हमारे सुरक्षा बल एक सीमा तक उन्हें पकड़ सकते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं तथा उन्हें रोक सकते हैं। यहाँ रखे गए इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए। अभी मैं इस पर निश्चयपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त करने में असमर्थ हूँ कि कम से कम इन तीन राज्यों की सीमाओं के साथ-साथ 'नोमेंस लैंड' या सुरक्षा पट्टी बनाये जाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। सरकार उस भूमि को अस्थायी रूप से तीन साल, पाँच साल या अन्य किसी समुचित अवधि के लिए पट्टे पर ले सकती है तत्पश्चात इसे उसके स्वामियों को दे सकते हैं।

इसलिए कुछ करना होगा। हम अपनी सम्पूर्ण सीमा को लोगों की आवाजाही के लिए नहीं छोड़ सकते। मुझे विश्वास है कि संभवत: विभिन्न रंगों में रंगे शक्तिशाली राजनीतिज्ञ हैं, जो तस्करों का समर्थन कर रहे हैं और इसमें उनका स्पष्ट निहित स्वार्थ है चाहे इस तरफ से दवाओं या अफीम की तस्करी हो या इस ओर से अल्कोहल की तस्करी। यह व्यापार लंबे समय से चला आ रहा है। इसके पीछे बड़े प्रभावशाली और धनी लोग हैं और ये आतंकवादियों को कार्य करने के लिए एक प्रकार का आवरण प्रदान करते हैं।

दूसरी बात यह है कि जहाँ तक समझौते के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र का सम्बन्ध है, समझौते के एक महत्वपूर्ण मद 'भूभाग के अन्तरण' के प्रश्न पर केन्द्र ने गलती की है। पंजाब तथा हरियाणा सरकारों ने इस सम्बन्ध में अपनी-अपनी भूमिकाओं का निर्वाह भी किया है, यह पृथक् बात है, लेकिन उत्तरोत्तर नियुक्त किए जा रहे आयोगों ने केवल इस मसले को और अधिक जटिल और गलतफहमी से पूर्ण बनाया है। यदि हम समझौते के प्रति कटिबद्ध हैं तो हरियाणा को कुछ हिन्दी-भाषी क्षेत्रों को देने के साथ चण्डीगढ़ का हस्तान्तरण करना पड़ेगा। हम ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं जब नव नियुक्त आयोगों ने किन्हीं विशेष गांवों का पता नहीं लगाया है बल्कि केवल कुछ भूमिभाग का जिक्र किया है (70,000 एकड़ दिया जाना है) और यह पता लगाने के लिए दूसरों पर छोड़ दिया है कि 70,000 एकड़ के अन्तर्गत कौन सा गाँव या क्षेत्र आता है। कौन इस कार्य को करने जा रहा है। यह बेतुकी बात है। उसमें से 40,000 या 45,000 एकड़ का पता लगा लिया गया है और पंजाब इसे देने के लिए तैयार है। शेष का क्या होगा? क्या श्री बंसीलाल को यह कहने के लिए राजी कर लिया जाएगा ठीक है, हम इस 40,000 या 45,000 एकड़ भूमि को लेने के लिए तैयार हैं। स्पष्ट रूप से, मैं

समझता हूँ कि ये राजनीति की मजबूरियाँ है। अत: गत्यावरोध की अवस्था में क्या होगा? गत्यावरोध पूर्णरूपेण उनके सामने है और यह गत्यावरोध पंजाब और हरियाणा सरकार के पारस्परिक सहयोग तथा सद्भावना से नहीं दूर किया जा सकता है, यदि वे केन्द्र के साथ सहयोग करें, और बातचीत के रास्ते कोई समझौता करने की कोशिश करें तो इसे दूर किया जा सकता है। लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं दिखाई दे रही है। परन्तु इस समय कुछ भी होता नहीं दिखाई दे रहा है।

**प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी)** : महोदय, क्या मैं एक सैकेण्ड के लिए बीच में बोल सकता हूँ? महोदय, बीच में बोलने के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मैं केवल एक या दो बातें कहूँगा। मैं भूमि अंतरण के संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यह महसूस करता हूँ कि सरकार ने जो करने के लिए कहा था, उससे बाहर कुछ नहीं किया है अर्थात् आयोग से यह निर्णय करने के लिए कहा था कि क्या किया जा सकता है। हम अत्यन्त कर्मठता से उस रास्ते पर चलते रहे हैं। समझौते का पैरा 7 (2) में, जो अत्यंत सुसंगत पैरा है, कई बातों का उल्लेख किया गया है। उनमें से एक बात निकटता, दूसरी भाषा और तीसरी गाँव एक यूनिट के रूप में है। किंतु एक चौथी बात भी है जो यह कहती है कि अंतरण साथ-साथ होना चाहिए। हमें इस पहलू को भी नहीं भूलना चाहिए। अत: आप जानते हैं कि जब लोग कहते हैं "आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप वैसा क्यों नहीं करते?" वह भी वैसे ही समझौते के अनुरूप नहीं है जैसे कि किसी अन्य बात से पीछे हटना। अत: हमें यह पहलू भी याद रखना चाहिए। धन्यवाद, महोदय।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : महोदय, हमारे विरोध के बावजूद 1980 में इस सभा में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। हमने इसका विरोध किया था कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा। इसका दुरुपयोग किया जा सकता था। सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि ऐसा नहीं किया जाएगा अपितु इसका प्रयोग उन लोगों के विरुद्ध किया जाएगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। किंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग उन लोगों के विरुद्ध किया जा रहा है जो देश के टुकड़े करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि इसका प्रयोग किया ही जाना है तो कब किया जाएगा? और जहाँ तक पंजाब के उन लोगों का सम्बन्ध है, जो, जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों की सहायता कर रहे हैं अथवा उनको नैतिक बल दे रहे हैं। उनके बारे में भी कुछ किया जाना चाहिए।

**प्रो. मधु दंडवते** : पारिचालित की गई कार्य-सूची में एक और भी मद है। दार्जीलिंग में भी कुछ समस्या है... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मन्त्री महोदय उपस्थित नहीं हैं। वे बाद में इसे सभा पटल पर रख देंगे।

**श्री अर्जुनसिंह (दक्षिण दिल्ली)** : प्रधान मंत्री द्वारा अत्यन्त मर्यादित ढंग से कुछ कहने के बाद बहुत कुछ कहने को शेष नहीं है। मैं केवल वाद-विवाद के शुरू में मधु दंडवते द्वारा कही गई एक या दो बातों का ही उत्तर दूँगा। उन्होंने सभा का ध्यान 1974 तथा उससे पहले हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की ओर आकर्षित किया है। सम्भवत: वे उस समय तथा इस समय में कुछ समानता बताना चाहते हैं कि किस प्रकार इस समय प्रधान मंत्री तथा सरकार कोई दृढ़ धारणा बनाने में सफल नहीं हो रही है और ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें वही खतरा उत्पन्न हो सकता है जो उस समय था। मैं उनकी बात का यही मतलब समझता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से कुछ पिछली बातें याद करने के लिए मजबूर हूँ। यह आज की चर्चा के सन्दर्भ में आवश्यक नहीं है। जो बात उठाई गई है उसके लिए आवश्यक है यह सभा पंजाब में 1981-82 से आज तक होने वाली घटनाओं को दोबारा याद करे। मेरा किसी पर दोषारोपण करने का कोई इरादा नहीं है किन्तु यह बात सही है

कि 1981-82 से आज तक घृणा, असहिष्णुता तथा कभी-कभार हिंसा का भी माहौल रहा है। और अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि जब घृणा, हिंसा और धार्मिक कट्टरता किसी उद्देश्य से हो तो किस प्रकार की भयानक भावनाएँ उभरती है। इस देश ने इन बातों का नुकसान उठाया है, पंजाब के लोगों ने भी इसके कारण सहा है और जैसा कि प्रो. दंडवते ने कहा है कि इस देश ने श्रीमती इंदिरा गाँधी के रूप में बड़ा नेता इन भावनाओं के कारण खोया है। इस प्रकार के दुःखपूर्ण माहौल में प्रधान मंत्री को इस देश का नेता बनाकर पंजाब की स्थिति सम्भालने के लिए आह्वान किया गया। भारत के भाग्य की बागडोर उनके हाथों में सौंप दिए जाने के बाद उनके सामने रास्ता स्पष्ट था। वे चाहते तो थोड़ा समय और स्थिति को इसी प्रकार चलने देते किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे समझते थे कि यदि इसी प्रकार चलता रहा तो भारत के लिए अत्यन्त हानिकारक होगा। इसलिए उन्होंने इसे इस प्रकार सम्भालने का निश्चय किया कि ये भारत के लिए हानिकारक न रहे और अध्यक्ष महोदय, इस उद्देश्य में पंजाब समझौता एक प्रमुख कदम है। यह कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह संधि नहीं है, यह वास्तव में, विश्वास का इच्छा-पत्र है, यह इस देश के भविष्य के लिए प्रधान मंत्री पर विश्वास है तथा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के न्याय में संत लोंगोंवाल पर विश्वास है, तथा इस देश के किसी भी व्यक्ति के लिए भारतीय राजनैतिक व्यवस्था के दायरे के अन्तर्गत यह क्या उपलब्ध करा सकता है। यह करने के बाद, स्वाभाविक ही, शुरू से ही इसे लागू करने का प्रयास था। परन्तु इस समझौते के अमल को रोकने के लिए प्रथम कार्रवाई क्या थी। हम यह नहीं भूल सकते कि समझौते पर उनके हस्ताक्षर करने के एक माह के अन्तर्गत ही, स्वयं संत लोगोंवाल की उन्हीं लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी जिन्हें अच्छी प्रकार से मालूम था कि यह पहला कदम तथा छोटा सा कदम जो उठाया गया है। पंजाब में सामान्य स्थिति ला सकता है, शांति ला सकता है तथा इससे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त कैंसर, जो उपचार से परे हो गया था, समाप्त हो जाएगा। संतजी की हत्या कर दी गई थी, और यहाँ पर यह कहा गया था कि प्रधान मंत्रीजी इस समझौते पर कायम रहें।

मैं माननीय सभा को याद दिलाना चाहूँगा कि प्रधान मन्त्री और पंजाब के लोगों के सामने सर्वप्रथम प्रश्न यह था क्या पंजाब में चुनाव कराए जा सकते हैं? तथा अपनी लोकतांत्रिक राय का इस्तेमाल करें अथवा संतजी की हत्या के बाद उत्पन्न स्थिति को सुधरने तक इस कदम को रोक लिया जाए। मुझे विश्वास है, जो लोग उस समय सभा में मौजूद थे उन्हें याद होगा कि प्रधान मन्त्री को उस अवसर पर क्या कहना पड़ा जबकि बहुत से निराशावादियों ने उन्हें हतोत्साहित किया था कि पंजाब में कोई चुनाव कराना खूनखराबा शुरू करने वाला होगा, और प्रधान मन्त्री ने यहाँ कहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, कि यह बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन जीतता है और कौन हारता है, ठीक बात यह है कि भारत की जनता तथा लोकतंत्र की जीत होती है। यह लोकतंत्र का दीपक था जिसे रोशन किया गया था। हमारा इसके कोई वास्ता नहीं है कि लोग किसे काम सौंपें क्योंकि प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह लोकतांत्रिक अधिकार प्रत्येक अवसर पर इस्तेमाल करने का हक है।

अध्यक्ष महोदय, मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि जो शक्तियाँ यह कभी सहन नहीं कर सकती थीं कि भारत शांति और खुशहाली की दिशा में कोई कदम उठाए, उन्होंने कभी भी दम नहीं लिया है। ऐसी स्थिति आ गई और मुझे अच्छी तरह से याद है और मैं इसे सभा में बताना चाहता हूँ कि पंजाब के माननीय मुख्य मन्त्री उनकी योजनाओं की बुरी मंशा को नहीं समझ पाए। यह अकेली पहली गलती गई थी जिसके कारण स्वर्ण मन्दिर उग्रवादियों के हाथ में चला गया। और स्वर्ण मन्दिर पर कब्जा 26 जनवरी से पहले हुआ था न कि 26 जनवरी के बाद, जो तारीख चण्डीगढ़ के हस्तांतरण के लिए निश्चित की गई थी, कई लोग इसे पंजाब में उग्रवादियों की हाल की कार्रवाइयों से जोड़ना चाहेंगे।

वास्तविकता का सामना करना चाहिए, वास्तविकता का पक्के इरादे से सामना करना चाहिए, केवल तभी हम सही निर्णयों तथा सही परिणामों तक पहुँच सकते है।

सभा ने अपनी अप्रसन्नता व्यक्त कर दी है और समझौते का पूरे तौर पर अमल न करने में मैं सभा की अप्रसन्नता से सहमत हूँ।

**प्रो. एन.जी. रंगा (गुंटूर)** : यह ठीक है।

**श्री अर्जुनसिंह** : और यहाँ भी, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता क्योंकि ऐसा करना बहुत सरल है, लेकिन मै किसी खंडन से डरे बिना यह कह सकता हूँ कि कभी भी किसी स्तर पर भी प्रधान मन्त्री ने समझौते को लागू करने में गलती नहीं की है बल्कि कई मौकों पर वह अपनी सीमा से बाहर जाकर प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर चले ताकि समझौते पर सच्चे मायनों में इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों के हितों पर पूरा ध्यान देते हुए इस पर अमल किया जा सके।

महोदय, यहाँ पर कहा गया था कि प्रधान मन्त्री जल्दबाजी कर रहे थे।

**प्रो. एन.जी. रंगा** : हम सभी जल्दी में हैं।

**श्री अर्जुनसिंह** : मैं कहूँगा, वह अवश्य ही जल्दी में थे और कोई भी प्रधान मन्त्री, जो मूलतत्ववाद, उग्रवाद, धर्मान्धता, राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों की लहर को रोकने की जल्दबाजी नहीं करता, मेरे विचार से, वह प्रधान मन्त्री बनने के योग्य नहीं है। महोदय, अगर वह जल्दी में थे तो उनकी जल्दबाजी किसी व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित नहीं थी।

उनकी अपनी भावनाओं, दु:ख और गुस्से को भुला दिया गया क्योंकि उन्हें दु:ख था और देश की कठिनाई की तरफ सबसे पहले ध्यान दिया। यह शायद राजनीतिज्ञों के भाग्य में बदा है, जो सामान्य रूप से हम सभी की किस्मत में नहीं बदा है। अगर उन्होंने शीघ्रता की है और कोई नई चीज दी है। तो हम सबको उनका विरोध करने की बजाय उनको बधाई देनी चाहिए।

**श्री एस. जयपाल रेड्डी** : प्रत्येक व्यक्ति प्रधान मन्त्री बनने के लिए नहीं आता।

**प्रो. मधु दंडवते** : मुझे प्रधान मन्त्री की जल्दबाजी पर कोई एतराज नहीं है लेकिन उन्हें बाद में पश्चाताप नहीं करना चाहिए। मुझे यही कहना है।

**प्रो. एन.जी. रंगा** : हम सभी जल्दबाजी में हैं।

**श्री अर्जुनसिंह** : प्रो. दंडवते, आपकी टिप्पणी का उत्तर मेरे जैसा कनिष्ठ व्यक्ति नहीं दे सकता। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा ऐसे मौकों पर तथा ऐसी सभी स्थितियों में अध्यक्ष महोदय, जब लोगों को अपना कर्तव्य निभाने के लिए कहा जाता है और बाद में उनसे इसके बारे में प्रश्न किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ कि मनुष्य की अपनी अन्तरात्मा ही उसकी मार्ग निर्देशिका होती है, वही उसके कार्यों, उसकी गम्भीरता तथा उसके कार्यों के औचित्य का कवच होती है। जीवन में इस कवच के बिना चलना बहुत ही अदूरदर्शिता है।

हमारी आशाओं के सफल न होने पर इसका पता चलता है लेकिन इस कवच के साथ, भाग्य जैसा भी खेल खेले, हम सम्मान की राह पर आगे बढ़ते जाएँगे। और मैं आपको बताऊँ कि मुझे विश्वास है कि मेरे प्रधान मन्त्री सम्मान की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे इस पर संतोष है।

**प्रो. मधु दंडवते** : वह सभी के प्रधान मन्त्री हैं।

**श्री अर्जुनसिंह** : अब, प्रश्न पर आते हुए, अर्थात्, हिंसा के बढ़ते हुए हालातों में क्या किया जाए, सारे

देश में जो भावनाएँ उत्पन्न की जा रही है ऐसी स्थिति में वास्तव में हमारा क्या कर्तव्य है। दोनों तरफ से माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं और मुझे विश्वास है कि गृह मन्त्री इन पर विचार करेंगे। मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह महसूस करना होगा कि पंजाब के मामले में तथा इससे जिस प्रकार से सारा देश प्रभावित होता है हम एक बहुत ही निर्णायक स्थिति पर पहुँच गए हैं। अब और देरी करने से सम्पूर्ण राष्ट्र को इसके गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अत: यह सबसे पहली आवश्यकता है कि जैसा कि प्रधान मन्त्री ने बहुत ही उचित कहा है, पंजाब सरकार को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि इसका कर्तव्य पंजाब की जनता तथा सारे देश की जनता के प्रति है। कर्तव्य का निर्वाह कैसे करना है, इसके बारे में बरनालाजी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे विश्वास है कि इसके लिए सभा मुझसे सहमत होगी। बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी व्यक्ति तथा किसी भी पद पर आसीन व्यक्ति, जो आज राष्ट्र की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास कर रहा है, जो देश की एकता और अखण्डता को नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रहा है जो उन लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है जो देशहित के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनके साथ बिना कोई हमदर्दी और दया दिखाए बिना सख्ती से निपटा जाना चाहिए, तथा उस पर ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जो एक मिसाल हो। *मैं यहाँ तक सुझाव दूँगा कि एक ऐसा नया कानून बनाया जाए कि ऐसे लोगों को जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होते हैं उन्हें देशद्रोही समझा जाए। जैसा कि प्रधान मन्त्री ने कहा है कि उनको इस देश की नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया जाना चाहिए तथा कानून में अगर जरूरत हो तो उनकी सम्पत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए...*

**श्री एस. जयपाल रेड्डी :** पहले ही गफूरजी प्रचार कर रहे हैं...

**श्री अर्जुनसिंह :** माननीय मन्त्री, गफूरजी, दिल्ली में प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति की देख-भाल कर रहे हैं (व्यवधान) अत: अगर वह सुझाव कर रहे हैं, तो यह अनुभव न होने के कारण है।

**अध्यक्ष महोदय :** वह आपकी कैटेगरी में से लिया है, एक्सपीरियन्स कैटेगरी में।

**श्री अर्जुनसिंह :** मैं दूसरा सुझाव देना चाहूँगा। सभी राजनीतिक दलों को गम्भीरता के साथ एक आम घोषणा करनी होगी कि ऐसे मामलों पर जिससे लोगों की जान का खतरा हो अथवा जो ऐसे मामलों को प्रभावित करते हों जो स्पष्टत: राष्ट्रीय महत्व के हों और विशेषकर जहाँ राष्ट्रविरोधी, साम्प्रदायिक, अलगाववादी तथा उग्रवादी बातों का प्रश्न हो, हम ऐसे किसी मामले का राजनीतिक लाभ नहीं उठाएँगे। मैं श्री गुप्त के साथ पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि इस देश की धर्मनिरपेक्षता तथा अन्य आदर्शों के प्रति वचनबद्धता में जो हमारे देश की आधारशिलाएँ हैं, उनके प्रति हमारे अन्दर आस्था की कमी है। इसे कैसे उत्पन्न किया जाए, इसे बलपूर्वक नहीं होना चाहिए बल्कि यह दिल से होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को एक साथ मिलकर निर्णय लेना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो हम उसका लाभ नहीं उठाएंगे... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप सब मिलकर क्यों नहीं आते और कुछ रचनात्मक कार्य क्यों नहीं करते?

**श्री अर्जुन सिंह :** महोदय, अगर 'सभी' आपने जो कहा है उसमें संकेत लें तो मेरे विचार से यह वाद-विवाद कम से कम आधा कम हो जाए। मैं इस विचार के प्रतिकूल नहीं हूँ कि अगर आप कभी यह उचित समझें और सभी को एक साथ बैठा सकें तो मुझे पक्का विश्वास है कि जो आप चाहते हैं वह इससे हल हो जायगा।

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे यह करने में खुशी होगी।

**प्रो. मधु दंडवते** : महोदय, सिर्फ आपके द्वारा ही 193 दिया जाए।

**श्री अर्जुनसिंह** : अन्त में मैं एक बात कहना चाहूँगा। हम निश्चित ही, जो हो रहा है उस पर दुखी, उदास तथा नाराज हैं। इससे इंकार का अर्थ होगा देश की वास्तविक स्थिति से मुँह मोड़ना है। अतः, यह माननीय सभा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से यह संदेश प्रसारित होना चाहिए कि इस देश की निष्पाप इच्छा इस सभा में व्यक्त होती है और यह इच्छा कोई विलम्ब, विरोध नहीं चाहती और इस देश की आतंकवादी, मूलतत्वादी, उग्रवादी तथा साम्प्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उपलब्ध सभी उपायों का प्रयोग किया जाए ताकि दोनों ही रूप, इस सभा के सदस्य तथा इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के संतरी होने के नाते से हम अपना कर्तव्य निभा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया एक मिनट। हमें प्रतियाँ प्राप्त नहीं हुई है। क्या हम मन्त्री महोदय से प्रतियाँ प्राप्त किए बिना ही कार्रवाई जारी रखने के लिए कहें?

**कुछ माननीय सदस्य** : जी, हाँ।

(लोकसभा कार्रवाई/ सोमवार 28 जुलाई 1986, पृष्ठ 294 से 309)

*संचार मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय 'दूर संचार विभाग के इंजीनियरों द्वारा आन्दोलन' पर 7 नवम्बर को प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य दिया। इस विषय पर सदन में उन्होंने पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों के तर्क ध्यान से सुनकर उनका सटीक उत्तर दिया। श्री पी.आर. कुमारमंगलम ने दूरसंचार विभाग के इंजीनियरों के आन्दोलन पर प्रस्ताव रखा। संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री संतोष मोहन देव ने इस सम्बन्ध में सरकार का पक्ष प्रस्तुत किया। इस समय उपाध्यक्ष श्री ताम्बि दुराई पीठासीन थे।*

*दूरसंचार विभाग के इंजीनियर अच्छे वेतन की माँगों के लिये आन्दोलन कर रहे थे। बहस के दौरान श्री श्रीवल्लभ पाणीग्राही (देवगढ़) ने श्री अर्जुनसिंह को संकट मोचन बताया। उन्होंने मंत्रीजी की योग्यता में अपना विश्वास व्यक्त किया। श्री अर्जुन सिंह ने सभी पक्षों को सुनकर अपने वक्तव्य में समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने 7 नवम्बर 1986 को ही मध्यान्ह भोजन के पश्चात् अपने मंत्रालय की बात रखी। श्रमिकों का पक्ष श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा श्री थम्पन थामस ने रखा।*

**श्री पी.आर. कुमारमंगलम् (सलेम)** : मैं संचार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर आकर्षित करता हूँ। और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस पर वक्तव्य दें।

"दूर संचार विभाग के जूनियर इंजीनियरों द्वारा निरन्तर किए जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई।"

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : महोदय, जूनियर इंजीनियर दूर संचार संघ ने एक नोटिस दिया था और 16-10-86 से "नियमानुसार काम" आंदोलन का सहारा लेते आ रहे हैं। इससे दूरसंचार सेवाओं और विशेषकर लम्बी दूरी की सेवाएँ काफी प्रभावित हुई हैं। खराबियों को ठीक करने में विलम्ब हुआ और किसी भी समय दोषयुक्त सर्किटों की संख्या सामान्य से अधिक 50 से 100 प्रतिशत के बीच हो गई। इससे ट्रंक कालों को लगाने, एस.टी.डी. और टेलेक्स तथा टेलिप्रिंटर सेवाओं पर प्रभाव पड़ा।

दूरसंचार विभाग के जूनियर इंजीनियर उच्च वेतनमान (चौथे वेतन आयोग से पहले के 424-800 रु. के

वेतनमान की तुलना 550-900 रु. का वेतनमान) की माँग कर रहे हैं। वे यह महसूस करते हैं कि अन्यत्र ऐसे ही कार्यों की तुलना में उनके काम में काफी उच्च तकनीकी क्षमता और उत्तरदायित्व शामिल है। इस सेवा में आने के लिए शैक्षणिक योग्यता भी ऊँची रखी गई है तथा अन्तिम नियुक्ति मिलने के पूर्व उन्हें गहन प्रशिक्षण दिया जाता है।

विभाग को उनकी माँगों के प्रति हमदर्दी है लेकिन इन माँगों को स्वीकार करने से पूर्व सभी पहलुओं पर वित्त मन्त्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया जाना था। इस मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया गया और 1983 में वित्त मन्त्रालय की सलाह पर मामले को चौथे वेतन आयोग को भेज दिया गया।

चौथे वेतन आयोग ने जूनियर इंजीनियरों की माँगों के साथ-साथ दूरसंचार विभाग की सिफारिशों पर विचार किया। उन्होंने भी स्वीकार किया कि दूरसंचार क्षेत्र की टेक्नॉलॉजी में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है और विभाग के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह अपेक्षित योग्यता के प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी तैयार करे। तथापि, उन्होंने महसूस किया कि उच्च वेतन का जो सुझाव है, वह वास्तव में विभिन्न पदों से सम्बन्धित कार्यभार की योग्यता का निर्धारण करने के लिए कार्य का मूल्यांकन करने सम्बन्ध रखता है। उन्होंने अनुभव किया कि इस कार्य को करना उनके लिए सम्भव नहीं था। सरकार ने वेतन आयोग की इन सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई कर रही है।

दूरसंचार के जूनियर इंजीनियरों ने चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के तुरन्त बाद जुलाई, 1986 में आन्दोलन किया था। इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श किया गया और उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मन्त्रालय द्वारा इस मामले को विभिन्न स्तरों पर प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा किया भी गया था लेकिन वेतन आयोग के सुझाव अनुसार, इस मामले को आगे उचित अध्ययन किए बिना समूचे काडर के वेतनमान को बढ़ाने सम्बन्धी माँग को सीधे स्वीकार करना सरकार के लिए संभव नहीं हो पाया। कुछ हद तक माँगों को पूरा करने के लिए इस बात पर सहमति हो गई थी काडर में 65 प्रतिशत पदों को पदोन्नति ग्रेड दे दिया जाए। साथ ही, यह निर्णय लिया गया था कि इस मामले पर आगे अध्ययन करने के लिए एक अन्तर-विभागीय ग्रुप का गठन किया जाए।

अन्तरविभागीय समिति की अनेक बैठकें हुईं लेकिन समिति के अध्यक्ष इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यथा गठित समिति मामले का हल नहीं निकाल सकी और कि वास्तविक कार्य का मूल्याँकन करना अनिवार्य होगा।

यद्यपि इस मामले पर आगे विचार किया जा रहा था लेकिन चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकारी निर्णय की घोषणा हो जाने से दूरसंचार विभाग के जूनियर इंजीनियर संघ ने नोटिस देकर पुन: अपना आन्दोलन शुरू कर दिया। इस मामले का समाधान करने का प्रयास किया गया। इस सम्बन्ध में सदस्य (कार्मिक), सचिव (दूरसंचार) और मंत्री स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर सीधे और मुख्य श्रम आयुक्त के तत्वावधान में विचार विमर्श किया गया। इस मामले की सचिवों की समिति ने भी जाँच की थी। यह निर्णय लिया गया था कि अन्तरविभागीय समिति का पुनर्गठन किया जाए और उसे कार्य का मूल्याँकन करने के लिए सलाहकार रखने की विशेष शक्तियाँ देते हुए उच्च अधिकार दिए जाए। उच्च ग्रेड में 65 प्रतिशत पदों के लिए चयन प्रक्रिया निश्चित करने का एक विशेष प्रस्ताव भी संघ को विचार करने के लिए दिया गया था। उन्हें उच्चस्तरीय समिति के गठन के बारे में भी बताया गया था और उनके आंदोलन समाप्त करने का अनुरोध किया गया था। इन विचार-विमर्शों के दौरान माननीय सदस्य श्री पी.आर. कुमारमंगलम्, मंत्री, सचिव (दूरसंचार) और मुख्य श्रम आयुक्त से भी मिले और उन्हें स्थिति की विस्तृत जानकारी दी गई थी।

संघ के प्रतिनिधियों ने विभाग की स्थिति को समझते हुए भी यह निवेदन किया कि वे अपना आन्दोलन समाप्त करने की स्थिति में नहीं है और इस मामले को निपटाने में हो रहे दीर्घ विलंब को देखते हुए कर्मचारी कोई भी बात

मानने को राजी न हों। उन्होंने सचिव (दूरसंचार) और संचार मन्त्री से यह अनुरोध किया है कि वे उनके सर्किल सचिवों सहित कार्यकारिणी समिति की एक बैठक बुलाए। उनकी यह बात मान ली गई है। यह बैठक आज दोपहर को होनी निश्चित हुई है।

स्थिति यह है कि 425-700 रु. के संबद्ध वेतनमान में लगभग दो लाख कर्मचारी है और उपयुक्त अध्ययन व मूल्यांकन किए बिना उनमें से किसी सेक्शन को उच्च वेतनमान देना संभव नहीं है। इस अध्ययन एवं मूल्याँकन कार्य को करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की गई है। समिति से अपनी सिफारिशें यथा सम्भव शीघ्र व किसी भी हालत में महीने के भीतर देने का अनुरोध किया गया है। निरन्तर चले आ रहे आंदोलन से जनता को असुविधा हो रही है और परिणामस्वरूप आर्थिक हानि भी हो रही है। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों से मेरी यह अपील है कि वे अपना आन्दोलन वापस ले लें और सेवाओं को सामान्य बनाएँ तथा इस मामले को सुलझाने में उच्च अधिकार प्राप्त समिति के साथ सहयोग करें। इस सम्बन्ध में, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि यदि आवश्यक हुआ तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार को अनिवार्य सेवा सुरक्षा अधिनियम के अधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। फिर भी, मुझे विश्वास है कि कर्मचारी समझदारी और सद्भावना से काम लेंगे तथा अनिवार्य सेवा सुरक्षा अधिनियम की व्यवस्थाओं को लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

**श्री हरीश रावत (अलमोडा)** : महोदय, यह एक निराशाजनक वक्तव्य है।

**श्री पी. आर. कुमारमंगलम्** : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् इस वक्तव्य से मुझे थोड़ा आश्चर्य और खुशी हुई क्योंकि यह जानकर दु:ख होता है कि विषय को घुमा-फिरा कर कहा गया है। पहले जब विषय को पूरी तरह से मेरे सामने स्पष्ट किया गया तो मैंने बहुत सहानुभूति पूर्ण तरीके से समझने की कोशिश की और सभा के प्रतिनिधियों ने भी विभाग की स्थिति की प्रशंसा और तर्क दिया कि वे हड़ताल को वापस लेने की स्थिति में नहीं हैं।

शुरू में ही मैं कहना चाहूँगा कि यह ठीक नहीं है क्योंकि यह मामला आज का नहीं है वर्ष 1980 में जब यह स्वर्गीय श्री सी.एम. स्टीफन संचार मंत्री थे तब उन्होंने यह मामला अपने हाथ में लिया था।

1983 में यह मामला फिर लिया गया। तब इसको संचार मंत्री श्री वी.एन. गाडगिल ने अपने हाथ में लिया था कि और फिर दुबारा यह मामला भूतपूर्व संचार मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा द्वारा 1986 में लिया गया। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि इस विभाग की हमारे साथ सहानुभूति है। वे कहते हैं कि माँग अनुचित व गलत नहीं है और यह माँग सात वर्ष पुरानी है माँग केवल इस तथ्य पर आधारित नहीं है कि हम तकनीकी रूप से श्रेष्ठ हैं। यह स्वयं सिद्ध है। माँग का आधार यह भी है कि जो लोग जूनियर केडर में है अर्थात् वह केडर जिस से लोग जूनियर इन्जीनियर की पदोन्नति प्राप्त करते हैं। वे उच्च वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में जब आर.एस.ए.एस. प्रतियोगी परीक्षा पास कर लेते हैं तो वे उच्च वेतनमान से निम्न वेतन में आ जाते हैं जबकि उनका पद वरिष्ठ हो जाता है। इस प्रकार की अनियमितता एक या दो वर्ष से नहीं बल्कि छ: वर्षों से लम्बित है। एक मंत्री से दूसरे मन्त्री मामला अपने हाथ में लेते हैं, क्या होता है? समितियों के बाद समितियाँ नियुक्त होती है। अगर अभी तक कोई मूल्यांकन न होता तो मैं समझ गया होता। बंगलौर में बहुत प्रसिद्ध भारतीय प्रबन्ध व्यवस्था को, जो बहुत प्रसिद्ध और लोक प्रिय है, इस कार्य के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में लगाया गया था। विभाग द्वारा डाक तार विभाग के अध्ययन को युक्ति संगत बनाने और विश्लेषण पर विभाग द्वारा लाखों रुपये खर्च किए गए थे। उन्होंने जूनियर इंजीनियर और तकनीशियनों के पक्ष में रिपोर्ट दी है और कहा है कि प्रौद्योगिकी की उन्नति हो रही है। आपको उच्च शैक्षणिक योग्यता चाहिए। यह सच है कि आजकल जूनियर की कम से कम शैक्षणिक योग्यता विज्ञान में या इन्जीनियरिंग में स्नातक की उपाधि

है तकनीशियनों के लिए इन्जीनियरी में डिप्लोमा चाहिए। लेकिन उन्हें दूसरे विभाग मैट्रिक स्तर से कम समझा जाता है आप तकनीकी उन्नति के साथ 21वीं सदी में जाने की आशा करते हैं जबकि इन तकनीकी कार्मिकों का वेतन बहुत कम है। जबकि एक और आप जूनियर केडर के अधिकारी और सीमा शुल्क अधिकारी को भुगतान करते हैं तो कोई भी उसे समझ सकता है। दान घर से ही शुरू होता है लेकिन क्या यह घर पर ही समाप्त होता है? यह प्रश्न है अगर जूनियर लेख पाल अधिकारियों और उत्पाद शुल्क इन्स्पेक्टर को वेतन देने के इच्छुक हैं क्योंकि वे वित्त विभाग से सम्बन्धित है तो फिर तकनीकी कर्मचारियों के साथ न्याय क्यों नहीं किया जाता?

प्रश्न यह नहीं है कि यह विषय पहले नहीं आया और मंत्रियों द्वारा सहमति नहीं दी गई। दोनों मन्त्रियों ने लिखित एवं मौखिक रूप से कहा है, हाँ जी, आपका मामला न्यायसंगत है। हम कोशिश करेंगे आपको देंगे। निश्चय ही हम आपके लिए इस मामले में संघर्ष करेंगे। लेकिन क्या हुआ? सच्चाई यह है कि इस सरकार में मन्त्रियों की आँखों पर पट्टी बाँधने की कला नौकरशाहों ने सीख ली है कर्मचारियों को देर से न्याय देने की कला उन्होंने सीख ली है। वे एक समिति नियुक्त करते हैं, एक मूल्यांकन के बाद दूसरा मूल्याँकन करते हैं, जिसके कार्य की कई वर्षों तक समाप्ति नहीं होती है।

इस समय मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि यह नियमानुसार कार्य करने का आंदोलन न केवल जूनियर इन्जीनियरों द्वारा किया जा रहा है, वर्ग III के तकनीशियन भी आंदोलन कर रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है। उनकी शैक्षणिक योग्यता इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा है, इसके बावजूद भारत सरकार में अन्य किसी तकनीशियन की तुलना में उनका वेतनमान सबसे कम है। दूसरे तकनीशियन मैट्रिक हो सकते हैं लेकिन उनका वेतनमान 1200 रुपये और 1400 रुपये है जबकि ये तकनीशियन 925 रुपए प्राप्त हैं। जब कभी इस विषय को उठाया जाता है। जब यह वेतन आयोग को गया तो वेतन आयोग ने कहा— तकनीकी मूल्याँकन करना पड़ेगा। भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर द्वारा तकनीकी मूल्याँकन किया गया। इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था जैसे कि यह रिकार्ड में है ही नहीं। इसे बिल्कुल नहीं दिखाया जाता है और उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है।' बहुत निष्कपटता से वे कहते हैं 'नहीं हम आपकी माँग को पूरा करना चाहते हैं। फिर भी 2 लाख कर्मचारियों में मतभेद करने के लिए हमें मूल्याँकन करना चाहिए, मूल्यांकन के बारे में क्या हुआ? इससे पहले के मूल्यांकन का क्या रहा?

ठीक है, मन्त्रियों के एक समूह ने एक समिति नियुक्त की है। समिति की अध्यक्षा कार्मिक विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती खोसला थी। वह एक महीने तक रही। फिर वह त्यागपत्र दे देती हैं। वह यह नहीं कहती कि वह निस्सहाय थी और इस मूल्याँकन के लिए उन्हें कुछ विशेषज्ञों की सलाह चाहिए थी वह इस्तीफा दे देती हैं और कहती हैं— नहीं, मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहती हूँ तब आप कुछ समय तक चुप रहते हैं। आप दूरसंचार के सेवा- निवृत्त सचिव श्री अग्रवाल के साथ एक अन्य समिति में नियुक्त हैं और उप-समिति में आप इस अध्यक्ष श्रीमती खोसला को ले लेते हैं। जिन्होंने यह कहते हुए त्यागपत्र दिया था कि "मैं इस विषय को सुलझाने में समर्थ नहीं हूँ। कितने और कब तक कर्मचारियों को मूर्ख बनाया जाएगा, उसकी सीमा क्या है? अगर आप अपने प्रयासों की साख स्थापित करना चाहते हैं, उसका कुछ आधार होना चाहिए, कर्मचारियों को यह कहना कि मुझे आपके विषय से सहानुभूति है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते पर्याप्त नहीं है इसके लिए कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। इन समितियों को मैंने आरम्भ से ही देखा है और मैं अकसर कहता हूँ कि यह समितियाँ एक मजाक है यह सरकारी समितियां और उप-समितियाँ एक अतिसार के समान है। दोनों ही मामलों में उनकी रिपोर्ट बनती है और दोनों ही मामलों में बैठकें होती हैं, दोनों ही मामलों में

सामग्री को छोड़ दिया जाता है। प्रत्येक समिति के साथ यही होता है और समय के लिए शान्ति का एक रास्ता है। यह शान्ति एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि संचार के मामले में छः बार खरीदी गई है। प्रत्येक बार एक समिति नियुक्त की जाती है। आज दूरसंचार के कर्मचारी उस अवस्था में पहुँच गए हैं जहाँ उन्होंने कहा है— हमें और अधिक समितियाँ नहीं चाहिए। आप कहते हैं, हमारी माँग अनुचित है। इसे खिड़की से बाहर फैंक दीजिए हम इसका सामना करेंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से बताइए कि हमारी स्थिति क्या है? कई समितियाँ और कई रिपोर्ट हमारे पक्ष में हैं, कोई भी रिपोर्ट हमारे विपक्ष में नहीं है, इसे लीजिए, स्वीकार कीजिए या वापस कीजिए। लेकिन कृपया भगवान के लिए और समिति न नियुक्त कीजिए। हम समिति नहीं चाहते हैं। कर्मचारियों का यही कहना है चाहे वे तकनीशियन हों या वे जूनियर इन्जीनियर हों। अगर भारतीय प्रबन्ध संस्थान बंगलौर, जो एक स्वायत्त है, जहाँ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नए पाठ्यक्रम के लिए मंत्री और नौकरशाह जाते हैं... (व्यवधान)

हैदराबाद में भी एक संस्थान है, बंगलौर का भी नाम है। अगर वे मंत्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए काफी अच्छे हैं तो मेरे विचार से उनका प्रतिवेदन मूल्यवान होना चाहिए और सरकार को उसे मान्यता देनी चाहिए। सरकार को उस पर विश्वास करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विशेष मामले में इसके बावजूद कि एक समिति के बाद दूसरी समिति स्थापित की जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। आज सच यह है कि न तो जूनियर इंजीनियर और न ही तकनीशियन किसी अन्य समिति के स्थापित किए जाने के नाम पर अपना आंदोलन वापिस ले सकते हैं क्योंकि वे अपने सदस्यों को ही सन्तुष्ट नहीं कर पाएँगे उल्टे निश्चित रूप से अधिकतर जनता उन पर हँसेगी और मैं समझने में असमर्थ हूँ कि जब एक स्वीकृत तथ्य है कि त्रुटियाँ दुगनी हो गई है सरकार यह महसूस क्यों नहीं करती कि उनको इस पर निर्णय लेना आवश्यक है। नौकरशाही हॉवी है। ऐसा क्यों है? उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं यूनियन से चुपचाप हड़ताल वापस लेने का अनुरोध करूँ तो...

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

**श्री पी.आर. कुमारमंगलम्** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट लेना चाहूँगा। यह महत्वपूर्ण है पूरे देश में टेलिफोन और दूरसंचार व्यवस्था धीरे-धीरे बिल्कुल खराब हो रही है। यह केवल ध्यानाकर्षण का मामला नहीं है। यह एक गम्भीर मामला है जहाँ माँग पर विचार किया है। केवल स्वीकृत किया है— वे कहते हैं कि उनकी सहानुभूति है। लेकिन वे इसे मानने के लिए तैयार नहीं है और एक समिति के बाद दूसरी समिति की नियुक्ति कर रहे हैं। एक बहाने के बाद दूसरा बहाना दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आन्दोलनकारियों से आन्दोलन वापिस लेने तथा सामान्य वातावरण बनाने के साथ-साथ यह लगभग एक अपील है— यह घोषणा की गई है कि 'इसमा' के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी। वास्तव में उन्होंने 4 नवम्बर को 'इसमा' को लागू किया है।

**श्री थम्पन थामस** : 'मीसा'

**श्री पी.आर. कुमारमंगलम्** : यह मीसा नहीं है, यह केवल इसमा है। यदि उनकी माँगें और आन्दोलन ठीक है तो ऐसा क्यों? जब यह स्वीकार किया जाता है कि यह विषय अभी तक टाला जाता रहा है जब कर्मचारी आन्दोलन करते हैं तो उनका मुँह बन्द करने या गला घोंटने के लिए 'इसमा' जैसे कठोर कानून का प्रयोग किया जाता है, क्या सरकार की यही भूमिका है? हमें न्याय चाहिए हर बार कर्मचारियों द्वारा यही आवाज उठाई जाती है, हम अन्याय नहीं चाहते। इस देश में क्या हो रहा है? क्या हम पर जनता के प्रतिनिधियों ने या नौकरशाही ने शासन करना है यही विषय

है। उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते है कि हम सब नौकरशाहों को पत्र लिखते हैं। एक सांसद की हैसियत से मैं जानता हूँ कि एक सामान्य और बहुत विनम्र शब्दों में उत्तर आता है 'अस्वीकृत'। नौकरशाहों द्वारा कितने मामलों का निपटारा होता है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वे किसी को जवाबदेह नहीं है। लेकिन फिर भी वे सोचते है कि वे इस देश पर शासन करते हैं। अक्सर, मजाक में कहता हूँ कि सांसद अस्थाई कर्मचारी और मंत्री आकस्मिक कर्मचारी है और वे अपने आपको इस राष्ट्र का स्थाई कर्मचारी समझते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में नौकरशाही हावी है और वास्तविक न्याय नहीं मिल रहा है।

अन्त में, मै यह कहकर समाप्त करूँगा कि श्रमिक वर्ग को डराया नहीं जा सकता। हम अन्याय नहीं होने देंगे, हम तर्कसंगत होंगे। हम बातचीत व समझौता करने के लिए इच्छुक हैं। यदि जे.ई.टी.ए. यूनियन कहती है कि मन्त्री और सचिव कार्यकारिणी को सम्बोधित करें तो ऐसा वे इसलिए कहते हैं कि वे मन्त्री और सचिवों से मिलना चाहते है क्योंकि वे यह आभास नहीं देना चाहते कि मंत्रियों से या सचिवों से मिलने की बात में रुकावट डाली जा रही है या कि हम राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य समस्या को आपस में मिलाकर शांति से सुलझाना है। यदि सरकार आगे बढ़ती है तो हम समझौता करने के लिए बहुत इच्छुक हैं। लेकिन, फिर भी यदि सरकार इस प्रभाव में रहती है कि 'इसमा' की धमकी या 'इसमा' का इस्तेमाल करके कर्मचारियों की इस कार्रवाई को दबाएँगे तो मैं बिना किसी अपवाद और राजनीतिक रंग के यह कहूँगा कि कर्मचारी वर्ग विद्रोह करेगा। हम इसको सहन नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि यदि इसमा का प्रयोग किया जाना है तो इस देश में कोई काम नहीं होगा यदि कठोरता से दबाया गया तो हम इसका मुकाबला करेंगे। हम इसके विरुद्ध नहीं है। मैं संचार मंत्री वित्त मंत्री अपने प्रिय नेता प्रधान मंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि वे नौकरशाहों के बहकावे को छोड़कर वास्तविकता को देखें। आगे बढ़े और इस मामले को निपटाए।

हम श्रमिक वर्ग हैं जो शुरू से अन्त तक आपके साथ हैं। लेकिन कृपया आप स्वयं नौकरशाहों के हाथों में कठपुतली न बने, जिनके दिलों में गरीबों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, किसी भी संस्था के कर्मचारियों के प्रति, कोई स्थान नहीं है। वे केवल एक वर्ग से सम्बन्धित हैं और वे उसी का हित चाहते हैं।

**श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़)** : महोदय, वास्तव में देश में दूर संचार मन्त्रालय के दूर-संचार विभाग के लगभग 22 हजार कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा नियमानुसार काम करने संबंधी आन्दोलन से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुई है। मंत्री द्वारा यहाँ दिए गए वक्तव्य को पढ़कर जो हमें थोड़ी पूर्व दिया गया, मैं यह आशा कर रहा था कि आज मध्याह्न पश्चात् इस गम्भीर समस्या का समाधान होगा और स्वाभाविक है कि इससे सब चैन की साँस लेंगे। किन्तु अपने माननीय मित्र श्री कुमारमंगलम् की बात सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ, क्योंकि वक्तव्य पृष्ठ 3 पर अंतिम पैरा से पूर्व पैरा में इस सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है:

"सभी संगठनों के प्रतिनिधियों में विभाग की स्थिति को समझते हुए यह दलील दी कि वे आंदोलन को समाप्त करने की स्थिति में नहीं है और इस मामले को सुलझाने में अधिक विलम्ब को ध्यान में रखते हुए सामान्य कर्मचारी हड़ताल समाप्त करने की बात नहीं करेंगे। उन्होंने सचिव द्वारा दूर संचार तथा संचार मंत्री के साथ उनकी कार्रवाई समिति की बैठक की माँग की जिसमें उनका सर्किल सचिव भी होगा। यह स्वीकार किया गया। बैठक आज मध्याह्न पश्चात होने वाली है।"

आपने श्री कुमारमंगलम की सुन ली जो इस मामले में पूरी तरह से दिलचस्पी ले रहे हैं, कि स्थिति ऐसी नहीं है। अत: स्थिति और भ्रमपूर्ण बन गई है।

महोदय, श्री अर्जुन सिंह ने हाल ही में इस मंत्रालय का भार संभाला है। वह मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री हैं। श्री सन्तोष मोहन देव उनके राज्य मंत्री के रूप में सहायता कर रहे हैं। वे बिल्कुल नए हैं हड़ताल चलते ही इस मंत्रालय में आ गए। वास्तव में मेरा विचार है कि इस आंदोलन ने ही उनको इस मंत्रालय में बुलाया है। हमें मंत्री की योग्यता पर विश्वास है। श्री अर्जुन सिंह संकट समाप्त करने वाले माने जाते हैं। अत: जो भी परेशानी की स्थिति होगी, मुझे पूरी आशा है कि इसका समाधान होगा और इस समस्या का शीघ्र ही समाधान होगा।

एक बात मैं समझ नहीं पाया। आप जानते हैं यह आज की ही समस्या नहीं है। यह अनेक वर्षों से चली आ रही एक पुरानी समस्या है। वर्ष 1983 में, वित्त मंत्री की सलाह पर यह मामला चौथे वेतन आयोग को भेजा गया था। इन माँगों को उस समय से अब तक संचार मंत्रालय के प्रभारी चार मंत्रियों का नैतिक समर्थन प्राप्त हुआ है और इन सब चीजों के बावजूद यह माँग जिसको न्यायसंगत समझा गया है, जिसको मन्त्रालय के सभी मंत्रियों का नैतिक समर्थन मिला है, अभी तक यह माँग पूरी नहीं की गई है?

**सभापति महोदय** : मैं इसमें क्या कर सकता हूँ नियम के अनुसार केवल पाँच मिनट दिए जा रहे हैं।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : मैं केवल मुद्दे बता रहा हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि संचार मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय के बीच एक प्रकार का टकराव चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वित्त मन्त्रालय अथवा वेतन आयोग ने इस ग्रेड और इसके बराबर वाले ग्रेड के कर्मचारियों के अन्य वर्गों को प्रत्यक्ष रूप में ऐसी रियायतें दे दीं। उन्होंने अब यह मामला कार्य मूल्यांकन की दलील पर विभाग पर ही छोड़ दिया है जब कार्य मूल्यांकन एक जानी मानी संस्था इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलौर को सौंप दिया तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इसके अध्ययन के लिए बार-बार समितियाँ क्यों नियुक्त की जा रही हैं। स्वभावतया इससे उन लोगों का रोष और भी बढ़ जाएगा और वे नाराज हो जाते जो लोग अपनी सच्ची माँगों के लिए बहुत समय से लड़ रहे हैं। उन्होंने स्वभावत: अधिक वेतनमानों की माँग की है जो अन्य विभागों में उनके साथी ले रहे हैं। वेतन आयोग ने भी यह स्वीकार किया है कि यह काम अधिक तकनीकी किस्म का है।

मैं अब एक विषय के सम्बन्ध में बात करता हूँ। कार्य मूल्यांकन पंहले ही इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा बंगलौर में हुआ था। फिर एक और समिति नियुक्त की गई थी। खोसला समिति के विचारार्थ विषय क्या थे? उन्होंने त्यागपत्र क्यों दे दिया? सिविल कर्मचारी का यह किस प्रकार का रवैया है? जब उन्हें कोई विशेष काम सौंपा गया है उन्होंने उस जिम्मेवारी से मुँह फेरा है। फिर एक समिति नियुक्त की गई है। यह नाटक कब तक चलेगा? स्वभावत: जनता को हानि हो रही है आज दिल्ली तथा अन्य भागों के बीच कोई भी टेलीफोन लाइन कार्यरत नहीं है। समाचार पत्रों की दशा भी ठीक नहीं है क्योंकि दूर-संचार लाइनें निष्क्रिय हो गई है। हाल ही में "सार्क" सम्मेलन बंगलोर में हो रहा है। यदि यह हड़ताल शीघ्र समाप्त नहीं हुई तो क्या होगा? हालात बहुत ही बिगड़ जाएँगे।

जब मंत्री समझते हैं कि माँगें सही और उचित हैं तो अफसरशाही बीच में कैसे आ रही है? लोकतन्त्र में राजनीतिक नेता हालात तथा नियमों और विनियमों के स्वामी माने जाते हैं; वे नियमों और विनियमों में बंधे नहीं रहना चाहिते। यदि कोई नियम आड़े आता है, तो इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्री कुमारमंगलम् ने जो कुछ कहा है, उसमें काफी बल है। माँगें उचित हैं। कार्य मूल्यांकन तो भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा पहले ही किया गया है। विभाग ने भी सिफारिश की है। अत: उनकी माँगें स्वीकार करने में कोई विलम्ब

नहीं होना चाहिए और इस प्रकार इस समस्या का एक सुखद तथा सम्मानपूर्ण समाधान होना चाहिए जो विभिन्न क्षेत्रों में चिन्ता उत्पन्न कर रही है।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अब दोपहर के भोजन बाद भाषण जारी रखेंगे। अब सभा दोपहर के भोजन के लिए स्थगित की जाती है।

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.06 म.प. पर पुन: समवेत हुई।

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

**श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट)** : मैं समझता हूँ कि यह आन्दोलन जिन उद्देश्य के लिए हुआ है उसका औचित्य सिद्ध हो चुका है। इस आन्दोलन के माध्यम से वे जिस बात को सिद्ध करना चाहते थे वह पर्याप्त रूप से सिद्ध हो चुकी है। स्वाभाविक है कि देश की जनता, जो इस आंदोलन के कारणों को जानने की इच्छुक है, को भी पता लग गया है और आज भारतीय संसद लोकसभा में भी इस विषय पर चर्चा हो रही है।

अब इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए कोई साहसिक कदम उठाना सरकार का कार्य है। मैं आवश्यक सेवा अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने की धमकी के पक्ष में नहीं हूँ। बहुत समय से ही श्रमिक संघों के आंदोलन ने इस आवश्यक सेवा अधिनियम की अवधारणा का पूरी शक्ति से विरोध किया है। जिन लोगों ने आवश्यक सेवा अधिनियम का पक्ष लिया था उन्होंने यह सोचा था कि आवश्यक सेवा अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की धमकी से शायद हड़ताल होने से बच जाएगी परन्तु इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। यदि मजदूर ईमानदारी से यह अनुभव करते हैं कि उनकी कुछ उचित माँगें हैं तो उन्हें ऐसी धमकियों से डराया नहीं जा सकता। मैं केवल एक मुख्य बात कहना चाहता हूँ कि जिस सन्दर्भ में ये सभी बातें हो रही हैं उसे एक व्यापक संदर्श के रूप में देखा जाना चाहिए।

मैं श्री अर्जुन सिंह को यह बता सकता हूँ कि कुछ वर्ष पहले भिलाई इस्पात संयंत्र के मार्शलिंग यार्ड में ऐसा हुआ है। इस्पात संयंत्र में कर्मचारी खलासी है और मालडिब्बों का शंटिंग आदि करने के लिए रेलवे के खलासी हैं जो कि उनके साथ-साथ कार्य कर रहे थे। बाद के कर्मचारी रेलवे कर्मचारी हैं और दोनों की परिलब्धियों के बीच का अन्तर 300 रु या 400 रु. के बीच प्रतिमाह है, क्योंकि एक व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र का कर्मचारी है इसलिए वह वही कार्य करने वाले दूसरे व्यक्ति से बहुत अधिक वेतन प्राप्त कर रहा है लेकिन वह रेलवे विभाग का कर्मचारी है। ये असंगतियाँ पहले से चलती आई हैं। मैं कहूँगा कि इस मामले में भी ऐसे इन्जीनियरों, जो इन सभी नए उपकरणों और उच्च प्रौद्योगिकी से कार्य करते हैं, के साथ नए सिरे से कुछ किया जाना चाहिए। एक नए ढंग से उनकी स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। यदि ये व्यक्ति कल के भारत का निर्माण करने वाले हैं तो उसके साथ उसी पुराने ढंग को नहीं अपनाया जा सकता जो कि हम पहले अपनाते आए हैं।

इस प्रकार ये मेरे सुझाव है, एक भूतलक्षी प्रभावों के बारे में है कि उनके बारे में कुछ आगे विचार किया जाना चाहिए। दूसरे, मेरा सुझाव है कि इस कार्य-मूल्यांकन को स्थगित करके मैं समझता हूँ कि उसके बिना सरकार किसी बात पर सहमत नहीं होगी किस प्रकार का कार्य मूल्यांकन मैं नहीं जानता वे नए वेतनमान की माँग कर रहे हैं अर्थात् एक संशोधित वेतनमान। न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान के साथ उसके वेतनमान की घोषणा की जा सकती है। उस वेतनमान

में इन्जीनियरों की नियुक्ति का तदर्थ समझौता हो सकता है। जब कार्य-मूल्यांकन का काम पूरा हो जाता है तो इसे अन्तिम रूप दिया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि क्या वे इस बात पर सहमत हैं अथवा नहीं।

अन्त में मैं यह कहूँगा, मैं भी एक प्रकार से श्रमिक संघ का कार्यकर्त्ता हूँ, निश्चित रूप से अपने मित्र से थोड़ा अधिक पुराना कार्यकर्त्ता। मुझे दुःख है कि ये लोग आंदोलन शुरू करने से पहले व बाद में, हमारे समर्थन के लिए हममें से किसी के पास कभी नहीं पहुँचे।

वह भी दूसरे केन्द्रीय श्रमिक संघ से सम्बन्ध रखते हैं। वे हमारे पास कभी नहीं आए, अपनी माँगों के साथ न्याय करने के लिए हमसे कभी नहीं कहा और हमें समर्थन देने के लिए भी कभी नहीं कहा। कम से कम मैं यह कह सकता हूँ कि मैं सार्वजनिक रूप से सामने आ जाता।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह वर्ष समाप्त हो रहा है और पैसा एकत्रित करने के लिए व्यापारियों से माँग बहुत अधिक हो सकती है। अत: उनके लिए चुप्पी साधना बेहतर है अन्यथा ऐसा करना संभव नहीं है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : उनके पास सब जगह अन्य सेवाएँ भी उपलब्ध हैं। मुझे बस यही कहना है और मैं माननीय मंत्री से सुनना चाहूँगा कि इस विषय से निपटने के लिए वह क्या सोच रहे हैं।

**संचार मन्त्री श्री अर्जुनसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, जिन बातों के कारण ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हो रही हैं मैं उनके बारे में भली प्रकार से अवगत हूँ और इस बारे में सभा के वरिष्ठ सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त के साथ केवल अपनी सहानुभूति व्यक्त कर सकता हूँ तथा देश के उन लाखों लोगों के साथ सहानुभूति व्यक्त कर सकता हूँ जो विभाग की सेवाओं को लेते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक सरकार की किसी गतिविधि में अथवा जनोपयोगी सेवा में मुख्य रूप से लोगों का हित ध्यान में रखना होता है। अत: जब श्री इन्द्रजीत गुप्त कहते हैं, यद्यपि सभा के दोनों पक्षों द्वारा बहुत कुछ कहा गया है, हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमें कहाँ सीमा रेखा खींचनी चाहिए ताकि इस देश के नागरिकों को उतनी असुविधा न हो कि वे असहनीय हो जाएँ।

मुझे विश्वास है कि न केवल मैं बल्कि मेरे विचार में इस सभा के सभी वर्ग इस प्रस्ताव से सहमत होंगे।

जैसाकि श्री कुमारमंगलम् ने कहा है, यह एक छ: वर्ष पुराना मामला है। उन्हें इसका बहुत अधिक अनुभव है, जो वह कहते हैं मुझे मंजूर है। उन्होंने उसका भी उल्लेख किया है कि कब क्या हुआ है और किसी समय मामलों पर फैसला क्यों नहीं हो पाया? इस बारे में भी उनके कथन को उचित कहूँगा यद्यपि इसके विपरीत कुछ जानकारी हो सकती है। मैं सभा से दो या तीन मूल बातों पर विचार करने के लिए कहूँगा जिनके बारे में मैं समझता हूँ आप भी मुझसे सहमत होंगे और उन पर कोई विवाद नहीं है। एक है, इस समस्या पर कितनी समितियाँ बैठ चुकी हैं तथा सिफारिशें दे चुकी हैं। आपने कई नाम बताए हैं और मैं समझता हूँ कि एक दो नाम हैं जब मामले को लिया गया था और मैं फिर गुप्तजी से सहमत हूँ कि समस्या वेतनमान की नहीं है लेकिन यह उसका ही परिणाम है। इस समय हमारे सामने समस्या का मूल कारण है तथा रहेगा कि हमें उच्च प्रौद्योगिकी कार्यकरण के साथ तालमेल बैठाना है। न केवल उन कर्मचारियों के लिए जो इन मशीनों को चलाएँगे बल्कि हमारे लिए भी, जो उन्हें प्रयोग करेंगे, और यह तालमेल, मेरे विचार से एक कारण है जिसकी वजह से यह खिंचाव आया है। मैं हमेशा इस बात का समर्थक रहा हूँ कि नये तकनीशियनों को जो हमारी मशीनों तथा प्रणालियों को चलाएँगे, न केवल सम्मान मिलना चाहिए बल्कि उनको मिलने वाला वेतन तकनीकी व्यक्ति के स्तर के अनुरूप मिलना चाहिए और मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री के वक्तव्य की पीछे यही भावना है, जब उन्होंने इस देश के विकास में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए आह्वान किया था, जिससे विकास की गति और तेज होती जाए।

साथ ही मैं और इस सभा का कोई भी सदस्य इस बात से बेखबर नहीं है कि कतिपय प्रणालियाँ हैं जिनके माध्यम से हम इस समय कार्य कर रहे हैं तथा आने वाले कुछ समय तक हमें उसी प्रणाली में कार्य करना है। अत: हम कितने ही उतावले हो जाएँ, हम कितने ही नाराज हो जाए, मैं आपकी एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर वक्तव्य से यह धारणा बनी है, कि श्री कुमारमंगलम् मेरे पास या किसी अन्य के पास आए थे और हम उन्हें संतुष्ट नही कर सके, तो मैं यही कह सकता हूँ, कि वह मेरे पास आए थे और मैंने यह प्रयास किया था लेकिन वह जितने गुस्से से आए थे उससे भी अधिक गुस्से के साथ लौट गए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्योंकि वह एक श्रमिक संघ के नेता हैं।

**श्री अर्जुन सिंह** : यह ठीक है। लेकिन मेरे विचार से उन्होंने इस पर एतराज किया है, लेकिन मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी मंशा कभी नहीं थी। लेकिन तथ्य यही है कि उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था जो मेरे विचार से ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर हम टिप्पणी कर सकते हैं।

इस मामले में बात यह है कि वेतन आयोग के नियुक्त होने से पहले इस मामले को लिया गया था और यद्यपि मैं यह कहना नहीं चाहूँगा, यह एक स्पष्ट वक्तव्य है लेकिन मेरे पास जो जानकारी है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वेतन आयोग का हवाला दिया गया था जिसकी जानकारी श्रम संघ के लोगों तथा सेवाओं को थी। फिर भी वेतन आयोग ने संपूर्ण केन्द्रीय सरकार की सेवाओं पर ध्यान दिया है और इसका प्रतिवेदन आ चुका है।

सभी वेतन आयोगों के प्रतिवेदनों में सदैव कुछ समस्याएँ पैदा होती हैं। यह पहली दफा नहीं हुआ है। आप किसी भी वेतन आयोग के प्रतिवेदन को देखें, तो वेतन आयोग के प्रतिवेदन के आने के बाद समस्याएँ खड़ी होती रही हैं क्योंकि यह सापेक्षता का प्रश्न है, यह कई अन्य समानताओं का प्रश्न है और यह सब बातें होती हैं और स्वभावत: कुछ लोग महसूस करते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं किया गया है और वे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के आने के तुरन्त बाद संघर्ष शुरू कर देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह समझकर चलता है कि एक बार वेतन आयोग का प्रतिवेदन आ जाता है तो कम से कम अगला वेतन आयोग नियुक्त होने तक कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस मामले में भी कनिष्ठ अभियन्ताओं ने महसूस किया कि जो वेतन आयोग ने जो उनके लिए कहा, वह उनके प्रति उचित नहीं है। वेतन आयोग ने भी जहाँ तक इन लोगों का संबंध है अपनी सिफारिशें अन्तिम रूप से नहीं की हैं। उनका मामला विशेष रूप से विचार करने योग्य बताते हुए तथा अपनी इसमें असमर्थता व्यक्त करते हुए, वेतन आयोग ने कार्य मूल्याँकन के किसी आधार का सुझाव दिया है। अब, जैसा कि रिकार्डों से पता चलता है, मेरे विचार से वेतन आयोग की इस टिप्पणी का असर यह हुआ था कि प्रथम खोसला आयोग नियुक्त किया गया था। मैं यह भी नहीं कह सकता कि आप इससे सहमत हैं अथवा नहीं, लेकिन कम से कम मौन स्वीकृति अवश्य थी, अगर सहमति नहीं। अगर मौन स्वीकृति थी तथा श्रीमती खोसला के त्यागपत्र देने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना न हुई होती तो, मेरे विचार से, यह समस्या उत्पन्न न हुई होती क्योंकि यथासमय पर उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया होता और उस प्रतिवेदन पर, अच्छे या बुरे के लिए जो भी होता, विचार किया जाता तथा कार्रवाई की जाती। उन्होंने क्यों त्यागपत्र दिया और उसके पीछे क्या कारण थे मैं उनमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा वास्ता उससे नहीं है। उनके त्यागपत्र से यह संदेह उत्पन्न हुआ था कि शायद सरकार इस मामले के साथ खिलवाड़ करना चाहती है तथा इस मामले पर निर्णय नहीं लेना चाहती है। जैसी बात चल रही है, ऐसी स्थिति में, कतिपय परिस्थितियों में शायद ऐसा संदेह करना न्यायोचित है, कतिपय परिस्थितियों में यह बिल्कुल ही उचित नहीं होगा। परन्तु मैं इसे यहीं पर छोड़ता हूँ। मैं कहूँगा कि अगर कार्य मूल्याँकन के लिए समिति बनाने की बात को सिद्धांत रूप से स्वीकार किया अथवा मौन

स्वीकृति प्रदान की थी तो वेतन आयोग द्वारा यह टिप्पणी करने के बाद, मेरे विचार से, समिति नियुक्त करने के सिद्धांत पर ऐसी स्थिति में एतराज नहीं करना चाहिए था। हमेशा ध्यान में रखने वाली बात यह होती है कि निर्णय को टालने के लिए समिति को बहाना नहीं बनाना चाहिए। मैं इस बात से इन्कार नहीं करूँगा कि कतिपय परिस्थितियों में समिति की नियुक्ति स्थिति को टालने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है और उस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति सहमत भी होता है कि ऐसा किया जाना चाहिए क्योंकि कतिपय स्थितियों में यह आवश्यक होता है कि वर्तमान स्थिति को ठीक किया जाए और उसके बाद उस पर दुबारा से विचार किया जाए। मेरे विचार से मैं इस बात को पूर्णतया रद्द करना चाहूँगा कि श्री अग्रवाल की अध्यक्षता में जो दूर संचार सचिव थे, नियुक्ति की गई कार्य मूल्यांकन समिति एक ऐसी समिति नहीं थी जिसे केवल मामले को टालने अथवा लटकाने के लिए गठित किया गया हो। मैं समिति से निवेदन करूँगा, मैं सभा को सूचित करना चाहूँगा—कि वह अपनी सिफारिशें अपना कार्य शुरू करने के एक माह के अन्दर दे दें और 10 दिसम्बर, 1986 तक निश्चित रूप से दे दें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने पहले ही आश्वासन दिया है कि यह 10 दिसम्बर से पहले आ जाएगा।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़)** : श्रीमती खोसला को, जिन्होंने एक समिति के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया गया था, इस नयी समिति में एक सदस्य के रूप में फिर से कैसे ले लिया गया है? उस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं?

BHEEMSEN KHEER COLLEGE Call No..... Book No..... Date..... 26926

**श्री अर्जुनसिंह** : हमें दूसरी बार प्रयास करना चाहिए। मूल्याँकन का प्रश्न और यह कैसा किया जाए यह मुद्दा भी उठाया गया था। भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर द्वारा पहले से ही किये गए मूल्यांकन का जिक्र किया गया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह समिति आई.आई.एम. द्वारा पहले से किए गए मूल्यांकन पर भी विचार करेगी और उस मूल्याँकन में जो सिफारिशें हैं, वे उन पर भी विचार करेंगे और यह देखने का भी प्रयास करेंगे कि उनकी सिफारिशों के लिए उसको कहां तक उपयोग में लाया जा सकता है। उसको छोड़कर और भी परामर्शदाता होंगे, मेरा मतलब जाने-पहचाने परामर्शदाता। मैं समिति के लिए निर्णय नहीं ले सकता, इसलिए मैं इसमें जाना नहीं चाहता किन्तु इस सम्बन्ध में मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ।

जो दूसरा मामला माननीय श्री गुप्त द्वारा उठाया गया था वह यह था कि वेतनमानों से सम्बन्धित ये सिफारिशें किस तारीख से प्रभावित होंगी। इस मामले में माननीय वित्त मंत्री से मेरी बातचीत हुई थी और सदन को यह सूचना देते हुए मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री सहमत हो गए हैं कि इनको 1.1.1986 पूर्णमासी तारीख से लागू किया जाएगा।

26926

अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अपने अधिकार जताने का प्रश्न, विशेषकर मजदूर संघ आंदोलन में स्पष्ट है और यह वह एक अधिकार जिसे कभी चुनौती नहीं दी जा सकती और कभी दी भी नहीं जानी चाहिए। भारतीय मजदूर आंदोलन का एक बहुत उल्लेखनीय इतिहास है और इस देश के विकास के लिए, इस देश के मजदूर आंदोलन और श्रम शक्ति ने एक विशेष भूमिका अदा की है और यह भूमिका अदा करते रहेंगे। यह हमारा पक्का विश्वास है। इसके साथ-साथ यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जैसा कि माननीय श्री गुप्त ने कहा है, अब इसके कार्यान्वयन के लिए एक रास्ता ढूँढना है। यह सब कुछ छोड़ दिया गया है। इस समय मैं मजदूर संघ आंदोलन के नेताओं और विशेषकर इन कनिष्ठ अभियन्ताओं के संघों को अनुरोध करता हूँ कि अब उनका सम्बन्ध निश्चित तौर पर उनके उचित अधिकार से है और उसका हम आदर करते हैं और हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि जहाँ तक संभव हो सके उनके हितों को पूरा किया जाए तथा उनकी रक्षा की जाए। इसके साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि वे इस बात पर विचार करें कि जिस क्षेत्र में वे कार्यरत हैं, वह ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसका सम्बन्ध देश



26926

के किसी एक भाग से हो, लोगों के एक वर्ग से हो और कुछ ऐसे हितों से हो जिनकी, अगर यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं चल रहा है तो कुछ समय के लिए, अवहेलना की जा सकती हो।

सदन इस बात से सहमत होगा कि दूर संचार के माध्यम एक देश की ताकत नसें और नाड़ियाँ हैं और मैं नहीं सोचता कि इसको किसी भी तरह उचित ठहराया जा सकता है कि उनको अपनी किसी ऐसी बात को मनवाने के लिए या हित की पूर्ति हेतु ठप्प किया जाए, जो अपने आप में न्यायोचित ठहराया जा सके। अब वह स्थिति आ गई है जिसके और आगे बढ़ने से देश की वह ताकत, नसें व धमनियाँ निश्चित तौर पर ठप्प हो जाएँगी और सदन इस बात से सहमत होगा कि ऐसी स्थिति को होने से रोका जाए और मुझे पक्का विश्वास है कि जिस भावना से मै अनुरोध कर रहा हूँ उसी तरह इसे सुना जाएगा और अनुकूल कार्यवाही की जाएगी। किन्तु सरकार की बहुत अधिक जिम्मेवारी भी है, क्योंकि दूर संचार के माध्यम, जैसाकि मैंने कहा है, व्यावहारिक रूप से हमारी सुरक्षा और प्रत्येक राष्ट्रीय पहलू को प्रभावित करते हैं। इस मामले में हम स्थिति को डाँवाडोल होने की अनुमति नहीं दे सकते। अगर राष्ट्रीय हित ऐसी माँग करते हैं तो हमारे पास ई.एस.एम.ए. लागू करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं होगा। और मैं ई.एस.एम.ए. को एक समाधान नहीं समझता। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि इस देश के मजदूर आंदोलन को इसका सामना करना पड़े। किन्तु इसके साथ-साथ मैं अपने कर्तव्य में असफल रहूँगा अगर मैं सदन को इस बात का स्मरण नहीं कराता कि कुछ हालातों में जब राष्ट्रीय हित में इसकी आवश्यकता होगी तो उस समय इसे लागू करने के सिवाय और कोई भी चारा नहीं होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी और जिस तरह इस मामले को सभी माननीय सदस्यों द्वारा इस सदन में उठाया गया है उससे उन लोगों को समझौता करने में सहायता मिलेगी जो अपने उद्देश्यों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

अब यह एक महीने का ही प्रश्न है। मैं नहीं सोचता कि अगर एक महीने के पश्चात् वे यह महसूस करते हैं कि जो वे चाहते हैं वह उन्हें कुछ हद तक मिल गया है, तो इससे कुछ अनर्थ नहीं हो जाएगा। जब तक हम ऐसे अवसरों के लिए तैयार नहीं होते तो मैं नहीं सोचता कि हम इस देश के या मजदूर आन्दोलन के हितों को पूरा कर रहे हैं। मुझे बस यही कहना है।

(लोकसभा कार्रवाई /7 नवम्बर 1986, पृष्ठ 221 से 243)

गरीबी को दूर करना और एक सशक्त, आधुनिक, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र अर्थ व्यवस्था तैयार करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। हमें कार्य कुशलता और उत्पादकता को बढ़ाना होगा।

— अर्जुन सिंह,
*31 मार्च 1987*

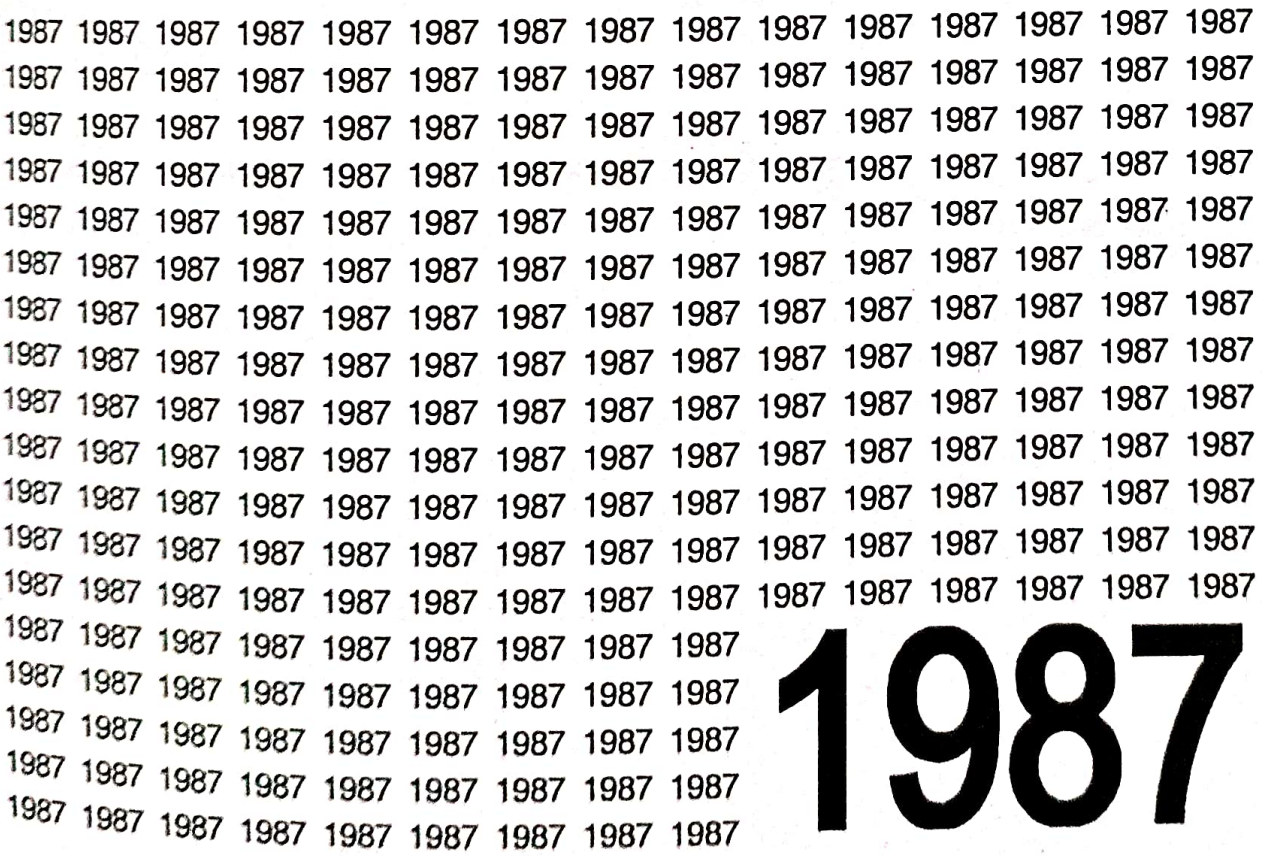

1987

# 1987

*माननीय राष्ट्रपति ने 23 फरवरी 1987 को संसद की दोनों सभाओं के समक्ष अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। उस पर 25 फरवरी 1987 को श्री जगन्नाथ कौशल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।*

*लोकसभा में जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी तो अमलदत्त और भगवत झा आजाद के बीच नोंक-झोंक हो गई जिसमें बड़ी ही शिष्टता से संचार मंत्री माननीय श्री अर्जुनसिंह ने हस्तक्षेप किया। इस समय माननीय श्रीमती बसब राजेश्वरी पीठासीन थी।*

**सभापति महोदया** : अब सभा, श्री जगन्नाथ कौशल द्वारा 25 फरवरी 1987 को प्रस्तुत तथा श्री भागवत झा आजाद द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी:-

कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

"कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 23 फरवरी, 1987 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है अत्यन्त आभारी है।"

**श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर)** : सभापति महोदया, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। महोदया, राष्ट्रपति का अभिभाषण नीरस किस्म का है जिसमें उन उपलब्धियों का वर्णन किया गया है जिनका श्रेय सरकार लेना चाहती है अथवा सरकार उन उपलब्धियों को अपनी उपलब्धियों के रूप में रख कर लोगों को यह विश्वास दिला दे कि ये उसकी उपलब्धियाँ हैं। कारण स्पष्ट है कि उपलब्धियाँ बहुत कम है, शायद कोई ही हों। वास्तविक उपलब्धियाँ कुछ भी नहीं हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए नकारात्मक पहलू को प्रत्यक्ष रूप से लोगों के समक्ष नहीं लाया जा सकता है।

महोदया, कानून तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों, जिनमें सरकार ने भाग लिया है, इन उपलब्धियों के निर्धारण के लिए एक सापेक्ष आधार दिए बिना, वे सिवाय इस अभिभाषण की एक मात्र वास्तविक लक्षण एक मान्यता है, कुछ विलम्बित, कि आज साम्प्रदायिकता, धार्मिक रूढ़िवाद देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें खुशी है कि अन्ततः सरकार इस बात से भिज्ञ है और सरकार ने इस जानकारी की घोषणा इस अभिभाषण के माध्यम से कर दी है।

परन्तु महोदया, सरकार ने यह बात पहली बार ही स्वीकार नहीं की है कि ऐसा खतरा है। 1968 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था। क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि कितनी बार राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई है? क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि इसमें भाग लेने वाले लोगों ने भाषण देने के अतिरिक्त और क्या किया है? क्या राष्ट्रीय एकता परिषद ने कोई वास्तविक कार्यक्रम शुरू किया है? क्या किसी ऐसे कार्यक्रम के अनुसार कुछ किया गया है? इस अभिभाषण में इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। यदि कुछ किया गया है तो उसे राष्ट्र से एक गोपनीय रहस्य की तरह रखा गया है।

धार्मिक रूढ़िवाद तथा साम्प्रदायिकता, 'जिन्हें घृणास्पद ताकतें' 'एक गहरी व्याधि' कहा गया है, उनके विरुद्ध सरकार कार्रवाई करना चाहती है तथा एक राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता करना चाहती है।

दूसरे पैराग्राफ में एक अन्य बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि देश को साम्प्रदायिकता तथा अलगाववाद का सामना करना होगा। अलगाववाद का जिक्र अलग से किया गया है क्योंकि धार्मिक रूढ़िवाद की अपेक्षा अन्य ताकतें हैं जो देश का विभाजन करने की कोशिश कर रही हैं। और हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में ऐसी ताकतें उभर रही हैं जो विखंडतावादी ताकतों की गतिविधियों के माध्यम से अपने आन्दोलन को गोरखालैण्ड आन्दोलन कहते हैं। बड़े दु:ख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम गत दिनों में इस सभा में इस प्रश्न को कई बार उठा चुके हैं। उस समय जबकि यह आन्दोलन पनप रहा था और इसने जोर पकड़ना शुरू किया था, हमने सरकार से और प्रधान मन्त्री से इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से पूछा था कि उनका इस आन्दोलन के बारे में क्या विचार है। दुर्भाग्यवश इस सम्बन्ध में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। केवल इतना ही किया गया है कि इस आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के साथ बातचीत करके केन्द्र द्वारा इस आन्दोलन की वैधता स्वीकार की गई है। और संभवत: निकट भविष्य में, जैसा कि उस आन्दोलन के नेता श्री घीसिंग घोषणा करते रहे हैं कि 1987 तक वह गौरखालैण्ड प्राप्त कर लेंगे। यह हो सकता है कि केन्द्र सरकार से उन्हें कोई ऐसा आश्वासन प्राप्त हो गया हो कि इसके सम्बन्ध में कोई समझौता हो जाएगा। संभवत: यह समझौता हमारे युवा और गतिशील प्रधान मंत्री का, जो समझौता करने में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं, चौथा अथवा पाँचवा समझौता हो यद्यपि हमें...

**श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर)** : मैं आपके वक्तव्य पर साथ-साथ टिप्पणी करने की अनुमति चाहता हूँ जैसाकि आपने हमारे मामले में करने की चेष्टा की थी। आप असफल रहे थे किन्तु मुझे सफलता मिलेगी...

**संचार मंत्री श्री अर्जुनसिंह** : माननीय सदस्य केवल संसदीय शिष्टतावश ऐसा कर रहे हैं, जिसका पालन आपने नहीं किया किन्तु वह कर रहे हैं। आपको इस पर क्यों आपत्ति है?

**श्री अमल दत्त** : उन्होंने ऐसा करने को मुझ से नहीं कहा। वह केवल इस बात की अनुमति चाह रहे हैं कि वह जब चाहे बीच में हस्तक्षेप कर सकेंगे।

**सभापति महोदया:** आप अपना समय क्यों बरबाद कर रहे हैं? आप मान गए हैं और उन्होंने हस्तक्षेप किया है तथा मुझसे वह कहा जो कुछ वह कहना चाहते थे। कृपया आप अपना भाषण जारी रखिए।

**श्री अमल दत्त** : आपने मुझे जो चेतावनी दी, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

**सभापति महोदया** : बोलने से पहले अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

**श्री अमल दत्त** : राष्ट्रपति के अभिभाषण में गोरखालैण्ड आन्दोलन का कोई उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख होना चाहिए था, क्योंकि आज यह सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है और यह सबसे बड़ा, संभवत: निकट भविष्य में पंजाब से भी कहीं अधिक बड़ा खतरा हो सकता है। इस वर्ष अथवा आगामी वर्ष में यह भारत की सबसे बड़ी समस्या होगी। सरकार अभी भी इस पर ध्यान नहीं दे पाई है... (व्यवधान)

**प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी** : क्या कृपया मानेंगे? एक छोटा सा स्पष्टीकरण है? माननीय सदस्य ने 'हाल के भविष्य' का उल्लेख किया है। मुझे समझ में नहीं आया कि 'हाल के भविष्य' से क्या तात्पर्य है?

**श्री अमल दत्त** : कृपा करके मेरी अंग्रेजी की गलती पकड़ने की चेष्टा मत कीजिए। हम अंग्रेज नहीं है...(व्यवधान)

**श्री राजीव गांधी** : महोदया, हाल के भविष्य शब्द से मैं थोड़ा भ्रम में पड़ गया था, क्योंकि हाल ही में

तो भूत होता है और भविष्य तो भविष्य होता है। अत: हाल ही का भविष्य क्या है?

**श्री अमल दत्त** : मुझे पता है कि कभी-कभी मैं गलती कर जाता हूँ किन्तु कभी मैं सुधार लेता हूँ जिसकी ओर संभवत: आपने ध्यान न दिया हो। दुर्भाग्यवश गलती निकालने की इच्छा आपकी उस समय हुई जब वह दुरुस्त हो चुकी है, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया।

(लोकसभा कार्रवाई /2 मार्च 1987, पृष्ठ 221 से 228)

*'दूर संचार सेवाओं की कारगरता और कुशलता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में वक्तव्य' पर 31 मार्च को श्री अर्जुन सिंह ने लोकसभा में बयान दिया।*

*इस समय माननीय अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ सदन की कार्रवाई का संचालन कर रहे थे।*

*संचार मंत्री के रूप में श्री अर्जुन सिंह का कार्य अनेक मामलों में अद्वितीय रहा। संचार मंत्री के रूप में उन्होंने दूरसंचार विभाग की कार्य कुशलता बढ़ाने का भरसक प्रयास किया। उनका यह मानना रहा है कि संचार माध्यमों का उपयोग गरीबी दूर करने और देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में किया जा सकता है। वे समस्या का संतोषप्रद समाधान निकालने में निपुण हैं। उनकी यह योग्यता उनके संचार मंत्री के कार्यकाल में अनेकों बार साबित हुई है।*

**संचार मंत्री श्री अर्जुनसिंह** : माननीय सदस्यों को याद होगा कि प्रधान मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि "गरीबी को दूर करना, और एक सशक्त, आधुनिक, आत्म-निर्भर और स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था" को तैयार करना हमारा प्रमुख उदेद्श्य है। उन्होंने आगे कहा था कि कार्य कुशलता और उत्पादकता को बढ़ाना होगा।

मुझे विश्वास है कि दूरसंचार विभाग का प्रभावशाली और सक्षम संचार सेवाओं के माध्यम से इन उद्देश्यों की पूर्ति करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान है।

दूरसंचार विभाग ने अपनी सेवाओं की प्रभावकारिता और कार्यकुशलता में लाने के लिए योजनाएँ तैयार की हैं और इस दिशा में विभाग काफी पश्रिम कर रहा है। इस संबंध में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग और समर्पण की भावना का होना जरूरी है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि कुछ समय पूर्व दूरसंचार विभाग में वेतनमान आदि और चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर असंतोष से अनेकानेक आन्दोलन किए गए। अक्तूबर/नवम्बर, 1986 में विशेष रूप से दूरसंचार के जूनियर इंजीनियरों द्वारा किए गए आंदोलन के कारण सेवाओं में काफी गड़बड़ी रही। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इस मामले का संतोषप्रद ढंग से समाधान हो गया है। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कर्मचारीगण, अपनी ओर से सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, एक विस्तृत कार्रवाई योजना के साथ आगे आए हैं। जूनियर इंजीनियरों ने आश्वासन दिया है कि वे प्रतिमाह प्रति सौ टेलीफोनों की वर्तमान 35 दोषों की दर को, दिसम्बर, 1987 तक, 20 तक ले आने के लिए विशेष कदम उठाएँगे और 1990 तक, दोषों की इस दर को प्रतिमाह प्रति 100 टेलीफोनों पर 5 तक ले आएँगे। उन्होंने स्थानीय कॉल और एस.टी.डी. कॉल लगने की देरी और ट्रंक कुशलता में सुधार लाने का भी बीड़ा उठाया है उनके द्वारा प्रस्तावित कुछ लक्ष्य उससे अधिक हैं जो हम 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते थे।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ एक समष्टि भावना पैदा करने का उत्तरदायित्व लिया है।

इसमें न केवल जूनियर इंजीनियरों का ही सहयोग प्राप्त है बल्कि अन्य सभी कर्मचारियों और मजदूर संघों ने भी सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के हमारे प्रयासों को अपना समर्थन और सहयोग दिया है। मैंने दूर संचार की तीन स्टाफ यूनियनों के महासचिवों से विचार-विमर्श किया है। उन सभी ने एकमत होकर मुझे आश्वासन दिया है कि वे दूर संचार सेवाओं में सुधार के लिए कार्य करेंगे। इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, हमने प्रारम्भिक स्तर से ही अधिकारियों और कर्मचारियों के गुणवत्ता मंडलों का गठन किया है। इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है। हम सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं और शिकायतों पर ध्यान दे रहे हैं और इन्हें मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटाने की सोचते हैं।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि हमने हाल ही में दूरसंचार मिशन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में हमने 31 कार्य-बलों का गठन किया है। प्रत्येक कार्यबल में 6 से 8 व्यक्ति है। इनमें कुछ सरकारी हैं और कुछ गैर-सरकारी। ये लोग उपभोक्ता क्रिया-कलापों सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है। इनमें मजदूर संघ के नेता, प्रबंध विशेषज्ञ, व्यापारी, उद्योगपति आदि भी शामिल हैं। हमने इन कार्यबलों से अनुरोध किया है कि वे सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने क्षेत्रों में कार्रवाई योजना तैयार करें। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अप्रैल, 1987 के मध्य तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दें।

उपभोक्ताओं की सेवा के प्रति बेहतर संतुष्टि प्रदान करने के लिए इन कार्यबलों द्वारा तैयार की गई कार्रवाई योजनाओं का तुरन्त अनुपालन करने का हमारा इरादा है।

कुछ राज्य सरकारों ने, प्रमुख शहरों और कस्बों में उनके द्वारा स्थापित नए औद्योगिक क्षेत्रों और टाउनशिपों को शीघ्र दूर संचार सेवाओं की व्यवस्था करने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। मैंने मुख्यमंत्रियों के साथ आवश्यक कार्रवाई के बारे में विचार विमर्श शुरू कर दिया है। हमारा प्रयास यह रहेगा कि हम इन आवश्यकताओं को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर दें।

प्रधान मंत्री ने "बेहतर संचार" का जो कार्य हमें सौंपा है उसे विभाग में सभी स्तरों पर समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जाएगा। मैं इस बारे में हुई प्रगति की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करूँगा।

(लोकसभा कार्रवाई /31 मार्च 1987, पृष्ठ 199 से 200)

*श्री सोमनाथ चटर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री बलराम जाखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस समय सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष माननीय श्री एम. ताम्बिदुराई ने की। माननीय श्री अर्जुन सिंह ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। प्रो. मधु दण्डवते अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय का आधार बनाकर चर्चा कर रहे थे किन्तु उपाध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को समझाया कि अध्यक्ष के निर्णय पर चर्चा नहीं की जा सकती। अध्यक्ष की निष्पक्षता तथा इसी प्रकार की अन्य बातों की चर्चा अविश्वास प्रस्ताव में उठाई जा सकती है। उन्होंने चर्चा में राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को शामिल नहीं करने का निर्णय दिया। इस संबंध में कुछ उदाहरण दिए गए। श्री अर्जुन सिंह ने विपक्षी सदस्यों के सभी आरोपों का प्रतिकार किया और कहा कि अध्यक्ष ने सभी अधिकारों का प्रयोग सही परिप्रेक्ष्य में किया है। उन्होंने प्रो. मधु दण्डवते से कई प्रश्न किए और उस समय की याद दिलाई जब माननीय श्रीमती इंदिरा गाँधी विपक्ष में थीं। उन्होंने पूछा क्या उस समय सदन के अधिकारों व सदस्यों के अधिकारों का कोई महत्त्व नहीं था?*

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा विशेषाधिकार तथा स्थगन प्रस्तावों के प्रश्न पर 19 मार्च, 1987 को सभा में दिए गए विनिर्णय

सहित सभा के अध्यक्ष के विनिर्णयों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस करती है कि सदस्यों को महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा प्रक्रियागत प्रश्न तथा ज्वलन्त समस्याएँ उठाने के अधिकार से वंचित करके अध्यक्ष ने सभा के सभी वर्गों का विश्वास खो दिया है और इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें उनके पद से हटाया जाए।''

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्योंकि सदन में चर्चा के लिए दो घण्टे का समय निर्धारित किया गया है, संकल्प प्रस्तुत करने वाला सदस्य 15 मिनट का समय ले सकता है।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम उसे देखेंगे। हम हर बात बता रहे हैं। कभी-कभी 10 मिनट का समय अधिक ले लिया जाता है और हम उसके लिए आपत्ति कर रहे हैं। उस समय हम उनका समय बढ़ा देते हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : दो घण्टे का समय किसने निर्धारित किया है?

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं बता रहा हूँ। संकल्प लाने वाला 15 मिनट का समय ले सकता है और अन्य प्रत्येक सदस्य 10 मिनट से अधिक समय नहीं ले सकते।

**श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर)** : आप समय की पाबन्दी क्यों लगाते हैं? वर्ष 1954 में जब तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव सदन में लाया गया था, तो उसके लिए कितना समय निर्धारित किया गया था?

**उपाध्यक्ष महोदय** : दो घण्टे।

**श्री एस. जयपाल रेड्डी** : उसमें 2 घण्टे से अधिक समय लगा था।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : असहमति की स्वतन्त्रता और वाद-विवाद की स्वतन्त्रता, संसदीय लोकतन्त्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। मेरे विचार से सदन बहुत ही उपयुक्त स्थान है जहाँ पर वाद-विवाद के द्वारा असहमति व्यक्त की जा सकती है। लेकिन यदि एक बार सदन की पहुँच पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है अथवा उसको बन्द किया जाता है, तो सम्पूर्ण प्रणाली का सर्वनाश यदि नहीं होता तो घुटन उसका प्रत्यक्ष परिणाम होगा।...(व्यवधान) हम, विपक्ष में होते हुए भी, मुझे यकीन है कि हमारा माननीय अध्यक्ष के सम्माननीय कार्यालय के लिए आदर किसी से कम नहीं है। उनको न केवल इस सदन का (व्यवधान) सम्मान बनाए रखने में बल्कि हमारे संवैधानिक ढाँचे में जो महत्वपूर्ण पद उन्होंने ग्रहण किया है उसकी रक्षा करने में, उसको मजबूत बनाने में और उसको महान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। संसद केवल सत्ता पार्टी अथवा सत्ताधारी सदस्यों की सम्पति नहीं है। विपक्ष संसदीय लोकतन्त्र में सम्पूर्ण प्रणाली का अभिन्न अंग है... (व्यवधान) महोदय क्या मैं थोड़ा धैर्य रख सकता हूँ? मेरा आपसे हार्दिक अनुरोध है कि कृपया आप मुझे फाड़ डालिए और अपने उत्तर में मेरे निवेदन को 'फाड़ डालिए...(व्यवधान)

**प्रो. मधु दण्डवते** : किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाद-विवाद का यह कोई तरीका नहीं है... किसी अन्य को भी बोलना होता है...

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : संसदीय लोकतन्त्र में, किसी जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार देश के लोगों का अनन्य अधिकार है और लोगों द्वारा इसका मूलतः उपयोग संसद में उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। संवैधानिक कार्यों की जवाबदेही हमारे संसदीय ढाँचे की मुख्य-विशेषता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं चाहता कि जब एक सदस्य बोल रहा हो तो अन्य सदस्य उसमें बाधा उत्पन्न करें। इसलिए मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि जब एक सदस्य बोल रहा है तो कृपया शांत रहिए...। (व्यवधान)...मुझे आशा है कि आप मेरा अनुरोध मानेंगे... (व्यवधान)...सभी माननीय सदस्य हैं। मैं केवल उनसे अनुरोध कर सकता हूँ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मुझे यह सोच लेना चाहिए था कि यह एक ऐसा मामला था जिसे तरफदारी के आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए था। विपक्ष इसके बारे में इतना दृढ़ता से क्यों सोचता है, कृपया सुनिए और उत्तर दीजिए...(व्यवधान)। यही लोकतान्त्रिक व्यवस्था का आधार है।

जैसाकि मैं कह रहा था, क्या कोई इस बात पर विवाद कर सकता है कि ऐसे में जबकि हमारा एक लिखित संविधान है, संवैधानिक पदाधिकारियों की जवाबदेही ही हमारे देश की शासन व्यवस्था की आत्मा है। तो फिर यह शोर शराबा क्यों जारी है? जवाबदेही का अर्थ है जिम्मेदारी और इन पदाधिकारियों पर जिम्मेदारी भारत के संविधान जैसे महत्वपूर्ण प्रलेख द्वारा लागू की जाती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संसद को यह अधिकार है कि वह यह देखे कि देश में संवैधानिक पदाधिकारी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों और दायित्वों को निभाते हैं, या नहीं।

जब हम संसद में यह पाते है कि जिम्मेदारियों को निभाया नहीं जा रहा है और सरकार द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है, तो हमारे पास इसके सिवा और चारा ही क्या रह जाता है कि हम उनका पर्दाफाश करें और उन सभी बातों का पर्दाफाश करें जिन्हें इस देश की जनता को अवश्य जानना चाहिए।

महोदय, हमने पाया है कि इस मामले में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने नहीं दिया जा रहा है और ऐसे में जो भी हो, हमें किसी भी सम्भव और कानूनी तरीके से इस भूमिका को निभाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यह भी एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं और अपने आक्रोश और दुःख को व्यक्त कर सकते हैं। सरकार आएगी और चली जाएगी और प्रधान मन्त्री भी बदल जाएगा। प्रत्येक दिन वे मन्त्रियों का फेरबदल करते रहते हैं...(व्यवधान)... किन्तु यह संसद बनी रहेगी और इसे बने रहना है।

महोदय, हमारे कार्यों के निर्वाह के मामले में माननीय अध्यक्ष हमें हर रोज कार्य के नियमों और इस बात का स्मरण कराते हैं कि हम नियमों के निर्माता हैं। इसलिए अध्यक्ष द्वारा किए गए निर्वचन के अनुसार हम चर्चा करने के योग्य है, या चर्चा करने के योग्य नहीं हैं, यह निश्चय करना नियमों के निर्माताओं पर नहीं छोड़ा गया है, बल्कि इसका निश्चय भी अध्यक्ष महोदय ही कर रहे हैं। किन्तु मैं पूरी विनम्रता के साथ यह जानना चाहूँगा कि क्या नियम इसलिए हैं अथवा उनका यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि वे चर्चा को दबा देने के लिए हैं अथवा इस देश में संवैधानिक असमान्यता के पर्दाफाश को रोकने अथवा उस पर पर्दा डालने के लिए हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि नियमों के निर्वचन के मामले में अध्यक्षपीठ की भूमिका क्या है? क्या उस पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए अथवा चर्चा को रोक देना चाहिए? क्या घटनाएँ नियमों द्वारा नियन्त्रित होनी चाहिए अथवा नियमों के पैदा होने वाली स्थिति के अनुसार स्वयं को अनुकूल बनाते हुए घटनाओं का अनुसरण करना चाहिए?

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस देश में किसी को भी नियमों को लागू करने और नियमों का विशेष रूप से निर्वचन करने के नाम पर संविधान और कानूनों से ऊपर और भारतीय संसद की पहुँच से बाहर माना जा सकता है? दुर्भाग्यवश यह 19 मार्च के विनिर्णय का सीधा परिणाम है। हाल ही में माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि वे इस मामले में नियमों के अनुसार निर्णय करेंगे। किन्तु मैं कहता हूँ कि निर्णय करो किन्तु इस संसद को सदा के लिए कार्यपालिका की निरंकुशता का दास मत बनाओ। (व्यवधान) हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था में निर्णय सुविदित कारणों और संसद की सही भूमिका के प्रति वचनबद्धता से प्रेरित होकर ही किए जाने चाहिए। आप इस रास्ते को अन्धी और अन्धेरी पगडण्डी मत बनाइए और फिर यह न कहिए कि संविधान से हठ कर जो भी हो रहा है, जो भी कमियाँ हैं....(व्यवधान) महोदय क्या मैं सरल अंग्रेजी का प्रयोग करूँ?

मैं समझता हूँ कि इस बारे में कोई प्रश्न नहीं करेगा कि संविधान कार्य सम्बन्धी नियमों से ऊपर है। इसलिए

नियमों की व्याख्या संविधान की अपेक्षाओं और प्रावधानों के अनुसार ही की जानी चाहिए।

महोदय, जहाँ तक हमारे प्रति वर्तमान सरकार के दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, वह हमें अपरिहार्य व्यस्त व्यक्तियों के रूप में मानती है। संभवत: इसीलिए वह विपक्ष के अनुरोध पर संसद को भी तथ्यों की जानकारी न देने की बजाय तथ्यों को छुपाने के प्रति अधिक तत्पर है।

मैं डॉक्टर अम्बेडकर के इस कथन को उद्धृत करता हूँ:

"राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटेन के संविधान में राजा की है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किन्तु राष्ट्र पर शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है।"

उन्होंने यह भी कहा था:

"लोकतान्त्रिक कार्यपालक को अवश्य ही स्थिर और जिम्मेदार होना चाहिए।"

मुझे आशा है कि यदि मैं पण्डित जवाहरलाल नेहरू के कथन को उद्धृत करूँ तो आप बुरा नहीं मानेंगे। उन्होंने संविधान सभा में कहा था:

"यद्यपि शक्ति वस्तुत: मन्त्री में निहित होती है, न कि राष्ट्रपति में, तथापि हमने यह नहीं चाहा कि राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति के समान नाममात्र का प्रमुख रहे। हमने उसे कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी किन्तु हमने उसके पद को प्रभुत्वपूर्ण और सम्मानजनक बनाया है।"

संविधान के एक अन्य निर्माता श्री के.एम. मुन्शी ने कहा था :

"भारतीय संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति वस्तुत: संविधान की पक्षपातरहित गरिमा का प्रतीक है।"

एक सुविख्यात अंग्रेजी लेखक प्रो. वाडे ने इंग्लैंड में सम्राट की स्थिति के सम्बन्ध में बोलते हुए कहा था कि वह राज्य का मूर्तिमान रूप है।

जहाँ तक इंग्लैंड में सम्राट अथवा महारानी अथवा भारत के राष्ट्रपति का सम्बन्ध है हर कोई इसे स्वीकार करता है—श्री साठे सहित, क्योंकि यह सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र सम्बन्धी विवाद नहीं है—वे भी मुझसे सहमत होंगे।

**गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह :** आप राष्ट्रपति को गैर-सरकारी क्षेत्र में रखना चाहते हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** स्पष्टत: नहीं। मैं उन्हें जनता के बीच रखना चाहता हूँ।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उससे परामर्श लिया जाए, उसे प्रोत्साहन देने और सचेत करने का अधिकार है। महोदय, ब्रिटेन में राजा अथवा भारतीय संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति इस महत्वपूर्ण कार्य को कैसे सम्पन्न करता है? महोदय, ब्रिटेन में परम्पराएँ विकसित हुई हैं क्योंकि वहाँ कोई लिखित संविधान नहीं है, परन्तु हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे केवल परम्पराओं पर नहीं छोड़ा है। उन्होंने भारत के संविधान में विशेष उपबन्ध किया है जिसका जो कि संविधान का अनुच्छेद 78 है, दुर्भाग्य से 19 मार्च को दिए गए विनिर्णय में कोई उल्लेख नहीं है। महोदय, यदि आपकी अनुमति से मैं यह उद्धृत करूँ तो मुझे आशा है कि इसे देश के संविधान का अनुचित रूप से पाठ नहीं माना जाएगा :

अनुच्छेद 78 में कहा गया है:—

"प्रधान मन्त्री का यह कर्त्तव्य होगा कि वह—

(क) संघ के कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं सम्बन्धी मंत्रि-परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें;

(ख) संघ के कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जिस जानकारी को

राष्ट्रपति माँगें, वह दें; और

(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मन्त्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मन्त्रि-परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें।"

महोदय, जहाँ तक अनुच्छेद 78 के उप-अनुच्छेद (क) का सम्बन्ध है, प्रधान मंत्री के लिए इसे एक अनिवार्य अपेक्षा माना गया है कि वह मन्त्रि-परिषद के सभी प्रशासनिक निर्णयों और विधान विषयक प्रस्थापनाओं से राष्ट्रपति को सूचित करे। महोदय, क्या हमें इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए? महोदय, मुझे विश्वास है, श्री साठे और उनके मित्र इसे शुष्क-पत्र के रूप में न मानकर एक जीवंत साधन के रूप में मानेंगे जिसका संविधान निर्माताओं की सही मंशा को प्रभावी बनाने के लिए अर्थ लगाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

महोदय, शमशेर सिंह के मामले में, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने अपने निर्णय में कहा है:

"क्या संविधान के अन्तर्गत इससे राष्ट्रपति एक नाममात्र का अध्यक्ष रह जाता है? वह इससे कहीं अधिक है। इंग्लैंड के सम्राट की तरह उसे परामर्श, प्रोत्साहन और सचेत करने का अधिकार है। मन्त्रि-परिषद की सलाह करने का आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि वह मंत्रालय के प्रथम विचारों को तुरन्त स्वीकार करे। राष्ट्रपति किसी भी प्रस्तावित कार्रवाई पर आपत्ति व्यक्त कर सकता है और यदि आवश्यक हो, तो मंत्रि-परिषद से उस मामले पर, पुनर्विचार करने को कह सकता है। यह केवल अन्तिम उपाय है कि वह उनकी निश्चित सलाह को स्वीकार करे।"

महोदय, पुन: उच्चतम न्यायालय ने कहा है, "राष्ट्रपति केवल एक महिमा और वैभवयुक्त व्यक्ति ही नहीं है। वह राजसत्ता का प्रतिनिधि है, वह सर्वोच्च है हालाँकि केवल सांकेतिक रूप में है और राजनीति से ऊपर उठकर वह जनता और दलों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रखता है।" वास्तव में अनुच्छेद 78 में.....

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री चटर्जी इन सम्बन्धों का अधिक जिक्र न करें क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय दे दिया है। मैंने आरम्भ में ही यह बता दिया है कि वर्तमान स्थिति के अन्तर्गत इसे और न घसीटें। उद्धरण देना बिल्कुल अलग बात है, आप ऐसा कर सकते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु इस मुद्दे को अधिक न खींचें।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** मैं उच्चतम न्यायालय का निर्णय इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि यह इस मामले से सम्बद्ध है:

"राष्ट्रपति राज्य की सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। वह शीर्षस्थ है, हालाँकि सांकेतिक रूप से और उसका राजनीति से ऊपर उठकर जनता और दलों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध है। उसकी सतर्कतापूर्ण उपस्थिति सरकार को दुरुस्त रखती है, यदि वह जैसा बेगहाद ने कहा है, के अनुसार परामर्श, चेतावनी और प्रोत्साहन देने के अधिकार का उपयोग करे।"

वास्तव में अनुच्छेद 78 का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करने से राष्ट्रपति राष्ट्रीय महत्व और महत्वपूर्ण नीति के मामलों पर प्रधान मंत्री के निकट सम्पर्क में रहता है। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

**संचार मन्त्री श्री अर्जुनसिंह :** मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**प्रो. मधु दण्डवते :** केबिनेट मन्त्री व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। क्या सदन में ऐसा कभी हुआ है?

**श्री अर्जुनसिंह :** मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि 19 मार्च को माननीय अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्णय, यदि मैं सही कह रहा हूँ तो, अभी भी वही है। उस निर्णय को निरसित नहीं किया गया है। जब तक वह निर्णय है, उस निर्णय द्वारा जिस पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, उस पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय

ने उस दिन जिसके विरुद्ध निर्णय दिया था, यदि उस पर चर्चा की गई तो मैं कहना चाहूँगा कि अविश्वास प्रस्ताव को इस प्रकार की चर्चा का साधन नहीं बनाया जा सकता है। मैं इस पर आपका निर्णय चाहता हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : निर्णय पर चर्चा नहीं की जा सकती है। आप उनकी निष्पक्षता के बारे में तथा इसी प्रकार की अन्य बातें उठा सकते हैं। चर्चा में राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री को अब न लाएँ। यह मेरा निर्णय है।

(व्यवधान)

**प्रो. मधु दण्डवते** : महोदय, 1954 में जब श्री मावलंकर के विरुद्ध प्रस्ताव आया था तो निर्णय पर चर्चा हुई थी।

**संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री श्री एच.के.एल. भगत** : महोदय, कठिनाई यह है कि प्रात: आपने कहा था कि नियमों, संविधान और सभी प्रकार से प्रस्ताव वास्तव में स्वीकार्य नहीं था। आपने कहा था, निर्णय दिया था कि 1954 के वाद-विवाद में भी ऐसा ही हुआ था। 1954 में उपाध्यक्ष ने भी ऐसा ही कहा था। परन्तु तब तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा था "मैं इस तकनीकी बात में नहीं पड़ना चाहता और चर्चा होने दी जाए।" परन्तु कठिनाई यह है। वे अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते हैं, वे चर्चा को प्रभावित करने के लिए राष्ट्रपति का नाम नहीं ले सकते, वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान) आप चर्चा पर प्रभाव डालने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियों का जिक्र कर रहे हैं।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया मेरी बात सुनें यदि आप 1954 के कार्यवाहन वृत्तांत को देखें तो उस समय भी उपाध्यक्ष ने निर्णय दिया था।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : क्या निर्णय दिया था?

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं बता रहा हूँ। जब अध्यक्ष निर्वाचित होता है, कोई चर्चा नहीं होती है। अत:, यदि आप उनसे सन्तुष्ट नहीं है तो क्योंकि आपने उन्हें चुना है आप उन्हें हटा भी सकते हैं।

(व्यवधान)

**प्रो. मधु दण्डवते** : आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि हम उन्हें हटाना चाहते हैं। क्या हमें सिर्फ यह बात कह कर चुप हो जाना चाहिए कि हम उन्हें हटाना चाहते हैं। क्या हमको यही करना चाहिए। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुख्य बात यह है कि क्या अध्यक्ष ने निष्पक्षता से व्यवहार किया है? यह मुख्य बात है।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : अगर आप, किसी चर्चा के नाम पर इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के विरुद्ध जाते हैं तो मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूँ।

(व्यवधान)

**संचार मंत्री श्री अर्जुनसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध प्रस्ताव में मूल बात के अलावा सब बातें ली गई हैं। इस प्रस्ताव को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया है और इस अविश्वास प्रस्ताव में यह दिखाने की पूरी तरह से यह कोशिश की गई है कि अध्यक्ष ने संसद में होने वाली प्रत्येक बहस में बाधा डालने की और संसद के नियमों को तगेड़ने-मगेड़ने के साथ-साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की है ताकि संसद के पूर्ण प्राधिकार पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है।

मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि वास्तव में अध्यक्ष महोदय ने संसद के कर्त्तव्य और अधिकारों को कठोर और शुष्क रूप में न रखकर सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है परन्तु संसद की विस्तृत स्थिति, राजनीतिक अनिश्चितता तथा उपरोक्त स्थिति को देखते हुए उनकी देश के इस संस्थान को बचाने की कोशिश रही है जिसकी विशिष्ट जिम्मेदारियाँ, विशिष्ट शक्तियाँ रही हैं और उन शक्तियों को निष्पादित करना जटिल कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों से जुड़ी है। अगर अध्यक्ष महोदय ने विपक्ष को इतनी स्वतन्त्रता दे दी होती तो मैं समझता हूँ कि ऐसा करके वह न केवल इस संसद बल्कि इस देश के प्रति अन्याय करते। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें अपने संविधान के विस्तृत नियमों से भली-भाँति परिचित होना चाहिए। मैं कोई संवैधानिक वकील नहीं हूँ। मैं केवल जनता का सेवक हूँ। ऐसा सेवक जिसे अपने देश के लिए तीस साल कार्य करने का अवसर मिला है। और मैं यह कह सकता हूँ कि इस देश का आम आदमी ऐसा अनुभव करता है जैसे संविधान के विस्तृत नियम जनता की सार्वभौम प्रभुसत्ता में प्रकट हो रहे हों।

जब जनता अपनी स्वतन्त्र इच्छा से सरकार चुनती है तो वह अपनी प्रभुसत्ता व्यक्त करती है। और वह सरकार जो संसद में बहुमत में होती है इस देश की जनता के प्रति पूर्ण जिम्मेदार होती है। वह सरकार के काम करने का तरीका इस पर निर्भर करता है कि संसद क्या कहना और करना चाहती है। लेकिन— और यह 'लेकिन' बहुत महत्वपूर्ण है— उपाध्यक्ष महोदय, संसद को जो कुछ भी कहना है वह संसद द्वारा स्वयं बनाए गए नियमों के अनुसार ही कहा जाना चाहिए।

यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि जब विश्वसनीयता और जिम्मेदारी यहाँ है, सारी विश्वसनीयता और जिम्मेदारी सदन के एक पक्ष पर है जबकि सदन का दूसरा पक्ष विश्वसनीयता और जिम्मेदारी से विमुक्त है। इस पर, अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृति नहीं दी और ऐसा होने की अनुमति नहीं दी है, इसीलिए यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है।

प्रो. मधु दण्डवते ने सन् 1641 और 1642 के उदाहरण उद्धृत किए हैं जो चार्ल्स-प्रथम तथा संसद पर आक्रमण करने वाले लोगों के बारे में है। मैं उनकी पुरातनता की बात से पूर्णतया सहमत हूँ लेकिन मात्र इतने से ही बहस नहीं की जा सकती। अध्यक्ष महोदय, एक सदस्य के नाते तो नहीं लेकिन मैं स्वयं इस सदन में इस सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों का साक्षी रहा हूँ जिससे प्रो. मधु दण्डवते सम्बद्ध हैं। मुझे अच्छा लगा होता कि जब श्रीमती इंदिरा गाँधी उस तरफ खड़ी थीं तब अगर प्रो. मधु दण्डवते ने खड़े होकर यह कहा होता कि सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का मनमाने ढंग से उल्लंघन किया जा रहा है। और अन्ततः उन्हें कहना पड़ा कि इसके विचारों के लिए वे चाहें तो उसकी गर्दन तक काट सकते हैं क्योंकि यह शक्ति उनके पास है लेकिन वह जो कहना चाहती हैं वह अवश्य कहेंगी। उस वक्त प्रो. मधु दण्डवते क्या कर रहे थे? उस समय एक सदस्य के अधिकारों अथवा सदन के अधिकारों का कोई महत्व ही नहीं था। उन्होंने अध्यक्ष महोदय के समक्ष कोई मामला नहीं उठाया। कि जो कुछ हो रहा था वह अभूतपूर्व था और वैसा होना नहीं चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके पीछे राजनीतिक प्रेरणा थी और उसके द्वारा कुछ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति की जानी थी, इसीलिए हर चीज को भुला दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके समक्ष एक मुद्दा रखना चाहूँगा। राष्ट्रपति को सलाह देने का प्रश्न और उसकी न्यायालय में ले जाने के मामले को बार-बार उठाया जा रहा है, मानो यह कहा जा रहा है कि हम संविधान में नए प्रावधान बनाने का प्रयत्न कर रहे है, मैं प्रो. मधु दण्डवते और सदन के उस ओर के सभी साथियों को याद दिलाना चाहूँगा कि प्रश्न यह नहीं है कि दी जाने वाली किसी सलाह की जाँच करने से न्यायालय को रोका जा रहा है। प्रश्न यह है कि इसे गुप्त क्यों रखा गया है। इसे गुप्त इसलिए रखा गया ताकि प्रधान मंत्री और मन्त्रि-परिषद की तरफ से कोई निषेध नहीं होगा। अगर सारी प्रक्रिया को गुप्त रखा जाता है तो किसी भी पक्ष पर कोई प्रतिषेध नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, उस स्तर पर, जो प्रधान मन्त्री और राष्ट्रपति का स्तर है, निषेध का अभाव तभी आ सकता है जब पूर्ण गोपनीयता रखी जाए और इस गोपनीयता को बनाए रखने के लिए निषेध का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है।

अब यह सुझाव दिया जा रहा है कि अगर न्यायालय जाँच नहीं कर सकते हैं तो संसद इसकी जाँच कर सकती है। तो फिर गोपनीयता कहाँ रह जाती है? इसी गोपनीयता का यहाँ उल्लंघन हो जाता है जिसका वही परिणाम होगा। अतएव यह अपने आप में एक तर्क मात्र है इसकी कोई दिशा या लक्ष्य नहीं है।

**प्रो. मधु दण्डवते** : अगर अनुच्छेद 74 का उल्लंघन किया जाता है तो क्या आप मुझे इसका हल बता सकते है? (व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र श्री चिदम्बरम ने इस प्रश्न का सटीक उत्तर दिया है।

**श्री पी. चिदम्बरम** : अनुच्छेद 74 का कतई उल्लंघन नहीं होता है।

**श्री अर्जुन सिंह** : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बाइबल के बारे में बात की...(व्यवधान) निश्चय ही मैं उस बाइबल का उद्धरण नहीं देने जा रहा हूँ जो मेरे उपयुक्त है, परन्तु सौभाग्य से यहाँ एक ऐसी बाइबल है जो असली बाइबल है और यह किसी के उपयुक्त है या नहीं यह प्रश्न निरर्थक है क्योंकि यह बाइबल हमारा संविधान है।

संविधान में अत्यन्त स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं और प्रधान मन्त्री द्वारा, उनकी मन्त्रि-परिषद् द्वारा इन दिशानिर्देशों का कभी भी उल्लंघन नहीं किया गया है। इसीलिए जब यह मामला किसी ठोस प्रस्ताव द्वारा न उठाया जाकर प्रधान मन्त्री को उत्तेजित या परेशान करने के लिए उठाया गया तो अध्यक्ष महोदय ने ठीक ही कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे संविधान द्वारा देश की सर्वोच्च संस्था को दिए गए अधिकार—उसकी पावनता का ह्रास होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा यह विश्वास है अध्यक्ष के विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव, धृष्टतापूर्ण कार्य है, विपक्ष, सदन में अपना वास्तविक ठोस कर्त्तव्य निभाने में असफल होने पर अध्यक्ष गरिमा को बीच में घसीटने पर उतर आयी है जिससे उसका पर्दाफाश हो गया है। इसलिए मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने का विरोध करता हूँ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

(लोकसभा कार्रवाई /15 अप्रैल 1987, पृष्ठ 447 से 457 तथा 501 से 516)

लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपसी सहमति तथा बातचीत और शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है ताकि और अधिक धार्मिक उन्मादों को बढ़ावा न मिले। यह अत्यधिक जरूरी है।

अर्जुन सिंह

*9 अगस्त 1991*

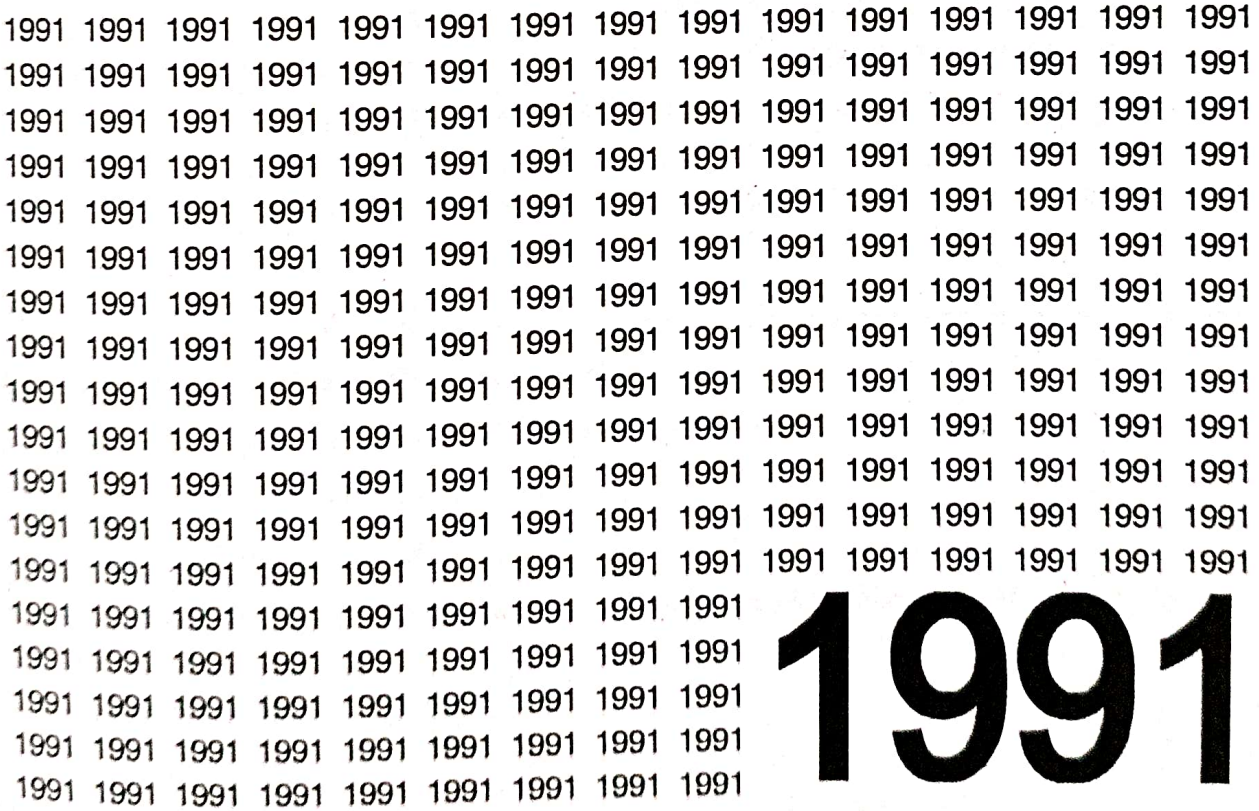

**MR. SPEAKER :** I think there are no Members present who have not yet taken the oath. So, we proceed to the next Business.

We take up the Motions for the Election of Speaker of the Lok Sabha. I call upon Shri Lal Krishna Advani to move the motion standing in this name.

**SHRI LAL. K. ADVANI (Gandhi Nagar):** Sir, I do not propose to move this motion.

**MR. SPEAKER:** Shrimati Sheila Kaul.....

Shri K.R. Narayanan, He is not here, he is absent.

Shri Arjun Singh

**THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH):** Sir, I beg to move:

"That Shri Shivraj V. Patil, a Member of this House, be chosen as the Speaker of this House."

**SHRI P.G. NARAYANAN (Gobichettipalayam):** Sir, I second the motion.

**MR. SPEAKER:** Motion moved:

"That Shri Shivraj V. Patil, a Member of this House, be chosen as the Speaker of this House."

**MR. SPEAKER:** Shri A.R. Antulay has already said that he is not moving. Now Shri B. Shankaranand.

**THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI B. SHANKARANAND):** Sir, I am not moving the motion.

**SHRI LAL K. ADVANI:** You may put the motion that has been moved.

**MR. SPEAKER:** That is not the rule. All the motions have to be moved here and then the voting will take place, if necessary one by one.

**MR. SPEAKER:** Shri Suraj Mandal.

**SHRI SURAJ MANDAL (Godda):** Since there has been meeting of hearts, I do not want to move the motion listed in my name.

**MR. SPEAKER:** Now, only one motion which has been moved by Shri Arjun Singh and seconded by Shri P.G. Narayanan is before the House for consideration, and I am putting this motion to the vote of the House.

The Question is:

""That Shri Shivraj V. Patil, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House."

*The motion was adopted.*

**MR. SPEAKER:** The motion is adopted.

I declare that Shri Shivraj V. Patil has been chosen as the Speaker of this House. I have great pleasure in inviting him to occupy the Chair.

*(Shri Shivraj V. Patil was conducted to the Chair by the Leader of the House, Shri Arjun Singh, and the Leader of the Opposition, Shri Lal K. Advani)*

**MR. SPEAKER:** I have a list of Members to speak. I would request the Prime Minister to speak now.

**THE PRIME MINISTER (SHRI P.V. NARASIMHA RAO):** Mr. Speaker, Sir, I congratulate you on behalf of my Party and on my own behalf on your being unanimously elected Speaker of this House.

Responsibility of this nature you have shouldered in the past and with great distinction. We know that you were Speaker of one of largest Legislative Assemblies in India, the Maharashtra Legislative Assembly. You had shown your mettle in the past and had handled varied and difficult situations. Your experience will greatly help not only the conduct of this House, but all of us in functioning in the manner expected of us.

We are meeting at a time when the country is facing a difficult situation on various fronts. We must work with urgency, the urgency which the criticality of the situation demands, and work collectively and in a determined manner to face the challenges that the nation is confronted with. In particular, in this House the people expect us to work with devotion, work with singleminded purposefulness and also work with certain dignity. We have to place before ourselves all these expectations of the people, and I am sure, Mr. Speaker, Sir, that under your able guidance we will be able to conduct the business of this House as well as conduct ourselves as the people expect us to.

I wish you great success in your Speakership in the years to come, and great success in the conduct of the business of the House to usher in a new era of cooperation coupled with vigilance. This is what I would like to say and this is what under your guidance I am sure we will be able to do.

May I congratulate you once again, Sir,

**SHRI LAL K. ADVANI (Gandhi Nagar):** Mr. Speaker, Sir, I would like to heartily greet you and congratulate you on behalf of my party and on my own behalf. I am glad that you have been elected to this office.

**Mr. Speaker :** You, the Honourable Members, have done a great honour to me. This House has elevated me to the important position of the Speaker, I express my deep and heartfelt gratitude to all the Honourable Members and specially to the Honourable Prime Minister, to the Honourable Leader of the Opposition and the Honourable Leaders of all other Parties. I would like to thank the speakers for using very warm expressions while speaking about me and giving me an assurance that-cooperation

will be forthcoming from them. It is only with your affection and with your cooperation the House can work successfully. I pray the Almighty for the strength to do my duty in the best possible manner.

**MR. SPEAKER:** I have great pleasure in introducing to this House the Hon'ble Prime Minister, Shri P.V. Narasimha Rao. He is known to all of us. We extend to him our good wishes and godspeed in this task.

Also. I have pleasure in introducing to this House Shri Arjun Singh as the Leader of the House.

Hon. Prime Minister may now introduce his Council of Ministers.

**THE PRIME MINISTER (Shri P.V. Narasimha Rao) :** Sir, Shri Arjun Singh is the Minister of Human Resource Development.

After Arjun Singhji, I introduce the other Cabinet Ministers:

| | |
|---|---|
| Shri B. Shankaranand. | Minister of Petroleum and Natural Gas |
| Shri Madhavsingh Solanki | Minister of External Affairs |
| Shri Manmohan Singh | Minister of Finance |
| Shri S.B. Chavan | Minister of Home Affairs |
| Shri Sharad Pawar | Minister of Defence |
| Shri Balram Jakhar | Minister of Agriculture |
| Shri C.K. Jaffer Sharief | Minister of Railways |
| Shri Madhav Rao Scindia | Minister of Civil Aviation and Tourism |
| Shri Ghulam Nabi Azad | Minister of Parliamentary Affairs |
| Shri K. Vijaya Bhaskara Reddy | Minister of Law, Justice and Company Affairs |
| Shri M.L. Fotedar | Minister of Health and Family Welfare |
| Shrimati Sheila Kaul | Minister of Urban Development |
| Shri Sitaram Kesri | Minister of Welfare |
| Shri V.C. Shukla | Minister of Water Resources |

**Ministers of State *(Independent Charge)***

| | |
|---|---|
| Shri Ajit Kumar Panja | Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting |
| Shri Ashok Gehlot | Minister of State in the Ministry of Textiles |
| Shri Balram Singh Yadav | Minister of State in the Ministry of Mines |

| | |
|---|---|
| Shri Giridhar Gomango | Minister of State in the Ministry of Food Processing Industries |
| Shri H.R. Bhardwaj | Minister of State in the Ministry of Planning and Programme Implementation |
| Shri Jagdish Tytler | Minister of State in the Ministry of Surface Transport |
| Shri K.Ramamurthy | Minister of State in the Ministry of Labour |
| Shri Kalp Nath Rai | Minister of State in the Ministry of Power and Non-conventional Energy Sources |
| Shri Kamal Nath | Minister of State in the Ministry of Environment and Forests. |
| Shri P. Chidambaram | Minister of State in the Ministry of Commerce |
| Shri P.A. Sangma | Minister of State in the Ministry of Coal |
| Shri Rajesh Pilot | Minister of State in the Ministry of Communications |
| Shri Sontosh Mohan Dev | Minister of State in the Ministry of Steel |
| Shri Tarun Gogoi | Minister of State in the Ministry of Food |
| ***Ministers of State*** | |
| Dr. Chinta Mohan | Minister of State in the Ministry of Chemicals and Fertilizers |
| Shrimati D.K. Tharadevi | Minister of State in the Ministry in Health and Family Welfare. |
| Shri Dalbir Singh | Minister of State in the Ministry of Finance |
| Shri Eduardo Faleiro | Minister of State in the Ministry of External Affairs |
| Shri G. Venkat Swamy | Minister of State in the Ministry of Rural Development |
| Shri K.C. Lenka | Minister of State in the Ministry of Agriculture |
| Shri Kamaluddin Ahmed | Minister of State in the Ministry of civil Supplies and Public Distribution |
| Shri M. Arunachalam | Minister of State in the Ministry of Urban Development |
| Shri M.M. Jacob | Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs and Minister of State in the Ministry of Home Affairs. |
| Shri M.O.H. Farook | Minister of State in the Ministry of Civil Aviation and Tourism |

| | |
|---|---|
| Shri M. Mallikarjun | Minister of State in the Ministry of Railways |
| Kumari Mamata Banerjee | Minister of State in the Ministry of Human Resource Development (Department of Youth Affairs and Sports and the Department of Women and Child Development) |
| Shrimati Margaret Alva | Minister of State in the Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions |
| Shri Mullapally Ramachandran | Minister of State in the Ministry of Agriculture |
| Prof. P.J. Kurien | Minister of State in the Ministry of Industry |
| Shri P.K. Thungon | Minister of State in the Ministry of Industry |
| Shri Rameshwar Thakur | Minister of State in the Ministry of Finance |
| Shri Rangarajan Kumaramangalam | Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs and Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs. |
| Shri S.Krishna Kumar | Minister of State in the Ministry of Petroleum and Natural Gas and Minister of State in the Ministry of Defence |
| Shri Shantaram Potdukhe | Minister of State in the Ministry of Finance |
| Shri Uttambhai H. Patel | Minister of State in the Ministry of Rural Development |
| ***Deputy Ministers*** | |
| Kumari Girija Vyas | Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting |
| Shrimati K. Kamala Kumari | Deputy Minister in the Ministry of Welfare |
| Shri P.V. Rangayya Naidu | Deputy Minister in the Ministry of Communications |
| Shri Paban Singh Ghatowar | Deputy Minister in the Ministry of Labour |
| Shri Ram Lal Rahi | Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs |
| Shri S.B. Nyamagouda | Deputy Minister in the Ministry of Coal |
| Shri Salman Khursheed | Deputy Minister in the Ministry of Commerce. |

**MR. SPEAKER:** Now the House stands adjourned to meet again tomorrow the 11th July, 1991 half an hour after the President's Address.

The Lok Sabha then adjourned till half an hour after the Address by the President on Thursday, July 11, 1991

(लोकसभा कार्यवाई 10 जुलाई, 1991, पृष्ठ- 6 से 10 तथा 34 से 40)

माननीय अध्यक्ष श्री शिवराज वी.पाटिल ने प्रधान मंत्री श्री राजीव गाँधी के दुखःद निधन पर श्रद्धांजलि प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करते हुए कहा कि 21 मई 1991 को मात्र 47 वर्ष की अवस्था में श्री राजीव गाँधी के निधन से सारा देश विषाद में डूब गया था। देश के लिए यह एक महान क्षति है। श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने कहा कि राजीव गाँधी का निधन उनके लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री इंद्रजीत गुप्त, श्री वी. विजयकुमार राजु, श्री पी.जी. नारायणन, श्री श्रवण कुमार पटेल, श्री सुलतान सलाहुद्दीन ओबेसी, श्री मणीशंकर अय्यर, श्री बलराम जाखड़ ने राजीव गाँधी के निधन पर दुःख व्यक्त किया। सभी वक्ताओं के राजीव गाँधी के साथ बिताए सुखद समय को याद किया।

मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने राजीव गाँधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह समय आत्मदर्शन का है और यह हमारा कर्तव्य है कि राजीव गाँधी की विरासत को सँभाल कर रखें। उन्होंने प्रश्न उठाया कि "क्या हम इस घटनाक्रम के मूक दर्शक ही बने रहेंगे?"

**MR. SPEAKER:** Hon. Members, I rise to propose the following Resolution on the sad demise of Shri Rajiv Gandhi on May 21, 1991:

"This House expresses its profound sense of grief at the treacherous and brutal assassination of our former Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi. The cult of violence and the atmosphere of hatred deliberately promoted by senseless elements who have no faith in the democratic process and who are ceaselessly working against the unity and integrity of the nation, have claimed yet another crusader of peace and non-violence who, like this revered mother seven years ago, preferred to risk his life rather than to distance himself from the common masses of the country who loved him so intensely. The passing away of Shri Rajiv Gandhi at such a crucial juncture has deprived the country of the services of a young and charismatic leader on whom the down-trodden masses had pinned their hope and faith for a better and brighter future.

Though a reluctant entrant into politics, Shri Rajiv Gandhi, having taken the crucial decision, never looked back. A man with tremendous courage of conviction, he served the nation in and out of office with a deep sense of commitment, clear vision and youthful vigour. Shri Rajiv Gandhi was the symbol of the nation's youth and his political career was a rapidly rising graph of accomplishments in pursuit of the ideals and aspirations of the younger generation.

His tenure in office as Prime Minister won him international recogition and he came to be respected as one of the foremost leaders of the Third World. His contribution to the cause of disarmament, international understanding, the non-aligned movement, environmental protection and abolition of apartheid will be ever remembered.

A visionary like his illustrious grand-father and a person with strong determination like his mother, Shri Rajiv Gandhi worked hard to take India into the 21st century as a modern, technologically advanced and forward-looking nation. He gave technology a new and clear mission: to solve the

problems of the poor.

The nation stands at the crossroads today. We have to redouble our efforts to rid the country of the dreadful menace of terrorism and to restore the faith of the people in the democratic process. Let us rededicate ourselves to the accomplishment of the tasks which were so dear to Rajiv Gandhi. That would be our real tribute to his cherished memory.

The House sends its condolences to the bereaved family."

**MR. SPEAKER:** Hon'ble Members, Shri Rajiv Gandhi's assassination on May 21 at the prime age of 47 years in the midst of electioneering not only cut short a very promising career but has dealt a stunning blow to the entire nation. The cruel hands of death have snatched from our midst a personality which has left an indelible mark on almost every walk of our national life. One might have had differences with Shri Rajiv Gandhiji on ideological, political or economic issues, but one cannot deny the fact that he made the supreme sacrifice for the cause of national unity and integrity and like his own mother became a martyr in this endeavour.

Born on 20th August, 1944 in an illustrious family of freedom fighters, Shri Rajiv Gandhi was the grandson of Shri Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, and the elder son of Shri Feroze Gandhi and Shrimati Indira Gandhi. He had indeed the privilege to belong to a family whose contribution to the freedom struggle and later in the making of modern India is unmatched.

Educated at Doon School, Dehradun and Trinity College, Cambridge, Shri Rajiv Gandhi had a course in Mechanical Engineering. As flying was his first love, he got a Commercial Pliot's Licence after returning from England and joined the Indian Airlines.

Shri Rajiv Gandhi entered the hallowed portals of this House after winning the bye-election from the Amethi Parliamentary constituency of U.P. in 1981 and continuously represented that constituency till the dissolution of the Ninth Lok Sabha on the 13th March 1991. He was again a candidate seeking election from the same constituency during 1991 General Elections and won that seat posthumously by a wide margin.

Shri Rajiv Gandhi took over the reins of the Government and became the Prime Minister at the young age of 40 at a crucial juncture when the nation had been numbered with grief in the wake of the assassination of his beloved mother and the then Prime Minister Shrimati Indira Gandhi. Soon thereafter, he led his Party to a landslide victory by winning three- fourths of the seats of the House in the historic 1984 General Elections. This was the high water-mark of his political career which gave rise to high hopes and aspirations among the countrymen. Needless to say, he was unanimously re-elected the leader of the legislative Party and was invited to form the Government.

Shri Rajiv Gandhi had the distinction of being one of the youngest Prime Ministers in the world.

A courteous, usually shy and an unassuming person, Shri Rajiv Gandhi bore the burdens of

his office with characteristic ease and poise. Indeed, those who had the privilege of seeing and meeting him in this House and outside, would find it impossible to forget the smile which always wore on his face.

As successor of a Prime Minister who had herself been the victim of an assassin's bullet, Shri Rajiv Gandhi's term in office was devoted to making earnest efforts to put an end to the cult of violence and secessionism and to bring the separatist and disgruntled elements into the national mainstream. It was in pursuance of these objectives that the signed the historic Accords on Punjab, Assam and Mizoram. Shri Gandhi also played a crucial role in ending insurgency in the North-Eastern part of the country and in arriving at an honourable settlement of the GNLF problem.

It was during his tenure as Prime Minister that Bills of far reaching consequences like the Constitution (Fifty Second) Amendment Bill-popularly known as the Anti-defection law-and the Constitution (Sixty First) Amendment Bill, lowering the voting age from 21 to 18 years, were enacted. His dream of devolution of powers and resources to the local bodies at the grass root level, i.e., the Panchayats, still remains to be fulfilled. In four years time he was responsible for getting new policies formulated in the fields of education, housing, irrigation, agriculture, industry, women's welfare, children's welfare, sports, culture, environment, etc.

A visionary and an idealist, eager to herald a technologically advanced India into the 21st Century, his whole tenure in office was marked by a vigorous drive for modernisation in almost every field of national life. The various technological Missions that he set up to this end are an eloquent testimony to his earnest desire to modernise the country at the quickest pace possible.

In the international arena, Shri Rajiv Gandhi, was a well known and popular figure who was held in affection and high esteem. His efforts for international peace and disarmament won laurels both for him and the country. He had a profound and lasting commitment to SAARC and played a prominent role in promoting regional cooperation among its members, Shri Rajiv Gandhi was instrumental in setting up the Group of 15 non- aligned countries to promote South-South co-operation and activate stalled North-South dialogue.

A staunch environmentalist, Shri Rajiv Gandhi forcefully drew the attention of the world to the growing environmental degradation in the various international fora. He proposed a Planet Protection Fund which was adopted by the Commonwealth Heads of Government Meeting in Kula Lumpur.

As an indomitable fighter against apartheid, it was at his initiative that the Africa Fund was set up under his chairmanship to assist the front-line States in their fight against apartheid.

Again, it was under his stewardship that the traditionally close relations between India and the Soviet Union grew to new heights and were further cemented.

In line with the best national interests, Shri Rajiv Gandhi always endeavoured to promote brotherly relations between India and her neighbours. He formalised bilateral treaties with Pakistan

and China and came to the rescue of Maldives in 1988 when emregency aid was sought by that country toward off the threat to its territorial integrity.

Shri Rajiv Gandhi's role in the Non-Aligned Movement and the positive steps taken by him for world peace have earned him a permanent niche in the world community. The presence of prominent world leaders from as many as 63 countries at his funeral bears eloquent testimony to the high esteem in which Shri Rajiv Gandhi was held among world leaders across the globe.

While in Opposition, Shri Rajiv Gandhi was perfectly at ease as the Leader of the Opposition. As a skilled debater, he was heard with attention and respect in the House.

As a leader of the young generation. Shri Rajiv Gandhi gave the much-needed thrust to various sporting activities. He was one of the moving spirits behind the 1982 Asian Games held in New Delhi and numerous other sports and cultural activities.

Honourable Members, the vast multitudes of this country have mourned the loss of this young leader as if one of their family members has been snatched away in the prime of his life. In this hour of trial, we fully share the pangs of agony and grief being silently borne by Shrimati Sonia Gandhiji and her children. How sad and true is the adage that those whom the Gods love, die young? In the annals of history, he stands in line with Jesus Christ, Abraham Lincon, Mahatma Gandhi, President Kennedy, Martin Luther King, Shrimati Indira Gandhi. We do not know when another like of him will be born again.

**THE PRIME MINISTER (SHRI P.V. NARASIMHA RAO):** Mr. Speaker, Sir, it is impossible for me to speak of Rajiv Gandhi without emotion, without a deep sense of personal loss.

His sudden demise left us in darkness at noon. He was snatched away from us through an inhuman and cowardly act of violence. In his untimely and tragic death, the nation has lost a young and most dynamic leader. He came to the helm of affairs at a difficult hour and steered the country through the most trying times. His vision of India, his concern for the downtrodden, his search for world peace are a source of inspiration not only for us but for the people all over the world. The void created by Rajivji's death will be difficult to fill.

Rajivji had deep love and affection for his countrymen. His vision of India was of a front-ranking nation in the world. He worked indefatigably for the uplift of the deprived and the downtrodden. He took keen and close interest in our scientific development in order to lift the Indian masses from the morass of poverty and he made it the first and foremost purpose of scientific development. He not only contributed to the material progress of our country but also endeavoured to instill in his people the pride of being Indian, the knowledge that they were inheritors of a great culture, the confidence that they, could surmount all obstacles, the certainty that it was in their own hands to build India of tomorrow.

Rajivji gave India a place of prominence in the comity of nations. The world recognised his

striving for world peace and disarmament and his unshakable faith in democracy. His dedication to Non-alignment, world peace, disarmament, development and environmental protection won for him a place of prominence in the world scene.

Rajivji's youthful spirit, courage, intergrity and faith in the future of our country and her people will remain indelibly etched in our memories. He worked without respite to achieve the goals he had set for himself. He worked single-mindedly to build India of our dreams.

Rajivji is not amongst us today but his spirit lives on. We pledge, Mr. Speaker, Sir, to complete his task and live up to all that he stood for.

**SHRI LAL K. ADVANI (Gandhi Nagar):** On 21st May, when most of us were engaged in election campaign, at night, we got the sad news of brutal assassination of the former Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi near Madras. when I was attending a public meeting, some one gave me a slip conveying the sad news. I found it difficult to believe. The news invoked a deep feeling in me that if we could not check this type of politics of violence and murder, we will have to face dire censequences. I remember one incident. In 1985 Shri Rajiv Gandhi became the Prime Minister after winning eletions. He invited prominent leader of all political parties and held separate meetings with them for an hour. I returned with an indelible mark of his personality on my mind that though that young man had entered politics only a few days back and did not have enough knowledge of politics, yet as a person, he was very polite, very cordial and very gentle. I can say that though my party was critical of his politics, yet the impression he left on my mind at the personal level in the first meeting, will continue to remain in my mind for ever. We had been very close to each other and as such I can imagine and realise the loss to his family members, and the country has suffered due to his sad demise.

There are other names in the list. There is also one name with whom several of the Hon. Members might have had perosnal relations. I know him very closely. He also fell a victim to this politics of violence and murder during the elections. He is Shri Ishwar Chaudhary, whom I offer my tributes. I feel that all of us should take necessary steps to bring an end to this politics of violence.

Mr. Speaker, Sir, through you I pay my condolence to the bereaved families of both the leaders.

**THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR):** Honourable Speaker, Sir, I remember a couplet:-

*"Taarikh ne dekhi hain chand aisi bhi ghadiyan*
*Lamhon ne khata ki thi sadiyon ne saza payi."*

And the same applies to the passing away of Rajivji. People die, everybody has to quit this world, but the principles and deeds of the departed are always remembered.

On the night of 21st, we were plunged into pitch darkness-the consequence would have been

the same even if it was daytime. This darkness engulfed the humanity because Rajivji was symbol of humanity, compassion and endurance. He was an embodiment of love and virtue. He was such a patriot about whom we can say that he was not only a patriot but also fearless. He was a man who could fight for his principles and in fact died for those. He lived for his principles and did not hesitate to sacrifice his life. He belonged to a family which has a histroy of sacrifices. Motilalji, Jawaharji, Kamlaji, Indiraji and now Rajivji were of the same feather, whatever they inherited from their kin, they passed it on to others. They would share all their love with one and all. I have seen his ever smiling face, which is still fresh in my heart, from the chair, which you are now occupying. I observed that he was such a noble man that he would radiate light in to the House. Any person who would once meet him would be his fan and would never shed his image from his mind. There could be differences of opinion while exchanging ideas but he never allowed conflict between the souls. He wanted to live for his country. He wanted to live for this world; because at times he would refer to our culture during the course of a talk and he would quote something and say that we belive in:

*"udaar charitanam tu vasudhaiv kutumbakam"*

The whole universe is one for a noble minded and open-hearted person. Not only this, he further used to say:

*"Yatra vishwaiyak needam"*

Where the whole universe is reduced to a nest, human being does not remain human being. He believed in this high ideals. He never acted under compulsion, but with a sense of service. Quite often we exhanged views, and I would tell him that his proposed line of action would harm our interest, but he would say, Balramji, country is important not the Government, nor the power, self-interest is not supreme and anything can be sacrificed for the country. Punjab problem was there. I knew that we will be out of power, and it happened. Then there was Assam Accord and I knew what was going to happen and the same fate awaited us in regard to the Mizoram problem. But he had no regrets. He would say that we had read Ramayana, its every chapter but what have we learnt from it. In Ramayana, the father lost his life in the process of keeping his word and the son went into exile for 14 years without a whimper to uphold the word of his father, and in turn his younger brother did not accept the kingdom offered to him on a plotter, another brother went into exile with his elder brother because he loved his brother, they were the idols of renunciation. Renunciation has got some meaning but now-a-days the spirit of renunciation is dead. If the feeling of sacrifice is there the country can rise. Today also if we follow the path shown by Rajivji, the country can make progress. I am quite sure about it, I have seen it closely. This I have not seen only in India but outside also because when I was the Speaker of the House I travelled abroad. My colleagues also used to go with me.

On our trips abroad, we came to know the image, reputation and status enjoyed by our country in foreign countries. We got to know all this while talking to people there. They could see that there was a political leader who had committed himself to the upliftment of this country. He used to work hard, up to 2.00 a.m. I was at a loss as to when he got the time to sleep. Perhaps his days were

of 25 hours. He was a patriot who believed in selfless service. Not only this, he had warm feelings for everyone and wanted to take the country into the 21st century. He was a man of farsightedness. As someone has said that if the heart Jacks passion and the eyes are devoid of benevolence, relationship among humans is not possible. he had the qualities of openness, passion, love and was considerate towards others. He was like the sacred Ganges because everyone who came in contact with him realised the importance of humanness. Such was the personality of Rajiv Gandhi. Parties may have different ideologies, their own dreams but he never considered the opposition an opposing force. To him they were just people with a different view point.

He firmly believed that democracy is something that needs to be preserved. he recognised the fact that this country became independent due to the sacrifices of the freedom fighters. Democracy is their gift to the people of India and this gift has to be preserved and protected. We have to continue the work initiated by the late Rajiv Gandhi to whom we shall remain indebted forever.

*"Hazaron baras apni benuri perroti hai*
*chaman mein paida hota hai didawar koi."*

**THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH):** Sir, I appreciate and respect the sentiments of love and grief expressed by the Hon. Prime Minister, yourself and other Hon. Members. This is not the time for long speeches, rather it is time for self-introspection. This is the time to understand some fundamental issues and make some firm resolutions. Shri Rajiv Gandhi left his impression on each one of us. This is our legacy and it is our sacred duty to preserve it. But this legacy belongs to the entire nation and not to any particular individual. There is a need to know more about and protect this legacy. On 15th August, when India emerged as a new independent nation, the entire world realized that the event signified emergence of new forces on the international scene. These forces help in removing the obstacles which come in the way of progress and establishing self-respect. Pandit Jawaharlal Nehru symbolised these forces and Mahatma Gandhi supported them. It is no secret that there have always been efforts to resist these forces. After remaining in the shackles of imperialism for hundreds of years India under the stewardship of Pandit Jawaharlal Nehru, Shastriji, Smt. Indira Gandhi and Shri Rajiv Gandhi tried to set high standards of personal freedom, social awareness, political awareness and economic awareness. Shri Rajiv Gandhi has left behind the same legacy and it is the sacred duty of all the Hon. Members of this august House to protect and preserve this legacy least it is forgotton. History is testimony that if we are not watchful, if we are not vigilant and if we tend to overlook the historical fact of preserving this legacy and involve ourselves in petty squabbles and disputes, then we are not worthy of inheriting such legacies. Destiny has played a cruel joke on all of us. Will we remain silent spectators to all this? If so, we forfeit the right of paying homage to Shri Rajiv Gandhi. We have to accomplish the goals that he set not only for the crores of people of the country but also for the future generations and these goals have now in fact become national goals.

Mr. Speaker, Sir, we are all small men but as Pandit Jawaharlal Nehru had once said that howsoever small a man may be, no sooner does he associate himself with great tasks, he also acquires

one or the other quality of greatness. Today all of us can definitely claim of possessing one or the other quality of greatness only by virtue of being associated with Shri Rajiv Gandhi. All I would like to submit today is that Shrimati Sonia Gandhi, Ms. Priyanka Gandhi and Mr. Rahul Gandhi are not just the kin of Shri Rajiv Gandhi but are the national assets and so their security and well-being is the duty of all of us.

It is the time to take inspiration from the greatness and to resolve once again to lay down our lives and make sacrifices even in the face of umpteen grave challenges and threats to the nation by the reactionary and imperialistic forces. This would be the best tribute to the great man, who today is not amongst us. Even though Shri Rajiv Gandhi is not amongst us mortally but his reminiscences are there in every nook and corner of the country he visited. So all of us must resolve to tread along the path shown by Shri Rajiv Gandhi.

To my mind there is no need to highlight the achievements of Shri Rajiv Gandhi, as the future will itself glorify his accomplishments.

With these words I would like to pay my tributes to the departed soul.

We would also like to pay homage to other departed leaders S/Shri Dange, Nagina Rai, Uma Shankar Dikshit and Chitta Mahata figuring in the list.

Through this august House we would also like to convey condolences to the bereaved families of the departed leaders figuring in the list.

**Mr. SPEAKER:** We are passing a Resolution on the sad demise of Shri Rajiv Gandhi as well as we are making an Obituary Reference to his death. I would request the Hon. Members to stand up in silence for a short while and then sit and then indicate that the Resolution is passed. We will make Obituary Reference to the other Members also.

*The Members then stood in silence for a short while*

**MR. SPEAKER:** I take it that the Resolution is passed unanimously. The copy of the Resolution will be sent to the members of the bereaved family.

*(The Resolution was then adopted)*

(लोक सभा कार्यवाई /11 जुलाई 1991, पृष्ठ 26 से 64)

5 अगस्त को लोक सभा में माननीय अध्यक्ष श्री शिवराज वी. पाटिल पीठासीन थे। श्री अर्जुन सिंह ने इस दिन मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में कई प्रश्नों के लिखित व मौखिक उत्तर दिए। श्री अर्जुन सिंह द्वारा दिए गए उत्तर यह बताते है कि वे देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर थे। श्री अर्जुन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान अनेक नई नीतियाँ बनाईं जो आगे चलकर देश को नई दिशा देने में सफल रहीं। श्री अर्जुन सिंह महिलाओं की शिक्षा को लेकर गंभीर थे। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई। आरक्षण का प्रश्न रहा हो अथवा अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु प्रबंध का, श्री अर्जुन सिंह ने माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का जवाब दिया।

## प्रश्नोत्तर

### खेद-कूद को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन

*303. **श्री तेज नारायण सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन देती है; और

(ख) यदि हाँ, तो 1990 और 1991 के दौरान दिए गए ऐसे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1990-91 (अब तक) के दौरान खिलाड़ियों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए गए:—

(i) अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओ में भाग लेने की संभावना वाले खिलाड़ियों को मुफ्त भोजन/आवास, कोचिंग और प्रशिक्षण देना। इन खिलाड़ियों को निजी खेल किट भी प्रदान किए गए हैं। प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने के लिए आने-जाने के रेल-भाड़े की प्रतिपूर्ति भी की गई।

(ii) जो खिलाड़ी ओलम्पिक, विश्व चैम्पियनशिप, एशियाई खेल, एशियाई चैम्पियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप जैसी विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतते हैं, उनहें नकद/यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया प्रमाण-पत्रों के रूप में विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जनवरी 1991 में 155 खिलाड़ियों को कुल 1,00,13,991 रुपये के विशेष पुरस्कार दिए गए थे।

(iii) जूनियर और उप-जूनियर स्तर के प्रतिभावान लड़कों और लड़कियों को राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों (प्रत्येक को 2700 रुपये प्रतिवर्ष) तथा राज्य चैम्पियनशिपों (प्रत्येक को 1800 रुपये प्रतिवर्ष) में स्थान अर्जित करने के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं और इसके अतिरिक्त जो खिलाड़ी अपनी स्थिति को बनाए रखते है या उसमें सुधार करते हैं, उनकी छात्रवृत्तियाँ नवीकृत भी की जाती है।

(iv) कालेज तथा विश्वविद्यालयों में प्रत्येक उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रतिवर्ष 3600 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। जिन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन को बनाए रखा या उसमें सुधार किया उनकी छात्रवृत्तियों को नवीकृत भी किया गया।

(v) (क) मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी अन्तर-विश्वविद्यालय खेल टूर्नामेन्टों में सर्व-विजेता विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है।

(ख) सभी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता विश्वविद्यालय को क्रमशः 50,000, 25,000 तथा 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

(ग) 13 विशिष्ट खेल विधाओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय विजेता विश्वविद्यालय को प्रत्येक खेल विषय में क्रमशः 50,000, 30,000 तथा 20,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

(vi) माह जून 1990 में वर्ष 1988 के लिये 5 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए।

(vii) जिला खेल टूर्नामेन्ट में विजेता स्कूलों को 9 विशिष्ट खेल विधाओं में उन सभी जिलों में जहाँ टूर्नामेन्ट हुए थे, प्रत्येक विधा के लिए 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

(viii) सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग की अध्यक्षता में एक दल गठित किया गया है जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश तथा रोजगार के लिए दिए गए प्रोत्साहनों और सुविधाओं के वर्तमान स्तर का पता लगाएगा और इस संबंध में एक समान नीति का सुझाव देगा।

(ix) अपेक्षित प्रक्रिया में छूट देकर सरकारी रोजगार के लिए कीर्तिवान खिलाड़ियों पर विचार किया जाता है।

(x) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अनुदेश जारी कर दिए हैं कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिताओं तथा ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षिण शिविरों में भाग लेने वाले सरकार में सेवारत खिलाड़ियों को ड्यूटी पर समझा जाए। भारत में आयोजित ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी से यात्रा तथा भारत से बाहर विदेशों में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय महत्व से प्रतियोगिताओं के लिए मितव्ययी श्रेणी द्वारा हवाई जहाज से यात्रा करने की मंजूरी दी जाती है। सरकार यात्रा व्यय वहन करती है।

(xi) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए संबंधित विभागों को सरकार में खिलाड़ियों को वेतन वृद्धि की मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया गया है तथा ये एक व्यक्ति को उसके जीवन में 5 से ज्यादा नहीं दी जा सकती। ऐसी मंजूर की गई वेतन वृद्धि उसके सेवानिवृत्ति तक उसी दर से लागू रहेगी, परन्तु यह किसी सेवा मामले जैसे पदोन्नति पर वेतन निश्चित करने, सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने या मँहगाई भत्ते/नगर प्रतिपूर्ति भत्ते आदि के लिए नहीं गिनी जाएगी।

## राजस्थान में महिलाओं की शिक्षा

**1524. श्री राम नारायण बैरवा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार नारी शिक्षा के मामले में राजस्थान सबसे पिछड़ा राज्य है;

(ख) क्या इस प्रकार से पिछड़े राज्यों में नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए संघ सरकार का और अधिक वित्तीय सहायता देने तथा विशेष योजना बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे है। उनको प्रोत्साहन देने तथा उन्हें स्कूल में बनाए रखने के लिये विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं जैसेकि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, वर्दियाँ, मध्याह्न भोजन और उपस्थिति छात्र-वृत्ति और प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रमों, क्रेचों और बालवाड़ियों के माध्यम से सहायता सेवा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्कूलों में और अधिक अध्यापिकाएँ नियुक्त की जा रही है तथा लड़कियों के लिए अलग शौचालय सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में केवल लड़कियों के लिए स्थापित अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का वित्त-पोषण केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान में विदेशी सहायता से महिलाओं की शिक्षा के लिये पृथक् घटक सहित विशेष परियोजनाएँ भी चलाई जा रही हैं।

नीदरलैंड की शत प्रतिशत सहायता से कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात के 10 जिलों में 1989 में महिला समाख्या नामक परियोजना प्रारम्भ की गई। परियोजना का उद्देश्य महिला संघों के माध्यम से संबंधित गाँवों में महिलाओं की शिक्षा के लिए एकत्र करना है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में महिलाओं को अधिक से अधिक शामिल करने के लिए निम्नलिखित के माध्यम से विशेष कदम उठाए जा रहे है:—

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में कम से कम 50% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक महिला शिक्षार्थियों

को एकत्र करना;

शैक्षिक अर्हताओं में विविधता लाकर बड़ी संख्या में महिला प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति करना;

महिलाओं के लिए कार्यरत स्वैच्छिक एजेन्सियों को बड़ी संख्या में शामिल करना;

महिला अध्यापिकाओं का विशेष अभिविन्यास और प्रशिक्षण;

महिला साक्षरता और महिलाओं को अधिकार देने पर फिल्मों का निर्माण और प्रसारण।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पिछड़े क्षेत्रों में स्थित पात्र कालेजों को तथा पात्रता की शर्तों में ढील देकर महिला कालेजों को विकास अनुदान देता है। इसके अतिरिक्त महिला छात्रावासों के लिए वि.अ.आ. 100% अनुदान देता है।

## मध्यप्रदेश नवोदय विद्यालय

**1528. श्री सुशील चन्द्र वर्मा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का मध्यप्रदेश के ऐसे जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित करने का विचार है जहाँ पहले से ये विद्यालय नहीं हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) नवोदय विद्यालय योजना में प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की परिकल्पना की गई है। मध्यप्रदेश के कुल 45 जिलों में से 29 जिलों में नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं। नवोदय विद्यालय खोलना संबंधित राज्य/संघशासित क्षेत्र, सरकारों के प्रस्ताव पर आधारित होता है, जिन्हें विद्यालय खोलने के लिए निःशुल्क 30 एकड़ उपयुक्त भूमि और पर्याप्त भवन तथा अन्य अवस्थापना, सुविधाएँ तथा संसाधन उपलब्ध कराने होते हैं।

## वैदिक गणित में शोध

**1557. कुमारी उमा भारती:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वैदिक गणित में अब तक क्या शोध हुआ है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (अर्जुन सिंह):**

वैदिक गणित में अब तक निम्नलिखित शोध कार्य किए गए हैंः

(1) डा.टी.एस. भानुमूर्ति, रामानुजम गणित संस्थान, मद्रास के भूतपूर्व निदेशक ने श्री भारती कृष्णा तीरथजी द्वारा वैदिक गणित में दिए गए सूत्रों के प्रमाण प्रदान किए।

(2) राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा विकास अध्ययन संस्थान ने यह महसूस किया कि कुछ मामलों में वैदिक गणित के तरीकों से कम्प्यूटर पर गुणा/भाग शीघ्र किया जा सकता है।

(4) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा चुनिन्दा सूत्रों पर भी दो मोनोग्राफ तैयार करने प्रारम्भ किए हैं जिसका उपयोग गणितज्ञों तथा अध्येताओं द्वारा किया जा सकेगा।

## विश्व भारती विश्वविद्यालय को रवीन्द्रनाथ टैगोर की पांडुलिपियाँ

**1577. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों

की सभी पांडुलिपियों को जो हाल ही में लंदन में पाई गई हैं, विश्व-भारती विश्वविद्यालय को सौंप दिया जाए; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):**(क) और (ख) यू. के. में भारतीय उच्च आयोग ने 26-6-91 को लन्दन में आयोजित एक नीलामी में 27020.00 पौडं की कीमत पर रवीन्द्र नाथ टैगौर की कुछ दुर्लभ पांडुलिपियाँ प्राप्त की है। कुलपति, विश्व-भारती ने अनुरोध किया है कि ये पांडुलिपियाँ रवीन्द्रनाथ भवन में अनुरक्षण के लिए विश्वविद्यालय को सौंप दी जाएँ। ये पांडुलिपियाँ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा निर्धारित किसी समुचित संस्था में रखी जाएँगी।

## साक्षरता के प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को धन आवंटन

**1578.श्री प्रभुदयाल कठेरिया**
**श्रीमती सुमित्रा महाजन**
**श्री वीरेन्द्र सिंह** } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत साक्षरता को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि दी गई;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान दोनों राज्यों में अलग-अलग साक्षरता की वृद्धि दर क्या रही और इसकी तुलना अन्य राज्यों की वृद्धि दर के साथ किस प्रकार की जा सकती है;

(ग) इन राज्यों में साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत और उनमें भी महिलाओं का प्रतिशत क्या है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान उक्त राज्यों में साक्षरता को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए है और वर्ष 1991-92 के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुनसिंह):** (क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य सरकारों को प्रारंभिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत साक्षरता के प्रोत्साहन के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता के योजनावार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) किसी विशेष राज्य/संघ शासित क्षेत्र में साक्षरता में वृद्धि दर दस-वार्षिक जनगणना आंकड़ों के आधार पर निकाली जाती है। पिछले दशक के दौरान उ.प्र.व म.प्र. की साक्षरता में औसत वार्षिक वृद्धि दर 0.84 प्रतिशत व 0.92 प्रतिशत रही। तुलनात्मक स्थिति में, उ.प्र. व म.प्र. राज्य क्रमशः, 27 वें तथा 26 वें स्थान पर आते हैं।

(ग) 1990-91 की जनगणना के अनुसार उ.प्र. तथा म.प्र. की साक्षरता दर क्रमशः 41.71 प्र. श. व 43.45 प्र.श. है। इन दोनों राज्यों में महिला साक्षरता दर 26.02 प्रतिशत तथा 28.3 प्रतिशत है।

(घ) प्रारंभिक शिक्षा सर्वसुलभीकरण, शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसका लक्ष्य (15-35) आयु वर्ग में 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, देश में निरक्षरता-उन्मूलन के मौजूदा व्यापक कार्यक्रम का अभिन्न अंग है।

विवरण

(रुपये लाखों में)

| योजना | 1989-90 | | 1991-92 | |
|---|---|---|---|---|
| | उत्तर प्रदेश | मध्य प्रदेश | उत्तर प्रदेश | मध्य प्रदेश |
| (क) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण (ऑपरेशन ब्लैक-बोर्ड) | 2757.26 | - | 860.94 | 1344.78 |
| (ख) अनौपचारिक शिक्षा | 485.30 | 613.32 | 925.47 | 781.95 |
| (ग) प्रौढ़शिक्षा | 815.32 | 670.60 | 900.44 | 543.97 |
| | 4058.38 | 1283.92 | 2686.85 | 2670.70 |

## बिहार के किले

**1581. श्री छेदी पासवान:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार में सासाराम स्थित रोहतास किले और शेरशाह किले को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने अधिकार में ले लिया है;

(ख) क्या सरकार इन किलों की मरम्मत और इनके रखरखाव पर कोई धनराशि व्यय कर रही हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, मद-वार, व्यय की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है?

(ख) सरकार ने इन चित्रों को सुरक्षित रखने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) गुफाओं के चित्रों और मूर्तियों के रख रखाव पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय की जा रही है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) जी, हाँ।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) धूल साफ करने के पश्चात् नियमित रूप से रसायन लगाए जाते हैं,

(ii) समय-समय पर कीटनाशी छिड़के जाते हैं और धूम्रीकरण किया जाता है,

(iii) चित्रित सतह को आवश्यकतानुसार भराई करके उसे सुदृढ़ कर दिया जाता है, और

(iv) चित्रों को ह्रास से बचाने के लिए चित्रयुक्त गुफाओं में नियन्त्रित प्रकाश की व्यवस्था की जाती है।

(ग) अजन्ता की गुफाओं के संरचनात्मक संरक्षण तथा रासायनिक परिरक्षण के वार्षिक रखरखाव के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान 4,10,782.00 रुपये व्यय किए गए हैं।

## प्रौढ़ व्यक्तियों में निरक्षरता को समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय आयोग द्वारा तैयार की गई योजना

**1995. श्री तेज नारायण सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में प्रौढ़ व्यक्तियों में निरक्षरता को समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है, तथा इस प्रयोजनार्थ पिछले तीन

वर्षों के दौरान कितनी धन-राशि प्रदान की गई;

(ख) उन विश्वविद्यालयों और कालेजों के नाम क्या हैं जहाँ उक्त कार्यक्रम आरम्भ किया गया है; और

(ग) उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में, अलग-अलग विश्वविद्यालयों और कालेजों को कितनी धनराशि दी गई तथा इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग, छात्रों तथा शिक्षकों को साक्षरता कौशल, कार्यात्मक कौशल प्रदान करने के लिए प्रेरित करने और प्रौढ़ निरक्षरों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने तथा इसे उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों के जरिए बनाए रखने के लिए, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करता हैं। इस उद्देश्य के लिए, आयोग विश्वविद्यालयों को कोर सुविधाएँ, जिसमें सहायक स्टाफ शामिल है तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए अनुदान प्राप्त होता है।

सामान्यतः 10 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के समूह को एक एकक माना जाता है और ऐसे प्रत्येक एकक को प्रशिक्षकों का मानदेय/शिक्षण का प्रावधान/शिक्षण/सामग्री/ विद्युत/मिट्टी के तेल की कीमत तथा आकस्मिक व्यय इत्यादि मदों पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए प्रति वर्ष 22,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। उपर्युक्त मदों के अतिरिक्त, ऐसे निरीक्षकों को भी मानदेय देने का प्रावधान है जिनकी संख्या एक संस्थान द्वारा खोले गए एककों की संख्या के साथ सम्बद्ध है।

वर्ष 1987-88,1988-89 तथा 1989-90 के दौरान, आयोग ने भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों को, जिसमें उनके सम्बद्ध कालेज शामिल हैं, कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए 12.23 करोड़ रुपये का अनुदान संस्वीकृत किया है।

(ख) ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम जहाँ ऐसे कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं, कालेजों का पता लगाया जाता है और उन्हें उस विश्वविद्यालय के जरिए अनुदान दिया जाता है, जिससे वे संबद्ध हैं। वि.अ.आ. द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, यह उन महाविद्यालयों की संख्या के संबंध में सूचना रखता है और न कि उनके नामों के बारे में।

(ग) सातवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को 274.00 लाख रुपये का और बिहार के विश्वविद्यालयों और कालेजों को लगभग 50.00 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बिहार में 1030 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश में 2085 ऐसे केन्द्र अनुमोदित किए हैं।

**विवरण**

| क्रम सं. | राज्य/विश्वविद्यालय का नाम | महाविद्यालयों की संख्या जो प्रौढ़ शिक्षा योजना कार्यान्वित कर रहे हैं |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **आन्ध्रप्रदेश** | | |
| 1 | आंध्र | 30 |
| 2 | कर्नाटक | 12 |
| 3 | नागार्जुन | 25 |
| 4 | उस्मानिया | 30 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5 | श्री कृष्ण देव राय | 14 |
| 6 | श्री वेंकटेश्वर | 30 |
| 7 | पद्मावती | - |
| **असम** | | |
| 8 | गोहाटी | 43 |

## विश्वविद्यालयों के अनुशासन

**1624. श्री अर्जुन चरण सेठी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शिक्षा का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए देश में विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुशासन बनाए रखने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए हैं और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में सरकार व विश्व.अनु.आ. ने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए कई कदम उठाए। इस संबंध में उठाए गए कुछ मुख्य कदम निम्नलिखित हैं:

- 1-1-1986 से कालेज व विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन। अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण व कैरियर प्रगति के लिए प्रदत्त किए गए अवसर। अध्यापन व्यवसाय में सर्वोत्तम प्रतिभा आकर्षित करने के लिए अखिल-भारतीय पात्रता परीक्षा आरंभ की गई।
- विश्वविद्यालय व कालेज के नए नियुक्त अध्यापकों के पुनः अनुस्थापन के लिए शैक्षणिक स्टाफ कालेज स्थापित किए गए।
- विज्ञान व कला में पाठ्यचर्या को आधुनिकीकृत करने के लिए 27 पाठ्यचर्या विकास केन्द्र स्थापित किए गए। अवर-स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 27 विषयों के लिए आधुनकि पाठ्यचर्या तैयार की गई है।
- विज्ञान व कला में पाठ्यचर्या को आधुनिकीकृत करने के लिए 27 पाठ्यचर्या विकास केन्द्र स्थापित किए गए। अवर-स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्क्रमों में 27 विषयों के लिए आधुनिक पाठ्यचर्या तैयार की गई है।
- विश्व.अनु.आ. द्वारा विशेष सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत जैसे उच्च अध्ययन केन्द्र सी.ओ.एस. आई पी., सी.ओ. एच.एच.एस.आई.पी., सी.ओ.एस.आई.एस.टी. आदि में अध्यापन व शोध में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदत्त की गई थी।
- विश्व.अनु. आयोग ने विश्वविद्यालय पद्धति में अनुसंधान की प्रगति के लिए प्रमुख सुविधाएँ व सेवाएं प्रदत्त करने के लिए अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित किए।
- कुछ चुने हुए कालेजों व विश्वविद्यालय विभागों को स्वायत्तता प्रदत्त करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई।
- शैक्षिक कैलेंडर के कार्यान्वयन के लिए मार्ग निर्देश वितरित किए गए। इन मार्ग निर्देशों में विश्वविद्यालय/कालेजों द्वारा कम से कम 180 अध्यापन दिनों का पालन करने पर जोर डाला गया है।

- प्रथम डिग्री प्रदत्त करने हेतु।

न्यूनतम स्तर व न्यूनतम कार्य दिवस आदि के लिए विश्व.अनु.आ. द्वारा अधिसूचित विनियम।

## ''मेजर इंडस साइट फाउंड इन कच्छ'' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

**1625. डॉ.ए.के. पटेल**
**श्री शंकरजी वधेला** } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 फरवरी, 1991 ''टाइम्स ऑफ इंडिया'' में मेजर इंडस साइट फाउंड इन कच्छ'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिया गया हैं;

(ख) यदि हाँ, तो खुदाई से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ क्या हैं;

(ग) क्या प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्लेखन की दिशा में इन खोजों से कोई पुरातत्व/ऐतिहासिक निष्कर्ष निकाले गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड़) उस एजेन्सी का नाम क्या है जो इसकी खुदाई और मूल्यांकन कार्य कर रही है; और

(च) इस प्रयोजन के लिए चयनित स्थलों के साथ इस समय उपरोक्त स्वरूप के चल रहे अन्य खुदाई कार्यों का ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) जी, हाँ।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सत्र 1990-91 के दौरान घौलावीरा, जिला कच्छ, गुजरात में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप प्राक्-हड़प्पा,आप-हड़प्पा, विकसित-हड़प्पा तथा परवर्ती कार्यों की क्रमानुसार बस्तियों के साथ-साथ, उनके विशिष्ट मृदभाण्ड एवं अन्य वस्तुएँ प्रकाश में आई हैं। हड़प्पा (सैन्धव) कालीन भव्य दुर्ग तथा विशाल प्रवेश-द्वार एवं इसके भीतर जलाशय के अवशेष तथा नगर के मध्य एवं निचले प्रभाग के अवशेष शामिल हैं। महत्वपूर्ण उपलब्धियों में प्रस्तर-स्तम्भों के अवशेष, सोपान-पंक्ति, सीत-मोहर, ठप्पे, बाट, मातृदेवी की मृण्मूर्तियाँ, तांबें के उपकरण तथा आभूषण, विभिन्न प्रकार के मनके, विशिष्ट मृदभाण्ड एवं फर्श पर हड़प्पा लिपि में जड़े हुए नौ अक्षर शामिल हैं।

(ग) और (घ) उत्खनन से उपलब्ध साक्ष्यों ने प्रमाणों के हड़प्पा संस्कृति की आद्यैतिहासिक नगर-विन्यास एवं वास्तु शैली के साथ-साथ जल-प्रबन्ध की प्रणाली, पत्थर तराशने के लिए खराद के संभावित प्रयोग के नए प्रारूप किए है। ये सभी विशिष्टताएँ देश के तकनीकी एवं सांस्कृतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

(ड) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उत्खनन शाखा-V ने उत्खनन तथा मूल्यांकन कार्य दोनों को ही कार्यान्वित किया है।

(च) वर्तमान में प्राक्-हड़प्पा व्यवसाय से संबंधित कोई उत्खनन कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

## संस्कृत के अध्ययन/अध्यापन में कठिनाइयाँ

**1626. श्री राजवीर सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को संस्कृत के अध्ययन/अध्यापन में आ रही कठिनाइयों से अवगत कराया गया है;

(ख) देश में इस समय कितने संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने संस्कृत अध्ययन/अध्यापन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने तथा इन विद्यालयों को सुचारु रूप से कार्य करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हाँ, तो योजना का ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) जी नहीं। संस्कृत शिक्षण के समन्वय और स्तर को बनाए रखने के अलावा संस्कृत के अध्ययन/शिक्षण में आ रही किन्ही विशेष कठिनाइयों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) देश में इस समय संस्कृत स्कूलों की संख्या मालूम नहीं है। तथापि 15 राज्यों/संघ शासित प्रशासनों में अभी तक एकत्रित प्रारम्भिक सूचना के अनुसार विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों द्वारा लगभग 2,000 संस्कृत पाठशालाएँ/संस्थाएँ चलाई जा रही हैं।

(ग) और (घ) संस्कृत संस्थाओं सहित स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से संबंधित हैं। तथापि, संस्कृत के महत्व को देखते हुए केन्द्रीय सरकार संस्कृत शिक्षा को सहायता देने तथा उसे प्रोन्नत करने के लिए कई योजनाएँ कार्यान्वित कर रही हैं। इस कार्य के लिए संस्कृत संस्थाओं/विद्यालयों को ठीक ढंग से चलाने के लिए निम्नलिखित योजनाओं के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है:-

(i) संस्कृत शिक्षा का विकास

(क) माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की छात्रवृति।

(ख) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण।

(ग) संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति

(घ) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए किया गया कोई अन्य प्रस्ताव।

(ङ) अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे संस्कृत के विख्यात अध्येताओं को वित्तीय सहायता।

(ii) स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को सहायता अनुदान

(क) शिक्षकों के वेतन के लिए वित्तीय सहायता।

(ख) संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ रहे छात्रों को छात्रवृति प्रदान करने लिए वित्तीय सहायता।

(ग) अनुमोदित गैर-आवर्ती व्यय के लिए वित्तीय सहायता।

(iii) आदर्श संस्कृत पाठशाला की योजना

(क) अनुमोदित आवर्ती व्यय की 95% तक की वित्तीय सहायता।

(ख) अनुमोदित गैर-आवर्ती व्यय की 75% तक की वित्तीय सहायता।

## स्वयंसेवी एजेन्सियों को साक्षरता परियोजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन

**1628. श्री राजवीर सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान साक्षरता परियोजनाओं को चलाने हेतु स्वयंसेवी एजेन्सियों को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया, और

(ख) ऐसी एजेंसियों के नाम और पते का ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 में स्वैच्छिक एजेन्सियों को दिए गए सहायता-अनुदान तथा उनके नामों और पतों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 363/91.)

## प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को क्रमशः बन्द करना

**1656. श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
**डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार देश भर में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को क्रमशः बन्द करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हाँ, तो अब तक इन केन्द्रों द्वारा प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार देश में प्रौढ़ जनसंख्या की निरक्षरता दूर करने के लिए किसी वैकल्पिक योजना पर विचार कर रही है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (घ) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 1988 को शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से केन्द्र आधारित कार्यक्रम के माध्यम से 10 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त करना था; यद्यपि देश के कुछ भागों में यह कार्यक्रम सुचारु रूप से चला परन्तु शिक्षण अध्ययन के रूखे, अरुचिकर और प्रेरणा रहित शिक्षण/अध्ययन वातावरण स्टाफ का ठीक से चयन न करने, कार्यकर्त्ताओं में समर्पण की कमी, घटिया किस्म के प्रशिक्षण, खराब प्रबंध प्रणाली, नौसिखियों की अनियमित हाजिरी, साक्षरता, तथा अंक ज्ञान के पूर्व-निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने के बजाय केवल दाखिले पर बल देने, मूल साक्षरता, उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा के बीच सम्पर्क की कमी की वजह से नवसाक्षर फिर से निरक्षर हो जाएँ तथा अन्य पहलुओं की वजह से इस कार्यक्रम को काफी बड़ा धक्का लगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसका लक्ष्य वर्ष 1995 तक 15-35 आयु वर्ग के 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, में स्वेच्छा आधारित, मूल्य प्रभावी तथा परिणामोन्मुखी जन अभियानों के माध्यम से एक निश्चित समय-सीमा के अन्तर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में पूर्ण साक्षरता पर अधिक बल दिया जा रहा है। सरकार का यह प्रयास होगा कि वह पूर्ण साक्षरता अभियानों को जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक जिलों/राज्यों में शुरू करे तथा यथाशीघ्र परम्परागत केन्द्र आधारित परियोजनाओं का भी पता लगाए। संशोधित रूप में केन्द्र आधारित कार्यक्रम, जो कि क्षेत्र-विशेष छोटा तथा संघटित तथा समयबद्ध होगा, उसे केवल ऐसे दूर-दराज, पर्वतीय मरुस्थल तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा जहाँ पर पूर्ण साक्षरता के लिए जन-अभियानों के माध्यम से कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए पर्याप्त स्वयं सेवक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। केरल, जिसने अभी हाल ही में पूर्ण साक्षरता प्राप्त की है, गोवा तथा गुजरात राज्य और संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी के अलावा विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रशासनों के 45 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियानों को पहले से ही शुरू किया जा चुका है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, 25-30 अतिरिक्त जिलों में भी इसी तरह के पूर्व पूर्ण साक्षरता अभियानों को शुरू करने का प्रस्ताव है।

## साक्षरता दर

**1657. श्री राम विलास पासवान:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991 की अस्थाई जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य में पुरुषों तथा महिलाओं की पृथक्-पृथक् साक्षरता दर दर्शाते हुए निम्न साक्षरता प्रतिशत वाले राज्यों के नाम क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में अनुमानित साक्षरता दर की तुलना में वास्तविक साक्षरता दर में कितने प्रतिशत गिरावट आई है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक राज्य सरकार को साक्षरता दर बढ़ाने हेतु कौन-कौन सी विशिष्ट शिक्षण परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) वर्ष 1991 के अंन्तिम जनगणना आँकड़ों के अनुसार, राज्यवार स्त्री पुरुष साक्षरता दरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न हैं। आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, उ.प्र. राज्यों तथा दादरा व नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र की साक्षरता दरें, राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 52.11 प्र.श. से कम हैं।

(ग) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को स्कूलों में रोके रखना, शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम और वर्ष 1995 तक (15-35) आयु-वर्ग के 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखने वाला राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, देश में निरक्षरता-उन्मूलन के लिये चालू व्यापक कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं। इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा पर विदेशी वित्तपोषण की परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है और उड़ीसा, म.प्र., राजस्थान तथा उ.प्र. में इसी प्रकार की परियोजनाओं के लिए ऐसी ही सहायता के रास्ते निकाले जा रहे हैं।

**विवरण**

| क्रम सं. | भारत/राज्य/संघ-शासित क्षेत्र | 1991 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | व्यक्ति | पुरुष | स्त्री |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | भारत | | | |
| | राज्य | 52.11 | 63.86 | 39.42 |
| 1 | आन्ध्रप्रदेश | 45.11 | 56.24 | 33.71 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 41.22 | 51.10 | 29.37 |
| 3 | असम | 53.42 | 62.34 | 43.70 |
| 4 | बिहार | 38.54 | 52.63 | 23.10 |
| 5 | गोवा | 76.96 | 85.48 | 68.20 |
| 6 | गुजरात | 60.91 | 72.54 | 48.50 |
| 7. | हरियाणा | 55.33 | 67.85 | 40.94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 63.54 | 74.57 | 52.46 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर * | लागू नही होता | एन.ए. | एन.ए. |
| 10 | कर्नाटक | 55.98 | 67.25 | 44.34 |
| 11 | केरल | 90.59 | 94.45 | 86.93 |
| 12 | मध्यप्रदेश | 43.45 | 57.43 | 28.39 |
| 13 | महाराष्ट्र | 63.05 | 74.84 | 50.51 |

* जम्मू और कश्मीर में 1991 की जनगणना अभी नहीं की गई है।

(लोक सभा कार्रवाई 5 /अगस्त 1991 (पृष्ठ 31 से 50, 70 से 71, 75, 87 से 92, 101 से 102, 109, 126 से 131 तथा 154 से 156)

*9 अगस्त 1991 को 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों तथा पूजा स्थलों की यथापूर्ण स्थिति बनाए रखने हेतु उपाय किए जाने के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया गया।*

*इस विषय पर चर्चा श्री शरद दिघे ने शुरू की।*

*वास्तव में यह विषय उस समय की राजनीति के लिए काफी गर्म था। देश में मंदिर-मस्जिद को लेकर तनाव फैलाया जा रहा था। इस चर्चा में भी यह मुद्दा उठा, बल्कि पूरी बहस ही राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर केन्द्रित रही।*

*श्री शरद दिघे के बाद श्री सैयद शाहबुद्दीन, श्री पवनकुमार बंसल आदि सांसदों के बाद श्री अर्जुन सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। इस समय श्री शरद दिघे पीठासीन थे। श्री अर्जुन सिंह द्वारा प्रस्तुत विचारों से पता लगता है कि इस संकल्प के माध्यम से उनका उद्देश्य उन लोगों को बेनकाब करना था जो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते थे। श्री अर्जुन सिंह का स्पष्ट कहना था कि धर्म के नाम पर बँटवारा पूरे देश को तहस-नहस कर देगा। श्री अर्जुन सिंह का सदैव यह प्रयास रहा कि भारत की राजनीति में साम्प्रदायिकता का विष घोलने वाले लोग राजनीति से बाहर रहें। वे हमेशा इसके लिये कटिबद्ध रहे। श्री अर्जुन सिंह की सदैव यह धारणा व चाहत रही है कि विवादों को लोकतांत्रिक तरीके व आपसी बातचीत के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। इसके अभाव में धार्मिक उन्माद को ही बढ़ावा मिलता है, जो देश के लिए घातक है।*

**सभापति महोदय:** अब हम 12 जुलाई, 1991 को श्री जैनल अबेदिन द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा आरम्भ करेंगे। श्री शरद दिघे अपना भाषण जारी रखें।

**श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य):** सभापति महोदय, मैने पिछली बार इस संकल्प के संबंध में जो कि पहले से सभा के समक्ष विचाराधीन है, कुछ टिप्पणियाँ की थीं।

आज मुझे अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र इस विषय पर चर्चा के समय उपस्थित नहीं है जो वास्तव में इसके लिए काफी चिन्तित थे।

महोदय, पिछली बार मै कह रहा था कि इस नाजुक मुद्दे को राजनैतिक अखाड़े में घसीट कर तथा लोक

सभा और विधान सभा के चुनावों के लिए एक मुद्दे के तौर पर उछाल कर और अधिक नाजुक बना दिया गया है।

वास्तव में वे मूर्तियाँ उस चबूतरे के स्थान पर सबसे पहले 23 दिसम्बर, 1949 को देखी गईं। उस समय तक, एक ही अहाते में मन्दिर तथा मस्जिद के सह-अस्तित्व के आधारभूत सिद्धांत का पालन किया गया तथा वास्तव में 22 या 23 दिसम्बर, 1949 तक इस सिद्धांत का पालन किया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रवक्ता 'आर्गेनाइजर' ने 29 मार्च, 1987 को यह जताया कि 23 दिसम्बर 1949 की ऐतिहासिक सुबह को ये मूर्तियाँ चमत्कारी ढंग से उस चबूतरे पर प्रकट हो गईं। ऐतिहासिक तथ्यों से इस बात की पुष्टि नहीं होती। जिला मजिस्ट्रेट श्री के.के. नायर ने 23 दिसम्बर, 1949 को 10.30 म. पू. उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री गोविन्द वल्लभ पंत को एक रेडियो संदेश भेजा जो इस प्रकार है:-

"कुछ हिन्दू रात को बाबरी मस्जिद में उस समय घुसे जबकि वहाँ कोई नहीं था और उन्होंने वहाँ देवता की मूर्ति स्थापित कर दी। जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस बल वहाँ विद्यमान हैं। रात में 15 व्यक्तियों की एक पुलिस टुकड़ी ड्यूटी पर थी लेकिन प्रत्यक्षतः उन्होने कोई कार्रवाई नहीं की।"

इसलिए इस संदेश से पता चलता है कि उस दिन रात को यह पहला अवसर था कि ये मूर्तियाँ इस चबूतरे पर प्रकट हुईं। यह संदेश किन्हीं श्री माता प्रसाद द्वारा दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. पर आधारित था जिसमें यह कहा गया था:

"जब मै सबेरे करीब आठ बजे जन्म भूमि के स्थान पर पहुँचा, तो मुझे पता चला कि 50-60 आदमियों का एक ग्रुप बाबरी मस्जिद के अहाते के फाटक का ताला तोड़कर या जीने के साथ अहाते की दीवार कूदकर बाबरी मस्जिद के अन्दर घुस गया था और वहाँ श्री भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी और गेरू से अन्दर और बाहर की दीवारों पर सीताराम आदि लिख दिया। वहाँ ड्यूटी पर तैनात हंसराज ने उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहा लेकिन वे नहीं गए। ये आदमी उपलब्ध पी.ए.सी. गार्डों की कमान्ड से पहले ही मस्जिद में प्रवेश कर चुके है। जिला-प्रशासन के अधिकारी मौके पर आए और आवश्यक व्यवस्था करने लगे। बाद में 5-6 आदमियों की एक भीड़ चारों तरफ इकट्ठा हो गईं और भजन गाते हुए तथा नारे लगाते हुए उन्होंने मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश की लेकिन उन्हें वहाँ से हटा दिया गया और समुचित व्यवस्था होने के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। रामदास, रामशक्ति दास तथा 50-60 अन्य अपरिचित व्यक्तियों ने चोरी-छिपे मस्जिद में प्रवेश किया तथा उसकी पवित्रता नष्ट कर दी। ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी तथा अन्य कई व्यक्ति इसके गवाह हैं इसलिए यह सूचना लिखकर दर्ज की गई।"

ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी ने उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की और उसी के आधार पर संदेश भेजा गया। इसलिए पहली बार चोरी छिपे घुसकर इन मूर्तियों को वहाँ स्थापित कर दिया गया। उस समय तक उस जगह पर केवल एक चबूतरा था। पहले के मुकदमों से भी इसकी पुष्टि होती है। पहला मुकदमा 29 जनवरी, 1885 में किया गया था। उस समय महन्त ने वहाँ मन्दिर बनाने की अनुमति के लिए न्यायालय की शरण ली थी। लेकिन न्यायालय ने सरकारी नीति के आधार पर अनुमति देने से इंकार कर दिया। महन्त ने इसके विरुद्ध अपील भी की लेकिन वह अपील भी अस्वीकृत कर दी गई।

इन मूर्तियों की स्थापना के बाद 16 जनवरी, 1990 को कोई सज्जन गोपाल सिंह वहाँ पूजा आदि करने के लिए गए। तब उन्होंने कचहरी में मुकदमा दायर करके पूजा के अधिकार आदि में हस्तक्षेप न किए जाने हेतु निषेधादेश लेने की कोशिश की जो उन्हें मिल गया। इसलिए वास्तव में यह विवाद न्यायालय में इसी बात को लेकर आरम्भ हुआ।

यह संपूर्ण विवाद या सम्पूर्ण नारा भारतीय जनता पार्टी तथा उन हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं से संबंधित तीन अनिश्चित मुद्दों पर आधारित है जो यह मानते हैं कि राम उस स्थान पर पैदा हुए थे और वहीं वास्तव में राम का जन्म स्थान है। मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अनेक ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक तथ्यों के आधार पर इन सब बातों की बिल्कुल पुष्टि नहीं होती। इसलिए मैं यह बताना चाहूँगा कि वास्तविक विवाद ऐसी तीन अनिश्चित बातों पर केन्द्रित है जो इस समय सिद्ध नहीं की जा सकती। पहली बात तो यह कि क्या कि यह वही स्थान है जहाँ राम पैदा हुए थे? दूसरे, क्या यह वही अयोध्या है जिसका उल्लेख रामायण में किया गया है? और तीसरी बात यह कि क्या बाबर ने ही मन्दिर तुड़वा कर उसकी जगह मस्जिद का निर्माण कराया था? ये ऐसे तीन महत्त्वपूर्ण मुद्दे है जिन्हें इस मामले में और आगे कार्रवाई करने से पहले सिद्ध करना पड़ेगा।

अब जहाँ तक पुरातात्त्विक प्रमाण का संबंध है, यह स्पष्ट है और अनेक पुरातत्त्वविदों ने इस बात की पुष्टि की है तथा वे सभी प्रमाण जो हाल ही में सामने आए है, उनसे इस बात का खण्डन हो जाता है और ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला जिससे यह सिद्ध होता हो कि उनकी राय के अनुरूप वास्तव में यह राम का वास्तविक जन्म स्थान है।

अब जहाँ तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सवाल है, राम के जन्म की शताब्दी निर्धारित करने में अत्यन्त कठिनाई है। बहुत से लोग मानते है कि राम त्रेतायुग में हुए, जिसका अर्थ है, लाखों वर्ष पहले हुए थे। श्री. ए.के. मजूमदार जैसे इतिहासकार उनका समय 15 या 14 वीं शताब्दी ईसापूर्व निधार्रित करते हैं, इसलिए इस बात का सही-सही पता लगाना सम्भव नहीं है कि राम किस स्थान पर पैदा हुए थे। बहुत से धार्मिक व्यक्ति मानते हैं कि वे भगवान् विष्णु का अवतार थे। इसके अतिरिक्त, जैसा कि स्वयं राजमाता ने कहा है, वे राष्ट्रपुरुष थे, ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे, राष्ट्र नायक थे। उस दृष्टि से हमें यह स्थापित करना होगा कि राम किस काल में थे और उनका जन्म स्थान कौन-सा था? उस दृष्टि से राम के जन्म-स्थान का पता लगाना संभव होगा।

यदि वर्तमान अयोध्या इन राम की राजधानी मानी जाए तो यह गंभीर शंका पैदा होती है कि क्या वह वास्तव में इस अयोध्या में रहते थे? अनेक इतिहासविद् यह नहीं मानते कि यह वही अयोध्या हैं। सरयू नदीं समय-समय पर रास्ता बदलती रही है और अगर समय-समय पर अपना स्थान बदलता रहा है। अतः इस निष्कर्ष पर पहुँचना बहुत कठिन है कि यही वह स्थान है जो राम के समय विद्यमान था और जैसा कि हम पुस्तकों में पढ़ते आए हैं, उनका साम्राज्य है। कम से कम 15-16 पुजारी कह रहे है कि उनका मंदिर ही वास्तविक जन्म भूमि है। अतः यह संभव नहीं है कि सही स्थिति का पता लगाया जा सके और फिर अनेक स्थानों के बारे में लोगों ने दावे किए हैं वे ही राम जन्म-स्थान हैं।

पुरातत्ववेत्ताओं ने यह सिद्ध किया है कि इस मत के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि यही वास्तव में राम जन्म- स्थान है। जैसा कि मैंने कहा है श्री ए.के मजूमदार, श्री शर्मा और श्री एच.डी. साँकलिया आदि सभी ने इस स्थान के बारे में शंका प्रकट की है।

एक अन्य बात जो हमेशा कही जाती रही है, वह यह है कि यह राष्ट्रीय गौरव की रक्षा का मामला है। क्यों? क्योंकि बाबर ने उस मंदिर को गिरवाया था और उस पर मस्जिद बनवाई गई। थी जहाँ तक उसका संबंध है, यह बात भी अंग्रेजों ने इस देश में फैलाई थी। वे इन दोनों धर्मों के अनुयायियों को लड़ाकर राज्य करना चाहते थे। यह बात पहली बार उन्नीसवीं सदी में फैलाई गई। 1813 में एक अंग्रेज इतिहासकार जॉन लिंडन ने बाबर के संस्मरणों को प्रकाशित किया था और उसने यह दिखाया कि मार्च 1528 में बाबर अयोध्या से गुजरा था। यही जानकारी उसने

दी है। उसने ही कहा है कि 1528 में बाबर इधर से गुजरा था। उसी सूत्र को लेकर कर्नल सिरमन जैसे अन्य अंग्रेज इतिहासकारों ने धीरे-धीरे यह फैला दिया कि जब बाबर वहाँ था तो उसने मंदिर गिराया और यह मस्जिद बनवाई। इस प्रकार से यह धीरे-धीरे फैलाया जा रहा है जिसके लिए कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है किसी भी पुस्तक में यह वर्णन नहीं मिलता है। वस्तुतः संत तुलसीदास जिन्होंने महान ग्रंथ रामचरित मानस लिखा 1528 में उस समय वे 30 वर्ष के थे। वह महान रामभक्त थे। यदि वहाँ कोई राम मंदिर होता और उसे गिराकर मस्जिद बनाई जाती तो वह उसके बारे मे अपने ग्रंथ में लिखते। यदि यह सच होता तो वह अवश्य लिखते।

जहाँ तक मस्जिद के बाहर के प्राकारों पर लेखों का संबंध है, कुछ लोग उस पर विश्वास करते हैं। किन्तु यह कहा जाता है कि ये बाद में लिखे गए क्योंकि यह स्पष्ट है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखे गए जिसे फारसी का ज्यादा ज्ञान नहीं था। फारसी का प्रयोग बिल्कुल सही नहीं है और इसलिए हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं इसलिए मै कह रहा था यह सारी कहानी बहुत ही कमजोर साक्ष्य पर आधारित हैं। वास्तव में यह अब अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर आधारित है जो चाहते थे कि दोनों समुदायों को विभाजित रखा जाए। उन्होंने यह दिखाया कि किसी ने मंदिर को गिराया है और उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया है और यह 1856 में किया गया जब 1857 की क्रांति के संकेत मिलने लगे थे। इसलिए उस समय जानबूझकर यह बात भारत में फैलाई गई ताकि अंग्रजों द्वारा अवध को अपने कब्जे में लेने को न्यायोचित ठहराया जा सके और इस देश में दोनों समुदायों में आपसी मतभेद पैदा किए जा सकें। अतः हमें इन बातों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और तभी कुछ कहना चाहिए।

मैं यह मानता हूँ कि इस समस्या को और आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। बातचीत से हल निकालना ही सर्वाधिक बुद्धिमत्ता का काम होगा। किसी भी राजनीतिक समस्या का हल निकाला जा सकता है और इस मामले में भी यदि ईमानदारी से प्रयत्न किए जाएँ तो कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। कठिनाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों के कारण पैदा होती हैं। एक जगह वह जोर देकर कहते हैं कि मस्जिद को कभी गिराया नहीं जाएगा। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने लखनऊ में 28 जुलाई को कहा कि "मुसलमानों को मस्जिद की सुरक्षा के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं हैं मस्ज़िद को कभी नहीं गिराया जाएगा।" किन्तु फिर वह आगे कहते हैं कि " इसे केवल स्थानांतरित किया जा रहा है और दोनों समुदायों के लोगों को मंदिर और मस्जिद के निर्माण में सहयोग देना चाहिए।" इसका अर्थ यह हुआ कि वे इसे तोड़कर इसका पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। जब वे कहते हैं कि वे इसे स्थानांतरित करेंगे तोड़ेंगे नहीं तो मैं समझता हूँ वे गुमराह कर रहे हैं। इसलिए बातचीत से समस्या का हल ढूंढने में कठिनाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अनुसार समझौता उनकी शर्तो पर होना चाहिए और वह कि मुसलमानों को यह मान लेना चाहिए कि मस्जिद को गिराया जाए ओर उसे स्थानांतरित किया जाए-तभी यह समझौता हो सकता है। हम ऐसे समझौते को नहीं मान सकते हैं। कोई भी समझौता तभी माना जाता है जब दोनों पक्ष संतुष्ट हों। आदान-प्रदान होना आवश्यक है।

26926

इसी दृष्टिकोण से ही इस संकल्प का अत्यधिक महत्व है और इसे सभी को पारित करना चाहिए। यदि मात्र समझौते के स्थान पर " बातचीत के द्वारा हुए समझौते" शब्द जोड़े जाते हैं तो मुझे खुशी होगी?

जहाँ तक सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए इस संकल्प का सबंध है, मेरे विचार से कॉंग्रेस पार्टी अन्य धार्मिक स्थलों के बारे में कह रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषणों में भी यह कहा गया है कि "सरकार दोनों सम्बद्ध समुदायों की भावनाओं का सम्मान करते हुए रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को बातचीत से हल करने के लिए सभी प्रयत्न करेगी। जहाँ तक अन्य सभी धार्मिक स्थलों का सवाल है, 15 अगस्त, 1947 की स्थिति

को बनाए रखने के लिए एक विधेयक रखा जाएगा ताकि कोई और विवाद न उठ खड़ा हो।'' अतः विधेयक में अन्य धार्मिक स्थलों को लिया जाएगा इस स्थल को नहीं। जहाँ तक इस विवाद का संबंध है, इसे दोनों पक्षों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए बातचीत से हल करना होगा।

समय आ गया है जब हमें भी ऐसे विचार व्यक्त करने चाहिए जिससे कि बातचीत से हल निकालने में तेजी आ सके और हम इस कठिन समस्या को समाप्त कर पाए।

**श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज):** सभापति महोदय, मुझे खेद है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी यहाँ विद्यमान नहीं हैं। उनके प्रवक्ता ने जो कई मुद्दे उठाए थे ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, बाबरी मस्जिद विवाद, अयोध्या विवाद से कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। आरम्भ में ही यह बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरा संबंध है ,मैं मानता हूँ कि अयोध्या विवाद से राम के अस्तित्व पर कोई प्रश्न नहीं उठता है। राम के प्रभुत्व पर इससे कोई प्रश्न नहीं उठता है और न ही अयोध्या के दशरथ की नगरी होने पर कोई प्रश्न उठता हैं। इससे महान हिन्दू विद्वानों द्वारा परिभाषित हिन्दू धर्म के किसी तत्व की पवित्रता पर भी कोई असर नहीं पड़ता है।

सभापति महोदय, जो सोए हुए शेर को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, वे उसकी सवारी नहीं करेंगे, वे इसका खुद शिकार हो जाएँगे। हमारे देश की बहुत पुरानी परम्परा रही हैं। हमारे देश के इतिहास में अतीत में अनेक उतार-चढ़ाव आए हैं। हमारे इतिहास के कड़वे तथा मधुर स्वाद चखे हैं। आज हम जो कुछ हैं, वह इतिहास की देन हैं इतिहास से हमें अपनी संस्कृति तथा परम्परा मिली हैं यह कोई जड़ चीज नहीं हैं, यह कोई नहीं कह सकता कि यह कोई समय विशेष या तारीख विशेष को समाप्त हो गया और शुरू हो गया। इसका एक अपना ही गतिशील प्रभाव होता है। अतः, मैं अपने कुछ मित्रों को आगाह करना चाहता हूँ कि वे इतिहास के सोए हुए शेर को जगाने का प्रयास न करें। कोई नहीं जानता है कि कौन उस शेर का शिकार हो जाएगा? सभापति महोदय, एक मुसलमान के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि राम के प्रति श्रद्धा मुझमें किसी से कम नहीं हैं। सच बात तो यह है कि भारत के मुसलमान समुदाय राम को मानवता के इतिहास की एक महान हस्ती मानते हैं। हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। मैं यहाँ बतलाना चाहता हूँ कि इस उप महाद्वीप के एक महान कवि इकबाल ने राम को 'इमामे-हिन्द' कहा था। सभापति महोदय, कृपया इस उक्ति के महत्व को समझने का प्रयास करें। उन्होनें राम को मस्जिद का इमाम नहीं कहा, बल्कि भारत का इमाम कहा, वह भारत जो एक महान पूजा स्थल है।

अपने भाषण के पूर्व कथन के रूप में मैं एक और वक्तव्य देना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सभा के प्रत्येक सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह देश प्रत्येक व्यक्ति का है चाहे वह किसी धर्म या सम्प्रदाय से संबंध रखता हो अथवा कोई भाषा बोलता हो। जब 1947 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता का हस्तांतरण किया गया था तब किसी सम्प्रदाय विशेष को सत्ता हस्तांतरित नहीं की गई था। सत्ता भारत के लोगों को हस्तांतरित की गई, अतः यह कहना कि 1947 में आजादी प्राप्त करने से किसी सम्प्रदाय विशेष को विशेष शक्ति प्राप्त हो गई है यह कानूनी दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है।

महोदय, मैंने विश्व हिन्दू परिषद् तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस विवादित ढांचे के वास्तविक दर्जे से अवगत नहीं है। कुछ इस बात को स्वीकार करते है कि ढाँचा एक मस्जिद है और इस पर पहले से बने मंदिर को गिराकर इसे बनाया गया है। कुछ लोग कहते है कि आज जो ढाँचा है, वह मस्जिद नहीं है और न ही कभी मस्जिद रही है क्योंकि उसका दरवाजा पश्चिम की ओर नहीं

है और मीनारें नहीं हैं और यह जो ढाँचा दिखाई देता है वह मंदिर था। इन दोनों विचारधाराओं के बीच एक तीसरी विचारधारा है कि आधार में मूल ढाँचा मंदिर था। मुस्लिम शासक मीर बाकी अथवा बाबर ने इसके ऊपर गुंबद बनवा दिया और मंदिर को मस्जिद में बदल दिया, अतः गुंबद को हटाकर इसे मंदिर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

एक अन्य बिन्दु भी है जिसका स्पष्टीकरण वे नहीं देते हैं। रामजन्म स्थान और रामजन्म भूमि में क्या फर्क है?

एक बार मैंने स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गाँधी से यह प्रश्न पूछा था परन्तु उन्होंने इसमें अन्तर नहीं बताया था। मेरे विचार से रामजन्म भूमि कोई छोटा टुकड़ा नहीं हो सकता। रामजन्म भूमि तो यह पूरा देश हैं। इसे सीमित आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता, यह भूमि का एक छोटा टुकड़ा नहीं हो सकता। शायद, जन्मस्थान को 'राम जन्मस्थान' के रूप में उपयुक्त रूप से नाम दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, शायद आपको मालूम होगा कि अयोध्या में पहले से ही एक भव्य मंदिर है जिसे जन्मस्थान मंदिर कहा जाता हैं। यह मंदिर बाबरी मस्जिद से उत्तर दिशा पर स्थित है। इस मंदिर को अयोध्या के सभी महन्त बहुत श्रद्धा से देखते हैं। वस्तुतः अयोध्या के किसी मंदिर में कोई नया महन्त गद्दीनसीन होता है तो राम जन्मस्थान मंदिर में किए जाते हैं। अतः बाबरी मस्जिद के सटे एक राम मंदिर है जिसे पूरा हिन्दू समाज राम जन्मस्थान के रूप में मानता है।

सभापति महोदय, अनेक बातें कही गई हैं और तथ्य गढ़े गए हैं एवं मिथकों को इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया गया हैं यह कहा गया हैं कि 1528 से अब तक राम जन्म स्थान मंदिर को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों युद्ध किये गए हैं और हजारों लोगों ने कुबार्नियाँ दी हैं, परन्तु इतिहास में ऐसे किसी युद्ध का उल्लेख नहीं हैं। यह कहा गया हैं कि 1855-56 में बाबरी मस्ज़िद के प्रश्न पर हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष हुआ था। 1855-56 में संघर्ष एक छोटे मस्ज़िद के बारे में हुआ था। वह मस्जिद हनुमान गढ़ही के सटे थी तथा जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। वह मस्ज़िद हनुमान गढ़ही में मिला लिया गया था। जैसा कि श्री शरद दिघे ने कहा है कि इस संघर्ष को तत्कालीन ब्रिटिशों ने उकसाया था। वस्तुतः 1949 तक बाबरी मस्जिद पर किसी ने दावा नहीं किया था। वर्ष 1985 का जो मुकदमा है वह राम चबूतरा पर मंदिर बनाने के लिए राम चबूतरा के महन्त द्वारा दायर किया गया था और वह याचिका बाबरी मस्ज़िद से बिल्कुल संबंधित नहीं थी। यदि आप पूरे वाद को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि महन्त द्वारा पूरे वाद में एक भी शब्द में बाबरी मस्ज़िद पर दावा किया हो। उन्होंने राम चबूतरा का उल्लेख किया है जो बाबरी मस्ज़िद से कुछ फीट दूर हैं। इसलिए मैं एक बुनियादी बात कहना चाहता हूँ जो यह है कि 1949 तक बाबरी मस्ज़िद पर दावे का कोई रिकार्ड नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि बाबरी मस्जिद भगवान राम का जन्म स्थान था। मैं इस बात के लिए विश्व हिन्दू परिषद् को चुनौती देना चाहता हूँ। वर्ष 1949 में, तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के रिकार्ड किए गए शपथ-पत्र के शब्दों में, दिसम्बर 22-23, 1949 की रात में गैरकानूनी तथा गुप्त रूप से राम लला की मूर्ति बाबरी मस्जिद में रख दी गई। यह एक तथ्य है कि इस अवैध अतिक्रमण की रिपोर्ट ड्यूटी पर तैनात एक हिन्दू सिपाही ने की थी। उसने रामकोट थाने के हिन्दू दरोगा को रिपोर्ट की थी और मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष आया जो हिन्दू था। ये सारे रिकार्ड हमारे समक्ष मौजूद हैं। तदनंतर धारा 144 तथा धारा 145 के अन्तर्गत कार्रवाई हुई तथा संपत्ति रिसीवर के हाथों सौंप दी गई और वाद के निर्णय होने तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है।

इस समय इसके स्वामित्व के बारे में अनेक मुकदमे चल रहे है– लगभग चार मुकदमे है जो लखनऊ उच्च

न्यायालय की विशेष खण्डपीठ के समक्ष विचाराधीन हैं। इस विशेष खण्डपीठ ने एक बार नहीं वरन् दो बार इस बात की पुष्टि की है कि स्वामित्व के बारे में निर्णय होने तक यथातथ्य स्थिति बनी रहनी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जब 1 फरवरी, 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के जिस आदेश से बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया था, वह उसके स्वामित्व संबंधी मूल प्रश्न के बारे में निर्णय नहीं था। वस्तुतः जारी किए गये आदेश में यह स्पष्टतः लिखा हुआ है कि यह आदेश स्वामित्व संबंधी मुकदमों को प्रभावित नहीं करता है। यह आदेश केवल हिन्दू समुदाय को दर्शन करने की अनुमति प्रदान करने की दृष्टि से जारी किया गया था, मै उस आदेश की वैधता को चुनौती दे सकता हूँ किंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि उस आदेश में यह नहीं कहा गया है कि जिला न्यायाधीश ने विवादास्पद सम्पत्ति के स्वामित्व के बारे में फैसला सुनाकर उसे विश्व हिन्दू परिषद को सौंप दिया है।

विचित्र विडम्बना है कि हालाँकि 22-23 दिसम्बर, 1949 की रात को पूजा हेतु मूर्तियाँ अवैध तरीके से विवादास्पद स्थल पर स्थापित कर दी गई थीं, फिर भी वे न्यायालय के इस अंतरिम आदेश के कारण अभी तक वहाँ है, कि पूजा वहाँ सम्पन्न की गई है कि रिसीवर द्वारा तैयार की गई इस योजना को एक अन्तर्वर्ती आदेश से अनुज्ञा प्रदान कर दी गई थी कि न्यायिक आदेश द्वारा सार्वजनिक दर्शन के लिए इजाजत दी गई थी इसके बावजूद दूसरे पक्ष में बैठै हमारे मित्र कहते हैं कि यह विवाद न्यायिक प्रक्रिया का विषय है ही नहीं। वे प्रत्येक न्यायिक आदेश का लाभ उठाते है और फिर उसके अधीन दावा भी करते हैं किन्तु स्वामित्व संबंधी प्रश्न पर कहते हैं कि यह मामला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैं यह नहीं समझ पाता हूँ और शायद कोई भी नहीं समझ सकता है क्योंकि यह सामान्य ज्ञान से परे की बात है कि कोई सदाशय व्यक्ति इस तरह की बात कैसे कर सकता है। जो व्यक्ति न्यायालय के अन्तर्वर्ती आदेशों का लगातार लाभ उठा रहा हो, वह न्यायालय के प्राधिकार तथा न्यायिक प्रक्रिया को कैसे नामंजूर कर सकता है? यह समझना नितान्त आवश्यक है।

महोदय, वर्ष 1989 और 1990 के दौरान बहुत अप्रिय बातें हुई हैं। मेरी राय में शिलान्यास अवैध था। जिस प्रकार दो बार कार-सेवाएँ आयोजित की गई थीं, वह भी अवैध थीं क्योंकि उन्होंने विवादग्रस्त परिसर में अवैध रूप से प्रवेश किया था। तत्कालीन सरकार ने शिला यात्रा के लिए जो अनुमति प्रदान की थी वह इस देश की दांडिक विधि के अनुसार अनुचित थी क्योंकि इससे अशांति फैलने की आशंका थी और ऐसा हुआ भी था। शिलान्यास भी अवैध था क्योंकि अयोध्या या भारत के किसी भी स्थान पर नगरपालिका प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी तरह का निर्माण सम्भव नहीं है और भारत की कोई भी नगरपालिका ऐसे किसी स्थान पर किसी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं प्रदान कर सकती जिसमें या जिसके अन्तर्गत विवादग्रस्त सम्पत्ति भी सम्मिलित हो। इसीलिए अनुमति प्राप्त किए बिना किसी योजना के आधार पर किसी विवादग्रस्त सम्पत्ति वाले स्थान पर किया गया निर्माण तथ्यतः और मूलतः अवैध है और गैर-कानूनी है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि जहाँ शिलान्यास किया गया था, वह स्थान विवादग्रस्त परिसर के बाहर था- हालाँकि ऐसा नहीं है- फिर भी जो योजना प्रथम दृष्ट्या अवैध है, उसके आधार पर किसी प्रकार के निर्माण की शुरुआत भी अवैध ही है। बहरहाल, भारत सरकार की अपनी राजनैतिक मजबूरियाँ हैं, प्राथमिकताएँ है जिनके आधार पर उसने शिलान्यास के लिए अनुमति प्रदान की है उसके बाद जो हुआ वह हम सभी को मालूम है। कार-सेवा के लिए रथयात्रा द्वारा दबाव डाला गया। जब कार-सेवा के लिए मंजूरी नहीं दी गई तो अयोध्या में वह दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, हमें उसके राजनैतिक परिणाम भी मालूम है। भारतीय जनता पार्टी ने उसे चुनावी मुद्दा बनाया और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को गिरा दिया, उसने राम

लहर पैदा करने के लिए राम के नाम का दुरुपयोग किया। उसने मण्डल के खिलाफ मंदिर का मुद्दा उठाया और अपने लक्ष्य में सफल हुए।

हम 1987 से वार्ता कर रहे है। जून, 1987 तथा अक्तूबर, 1987 के बीच तत्कालीन गृह मन्त्री सरदार बूटा सिंहजी ने विश्व हिन्दू परिषद् और बाबरी मस्जिद आन्दोलन के नेताओं के साथ बातचीत की। आरम्भ में सरकार का दृष्टिकोण यह रहा कि यह उनकी चिन्ता का विषय नहीं बल्कि स्थानीय समस्या है, तथा यह राज्य की समस्या है और यह कि मामले को फैज़ाबाद में या लखनऊ में निपटाया जाना चाहिए। बाद में उन्हें यह समझ में आया और यह राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और अन्ततः उन्होंने बात करने का निर्णय किया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि यदि कोई समान आधार नहीं मिलता तो एकमात्र उपाय, जिसके प्रति सरकार वचनबद्ध है- न्यायिक प्रक्रिया आरम्भ करके उसे तेज किया जाए। ऐसा ही किया गया। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आ गई। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने प्रोफेसर मधु दण्डवते की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी। उन्होंने लम्बे समय तक बातचीत नहीं चलाई। लेकिन उन्होंने दोनों पक्षों के साथ कुछ बैठकें कीं। वे भी इस निर्णय पर पहुँचे कि विश्व हिन्दू परिषद् इस बात के पक्ष में है कि संबंधित सम्पत्ति में मुस्लिम समुदाय अपने संपूर्ण अधिकारों का परित्याग कर दे, वहीं बाबरी मस्जिद आंदोलन के नेताओं की स्थिति यह थी कि वे कानून के शासन का सम्मान करने के लिए वचनबद्ध हैं लेकिन किसी दबाव या जोर जबरदस्ती से हस्ताक्षर करके सम्पत्ति के अधिकार से वंचित होने के लिए तैयार नहीं हैं तथा इन दोनों के बीच कोई समान आधार नहीं है।

इसके बाद चन्द्रशेखर सरकार आई। मेरे विचार में उन्होंने एक गलत रवैया अख्तियार किया। देश के समक्ष कुछ कर दिखाने की जल्दी में उन्होंने अपने आपको निर्णायक की भूमिका में रखकर दोनों पक्षों को आमने-सामने लाने की कोशिश की। मैंने तत्कालीन प्रधान मंत्री से कहा था कि कार्यपालिका, न्यायपालिका का स्थान नहीं ले सकती तथा भारत के प्रधान मन्त्री न तो एक न्यायालय है ओर न ही जाँच आयोग या कोई न्यायाधिकरण। वे दोनों पक्षों से अपने प्रमाण उनके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए नहीं कह सकते, उनसे अपने प्रमाण केवल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है और तब न्यायाधीश ही कोई निर्णय कर सकता है। निश्चय ही, दोनों पक्षों से अपने प्रमाण न्यायालय के समक्ष या विशेष पीठ अथवा इस प्रयोजन के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है लेकिन कार्यपालिका गठित मामले के सापेक्षिक गुण-दोषों का निर्णय नहीं कर सकती। अतः जैसी उम्मीद थी, वैसा ही हुआ अर्थात् इस सबका कोई परिणाम नहीं निकला।

महोदय, इस बारे में कानूनी स्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा मस्जिद का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, पूजा के किसी स्थान का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। मन्दिर निर्माण कोई सार्वजनिक प्रयोजन नहीं है, दूसरे मुस्लिम विधि के अनुसार, कोई मस्जिद किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपहार में नहीं दी जा सकती। किसी भी व्यक्ति को हस्तांतर करके या उसे दान में देने का अधिकार नहीं है।

हाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहासकारों और विद्वानों के एक दल ने सर्वेक्षण करके स्कंदपुरण और अयोध्या महात्म्य में दिए गए वर्णन के अनुसार अयोध्या के मानचित्र पर कुछ निशान लगाए है ताकि यह सही-सही पता लगाया जा सके कि भगवान राम का जन्मस्थान कौन-सा हैं। उन्होंने पाँच विभिन्न स्थानों को अंकित किया था और उनमें से कोई स्थान वर्तमान बाबरी मस्जिद में नहीं आता था। यह दल इतिहासकार प्रोफेसर सुशील श्रीवास्तव के नेतृत्व में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक विशेष अन्वेषण दल था।

विश्व हिन्दू परिषद यह कहती है कि बाबरी मस्जिद पूर्व-निर्मित मंदिर पर खड़ी हुई है। किसी ने भी यह मंदिर

नही देखा है और न ही किसी ने इसका उल्लेख किया है। यह कहा गया कि मंदिर विक्रमादित्य ने बनाया था। यह भी कहा गया कि गुर्जरों ने 11 वीं सदी मे इसका निर्माण किया था। मैं यह बताना चाहता हूँ कि बाबर अयोध्या में आने वाला पहला मुसलमान नहीं था। 1194 में घोरिसों ने कन्नौज साम्राज्य से अयोध्या छीनी थी।

1194 से 1526 तक जब बाबर भारत में आया, यह मुस्लिम शासन के अधीन रहा। यह मुस्लिम शिक्षा और संस्कृति का महान केन्द्र बना। 1126 और 1528 के बीच अयोध्या में किसी ऐसे मंदिर के अस्तित्व का कोई रिकार्ड नही है। फाह्यान हर्षवर्धन के समय वहाँ आया था; ह्वेनसांग ने अयोध्या का भ्रमण किया था और दोनों में से किसी ने भी ऐसे किसी अन्य मंदिर को नहीं देखा था। अतः विक्रमादित्य पर 11 वीं या 12 वीं शती में गूजरों द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया जाना मात्र कल्पना ही है। 1528 तक न तो किसी भी तत्कालीन इतिहासकार द्वारा इसका उल्लेख किया गया है और न ही इस बात का कोई रिकार्ड, लेख अथवा सिक्का है जो इस बात की पुष्टि करता हो कि वहाँ कोई मंदिर विद्यमान था। 1528 से आज तक, जब हम पणिक्कर जैसे इतिहासकार तक पहुँचते हैं, किसी भी प्रमुख इतिहासकार ने यह नहीं कहा कि 1528 में वहाँ उस स्थान पर मंदिर बना हुआ था जिसे गिराकर बाबरी मस्जिद बनाई गई है।

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

यहाँ बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने शिलान्यास के लिए इजाजत दी। यह बिल्कुल भी सच नहीं है उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया है...(व्यवधान)...। सम्भव है श्री बूटा सिंहजी ने विश्व हिन्दू परिषद् के साथ कुछ शर्तों के आधार पर तथा भविष्य में अच्छे आचरण का वायदा लेकर कोई समझौता किया हो जिसके तहत इसकी अनुमति दी गई है। बदकिस्मती से उस वायदे को भी पूरा नहीं किया गया। वस्तुतः जो आदेश जारी किया गया था वह 7 नवम्बर, 1989 का या जिसे इलाहाबाद की विशेष पीठ ने जारी किया था, जिसमें साफ-साफ यही कहा गया है कि जिस प्लॉट नम्बर 586 पर शिलान्यास किया गया है वह विवादग्रस्त परिसर का ही हिस्सा है किन्तु अब स्थानीय प्रशासन ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए सही नक्शा पर एक दूसरा नक्शा लगाकर यह जताने की कोशिश की है कि जिसे मूल वाद के साथ संलग्न किया गया था, इसीलिए वह स्थान विवादग्रस्त नहीं था। कार्यपालिका में यह साहस नहीं है कि न्यायपालिका के पास यह स्पष्टीकरण लेकर फिर से जाए और उससे स्पष्टीकरण कारक आदेश प्राप्त कर ले। कार्यपालिका ने इस बारे में एकपक्षीय निर्णय ले लिया कि कौन-सा प्लाट नम्बर 586 का हिस्सा है ओर कौन-सा नहीं है। खैर आज यह माँग की जा रही है कि उन्हे प्लॉट नम्बर 586 में जाने दिया जाए। यहाँ महोदय मै यह कहना चाहूँगा कि प्लॉट नम्बर 586 की सीमा रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, और यदि केवल तर्क के लिये तर्क करना है तो यह मंजूर किया जाता है कि शिलान्यास संबंधी कार्य विवादास्पद परिसर के ठीक बाहर ही किया गया है और आज जिस चीज की माँग की जा रही है उसके लिए यदि उत्तर प्रदेश की सरकार अनुमति देती है तो बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ाया गया एक भी कदम यथास्थिति बनाए रखने संबंधी आदेश का उल्लंघन करेगा, तथा ऐसा करना विवादास्पद परिसर में प्रवेश करना ही माना जाएगा क्योंकि शिलान्यास स्थल, जो कि बहुत छोटा-सा स्थान है, से परे प्लॉट संख्या 586 है जो विवादास्पद परिसर का हिस्सा हैं वहाँ उच्च न्यायालय के यथास्थिति बनाए रखने संबंधी आदेश के अधीन प्रतिबंध लागू है, और इसीलिए स्वामित्व का निर्णय होने से पहले यदि निर्माण कार्य होता है, यहाँ तक कि एक ईंट भी विवादास्पद क्षेत्र में रखी जाती है, तो इस देश के कानून का उल्लंघन होगा और न्यायालय का अपमान माना जाएगा।

महोदय, बाबरी मस्जिद की तुलना सोमनाथ मंदिर संबंधी मामले से की गई है। दरअसल सोमनाथ मंदिर के मामले में

ऐसा कोई विवाद नहीं है। वह तो एक प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार का मामला था। उसके बारे में कोई मुकदमा लम्बित नही था, यथास्थिति बनाए रखने के लिए कोई आदेश नहीं किया गया था और किसी तरह का विवाद भी नहीं था। इसलिए सोमनाथ मंदिर के मामले की बाबरी मस्जिद के मामले से कैसे तुलना की जा सकती है।

**श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़):** सभापति महोदय, प्रत्येक धर्म भाईचारे और सहनशीलता का अमर संदेश देता है। सभी धर्मों का आदर करना हमारे आचरण का हिस्सा है और यह हमारी सदियों पुरानी 'सर्वधर्म समभाव' की अवधारणा में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता हैं। यह हमारी धर्मनिरपेक्षता है– यह एक ऐसी अवधारणा है जिसका हमने इस विशाल और वैविध्यपूर्ण देश के संचालन के लिए एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में चयन किया है।

हमारा सदैव ही यह विश्वास रहा है कि व्यक्ति के जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान हैं। इससे हमारा जीवन उत्कृष्ट बन जाता है। जब सांसारिक संघर्षों से मन की शांति के बिखरने का खतरा पैदा हो जाता हैं तब धर्म मस्तिष्क को दिव्य शांति प्रदान करता हैं। लेकिन धर्म वास्तव में एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसे किसी भी ओर चलाया जा सकता है। जहाँ हम इसके द्वारा बुराइयों पर सदगुणों की विजय प्राप्त कर सकते हैं वहीं दुरुपयोग किए जाने पर यह विध्वंस का प्रभावशाली हथियार बन जाता है। हमें इसका उन अनेक अवसरों पर दुःखद अनुभव हुआ है जब-जब साम्प्रदायिक हिंसा ने भारत की एकता और अखण्डता के सुन्दर ताने बाने को छिन्न-भिन्न करने का खतरा पैदा कर दिया और निर्दोष लोगों को अकथनीय दुःखों और संकटों का शिकार होना पड़ा।

साम्प्रदायिक धर्मान्धता की आग छोटी-छोटी बातों पर भड़क उठती है लेकिन आज अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के अशोभनीय विवाद से समूचे राष्ट्र के भीषण संघर्ष की चपेट में आने का खतरा पैदा हो गया है। मुझे विश्वास है कि यदि इस मामले को स्वयं अयोध्या के लोगों पर छोड़ दिया जाता, तो यह मामला आज भी खतरनाक स्थिति में नहीं पहुँचता। लेकिन इससे भारत माँ के शरीर से मांस नोंच कर भागने वाले गिद्ध इस मांस से वंचित रह जाते।

अपनी प्रणाली में हमने न्यायपालिका की अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति स्वीकार की है। किसी गैर-सरकारी अथवा सरकारी कार्रवाई से पीड़ित हर व्यक्ति न्याय के लिए न्यायपालिका की ओर देखता है। विधि के शासन द्वारा शासित कोई भी समाज केवल तभी जीवित रह सकता है यदि हम कानून को अपने हाथ में लेने अथवा जंगल राज अपनाए बिना पारस्परिक विवादों का समाधान किसी निष्पक्ष अधिकरण द्वारा फैसला किए जाने हेतु छोड़ दें।

दुर्भाग्य से आज हम देखते हैं कि विश्व हिन्दू परिषद् और भारतीय जनता पार्टी उस स्थान पर जहाँ शताब्दियों से मस्जिद खड़ी है, मन्दिर का निर्माण करने की योजना पर आगे बढ़ने की धमकी दे रहे हैं और उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्णय अथवा उन लोगों की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह की भी परवाह नहीं की है जो राजनैतिक शक्ति की बजाय साम्प्रदायिक सद्भाव और जनशांति को ज्यादा महत्व प्रदान करते हैं। यह विक्षुब्धता पैदा करने का कार्य वे लोग अपने क्षुद्र राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं और एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचते कि उनके कार्यों के अमंगलकारी परिणाम क्या होंगे? और वे न्यायपालिका के विरुद्ध बोल रहे हैं।

जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य, जो इस समय उपस्थित नहीं हैं– ने संकल्प में संशोधन पेश करते समय विस्तार से उस बात का उल्लेख किया था जिसे उन्होंने मस्जिद को मौजूदा स्थल से हटाने की माँग को उचित ठहराने के लिए निर्विवाद प्रमाण के रूप में समझा और माना था। लेकिन दुर्भाग्य से वे और उनके साथी, जैसा कि श्री शहाबुद्दीन ने बहुत ही साफ तौर पर कहा था, न्यायालय के निर्णय का सम्मान करने से इन्कार कर रहे हैं और दर्प से यह घोषित कर रहे है कि मन्दिर केवल उसी स्थान पर बनाया जाएगा। यह संकल्प देश के सही दिशा में सोचने वाले हर आदमी की भावनाओं का प्रतीक है।

मुझे किसी भी व्यक्ति की देशभक्ति पर सन्देह नहीं है। हमने इस बात पर काफी हो-हल्ला उठता देखा है। ऐसा करने का मुझे अधिकार नही है। लेकिन अत्यंत विनम्रता के साथ मैं कहूँगा कि ऐसे कार्यों को देश भक्ति का कार्य मानने के लिए मै नहीं समझ सकता क्योंकि इससे उपद्रव, सांप्रदायिक तनाव, हिंसा और तोड़फोड़ की गुंजाइश है जिससे देश भी टूट सकता है।

**श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर):** आपके पास भी शब्दों की कमी है।

**श्री अर्जुन सिंह:** मैं कम से कम उधार नहीं लेता।

महोदय, मै यह कह रहा था कि हमें पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस संबंध में सीमाएँ निधार्रित करनी होंगी और इन मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपसी सहमति तथा बातचीत और शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है ताकि और अधिक धार्मिक उन्मादों को बढ़ावा न मिले। यह अत्यधिक जरूरी है और कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में इसे पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है जिसे भारत के माननीय राष्ट्रपतिजी ने संसद के दोनों सदनों के समक्ष अपने अभिभाषण में दोहराया है कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद वाले मामले को छोड़कर सभी धार्मिक स्थलों के मामले 15 अगस्त, 1947 की स्थिति को बरकरार रखा जाए। राम जन्मभूमि विवाद को उससे बाहर इसलिए नहीं रखा गया है कि इस मामले में विवाद है बल्कि इसमें सोमनाथ मंदिर के मामले का भी उल्लेख किया गया है जबकि यह मामला पहले ही समाप्त हो चुका है।

अतः इस संकल्प की भावना इस देश के उन लोगों की आकांक्षाओं के पूर्णतः अनुरूप है जिनके दिल में केवल अपनी भारत माता के कल्याण का भाव है।

**श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर):** हम यह जानना चाहते है कि क्या मंत्री महोदय इस संबंध में इसी सत्र में विधेयक लाने जा रहे हैं?

(लोकसभा कार्रवाई /9 अगस्त 1991, पृष्ठ 274 से 305)

*13 अगस्त 1991 को सदन में लोक सभा उपाध्यक्ष पद हेतु मतदान हुआ। भाजपा के श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या का नाम प्रस्तावित किया गया जिसका श्री अटल विहारी वाजपेयी ने समर्थन किया। किन्तु इसके बाद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने श्री रशीद मसूद का नाम भी इस पद के लिए प्रस्तुत कर दिया। इससे सदन में मतदान आवश्यक हो गया। मतदान में श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या निवार्चित हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय श्री शिवराज वी.पाटिल ने उनके निर्वाचन होने की घोषणा की। लोकसभा की परंपरा के अनुसार सदन के नेता श्री अर्जुन सिंह तथा विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री एस मल्लिकार्जुनय्या को उपाध्यक्ष के आसन तक लेकर गए।*

*उपाध्यक्ष को बधाई देते हुए श्री अर्जुन सिंह ने कहा कि विपक्ष भी जनता के निर्णय की एक झलक है और कांग्रेस दल जनता के निर्णय का व संसदीय परंपराओं का सम्मान करती है।*

*उपाध्यक्ष को बधाई देते समय अनेक माननीय सदस्यों ने विषय के विपरीत अन्य बातों को उठाया जिसका श्री अर्जुन सिंह ने विरोध किया। श्री अर्जुन सिंह का कहना था कि यह अवसर उपाध्यक्ष को बधाई देने का है अन्य विषयों को उठाने का नही। श्री अर्जुन सिंह का सदन में सदैव विषय केन्द्रित बोलने का प्रयास रहा। वे इसे सदन की गरिमा के लिये आवश्यक मानते थे।*

**अध्यक्ष महोदय:** अब हम उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव लेंगे।

श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा दिया एक प्रस्ताव है। उन्होंने मुझे लिखा है कि वह उसे प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। खैर, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या वह अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहेंगे— उपस्थित नहीं हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** एक अन्य प्रस्ताव श्री लाल कृष्ण आडवानी का है। मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी को अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए बुलाता हूँ।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या; जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ):** महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

**श्रीमती विजयाराजे सिंधिया (गुना):** महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ:

"कि श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

**श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़):** महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतहपुर):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि श्री रशीद मसूद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

**श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा):** महोदय, मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय:** अब मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को, जिसका श्री अटल बिहार वाजपेयी ने अनुमोदन किया है, सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

"कि श्री एस.मल्लिकार्जुनय्या, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

जो इसके पक्ष में कृपया 'हाँ' कहें।

**अनेक माननीय सदस्य:** 'हाँ'।

**अध्यक्ष महोदय:** जो इसके विरुद्ध हैं, वे कृपया 'नहीं' कहें।

**कुछ माननीय सदस्य:** 'नहीं'।

**अध्यक्ष महोदय:** मैं समझता हूँ कि 'हाँ' वाले सदस्यों की संख्या अधिक हैं। 'हाँ' वाले सदस्यों की संख्या अधिक है।

**कुछ माननीय सदस्य:** 'नहीं' वाले सदस्यों की संख्या अधिक है।

**अध्यक्ष महोदय:** क्या आप मत-विभाजन चाहते हैं?

दीर्घाएँ खाली कर दी जाएँ—

**अध्यक्ष महोदय:** अब दीर्घाएँ खाली कर दी गई हैं।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखने से पहले मैं सदस्यों को उनकी सुविधा हेतु सभा में किस प्रकार मतदान किया जाना है पढ़कर बताता हूँ।

एक पुश बटन सेट जिसमें एक द्योतक बत्ती और तीन पुश बटन एक बसन्ती बटन "हां" के लिए, एक लाल बटन "ना" के लिए, एक काला बटन- "मतदान में भाग न लेने के लिए" और इसके साथ-साथ तार से लटका हुआ एक पुश बटन स्विच प्रत्येक सदस्य की सीट पर लगा हुआ है। जब पीठासीन अधिकारी द्वारा मतविभाजन कराने का आदेश दिया जाता है तो एक घंटा बजता है जो सदस्यों के लिए मतदान करने का संकेत होता है। प्रत्येक सदस्य को पुश स्विच को दबाना होता है और उसके बाद अपनी इच्छानुसार तीनों पुश बटनों में से एक को दबाना होता है। दस सैकेंड के पश्चात् जब तक घंटा दूसरी बार नहीं बजता तब तक पुश बटन और पुश स्विच को दबाए रखना जरूरी है। पुश बटन सेट पर एक द्योतक बत्ती बटन और पुश स्विच के दबाने के साथ जल उठेगी और इस बत्ती का जलना इस बात का द्योतक है कि मत को यंत्र द्वारा लिखा गया है।

यदि कोई सदस्य किसी कारण से बटन दबाकर मत नहीं दे सकें तो वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएँ और अपना मत डिवीजन क्लर्क से पर्ची प्राप्त करके उस पर अभिलिखित करवा लें।

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाएँ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

**अध्यक्ष महोदय:** शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में: 278

विपक्ष में: 104

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**अध्यक्ष महोदय:** मैं घोषणा करता हूँ कि श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या विधिवत इस सभा के उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं।

(सभा के नेता श्री अर्जुन सिंह तथा विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या को उपाध्यक्ष के स्थान तक ले गए)

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज इस सभा ने इस माननीय सभा के उपाध्यक्ष का चयन कर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। उपाध्यक्ष महोदय को विधायी कार्य के बारे में बहुत अनुभव हैं और हम सभी जानते हैं कि इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल इस सभा के सभी वर्गों के लिए संतोषजनक रहेगा। इस चुनाव के परिणामस्वरूप एक बात सामने आई है और आपकी अनुमति से मैं सभा को वह बात याद दिलाना चाहता हूँ जो मैंने उस समय कही थी जब विश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही थी, वह यह कि अब हम इस देश में एक अलग राजनीतिक विकास के चरण में हैं। इस सभा में दोनों ओर जनता द्वारा दिए गए निर्णय की झलक मिलती है। जैसाकि प्रधान मंत्रीजी ने भी कहा है कि कॉंग्रेस दल इस देश की जनता के फैसले का सम्मान करता है और इस प्रकार कार्य करने का प्रयास करेगा कि जिससे उनके द्वारा और उनकी सरकार द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय पर पिछले चुनावों में प्रतिबिम्बित जनता के निर्णय की छाप रहे। उपाध्यक्ष पद के मुद्दे के बारे में मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस सभा की बेहतर परम्पराओं...(व्यवधान)

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा):** आपने सभा की परम्पराओं को तोड़ा है आठवीं लोक सभा

में आपने अपने सहयोगी दल अन्ना द्रमुक को उपाध्यक्ष का पद दिया था। (व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह:** इस सभा के मुख्य विपक्षी दल के उम्मीदवार को ही उपाध्यक्ष बनाया गया है और कांग्रेस दल ने इस परम्परा को बनाए रखा है- इसी आधार पर हमने निर्णय लिया है। मैं उपाध्यक्ष महोदय की उनके नए पद पर सफलता के लिए कामना करता हूँ। (व्यवधान)

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर):** अध्यक्षजी, मैं श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या को बधाई देता हूँ, उनका अभिनन्दन करता हूँ कि उनको उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया है। पार्टी के एक सहयोगी के नाते मेरा उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचय तो बहुत वर्षों से रहा, किन्तु आज से 12-13 वर्ष पहले जब देश एक विशेष परिस्थिति में से गुजर रहा था और लोकतंत्र पर ग्रहण सा लग गया था (व्यवधान) उस समय उनको बहुत निकट से देखने का भी अवसर मिला। जब बंगलौर केन्द्रीय कारावास में वे और मैं एक साथ नजरबन्द थे। तब से लेकर उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी सहृदयता के बारे में, उनकी मृदुभाषी प्रकृति के बारे में, हरेक को सहयोग देकर के, हरेक की चिन्ता करके, हरेक का कार्य करने की उनकी प्रकृति के बारे में मन पर बड़ी गहरी छाप रही है। और इस बार जब भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के रूप में संसद में पहुँची और सरकारी पार्टी से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, क्या परम्परा ठीक होनी चाहिए, इस बारे में विचार-विमर्श होकर जो सहमति बनी, उससे मुझे और मेरी पार्टी को लगा कि अगर एक ऐसे व्यक्ति को, जो कर्नाटक के विधान-मण्डल की 19 वर्षों तक सेवा कर चुके हैं और कर्नाटक विधान परिषद् में भी उपाध्यक्ष के रूप में प्रभावी भूमिका निभा चुके हैं, लोकसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया जाए तो संसद के प्रति हम न्याय करेंगे। इस विचार से ही मैंने आज यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका सदन ने समर्थन किया है। मैं प्रधान मंत्री का, सरकार का और सदन के नेता का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने अब तक जो भी कुछ हुआ हो लेकिन एक परम्परा की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि जिस नए अध्याय का उल्लेख सदन के नेता ने किया कि हमारा लोकतन्त्र एक नई परिस्थिति में से होकर गुजर रहा है और उस नई परिस्थिति में मतभेद होने के बावजूद भी, अगर हम परम्पराओं की चिन्ता करेंगे, अगर हम संस्थाओं की चिन्ता करेंगे, जिनका विगत वर्षों में ह्रास होता रहा है, तो इस नए अध्याय में से यह देश सफलतापूर्वक निकल सकेगा तथा लोकतन्त्र और अधिक मजबूत होगा।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः अपने दल की ओर से, स्वयं अपनी ओर से श्री एस. मल्लिकार्जुनय्याजी का बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूँ और मुझे विश्वास है कि उनके उपाध्यक्ष के पद के दायित्व का निर्वहन करते समय यह सदन अच्छी तरह चलेगा। **(व्यवधान)**

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर):** माननीय अध्यक्षजी श्री मल्लिकार्जुनय्याजी को उनके चुनाव पर मैं बधाई देता हूँ। अभी-अभी चुनाव हुआ और जब चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो वे हमारे सब के विश्वास के बन जाते हैं। इसलिए उस बहस में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। हाँ, यह बात जरूर है कि नेता सदन ने कहा कि एक नई राजनीति आई है। उस नई राजनीति के लगाव और जुड़ाव को बहुत बारीकी से जनता समझती है।...(व्यवधान)... लेकिन राष्ट्रीय मोर्चा और वामपंथी दलों ने श्री रशीद मसूद साहब को अपना केंडीडेट बनाया था। उनकी योग्यता और अनुभव पर हम लोगों को पूरा विश्वास था, लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा, (व्यवधान) जो सदन की भावना है, उस पर हम पूरा विश्वास प्रकट करते हैं और हम उनको पूरा सहयोग देंगे।

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर):** अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से तथा पार्टी की ओर से श्री मल्लिकार्जुनय्या को उनके लोकसभा उपाध्यक्ष जैसे पद के लिये निर्वाचित होने पर बधाई देता हूँ।

महोदय, हम अपनी ओर से उन्हें न केवल शुभकामनाएँ ही देते हैं बल्कि उन्हें अपना कार्य सम्पन्न करने में भी सहयोग देंगे और हम यह देखेंगे कि वह सभा की कार्रवाई सुचारु रूप से चला सकें ओर सभा के पक्षों को अपने विचार प्रकट करने के उचित अवसर दे सकें। उन्हें एक राज्य के विधान सभा की पीठासीन अधिकारी होने का लम्बा अनुभव प्राप्त है और मुझे विश्वास है कि उनका वह अनुभव इस सभा की कार्रवाई को चलाने में सहायता देगा। जहाँ तक लोकसभा का संबंध है वह इसके नए सदस्य हैं।

महोदय, मै यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब हमने उनके विरुद्ध अपना प्रत्याशी खड़ा किया तो उस समय हम अपने नए उपाध्यक्ष की क्षमता और योग्यता के संबंध में कोई व्यक्तिगत विचार व्यक्त करना नहीं चाहते थे। यह हमने कुछ राजनैतिक सिद्धांत के कारण किया था जिसे हमने सभा के समक्ष भी रखना चाहा था। सभा के नेता ने कहा है कि पिछले चुनाव में जनता का निर्णय प्रतिबिम्बित हुआ और वह स्वतः सभा में भी प्रतिबिम्बित हुआ। अब कांग्रेस-इ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और उन्होंने सरकार का गठन किया है। ऐसा लगता है कि अब उन्हें यह समझ में आ गया है कि सरकार चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करना और सहभागी बनना ही उनके लिए जनता का निर्णय है। (व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह:** महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे अवसर प़र हमें क्या कहना चाहिए, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसे मौके पर बोलना पड़ रहा है। लेकिन, महोदय आपकी अनुमति से मैं यह कह रहा हूँ कि ऐसे अवसर पर सामान्य परम्परा यह रही है कि हम उन्हीं बातों को कहते हैं जो हमें निर्वाचित व्यक्ति के बारे में कहना चाहिए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** मैंने उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है।

**श्री अर्जुन सिंह:** लेकिन यदि यह राजनैतिक चर्चा है तो कृपया मेरी बात सुनें (व्यवधान) हम अपने विश्वास और सिद्धांत के बारे में तुच्छ टिप्पणियों को सुनने के आदी नहीं हैं। मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि वही किया गया है जिसकी सदन में आवश्यकता थी। जहाँ तक कांग्रेस-इ का संबंध है सिद्धांत अथवा आदर्श के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा कोई मेलजोल नहीं हो सकता, जबकि हमारे माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस पार्टी का सहारा बैसाखी के रूप में ग्यारह महीने तक लिया। अब आप ही यह कह रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** महोदय, उपाध्यक्ष महोदय को बधाई देने के क्रम में सभा के नेता द्वारा बहुत ही असामान्य व्यवधान उत्पन्न किया गया। मुझे पूरी तरह पता नहीं है परन्तु जहाँ तक सदन के नेता का संबंध है शायद वह किसी अपराधभाव से ग्रस्त हैं।

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** आप में अपराध भावना है। (व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** अन्यथा वह अपनी प्रतिक्रिया उस तरह नहीं व्यक्त करते जिस तरह उन्होंने की है। यह बहुत ही असामान्य था।

सभा के नेता ने यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने परम्परा का प्रश्न उठाया। उन्होने इसका उल्लेख किया है। उन्होंने जनता के उस निर्णय का भी उल्लेख किया है जिसे यहाँ कार्यान्वित किया जा रहा है। मैं उसी उल्लेख कर रहा हूँ। आप इतने परेशान क्यों हो रहे है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ):** यह बहस का अवसर नहीं है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** इसे कार्रवाई वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** यह एक मन्त्री की भाषा है।

**अध्यक्ष महोदय:** इसे कार्रवाई वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** सभा के नेता द्वारा उल्लिखित तथाकथित परम्परा के अनुसार अध्यक्ष पद पर सत्ता पक्ष का सदस्य चुना जाना चाहिए और उपाध्यक्ष पद के लिए प्रमुख विपक्षी दल से चुना जाना चाहिए। यह पहला मौका है। जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस-इ पार्टी ने परम्परा का पालन किया है और उसे उचित ठहराया जा सकता है।

महोदय, मुझे पाँचवीं लोक सभा के काल से ही इस सभा का सदस्य होने का गौरव मिला है। मैंने यह देखा है कि उस परम्परा का पालन तभी किया गया है जब काँग्रेस सत्ता से बाहर रही है। 1971 के बाद यह कभी नहीं किया गया केवल 1977 में जनता पार्टी शासन और 1989 में (व्यवधान) जब राष्ट्रीय मोर्चा के शासन के काल को छोड़कर जब इस परम्परा का पालन किया गया था।

मैं समझता हूँ कि श्री आडवाणीजी भी मेरी इस बात में सहमत होंगे कि ऐसी कोई परम्परा नहीं रही जिसमें कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया हो। (व्यवधान)

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** सच तो यह है कि जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी तो उसने भी हमारी पार्टी को उपाध्यक्ष पद देने की पेशकश की थी, (व्यवधान) लेकिन चूँकि हमारी पार्टी हमेशा यह तर्क देती रही है कि उपाध्यक्ष पद विपक्षी पार्टी को ही मिलना चाहिए और उस समय मेरी पार्टी सहयोगी पार्टी के रूप में थी,(व्यवधान) इसलिए हमारे आलोचकों का भी यह कहना सही है कि इस परम्परा का पहले पालन नहीं किया गया है। हमारी पार्टी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही थी और उन्होंने इसी पर बल दिया। इसलिए अब सत्ता पक्ष इस पर सहमत हो गई तो हमने यह समझा कि इससे सब कुछ सुचारु होने जा रहा है और यह एक नया कदम है। हमने इसका स्वागत किया।

**श्री.पी.वी. नरसिंह राव:** आप परम्परा की बात कर रहे हैं। किसने आपकी परम्परा को तोड़ा था?(व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** मैं नहीं जानता कि प्रधान मन्त्रीजी बीच में क्यों बोलते हैं। मैं आगे नहीं जाना चाहता। हम चाहते हैं कि सदन ठीक ढंग से चले। दुर्भाग्य से देश में कांग्रेस की सरकार है फिर भी यह देश और यह सदन चलना चाहिए। इस सदन को तो चलना है। (व्यवधान)

**श्री जी. देवराय नायक (कनारा):** वह इस देश के लोगों के निर्णय का अपमान कर रहे हैं।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री मल्लिकार्जुनय्या):** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होने मुझे इस महान सभा का उपाध्यक्ष चुना। मैं माननीय प्रधान मंत्री, सदन के नेता और विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा मुझे दी गई बधाई और सद्भावनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

हमारा देश अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है जो हमारे लिए चुनौती बनी हुई हैं। ये सभी इस सभा में वाद-विवाद के दौरान प्रतिबिम्बित होंगी। मैं इस सदन के विभिन्न राजनैतिक दलों की विचारधाराओं से अवगत हूँ। तथापि मैं सदन के समक्ष आने वाले विभिन्न मुद्दों को हल करने में सभी माननीय सदस्यों के सहयोग की आशा करता हूँ।

मुझे अपनी सीमाओं का ज्ञान है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने पिछले 19 वर्ष तक कर्नाटक विधान मंडल की सेवा की। लेकिन जहाँ तक लोक सभा की बात है यह मुझे प्रथम अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि इस सभा के सभी सदस्यों के सहयोग से मैं अपने पद के कर्तव्यों को पूरे न्याय और जिम्मेदारी के साथ इस सभा की सर्वोच्च परम्पराओं को निभाऊँगा ताकि संसदीय लोकतन्त्र की इस संस्था को सुदृढ़ किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा दी गई बधाई के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं विशेष रूप से श्री रशीद मसूद को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे साथ इस पद के लिये खड़े थे। महोदय मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके उचित मार्गदर्शन से मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाऊँगा।

**श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह):** अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी मिली है कि निकोबार की अनुसूचित जनजाति सहकारिता समिति का एम.डी. सोलोमन जलपोत सागर द्वीप में फँसा हुआ हैं। पिछले आठ दिनों से उनके द्वारा प्रयास करने के बावजूद कलकत्ता पत्तन न्यास प्राधिकरण, सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. और अन्य एजेन्सियों द्वारा उसे निकालने के लिए सहायता नही की जा रही है। पोत में सामान भरा हुआ है और उसमें चालक दल के सदस्य भी है। इस पोत को निकालने के लिए उन्होंने हर सम्भव प्रयास किए हैं लेकिन दुर्भाग्यवश केन्द्र सरकार अथवा अन्य किसी अभिकरण द्वारा यह सुविधा देने के लिए अनुदेश नहीं दिए गए हैं। मैं सभा का विशेष रूप से श्री अर्जुन सिंह का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह जीवन-मरण का प्रश्न हैं। अनुसूचित जनजातियों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति सहकारिता समिति ने बहुत कठिनाई से इस पोत को प्राप्त किया है। अब वह पोत फँसा हुआ है। अतः कलकत्ता पत्तन न्यास के चेयरमैन तथा सी.आई. डब्ल्यू.टी.सी. के चेयरमैन को सहायता देने के लिए अनुदेश जारी करने चाहिए ताकि चालक दल के सदस्यों, तथा पोत और अनुसूचित जनजाति सहकारिता समिति को बचाया जा सके।

**अध्यक्ष महोदय:** आप पहले भी इस बारे में अनुरोध कर चुके हैं।

**श्री मनोरंजन भक्त:** मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह तत्काल अनुदेश जारी करे। यह एक गम्भीर मामला है। पोत फँसा हुआ है और उसमें चालक दल के सदस्य भी हैं।

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** आप कृपया मुझसे मिलें। मैं ब्यौरा लेकर इसे माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में लाऊँगा।

(लोकसभा कार्रवाई/13 अगस्त 1991, पृष्ठ 186 से 188 तथा 202 से 221)

*26 नवम्बर 1991 को लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्री अर्जुन सिंह ने अपने मंत्रालय से संबंधित अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए।*

## प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए धनराशि

**681. श्री विश्वनाथ शास्त्री:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर कितनी राशि खर्च की है;

(ख) यह धनराशि किन-किन एजेन्सियों के माध्यम से खर्च की गई;

(ग) प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कितनी एजेन्सियाँ और स्वयंसेवी संगठन सम्मिलित थे और उन्हें अलग-अलग वर्षवार कितनी राशि प्रदान की गई;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के लिए प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों/ संघशासित प्रदेशों में लगे राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों और अन्य एजेन्सियों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) साक्षरता/प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत राज्य सरकारों/संघ-शासित प्रशासनों एवं अन्य एजेन्सियों को निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई:—

(I) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की योजना के तहत साक्षरता/प्रौढ़ शिक्षा की परियोजनाओं को चलाने के लिए राज्य सरकारों संघ-शासित प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(II) जन शिक्षण नियमों की योजना के तहत जन शिक्षण निलयमों की उत्तर साक्षरता और अनुवर्ती कार्यकलापों को संचालित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ-शासित प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(III) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेन्सियों को सहायता देने की योजना के तहत, साक्षरता/प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जन शिक्षण निलयमों, पठन-पाठन सामग्री का विकास, सेमिनारों के आयोजन आदि के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों को सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 646 स्वैच्छिक एजेंन्सियों को सहायता प्रदान की गई। तीन वर्षों के दौरान, स्वैच्छिक एजेंन्सियों की संख्या और उन्हें जारी की गई धनराशि निम्नलिखित है:—

| वर्ष | स्वैच्छिक एजेन्सियों की संख्या | धनराशि |
|---|---|---|
| 1988-89 | 250 | 6,99,03,500 |
| 1989-90 | 390 | 13,86,81,623 |
| 1990-91 | 430 | 11,34,08,656 |

(IV) कार्यात्मक साक्षरता के सामूहिक कार्य की योजना के तहत, राज्य संसाधन केन्द्रों के साक्षरता किटों के उत्पादन के लिए जिन्हें सभी संबंध एजेंन्सियों को जो इस कार्यक्रम को छात्रों अथवा गैर-छात्रों के माध्यम से कार्यान्वित करना चाहती है, को सप्लाई करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(V) राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों में प्रशासनिक ढाँचे को सुदृढ़ बनाने की योजना के तहत, राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों में राज्य और जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य वर्ष 1990 तक 15-35 आयु वर्ग में 3 करोड़ निरक्षर व्यक्तियों को तथा 1995 तक शेष 5 करोड़ लोगों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान नामांकित किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है:—

| वर्ष | नामांकित व्यक्ति (लाखों में) |
|---|---|
| 1988-89 | 83.77 |
| 1989-90 | 81.67 |
| 1990-91 | 180.00 |

## विवरण

(लाख रुपए)

| क्र. स. | राज्य/संघ-शासित प्रदेश का नाम | केन्द्रीय सहायता की धनराशि | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्रप्रदेश | 406.59 | 570.28 | 2275.55 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 36.45 | 42.38 | 15.18 |
| 3. | असम | 238.38 | 256.10 | 181.82 |
| 4. | बिहार | 454.22 | 677.36 | 760.93 |
| 5. | गोवा | 11.26 | 65.47 | 5.47 |
| 6. | गुजरात | 460.17 | 512.21 | 828.28 |
| 7. | हरियाणा | 166.30 | 205.89 | 105.07 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 45.09 | 61.93 | 54.02 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 111.49 | 8.15 | 13.48 |
| 10. | कर्नाटक | 488.86 | 393.17 | 1298.85 |

## और अधिक संख्या में नवोदय विद्यालय खोला जाना

**699. श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय नवोदय विद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार का विचार देश में वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यवार विशेषकर उत्तर प्रदेश के पौढ़ी गढ़वाल जिलों में कुल कितने नवोदय विद्यालय खोलने का है;

(ग) सरकार ने नवोदय विद्यालय खोलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए हैं और इनमें छात्रों को दाखिला देने संबंधी नियम क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन संस्थाओं के कार्यकरण का विश्लेषण करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) अब तक खोले गए 275 नवोदय विद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-1 के रूप में संलग्न है।

(ख) अभी तक वर्ष 1991-92 के दौरान 14 नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। 5 और संस्वीकृत किए गए है राज्यवार सूची विवरण-2 में दी गई है। जिला चमोली में एक नवोदय विद्यालय पहले ही कार्य कर रहा है।

(ग) नवोदय विद्यालय योजना में देश के प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय खोले जाने की परिकल्पना है। स्थान का चयन पहली बार में राज्य सरकार/संघ क्षेत्र के प्रशासन की पेशकश के आधार पर किया जाता है। प्रारम्भ में 2-3 वर्षों के लिए विद्यालय को चलाने के लिए, संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन द्वारा शुरू-शुरू में 30 एकड़ भूमि, निःशुल्क तथा पर्याप्त भवन उपलब्ध कराए जाते हैं। इन विद्यालयों को जहाँ तक संभव हो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। नवोदय विद्यालयों में VI में दाखिला स.शै. अनु. प्र. परिषद द्वारा

तैयार तथा आयोजित परीक्षा के आधार पर किया जाता है। कम से कम 75 प्रतिशत स्थान ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गए छात्रों तथा शहरी क्षेत्रों से 25 प्रतिशत छात्रों से भरे जाते है। अनु. जा./अनु. ज.जा. के लिए स्थानों का आरक्षण; संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता हैं बशर्ते कि किसी भी जिले में इस प्रकार का आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में कुल स्थानों का एक तिहाई स्थान लड़कियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) यद्यपि, योजना के निष्पादन पर निगरानी सरकार द्वारा की जा रही है फिर भी किसी भी मूल्यांकन अध्ययन का आदेश नहीं दिया गया है, क्योंकि यह अभी एक नई योजना ही हैं।

## पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय

**722. डॉ. विश्वनाथम केनिथी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पिछड़े क्षेत्रों में, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहाँ ऐसे स्कूल नहीं हैं, केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने पिछड़े वर्ग के छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुनसिंह):** (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों को जिलावार आधार पर अथवा पिछड़े क्षेत्रों के मानदंड के संदर्भ में खोलने की कोई पद्धति नहीं है। नए केन्द्रीय विद्यालयों का खोलना निर्धारित प्रयोक्ता एजेंन्सियों से प्राप्त प्रस्तावों की उपयुक्तता, विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार और/अथवा केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों की बाहुल्यता की उपस्थिति, वास्तविक सुविधाओं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन का उद्देश्य मोटे तौर पर केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है।

## ताजमहल पर वायु प्रदूषण का प्रभाव

**778. श्री कमला मिश्र मधुकर:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा और मथुरा में स्थित अनेक फाउन्ड्रीज उद्योगों से निकलने वाले अपवाहों से ताजमहल को बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** प्रदूषण से ताजमहल का बचाव करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है:—

(i) 1981 में दो थर्मल पावर संयत्रों को बंद कर दिया गया है।

(ii) आगरा के रेलवे स्टेशन के यार्ड को डीजलयुक्त कर दिया गया है।

(iii) बहुत-सी फाउन्ड्रीज को हाथरस रोड पर नए क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(iv) उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग ने पेड़ लगाकर ताजमहल के आस-पास हरी पट्टी बिछा दी है।

(v) राज्य सरकार आगरा में प्रदूषण स्तर की निगरानी कर रही है।

(vi) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लगातार ताजमहल के आस-पास की वायु पर निगरानी कर रहा है जिसमें सल्फर-डाई-ऑक्साइड, प्रलंबित विकिरत सामग्री तथा अन्य प्रदूषणों के साथ-साथ वायुमण्डलीय आकड़ों के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके, ताकि आवश्यकतानुसार इस प्रकार के उपयोगी उपाय किए जा सकें।

(लोकसभा कार्यवाई 26 नवम्बर, 1991, पृष्ठ- 24, 42, 46 से 48, 61, 69 से 71, 80, 91, 106 से 108, 126)

*26 नवम्बर को लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सदन के नेता पद से संबंधित मुद्दा उठाया। देश के इतिहास में दूसरी बार प्रधान मंत्री के स्थान पर एक वरिष्ठ मंत्री को सदन का नेता बनाया गया। श्री अर्जुन सिंह को सदन के नेता का उत्तरदायित्व दिया गया। इस समय प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंहराव सदन के सदस्य नहीं थे। अतः उन्होंने श्री अर्जुन सिंह में अपना विश्वास जताया और उन्हें यह उत्तरदायित्व सौंपा।*

*बिना किसी का नाम लिए श्री लाल कृष्ण आडवाणी और श्री जसवंत सिंह ने यह मुद्दा उठाया। श्री अर्जुन सिंह ने इसका उत्तर दिया। अपने प्रभावकारी तर्कों से उन्होंने विपक्ष की शंकाओं का समाधान किया।*

*लोकसभा के नेता के रूप में श्री अर्जुन सिंह का कार्य सराहनीय रहा। श्री अर्जुन सिंह ऐसे कार्यों के लिए क्षमा भी माँग लेते थे, जिसकी सदन के सदस्यों द्वारा आलोचना की जाती थी। इन्हीं गुणों से माननीय अध्यक्ष तथा विपक्ष समय-समय पर उनकी प्रशंसा भी करते थे।*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर):** अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सदन के कार्य संचालन से संबंधित एक मामले पर स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता हूँ।

लोकसभा कार्य संचालन तथा प्रक्रिया नियमों के नियम 2, जो विभिन्न पदों की परिभाषा से संबंधित है, के अन्तर्गत सदन के नेता की परिभाषा का अर्थ प्रधान मंत्री, यदि वह सदन का सदस्य है, अथवा कोई मंत्री जो सदन का सदस्य है और उसे प्रधान मंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में नामांकित किया जाता है, बताया गया है। मुझे इस नियम की पृष्ठभूमि मालूम है। पहले सिर्फ प्रधान मंत्री ही सदन का नेता हो सकता था। लेकिन 1966 में जब हमारे देश का प्रधान मंत्री दूसरे सदन का सदस्य था तब यह नियम बनाया गया था ताकि सदन प्रभावी ढंग से कार्य कर सके चाहे प्रधान मंत्री दूसरे सदन का ही सदस्य क्यों न हो?

चुनावों के बाद स्थिति यह थी कि बहुमत दल का नेता इस सदन का सदस्य नहीं था इसलिए इस विशिष्ट नियम का उपयोग कर सरकार के एक वरिष्ट मंत्री को सदन का नेता नियुक्त किया गया था। मेरा विचार है कि इस नियम की उचित व्याख्या वह है जो कौल और शकधर ने विशिष्ट रूप से बताई है। मैं कौल और शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 122 को उद्धृत करता हूँ— इसमें कहा गया है:

"प्रधान मंत्री, जो लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता है लोकसभा में सदन के नेता के रूप में कार्य करता है सिवाय इसके जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं होता।"

अतः मात्र अपवाद यह है कि जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं होता तो राज्य के दूसरे वरिष्ठ मंत्री को सदन का नेता नियुक्त किया जाएगा। नियम 2 में यही एक आवश्यक बात है जिसे 1966 में लागू गया था। वास्तव में, शाब्दिक रूप से, इसकी व्याख्या नियम की भावना की अनदेखी करने के लिए की जा सकती है। मैं यह मानता हूं।

मेरा निवेदन है कि इस मामले को स्पष्ट करने की जरूरत है। हाउस आफ कॉमन्स में, सदन का नेता आम-तौर तथा अनिवार्यतः दूसरा मंत्री होता है और वहाँ पर इस प्रकार का उपबंध नहीं है कि सदन का नेता प्रधान मंत्री होगा, जैसा कि हमारे यहाँ है और गत 42/44 वर्षों में, सिवाय एक संक्षिप्त अवधि के, जैसा मैंने पहले बताया था कि उस अवधि में प्रधान मंत्री दूसरे सदन के सदस्य थे और एक अन्य अवसर पर जब प्रधान मंत्री विदेश गए थे तो अन्य मंत्री को सदन का नेता बना दिया गया था, भारतीय संसद में सदैव यही परम्परा रही हैं

यह मामला मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना उठाया है। मुझे इससे सरोकार नहीं हैं। निश्चित ही मैंने सत्ताधारी दल के सदस्यों, संसद सदस्यों और वक्ताओं को विभिन्न रूपों में बोलते देखा है– एक के अनुसार श्री पी.वी. नरसिंह राव स्वतः ही सदन के नेता हो गए हैं। मेरा कहना है कि जो कुछ किया जाता है उसकी सदन में घोषणा करनी पड़ती है। यदि सत्ता पक्ष का सदन के सामने कोई और प्रस्ताव रखने का विचार है तो नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाए ताकि प्रक्रिया संबंधी नियमों की भाषा और भावना दोनों का सम्मान किया जा सके।

मैं यही निवेदन करना चाहता था और मैं समझता हूँ कि इस बारे में अध्यक्षपीठ द्वारा स्पष्टीकरण देना उचित होगा।

**श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़):** व्यक्तियों का नाम लिए बिना अथवा सत्ता पक्ष द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का उल्लेख किए बिना, यह कर्त्तव्य की जिम्मेदारी की बात है कि चाहे सदन का नेता किसी को भी बनाया जाए। जैसे कि आडवाणीजी ने कौल और शकधर के पृष्ठ 127 का उल्लेख किया था, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं आपका ध्यान कौल और शकधर के पृष्ठ 123 की ओर भी दिलाना चाहूँगाः

"सदन नेता एक महत्वपूर्ण संसदीय अधिकारी होता है और कार्य करने के क्रम पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। सरकार की सारी नीति, विशेषकर जहाँ तक सभा के आन्तरिक जीवन में और सभा के कार्यक्रम से संबंधित कार्य में उपलक्षित होती है, सदन नेता में ही केन्द्रित होती है।"

सदन के नेता के कृत्यों से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार न करते हुए एक महत्वपूर्ण कृत्य, अर्थात् सरकारी कार्य को निपटाने की बात है। फिलहाल सरकारी कार्य को निपटाने का काम अकसर वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री जैसे सक्षम व्यक्ति को सौंपा जाता है जोकि वास्तव में सदन के नेता की जिम्मेदारी होती है।

इसके अतिरिक्त, एक और अति महत्वपूर्ण मामला है जो पृष्ठ 124 पर हैं इसके अनुसारः–

"सदन नेता विधान कार्य की दिशा निर्धारित करता है और यह भी फैसला करता हैं कि उसमें क्या होगा। कौन से संशोधन स्वीकार किए जाने हैं, गैर-सरकारी सदस्यों के किस विधेयक का समर्थन करेगी और कि किसी प्रश्न पर सदस्यों को स्वतंत्र रूप से वोट देने की अनुमति दी जाय या नहीं-इन बातों का अन्तिम फैसला उसी के हाथ में होता है। इसलिए विधान बनाने की प्रक्रिया में सदन नेता संभवतः सबसे अधिक महत्वशाली व्यक्ति होता है।"

हमारे यह कहने का कारण यह है कि सत्र अभी शुरू ही हुआ है। सत्ता पक्ष के सामने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी

विधायी कार्यक्रम हैं। हम यह जानना चाहते है कि किस व्यक्ति के नेतृत्व में इस विधायी कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाएगा।

एक और पहलू है। यह पहलू प्रक्रिया संबंधी बात से निपटने का मामला नहीं है बल्कि सदन के सभी मामलों से है, व्यक्तिगत वक्तव्य आदि का मामला है। अब यदि कोई सदस्य व्यक्तिगत वक्तव्य देना चाहता है तो उसे आपकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। सामान्यतः सदन के नेता को भी उस व्यक्तिगत वक्तव्य को देखना होता है और व्यक्तिगत वक्तव्य के बारे में कुछ कहना होता है। यह पहलू है– क्षमा करें– आपके उच्च पद और सदन के नेता के बीच एक आंतरिक संबंध होता है। क्या मैं इस पहलू को पढ़ूँ?

**अध्यक्ष महोदय:** हमें ऐसी किसी बात की आवश्यकता नहीं है। हमें इस विषय में कोई सन्देह नहीं है।

**श्री जसवंत सिंह:** एक और पहलू है। सदन के नेता को विपक्ष के साथ भी संबंध रखना होता है। यदि कहूँ कि वास्तव में वह विपक्ष के अधिकारों, कृत्यों और सदन के भीतर उनके विशेषाधिकारों का उतना ही संरक्षक होता है जितना कि वह संपूर्ण सदन का संरक्षक होता है। इसीलिए उसे सदन का नेता कहा जाता है।

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने इन पृष्ठों का पढ़ा है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप, जो पुस्तक में कहा गया है, उसकी कोई विशेष व्याख्या कर रहे हैं।

**श्री जसवंत सिंह:** नहीं, मै यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आगे समिति की टिप्पणियाँ ...(व्यवधान)

**श्री चन्द्रशेखर (बलिया):** यह सब किस प्रकार संगत है?

**श्री जसवंत सिंह:** यह सब संगत है।

**श्री चन्द्रशेखर:** नही, यह बिल्कुल संगत नहीं है।

**श्री जसवंत सिंह:** यदि यह संगत नहीं है तो कोई भी सदन का नेता हो सकता है। प्रधान मंत्री यह भली-भाँति निश्चित कर सकता हैं कि क,ख अथवा ग मंत्री नहीं, बल्कि कोई भी सदन का नेता हो सकता है। आपको नियम बदल देने चाहिए। वास्तव में आवश्यकता एक उचित पद और सदन के नेता की घोषणा किए जाने की है।

**श्री चन्द्रशेखर :** अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से अपना नेता चुनने की जिम्मेदारी सत्ताधारी पक्ष की हैं। नियम इन पर रोक नहीं लगाते कि प्रधान मंत्री के सिवाय और कोई सदस्य सदन का नेता नहीं हो सकता। यह दूसरी बात है कि यदि विपक्ष के नेता सदन के वर्तमान नेता की बजाय प्रधान मंत्री को अधिक सुविधाजनक सदन के नेता समझते हैं तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना हैं। लेकिन विपक्ष को सत्ता पक्ष से घोषणा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि सदन का नेता कौन है?

**श्री जसवंत सिंह:** बात यह बिल्कुल नहीं हैं। महोदय, मैंने देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, माननीय चन्द्रशेखरजी को केवल इसलिए बोलने का मौका दिया था क्योंकि मैंने सोचा था कि इसका कोई खास पहलू होगा। मैं नहीं समझता कि कोई था। वास्तव में, नियम स्पष्ट हैं। चन्द्रशेखरजी ने कहा कि नियम के प्रावधान के अंतर्गत शासक दल ऐसा कर सकता है जो वह चाहता है। यह कोई विपक्ष के नेता की सुविधा या असुविधा का अथवा किसको अधिक तरजीह दिया जाता है या किसको कम तरजीह दिया जाता है, का प्रश्न नहीं है। वास्तव में, मैं नहीं समझता कि सत्ता पक्ष को वह विकल्प उपलब्ध है। नियम (2) की व्याख्या में कुछ लचीलापन तो हो सकता है लेकिन इसके बाद तो कौल एंड शकधर की अधिकृत व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट है। नियम (2) के अन्तर्गत उपलब्ध विकल्प का कौल एंड शकधर की व्याख्या में उल्लेख नहीं हैं। यह विपक्ष के नेता की सुविधा या असुविधा का प्रश्न नहीं है। यह तो मात्र

इसका एक कार्य संबंधी पहलू है जिस पर ध्यान देने के लिए हम आपसे कह रहे हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** महोदय, कृपया आधा मिनट दें। सदन के नेता के रूप में श्री अर्जुन सिंह को देखकर हम लोग अति प्रसन्न हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष के नेता का शासक दल से निकट का संबंध बन गया है। शासक दल ने गिनीज बुक में जो परिणाम दर्ज करवाया है, उससे परिणाम के संबंध में उनके पास कुछ विशेष जानकारी उपलब्ध है। मैं नहीं जानता कि क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि वे किसी ऐसी बात का अनुमान लगा रहे हों जो वहाँ हो रहा है। इन दिनों उनके पास कुछ विशेष जानकारी उपलब्ध हैं। शासक दल और भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस प्रकार मिल कर कार्य कर रहे हैं, उससे हमें लगता है कि उनके बीच निकट का संबंध और सहयोग कायम हो गया है...(व्यवधान) किन्तु, महोदय, मेरी इच्छा है कि श्री अर्जुन सिंह सदन के नेता बने रहें और वे इस बात की घोषणा करके सम्मान प्राप्त करें कि औद्योगिक नीति और व्यापार नीति को कार्यान्वित नहीं किया जाएगा।

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** माननीय महोदय, यह पहली बार नहीं हुआ है कि मैं गलती से अथवा जान-बूझकर चर्चा का केन्द्र बन गया हूँ। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा...(व्यवधान)

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** यह बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं है। इसे स्पष्ट किया जा चुका हैं।

**श्री अर्जुन सिंह:** क्या मैंने उस बारे में कोई बात कही है। मैं नहीं समझता कि इस पर किसी को इतना अधिक संवेदनशील होना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि मैं यहाँ पर हूँ तो किसी की सिफारिश पर नहीं आया हूँ और इसलिए नहीं हूँ कि कोई चाहता है कि मैं यहाँ रहूँ या नहीं रहूँ। मैं यहाँ सदन के नेता के रूप में कार्य कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने नेता, श्री नरसिंह राव जी, प्रधान मंत्री का विश्वास प्राप्त हैं। दूसरी बात है, मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा परिस्थितियों के कारण किया क्योंकि उन्हें प्रधान मंत्री का पद सौंपा गया था। वे सदन के एक निर्वाचित सदस्य नहीं थे, इसलिए उन्होंने सदन के नेता के रूप में सदन में कार्य करने के लिए मुझे नामोंदिष्ट करना उचित समझा। मैं सदन में कार्य नहीं कर सकता था, जैसाकि अनेक सदस्यों की इच्छा है अथवा शायद सदन मेरे कुछ कार्यों की सराहना नहीं करती। यदि मैंने कोई कार्य ऐसा किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से इसके लिए क्षमा माँगता हूँ किन्तु,मैंने अपनी संपूर्ण निष्ठा के साथ जो मेरी क्षमता के भीतर है, जिसे मेरे नेता ने मुझे दी है उसे करने की कोशिश की हैं। इस समय जो प्रश्न उठाया गया है, उसके बारे में मैं श्री आडवाणी की चिन्ता को समझता हूँ कि प्रक्रिया और नीति पर ध्यान दिया जाना चाहए और इस बारे में मुझे कोई सन्देह भी नहीं हैं। मैं इस सदन को सूचित करना चाहूँगा कि चूंकि प्रधान मंत्री के इस सदन में निर्वाचित होने के पश्चात्, वे विदेश जा रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि विदेश से वापस आने तक मैं इस पद पर बना रहूँ। वापस आने पर श्री नरसिंह राव सदन के नेता होगे।

**अध्यक्ष महोदय:** अच्छी बात है, मामला अब निपट गया है और श्री अर्जुन सिंह ने बहुत ही साफ-साफ इसका स्पष्टीकरण दे दिया है। में तो यही कहूँगा कि विभिन्न पार्टियों के सभी नेताओं एवं सदन के नेता, श्री अर्जुन सिंह ने सदन में अति प्रशंसनीय कार्य किया हैं। यह काम कॉंग्रेस पार्टी का है कि वे किसे सदन का नेता चुनते हैं। वे जो भी निर्णय लेंगे हम सबको स्वीकार्य होगा।

(लोकसभा कार्यवाई /26 नवम्बर, 1991, पृष्ठ 226 से 229)

*बर्खास्त किए गए रेल कर्मचारियों की बहाली के बारे में 26 नवम्बर को श्री अर्जुन सिंह ने सदन के नेता के रूप में सदा सदन की भावना का सम्मान किया। जहाँ सदन एकमत रहा वहाँ अपनी सहमति जताई। बरखास्त किए गए रेल कर्मचारियों की बहाली के संदर्भ में उनके द्वारा दिया गया उत्तर भी उनके इसी गुण को दर्शाता है। जो निर्णय*

*मंत्रि-मंडल द्वारा नहीं लिए जा सके अथवा जिनमें विलम्ब हुआ उन्हें श्री अर्जुन सिंह ने सदन के समक्ष स्वीकार किया। सदन की कार्रवाई के दौरान वे कई बार व्यक्तिगत आश्वासन देने से भी नहीं चूकते थे।*

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर):** महोदय, मुझे रेल मंत्री को यहाँ उपस्थित देखकर प्रसन्नता हो रही है। अपना वचन न निभाने के लिए वह कुख्यात हैं। आपको भी इसकी जानकारी है क्योंकि आपने भी हस्तक्षेप किया था। पिछली दो सरकारों ने न केवल वचनबद्धता दिखाई थी, बल्कि उन्होंने उन विस्थापित कामगारों को पुनः नियुक्त करने के आदेश भी दिए थे, जिन्हें बिना किसी जाँच, अथवा बिना किसी आरोप पत्र या सुनवाई के, रेल (अनुशासन और अपील) नियम के कुख्यात और विनाशकारी नियम 14 (2)के अन्तर्गत नौकरी से हटा दिया गया था।

इस मामले को पहले भी इस सदन में उठाया गया था। आपने कुछ टिप्पणियाँ की थीं। माननीय मंत्रीजी ने हमें यह आश्वासन दिया था कि मामले को देखा जा रहा हैं ओर इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। पिछले सत्र में उन्होंने कहा था कि इसे कैबिनेट को भेजा गया हैं। ढाई महीने बीत चुके हैं। हमें यह नहीं बताया गया है कि क्या निर्णय लिया गया हैं मेरा विश्वास है कि अधिक नहीं तो कम-से-कम सप्ताह में एक बार कैबिनेट की बैठक अवश्य होती है। यह कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप इसमें कोई निर्णय नहीं ले सकते। आप इस देश में बहुत-सी चीजों को बदलने में लगे हैं। संसद को विश्वास में लिए बिना यहाँ तक कि संसद का सत्र बुलाए बिना सम्पूर्ण औद्योगिक नीति बदल दी गई हैं। आपने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। यह देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बहुराष्ट्रिय कम्पनियों के समक्ष घुटनों के बल खड़ा हैं। क्या आप कुछेक उन कामगारों को पुनः नियुक्त करने के बारे में एक निर्णय नहीं ले सकते जिन्हें मनमाने ढंग से रेल-सेवा से निकाल दिया गया था और जिसके लिए आपसे पूर्ववर्ती सरकार ने एक सराहनीय निर्णय लिया था। क्या पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति आपकी यही प्रतिक्रिया है? ये निर्णय कैबिनेट द्वारा लिए गए थे। मैं समझ सकता हूँ कि क्या हुआ होगा। राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि चूँकि श्री वी.पी. सिंह की सरकार जा रही है, इसलिए इसे यह निर्णय नहीं लेना चाहिए था, इसकी पुनरीक्षा की जानी चाहिए। कोई अन्य विरोधी निर्णय नहीं लिया गया था।

अतः मेरा श्री जाफर शरीफ से अनुरोध है कि वे आज और अभी यह घोषणा करें कि पुनर्नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं अथवा आज ही जारी कर दिए जाएँगे। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप इसमें हस्तक्षेप करें। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री को याद होगा कि इस सदन के सभी सदस्यों ने इस माँग का समर्थन किया था। पिछली लोक सभा में हमारे कुछ अति सम्माननीय सदस्य,जो उस समय सरकार में नहीं थे, इस माँग को लेकर अध्यक्ष के समक्ष बैठ गए थे। चूँकि वे इस समय सरकार में हैं, मैं देखता हूँ कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं, वे अपने को बिल्कुल अलग कर लेते हैं। श्री कुमारमंगलम् इसका सामना नहीं कर सकते। मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्यों चुप्पी साधी हुई है। मैं माँग करता हूँ कि तत्काल इसकी घोषणा की जानी चाहिए। रेलवे कर्मचारी भी अपना सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं; इसलिये यह घोषणा करने का बिल्कुल उपयुक्त समय है। (व्यवधान)

**श्री चित्त वसु (बारासाट):** सबकी यही माँग हैं।

**श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा):** अध्यक्षजी, आज हमने एक एडजर्नमेंट मोशन और कालिंग अटेंशन दिया हैं। आल इंडिया रेलवे मैन फैडरेशन के करीब 50 हजार से ज्यादा एम्पलाईज आज प्रदर्शन कर रहे हैं। समान वेतन, कैजुअल स्टाफ और कांट्रैक्ट सिस्टम के एबॉलिशन को लेकर वे प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमनाथ बाबू ने भी अभी यह मामला उठाया है। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। रेलवे पब्लिक अंडरटेकिंग देश का एक बहुत बड़ा उद्योग

है। और अब जाफर शरीफ साहब यहाँ मंत्री हैं और पहले भी मँत्री रहे हैं तो इनको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे यह लगे कि यह कर्मचारियों के विरोध में है। इसलिये मैं चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है कि अभी वह यहाँ मौजूद हैं, भारत सरकार से और रेल्वे मिनिस्टर से यह कैटेगोरिकल एश्योरेंस कि एक तो जो एम्पलाई के रीइन्स्टेमैंट का सवाल था, डिसमिस्ड एम्पलाईज का, उस संबंध में सरकार क्या करने जा रही है और दूसरे जो रेलवेमैन फैडरेशन है...(व्यवधान)... हाँ, वह अभी बैठे हुए है। दूसरे, आल इण्डिया रेलवेमैन फेडरेशन द्वारा जो विरोध चल रहा है, जो प्रदर्शन और कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके संबंध में आपको भी ज्ञापन दिया गया है, अध्यक्षजी, आपको भी लोग मिलने वाले है और आपको भी ज्ञापन भेजा गया है तो मैं चाहूँगा कि सरकार इस संबंध में एक सकारात्मक रुख अपनाए और आज इस संबंध में सरकार को घोषणा करनी चाहिए। यह हमारी सरकार से माँग है।

**श्री पी. एम. सईद (लक्षद्वीप):** जैसा कि सोमनाथ चटर्जी ने उल्लेख किया है इस मामले को सभा में कई बार उठाया गया है। यहाँ तक कि हम से कुछ सदस्य सभा के बीच में आकर बैठ गए। उन्होंने मुझ पर चुप रहने का आरोप लगाया, मेरी भी यही माँग है। यह एक मानवीय मामला हैं हम इसके विरुद्ध नहीं हैं।

माननीय रेल मंत्रीजी ने अपने रेल बजट संबंधी भाषण में कहा था कि वे इसे केबिनेट के समक्ष लाएँगे और इस पर केबिनेट की मंजूरी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसा है तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी घोषणा करने मे उन्हें कोई अड़चन हो।

**अध्यक्ष महोदय:** क्या आप किसी प्रकार से इसका जवाब देना चाहता हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ):** मैंने कभी आशा नहीं की थी कि यह अचानक हो जाएगा। फिर भी सभी सदस्यों, विशेषकर विपक्ष के नेता, भूतपूर्व प्रधान मंत्री और इस संबंध में चिंता व्यक्त करने वाले सदन के अन्य वरिष्ठ सदस्यों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए, मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो पहले कहा था माननीय सदस्य उसे समझेंगे। मैं अपनी बात पर दृढ़ हूँ। वास्तव में पिछली सरकार द्वारा लिया गया निर्णय मंत्रिमंडल का निर्णय था। इसलिए पिछले सत्र में मैंने उसके प्रति अपनी वचनबद्धता दर्शाई...(व्यवधान)... कृपया मेरी बात सुनिए। पिछले सत्र मैं मैंने इस सदन में कहा था कि यह मामला मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाएगा। मैंने यह भी कहा था कि मेरी सहानुभूति श्रमिकों के साथ रहेगी।

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी):** अध्यक्ष महोदय, सरकार अपना वादा कब पूरा करेगी। सदन की मंशा है कि यह घोषणा होनी चाहिए। यह बात इस सदन में कई बार कही जा चुकी है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** मंत्रीजी को कम्पलीट करने दीजिए। (व्यवधान)

**श्री. सी. के. जाफर शरीफ:** महोदय, इस मामले से मंत्रिमंडल अब अवगत है। वास्तव में मंत्रिमंडल में अब तक इस पर विचार हो चुका होता। दुर्भाग्य से अन्य बहुत से कार्यों ओर प्राथमिकताओं के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। अभी हाल ही में विधि मंत्रालय द्वारा कुछ जानकारी माँगी गई थी जिसका मैंने उत्तर दे दिया था। मामला मंत्रिमंडल के विचाराधीन है। इस संसदीय सत्र के दौरान ही मंत्रिमंडल की किसी एक बैठक में मैं इसे रखूँगा। मंत्रिमंडलीय विषय मेरे अधीन नहीं है। मैं अब मात्र रेलवे का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं मंत्रिमंडल सचिवालय से कहूँगा कि इस मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि इस पर कोई निर्णय लिया जा सके।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** आप लोग सुनिए, आप समझिए कि इस मैटर को हल करने के रास्ते पर हम चल रहे है। आप सुनिए, उसके बाद आपको जो करना हो, कर सकते हैं। (व्यवधान)

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** मैं यह बात सदन की कार्रवाई में लाना चाहता हूँ कि सदन के पिछले सत्र में इस मामले को उठाया गया था और उस समय भी सदस्य आज के समान एकमत थे। इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तब माननीय मंत्रीजी ने कहा था कि वह इस मामले को अपनी सिफारिश सहित मंत्रिमंडल में रखेंगे, जो उन्होंने रख दी हैं। अब यह सत्य है कि मंत्रिमंडल इस बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं ले पाया है।

**कई माननीय सदस्य:** क्यों? (व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह:** श्री मदन लाल खुरानाजी, अगर सुनें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** आप पूरी बात सुन तो लें। (व्यवधान)

**श्री राम विलास पासवान:** सदन के नेता के रूप में क्या आप आज इसकी घोषणा करेंगे?

**श्री अर्जुन सिंह:** मैं जानता हूँ मुझे क्या कहना है।

**अध्यक्ष महोदय:** उन्हें बात पूरी करने दें।

**श्री अर्जुन सिंह:** मैं समझता हूँ कि कई सदस्य जिन्होंने अपनी राय व्यक्त की है इस बात को भी समझेंगे कि मंत्रिमंडल के कार्यकरण के परिमाण क्या हैं? मैं एक मिनट के लिए भी यह नहीं कह रहा हूँ कि यह मामला ऐसा नहीं है कि इस पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था किंतु तथ्य यह है कि इस मामले में अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। मै बस इतना ही कह सकता हूँ कि जैसे ही माननीय प्रधान मंत्री लौटेंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले को उनके सम्मुख रखूँगा और बताऊँगा कि सदन इस पर एकमत है और मुझे विश्वास है कि वह इस सदन के विश्वास को टूटने नहीं देंगे...**(व्यवधान)।**

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** महोदय, मैं सदन के नेता का धन्यवाद करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि अन्य महत्वपूर्ण मामलों के कारण मंत्रिमंडल तकनीकी रूप से इसे पारित नहीं कर सका है। लेकिन हम इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि सदन में इसे इस सत्र में घोषित किया जाएगा। इसी आधार पर हम कार्रवाई में भाग ले रहे हैं। (व्यवधान)

(लोकसभा कार्रवाई /26 नवम्बर, 1991, पृष्ठ 230 से 237)

*27 नवम्बर को दिल्ली में चुनाव कराए जाने के बारे में चर्चा शुरू हुई। दक्षिण दिल्ली से चुनाव जीतकर पहुँचे श्री मदन लाल खुराना ने यह मुद्दा उठाया। दिल्ली क्षेत्र से चुनाव जीतकर संसद में पहुँचे अधिकांश सासंदों की माँग थी कि दिल्ली में नगर निगम और महानगर परिषद् के चुनावों की घोषणा की जाए।*

*श्री अर्जुन सिंह दक्षिण दिल्ली से चुनाव जीतकर एक बार संसद में पहुँचे थे। स्वाभाविक रूप से दिल्ली की स्थानीय माँगों व परेशानियों से उनका भावनात्मक जुड़ाव रहा। वे हर जगह लोकतांत्रिक प्रणाली के समर्थक थे। इस विषय पर उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि मामला विचाराधीन है जो उनकी सक्रियता का परिचायक था।*

**श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली):** अध्यक्षजी, आज मैं पुनः दिल्ली के बारे में यह निवदेन करना चाहता हूँ कि पाँच फरवरी, 1982 को दिल्ली नगर निगम के चुनाव चार वर्ष और महानगर परिषद् के चुनाव पाँच

वर्ष के लिए हुए थे। साढ़े आठ साल हो गए और दिल्ली के चुनाव नहीं हुए। काँग्रेस "आई" ने दिल्ली की असेम्बली देने का वायदा किया और वी.पी. सिंह सरकार ने स्टेटहुड का वायदा किया। काँग्रेस ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया और वी.पी.सिंह सरकार ने विश्वासघात किया। पाँच दिसंबर, 1991 को एक्सटेन्शन के लिए नया नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। आज दिल्ली के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या हैं, यह गद्दू अपहरण कांड से सिद्ध हो जाता है कि किस तरह से उनका अपहरण हुआ और किस तरह से वे अपने आप आ गए। दिल्ली की पुलिस क्या करती रही? यह सारे अखबारों के अन्दर सिद्ध हो चुका है। दिल्ली में 200 से ज्यादा मौतें हुई। हम कहीं उसको डिसकस नहीं कर सकते, कहाँ उसको डिसकस करें।

1965 में भारत-पाक युद्ध के दौरान जनरल कल्हन ने हाजी-पीर पर भारतीय झंडा फहराया और भारत सरकार ने उनको परमवीर चक्र दिया। उनकी हत्या पिछले सप्ताह केन्टोनमेंट एरिया में हो गई, इससे अधिक और क्या हो सकता है? दिल्ली में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कोलेप्स हो गया है, यह अखबारों में आ गया है।...(व्यवधान) दिल्ली की अनेक समस्याएँ हैं, जैसे—बिजली,पानी, डी.डी.ए. और डी.टी.सी. आदि समस्याओं से दिल्ली के लोग दुखी है। दिल्ली का कोई माँ-बाप नहीं है। जब तक दिल्ली का भावी ढाँचा तैयार नहीं हो जाता तब तक हमारी माँग यह है कि दिल्ली नगर निगम और महानगर परिषद् के चुनाव तुरन्त घोषित किए जाएँ। पाँच महीने पहले दिल्ली में संसद के चुनाव हो सकते हैं और बाइ-इलैक्शन नई-दिल्ली का होने जा रहा है तो फिर दिल्ली नगर निगम और महानगर परिषद् के चुनाव क्यों न हो? ढाँचा तैयार होने में साल-दो साल का समय लगेगा। लेकिन दिल्ली के लोग मारे-मारे फिर रहे हैं, उन पर रहम, दया कीजिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ...(व्यवधान)

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर):..** अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूँगा कि दिल्ली के चुनाव में विलम्ब क्यों है? उसकी जानकारी सदन को दें। हम बार-बार इस सवाल को बाकी प्रदेशों के संबंध में उठाते हैं। लोकतंत्र के लिए यह परमावश्यक है कि यहाँ पर सदैव चुनाव होते रहे। यहाँ पर इतने वर्षों से चुनाव नहीं हुए। यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं हैं और पाँच दिसंबर को अगर फिर से नोटिफिकेशन इश्यू होता है एक्सटेन्शन का महानगर परिषद् और दिल्ली नगर निगम के लिए हो तो यह अनर्थ होगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अधिवेशन में एक बार दिल्ली की समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा हो और दूसरा चुनाव के संदर्भ में सरकार घोषणा करे कि स्थिति क्या है?

**श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़):** महोदय, काँग्रेस पार्टी कभी भी दिल्ली, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली महानगर परिषद् के चुनाव करवाने के विरुद्ध नहीं रही हैं। मुद्दा अलग हैं। जब तक दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, जब तक संरचना का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक चुनाव कैसे हो सकते हैं? एक ही साँस में खुरानाजी हमें देशद्रोही विश्वासघाती-धोखेबाज कहते हैं तथा यह कहते हैं कि हम दिल्ली को राज्य का दर्जा देने तथा चुनाव करवाने के प्रति निर्णय नहीं ले रहे हैं तथा दूसरे ही साँस में वे कहते हैं कि चुनाव होने चाहिए। इसलिए, जब तक दिल्ली को राज्य का दर्जा प्रदान करने का अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक चुनाव कैसे करवाए जा सकते हैं? (व्यवधान)

**श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम):** महोदय, सत्ता पार्टी का देश भर में पंचायत अथवा नगर पालिकाओं के चुनाव न करवाने का पुराना इतिहास है। साधारण-सा प्रश्न यह है कि क्या यह अल्पसंख्यक सरकार अपनी पुरानी परम्परा से हट कर दिल्ली में चुनाव करवाएगी? इसी प्रश्न का उत्तर सदन के नेता को देना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री दिग्विजय सिंह:** मध्यप्रदेश में भी स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है?

**श्री मदन लाल खुराना:** मैट्रोपॉलिटन कौंसिल का सवाल है जो असेम्बली की तरह है।

**श्री दिग्विजय सिंह:** आप दिल्ली का इश्यू तो तैयार कीजिए।

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के इस विचार से सहमति व्यक्त करना चाहता हूँ कि चाहे यह दिल्ली हो, पंजाब हो, कश्मीर हो अथवा देश का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह लोकतांत्रिक प्रणाली होनी चाहिए। अब इसके लिए ऐसी स्थितियाँ कई बार अवश्य उत्पन्न होती हैं जबकि कई बार न्यायोचित कारणों से कई बार अनुचित कारणों से कि इसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** मेरे विचार में आप दिल्ली की तुलना पंजाब अथवा कश्मीर से नहीं कर रहे हैं।

**श्री अर्जुन सिंह:** नहीं मैं केवल तथ्य उजागर कर रहा हूँ। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि माननीय वरिष्ठ सदस्य द्वारा यहाँ पर कहा गया कि जब श्री वी.पी. सिंह प्रधान मंत्री थे तो इस सबंध में आश्वासन दिया गया था, तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर उनका इरादा सच्चा था तो उसके लिए 11 महीने की अवधि पर्याप्त थी। परन्तु यह एक अलग बात है। मैं यह कहना चाहूँगा कि चुनाव करवाने का मुद्दा सरकार के विचाराधीन है।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : गंभीरता से विचाराधीन है।

**श्री अर्जुन सिंह:** विचाराधीन का अर्थ गंभीरता से विचाराधीन ही होता है। कोई भी मामला निष्क्रिय रूप में विचाराधीन नहीं होता। माननीय गृह मंत्री जी बताएँगे कि इस संबंध में क्या किया जा रहा है?

**श्री मदन लाल खुराना:** 5 दिसम्बर को नोटिफिकेशन हो रहा है। हम चाहते हैं कि 5 दिसम्बर से पहले इसका फैसला करें।

(लोकसभा कार्रवाई /27 नवम्बर 1991, पृष्ठ 246 से 256)

*27 नवम्बर को शून्यकाल के दौरान सदन में भी श्री वसुदेव आचार्य ने बताया कि विघटनकारी गतिविधियों में संलग्न आनन्दमार्गी संस्था, जो देश में अनेक नेताओं की हत्या में शामिल है, को संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वयंसेवी संस्था के रूप में सहायता कार्य करने की मान्यता प्रदान कर दी है। वे जानना चाहते थे कि सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाया है?*

*अध्यक्ष के निर्देश पर सदन के नेता मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्री अर्जुन सिंह ने सदन को आश्वासन दिया कि विदेश मंत्री इसका विस्तार से उत्तर देंगे।*

**श्री वसुदेव आचार्य (बाँकुरा):** महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ ने आनन्दमार्गी संस्था को एक स्वयंसेवी संस्था के रूप में सहायता कार्य करने के लिए मान्यता प्रदान कर दी हैं। यह संस्था विघटनकारी गतिविधियों में लगी हुई है। यह आनन्दमार्गी संस्था वर्ष 1961 में स्थापित की गई थी तथा इसका मुख्यालय मेरे जिला पुरुलिया में भूमि हथिया-कर बनाया गया था। वर्ष 1961 से वहां पर बहुत-सी झड़पें हो चुकी हैं। इस संस्था को कई देशों से अनुदान प्राप्त होता है। इन आनन्दमार्गियों ने 1977 में भारतीय उच्चायुक्त पर आक्रमण किया था तथा 1975 में कई राजनयिकों को आहत किया था। वे तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या के लिए भी जिम्मेदार हैं, यह तथ्य जांच समिति द्वारा उजागर किया गया था.....

**अध्यक्ष महोदय:** क्या आप सभी ऐतिहासिक तथ्य देने जा रहे हैं अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसे प्रदान की गई मान्यता के मुद्दे पर आएंगे?

**श्री बसुदेव आचार्य:** महोदय, यह संस्था श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 1976 में अवैध घोषित कर दी गई थी? इस संस्था ने 1978 में श्री मोरारजी देसाई की हत्या का षड्यन्त्र रचा जबकि वे सिडनी में राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों के सम्मेलन में भाग ले रहे थे। इस संस्था के कुछ सदस्यों को पिछले वर्ष पंजाब की सीमा पर गिरफ्तार किया गया था। वे ऐसे हथियार ले जा रहे थे जिन्हें पाकिस्तान से तस्करी करके लाया गया था। एक संबंध में तत्कालीन गृह मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने वक्तव्य भी दिया था। उन्होंने पिछले वर्ष इस सदन में बताया था कि किस प्रकार यह संस्था धार्मिक गतिविधियों की आड़ में विघटनकारी तथा हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त है।

आनन्दमार्गियों ने इस देश के कुछ राजनैतिक नेताओं की हत्या का भी षड़यन्त्र रचा था। उन्होंने मनीला में एक सम्मेलन किया था जिसमें हमारे राजनैतिक नेताओं की हत्या का षड़यंत्र रचा था। महोदय, पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी इस संस्था की गतिविधियों पर श्वेत पत्र जारी किया है। मुझे एक बात पर आश्चर्य है कि यह संस्था, जो कि हिंसा, हत्याओं, लोगों को मारने, गरीब लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा करने जैसी गतिविधियों में लगी हुई है, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्राप्त करने में सफलता कैसे मिल गई। इसके प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? मै कहना चाहूँगा कि इस मान्यता को वापस लिया जाना चाहिए। क्या सरकार यह मुद्दा संयुक्त संघ के समक्ष उठाएगी अथवा नहीं?

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** महोदय, सदन के नेता को इस संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होगी?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** मैंने अध्यक्ष महोदय के निदेश को नोट कर लिया है। मुद्दे पर विचार करने के पश्चात् संबंधित मंत्री महोदय उसका उत्तर देंगे।

(लोकसभा कार्रवाई, 27 नवम्बर 1991, पृष्ठ 250 से 251)

*28 नवम्बर के यह दिन लोकसभा के इतिहास में यादगार दिन था क्योंकि इस दिन से ही लोकसभा कार्रवाई का दूरदर्शन पर प्रसारण शुरू किया गया। लोकसभा अध्यक्ष श्री शिवराज वी.पाटिल ने लोकसभा में यह जानकारी दी। इसके तुरंत बाद सांसदों ने केन्द्र सरकार का देश के विभिन्न भागों में पड़ रहे सूखे के बारे में ध्यान आकर्षित किया व सहायता की माँग की। श्री राम विलास पासवान ने भुखमरी से होने वाली मौतों का मुद्दा उठाया जिस पर अध्यक्ष सहित श्री वसुदेव आचार्य, श्री लाल कृष्ण आडवाणी व श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी अपने तर्क प्रस्तुत किए जब-जब संसद में इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे उठते माननीय सासंदों की दृष्टि श्री अर्जुन सिंह पर पड़ती और वे उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते। श्री सोमनाथ चटर्जी ने अपने वक्तव्य के दौरान उन्हें याद भी किया।*

*सांसदों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए व उनकी शंकाओं के समाधान के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री अर्जुन सिंह को सरकार की तरफ से जवाब देने का निदेश दिया। छोटी हो या बड़ी यदि देश में कोई समस्या है तो श्री अर्जुन सिंह ने उस पर सदैव गंभीरता से कदम उठाने के साथ-साथ अपने साथियों व वरिष्ठ सदस्यों से विचार-विमर्श का रास्ता ही अपनाया ताकि समस्याओं का निराकरण अधिक लोकतांत्रिक ढंग से किया जा सके।*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यों, सभा की कार्रवाई को दूरदर्शन पर दिखाने के प्रश्न पर दलों और ग्रुपों के नेताओं, संसदीय कार्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्रियों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

और लोकसभा सचिवालय के संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की गई थी। लोक-ग्रुपों के नेताओं की बैठक में भी इस मामले पर संक्षिप्त और अनौपचारिक चर्चा की गई थी। दलों और सभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने भी इस पर विचार किया है। लोकसभा और राज्य सभा की सामान्य प्रयोजन समितियों की 26 नवम्बर, 1991 को हुई संयुक्त बैठक मे भी इस पर विचार हुआ। इन बैठकों में जिन बातों पर सहमति हुई, वे निम्नलिखित है:—

(एक) कि सभा की कार्रवाई को दूरदर्शन पर दिखाया जाए।

(दो) कि प्रारम्भ में प्रश्न काल को दूरदर्शन पर दिखाया जाए।

(तीन) कि बाद में विधान, वित्तीय ओर अन्य महत्वपूर्ण मामलों संबंधी कार्रवाई को दूरदर्शन पर दिखाया जाए।

(चार) कि इस संबंध में विस्तृत तरीकों का नियतन संबंधित अभिकरणों द्वारा किया जाए जिसे पीठासीन अधिकारी स्वीकृत करे।

(पांच) कि ऐसे मामलों को, जिन्हें पीठासीन अधिकारी असंसदीय घोषित करे और जो सभा की मर्यादा के अनुरूप न हो, दूरदर्शन पर न दिखाया जाए।

(छः) कि प्रयोग के तौर पर कार्रवाई को दूरदर्शन पर ऐसे किसी भी दिन, जो अध्यक्ष नियत करे, दिखाया जाए।

(सात) कि दूरदर्शन से प्रश्न काल का वास्तविक प्रसारण उस दिन से प्रारम्भ हो, जो पीठासीन अधिकारी द्वारा नियत किया जाए।

(आठ) कि आवश्यकता पड़ने पर इससे संबंधित मामलों पर कार्य-मंत्रणा समिति में विचार किया जाए।

(नौ) कि प्रारम्भिक चरण में उपलब्ध समय सीमित होने के कारण इसे दूरदर्शन पर दिखाने का कार्यक्रम उपलब्ध समय-सीमा के अनुसार ही बनाया जाए।

(दस) कि इसे दूरदर्शन पर दिखाने का कार्य परीक्षण के आधार पर किया जाए।

(ग्यारह) कि इस संबंध में होने वाले अनुभव के आधार पर इस बारे में आगे आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

मुझे आशा है कि सभा इन प्रबंधों को सहमति प्रदान करेगी।

**अनेक माननीय सदस्य:** जी हाँ (व्यवधान)

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम):** महोदय मुझे आशंका है कि अब अधिकांश बातों को असंसदीय घोषित किया जाएगा। (व्यवधान)

**श्री मोहन सिंह (देवरिया):** महोदय, जीरो आवर का समय, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है उसके लिए आप क्या करेंगे? (व्यवधान)

**श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा):** महोदय, यह जो टेलीकास्ट होगा, इस पर किसका कंट्रोल होगा। गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होगा या लेजिसलेचर का।

**अध्यक्ष महोदय:** लेजिसलेचर का।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री मोरेश्वर सावे।

**श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद):** अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान महाराष्ट्र प्रांत के मराठवाड़ा क्षेत्र में भीषण सूखे की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस क्षेत्र के सात जिलो औरंगाबाद, बीड़, जालना, लातूर, उस्मानाबाद, नान्देड़ और परभनी में पिछले तीन महीनों से वर्षा नहीं हुई है, जिसके कारण रबी और खरीफ दोनों फसलें बरबाद हो गई है। किसानों के समक्ष चारे और पानी की भीषण समस्या पैदा हो गई है। इस क्षेत्र

में जलस्तर भी काफी नीचे चला गया है और अधिकांश तालाब सूख गए हैं, जिससे पशुओं के लिए पीने का पानी और चारे की समस्या पैदा हो गई है। खेतों की सिंचाई भी नहीं हो पा रही है। महाराष्ट्र सरकार का कहना हैं कि नियमानुसार 20 दिसम्बर तक क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया जा सकता। सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित न किए जाने के कारण क्षेत्र में अब तक राहत कार्यक्रम भी शुरू नहीं किए गए हैं।

अतएव मेरी केन्द्र सरकार से माँग है कि इस क्षेत्र को अविलंब सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। और केन्द्र द्वारा प्रान्त सरकार को 300 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए। ग्रामीण किसानों और खेतीहर मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाए। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाए। गाँवों में पीने के लिए पानी टैंकरों द्वारा उपलब्ध कराया जाए। साथ ही किसानों के बकाया कर्जों की वसूली रोक दी जाए तथा अन्य टैक्सों को माफ किया जाए।

**श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली):** महोदय, आपके माध्यम से मैं रेल मंत्रालय का ध्यान मनियाची जंक्शन से मदुरै जंक्शन की युगों पुरानी वर्तमान मीटर गेज लाइन को हटाने के निर्णय की ओर दिलाना चाहूँगा जिससे तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों की सम्पूर्ण जनता के साथ भारी अन्याय हुआ हैं। ये लोग राज्य की राजधानी मद्रास तक सीधे अपनी यात्रा के उस अधिकार से वंचित हो जाएँगे जो उन्हें ब्रिटिश काल से मिला हुआ था।

अतः बड़ी लाइन में बदलने के बहाने से वर्तमान मीटर गेज़ लाइन को नहीं हटाना चाहिए और करुर से तूतिकोरिन तक की बड़ी लाइन की नई परियोजना वर्तमान मीटर गेज़ लाइन के समानांतर लाइन होनी चाहिए तथा सीधे मद्रास सम्पर्क वाली वर्तमान मीटर गेज लाइन को हटाए बिना, नई बड़ी लाइन परियोजना की सुविधा देकर हमारे देश के उत्तरी भागों से नया सम्पर्क बनाना चाहिए और इस प्रकार तमिलनाडु के दक्षिण जिलों के लोगों के साथ न्याय किया जा सकेगा।

**श्री जी.एम.सी. बालयोगी (अमालापुरम):** महोदय, आंध्र प्रदेश में हाल की भारी वर्षा और बाढ़ से खड़ी फसलों को भारी क्षति हुई है। फसलों की अनुमानित हानि लगभग 200 करोड़ रुपये है। कोनासीमा क्षेत्र, विशेषकर पूर्वी गोदावरी जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र, अमालापुरम, जिसे आंध्र प्रदेश का चावल का कटोरा कहा जाता है, में भारी वर्षा से काफी क्षति पहुँची है। हजारों एकड़ कृषि भूमि नदी और वर्षा के पानी में डूब गई। अनेक लोग जिन्होंने उर्वरकों की खरीद के लिए ऋण लिए थे, ऋण वापस करने में काफी कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

मैं माननीय कृषि मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि वह यह देखें कि भारतीय खाद्य निगम को अपवर्णित धान खरीदने के निदेश दिए जाएँ। दूसरे, इस क्षेत्र के किसानों को रियायती दरों पर बीज, कीटनाशक दवाएँ और उर्वरक दिए जाएँ और किसानों को हानि से उबारने के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। प्रस्तावित फसल बीमे की सुविधा किसानों की व्यक्तिगत भूमि जोतों की सर्वेक्षण संख्या के आधार पर उपलब्ध कराई जाए न कि जिले को इकाई मानकर केवल तभी बीमा या ऋण बीमा किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

**श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा):** अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान देश के विभिन्न भागों में रह रहे आदिवासियों की समस्याओं की तरफ संक्षिप्त रूप में खींचना चाहूँगा। आज सबसे दुःखद स्थिति यह है कि पिछले कुछ दिनों से आदिवासियों की दुर्दशा इतनी बढ़ गई है कि कई जगहों पर उनके भूख से मरने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं 20 तारीख को कर्नाटक गया हुआ था, वहाँ मैसूर जिले में ददावली नामक स्थान हैं। वहाँ पर गोपाल गौड़ा कट्टा कालोनी हैं उसमें 22 जून से लेकर 22 जुलाई तक आठ आदिवासी लड़के ओर एक महिला की मृत्यु भूख से हो गई। वे लोग जंगल से हटा कर वहाँ बसाए गए हैं, उस कालोनी में बसाए गए हैं। लेकिन वहाँ

तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। तीन किलोमीटर हम पैदल चलकर जर्नलिस्ट के साथ पहुँचे। उनके पास न जीविकोपार्जन का साधन है। सुबह से लेकर शाम तक वे मजदूरी करते हैं, केवल तीन महीने खेत में। चार रुपये महिला को और पाँच रुपये पुरुष को मजदूरी दी जाती है।

मैं आपके रिकार्ड में लाने के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि सरकार जाँच कराए कि ऐसा हुआ है या नहीं। जो महिला मरी है वह कुलम्मा है, उम्र 45 साल। बच्चे दो साल से लेकर पांच साल के बीच के हैं– बसवा, रत्ना, राजप्पा, महादेवी, चेलवी और मारा। आठ बच्चे हैं दो साल से लेकर पांच साल, वे भूख से बिलख-बिलख कर मर गए। जिस दिन हम पहुँचे, हमने देखा कि वहाँ कोई स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य की बात तो छोड़ दीजिए, बगल में तालाब है, उसमें से वे पानी पीते हैं, कोई जीविकोपार्जन के साधन नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया इसी तरह से जहाँ-जहाँ ट्राइबल एरियाज है, किसी भी स्टेट में आजादी के 45 साल बाद भी उनकी यह दुर्दशा है, वे जीवन की मुख्य धारा मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं इसलिए हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि यह कोई राज्य का मामला नहीं है, बल्कि आदिवासियों के लिए, उनके रोजगार के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए और उनको भुखमरी के कगार से बचाने के लिए सरकार को कोई न कोई कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर या उनकी बैठक बुलाकर सरकार आदिवासियों की भीषण समस्या को गंभीरता से ले और भूख से जो मरे हैं उनके संबंध में जो मुआवजा देने की बात है वह करें। लेकिन भुखमरी और न फैले, इसके लिए कार्यक्रम बनाएँ।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम):** अध्यक्ष महोदय, 1947 के बाद से हमें इस बात पर गर्व है कि 1943 में बंगाल में जो सूखा पड़ा था वैसा सूखा अब नहीं पड़ेगा, वैसा सूखा अब नहीं पड़ रहा है। यदि स्थिति इस हद तक बदल गई है कि लोग भुखमरी के कारण मर रहे हें और वह भी सूखे की समाप्ति के पश्चात तो आदिवासी लोगों की आह हमें लगेगी। अतः भारत सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। हम इन बातों की पुनरावर्ती नहीं चाहते। यह सुनकर बड़ा दुःख होता है कि आज लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनक पास खाने को भोजन नहीं है और उनकी कोई आय नहीं हैं क्या हम 1947 से पहले के दिनों की ओर लौट रहे हैं। सरकार को इस मामले में अपनी प्रतिक्रया व्यक्त करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय:** यदि भुखमरी से मौतें हुई हैं, चाहे वह आदिवासियों की हो या अन्य व्यक्तियों की, तो यह एक गम्भीर मामला है हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि सच्चाई क्या है और यदि यह सच है तो राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को वास्तविकता और तथ्यों को सुनिश्चित करने के पश्चात उचित उपचारी उपाय करने चाहिए।

**श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा):** महोदय, त्रिपुरा में भुखमरी के कारण अनेकों लोगों की मृत्यु हो गई हैं। राज्य सरकार ने त्रिपुरा के आदिवासी लोगों के जीवन को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किए हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** आचार्यजी, मैंने जो कुछ कहा है यदि आप उसे समझ गए हैं तो आपको इस बात को दुबारा नहीं उठाना चाहिए।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर):** अध्यक्ष महोदय, यह केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी त्रिपुरा की घटना के बारे में कहा गया है, वहीं आन्ध्र प्रदेश में भुखमरी से मौतों के बारें में 'फ्रंटलाइन' में बहुत बड़ा, व्याकुल करने तथा कष्ट पहुँचाने वाला एक लेख भी छपा है। अतः भारत सरकार को संसद के समक्ष एक व्यापक योजना प्रस्तुत करनी चाहिए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर):** अध्यक्ष महोदय, रामविलास पासवानजी ने इस मामले को उठाया है और उन्होंने विशेष रूप से कर्नाटक के बारे में उल्लेख किया तथा आन्ध्र प्रदेश के बारे में भी समाचार मिले है। हम त्रिपुरा में भुखमरी से हुई मौतों के बारे में सदन में पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। डॉ. रामचन्द्र डोम ने गत सप्ताह उठाया था। लेकिन

इस संबंध में कोई कार्रवाई, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नही की गई है। अतः अब आपने यह टिप्पणी की हैं। मैं आशा करता हूँ कि सरकार सम्पूर्ण भारत में भुखमरी से हुई इन मौतों को गम्भीरता से लेगी। हमने भी इस बात को उठाया हैं।

ये महत्वपूर्ण मामले उठाए गए थे। मैंने देखा कि श्री अर्जुन सिंह जी आमतौर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते है। यह एक अत्यंत गम्भीर मामला हैं। शायद वह यहाँ उपस्थित नहीं हैं। शायद दूसरे लोग झपकी ले रहे हैं। लेकिन इस संबंध में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

**श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर):** जब कभी भुखमरी से मृत्यु का प्रश्न उठाया गया है, या तो इस सरकार ने या किसी अन्य सरकार ने इसे नकार दिया है। अतः भुखमरी से मौतों का सम्पूर्ण तथ्य छिपा रह जाता है। पिछले कुछ वर्षो से इस देश की यही आदत रही हैं। आप पहले ही टिप्पणी कर चुके है कि यह एक गम्भीर मामला है और इसकी जाँच की जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार एक स्वतंत्र तन्त्र की स्थापना करे जिसके द्वारा, जहाँ कहीं भुखमरी से मौतें हों तो तथ्यों को सुनिश्चित किया जा सके।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री अर्जुन सिंह सरकार की तरफ से जवाब दे रहे है। उन्हें जवाब देने दें।

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई इच्छाओं के अनुरूप आपने निदेश दिया है और मै आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस निदेश का पूरी तरह पालन किया जाएगा इन घट रही घटनाओं के मूल प्रश्न के बारे में और इन तथ्यों को कैसे सुनिश्चित किया जाए तथा इसके पश्चात किस प्रकार उपाय किए जाएँ, इस संबंध में मैं अपने अनुभव को बताना चाहूँगा कि इस सच्चाई का पता लगाने में अनेक कठिनाइयाँ आ रही हैं और इस प्रयास में मैं सभा के साथ हूँ कि ऐसी खेदपूर्ण भूलों के मामलों में, जहाँ भुखमरी से लोगों की मौत होती है, जैसा कि आरोप लगाया गया है, कोई न कोई तंत्र अवश्य होना चाहिए, जिसमें सभी का हिस्सा हो। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी राज्य से कोई रिपोर्ट मिले तभी मैं आपसे बात करूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विपक्ष के माननीय नेता ने सम्पूर्ण मामले को इस परिप्रेक्ष्य में लिया है कि यह किसी विशेष राज्य से संबंधित मामला नहीं हैं। यह एक राजनैतिक मामला नहीं हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो हमें बात की मूल तक जाना होगा तथा इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी तरह की त्रुटि को तुरन्त बताया जाना चाहिए भले ही इसके चाहे जो भी परिणाम हों, मैं इस संबंध में आपके माध्यम से सदन को आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं इस मामले में माननीय गृह मंत्री और यदि आवश्यक हुआ तो माननीय प्रधान मंत्री से बातचीत करूँगा, और उनसे सदन के कुछ वरिष्ठ सदस्यों से विचार विमर्श कर ऐसे मुद्दे पर ऐसी व्यवस्था कायम करने का अनुरोध करूँगा जिससे कि सदन में कोई विवाद न हो, तभी हम कह सकते हैं कि क्या किया जा सकता है।

**श्री राम विलास पासवान:** जो मैंने उदाहरण दिया है। मैं पूरे देश की बात कह सकता था, लेकिन मैंने जो कहा है वहाँ मैं स्वयं गया हूँ 20 तारीख को, और मैंने देखा है आप जाँच कराकर बताएँ तो...

**श्री अर्जुन सिंह:** वही मैंने कहा है।

**श्री राम विलास पासवान:** एक होता है फैक्ट। आप एक कानून बनाने की बात कह रहे हैं। जहाँ-जहाँ माननीय सदस्य की जानकारी में मामला आया है। मैंने एक जगह का उदाहरण दिया और भी माननीय सदस्य त्रिपुरा का दे रहे हैं, आप इन्क्वारी करवाकर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

**श्री अर्जुन सिंह:** मैंने यह नहीं कहा है कि जो पासवानजी ने कहा उस पर जानकारी नहीं ली जाएगी, सबसे पहले उस पर ली जाएगी।

**श्री राम विलास पासवान :** इस संबंध में सरकार वक्तव्य दे। क्या सरकार इस संबंध में सदन को सूचित करेगी? हम लोगों ने मामला उठाया आपके माध्यम से...

**अध्यक्ष महोदय:** आपने यह मुद्दा उठाया है। मैंने दूसरे सदस्यों को इस पर चर्चा की अनुमति दी है। मैं सरकार से इस मामले की छानबीन करने तथा सुधारात्मक उपाय उठाने का अनुरोध करता हूँ। सदन के नेता ने खड़े होकर कहा कि वह निश्चय ही ऐसा करेंगे तथा वह ऐसी प्रक्रिया को अपनाएँगे जिससे कि ऐसे मामलों में संदेह न रह जाए। इसके बावजूद, यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या यह उचित होगा?

(लोक सभा कार्रवाई/28 नवम्बर 1991, पृष्ठ 189 से 196)

*लोकसभा में 29 नवम्बर 1991 के दिन सांसद श्री ए. चार्ल्स तथा श्री एस. बी. सिदनाल ने प्रस्तावित देश व्यापी हड़ताल का प्रश्न उठाया, इस समय सभापति श्री पी.एम.सईद पीठासीन थे। यह हड़ताल सरकार की नई उद्योग नीति के विरोध मे थी। अनेक सदस्यों द्वारा इस संबंध में प्रश्न उठाने पर सभापति महोदय ने सदन के नेता मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह से उत्तर देने को कहा।*

*श्री अर्जुन सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे मजदूर संघों के हड़ताल करने वाले अधिकार को स्वीकार करते है। उधर सरकार भी श्रमिक वर्ग के हितों की अनदेखी कभी नहीं कर सकती। उनका सदैव प्रयास रहा कि श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण चर्चाओं के माध्यम से होना चाहिए और यदि उचित समाधान नहीं मिलता है तभी हड़ताल का रास्ता अपनाएँ।*

(व्यवधान)

**श्री एस.बी. सिदनाल (बेलगाम):** महोदय, यह पता लगा है कि मजदूर संघों के नेता सरकारी क्षेत्र और इसकी नीति के बारे में गलत फहमी होने के कारण कल से हड़ताल करने जा रहे हैं। भारत सरकार के जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद भी मजदूर संघों की भारत व्यापी हड़ताल पर कोई असर नहीं हुआ है। हड़ताल से 300 करोड़ रुपए की क्षति होने का अनुमान है। इस संकटकाल में इतनी भारी क्षति सहन करना देश के लिए कठिन है। मैं माननीय अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि वे इस सभा की ओर से मजदूर संघों के नेताओं से अपनी हड़ताल तुरन्त समाप्त करने तथा देश को भारी क्षति से बचाने के लिए सरकार से बातचीत करने हेतु आगे आने की अपील करें। (व्यवधान)

**श्री फूलचन्द वर्मा:** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति लोक महत्त्व के मामले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। बैंक नोट प्रेस, देवास, म.प्र. में नोटों की छपाई का काम कई बार गड़बड़ा गया है। पिछले सितम्बर माह में 29 दिनों तक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बैंक नोट प्रेस में नोटों की छपाई का काम पूरी तरह बंद रहा। इस प्रेस में बड़े नोट 50, 100 एवं 500 के छपते हैं। प्रेस में दोनों पारी में लगभग ढाई हजार कर्मचारी काम करते है।

जबकि वर्तमान में 10 नवम्बर, 91 से सुपरवाइजर्स के हड़ताल के कारण नोटों के उत्पादन में पुनः भारी कमी आ गई है जिसके कारण 60 लाख नोट प्रतिदिन तैयार होने के स्थान पर केवल 15 लाख नोट ही छप पा रहे हैं। वर्तमान में मालवा क्षेत्र में कपास और सोयाबीन की खरीद और बिक्री तेजी से चल रही है तथा बड़े नोटों की कमी के कारण व्यापारी तथा बैंक अधिकारी दोनों ही परेशान हैं।

मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार कर्मचारियों की माँगों को क्यों पूरा नहीं करती? क्या कारण है कि कर्मचारी बार-बार हड़ताल करने पर मजबूर हो रहे हैं? म.प्र. हाई कोर्ट ने प्रेस के सुपरवाइजर्स और कर्मचारियों को कारखाना अधिनियम की धारा 51 के तहत दोगुणी दर से ओवरटाइम के भुगतान का आदेश दिया है तथा इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने प्रबंधकों की अपील रद्द कर दी हैं। इसके बावजूद प्रबंधक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे है।

मेरी सरकार से पुरजोर माँग है कि वह अपनी अड़ियल नीति छोड़े तथा जनहित में कर्मचारियों की माँगें मंजूर करे, जिससे कि प्रेस में पुनः नोटों की छपाई का कार्य प्रारम्भ हो सके। मैं सरकार से पुनः माँग करता हूँ कि बैंक नोट प्रेस के प्रबंधक, जिन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है और मानहानि की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और हड़ताल समाप्त हो, इस बारे में कर्मचारियों की माँग की तुरन्त मानना चाहिए।

**सभापति महोदय** : क्या आप यह जानना चाहते हैं कि इस बात की सरकार को सूचना मिली है या नहीं और क्या कल हड़ताल होगी या नहीं।

**श्री ए. चार्ल्स** : यदि सरकार को इसकी सूचना है तो क्या शाम को वे इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी करेंगे। (व्यवधान)

**श्री पी.सी. चाको (त्रिचूर)** : यह केवल सुरक्षा का प्रश्न नहीं है बल्कि जनता विरोधी मामला भी है। यह हड़ताल विपक्ष के ट्रेड यूनियन नेताओं की सहायता से की जा रही है जो देश को दाँव पर लगा रहे हैं।

**सभापति महोदय** : क्या सभा को ऐसी सूचना मिली है कि कल हड़ताल होगी। यदि सभा के नेता उचित समझें तो वे इसका उत्तर दे सकते हैं।

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुनसिंह)** : माननीय सभापति, सरकार को इस बात की सूचना है कि कुछ ट्रेड यूनियन कल हड़ताल करना चाहती हैं। मैं किसी ट्रेड यूनियन द्वारा हड़ताल करने के अधिकार को नहीं नकारता, उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन मैं यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, नई औद्योगिक नीति के संबंध में, जो इस सभा में रखी गई और उस पर चर्चा हुई तथा जिसे सभा का अनुमोदन प्राप्त हुआ, बेशक कुछ लोगों का मत इसके विरोध में था संसद के पिछले सत्र में, उक्त चर्चा के दौरान प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार श्रमिक वर्ग के हितों की पूरी तरह रक्षा करेगी क्योंकि यह सरकार देश के श्रमिक वर्ग के मूल हितों की अनदेखी कभी नहीं कर सकती।

दूसरे, कुछ उपायों का सुझाव दिया गया है। जिन्हें सही ढंग से देखना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित की गई है ताकि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के सन्देह के बारे में बैठ कर चर्चा की जा सके और उसका हल निकाला जा सके। मेरे साथी श्री पी.ए. संगमा उस समिति के सभापति हैं। इस महीने की 17 तारीख को एक बैठक हुई थी, अगली बैठक 20 दिसम्बर को होगी। जहाँ तक सम्बन्धित मामलों की बात है मैं अभी उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि अगले सप्ताह सभा में इस सम्पूर्ण मुद्दे पर, इस सभा में तथा राज्य सभा में, चर्चा होनी है। इन परिस्थितियों में केवल यह कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी हड़ताल करना चाहते हैं उन सबसे मेरी अपील

है कि वे जिन प्रश्नों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं उन प्रश्नों पर प्रधान मंत्री ने पहले ही श्रमिक वर्ग के पक्ष में स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है। फिर भी यदि किसी बात पर चर्चा की आवश्यकता है तो ऐसी चर्चा के लिए मंच मौजूद है। इस सभा में इस पर चर्चा होगी। अत: इस समय हड़ताल करना उचित नहीं लगता। मैं उन सभी ट्रेड यूनियनों से अपील करना चाहता हूँ जिन्होंने यह निर्णय किया है और मैं निर्णय करने के उनके अधिकार पर कोई प्रश्न चिह्न नहीं लगाता, लेकिन मुझे उनसे यह अपील करने का अधिकार है कि सम्भवत: इस हड़ताल से उनका कोई प्रयोजन सिद्ध नही होगा। उनका उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब वे दूसरे ढंग से इस पर सोचें जिसके लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं।

**सभापति महोदय** : त्रिपक्षीय समिति में कौन-कौन शामिल हैं।

**श्री अर्जुन सिंह** : ये सभी ट्रेड यूनियनें, सरकार और उद्योग के प्रतिनिधि।

**श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा)** : 29 नवम्बर, 1991 को सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय एक सम्मेलन में लिया गया था जो दो महीने पहले हुआ था और जिसमें सभी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि, इन्टक के प्रतिनिधि सहित, उपस्थित थे।

**सभापति महोदय** : कृपया वास्तविक प्रश्न पर आ जाएँ। सभा के नेता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे ट्रेड यूनियनों के हड़ताल पर जाने के अधिकारों से इंकार नहीं करते लेकिन उन्हें ट्रेड यूनियनों से अपील करने का अधिकार है। जैसाकि उन्होंने किया है।

आपका क्या पॉइंट है?

**श्री बसुदेव आचार्य** : एक तरफ तो सरकार अपील कर रही है, और दूसरी तरफ वे इन औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में कई इकाइयों को तो पहले ही बंद किया जा चुका है। हल्दिया उर्वरक कारखाने को बंद कर दिया गया है। (व्यवधान)

**सभापति महोदय** : कृपया बैठ जाएँ। जैसा कि सभा के नेता ने कहा है प्रधान मंत्री पहले ही इस बात से सहमत हो चुके हैं कि इस प्रश्न पर चर्चा की जाए जिसमें नई औद्योगिक नीति पर भी चर्चा हो और मुझे विश्वास है कि इसमें इकाइयों के बंद करने के प्रश्न पर भी चर्चा की जाएगी। श्री चार्ल्स ने केवल यही प्रश्न उठाया था और सभा के नेता ने इसका समुचित उत्तर दे दिया है।

(लोकसभा कार्रवाई/ 29 नवम्बर 1991, पृष्ठ 205 से 212 तथा पृष्ठ 255 से 257)

*29 नवम्बर को माननीय अध्यक्ष श्री शिवराज वी. पाटिल पीठासीन थे। अध्यक्ष महोदय ने भूतपूर्व सांसद टी.एस. अविनाशीलिंगम चेट्टियार के दु:खद निधन की सूचना दी। इसके बाद श्री राम विलास पासवान ने देश के मजदूरों द्वारा नई औद्योगिक नीति के विरोध में आयोजित हड़ताल की बात उठाई और प्रश्नकाल स्थगित करने की माँग की। कुछ माननीय सदस्यों का मानना था कि प्रश्नकाल स्थगित कर अविलंब इस विषय पर चर्चा हो। यह लोक महत्त्व का प्रश्न है। किंतु अध्यक्ष महोदय व सरकार का यह मानना था कि सदन की सामान्य कार्रवाई के अंतर्गत भी यह चर्चा की जा सकती है। प्रश्नकाल स्थगित हो अथवा नहीं इसको लेकर सदन में काफी व्यवधान हुआ। कुछ माननीय सदस्यों ने व्यवस्था के प्रश्न को छोड़ औद्योगिक नीति व मजदूर हड़ताल पर बहस शुरू*

*कर दी। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने व्यवस्था की बात करते हुए कहा कि प्रश्नकाल को स्थगित करने के संबंध में एक प्रक्रिया है उसे अपनाना चाहिए साथ ही उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार किन्ही भी परिस्थितियों में कोई ऐसा कदम नही उठाएगी जिससे देश की प्रभुसत्ता को क्षति पहुँचे। आश्वासन के बाद भी माननीय सदस्य अपनी बात पर अड़े रहे, अध्यक्ष महोदय ने भी प्रश्नकाल को स्थगित कर चर्चा का अवसर देने से मना कर दिया। इसको लेकर श्री सोमनाथ चटर्जी सहित अनेक सदस्यों ने सभा से बहिर्गमन कर दिया। इसके कुछ समय बाद श्री योगेन्द्र झा सहित कुछ अन्य सदस्यों ने बहिर्गमन किया।*

*प्रश्नकाल के उपरांत एक बार फिर स्थगन प्रस्ताव का मामला उठा। अध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहने वाले सदस्यों को पुकारा। माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति को देखते हुए श्री अर्जुन सिंह से स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में लोकसभा प्रक्रिया प्रावधानों की बात उठाई जिससे माननीय अध्यक्ष महोदय ने सहमति जताई। श्री अर्जुन सिंह का यह हस्तक्षेप संसदीय कार्रवाई में उनकी कुशलता की एक बानगी है।*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने एक भूतपूर्व सहयोगी श्री टी.एस. अविनाशीलिंगम चेट्टियार के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री टी.एस. अविनाशीलिंगम चेट्टियार 1935 तथा 1945 के बीच 'सैंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली' के सदस्य रहे और तत्पश्चात् उन्होंने भूतपूर्व मद्रास राज्य के तिरूप्पूर निर्वाचन क्षेत्र का 1952-57 के दौरान पहली लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। वे 1958-64 के दौरान राज्य सभा के भी सदस्य रहे। उससे पहले 1946-51 के दौरान वे तत्कालीन मद्रास विधान सभा के सदस्य रहे और उन्होंने राज्य की मन्त्रिपरिषद् में शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री चेट्टियार वरिष्ठ स्वतन्त्रता सेनानी, शिक्षाविद्, लेखक तथा सुधारक थे। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा कई वर्ष तक जेल में रहे। शिक्षा के विस्तार में उन्होंने विशेष रुचि ली तथा अनेक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की। श्री चेट्टियार ने कई पुस्तकें भी लिखी हैं।

श्री चेट्टियार का निधन 88 वर्ष की आयु में 21 नवम्बर, 1991 को कोयम्बटूर में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने में मेरे साथ है।

सभा अब दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(व्यवधान)

**श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा)** : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने क्वश्चन आवर सस्पेंड करने के लिए आपको नोटिस दिया हुआ है। आज पूरे देश के मजदूर हड़ताल पर हैं। इसी बात पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर)** : महोदय, आज भारत के कामगार हड़ताल पर हैं। हम प्रश्नकाल नहीं होने

देंगे। हमने प्रश्नकाल को निलम्बित करने के लिए आपको एक नोटिस दिया हुआ है। (व्यवधान)

**श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा)** : हम उस नीति को वापस लेने की माँग कर रहे हैं जो श्रमिक वर्ग के हितों को हानि पहुँचाती है। यह एक नुकसानदेह नीति है। (व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। (व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा)** : इस सरकार की आर्थिक नीति क्या है? (व्यवधान)

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : हमने प्रश्नकाल निलम्बित करने के लिए एक नोटिस दिया है। उसका क्या हुआ? (व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : सरकार ने इस देश के मजदूरों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। उन्होंने अपने दोस्त चुने है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही उनका समर्थन कर रही है और अन्य कोई भी उनका समर्थन नहीं कर रहा है। (व्यवधान)

**श्री सूरज मंडल (गोंडा)** : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के मजदूर आज हड़ताल पर हैं। इस बात पर सदन मे अभी चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आज श्रमिक वर्ग और केन्द्रीय मजदूर संगठन हड़ताल पर हैं। (व्यवधान) आज हमारे देश पर प्रधान मंत्री या वित्त मंत्री का शासन नहीं है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का शासन है। वह हमारी नीति का निर्णय कर रहे हैं। (व्यवधान) लाखों लोग अपनी नौकरी से हाथ धो रहे हैं। सरकारी उपक्रमों को बर्बाद किया जा रहा है। उनका निजीकरण किया जा रहा है। इस देश में क्या हो रहा है? वित्त मंत्री कहते हैं तीन वर्षों के बाद हमें कुछ हासिल हो जाएगा। महोदय, जब वह यह कहते हैं तो सूचकांक क्या है? लोगों का क्या होगा? हमें कोई आश्वासन नही मिला है। प्रधान मन्त्री ने कहा है— चर्चा हो सकती है। परन्तु महोदय, सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को छंटनी करने के नोटिस पहले ही दिए जा चुके हैं।

महोदय, उन्होंने पहले ही औद्योगिक नीति अपनाने का फैसला कर लिया है जिसका मतलब है कि मजदूर वर्ग को बहुत परेशानियाँ आएँगी। उन्होंने निर्णय लिया है कि सरकारी क्षेत्र के एककों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाय। इस देश मे क्या हो रहा है? महोदय हम चाहते हैं कि यह नीति तुरन्त बदली जाय। (व्यवधान)

**श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़)** : महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक है। श्री सोमनाथ चटर्जी नियमों के परे जा रहे है। यह सहनीय नहीं है। आप पहले ही कार्य मंत्रणा समिति में रुग्ण एककों पर चर्चा की बात स्वीकार कर चुके है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप यह प्रश्न नहीं कर सकते। मैं व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या आप चाहेंगे कि सदन मे हल्ला-गुल्ला होता रहे।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर)** : ऐसा लगता है कि कुछ गलतफहमी है, महोदय यह आपको भी है। (व्यवधान)

मुझे मालूम है और हम सबको इस बात की जानकारी है कि नियमों के अन्तर्गत आप इन मसलों पर चर्चा के लिए कुछ समय निकालेंगे। हमने सत्र के दौरान उचित समय पर चर्चा के लिए कहा है।

लेकिन आज हम अपने विरोध को व्यक्त करना चाहते हैं क्योंकि राष्ट्र में बड़े पैमाने पर विरोध व्यक्त किया जा रहा है। यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (इन्टक) और भारतीय मजदूर संघ इसमें भाग नहीं ले रहे है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हड़ताल नहीं है। कई अन्य श्रमिक संघों के संगठन है। (व्यवधान) हम इस वास्तविकता के विरुद्ध

विरोध व्यक्त करना चाहते है कि इस सरकार ने अभी तक राष्ट्र को यह नहीं बताया है कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ क्या करार किया है? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ उनके पत्र व्यवहार को अभी तक हमें नहीं बताया गया है। इस दौरान उन्होंने सभी तरह की निजीकरण और छटनी की नीति की घोषणाएँ कर दी है। मुख्य बात जो आज श्रमिकों को उद्वेलित किए हुए है वह है छटनी नीति, जिसके बारे में बताया गया है कि इस पर बातचीत होगी। लेकिन श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ कोई बातचीत नहीं की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह हड़ताल की कार्रवाई सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। आपने शुरू में यह कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के लोग ही हड़ताल कर रहे है। ऐसा नहीं है, यह हड़ताल सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है क्योंकि यह उन आर्थिक नीतियों के विरुद्ध विरोध है जिसके कारण देश में बेतहाशा मुद्रा स्फीति है, बढ़ती हुई कीमतें देश में हरेक पर असर डाल रही है यहाँ तक कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज हड़ताल होगी। दुकानें, बाजार हर चीज बन्द होगी। यह लोगों का पूर्ण विरोध है।

अतएव हम बाहर जनता के विरोध को सदन में बतलाने का प्रयास कर रहे हैं और यह माँग कर रहे हैं कि प्रश्नकाल निलम्बित कर दिया जाए और सरकार को यह बताएँ कि तबाह करने वाली उन नीतियों को बदला जाए, वापिस लिया जाए जिससे देश की आत्मनिर्भरता को समाप्त होने से बचाया जा सके। सरकार को इसके विरुद्ध उठने वाली विरोध की आवाज को सुनना चाहिए। इन नीतियों से बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इससे मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी और परिणामत: अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता लेनी पड़ेगी। इसी के विरुद्ध हम आज विरोध व्यक्त कर रहे हैं। इसी कारण हमने इस तरीके को अपनाया था। ऐसा आपके प्रति सम्मान की कमी के कारण नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि इस मामले पर आप हमारे साथ सहयोग करें।

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्षजी, हम लोगों ने पार्लियामेंट के रूल्स एण्ड प्रोसीजर के नियम 388 के तहत क्वेश्चन-आवर सस्पेंड करने का निवेदन किया है। इस अति लोक-महत्व के विषय की ओर सरकार और इस सदन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोगों ने नियम 388 के तहत नोटिस दिया है और हम इस बात को मानते है कि आज जिस इशू पर हम लोग खड़े हैं, आज की तारीख में इस देश में इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण इशू नहीं हो सकता है और जैसा कि सोमनाथ चटर्जी साहब ने और इन्द्रजीत गुप्ताजी ने कहा कि सरकारी मीडिया के प्रपोगंडा के बावजूद कल इस सदन में स्टारवेशन डैथ्स पर चर्चा हुई और मैं चेयर को और लीडर ऑफ दी हाउस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कल इस सम्बन्ध में अपनी कन्सेन्ट जाहिर की और इसको बहुत गम्भीरता से लिया। लेकिन सरकार के पास जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टी.वी. है, उसके पास इस बात के लिए अपने न्यूज बुलेटिन में एक भी शब्द नहीं था।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गाँधीनगर)** : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के रवैये से सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों में आशंका उत्पन्न होने का कारण बिल्कुल जायज है। बैंकॉक में एक वक्तव्य दिया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उन एककों को बन्द कर दिया जाएगा जिससे लाभ नहीं हो रहा है और शीघ्र ही उसके बाद जब संसद की बैठक हुई तो इस मुद्दे पर एक प्रश्न था जिसका बिल्कुल ही प्रतिकूल उत्तर दिया गया। एक प्रकार से बैंकॉक में दिए गए वक्तव्य को छिपाने का प्रयास किया गया। शुरू से ही, विगत चार माह से, मैं और मेरा दल इस बात पर जोर डाल रहे थे कि औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन करने पर जोर दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में वक्तव्य जारी किए जा रहे है। लेकिन आवश्यकता पूरी स्थिति का चित्र प्रस्तुत करने की है। इसलिए कृपया इस सम्बन्ध में एक श्वेत-पत्र यह दर्शाते हुए जारी किया जाए कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें क्या है? और हम क्या-क्या स्वीकार कर रहे है? इस प्रकार का कुछ भी नहीं किया जा रहा है और लाभ नहीं पहुँचाने वाले सार्वजनिक एककों और निर्गम

नीति के सम्बन्ध में विचित्र वक्तव्य दिए जा रहे है। अब ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि देश में वर्तमान आर्थिक जड़ता का कारण विगत चार दशकों से अपनाई जा रही गलत नीतियाँ हैं जिससे यहाँ उपस्थित अनेक व्यक्ति अभी भी सहमत है। इससे मै और मेरा दल सहमत नहीं है। इस बार जब सरकार और नए वित्तमन्त्री महोदय ने कहा कि वे नए कदम उठाने और नए ढंग से कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं तब मैंने समझा था कि वे व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे, न कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि मैं कहूँगा कि यद्यपि बी.एम.एस. इससे सहमत नहीं भी हो सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश ट्रेड यूनियन वर्तमान नीति का कड़ा विरोध करते है। यदि उचित रूप में इसकी व्याख्या की जाए तो शायद उन्हें भी समझाया जा सकता है।

महोदय, आज बी.एम.एस. हड़ताल में भाग नहीं ले रहा है। लेकिन बी.एम.एस. हड़ताल का विरोध भी नहीं कर रहा है क्योंकि जायज आशंका पर आधारित हड़ताल का विरोध करने में मुझे कोई कारण नजर नहीं आता है, यद्यपि मै नही समझता हूँ कि इस मामले में हड़ताल उचित है, क्योंकि वास्तव में हड़ताल औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित होनी चाहिए और इस समय कोई औद्योगिक विवाद नहीं है। लेकिन यह नीति का प्रश्न है। नीति के सम्बन्ध में सरकार के अदक्षतापूर्ण रवैए के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिस व्यापक दिशा में सरकार ने जाने का प्रयास किया है, मेरा दल उसका समर्थन करता है क्योंकि यह विगत की नीतियों से हटने की बात है और वह विगत एक विरासत है। मै अन्य विपक्षी दलों से यह अनुरोध करूँगा कि इसे अलंघनीय नहीं समझें।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा)** : हम आपसे अनुरोध करते हैं कि प्रश्नकाल के निलंबन के हमारे अनुरोध को स्वीकार किया जाए तथा ज्वलन्त मुद्दों पर विचार विमर्श करें।

**अध्यक्ष महोदय** : यह बिल्कुल सही है। आपने बड़े सुन्दर ढंग से, एक ही वाक्य में इसे कह डाला है।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : कर्मचारी भले ही कृषि क्षेत्र के हों अथवा औद्योगिक क्षेत्र की इस नई औद्योगिक तथा आर्थिक नीति के कारण अपने भविष्य के बारे में बहुत अधिक चिन्तित हैं। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएँगे। 30 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अपने भविष्य के बारे में बहुत अधिक संदिग्ध हैं। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार पाने की संभावना भी धूमिल है। सरकार को इस बात को खासतौर पर स्पष्ट करना चाहिए कि इस नीति से रोजगार में लगे कर्मचारियों और कामगारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा और साथ-साथ बेरोजगार लोगों का भी कोई भविष्य होगा। इसलिए इस देश के लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए सरकार को खासतौर पर यह बात स्पष्ट करनी चाहिए। (व्यवधान)

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : महोदय मैं समझता हूँ कि प्रत्येक दल ने अपनी बात कह ली है। आपकी अनुमति से, मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस समय जिस बात पर निर्णय लेना है वह यह है कि क्या माननीय सदस्य द्वारा रखा गया स्थगन प्रस्ताव...

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यह स्थगन प्रस्ताव नहीं है। यह प्रश्न-काल के निलंबन का प्रस्ताव है। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : स्थगन प्रस्ताव का निर्णय मैं करूँगा और प्रश्नकाल के निलम्बन का निर्णय सभा करेगी।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, मैं वह समझता हूँ परन्तु उस प्रक्रिया से ही इस मुद्दे पर पहुँचे है कि इस समय सभा में चल रही कार्रवाई अर्थात् प्रश्नकाल को स्थगित करके स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए। उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए यह आप जानते हैं। उस प्रक्रिया की सहायता लेना पूरी तरह आप पर निर्भर है। मै उस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आप स्वयं इस सम्बन्ध में बहुत अच्छी तरह जानते है। हर एक सदस्य को बोलने की अनुमति देने के पीछे आपका उद्देश्य सदस्यों से उनके विचार ज्ञात करने का था। प्रश्नकाल

निलम्बित करने के लिए तर्क दिए जा रहे थे। हमने सभी भाषणों को सुना है। संभवत: मैंने ठीक से नहीं सुना अथवा शायद किसी ने इस बात के लिए कोई अकाट्य तर्क नहीं दिया कि प्रश्नकाल निलम्बित किया जाए। (व्यवधान) सारे तर्क औद्योगिक नीति नामंजूर करने या उसे वापस लेने के लिए दिए गए थे। जितने भी भाषण दिए गए थे उन सभी का यही उद्देश्य था। किन्तु इन सारे मामलों पर निर्णय लेने के लिए इस सभा में एक प्रक्रिया है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : परन्तु आपने सभा की राय नहीं ली।

**श्री अर्जुन सिंह** : मुझे इस सम्बन्ध में कहने दीजिए। सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए ही मैं यह बताना चाहूँगा कि यह औद्योगिक नीति सभा की जानकारी के बिना नहीं बनाई गई थी। इसे बनाकर संसद में प्रस्तुत किया गया था। इस पर सभी में चर्चा की गई थी और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधान मंत्री उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे है। यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया था। अनुदान माँगों पर चर्चा की गई थी और उन अनुदान माँगो मे सम्पूर्ण औद्योगिक नीति पर चर्चा की गई थी। तत्पश्चात् इस सभा ने अनुदान माँगों को पारित किया था। (व्यवधान) इस समय कोई भी सदस्य यह नहीं कह सकता कि यह औद्योगिक नीति इस संसद की सहमति के बिना बनाई गई थी। (व्यवधान) कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए। (व्यवधान) मैंने आपके विचारों को शांतिपूर्वक सुना था। अत: आप मेरी बात भी ध्यान से सुनिए। (व्यवधान)

बजट और उद्योग मंत्रालय की अनुदान माँगों को सभा में प्रस्तुत किया गया था। उसमें औद्योगिक नीति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा था। इस पर काफी विस्तार से चर्चा की गई और प्रधान मंत्रीजी ने उत्तर दिया था। उन्होंने सरकार की औद्योगिक नीति के सभी पक्षों का उल्लेख किया था। मैं केवल उन बातों को दोहरा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। प्रधान मंत्री जी ने संसद में यह कहा था, और उनका वक्तव्य कार्रवाई-वृतान्त में भी शामिल है, कि हर उस मुद्दे पर जिसमें किसी भी तरह से यदि मजदूर प्रभावित होंगे तो कोई भी निर्णय सर्वसम्मति द्वारा लिया जाएगा, जिसमें आप सभी सम्मिलित होंगे। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : बसुदेव आचार्यजी, कृपया बैठ जाइए, वह नहीं बैठ रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** : मैंने आपके विचारों को काफी देर तक सुना है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री बसुदेव आचार्य का वक्तव्य कार्रवाई-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, यह कार्रवाई -वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइए। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। अब बहुत हो चुका।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ भी कार्रवाई -वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं सभा को प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों का स्मरण कराना चाहूँगा। मैं उन्हें दोहराना चाहूँगा। यह सरकार किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे देश की प्रभुसत्ता को क्षति पहुँचे। (व्यवधान) हम किसी चर्चा के खिलाफ नहीं है। (व्यवधान) किसी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कुछ प्रक्रियाएँ निश्चित है। उन प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाना चाहिए। उस पर चर्चा की जा सकती है। हम उस चर्चा का स्वागत करते है।

जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है, मेरे विचार से आपको सभा में मतदान करा लेना चाहिए कि क्या सभा प्रश्नकाल के दौरान इस प्रकार का अभियान चाहती है। (व्यवधान) मैं विपक्ष के माननीय नेता के हस्तक्षेप के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मै उनकी असमंजस की स्थिति समझता हूँ। उनके लिए तथा उनके दल के लिए कठिन स्थितियों में से एक का चयन करना काफी कठिन है। (व्यवधान)

## स्थगन प्रस्ताव के बारे में

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि देश की आर्थिक स्थिति को सुलझाने में सरकार की विफलता के सम्बन्ध में मुझे निम्नलिखित सदस्यों से 13 स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। जिसके कारण श्रमिक वर्ग को सरकार की जनता विरोधी और श्रमिक विरोधी आर्थिक और औद्योगिक नीति के विरुद्ध हड़ताल पर जाने को मजबूर कर दिया है।

सूचना देने वाले प्रथम सदस्य श्री बीरसिंह महतो हैं। उसके बाद अन्य सदस्यों द्वारा सूचनाएँ दी गई हैं। उनके नाम इस प्रकार है :—

1. श्री रामविलास पासवान
2. श्री लोकनाथ चौधरी
3. श्रीमती गीता मुखर्जी
4. श्री इन्द्रजीत गुप्त
5. श्री सोमनाथ चटर्जी
6. श्री सैफुद्दीन चौधरी
7. श्री बसुदेव आचार्य
8. डॉ. सुधीर राय
9. श्री हन्नान मोल्लाह
10. डॉ. (श्रीमती) मालिनी भट्टाचार्य
11. श्री अमर राय प्रधान
12. श्री चित्त बसु

मैं पहले उस सदस्य का नाम लूँगा जो सूची में पहले स्थान पर है उसके बाद मैं उस सदस्य का नाम बोलूँगा जो सूची में उसके बाद होगा। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को रखने की अनुमति देने से पूर्व मुझे सभा की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं कल्पनाथजी को स्पष्ट करता हूँ। ऊर्जा मंत्रीजी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : उन्होंने अत्यधिक सफलतापूर्वक उस प्रस्तावित हड़ताल का निपटान किया जो कि विद्युत के क्षेत्र में होने वाली थी।

**अध्यक्ष महोदय** : इस कारण, उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे सभा में मतदान हेतु रखने से पूर्व एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया था कि हम देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति, विदेशी मामलों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। हम इस विषय पर चर्चा के लिए समय निर्धारित कर

रहे है। परन्तु अब इसे सभा मे उठाया गया है। हमें निर्णय लेना होगा। मैंने यह कहा है कि मैं स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की स्वीकृति देता हूँ। यदि कोई सदस्य इसके विपक्ष में है, तो मैं सदस्यों को कहूँगा कि वे उठें और कहें कि वे इसके 'पक्ष' मैं है या 'विपक्ष' में। यदि वे इसके विपक्ष में हैं तो वे इसका विरोध भी कर सकते हैं।

मै इस पर चर्चा की अनुमति प्रदान करता हूँ और इस प्रकार के स्थगन प्रस्ताव के बारे में विपक्ष में कहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस कारण मै केवल अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ और मैं इस मामले पर निर्णय लेने की बात सभा पर छोड़ता हूँ। इस पर चर्चा करने का अवसर है। यदि इसमें कोई गलतफहमी हो, तो आपको उस पर चर्चा करने का भी अवसर प्राप्त है। आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं और मेरे विचार आप पर बाध्य नहीं है।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, मुझे प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी नहीं है। मुझे इतनी जानकारी है कि जब एक बार स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे दी जाती है और अध्यक्ष उस प्रस्ताव को रखने वाले का नाम बुलाता है और यदि वह अनुपस्थित होता है और सभी 50 माननीय सदस्य अथवा अपेक्षित संख्या में सदस्य खड़े नहीं होते तो स्थगन प्रस्ताव समाप्त समझा जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो मुझे इस बारे में जानकारी प्रदान करें।

**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ आपने कहा है मैं उससे पूर्णत: सहमत हूँ। मैं उस प्रक्रिया का पालन कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। यह मामला देश के श्रमिक वर्ग से सम्बन्धित है और आप इससे सम्बद्ध है। परन्तु मैं आप पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रहा, यह बात आप पर छोड़ रहा हूँ। मैं पूर्णत: नियम का पालन कर रहा हूँ।

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं सुस्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूँ कि यह सभा और हम सब लोग यह चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति पर चर्चा की जाए, श्रमिकों की समस्याओं पर चर्चा की जाए, प्रत्येक विषय पर चर्चा की जाए परन्तु यह सब स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं की जाए। आपके समक्ष अन्य चर्चा भी है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपके विचार सुन लिए हैं। मैं ऐसा ही कर रहा हूँ।

**श्री भगवान शंकर रावत (आगरा)** : सर आज जीरो आवर का क्या हुआ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप छोड़ दें, कल जीरो आवर ले लेंगे।

**श्री अर्जुन सिंह** : यदि पहले ही इसे स्थगित कर दिया जाता तो शायद प्रश्नकाल चल रहा होता।

(लोकसभा कार्रवाई/ 29 नवम्बर 1991, पृष्ठ 1 से 16)

*9 दिसम्बर को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत गाए जाने को लेकर आधे घंटे की चर्चा शुरू हुई। इस समय श्री शरद दिघे पीठासीन थे।*

*आधे घंटे की इस चर्चा की शुरुआत श्री राम नाईक ने की। उन्होंने श्री के.एच. मुनिय्यपा और श्री मुमताज अंसारी द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में और अधिक जानकारी माँगी।*

*देश में लंबे समय से राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के अनिवार्य गायन को लेकर बहस चल रही है। इसी क्रम में श्री राम नाईक ने स्कूलों में प्रतिदिन राष्ट्रगान की परम्परा बंद हो जाने की बात उठाई। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने इस संबंध में बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा गया है। और यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि राष्ट्रगान की परम्परा यथावत चालू रहे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह पाया कि कुछ स्कूल प्रतिदिन राष्ट्रीय गान के गाए जाने के*

प्रति उदासीन है। तत्संबंध में सदन को जानकारी भी दी गई।

इस आधे घंटे की चर्चा में श्री राम नाईक के साथ-साथ श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय, श्री बी.एल. शर्मा प्रेम, श्री संतोष कुमार गंगवार, श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अपनी बात कही।

चर्चा का उत्तर देने के लिए श्री अर्जुन सिंह उपस्थित हुए। उनका जबाव माननीय सदस्यों के लिए काफी उपयोगी रहा। क्योंकि सदन में श्री अर्जुन सिंह ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रगान के संबंध में जो भी कानून है वह उसके अपमान के समय या ऐसी ही किसी परिस्थिति में प्रभावशाली होते हैं। और राष्ट्रीय गीत के संबंध में ऐसा कोई कानून नहीं है।

तर्कों से परे भी श्री अर्जुन सिंह की हमेशा यह चाहत रही है कि देश में सम्पूर्ण राष्ट्रीय मानसिकता बननी चाहिए। उनकी सदैव यह इच्छा रही है कि राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत के न गाए जाने का मुद्दा कानूनों के आधार पर नहीं निबटाया जा सकता।

वे चाहते हैं कि देश में सच्ची राष्ट्रीय मानसिकता का निर्माण हो ताकि इस तरह की शिकायतों की कोई गुंजाइश न हो।

**सभापति महोदय** : अब हम आधे घंटे की चर्चा शुरू करेंगे। श्री राम नाईक।

**श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर)** : माननीय सभापतिजी, राष्ट्रगान, नेशनल ऐंथम— जन गण मन और राष्ट्रीय गीत— नेशनल साँग— वन्दे मात्रम - के सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न क्रमांक 170 इस सदन में 3 दिसम्बर, 1991 को आया था, जिसका उत्तर भी दिया गया। हालाँकि सभागृह में वह प्रश्न चर्चा के लिए नहीं आया, अत: मैं आपकी अनुमति से उस पर आधे घण्टे की चर्चा उठाना चाहता हूँ।

यह प्रश्न श्री के.एच. मुनियप्पा और श्री मुमताज अंसारी ने पूछा था, जिसका उत्तर मानव संसाधन विकास मंत्री, माननीय अर्जुनसिंहजी ने दिया।

स्वाभाविक तौर पर जब उस प्रश्न पर सप्लीमेंटरी यहाँ पूछी नहीं जा सकी, अत: मैं उस पर चर्चा सदन में उपस्थित कर रहा हूँ।

सभापतिजी, इस प्रश्न के सम्बन्ध में, सबसे पहले मैं आपका ध्यान, इस प्रश्न की जो रूपरेखा है, उसके महत्व की ओर दिलाना चाहता हूँ।

इस प्रश्न के (ए) और (बी) भाग में इस तरह से पूछा गया है:—

(क) क्या देश की कुछ शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्र-गान और राष्ट्रीय गीत का गाया जाना बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

इन प्रश्नों के उत्तर में इस प्रकार बताया गया:—

"कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिनके अनुसार स्कूलों में प्रतिदिवस सामूहिक राष्ट्रगान की परम्परा बन्द कर दी गई है या फिर अन्य कुछ स्कूलों में इसे कुछ एक अवसरों पर गाए जाने तक के लिए ही सीमित कर दिया गया है। संभवत: इसका मुख्य कारण उदासीनता है।"

यानी उपेक्षा ही उसका मुख्य कारण है, ऐसा बताया गया। इसके बाद, इसी प्रश्न के (सी) और (डी) भाग में पूछा गया था:—

(ग) क्या सरकार का विचार सभी स्कूलों में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत गाए जाने को अनिवार्य बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

इसके उत्तर मे माननीय मन्त्रीजी ने जो बताया, वह इस प्रकार है:—

"राष्ट्रगान के सम्बन्ध में सरकारी नीति यह रही है कि सभी स्कूलों में प्रतिदिन राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया जाए। देश भर मे स्थित सभी स्कूलों में राष्ट्रगान के सामूहिक गायन से सम्बन्धित आदेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए हैं। हाल ही में अक्तूबर, 1991 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने स्कूल में राष्ट्रगान के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु सभी मुख्यमंत्रियों और उप-राज्यपालों को लिखा है। तथापि राष्ट्रीय गीत अर्थात् "वन्दे मातरम्" के गायन के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।"

वन्दे मातरम को किस प्रकार सामूहिक रूप से गाना चाहिए, इस प्रकार की कोई सूचना या इंस्ट्रक्शन्स अभी तक सरकार की ओर से नहीं दी गई हैं, ऐसा प्रश्न के उत्तर में कहा गया है। इससे तथ्य क्या निकलते हैं, क्या तथ्य लाईट में आते हैं, अब मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

इसमें से पहला तथ्य यह निकलता है, मेरी नजर में कि सभी विद्यालयों में राष्ट्र-गान— जन गण मन— गाया नहीं जाता है। सरकार की नजर में इसका मुख्य कारण उदासीनता है। यह अपने आप में बड़ा गम्भीर तथ्य है जो सरकार ने सामने लाया है। दूसरा तथ्य इसमें से यह निकलता है कि राष्ट्रगान को गाने के पक्ष में सरकार बार-बार राज्यों को सूचना जारी करती रही है, इंस्ट्रक्शन्स देती रही है, अक्तूबर में फिर से वे इंस्ट्रक्शन्स दी गई लेकिन उसका परिणाम क्या निकला, इसकी ओर भी हमें देखना होगा, सोचना पड़ेगा। इसका कुछ भी परिणाम हमें दिखाई नहीं देता है।

तीसरा तथ्य इसमें से यह निकलता है कि राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम् के बारे में, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के सम्बन्ध में, कुछ गड़बड़ होती है, राष्ट्रीय गीत के सम्बन्ध में, नेशनल साँग यानी वन्दे मातरम् को गाने के बारे में सरकार ने अब तक कोई भी सूचना या इंस्ट्रक्शन्स भेजी नहीं है। ये ही तीन तथ्य इस प्रश्नोत्तर से सामने आते हैं।

सभापतिजी, सबसे बड़ी बात इसमें से यह सामने आती है कि देश को आजाद हुए 44 वर्ष बीत गए, भारत को गणतंत्र बने 41 साल से ज्यादा का समय हो गया, परन्तु अभी तक राष्ट्रगान— नेशनल ऐंथम सभी स्कूलों में नहीं गाया जाता है। वन्दे मातरम कहते हुए, भगत सिंह फाँसी के फंदे पर चढ़ गए। उस भगत सिंह के देश में, जहाँ भगत सिंह ने कहा था कि यदि मुझे दोबारा जन्म मिला तो मैं इसी देश में जन्म लूँगा और तब भी मैं 'वन्दे मातरम' ही कहूँगा। वन्दे मातरम् कहते-कहते और भी न जाने कितने लोगों को अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ा, पीढ़ियाँ बर्बाद करनी पड़ी, परन्तु ऐसा करने के लिए वे स्वेच्छा से तैयार हो गए! अनेक वीरों का कहना था कि उनका जन्म एक बार फिर इसी जन्मभूमि में होना चाहिए। भगत सिंह ने देश भक्ति की भावना का परिचय यहां दिया था। इसलिए सवाल यह आता है कि वन्दे मातरम के बारे में हमारी जो भावनाएँ हैं, देश की जो भावनाएं हैं, वे भावनाएँ आज भी वैसी ही हैं या नहीं और इस भूमिका में जो देशभक्ति की उपेक्षा हो रही है, राष्ट्र कैसे जिन्दा रहेगा। हम कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में सोचने का एक अवसर प्रश्न-उत्तर की चर्चा से निकलता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए राष्ट्र आज ऐसे स्थान पर खड़ा है जहाँ वन्दे मातरम कहने का कुछ मतलब है। मुझे लगता है कि अन्तर्मुखी होकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें इस विषय के बारे में चर्चा करनी चाहिए और वन्दे मातरम कहना चाहिए। जन-गण-मन सब जगह करना

चाहिए। यह कैसे करना चाहिए इस बारे में मेरे कुछ सुझाव है जिन्हें मैं बताना चाहता हूँ।

केवल स्कूलों में जन-गण-मन और वन्दे मातरम कहने से यह बात पूरी नहीं होती है। सारे देश के लोगों के मन में जन-गण-मन और वन्दे मातरम के बारे में आस्था बनानी चाहिए और यदि ऐसी आस्था बनानी है तो सब जगह पर योग्य ढंग से, योग्य दिशा देकर गाना शुरू करना चाहिए। जैसे आपको आश्चर्य होगा, सभापति महोदय श्री शरद दिघे भी आप मुम्बई के है। मुम्बई महापालिका में दस-बारह साल हो गए, वहाँ की हर मीटिंग का प्रारम्भ वन्दे मातरम से शुरू होता है। सब खड़े होते है और गाते है, वन्दे मातरम कहते है और सदन का कामकाज समाप्त होता है तो सब खड़े होकर जन-गण-मन कहते है। बाकी सभा में जितना चाहे झगड़ा करो लेकिन प्रारम्भ वन्दे मातरम से और अंत जन-गण-मन से करेंगे।

महाराष्ट्र के विधि मंडल ने भी, आपको शायद पता है या नहीं, पिछले साल प्रस्ताव किया है और महाराष्ट्र की विधान सभा, विधान परिषद की पहली मीटिंग वन्दे मातरम से शुरू होती है और जब अन्त आता है तो जन-गण-मन होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि लोक सभा में भी रोज के काम का प्रारम्भ वन्दे मातरम से करें और अन्त जन-गण-मन से करें। प्रश्नोतर काल टी.वी. में दिखाया जाता है। जब सारे देश के लोग देखेंगे कि सब सांसद खड़े होकर वन्दे मातरम गाते हैं तो मुझे लगता है कि लोगों तक एक संदेश पहुँचेगा। और फिर यदि कोई ऐसा होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई यहाँ पर होगा, वह वन्दे मातरम कहने के लिए डरता है, मुँह नहीं खोलता है, तब भी देशवासियों के ख्याल में आएगा कि यहाँ बैठने वाले, खड़े होने वाले क्या करते हैं। मेरा पहला सुझाव है कि वन्दे मातरम और जन-गण-मन सब जगह गाना चाहिए।

**डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर)** : सभापतिजी, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर उपस्थित किया गया है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बारे में उपेक्षा बरती जा रही है। इसी उपेक्षा के कारण विभिन्न विद्यालयों में जहाँ नित्य-प्रति इस प्रकार का गाना गाया जाना चाहिए वह नहीं गाया जा रहा है। इस बात को स्वयं मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है। इसके बारे में जो मूल प्रश्न में पूछा गया है कि कम्पलसरी क्यों नहीं इसे कर सकते हैं, उसके क्या कारण हैं? इसका उत्तर इसमें नहीं दिया गया है। आप इसको कम्पलसरी बना दें कि यह गाया ही जाना चाहिए। अगर इसके लिए कानून भी बनाना पड़े तो वह बना देना चाहिए, तब बात बनेगी।

धीरे-धीरे यह प्रथा समाप्त होती जा रही है। प्रारम्भ में राष्ट्रगान प्रत्येक विद्यालय में गाया जाता था लेकिन धीरे-धीरे वह पद्धति समाप्त हो गई। इसके पीछे निश्चित रूप से उपेक्षा का भाव है। यदि हम इसके बारे में गम्भीरता से विचार नहीं करेंगे तो इसके प्रति उपेक्षा और बढ़ जाएगी। राष्ट्रगान के प्रति सम्मान बना रहे इस कारण इस बारे में ठोस कदम उठाना आवश्यक है। अगर हम इस दिशा में ठोस कदम उठाएँगे तो राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान को सही दिशा दे पाएँगे अन्यथा धीरे-धीरे जो इसके प्रति एक सम्मान होना चाहिए, जो राष्ट्र भक्ति के प्रति मन में भाव पैदा होना चाहिए, राष्ट्रीय एकात्मकता जिससे पैदा हो सकती है, भावात्मक एकता जिससे हम ला सकते है, वह वहीं ला पाएँगे।

**श्री वी.एल. शर्मा प्रेम (पूर्वी दिल्ली)** : मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही पूछना है कि क्या केरल के अन्दर सभी स्कूल्स के अन्दर नेशनल एन्थम या नेशनल साँग होता है? क्या वहाँ पर किसी स्कूल में मुस्लिम बच्चों ने नेशनल एन्थम या नेशनल साँग पढ़ने से इन्कार किया है? क्या उसी स्थान पर उसी समय बच्चों को अलग करके कुरान शरीफ की आयतें पढ़ने के लिए कहा गया है? इसके साथ ही मुझे यह भी कहना है कि अभी राम नाईकजी ने कहा कि उस स्कूल की मान्यता वापस ली जानी चाहिए या उनकी ग्राण्ट वापस ली जानी चाहिए, मेरा यह कहना

है कि यह ऐसा इश्यू है कि इसके ऊपर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और मान्यता ही नहीं, रिकग्नीशन ही नहीं, उन स्कूलों के ऊपर ताला लगा देना चाहिए। जो मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर के अन्त में कहा है:—

तथापि राष्ट्रीय गीत का गायन करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

हमारा यह कहना है, नेशनल साँग के बारे में इन्स्ट्रक्शंस क्यों नहीं दी गई, इसके क्या कारण है?

**श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली)** : माननीय सभापतिजी, श्री राम नाईकजी ने काफी महत्वपूर्ण विषय की चर्चा सदन के सामने और देश के सामने लाने का प्रयास किया है। मैं कोई ज्यादा बात नहीं कहना चाहता।

अब से कुछ वर्ष पहले जम्मू में 15 हजार छात्र इस बात को लेकर एकत्रित हुए थे कि हमारे देश की पहचान दुनिया के लोग जानें। पहचान का मतलब यह है कि वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज हम नहीं फहरा सकते तो फिर हमारा अस्तित्व कहाँ है। मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पंजाब के अन्दर कुछ संगठनों ने ऐसे निर्देश जारी किए हैं कि यहाँ पर राष्ट्रगान नहीं गाया जा सकता और जो व्यक्ति राष्ट्रगान गाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कुछ ऐसी बातें है, जिनके ऊपर हम लोगों को गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए। मैं केवल इतना ही माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि इसके बारे में जैसा अभी कहा गया है कि कानून की आवश्यकता है, क्योंकि, मैंने बहुत से विद्यालय देखे हैं लेकिन शायद ही कहीं पर राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत गाया जाता हो या इसकी परम्परा रही हो। अब यह परम्परा निरन्तर समाप्त होती जा रही है और निश्चित रूप से यह भी विचारणीय रहेगा, जैसा सुझाव उन्होंने दिया है कि हम सभा के प्रारम्भ में और अन्त में इस प्रकार से कार्रवाई प्रारम्भ करें तो निश्चित रूप से मैं माननीय मंत्रीजी से इस आग्रह के साथ कि इस बारे में कोई स्पष्ट अपनी व्याख्या, कोई स्पष्ट जानकारी सदन को दें और जो इसका उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ हम क्या कार्रवाई करेंगे, यह भी बताएँ? खाली शिकायत करने से ही कोई मतलब नहीं लेकिन क्या प्रभावी कार्रवाई वे करेंगे, जिससे लोग इसका महत्व समझ सकें?

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर)** : सभापतिजी, मैं तो केवल एक छोटी बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा, शिक्षा मंत्री का, सरकार का और वह है कि संविधान सभा में जब इस विषय में सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने घोषणा की तो उन्होंने क्या कहा। यों तो इस पर विवाद चल रहा था और एक स्टेज पर मत था कि प्रस्ताव पास किया जाय लेकिन 24 जनवरी, 1950 को जब संविधान पूरा स्वीकार हो चुका था, उस दिन डॉ. राजेन्द्र बाबू ने अध्यक्ष के नाते सम्पूर्ण सदन की भावना को व्यक्त करते हुए घोषणा की, मैं उनको ही 'कोट' करता हूँ:—

"जन गण मन के नाम से जानी जाने वाली शब्दों और संगीत की रचना ही भारत का राष्ट्रगान है और सरकार इसके शब्दों में अवसर के अनुसार परिवर्तन कराने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।"

वह आगे कहते हैं कि,

"और 'वन्दे मातरम' गीत जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, को 'जन गण मन' के बराबर सम्मान दिया जाएगा तथा इसका राष्ट्रगान के समान दर्जा होगा।"

और इसमें लिखा है अपलोज करतल ध्वनि से लोगों ने इस घोषणा का स्वागत किया तो जो यह विवाद था कि नेशनल एन्थम 'वन्दे मातरम' हो या 'जन गण मन' हो, उसका हल संविधान सभा ने इस रूप में किया कि एक को नेशनल एन्थम की संज्ञा दी और दूसरे को उन्होंने नेशनल साँग की संज्ञा दी और उस पर अध्यक्ष के द्वारा यह घोषणा करवाई कि दोनों का इक्वल स्टेटस होगा और मैं यह मानता हूँ कि महाराष्ट्र की विधान सभा या जो भी इस प्रकार के विधानमण्डल हैं, जो अपनी कार्रवाई एक से शुरू करते हैं और अंत दूसरे से करते हैं, वे भी इसी प्रकार से इसे इक्वल करने की घोषणा का सम्मान करते हैं।

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : आदरणीय सभापतिजी, मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। उस दिन अगर प्रश्नकाल में यह प्रश्न आ गया होता उत्तर के लिए, तो उस दिन बहुत स्थितियाँ स्पष्ट हो जातीं, लेकिन उत्तर के लिए यह प्रश्न आया नहीं और माननीय सदस्य ने इस प्रक्रिया के माध्यम से इस प्रश्न को यहाँ उठाया। मैं उनको इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

आदरणीय आडवाणीजी ने संविधान सभा में दिए गए आश्वासन का यहाँ पर जिक्र किया। इसमें दो मत नहीं हो सकते है कि भारत में वन्दे मातरम का गान और उससे मिली प्रेरणा भारतीय स्वन्त्रता संग्राम का एक अद्वितीय और रोमांचक पहलू है। इसलिए वन्दे मातरम को सर्वथा गाया जाना उचित है, उपयुक्त है। जहाँ भी संभव हो सके हमें वन्दे मातरम का गान करना चाहिए। जहाँ तक सदन का प्रश्न है, आदरणीय सभापति महोदय, जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, इस पर तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय ही विचार कर सकते हैं। जैसा उनका फैसला इस संबंध में होगा, हम लोगों की तरफ से उसका स्वागत होगा।

जरा सी गलतफहमी आई है, वह केवल राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय साँग, आप जिसे कहते हैं नेशनल एन्थम और नेशनल साँग, अंग्रेजी में स्पष्ट होता है, हिन्दी में (व्यवधान)

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : इसमें भाषान्तर होगा। (व्यवधान)

**श्री राम नाईक** : उन्होंने नेशनल एन्थम को राष्ट्रगान कहा है और नेशनल साँग को राष्ट्रीय गीत कहा है। (व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** : बहुत-बहुत धन्यवाद। यहीं प्रश्न है, इसी की वजह से इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश आई है। वह इस वजह से आई है कि राष्ट्र को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि उसके संबंध में कानून भी बना है। वह कानून उन हालात में प्रभावशाली होता है, जहाँ कहीं राष्ट्रगान के खिलाफ कोई अपमान हो या उसको अन्य किसी तरीके से उसके बारे में बात कही जाए। वह कानून बना है, विद्यमान है, जहाँ भी ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा, वहाँ पर उस कानून को इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाएगा। इसके लिए हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं।

जहाँ तक राष्ट्रीय गीत का प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत के लिए कोई विधान यानि कानून नहीं बना है और चूँकि उसका कोई कम्पलसरी आस्पैक्ट नहीं है, अनिवार्यता का आस्पैक्ट नहीं है, इसके लिए कुछ लोग उसको अनिवार्य नहीं मानते हैं और उसका गान नहीं करते हैं। लेकिन मैं सदन की भावनाओं से पूरी तरह से सहमत हूँ। जैसा आदरणीय डॉ. राजेन्द्र प्रसादजी ने उस समय भी घोषणा की थी कि वन्देमातरम का सम्मान, स्तर और स्थान हमारे देश की उन भावनाओं से जुड़ा है, जिन भावनाओं को सारे देश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों ने अपने लिए प्रेरणा मानकर बलिदान देकर देश को आजाद कराया। इसी रूप में इस गान का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन हम किसी कानून के माध्यम से उसको एन्फोर्स नहीं कर सकते हैं।

जहाँ तक आपने स्कूलों की बात कही और यह कैसे हो गया, अब उसमें मैं इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि यह केवल किसी व्यक्ति या कि उसी शासन की बात नहीं है और न किसी को हम दोष देना चाहते हैं, बात यह है कि कुछ वर्षों से जो सचमुच में राष्ट्रीय मानसिकता बननी चाहिए उस विषय में उस राष्ट्रीय मानसिकता को सही ढंग से अगर हम सब मिलकर परिभाषित कर सकें, उसका रूप देश के सामने ला सकें तो ये चीजें फिर अपने आप उसमें फिट हो जाती हैं। उस मानसिकता की परिभाषा कहीं-कहीं पर खंडित होती दिखती है, इस खंडित परिभाषा

को हम किस प्रकार से सर्वांगिकता दे सकें, सम्पूर्णता दे सकें, यह एक विषय है। इसमें सभी राजनीतिक दलों को बिना किसी भेदभाव के विचार करने के लिए सम्मिलित होना चाहिए और उन परिस्थितियों में फिर देश के अंदर यह वातावरण बनेगा कि जो राष्ट्रीय गीतों का गान न करें, जो राष्ट्रगान का गान न करे, समाज ही उसका बहिष्कार करना शुरू कर दे, हम कानूनों पर केवल आधारित न रहें।

यह बात हमारी जानकारी में कई लोगों द्वारा लाई गई और पहले भी केन्द्रीय शासन ने इस सम्बन्ध में समय-समय पर लोगों को लिखा था, राज्य की सरकारों को लिखा था। जब यह बात मेरी जानकारी में लाई गई कि फिर से यह स्थिति बन रही है तो मैंने पुन: माननीय मुख्यमंत्रियों को लिखा और मुझे सदन को बताते हुए यह हर्ष है कि सभी राज्यों की ओर से बिना किसी अपवाद के इसकी प्राथमिकता, इसकी अनिवार्यता और इसके महत्व को स्वीकार किया है और फिर से सब मुख्य मंत्रियों ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं कि राष्ट्रगान का गान निश्चित रूप से सब स्कूलों में होना चाहिए।

मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ, ऐसा विश्वास करता हूँ कि सब माननीय मुख्यमंत्रियों का जो यह संकल्प है, निश्चित रूप से उन राज्यों में राष्ट्रगान का गान फिर से उसी प्रकार से अनिवार्य रूप से होगा, जैसा हम और आप सब चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा इस विषय पर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आडवाणीजी ने जो बात यहाँ पर कही है मैं उनका सम्मान करता हूँ और जो उनका सुझाव है, उनका संकेत है, हम प्रयास करेंगे कि उस दिशा में हम आगे बढ़ें। लेकिन इतना मैं अवश्य स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम उसके बारे में कानूनी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, केवल लोगों के बीच में इस भावना को और मजबूत करने से ही हम उस राष्ट्रीय गीत को भी वह स्थान दिला सकते हैं। इसमें हमारा उद्देश्य एक है, प्रयास एक है और मुझे निश्चय ही आप सबका सामूहिक प्रयास सफलता देगा और जो हम चाहते हैं कि इस प्रकार से देश में राष्ट्रीय मानसिकता बनें, फिर अपने आप इन सब बातों में हमें आपको शिकायत करने की गुंजाइश नहीं होगी।

**सभापति महोदय :** अब सभा कल पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

(लोकसभा कार्रवाई /9 दिसम्बर 1991, पृष्ठ 304 से 312)

इस देश की महिलाओं को सुरक्षा, संरक्षण तथा अधिकार देने की कोशिश होना चाहिए ताकि वे न केवल राष्ट्र निर्माण के क्रियाकलापों में ही अपनी भूमिका अदा कर सके बल्कि एक व्यक्ति विशेष के रूप में भी सम्मान अर्जित कर सकें।

—अर्जुन सिंह,
*6 अप्रैल 1992*

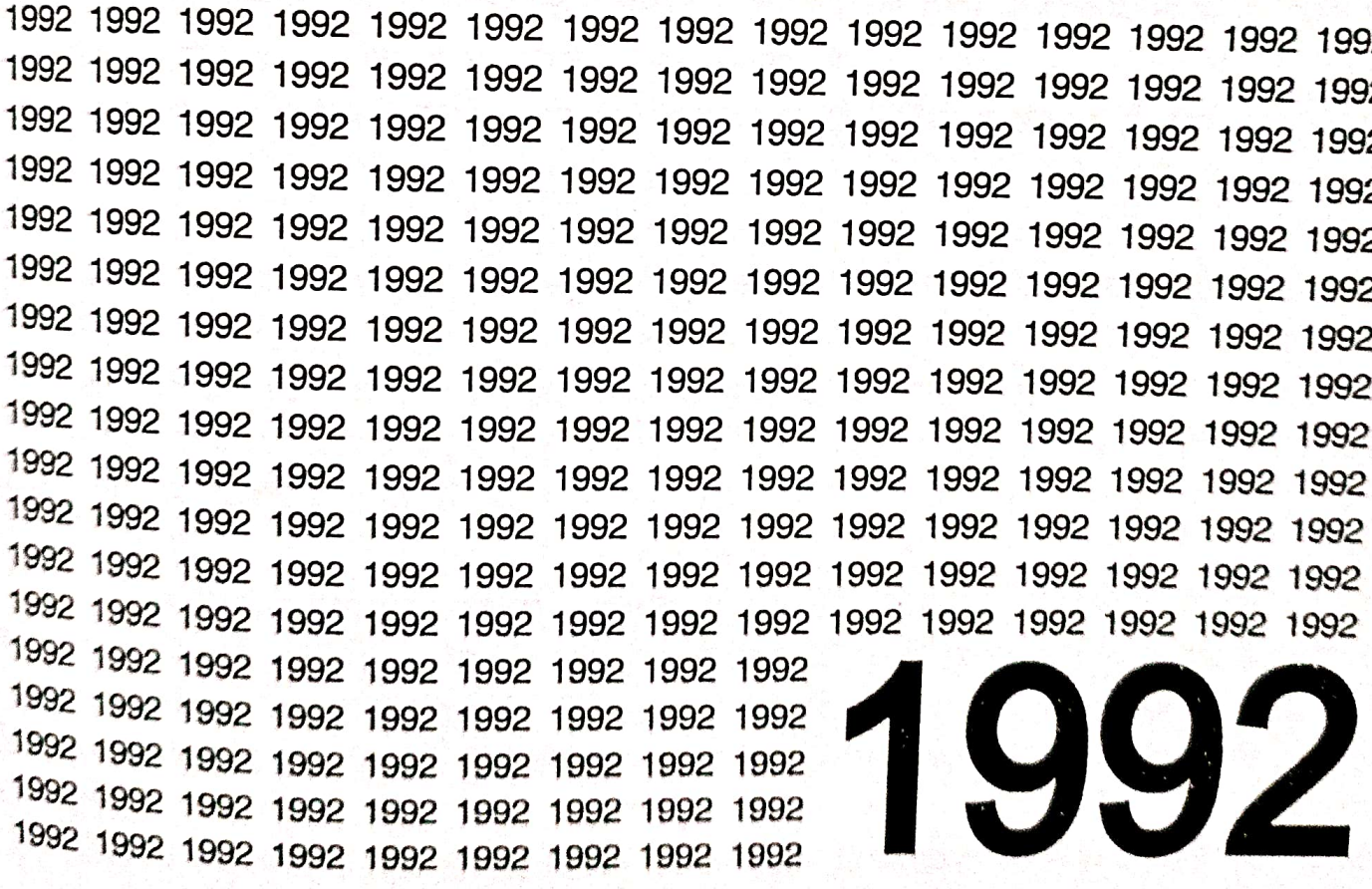

1992

# 1992

*श्री अर्जुन सिंह द्वारा सदन जब 17 मार्च को प्रतिलिप्यकार (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और प्रतिलिप्यकार (संशोधन) विधेयक का प्रस्ताव रखा गया, उस समय माननीय अध्यक्ष श्री शिवराज वी. पाटिल पीठासीन थे। प्रतिलिप्यकार अधिनियम 1957 में संशोधन को लेकर सदन में सहमति की स्थिति थी। वास्तव में इस संशोधन को माननीय सदस्य कविवर श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों पर विश्वभारती के कॉपीराइट के संदर्भ में देख रहे थे। चर्चा के दौरान लगभग सभी सदस्यों ने श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर व उनकी कृतियों पर विश्वभारती के अधिकार व उससे संबंधित मसले उठाए।*

*प्रस्तुत विधेयक पर श्री अर्जुन सिंह ने सदस्यों की बात को गंभीरता से सुना। चर्चा का उत्तर देने के लिए जब श्री अर्जुनसिंह प्रस्तुत हुए तब उपाध्यक्ष माननीय एस. मल्लिकार्जुनय्या पीठासीन थे। सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर श्री अर्जुन सिंह सदैव गंभीर रहे। वे सत्ता पक्ष और विपक्ष से ऊपर सदन में सभी सदस्यों को अपना सहयोगी मानकर काम करते थे, और उनकी भावना व सुझावों का सम्मान करते थे।*

*श्री अर्जुनसिंह द्वारा प्रस्तुत विधेयक में दो संशोधन आए। किन्तु श्री अर्जुन सिंह की भावनाओं का सम्मान करते हुए संशोधन चाहने वाले सदस्य श्री गिरधारीलाल भार्गव व प्रो. रासासिंह रावत ने संशोधन वापस ले लिए। यह श्री अर्जुन सिंह के प्रति माननीय सदस्यों के सौहार्द्र की एक बानगी थी।*

*मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह द्वारा प्रस्तुत दोनों विधेयक स्वीकृत हो गए।*

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा मद 16 व 17 पर एक साथ विचार करेगी। श्री लोकनाथ चौधरी वह यहाँ नहीं है। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँः

"कि यह सभा 28 दिसम्बर, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 9) का निरनुमोदन करती है।"

(व्यवधान)

**श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा)** : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक आग्रह है कि बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में हम लोगों ने इस बात को रखा था। सब लोगों की राय थी 20 तारीख की छुट्टी के सम्बन्ध में। राज्य सभा ने, दूसरे सदन ने छुट्टी कर दी है। यहाँ भी, बी.जे.पी., सी.पी.आई., सी.पी.आई. (एम.) और हम लोगों की राय है कि यदि हाउस की राय हो तो 20 तारीख की छुट्टी कर दी जाए। क्योंकि बिहार में 18 तारीख की होली है, वे लोग तो चले जाएँगे।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य, मैं कल 10 बजे बुला कर डिसाइड कर लूँगा। गिरधारी लाल भार्गवजी

आप कुछ बोलना चाहेंगे।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी जो अध्यादेश लाए हैं कॉपी राइट्स के बारे में वह एक प्रकार का पुराना आदेश था। उसमें संशोधन कर के जो रविन्द्रनाथ टैगोरजी की पुस्तकें और प्रकाशन हैं उनका समय बढ़ाने वाली वास्तव में बात थी। यह अध्यादेश के मार्फत उसको लाए। उस समय को यहाँ पर 40 की बजाए 50 और 50 की बजाए 60 करने के सम्बन्ध में अमेंडमेंट मन्त्रीजी इसमें लाए हैं। जब इन्होंने देखा, माँग थी कि जो शान्ति निकेतन, जो उनकी संस्था है रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की। उनकी माँग थी समिति की कि हम डॉ. रविन्द्रजी के साहित्य को बराबर छाप सकें, उनके बारे में संशोधन लाए, लेकिन और भी लोगों की माँग थी कि और बिलों पर कॉपी राइट का अधिकार मिल जाए इसलिए सरकार संशोधन को लाई है। मामूली सी बात तो यह नहीं है, क्योंकि दिसम्बर महीने 1991 में समय समाप्त हो रहा था इसलिए अध्यादेश लाए। बार-बार आप इस तरह से अध्यादेश लाए मैं समझता हूँ इस प्रकार से यह उचित बात नहीं है। मन्त्रीजी की भावना सही है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन मेरी मान्यता है कि ऐसी बातों के लिए...

**अध्यक्ष महोदय.:** ठीक है सबके लिए लागू करेंगे।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : ऐसे अध्यादेश लाना उचित नहीं है। आपने सभी को इस प्रकार का अधिकार दिया है। 1991 के पहले जिनको अधिकार मिला है उनको नहीं दिया है, आशा है आप अपने उत्तर में इस पर विस्तारपूर्वक बताएँगे।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"कि यह सभा 28 दिसम्बर, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 9) का निरनुमोदन करती है।"

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुनसिंह)** : महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँः

"कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जहाँ तक मैं माननीय सदस्य को ठीक तरह से समझ सका हूँ, वे विधेयक के सार के विरुद्ध नहीं हैं, किन्तु उनका विचार यह है कि हमें शायद इस कार्य को एक आम तरीके से करना चाहिए था और इसे एक अध्यादेश के रूप में नहीं लाना था।

इस बारे में हमें बहुत से सुझाव मिले और हमें भी बहुत से लोगों से परामर्श करना पड़ा है। राज्य सरकारों से तथा कुछ माननीय सदस्यों से भी अभ्यावेदन मिले थे और इसलिए इस सारी प्रक्रिया में कुछ देरी हुई है, और चूंकि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 31 दिसम्बर 1991 को समाप्त हो गया था, एक अध्यादेश के द्वारा ऐसा करना आवश्यक था।

हमने दस वर्ष का समय बढ़ाया है, उसका अपना ही अर्थ है; हमने इसे कम करने का प्रयास किया है। कुछ सुझाव तो 17 वर्ष तक बढ़ाने के लिए थे, और कुछ सुझाव इससे भी अधिक समय तक बढ़ाए जाने के बारे में थे, किन्तु हमने सोचा कि दस वर्ष तक का समय दिया जाना चाहिए; और यह प्रत्येक के लिए एक समान है। यह केवल गुरुदेव टैगोरजी के रचना कार्यों के लिए ही नहीं है; निस्संदेह गुरुजी का रचना कार्य तो अपने आपमें ही कोटिकृत है। समय को दस वर्ष तक ही बढ़ाना उचित समझा गया।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के विधेयक पर विचार किया जाए।"

**श्री गिरधारीलाल भार्गव (जयपुर)** : मैं यह प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पर 25 जून 1992 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए।" (1)

**प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर)** : मैं यह प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पर 30 जून 1992 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए।" (2)

**अध्यक्ष महोदय:** श्री विजय कृष्ण हान्डिक।

**श्री विजयकृष्ण हान्डिक (जोरहाट)** : मैं प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूँ। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 द्वारा संरक्षा प्राप्त सभी प्रकार के रचना कार्यों के मामले में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि सामान्यत: बढ़ाने का यह एक अच्छा निर्णय है। यद्यपि मूलत: गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी के रचना कार्यों को उनके राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से अधिक संरक्षा प्रदान करने का इरादा था, लेकिन विधित: यह भी अनिवार्य बन जाता है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथजी के रचना कार्यों के साथ-साथ प्रतिलिप्यधिकार की अवधि को सामान्यत: भी बढ़ाया जाए। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

आगामी दस वर्षों में हम यह देखेंगे कि विश्वभारती विश्वविद्यालय कविवर रविन्द्रनाथजी के रचनाकार्यों को केवल संरक्षित ही नहीं रखा बल्कि उनका व्यापक प्रचार-प्रसार किस ढंग से करता है और इसके साथ-साथ व्यावसायीकरण व प्रकाशन के प्रमाणाधिकारों से उभार कर कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर के रचना कार्यों को किस तरह से कम मूल्यों पर उपलब्ध कराता है।

विश्वभारती के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं। यद्यपि विश्वभारती को प्रतिलिप्यधिकार की अनुमति देने के बारे में एक सुविचारित निर्णय हुआ है, तथापि प्रख्यात शिक्षाविदों, लेखकों और बुद्धिजीवियों की शिकायतों पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए और इनकी राय को इतनी सहजता से नकारा नहीं जा सकता। हमें यह मानना होगा कि जैसाकि प्रख्यात बुद्धिजीवी मानते हैं कि विश्वभारती में प्रत्येक बात सही नहीं है और जिस ढंग से हाल ही में उसने प्रतिलिप्यधिकार का उपयोग किया है, वह कोई प्रेरणादायक बात नहीं है।

महोदय, इससे पूर्व कि मुझे कोई गलत समझे, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब मैं यह कहता हूँ कि विश्वभारती के पास प्रतिलिप्यधिकार रहने की अनुमति देने का व इसकी संरक्षावधि को बढ़ाने का सरकार का निर्णय सही है तो यह इसलिए नहीं है कि कविवर ऐसा चाहते थे कि उनके निधन के उपरान्त विश्वभारती को ही प्रकाशनार्थ प्रतिलिप्यधिकार दिया जाए। यदि प्रतिलिप्यधिकार की संरक्षा नहीं की जाती तो उनके रचना कार्यों का प्रयोग वाणिज्यिक रूप में किया जा सकता है, और आखिरकार केवल कुछ एक रचना कार्यों को जोकि शीघ्रता से बिकते हैं, विकसित किया जाएगा और उनके रचनाकार्यों के शेष खंड अछूते रह जाएँगे। इसके परिणामस्वरूप उनको रचनाकार्यों का एक बहुत बड़ा भाग प्रकाशित अथवा पुन: प्रकाशित नहीं हो सकेगा। कवि गुरुजी के रचना कार्यों को हल्के व्यवसायवाद से बचाने के लिए, विश्वभारती—एकमात्र उत्तर है। विश्वभारती व्यवसायवाद से ऊपर उठकर गुरुजी के रचनाकार्यों को शोध की दृष्टि से, सौन्दर्य तथा ऐतिहासिक मूल्यांकन की दृष्टि से विकसित कर सकती है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि विश्वभारती विभिन्न संगठनों व लेखकों की समालोचना की भी परवाह न करे।

जो लोग ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं कि विश्वभारती कविवर के रचना कार्यों के विकास के साथ पूर्णतया न्याय नहीं कर पाएगा वे भारत की संस्कृति, साहित्य व कला की महान विभूतियाँ हैं। विश्वभारती पर अधूरे तथा गलत पाठ, घटिया स्तर का अनुवाद, प्रस्तुतिकरण के अजीब तरीके और प्रतिलिप्यधिकार को एक आदर्श रूप में उपयोग में लाने की बजाय स्वयं भी इसकी रक्षा न कर पाना जैसे आरोप लगाए गए हैं लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि

विश्वभारती के अधिकारियों के कानों पर जूँ तक नहीं रेंगी।

इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि इन बुद्धिजीवियों की इस सुनियोजित प्रतिक्रिया का किसी की व्यक्तिगत नाराजगी अथवा ईर्ष्या आदि से कोई सरोकार नहीं है अथवा इनकी प्रतिक्रिया अच्छाई के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से प्रेरित है। इसके विपरीत विश्वभारती की भूलों का यह एक विचारणीय विश्लेषण है कि इससे यह आशा की गई थी कि प्रस्तुतिकरण, संपादन व विपणन कार्यों में यह उत्कृष्ट कीर्तिमान स्थापित करेगी।

विश्वभारती के खिलाफ उनका एक विशिष्ट आरोप यह है कि यह कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर की अनेकों गद्य रचनाओं, विभिन्न सामयिक प्रकाशनों में प्रकाशित उनकी बहुत सी लघु-कथाओं व उनके बहुत से महत्वपूर्ण पत्रों को उजागर करने में असफल रही है और आम राय यह है कि इसके प्रकाशनों का पूर्ण व सही होना संदेहजनक है। यह एक अन्य शिकायत है। वे यह कह रहे हैं कि गुरुवर रविन्द्रनाथजी के संचयित रचना कार्यों पर अन्तिम खंड 1965 में प्रकाशित हुआ था और इसके बाद के 26 वर्षों में उनके बारे में अध्ययन करने वालों व उन पर शोध करने वाले विद्वानों को पर्याप्त कठिनाइयों व दुविधाओं का सामना करना पड़ा है।

सरकार को यह देखने दो कि विश्वभारती अगले दस वर्षों के दौरान टैगोर का प्रामाणिक और पूर्ण साहित्य कम खर्च पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाती है। यदि विश्वभारती अगले दस वर्षों में अपनी बचनबद्धता पूरी करने में असफल रहती है तो इसे अपने मामले का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए फिर से सरकार के पास आने का अधिकार नहीं होगा। तथापि, मुझे विश्वास है कि विश्वभारती, जोकि स्वयं कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संस्थापित संस्था है, उनकी यह इच्छा थी कि इसके प्रकाशन का अधिकार विश्वभारती को होगा। उनकी रचनाओं को सुरक्षित रखने और उनके अनुवाद और उसकी शुद्धता को संरक्षित रखने में सक्षम होगी और साथ ही उनके साहित्य का भारतीय भाषाओं और यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं में अनुवाद और पुनः अनुवाद करने के लिए अभियान चलाने में सक्षम होगी। यह विश्वभारती की सेवा में निहित एक महान जिम्मेदारी और विश्वास है। दूसरा विकल्प टैगोर की रचनाओं को बड़े प्रकाशकों, जिनकी प्रेरणा सर्वोत्तम विक्रेताओं के मनोविश्लेषण से संचालित होती है, को अनर्गल वाणिज्यीकरण के लिए छोड़ देना है। वे यह तर्क दे सकते हैं कि उनकी कृतियों की अधिक बिक्री का मतलब उनके पाठक वर्ग की संख्या लाखों में होना है। लेकिन उनके बारे में क्या है जो कि अधिक नहीं बिकती है? अत्यधिक बिक्री संवेदनशीलता की ऊँचाइयों और उत्तमता का मापदण्ड नहीं है। वह दिन बुरा होगा जब टैगोर के पाठकों की संख्या को फलफूल रहे प्रकाशन घरानों की लाभ-हानि के भौतिकवादी विचार से बन्द और सीमित किया जाएगा।

प्रत्यलिपिकार अधिनियम में 1985-86 में संशोधन किया गया था, जिसका कारण पुस्तक उद्योग को बचाने की चिन्ता नहीं थी, बल्कि इसकी वीडियो चोरी थी। मैं सरकार से 1988 के संशोधनों के अधिकार क्षेत्र में पर्याप्त कदम उठाने का आग्रह करता हूँ, जिससे विदेशी पुस्तकें अनिवार्य अनुज्ञप्ति प्रणाली के माध्यम से उचित दरों पर उपलब्ध कराई जा सकें ताकि विदेशों में प्रकाशित वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की पुस्तकों की देश की जरूरतों को तुरन्त पूरा किया जा सके और साथ ही ऐसी पुस्तकों का अध्यापन, अनुसंधान और अन्य नियमित अनुदेशात्मक गतिविधियों के लिए पुनर्उत्पादन किया जा सके।

इसीलिए मैंने यह प्रश्न उठाया है हमने दुनिया के महान लेखकों में से एक महान साहित्यकार को संरक्षण देने के लिए प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम को संशोधित कर दिया है। लेकिन यदि प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन अत्यधिक होता है तो हम इस महान व्यक्ति के महान कृत्य को कैसे बचा सकते है?

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। मै उम्मीद करता हूँ कि सरकार भी उपाय करेगी

ताकि प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन न होने पाए।

**श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक 1992 में प्रभावी खण्ड प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अध्याय 5 में है जिसमें प्रतिलिप्यधिकार की अवधि 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। कला, फिल्म इत्यादि जैसे अन्य रचनात्मक कृत्यों को भी इसमें संरक्षण दिया गया है। इसमें समय सीमा बढ़ाने के लिए क्यों कहा गया है? इसके लिए सरकार द्वारा बताए उद्देश्यों के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर का उल्लेख किया गया है। रविन्द्रनाथ की मृत्यु के बाद उनकी कृतियों का प्रतिलिप्यधिकार विश्वभारती को दिया गया था। नियमों के अनुसार प्रतिलिप्यधिकार दिसम्बर 1991 में समाप्त हो जाना चाहिए था। इसलिए टैगोर की कृतियाँ किसी प्रकाशक को प्रकाशन के लिए उपलब्ध हो गई होतीं।

इस नए अधिनियम के द्वारा 10 वर्ष का समय बढ़ाया गया है। इसके उद्देश्य बताते समय यह कहा गया था कि क्योंकि किसी विशेष लेखक के लिए प्रतिलिप्यधिकार की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है इसलिए सभी लेखकों के लिए यह अवधि बढ़ाई गई है।

इस सम्बन्ध में तीन प्रश्न उठे। पहला प्रश्न यह था कि क्या अधिनियम में परिवर्तन हो सकता है या नहीं? दूसरा प्रश्न यह था कि क्या आम पाठक जो रविन्द्रनाथ को पढ़ने के लिए उत्सुक हैं या अन्य प्रसिद्ध भारतीय लेखकों से अवगत होना चाहता है, लाभान्वित होगा और तीसरा प्रश्न यह है कि केवल 10 वर्ष ही क्यों बढ़ाए जाएँ। इससे कम या अधिक क्यों नहीं?

मैं न्यायिक पक्ष को अधिक महत्व नहीं देना चाहती हूँ। क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि यदि अधिनियम में कमी हो तो उसमें हमेशा गुंजाइश रहनी चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब प्रो. रासा सिंह रावत बोलेंगे। हर सदस्य को पांच मिनट मिलेंगे क्योंकि हमें आज तीन और विधेयक पारित करने हैं।

**प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मन्त्री द्वारा यह जो विधेयक लाया गया है और राष्ट्रपति महोदय के अध्यादेश का स्थान यह विधेयक लेने जा रहा है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। इसके पीछे जो भावना है, वह रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ी हुई है। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता। हिन्दुस्तान के बारे में कहा जाता है कि आसमान के सितारे कौन व्यक्ति गिनने में समर्थ हो सकता है, रेगिस्तान की बालू के कणों को गिनने में कौन समर्थ हो सकता है, मूसलाधार वर्षा की बूंदों को गिरने में कौन व्यक्ति समर्थ हो सकता है, इसी तरह से भारत माता की कोख से पैदा होने वाले ऐसे महान सपूतों की कथा का बखान कौन कर सकता है? ऐसे ही महान सपूत माँ भारती के रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, जिन्होंने गीतांजलि जैसी प्रसिद्ध रचना लिख कर समस्त विश्व के अन्दर नाम अर्जित किया और नोबल प्राइज जैसे महान पुरस्कार को प्राप्त किया।

रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाएँ, उनके अन्दर जो आशावादिता का स्वर है, मानवतावादी स्वर है, वह मुखर हुआ है, उससे मानवतावादी मूल्यों की प्रतिष्ठापना हुई है और इसके साथ-साथ राष्ट्रीय मूल्य भी उसमें अवतरित हुए हैं, ये सब अनुकरणीय है। देश की वर्तमान परिस्थितियों में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का साहित्य हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करता है। आज देश में जो निराशा का वातावरण पनप रहा है, युवा पीढ़ी में असन्तोष पनप रहा है और युवा पीढ़ी के पास जैसा साहित्य पहुँचना चाहिए, वह नहीं पहुँच पा रहा है। परिणामस्वरूप बाजार में घासलेटी साहित्य मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जैसे शरीर के लिए खाद्य पदार्थ आवश्यक है इसी तरह

से मस्तिष्क के लिए साहित्य ही खाद्य है। जब तक सत-साहित्य का निर्माण नहीं होगा, सृजन नहीं होगा, संरक्षण नहीं होगा, सत-साहित्य का उत्पादन नहीं होगा, प्रचार-प्रसार नहीं होगा, तब तक स्वाध्यायशीलता की प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी, सद्विचारों का प्रादुर्भाव नहीं होगा। आज की परिस्थितियों के बारे में उर्दू के एक शायर ने कहा है—

हम उन कुल किताबों को काबिले जब्ती समझते हैं,
जिनको पढ़ कर बेटे बाप को खपती समझते हैं।

ऐसे घासलेटी साहित्य के वातावरण में हमारे महान कवि, साहित्यकार हुए हैं, विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, मुंशी प्रेमचन्द है, बंकिम बाबू हैं, जय शंकर प्रसाद हैं, हिन्दी के हिमालय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या अन्य भाषाओं के कवि, जैसे सुब्रमण्यम भारती हैं, उन सब के साहित्य को अधिकाधिक सस्ता, सुलभ, प्रामाणिक और सुन्दर प्रकाशन करके उसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि हमारी नई पीढ़ी हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को, संस्कृति को, सांस्कृतिक धरोहर को, संगीत, कला और साहित्य को जान सकें। हमारे यहाँ कहा जाता है—

"साहित्य, संगीत, कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन।"

जिस साहित्य, संगीत और कला को इतना महत्व दिया गया था, उसके वर्तमान प्रणेता श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, उन्होंने यह आदर्श स्थापित किया, यदि मैं यह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

मान्यवर, जैसा अभी मन्त्री महोदय ने बिल प्रस्तुत करते समय बताया कि 1991 में उनके साहित्य के कॉपी राइट की अवधि समाप्त हो रही थी, उनकी मृत्यु को 50 वर्ष हो गए हैं, वैसे कई जगह प्रकाशन काल से 50 साल गिने जाते हैं, जैसे कोई साहित्य, संगीत या कलात्मक चीज होती है तो उसके निर्माण के बाद से 50 साल का समय गिना जाता है। तो इसमें 10 साल की अवधि बढ़ायी गई। विद्वानों का एक शिष्टमण्डल आया था, सव्य साची जो विश्वभारती के उप-कुलपति हैं उनके नेतृत्व में हमारे प्रधान मन्त्री से मिलने के लिए शायद मानव संसाधन मन्त्रीजी से भी मिला होगा। उन्होंने 20 साल बढ़ाने के लिए कहा था।

लेकिन मैं यह माँग करता हूँ कि इसकी अवधि 20 साल की जाए ताकि आगे आने वाले समय में इसका दुरुपयोग न हो सके, केवल रुपया कमाने की दृष्टि से उसका दुरुपयोग न हो सके।

प्रेमचन्दजी को भूखों रहना पड़ा, रोटी-रोजी के लिए तरसना पड़ा, आज उनके बाद उनके नाम से बड़े-बड़े प्रकाशन संस्थान करोड़ों रुपयों में खेल रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए। साहित्यकार की रचना का लाभ, जिसके हाथ में कॉपी राइट है, सर्वाधिकार जिसको है, उसको मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

**श्री गिरिधारी लाल भार्गव (जयपुर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह जो बिल लाए है, इसकी भावना में कहीं पर कोई दोष नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि टैगोर जी की कॉपीराइट की अवधि बढ़ाई जाए, इसका भी विरोध सत्यजित राय के द्वारा, मृणाल सेन के द्वारा किया गया और यों किया गया कि वर्तमान जो अपने प्रधान मंत्रीजी है, नरसिंहारावजी हैं, वह इस विश्वभारती के कुलाधिपति हैं। पर ज्योति बसुजी ने, अजीत पांजाजी ने और माननीय अर्जुन सिंहजी ने कहा कि इसका समय बढ़ना चाहिए, समय बढ़ना आवश्यक है। मेरा यहाँ पर निवेदन करना है कि विश्वभारती की दलील थी कि अगर कॉपीराइट की अवधि खत्म हो जाती है तो हर ऐरा-गैरा प्रकाशक टैगोर की रचनाओं को छापने लगेगा और जिस टैगोर ने हमारे राष्ट्रीय गीत "जन-गण-मन अधिनायक" की रचना की, उनकी भी रचनाओं का इस देश में ठीक से प्रकाशन नहीं हो सका, तो नुकसान होगा। यही बात है कि अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 में हो गई, उनकी कृतियों का प्रकाशन 1957 के कॉपीराइट कानूनों के अन्तर्गत

31 दिसम्बर को खत्म हो रहा था। गुरुदेव की कृतियों के प्रकाशन का राइट विश्वभारती के पास है और विश्वभारती वह संस्था है, शांति निकेतन में जिसकी स्थापना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। फिर सरकार ने विचार किया कि यदि एक लेखक को ही या विश्वभारती को प्रकाशन का अधिकार दे दिया गया तो इसका नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने एक लेखक के मामले में उसके समय की सीमा बढ़ा दी और अवधि 50 से 60 वर्ष कर दी और यहाँ माननीय मंत्रीजी एक अमेंडमेंट लाए कि 60 नहीं, 70 होनी चाहिए, यह अमेंडमेंट आपके द्वारा अस्वीकृत किया गया है। इसमें आपका कहना है कि जिसका प्रकाशन अधिकार 31 दिसम्बर, 1991 से पहले खत्म हो चुका है, यह राइट उस पर लागू नही होगा। कॉपीराइट अधिनियम, 1970 के तहत किसी रचना का अधिकार ठीक पचास साल बाद खत्म हो जाएगा। मेरा निवेदन यह है कि साहित्यकारों, नाटककारों, चित्रकारों आदि के मामले में यह उनके निधन के समय से शुरू होता है, बाकी सब मामलों में यह रचना के प्रकाशन के वर्ष से ही शुरू होता है।

मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्रीजी ठीक बिल लाए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें और क्या-क्या सुझाव लोगों ने दिए हैं, उन सबका भी वह इसमें समावेश कर लें तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब होगा। बाकी जो समय 10 वर्ष का अध्यादेश तो समाप्त हो गया, आपने पहले 60 रखा था, अब 70 कर दिया तो अध्यादेश वाली बात तो यहीं समाप्त हो गई। दस साल का समय जो बढ़ाया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ लेकिन सारे रचनात्मक सुझावों का माननीय मंत्रीजी समावेश करेंगे, वह स्वयं भी विद्वान हैं, हिन्दी के भी अच्छे ज्ञाता हैं और हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं इसलिए मैं समझता हूँ कि शिक्षा मंत्री होने के नाते, मानव संसाधन विकास मंत्री होने के नाते वे इन सब बातों का इसमें समावेश करेंगे।

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : कई सदस्यों को ऐसा लगा रहा था कि 20 मार्च छुट्टी का दिन होना चाहिए। साथ ही, सात अध्यादेशों को पारित करवाने के वास्ते हमारे पास समय की कमी थी जिसे निर्धारित समय के अन्दर पारित करवाना था।

आज यदि हम दो घंटे और बैठ जाएँ तो शायद तीन अध्यादेश जो सूची में हैं उसे पूरा कर सकते हैं और कल के कार्यों को पूरा करने की सुविधा होगी और तब शुक्रवार को छुट्टी मना सकते हैं। इस दृष्टि से मैं यह निवेदन करता हूँ कि हम आज दो घंटे बैठ लें। यदि सभा इससे सहमत हो जाए तो मैं आभारी होऊँगा।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को क्यों इस तरह से समर्थन मिल रहा है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यदि रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो काम है, उस काम को या उनकी रचनाओं को लोगों तक पहुँचाने की बात हो तो फिर कॉपीराइट आदि की बातों को छोड़ देना चाहिए और सबको कहना चाहिए कि इसे छापो और जितना बाँट सकते हो बाँटो। किसी भी ऐसे व्यक्ति की समाज के लिए और विश्व के लिए इतनी भारी उपलब्धि है, उसे कॉपीराइट कानून के जेलखाने में कैद रखना कौन सा उनके विचारों को बनाए रखने की कल्पना में बैठता है यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।

महात्मा गांधी की किताबें हैं, उनका हर भाषण, हर चीज, डेढ़-पौने दो सौ वोल्यूम्स हैं। ऐसे महापुरुष के जो दस्तावेज होते हैं, प्रयास यह होना चाहिए वह विचार सस्ते में न केवल अपने देश में बल्कि समूचे विश्व में फैल जाएँ। रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाएँ मेरी राय में ऐसे क्षेत्र में आती हैं जिनको विश्व के लोगों तक पहुँचाने का प्रयास होना चाहिए और उन्हें कैद करके रखने की बात नहीं होनी चाहिए। 50 साल से 60 साल कर रहे है, 10 साल का क्या औचित्य है यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझ सकता था कि यदि कोई एक तर्क के लिए संसद में कोई

विधेयक लाते कि हम हिन्दुस्तान में कॉपीराइट हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं जब तक वह व्यक्ति या संस्था जिन्दा है जिसके नाम से वह कॉपीराइट है। लेकिन 50 साल से 60 साल यानि 10 सालों में विश्व में क्या होना है कि 10 साल के बाद रचनाओं पर कापी राइट नहीं रहेगा और अगर हम उसे छापकर अपने क्षेत्र में बाँटना चाहें तो बाँटने का अधिकार होगा।

31 दिसम्बर 1991 को कॉपीराइट की अवधि खत्म हो गई है इसलिए अब केवल दस साल तक इसे बढ़ाना है, इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आता है। इस विधेयक को लाकर यह कहा गया कि बढ़िया चीज है, रविन्द्रनाथ के विचारों को सुरक्षित रखने का प्रयास है या गैर इस्तेमाल न हो, मैं मन्त्रीजी से इस पर जरूर सफाई चाहूँगा। कॉपीराइट को लेकर मैं कुछ मौलिक बातें आपके सामने उठाना चाहता हूँ क्योंकि हिन्दुस्तान में अनेक प्रकार की कलेक्टेड वर्क्स किताबों की दुकान में देखने को मिलती हैं विशेषकर सरकार की लाइब्रेरी में देखने को मिलती हैं। इसमें ऐसी भी रचनाएँ होती है जो किसी मंत्री, प्रधान मन्त्री के भाषण होते हैं। मंत्री, प्रधान मंत्री बनने से पहले यदि उन्होंने बहुत अध्ययन करके अनेक चीजों पर लिखा हो, जैसे जवाहरलाल नेहरू का लिखा है, वह ऐतिहासिक चीज है, उसके बारे में दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन मंत्री बनने के बाद नौकरशाही द्वारा लिखकर दिए हुए भाषण को जब हम पढ़ते हैं, यदि उस भाषण को और मेरे दो साल के मंत्रालय काल में पढ़े हुए भाषण को, जिसे किसी आई.ए.एस. अधिकारी ने या और किसी स्पीच राइटर ने लिखकर दिया है, मंत्री रहते या मियाद समाप्त होने के बाद कलेक्टेड वर्क्स ऑफ दी स्पीचेज ऑफ जार्ज फर्नान्डीज करके यदि छापकर सरकार के हर मंत्रालय का इस्तेमाल करके, विशेषकर विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय का इस्तेमाल करके उस पर रायल्टी लेने की बात करेंगे तो इसमें जो बेइमानी है उसे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। मुझे अफसोस है कि हिन्दुस्तान में ये चीजें बड़ी मात्रा में चल रही हैं। जब कॉपीराइट का सवाल आ ही गया है तो में मंत्रीजी से आग्रह करूँगा कि भूतपूर्व **प्रधान मंत्री, भूतपूर्व मंत्री किसी भी विभाग के, उनके मंत्री काल में सरकार की तरफ से जो भाषण इन लोगों की तरफ से दिए गए हैं, ऐसे भाषणों के कितने कलेक्टेड वर्क्स भारत सरकार ने अथवा किसी भी अन्य एजेन्सी के माध्यम से तैयार करने का काम हुआ, उनको कितने दाम से विदेश मंत्रालय या अन्य मंत्रालय खरीद कर, उसकी रायल्टी को उनके परिवार के लोगों को देने का काम कर रहे हैं,** हम चाहेंगे इस पर एक बार इस सदन को विश्वास में लेकर वह बताएँ। हमारे देश में यह जो एक सिलसिला चल पड़ा है कि जहाँ जैसे मौका मिले हाथ मारने का, सार्वजनिक पैसे के ऊपर, इस पर रोक लगाने के लिए इस कानून के चलते क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है। आप इस पर विचार कर और ध्यान देकर इस मसले को हल करने में हमारी मदद करें। हम एक जमाने से इस मुद्दे पर विचार कर और ध्यान देकर इस मसले को हल करने में हमारी मदद करें। हम एक जमाने से इस मुद्दे पर बोलते आए हैं। जैसे आज हमारे रेल मंत्री का यहाँ भाषण हुआ, किसी अधिकारी ने लिख कर दे दिया, उसे उन्होंने यहाँ पढ़ कर सुनाया। उनको पढ़ने में भी तकलीफ हुई। पिछले वर्ष भी रेल बजट पर उन्होंने भाषण दिया था। इससे पहले भी वह रेल मंत्री रहे। अब अगर अगले साल या दो सालों में उनके रहते या न रहते रेल मंत्रालय या भारत सरकार "कलेक्टेड स्पीचेज ऑफ जाफर शरीफ" करके छापे, फिर हिन्दुस्तान भर की सब लाइब्रेरियों में, सारे स्कूलों में, सभी राज्य सरकारों की लाइब्रेरियों में बेचने का काम करे और फिर आप सम्बंधियों के द्वारा दुनिया भर की अम्बेसियों में इसे रखने का काम करें तो इसमें कौन सी ईमानदारी है, कौन सी नैतिकता है। क्या जानबूझकर हिन्दुस्तान की तिजोरी के ऊपर हाथ मारने की बात नहीं होगी। **फिर भारत सरकार उसको छापे लेकिन कॉपीराइट रहे जाफर शरीफ के लड़के के पास और उसके पोते व पोतियों के पास, यह कहाँ तक नैतिक है, यह कहाँ तक कबूल किया जा सकता है?**

इसलिए मैं मंत्री महोदय से आज यह आश्वासन चाहता हूँ कि वे तमाम इस प्रकार की किताबों का ब्यौरा बनाएँ कि कितनी किताबें इस प्रकार की बनाई गई हैं, खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही है और फिर उन्हें सदन के सामने पेश करने का काम करें। चूँकि आप मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। आप उन तमाम मूल्यों की रक्षा करने का वचन बार-बार इस सदन के भीतर और बाहर देते आए है। मूल्यों का जो इस प्रकार हनन हो रहा है, इन्हें आप रोकें। नौकरशाहों द्वारा लिखे गए भाषणों को बेचकर, उनके खानदान के लोगों को पैसा बनाने का मौका देने का जो सिलसिला चल पड़ा है, उसे खत्म करने का आप काम करें। यही मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में कहना था।

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुनसिंह)** : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जॉर्ज साहब ने जो बात कही, उसको मैं पहले लेता हूँ क्यों कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बात यहीं उठाई है, उसका सीधे आज के विधेयक से सम्बन्ध भले ही न हो लेकिन उन्होंने एक व्यावहारिक और सार्वजनिक विषय उठाया है। मैं चूँकि पूरी जानकारी नहीं दे पाऊँगा जो कि उन्होंने मुझसे माँगी है लेकिन कॉपीराइट एक्ट किस हद तक ऐसी पुस्तकों को प्रोटेक्शन देता है या नहीं देता है, या उससे किस प्रकार लोग लाभ उठाते हैं या नहीं, यह विषय केवल उनकी उत्सुकता का नहीं है, इसमें सही जानकारी मिलनी चाहिए और मैं प्रयास करूँगा कि इसकी सही वस्तुस्थिति को मैं जानूँ।

जहाँ तक इस विधेयक का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि इस विधेयक में केवल एक ही विषय को रखा गया है और वह है पचास वर्ष से साठ वर्ष करना। इस पर यह सवाल उठा है, एक—अध्यादेश लाया गया तो क्यों लाया गया, और दूसरा—यह पचास से साठ वर्ष करने का औचित्य क्या है? मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि पिछले चार-पाँच महीने से इंडियन कॉपीराइट एक्ट को व्यापक रूप से संशोधित करने के लिए हमारे प्रयास हो रहे थे। सारे भारत के जितने भी लोग, संस्थाएँ, जो इससे सम्बन्धित हो सकती हैं, हमने सब को आमंत्रित किया और सब के विचार हमने लिए। फिल्म इन्डस्ट्रीज के लिए, ऑथर गिल्ड के लिए और इंडिविज्युअल ऑथर से हमारे पास और जो संस्थाएँ इस मामले में दखल रखती हैं, उनकी ओर से नोट आए। हम उस प्रक्रिया को आगे चला रहे थे, यह हमारा अंदाज था कि सदन का जो पहले सत्र हुआ था, उसमें हम व्यापक कॉपीराइट एक्ट को संशोधन कर सदन के सामने ला सकेंगे तथा उसी में इस सीमा को बढ़ाने का प्रावधान भी कर सकेंगे। संयोग से वह कार्य पूरा नहीं हो सका, चर्चा पूरी नहीं हो सकी। बंगाल के हमारे कई सम्मानित सदस्यों ने और बंगाल सरकार के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने व अन्य विद्वज्जनों ने बहुत जोरदार तरीके से राय रखी है कि इसे बढ़ाना चाहिए और बीस वर्ष के लिए बढ़ाना चाहिए। वहीं एक दूसरी विचारधारा थी, जिसका कि कुछ हद तक यहाँ भी उल्लेख किया है कि बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं इसमें कोई निश्चित मापदण्ड नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सभी पक्षों की बात सुनने के बाद बैलेंस-ऑफ-कंसीडरेशन में यह उपयुक्त समझा गया कि हमें कम से कम दस वर्ष के लिए इसको जरूर बढ़ाना चाहिए और यही कारण है कि इसको दस वर्ष के लिए बढ़ाने की बात कही गई।

हमारे देश के महान व्यक्ति, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपने कृत्तित्व से और अपनी भावनाओं को वाणी देकर सारी दुनिया में अपनी ख्याति बनाई, पूज्य गुरुदेव टैगोर, हम उनकी कृतियों का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, वह मूल्यांकन तो सारा विश्व कर रहा है और इतिहास सदियों तक करता रहेगा। इस बात से मैं जरूर सहमत हूँ कि जो उनकी कृतियाँ हैं, वे सम्पूर्ण रूप से, जैसा कि उनकी आथैंटिसिटी के बारे में कहा गया है, उसको पूरी तरह से कायम रखते हुए उनका प्रकाशन जरूरी है। उस दिशा में विश्वभारती जो कुछ कर रहा है, वह निश्चित रूप से स्वागत के योग्य है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, उस दिशा में जितना कुछ होना चाहिए, वह किन्हीं कारणों से नहीं हो रहा है। हमें उसे पूरा करने के लिए, भी बाहर से आवश्यकता पड़े, सहायता करने की, तो वह सहायता करनी

चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने नेशनल बोर्ड की बात कही है। मैं बोर्ड की बात तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर सदन के द्वारा इस विषय पर जो विश्वभारती के कार्यकलापों के बारे में कहा गया है और विशेषकर इस के बारे में जो उल्लेख किया गया है, मैं निश्चित रूप से विश्वभारती के उपकुलपति और हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी ही कुलाधिपति हैं, उनके समक्ष ये बात रखूँगा। मुझे विश्वास है कि विश्वभारती इस विषय पर सभी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, जो समुचित कदम होंगे, वे कदम उठाए जाएँगे।

यहाँ पर विश्वभारती के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें की गईं, मैं समझता हूँ कि यह उपयुक्त समय नहीं होगा कि मैं उसमें ज़ाऊँ, कोई दूसरा जो अवसर इससे सम्बन्धित आएगा तो मैं उस समय इस पर जरूर बात कर सकता हूँ। कॉपीराइट एक्ट के बारे में बहुत से सुझाव दिए गए हैं मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से जो कॉपीराइट एक्ट को रिवाइज करने का कार्यक्रम शुरू किया गया था वह पूरा हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है और हमारा यह प्रयास रहेगा कि सदन के इसी सत्र में हम एक विस्तृत कॉपीराइट एक्ट अमेंडमेंट बिल लाएँ और फिर माननीय सदस्यगण उस पर जो भी सुझाव देना चाहेंगे या जो भी उस पर आगे कार्रवाई करना चाहेंगे हम उस दिशा में आपको सहायता करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक एक बहुत ही छोटा और सिम्पल विधेयक है लेकिन इसकी भावनाएँ बहुत विशाल हैं और उन भावनाओं का ही सम्मान करते हुए सभी माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है, मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूँ और सदन से निवेदन करूँगा कि वे इसे पारित करें।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर)** : मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्रीजी ने कॉंप्रिहेंसिव बिल लाने वाली बात कही है वे इसको शीघ्र लाएँ और इसका समय बढ़ा दें, यह मेरा विनम्र निवेदन है, बाकी अच्छी भावनाओं से वह इस बिल को लाए हैं इसलिए मैंने जो दो बातें निवेदन की हैं, अब यह निवेदन करते हुए इस अध्यादेश को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने अनुमति देती है?

**अनेक माननीय सदस्य** : जी, हाँ।

संकल्प सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं विधेयक पर विचार का प्रस्ताव लेता हूँ।

दो संशोधन हैं।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : मैं अपने संशोधन को माननीय मन्त्रीजी की भावनाओं का आदर करते हुए वापस लेता हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या यह सभा माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है?

**अनेक माननीय सदस्य** : जी हाँ।

संशोधन संख्या 1, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

**प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर)** : मैं अपने संशोधन को माननीय मन्त्रीजी की भावनाओं का आदर करते हुए वापस लेता हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या यह सभा माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है?

**अनेक माननीय सदस्य** : जी हाँ।

संशोधन संख्या 2, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अब विधेयक पर विचार के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूँगा। प्रश्न यह है:

"कि प्रतिलिप्यधिकार अधिकार अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेंगे। पहले खंड 2 को लेते हैं। रासा सिंह रावतजी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

**श्री रासा सिंह रावत** : मान्यवर, अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि इस बारे में थोड़ा व्यापक विचार-विमर्श करके इसकी अवधि को बढ़ाएँ पर मैं अपना अमेंडमेंट मूव नहीं करता हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 3 और 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम "विधेयक में जोड़ दिये जाएँ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

**श्री अर्जुनसिंह** : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "विधेयक पारित किया जाए।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(लोकसभा कार्रवाई/ 17 मार्च 1992, पृष्ठ 509 से 536)

*मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की माँग (सामान्य) 1992-93 पर चर्चा 6 अप्रैल को शुरू हुई। डॉ. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी ने अनुदानों की माँगों पर सर्वप्रथम अपने विचार रखे। अनुदानों की माँगों पर चर्चा कराने का मूल उद्देश्य देश को यह बताना था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभाग से संबंधित मुद्दों पर सभा के क्या विचार है।*

*प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हो या बुनियादी शिक्षा अथवा खेलकूद या महिला एवं बाल विकास, माननीय सदस्यों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों के काम-काज के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत किए। जहाँ सुधार की आवश्यकता थी उनको चिन्हित किया। संयोग वश लोकसभा में पिछले दो-तीन दिन से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मुद्दों पर ही बातचीत हो रही थी। श्री अर्जुन सिंह की एक मंत्री के रूप में यह अभिलाषा रही कि मंत्रालय के कामकाज के संबंध में बेबाक बातचीत हो तथा अच्छे सुझाव आएँ। श्री अर्जुन सिंह महिला एवं बाल विकास को देश में सर्वोच्च वरीयता दिए जाने के पक्षधर थे। इस समय माननीय अध्यक्ष श्री शिवराज वी. पाटिल पीठासीन थे।*

**सभापति महोदय :** अब सभा मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के अन्तर्गत अनुदानों की माँगों पर आगे चर्चा जारी रखेगी और उस पर मतदान होगा। अब डा. के.डी. जेस्वाणी बोलेंगे।

**डॉ. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी (खेड़ा);** सभापति महोदय, श्रीमान्, मैं मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की अनुदानों की माँगों पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। मुझको यह अवसर दिया गया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

मैं मुख्यत: शिक्षा के संबंध में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि भले ही यह महिला की बात हो अथवा शिशु की, कला की हो या संस्कृति की, खेल की हो अथवा अन्यथा हो, मुख्यत: विकास समाज को उपलब्ध होने वाली शिक्षा के स्तर पर आधारित होता है। कई युगों पहले प्राचीन समय में हम कहा करते थे:

"विश्व गुरु थे हमसे ही सब शिक्षा लेने आते थे।"

वह अभिलाषा कहाँ गई? वह महत्वाकाँक्षा कहाँ गई?

विपक्ष से मेरे मित्र कहते हैं कि महत्वाकाँक्षी मत बनो। बिना महत्वाकाँक्षा के तुम प्रगति कैसे कर सकोगे? हम वांछित परिणाम लाने में बुरी तरह असफल रह गए हैं, क्योंकि हमने गलत नीतियों को अपनाया है और गलत निर्णय लिए हैं। कारण स्पष्ट है कि नीतियाँ और निर्णय चुनाव जीतने या मत प्राप्त करने के लिए तय किए गए थे। हमारी जनता महत्वाकाँक्षा खो चुकी है। हमारे अपने 45 वर्ष के शासन के बाद भी यदि जनता को रोटी, कपड़ा और मकान की ही माँग करनी पड़ती है तो क्या आप इसे महत्वाकाँक्षा कहेंगे? यहाँ पर रोटी का अर्थ शिक्षा है।

हम अभी भी प्रगति के लिए नहीं बल्कि संभ्रांति के कारण प्रयोग के दौर से गुजर रहे हैं। इस कारण हम अभी भी अपनी मौलिक नीतियों को तय नहीं कर पाए। भले ही शिक्षा के क्षेत्र में हों। सभी को प्राथमिक शिक्षा का एक संविधानिक दिशानिर्देश है। संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। उसके अनुसार :

> "राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी होने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।"

इसके साथ ही, सरकार असमानता को दूर करने और अनुसूचित जाति, जनजाति महिलाओं और अल्पसंख्यकों को शिक्षा का समान अवसर देने के लिए बाध्य है। शिक्षा के विकास में प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शिक्षा एक संवर्ती विषय है। केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच सहमति एक अर्थपूर्ण साझेदारी हो सकती है। हम सिर्फ यह कहकर बच नहीं सकते कि यह एक राज्य से सम्बन्धित विषय है और राज्य सरकारें, केन्द्रीय सरकार के

आदेश अथवा योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर रही है।

अब तक 45 वर्षों के शासन में से वर्तमान पार्टी 41 वर्षों तक सत्ता में रही है। राष्ट्र के प्रति उनकी क्या वचनबद्धता है? यही कि इस शताब्दी के अन्त तक शून्य प्रतिशत निरक्षरता, शून्य प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि, शून्य प्रतिशत बेरोजगारी, शून्य प्रतिशत निर्धनता रहेगी। इन सभी प्रतिमानों का, राष्ट्र के शैक्षिक स्तर के आकार, रूप और सम्पूर्ण कार्य पर सीधा असर होता है।

महोदय, स्वतंत्रता के 45 वर्षों के बाद हमारी क्या स्थिति है? हमारी लगभग आधी जनसंख्या अभी भी निरक्षर है। हम केवल 30 प्रतिशत महिलाओं को साक्षर बना सके। अन्यथा इस क्षेत्र में उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए बाध्य है। कॉंग्रेस अपने आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों का वास्तविक मुक्तिदाता मानती है। यद्यपि हमने इस सम्बन्ध में ही थोड़ा काम किया है। लेकिन अब तक केवल अनुसूचित जाति में से लगभग 25 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों में से 20 प्रतिशत लोगों को ही शिक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्य में केवल 41 प्रतिशत साक्षरता है और वहाँ केवल 26 प्रतिशत महिलाएँ ही शिक्षित हैं। राजस्थान जैसे अन्य प्रमुख राज्य में कुल साक्षरता 38 प्रतिशत है, और केवल 20 प्रतिशत महिलाएँ ही शिक्षित हैं। इसी अशिक्षा के कारणवश, हर वर्ष हम अपनी जनसंख्या में कम से कम 1.6 करोड़ की वृद्धि कर रहे हैं। यदि इस सच्चाई पर हम गर्व करेंगे तो मुझे इस सन्दर्भ में कुछ भी नहीं कहना है। हमारे दुर्भाग्यवश पाँच करोड़ से भी अधिक शिक्षित युवाओं को बेरोजगार बना रखा है। इस सामाजिक विषमता के कारण बड़े-बड़े अपराधों ने जन्म लिया है। इस संख्या से दुगने से भी अधिक बेरोजगार ऐसे ग्रामीण युवा हैं, जिन्होंने अभी तक अपना नाम रोजगार केन्द्र में पंजीकृत नहीं कराया है। इस कारणवश लगभग 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं।

इन दुर्व्यवस्थाओं के कारण प्रतिभा पलायन जैसी बुराई ने जन्म लिया है। हर वर्ष लगभग तीन से पाँच प्रतिशत उच्च शिक्षा प्राप्त तथा टेक्नॉलॉजी निपुण युवा देश से बाहर चले जाते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें पर्याप्त उचित रोजगार अवसर और प्रोत्साहन नहीं मिलता है। प्रौद्योगिकी के पिछड़ेपन के कारण उनकी प्रगति में अवरोध उत्पन्न होता है। हम लोग भी उनके देश के बाहर चले जाने पर चिन्ता नहीं करते, क्योंकि हमारे घरों में जीविका अर्जन करने वाले कई लोग होते हैं। लेकिन, दीर्घ अवधि में ऐसा प्रतिभा पलायन राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय हानि सिद्ध होगा। मैं इस विषय को बाद में स्पष्ट करूँगा।

वर्ष 1986 में एन.ई.पी. में, सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की घोषणा की थी। कागजों पर योजनाएँ बनाई गई है, लेकिन उनका वास्तविक कार्यान्वयन निराशाजनक है। मेरे गुजरात राज्य के गाँवों में ऐसे कई स्कूल है, जहाँ मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं। जहाँ पर स्कूल है या तो वहाँ शिक्षक ही नहीं है या फिर छात्र नहीं है। अब तक 29 जिलों में केवल 280 नवोदय स्कूल खोले गए हैं, जिनमें से केवल 150 स्कूल अपने निजी भवनों में स्थापित किए गए है। ऐसे स्कूल जिनके अपने भवन नहीं हैं, कागजों पर उल्लिखित सेवाओं को प्रदान नहीं कर सकते। शायद आर्थिक दबाव के कारण स्कूली शिक्षकों का व्यापक अनुकूलन कार्यक्रम सातवीं योजना के उपरांत जारी नहीं रखा गया। अब तक, लगभग 17.5 लाख शिक्षकों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, लेकिन इसमें अभी कुछ और शिक्षकों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। अभी भी हम शिक्षकों और प्रोफेसरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं ला पाए। अपनी प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक के बाद एक समिति को नियुक्त किया गया, लेकिन विभिन्न समितियों की सिफारिशों को अभी तक पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया। इस वजह से सरकारी शिक्षक समुदाय को भारी कटिनाई होती है। यदाकदा वे अपना उद्देश्य प्रकट करते रहते है, जो कि गुजरात राज्य में और भी

प्रचण्ड है। हाल ही में, परीक्षाओं के समय, गुजरात में शिक्षकों ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी, क्योंकि सरकार के पास उनकी कुछ समस्याएँ लम्बित पड़ी थीं।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से अधिक लाभ नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में, विशेषकर हमारे राज्य में भ्रष्टाचार अधिक है। क्या अभी भी हमें अपने आप को यह कहकर सान्त्वना देनी चाहिए कि भ्रष्टाचार दुनिया में सभी जगह फैला हुआ है? यदि हम ऐसा करते है, तो मै समझता हूँ कि हम इस शिक्षा के पवित्र क्षेत्र के प्रति बड़ा अन्याय कर रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकले क्योंकि साक्षरता कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से नहीं चलाया गया। वर्ष 1991-92 के 977 करोड़ रुपयों के योजना परिव्यय की तुलना में 1992-93 में 951 करोड़ रुपयों का योजना परिव्यय नियत किया गया है। इससे आर्थिक कठिनाइयों का पता चलता है। लेकिन यह सम्पूर्ण शैक्षिक व्यवस्था की प्रगति को बुरी तरह प्रभावित करेगा। वित्तीय सहायता में कटौती के कारण शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही प्रगति में अवरोध उत्पन्न होने की संभावना है।

हिन्दी भाषा को अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के कई वर्षों के बाद भी हम हिन्दी भाषा की सर्वोच्चता को सभी क्षेत्रों में, भले ही वह गैर-सरकारी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र, स्थापित नहीं कर पाए। इस तरह की कुछ टिप्पणियों के बाद मैं कुछ सुझाव संक्षिप्त रूप में देना चाहता हूँ।

सभी के लिए शिक्षा समय की सही माँग है। उच्च शिक्षा व्यवस्था और प्रौद्योगिकी शिक्षा में एकरूपता, समय की सही माँग है। सारे देश में उनका पाठ्यक्रम समान होना चाहिए जबकि उसमें अभी काफी विषमता है। शिक्षा में व्याप्त प्रावेशिक शुल्क (कैपिटेशन फीस) की बुराई पर अंकुश लगना चाहिए। गुजरात राज्य में शिक्षकों के लिए प्रावेशिक शुल्क बहुत अधिक है। समाचार पत्रों में प्रकाशित इस तरह की कदाचार घटना प्राय: होती रहती है। इन कदाचारों और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाओ, जिसने शिक्षा के स्तर को गिरा दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। शिक्षक छात्र के अनुपात में सुधार लाया जाना चाहिए। आठवीं योजना में स्कूली शिक्षकों का व्यापक अनुकूलन कार्यक्रम चलना चाहिए।

अध्यापकों और प्राध्यापकों के मानसिक उद्वेग को समाप्त करने के लिए उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊपर उठाना होगा।

महिलाओं के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए महिला शिक्षा पर और अधिक बल देने की आवश्यकता है।

प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए और उनका अपना भवन होना चाहिए। यह समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा भारतीय संस्कृति और विचारधारा पर आधारित होनी चाहिए। तभी चरित्र निर्माण की सभी समस्याओं का निदान हो पाएगा।

पाठ्यक्रम के निर्धारित समय में कम से कम 40 से 50 प्रतिशत समय योग, खेल-कूद, कला और अतिरिक्त गतिविधियों को दिया जाना चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा में संस्कृत की उपेक्षा की गई है। यह "देव-वाणी" है— सभी भारतीय भाषाओं की मातृ भाषा है, जिसका कोष भरा-पूरा है। यदि इसे पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाए, तो इससे व्यक्ति में उच्च मूल्यों का निर्माण होगा।

मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ कि 40 लाख से अधिक सिंधी हमारे देश में है। वे 1947

से विस्थापित हैं। उनका अपना राज्य नहीं है। वे पूरे देश में बिखरे हुए हैं। सिंधी सलाहकार समिति विगत वर्ष से कार्यरत है और इस संबंध में आवश्यक सुझाव उसने दिए हैं। सिंधी विकास बोर्ड का गठन आर्थिक कठिनाइयों के कारण नहीं हो सका है। सिंधी अकादमी के गठन का मैं सुझाव देता हूँ ताकि सिंधी भाषा के लुप्त होने से पूर्व यह इसके अस्तित्व के लिए इसका पुनर्विलोकन करे।

प्रतिभा पलायन पर रोक लगनी चाहिए। मैंने कुछ समाधान सुझाए हैं, लेकिन मंत्रीजी द्वारा सकारात्मक उत्तर नहीं दिया गया है। मेरी उनसे बातचीत हुई है। लेकिन मैं बलपूर्वक यह सुझाव देता हूँ कि कोई कानून बनाया जाना चाहिए जिससे प्रतिभा पलायन पर रोक लग सके। सरकार को कोई ऐसी पद्धति तैयार करनी होगी ताकि वह विदेशों में रह रहे उन भारतीयों की जनगणना करा सके, जिन्हें उन देशों की नागरिकता नहीं मिली है।

अपंग व्यक्तियों के समान ही समाज में मूक-बधिरों की भी अपनी समस्या है। अपनी संस्थाओं के संचालन में उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अन्य शैक्षिक संस्थाओं के विपरीत उन्हें दो महीने के बाद अनुदान राशि प्राप्त होती है और इस कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे क्षेत्र गुजरात के नड़ियाद में एक ऐसी ही संस्था है, जिसके साथ भी ऐसी ही कठिनाई है। मैं विभाग से निवेदन करता हूँ कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग करके इस संस्था की सहायता करे। ऐसी संस्थाएँ समाज की अत्यधिक सेवा कर रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे अवसर प्रदान करने के वास्ते, मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।

**श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम)** : सभापति महोदय, मानव संसाधन मंत्रालय के बारे में दो-तीन दिन से यहाँ चर्चा हो रही है। सभापतिजी, इस चर्चा में भाग लेते हुए हमारे साथियों ने बहुत से सुझाव दिए हैं। हम सब लोग जानते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इस देश को मजबूत बनाने के लिए और इस देश की नई पीढ़ी को आगे लाने के लिए इस मंत्रालय के जरिए बहुत काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ खेलकूद के बारे में और योगा के बारे में भी चर्चा हो रही है।

आप जानते हैं कि जब नेशनल फ्रंट की सरकार थी तो उस समय इस मंत्रालय के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं था। इन्होंने इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। यह गौरव की बात है कि आज हमारे प्रिय प्रधान मंत्रीजी ने श्री अर्जुन सिंहजी को यह विभाग सौंपा है और इस मंत्रालय को एक कैबिनेट मिनिस्टर के चार्ज में दिया है। मानव संसाधन मंत्रालय के बारे में यहाँ पर बहुत सारे विचार रखे गए हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। दो-तीन सप्ताह पहले इस सदन में इस बारे में एक प्रश्न आया था, वह यूनिवर्सिटी के सिलेबस से संबंधित था। मानव संसाधन मंत्रीजी ने बताया कि हम लोग यू.जी.सी. की तरफ से सिलेबस बनाते हैं और उसकी एक ब्रॉड आउट लाइन यूनिवर्सिटीज़ को भेजते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ का इंडिपेंडेंट करैक्टर होता है। आप मानते हैं या नहीं, यह हमको मालूम नहीं है। जो नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है। मैं यूनिवर्सिटीज को इंडिपेंडेंट मानता हूँ। लेकिन, सिलेबस में इस देश के नौजवानों को गुमराह करने के लिए इस देश की एकता और अखण्डता को खत्म करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं तो उसके बारे में मंत्रीजी को जरूर सोचना है। इस देश में जातिवाद और असंतोष फैलाने के लिए जो काम हो रहे हैं और यूनिवर्सिटीज के सिलेबस के ऊपर जो काम हो रहे हैं तो उसको रोकने के लिए कदम उठाने हैं। आप देखिए कि हिस्ट्री को कुछ लोग बदल रहे हैं। हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम के बारे में विविध प्रकार की ओपीनियन है। लेकिन कुछ राज्य सरकारें उसका नक्शा बदल रही हैं। वे, आने वाली पीढ़ी के मन में गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रही है। कुछ राज्य सरकारें इस देश की महान परम्परा को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, ये सिलेबस के विरुद्ध कर रहे है। मेरे पास

सिलेबस के बारे में कुछ सुझाव आए थे। फ्रीडम मूवमेंट के नक्शे को बदलने के जो प्रयास हो रहे हैं, उसके बारे में सोचना है। उसको ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाने हैं। अभी हमारे साथी ने बताया कि पहली पंचवर्षीय योजना में 7.6 परसेंटेज मानव संसाधन मंत्रालय के लिए दिया था, लेकिन सेवन्थ प्लान में 3.6 परसेंट हो गया। मानव संसाधन मंत्रालय के खर्चे क्या कम हो रहे है या बढ़ रहे हैं? एलोकेशन कम हो रही है, इसके बारे में जरूर सोचना है। कोठारी कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि टोटल आउट-ले में से इस मंत्रालय को छह परसेंट देना है। लेकिन आज 3.6 परसेंट हो गया है। मैं, यू.जी.सी. के बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूँ। कॉलेजेस के प्रयोजक ग्रांट के बारे में आते हैं। लेकिन दुःख की बात है कि यू.जी.सी. के पास जो भी प्रपोजल भेजे जाते हैं तो वे उनके ऊपर शीघ्र कार्रवाई नहीं करते और वह बहुत डिले हो जाते हैं। उसके लिए ग्रांट की बात आती है या अन्य बातें आती हैं तो जिनकी एप्रोच नहीं होती है उनको जल्दी यू.जी.सी. से ग्रांट नहीं मिलती है। इस बारे में काफी शिकायतें आती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यू.जी.सी. की जो कार्य करने की प्रणाली है, उसके जो प्रपोजल होते हैं उनके बारे में आपको सोच-विचार कर निर्णय लेना चाहिए और यह निर्णय जल्दी हो ताकि इससे कॉलेजेस को फायदा हो और विद्यार्थियों को पढ़ने में सुविधा हो।

मैं वाइस-चांसलर्स की नियुक्ति और कार्यप्रणाली के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ राज्यों में वी.सी. की नियुक्ति राजनैतिक तौर पर की जाती है, पॉलिटिकल कंसीडरेशन से होती है। जो सरकार सत्ता में होती है उसके अनुसार उनके ही व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। इससे विश्वविद्यालयों में वाइस-चांसलर की नियुक्ति करते समय उनकी एकेडेमिक क्वालिफिकेशन को नहीं देखा जाता। इससे विश्वविद्यालयों का महत्व कम होता जा रहा है। हर विश्वविद्यालय के अपने-अपने एक्ट होते हैं। यू.जी.सी. से प्रतिनिधि वी.सी. चुनने के लिए वहाँ आते हैं, लेकिन कभी-कभी वहाँ से कोई प्रतिनिधि नहीं पहुँचता है तो उनकी नियुक्ति में डिले हो जाता है। इस देश में कई विश्वविद्यालयों में वाइस-चांसलर नहीं हैं, सरकार ही उनको चला रही है।

मैं प्राथमिक शिक्षा के बारे में दो-तीन बातें बताना चाहता हूँ। हम ज्यादा ध्यान प्राइमरी एजूकेशन पर देते हैं। प्राइमरी एजूकेशन की आज यह हालत है कि अधिकांश स्कूल जो हैं उनकी हालत बड़ी खराब है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। दो लाख स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग नहीं है, केवल हट्स में चल रहे हैं और 71 हजार स्कूल ऐसे हैं जो पेड़ों के नीचे चल रहे हैं, वहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है : कुछ स्कूल्स तो रोड्स पर चलते हैं। चार-चार क्लास में एक टीचर होता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में एक योजना चलाई गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अच्छा प्रोग्राम है लेकिन मेरा निवेदन है कि इस प्रोग्राम को इवैल्युएट करना चाहिए कि इसका पैसा ठीक से खर्च हो रहा है या नहीं और राज्य सरकार इस पर ध्यान देती है या नहीं? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्राइमरी एजूकेशन के लिए बनाई गई थी लेकिन इसका फायदा जिन लोगों को मिलना चाहिए था, उन तक पहुँचा या नहीं, इसके बारे में भी जाँच करना बहुत जरूरी है।

सरकार की नई एजूकेशन पॉलिसी के बारे में और नवोदय विद्यालय के बारे में बहुत विवाद है। उन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि वे अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते है लेकिन आज के नवोदय विद्यालयों की क्या स्थिति है? मैंने मंत्री महोदय को 2-3 बार पत्र लिखकर बताया और रिप्रेजेन्टेशन दिए कि उनकी हालत बहुत खराब है, बहुत सारे टीचर्स नहीं हैं, वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके बिल्डिंग्ज नहीं हैं, रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है और इनकी हालत तो प्राइमरी स्कूल से भी ज्यादा खराब हो रही है। उन स्कूलों के लिए कुछ टीचर्स डेपूटेशन्स से आते हैं। वहाँ परमानेंट टीचर्स भी नहीं हैं, जो नए आते हैं उनकी न तो

ट्रेनिंग दी जाती और न उनके लिए कोई स्पेशल फेसिलिटी ही है, इस ओर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूँ और यह कुछ हद तक ठीक भी है कि अभी-अभी ये नवोदय विद्यालय शुरू किए हैं लेकिन जो गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, उनके लिए इन विद्यालयों को एक नया रूप देना चाहिए। शिक्षा प्रणाली को नया रूप देने के लिए ही ये विद्यालय चलाए गए हैं। इसमें जो कमियाँ हैं, उनकी ओर ध्यान देकर इसमें सुधार करना जरूरी है।

निरक्षरता उन्मूलन बहुत जरूरी है। कई राज्य सरकारों ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और एक मॉस मूवमेंट बनाया है। इसमें पंचायतों, लाइब्रेरियों और अन्य संस्थाओं को शामिल किया जाए। राज्य सरकारों ने बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया है ताकि निरक्षरता को दूर किया जाए।

सभापति महोदय, मैं एक युवक हूँ। एक युवकों की संस्था भारतीय युवक कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूँ। उनके बारे मे बोलने का भी मौका चाहूँगा। स्पोर्ट्स के बारे में तो सरकार गंभीरता से सोचती नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जब 1985 में यूथ एण्ड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का गठन किया गया था और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, उससे बहुत आशाएँ इस देश के युवकों को थीं। 7वीं पंचवर्षीय योजना में 200 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया था लेकिन 1990-91 के बजट अलोकेशन में 69.1 करोड़ रुपया है। 1991-92 में फिर इसको कट कर दिया और 62.5 करोड़ रुपए कर दिया। 1992-93 में 57.1 करोड़ रुपया है। इस प्रकार 11 करोड़ रुपया इसमें कर्टेल कर दिया गया। इस प्रकार हम लोग कैसे स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे? रूरल स्पोर्ट्स की स्थिति बहुत खराब है। कई प्रपोजल प्लेग्राउंड बनाने के लिए भेजे गए। तय हुआ कि आधा केंद्रीय सरकार दे देगी और आधा राज्य सरकार दे देगी, लेकिन जितने प्रपोजल भेजे गए हैं, वे प्रपोजल वहाँ डिपार्टमेंट में पेंडिंग हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मैं एक प्वाइंट बताना चाहता हूँ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गनाइजेशन है। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि उसमें बहुत हलचल चल रही है, बहुत कम्प्लेन्ट्स आ रही हैं। उसके बारे में भी आप जरूर विचार करें। आप जानते हैं आज कल नौजवान कैसी जिन्दगी बिताते हैं। हमारे देश में नौजवान हर चीज के लिए आगे आते हैं, काम करने के लिए उनके मन में इच्छा है, क्षमता है, लेकिन उनके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वह बहुत कम हैं। सारे लोग नौजवानों को इनके बारे में बताते हैं लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ओर से इनको सहयोग मिलना चाहिए।

आज नेहरू युवक केंद्र का क्या हाल है? पहले नेशनल फ्रंट सरकार सत्ता में थी तो उन्होंने कहा कि नेहरू का नाम छोड़ दीजिए। एक प्रपोजल आया था कि नेहरू का नाम छोड़ दो। उनका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेहरू युवक केंद्र के जरिए पहले बहुत काम होता था। नेशनल इंटीग्रेशन कैम्प लगते थे और बहुत सारी एक्टिविटीज होती थीं, लेकिन आजकल बहुत कम हो गई हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो लोग नौकरी में थे वह नौकरी छोड़कर इसमें कोऑर्डिनेटर बन गए। उनका भविष्य क्या है, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट बात नहीं है। अभी हमने सुना है कि जो कोऑर्डिनेटर थे उनको नौकरी से निकाला जा रहा है और नई रिक्रूटमेंट हो रही हैं। इसके बारे में स्पष्ट करें और जो नेहरू युवक केंद्र संस्था है, जो अच्छी चल रही थी, उसे जिस उद्देश्य से बनाया गया था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप मदद करें। आज हमारे देश में 35 नेशनल यूथ हॉस्टल्स हैं। आज यूथ हॉस्टल्स की जरूरत है। अभी हमने अखबारों में पढ़ा था कि नेशनल यूथ काउंसिल का गठन हो रहा है। उसके पहले 200 मेम्बर थे। हम सब लोग बैठे थे, लेकिन वहाँ कोई चर्चा नहीं होती है। सारे लोग भाषण करते हैं पर कोई कंक्रीट आइडिया नहीं होता है। मैं मानव संसाधन विकास

मंत्री को बधाई देता हूँ कि उन्होंने 50 लोगों की कमेटी कर दी है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि 50 लोगों की जो कमेटी बैठेगी, उसमें जरूर युवकों की प्रॉब्लम्स पर वाद-विवाद करने का काम होगा और कोई कंक्रीट स्टेप लेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण खत्म कर रहा हूँ। जय हिन्द।

**डॉ. (श्रीमती) के.एस. सौन्द्रम (तिरूचेगौड़)** : आदरणीय सभापति महोदय, वर्ष 1992-93 का बजट देश के आर्थिक इतिहास में उल्लेखनीय कदम है, क्योंकि इसने एक आधुनिक उदार और प्रगतिशील भारत का एक चित्र उपस्थित किया है। वित्त मंत्री ने आर्थिक सुधारों के माध्यम से वृहद् आर्थिक स्थिरता कार्यक्रम को पूरा करने के संबंध में अपने विचार व्यक्ति किए हैं। इस कार्य से निश्चय ही हम अपनी अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी बना सकेंगे।

शिक्षा के संबंध में मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि जबकि वर्ष 1992-93 के बजट में गैर योजना व्यय के लिए अन्य केंद्रीय क्षेत्रों में 7 प्रतिशत आवंटन बढ़ा है और 20 प्रतिशत योजना व्यय के लिए, शिक्षा पर आवंटन कम हुआ है। उच्च शिक्षा के मामले में आँकड़े बताते हैं कि गैर-योजना व्यय में 5 प्रतिशत की कमी की गई है और योजना व्यय में 3 प्रतिशत की कमी की गई है। राज्य सरकारों के अनुदान सहायता में करीब 62 करोड़ रुपए की कमी की गई है। लेकिन उत्साहजनक बात यह है कि महिला और बाल विकास विभाग को विगत वर्ष की तुलना में अधिक राशि उपलब्ध कराई गई है। युवा कार्य और खेल, कला तथा संस्कृति विभाग को लगभग विगत वर्ष के जितना ही आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

उच्च शिक्षा के लिए वर्तमान में जो कम आवंटन किया गया है उससे विश्वविद्यालयों में शैक्षिक और शोध कार्य गंभीर रूप से प्रभारित होंगे। वर्तमान संस्थाओं को बनाए रखने के लिए संसाधनों की कमी के दुष्परिणाम होंगे- पहले ही कई विश्वविद्यालय आर्थिक संकट में हैं। अत: उच्च शिक्षा के आवंटन का सरकार द्वारा पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से यह निवेदन करती हूँ कि उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएँ। दोपहर के भोजन की योजना, पांचवीं कक्षा तक महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति जैसा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा अमल में लाया जा रहा है तथा शिक्षकों के कल्याण के लिए कोठारी आयोग एवं चटोपाध्याय आयोग को लागू करने का हमारा अन्य निवेदन है।

अंत में, मैं पुन: एक बार सरकार से निवेदन करती हूँ कि शिक्षा, शोध, जीवन के बुनियादी मूल्यों को बढ़ाने और विकसित करने, राष्ट्रीय एकता, महिलाओं के लिए अधिक अवसर, पर्यावरणीय और जनसंख्या संबंधी जानकारी और लोगों को इन सभी कार्यक्रमों में शामिल करने जैसे मुद्दों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

शिक्षा के महत्व पर बल देने के लिए मैं महाकवि विरू वाल्लूवर की पंक्तियाँ उद्धृत कर रही हूँ :

"इन्नेवा इआनयि इझूथेन्वा इविरेन्डम कानेन्बा वाझम वूयिरक्कू"।

इनका अर्थ है कि शिक्षा का मानव के लिए उतना ही महत्व है जितना कि नेत्रों का।

**श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी)** : मान्यवर सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मुझसे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने मानव संसाधन के विभिन्न पहलुओं पर अपने-अपने विचार रखे है। मानव संसाधन की माँगों पर मैं भी अपनी राय आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूँ और माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

अभी हमारे साथी रमेशजी ने नवोदय विद्यालयों की चर्चा की। माध्यमिक विद्यालयों की जो स्थिति हमारे देश में है, उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय विद्यालय संगठन तो जैसे-तैसे

चल रहे है लेकिन राशि का अभाव इन अनुदान की माँगों में है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 449 नवोदय विद्यालय खुलने थे जिसमे से मात्र 261 नवोदय विद्यालय अब तक खुल पाए हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने वाली है और 160 करोड़ रुपया इन अनुदानों की माँगों में नवोदय विद्यालय के निर्माण के लिए कम कर दिया गया है। फिर हम कहते है कि 1995 तक हम सब को साक्षर बनाने का काम करेंगे। मेरे ख्याल से इतना कम प्रावधान करने से आप इस काम में सफल नही होंगे। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि नवोदय विद्यालय गाँव के गरीबों के जो तेज नौजवान बच्चे है, उनके लिए इनकी व्यवस्था की गई है। अधिकांशत: नवोदय विद्यालय जो अभी-अभी ही बने हैं, वे बड़ी खस्ता हालत में हैं। उनकी छतों से पानी टपकता है और वहाँ भोजन भी बहुत बुरा मिलता है। ये नवोदय विद्यालय सफेद हाथी ही साबित हुए हैं और नवोदय विद्यालय एक छलावा है, उन गाँवों के ग्रामीण तेजस्वी बच्चों के नाम पर। बड़े-बड़े शहरों से तो आपने दून स्कूल, डी.पी.एस. स्कूल खोल दिए हैं और गाँवों में ऐसे नवोदय विद्यालय खोल कर आप यह कह सकें कि गरीब का बेटा समान शिक्षा पा रहा है। नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था करके इस नई शिक्षा नीति में दून स्कूल की संस्कृति को बढ़ाने की साजिश है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक जो परिस्थिति हैं, उसमें समान शिक्षा, सतत् शिक्षा के द्वारा देश में यह लागू होनी चाहिए, कि माननीय सदस्य हो या मेहतर की सन्तान, सबकी शिक्षा एक समान यानी दून स्कूल, पब्लिक स्कूल, पिलानी से लेकर दिल्ली पब्लिक स्कूल तक जो बड़े-बड़े स्कूलों की व्यवस्था है, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए और सबके लिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए। माननीय मंत्रीजी, जिस दिन माननीय सांसदों का बच्चा, गाँव के गरीब मेहतर का, खेती करने वाले का बच्चा और आई.ए.एस. अधिकारी का बच्चा एक ही प्रकार के विद्यालय में जाने लगेंगे, उस दिन शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन हो जाएगा, शिक्षा की दिशा बदल जाएगी। देश में मानव संसाधन विभाग का यह कदम क्रान्तिकारी होगा, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य की सन्तान हो या मेहतर की सन्तान, सबकी शिक्षा एक समान, यह मैं माध्यमिक शिक्षा के तहत कहना चाहता हूँ। इसमें राशि का अभाव है।

उच्चतर शिक्षा का भी वही हाल है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उच्चतर शिक्षा में 6 करोड़ रुपया पिछले वर्ष की अनुदान माँग के मुताबिक कम कर दिया गया। निश्चित रूप से यह बोझ भी गरीबों पर पड़ेगा, जब उच्चतर शिक्षा में 6 करोड़ रुपया कम कर दिया गया और महँगाई 13 प्रतिशत बढ़ी है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़ेंगे और वह भार भी गरीब के बच्चों पर पड़ेगा।

सभापति महोदय, अब मैं दो मिनट खेलों से संबंधित विषय पर लेना चाहता हूँ। टेलीविजन खोल कर या रेडियो खोलकर, जहाँ कहीं भी आप देखें, देश के नौजवान क्रिकेट या जो अन्य विकसित खेल हैं, उसके पीछे काम को छोड़ कर देखने में लगे रहते हैं। मैं क्रिकेट का विरोधी नहीं हूँ, इसका भी विकास होना चाहिए। इसके अलावा दुनिया में जो अन्य प्रतियोगिताएँ हैं, उनमें हम पीछे हैं, लेकिन जो ग्रामीण खेल हैं, जैसे कुश्ती है, तैराकी है, कबड्डी है या गुल्ली-डंडा है, जिनका नाम तक कोई नहीं जानता है, इन खेलों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। राष्ट्रीय खेलों का जो प्राधिकरण बना है, उसमें ऐसे लोग हैं, जो ग्रामीण खेलों के संबंध में जानते तक नहीं हैं। मैं आपके जरिए माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण हैं, उसमें निश्चित रूप से और समीक्षात्मक दृष्टिकोण से उसको भंग करके पूरे देश में प्रतियोगिता करा, जो ग्रामीण खेल खेलने वाले हैं, उन चुने हुए लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देकर उसमें स्थान देना चाहिए। जहाँ तक शारीरिक शिक्षा का सवाल है, तो देश में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षण संस्थान ग्वालियर और त्रिवेन्द्रम में है, पटियाला में भी है। मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि शारीरिक शिक्षा को पूरे देश के पैमाने पर प्राइमरी स्तर तक की शिक्षा से ही अनिवार्य करना पड़ेगा। देश में एक-दो-चार क्षेत्रीय

संतुलन के आधार पर तमाम जगहों पर शारीरिक शिक्षा का विश्वविद्यालय बनाकर हर कॉलेज में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि शारीरिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाए। मैं तो यह भी कहना चाहता हूँ कि पहलवान विद्यालय भी होना चाहिए। हमारे बिहार के माननीय मुख्य मंत्री, श्री लालू प्रसादजी, ने पहलवान विद्यालय खुलवाने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्रीजी इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें। मैं आपको बिहार चलने के लिए आमंत्रित करता हूँ, बिहार में चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय बना हुआ है। 113 जगहें तय हो चुकी है, कुछ निर्माण हो गया है, पढ़ाई प्रारम्भ हो गई है। इसमें अतिरिक्त खर्च भी नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप इस पर अपने नजरिए से सोचिए और निश्चित रूप से इसको पूरे देश में फैलाकर काफी बड़े पैमाने पर प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और जन-शिक्षा को सफल बनाने की दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देते हुए, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, अपनी बात समाप्त करता हूँ।

**डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की माँगों पर चर्चा में भाग लेने हेतु आमंत्रित करने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, शिक्षा देश की विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और इसलिए इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की माँग एक महत्वपूर्ण माँग है। इन माँगों को सदन के अनुमोदनार्थ रखने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय सदस्यों से भी यह अनुरोध करूँगा कि इन माँगों का बिना किसी कटौती प्रस्ताव के समर्थन करें।

इस देश के लोगों को इस बात की पूरी उम्मीद है कि माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंहजी, जो कि एक अनुभवी तथा सक्षम व्यक्ति हैं, के सही मार्गदर्शन में, शिक्षा विभाग में व्यापक परिवर्तन हो सकेगा। इसी प्रकार से, मैं माननीय प्रधान मंत्रीजी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस विभाग पर इतना अधिक जोर दिया है, क्योंकि वह स्वयं भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। वे बहुत ही अनुभवी हैं और एक महान शिक्षाविद् भी हैं। इस कारण से हमें यह पूरी उम्मीद है कि हमें इस विभाग में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा।

शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा पर नई राष्ट्रीय नीति में हमने शिक्षा के अपने उद्देश्य को भी परिकल्पित किया है। शिक्षा की वर्तमान प्रणाली से लोगों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताएँ पूरी नहीं होतीं। इसलिए निम्नलिखित कसौटी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के लिए एक नए स्वरूप को खोजने की आवश्यकता है:—

"(I) इससे अधिकांश लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए।"

आज तक हम इस प्रक्रिया की उपेक्षा करते आए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग 50 प्रतिशत लोगों को यह सुविधा प्रदान की गई।

"(II) यह सही मायनों में विकासात्मक होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी अपनी योग्यताओं को तलाश कर सकें, उनका विकास कर सकें और उन्हें अनुशासित कर सकें।" विद्यार्थियों की योग्यताओं को जानना कठिन है एक विद्यार्थी की क्या योग्यता होती है? बच्चों की योग्यता का सही अर्थों में विकास किया जाना चाहिए, अन्यथा इसे परिपक्व नहीं किया जा सकता।

"(III) यह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित न्यूनतम मानदण्डों के अनुरूप होनी चाहिए।"

क्या आज तक शिक्षा में हमने कोई मानदण्ड अपनाया है? जी नहीं। ऐसा इसलिए है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। इसी कारण एक न्यूनतम मानदण्ड निर्धारित करना आवश्यक है।

"(IV) यह रोजगार के अवसरों से सुनियोजित रूप से जुड़ी होनी चाहिए।"

अब मै शिक्षा के व्यवसायोन्मुखन पर आता हूँ। उदाहरण के लिए, उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा राज्य में 11 करोड़ रुपया व्यय किया है। लेकिन राज्य सरकार ने शिक्षा को इस प्रकार व्यवसाय उन्मुख बनाना पूर्णत: बंद कर दिया। वहाँ इमारते है। वहाँ अध्यापक है। लेकिन जहाँ तक शिक्षा को व्यवसाय उन्मुख बनाने का संबंध है, उड़ीसा मे उसके तहत कोई भी विद्यार्थी दाखिल नहीं हुआ है। शिक्षा को व्यवसाय उन्मुख बनाने के मामले में उड़ीसा एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। यदि सरकार ने इसे संयुक्त क्षेत्र का कार्य माना है तो यह राज्य सरकार

[श्री पी.एम. सईद पीठासीन हुए]

की जिम्मेदारी है और यह केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी भी है। दोनों को आगे आना चाहिए। यदि राज्य सरकार अपना सहयोग नहीं देती है तो हम उसे इसमें कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए, राज्य सरकार से स्पष्टीकरण माँगना चाहिए कि उन्होंने अब तक अपना सहयोग क्यों नहीं दिया। (व्यवधान)... इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा)** : मानव संसाधन विकास से संबंधित इन महत्वपूर्ण माँगों पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

हमें इस सत्य का सामना करके बहुत दु:ख होता है कि पूरे विश्व में अशिक्षितों की संख्या का 50 प्रतिशत भाग हमारे ही देश में है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जनगणना के नवीनतम आँकड़े बताते हैं कि केवल हमारे यहाँ 52 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है। केवल इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहूँगा। केरल में हुए अनुभव से हमें काफी उम्मीद बँधी है। यदि जनता का सहयोग मिलता रहे तो निश्चय ही हम कुछ राष्ट्रीय लक्ष्यों को अधिक कुशलता से तथा कम समय में ही प्राप्त कर सकते हैं। केरल की जनता ने हमें संपूर्ण साक्षरता का रास्ता दिखाया है। यदि माननीय मंत्रीजी द्वारा अधिक धन उपलब्ध करवाया जाता है, तो निश्चय ही हम संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के मामले में आगे कदम उठा सकते हैं। केरल के अनुभव ने हमें न केवल साक्षरता की उम्मीद बँधाई है बल्कि वृक्षारोपण के संबंध में भी आशा दिलाई है। यदि हम इस कार्य में जनता को शामिल कर लें, युवाओं को शामिल कर लें तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल कर लें तो निश्चय ही हम इस दिशा में भी काफी प्रगति कर सकते हैं। यह एक कार्यक्रम है जिसमें हमने राष्ट्रपिता को खोने के बाद इस बात का ठोस उदाहरण दिया है कि यदि हमारे कार्यों में जनता का सहयोग है, यदि हमारे कार्यों में जनता शामिल है तो निश्चय ही हम और बड़े-बड़े लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि 'कापार्ट' ने विभिन्न संगठनों को काफी धनराशि आवंटित की है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या इन अनुदानों के उपयोग के संबंध में कोई जाँच की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करूँगा कि वह कृपया आवश्यक कदम उठाएँ और देखें कि इस बारे में कोई अध्ययन तथा जाँच की हो और आपके द्वारा प्रदान की गई निधि का सदुपयोग किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के संबंध में अभी मेरे माननीय मित्र ने अपनी बात कही है और मैं अब उसे दोहराऊँगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं यह कहूँगा कि हालाँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि हम वर्ष 1995 तक संपूर्ण साक्षरता प्राप्त कर लेंगे फिर भी इस बारे में मेरी अपनी शंकाएँ हैं। हम मंत्रीजी से इस बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे। इस संबंध में सरकार का मूल्यांकन क्या है? किस वर्ष तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे?

मैं माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंहजी से यह अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि वह कृपया मेरे निर्वाचन क्षेत्र विजयवाड़ा में एक विज्ञान केंद्र खोलने की मंजूरी दें। आंध्र प्रदेश सरकार और विजयवाड़ा नगर निगम

सरकार की अपेक्षाओं के अनुसार भूमि और कुछ धन राशि उपलब्ध कराने के लिए सहमत है।

**श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये (पणजी)** : महोदय, मैं मानव संसाधन मंत्रालय के अनुदान माँगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। माननीय मंत्री शिक्षा क्षेत्र के बुद्धिजीवी और अनुभवी व्यक्तियों में से एक हैं और वे शिक्षा, युवा, महिलाओं और बच्चों, कला, संस्कृति और खेल-कूद आदि क्षेत्रों में मानव शक्ति के विकास की आवश्यकताओं से भली भाँति अवगत हैं। उनके मंत्रालय के अधीन चार विभागों की विभिन्न गतिविधियों के लिए जो धन राशि का आवंटन नि:संदेह उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही है, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। माननीय मंत्री से मेरा केवल इतना अनुरोध है कि यह देखने के लिए कि उन लक्ष्यों की वास्तव में प्राप्ति हुई है या नहीं जिनके लिए धन खर्च किए जाते और ये धन-राशि पूरा किए गए लक्ष्यों के अनुपात में है या नहीं वे अपने मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा निरन्तर करते रहें। मुझे लगता है कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है जिससे स्तरीय शिक्षा का लाभ निर्धन व्यक्तियों एवं सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मिल सके।

अच्छी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ज्ञानी एवं प्रतिष्ठित नागरिक बनाना होता है जिससे कि उसमें अपने पैरों पर खड़े होने की योग्यता हो और वह एक सम्मानजनक जिन्दगी जी सके। चरित्र-निर्माण की इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसे शिक्षा में अपेक्षित स्थान दिया जाना चाहिए। यह बात जान लेनी चाहिए कि बेहतर शिक्षा राष्ट्र की प्रगति की आधार-शिला है और जब तक इसे मजबूत और चिरस्थाई नहीं बनाया जाता, इस पर टिकी कोई भी संरचना दृढ़ और सीधी नहीं होगी।

इसलिए, हमें चरित्र-निर्माण, राष्ट्रीय अखंडता, धर्म-निरपेक्षता, पर्यावरण और जनसंख्या की शिक्षा इत्यादि जैसे आधारभूत मूल्यों को बढ़ाने और उनके विकास पर विशेष जोर देते हुए समाज के सभी वर्गों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारी जनसंख्या के बहुत बड़े भाग, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक गतिविधियों की मुख्य-धारा में लाया जाए जिससे वे भी राष्ट्र की संपन्नता में अपना योगदान दे सकें। दुर्भाग्य से इस साल के बजट में इस पर से ध्यान हट-सा गया लगता है जबकि पिछले साल के बजट में इसका उल्लेख था।

**सभापति महोदय** : श्री चेतन पी. एस. चौहान।

**श्री चेतन पी. एस. चौहान (अमरोहा)** : शिक्षा के बारे में बहुत से वक्ता पहले ही बोल चुके हैं और खेलों पर चर्चा करने के बारे में अध्यक्ष महोदय ने जो वायदा किया था, उसे पहले ही मना कर दिया गया है, इसलिए मैं केवल खेलों पर ही बात करूँगा।

हमारे देश मे खेलों की बहुत उपेक्षा की गई है, हमारा देश गरीब हो सकता है, लेकिन प्राथमिकताएँ अलग-अलग होती हैं। लेकिन चूँकि मैं स्वयं भी एक खिलाड़ी रहा हूँ, इसलिए मैं उन समस्याओं का वर्णन करूँगा जोकि इस देश के खिलाड़ियों को झेलनी पड़ रही हैं।

मूल प्रश्न यह है कि जब भावी जीवन की, भविष्य की कोई गारन्टी ही नहीं है तो कोई युवा खेलों के प्रति ही समर्पित क्यों हो? इस देश मे किसी खिलाड़ी का खेलों में रुझान होने का एक मात्र कारण यह है कि उसे खेल से प्रेम हो जाता है। यदि कोई खिलाड़ी कुछ अति आधुनिक खेलों जैसे कि क्रिकेट, टेनिस, गोल्फ अथवा ऐसे ही कुछ अन्य खेलों को खेलता है तो उसके लिए रुपया-पैसा आदि सहायक सामग्री की व्यवस्था भी हो जाती है।

लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, मुख्य प्रश्न गारन्टी के बारे में है। इस सभा को मै एक और बात भी बताना चाहूँगा कि जैसा कि हम राष्ट्रीय चरित्र की बात करते है, क्षमता की बात करते है, अनुशासन की बात करते है और

मानव जाति की अन्य विशेषताओं की बात करते हैं, यह भी इसी तरह का एक क्षेत्र है। खेलों के क्षेत्र से ही व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है। अनुशासन, सहयोग, वफादारी, ईमानदारी, विश्वसनीयता और टीम-भावना जैसी विशेषताएँ यहीं से आती है। एक खिलाड़ी में यह सभी विशेषताएँ सहजता से आ जाती हैं। क्लब के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए खेलने की वफादारी खेलों से ही सीखने को मिलती है।

मुझे याद है कि जब मै देश के लिए खेला करता था और जब भी मैं खेलने के लिए जाता था तो मेरे मन में केवल एक ही बात होती थी कि हमें अपनी टीम के लिए और अपने देश के लिए अच्छी तरह खेलना है। हम अपने खिलाड़ी-साथियों से बात किया करते थे, टीम की बैठकें बुलाया करते थे और जब कभी हम बातचीत करते तो हम एक दूसरे को यही कहा करते थे कि हमें नैतिक बल ऊँचा रखना है, उन लाखों लोगों के बारे में सोचना चाहिए जोकि रेडियो पर हमारे खेल के बारे में सुनते हैं, टी.वी. पर हमें देखते हैं और जिन्हें खिलाड़ियों से उम्मीदें हैं।

मेरा सुझाव यह है कि हमें खेल के स्तर में सुधार लाना चाहिए क्योंकि किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में, भले ही वह एशियाई राष्ट्र-मण्डल खेल हों और ओलम्पिक तो बहुत ही दूर हैं— भाग लेकर हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। दूसरे कुछ देश, यहाँ तक कि छोटे देश भी जोकि विकासशील देश हैं और कुछ अर्द्धविकसित देश भी खेलों में हमारी अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन करते हैं।

प्रत्येक बार हमारे खिलाड़ी वापिस लौट आते हैं और जब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तो उनके लौटने पर काफी शोर शराबा होता है। इस समय खेलों के बारे में चर्चा करने वाला भले ही कोई रिक्शा वाला हो अथवा संसद में की जाए, तो हम केवल खिलाड़ियों को असफलता की ही बात करते हैं।

मैं कुछ ऐसी बातों और कठिनाइयों के बारे में सुझाव देना चाहूँगा जोकि मैंने स्वयं झेली हैं और जोकि खिलाड़ियों ने मेरे पास आकर समय-समय पर चर्चा कर मुझे बताई हैं।

मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि खेलों को विद्यालयों में एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा जाना चाहिए। क्योंकि अनिवार्य विषय बन जाने पर, विद्यालय जाने वाले प्रत्येक बच्चे को खेलों में भाग लेना पड़ेगा। मैं यह भी सुझाव दूँगा कि अनिवार्य विषय बनने के नाते इस विषय के लिए भी अंक निर्धारित किए जा सकेंगे और फिर अंकों के कुल योग में इन्हें भी जोड़ा जा सकता है।

इसके अलावा, मैंने रिपोर्ट भी पढ़ी है। मैंने यह पाया है कि इस देश के 67 प्रतिशत विद्यालयों के पास खेल के मैदान ही नहीं हैं जोकि एक बुरी बात है और इसलिए भी अच्छी नहीं कि इस देश में विद्यालयों की संख्या इतनी अधिक है। मेरा यह सुझाव है कि जब तक किसी विद्यालय में खेल का मैदान न हो, उसे मान्यता ही नहीं दी जानी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई बहुत बड़ा खेल का मैदान हो, पर कम से कम कुछ खेल सुविधाएँ तो होनी ही चाहिए भले ही सभी प्रकार के खेलों के लिए सुविधाएँ न हों, पर कुछ सुविधाएँ तो होनी ही चाहिए।

मैं एक और सुझाव देना चाहूँगा कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। इस समय ऐसे खिलाड़ियों की संख्या बहुत ही कम है। मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि गलियारों में अथवा इण्डिया-गेट पर खेलने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि की जाए। मैं इन लोगों को खिलाड़ी नहीं मानता। जो लोग खिलाड़ी के रूप में पंजीकृत है, और मान्यता प्राप्त है, केवल वे ही वास्तविक खिलाड़ी हैं। ऐसे पंजीकृत खिलाड़ियों और पंजीकृत क्लबों की संख्या में अवश्य ही वृद्धि की जानी चाहिए।

हमारे देश में जो स्पोर्ट्स-क्लब हैं, उनमें से अधिकांश के पास अपने खेल का मैदान नहीं है और जिनके पास खेल के मैदान है, तो वहाँ उन सुविधाओं का सदुपयोग नहीं हो पाता। मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि ऐसे प्रत्येक

स्पोर्ट्स-क्लब के पास सभी खेल सुविधाएँ होनी चाहिए। देखने में आता है कि इन स्पोर्ट्स-क्लबों के पास खेल सुविधाओं की अपेक्षा ताश और शराब पीने जैसी सुविधाएँ होती हैं।

इन खेल सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए मैं यह सुझाव दूँगा कि जिस खेल क्लबों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, उन्हें अपने खेल सदस्य बनाने चाहिए। ये खेल क्लब अपने खेल सदस्य बना सकते हैं। उन्हें क्लब के लिए वोट देने का अधिकार अथवा क्लब के अन्य अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन कम-से-कम वे क्लब द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का तो उपयोग कर सकते हैं।

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि खिलाड़ियों को केवल दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक तो खेलने की सुविधा तथा दूसरी खेल सामग्री की। यह भी देखा गया है कि इस समय अधिकतर खेल सामग्री बहुत महँगी होती जा रही है। यदि हम क्रिकेट की बात करें, तो एक अच्छे क्रिकेट के बल्ले की लागत 1200 रु. है। अब रियायती दर पर उपलब्ध उपकरण स्कूल, क्लबों तथा विश्वविद्यालयों को दिए जा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इससे खिलाड़ियों को खेल खेलने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

एक अन्य बात, जिसका मैं सुझाव देना चाहूँगा, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा है, खिलाड़ियों के दिमाग में जो मूल प्रश्न होता है वह यह है कि उनके भविष्य की क्या गारंटी है? यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इन्सान की युवावस्था समाप्त हो जाती है। उस समय तक खिलाड़ी खेल खेलने के काबिल नहीं रहते हैं और अपना कैरियर आरम्भ करने की उम्र पार कर लेते हैं। किसी अन्य कैरियर में चाहे वह राजनीति हो, शिक्षा हो, व्यवसाय अथवा किसी अन्य क्षेत्र में एक व्यक्ति अपना कैरियर 30 अथवा 35 अथवा 40 वर्ष के बाद भी आरम्भ कर सकता है; जबकि यहाँ एक व्यक्ति जिसने अपनी युवावस्था समाप्त कर दी हो, ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए, मैं सुझाव दूँगा कि खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। इस समय कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। लेकिन यह आरक्षण केवल चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए है। मैं यह सुझाव दूँगा कि द्वितीय श्रेणी अथवा तृतीय श्रेणी के स्तर पर भी आरक्षण होने चाहिए। मैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकारी विभागों से बातचीत कर रहा हूँ। उनके पास कोई अधिकार नहीं हैं। वे कहते हैं कि खिलाड़ियों की भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। यदि आरक्षण संभव नहीं है—शायद मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के कारण, क्योंकि उससे आरक्षण का प्रतिशत 49.5 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा—मैं सुझाव दूँगा कि इन सरकारी निकायों, सरकारी विभागों, सरकारी निगमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मार्गनिर्देश जारी किए जाएँ। इन मार्गनिर्देशों के आधार पर, वे खिलाड़ियों की सीधे भर्ती कर सकते हैं।

यह बहुत अच्छा है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। मैं यह सुझाव दूँगा कि उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन की सुविधा दी जाए जिन्होंने खेलों में सराहनीय कार्य किया है तथा अर्जुन पुरस्कार अथवा अन्य पदक प्राप्त किए हैं। हमारी पेंशन योजना उन लोगों के लिए है जो बीस अथवा पच्चीस वर्ष कार्य करते हैं। चूँकि खिलाड़ी भी अपना समय, अपनी युवावस्था की कुर्बानी करते हैं, इसलिए मैं सुझाव दूँगा कि उन्हें पूरे जीवन-काल के लिए 500 रु. प्रति माह की पेंशन दी जाए, जो कि खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन भी होगा।

अन्त में, मैं इस विभाग को आवंटित बजट के बारे में कुछ कहना चाहूँगा जिसे घटाकर 57 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पिछले सप्ताह, जब माननीय मंत्री महोदया अपना वक्तव्य दे रही थीं तो मैंने बीच में हस्तक्षेप किया था और सुझाव दिया था कि यदि वह इसे 1 रु. प्रति व्यक्ति बढ़ा दें, तो भी यह एक बहुत बड़ा योगदान होगा और यह बजट जो कि 57 करोड़ रुपए है, इसे कृपया खिलाड़ियों के लिए 85 करोड़ रुपए कर दें। मुझे कुछ और बातें

भी कहनी थीं लेकिन मैं उन्हें अगली बार के लिए छोड़ रहा हूँ।

सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

**सभापति महोदय** : श्री अमर रायप्रधान। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया चर्चा के मुख्य मुद्दों तक ही सीमित रहें और विस्तार से न बोलें। अन्य सदस्यों को भी बोलना है और माननीय मंत्रीजी को जवाब देना है।

**श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार)** : माननीय सभापति महोदय, मैं इस चर्चा में कुछ मुद्दों को प्रस्तुत करना चाहूँगा। वह शिक्षा को कुछ भी नाम क्यों न दें, चाहे वह इसे 'मानव संसाधन विकास' का ही नाम क्यों न दें, हमारा वित्त मंत्रालय नम्रता का रुख नहीं अपनाएगा। चाहे वह डॉ. मनमोहन सिंह हों अथवा श्री रामेश्वर ठाकुर, वे नम्रता का रुख नहीं अपनाएँगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही इसे अनुत्पादक माना गया है। वही स्थिति आज भी है। इसीलिए मानव संसाधनों के लिए बजट का प्रावधान कम-से-कम होता जा रहा है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि बच्चे देश का भविष्य हैं। वे कल के अभिभावक हैं। यदि आज हम उन पर खर्च नहीं करेंगे, तो कल पूरा राष्ट्र उसका परिणाम भुगतेगा। मैं यह सुझाव देता हूँ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को निधियों के आवंटन में प्राथमिकता दी जाए।

शिक्षा को व्यवसाय उन्मुख बनाने के संबंध में, जो कि एक स्व-रोजगार कार्यक्रम है, क्या आपने इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त की है? तीसरी पंचवर्षीय योजना से आप इस व्यवसाय उन्मुख शिक्षा पर बहुत जोर दे रहे हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? क्या आप बैंकिंग क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में इसके कुल परिणामों के बारे में बता सकते हैं तथा हमारे देश में कुल बेरोजगार युवाओं के संबंध में इसके परिणामों के बारे में बता सकते हैं?

**श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : सभापति महोदय, भारत के पास सबसे बड़ी संपदा मानवीय संपदा है और मानव संसाधन विकास विभाग का उद्देश्य भी मनुष्य की मानवीय क्षमता का, उनकी प्रतिभा का, उसके अन्तर्गत निहित उनकी सम्पूर्ण क्षमता का उसी रूप में विकास और विस्तार करना है। लेकिन मुझे यह कहते हुए आज क्षोभ और अफसोस हो रहा है कि मानव संसाधन विकास विभाग के बजट में उसकी सभी मदों में जितनी भी कटौती संभव है, करने की कोशिश की गई है।

श्रीमन्, इस देश में हमारी जनगणना के अनुसार साढ़े आठ करोड़ के करीब बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से गणना की गई, उसके अनुसार करीब 56 मिलियन बच्चे, जिनकी उम्र 16 साल से कम है, कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी दूसरे धंधे में लग गए हैं जो हमारे विधान और संविधान, दोनों के अनुसार निषिद्ध घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार करीब-करीब 18 मिलियन बच्चे निराश्रित हैं, उनकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं है और ऐसी हालत में बच्चों के विकास, उनकी शिक्षा, उनके व्यक्तित्व के विकास के ऊपर हमारा मानव संसाधन विकास विभाग कुछ खर्च न करे, यह बहुत आश्चर्य की बात है। हमने संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर 18 साल के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने का संकल्प किया, लेकिन आज आधी से अधिक आबादी निरक्षर है, यह एक चिन्ता का विषय है। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से विशेष आग्रह करना चाहता हूँ। कोठारी कमीशन 1964 और 1968 में नियुक्त हुआ था। उसने अपनी संस्तुति में बहुत ही क्रांतिकारी सुझाव दिया था और वह क्रांतिकारी सुझाव पड़ोसी विद्यालयों के बारे में है। नेबरहुड स्कूल की चर्चा आज भारत में करीब-करीब लुप्तप्राय हो गई है। एक क्षेत्र विशेष की स्कूली शिक्षा होनी चाहिए जहाँ राष्ट्रपति का भी लड़का पढ़े, एम.पी. का भी लड़का पढ़े, अधिकारी का भी लड़का और जहाँ भंगी का भी लड़का एक साथ पढ़े, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि इस देश में सामाजिक परिवर्तन की जो रफ्तार है, उसको तीव्र किया जा सकता है। एक तरह का संस्कार सभी वर्गों के बीच में हम पैदा कर सकते है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि जो पुराने हमारे देश में सुदामा-कृष्ण संस्कृति थी, उसी सुदामा-कृष्ण शिक्षा व्यवस्था का जो

लालू संस्करण है, उसको चरवाहा विद्यालय कहते हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि जब उसकी चर्चा हम करेंगे तो हमारे देश के अंदर जो पठित मूर्ख लोग हैं, उन पठित मूर्खों के चेहरे पर मुस्कान बिगड़ने लगती है। मैं कहना चाहता हूँ कि वही पड़ोसी विद्यालय है जिसकी चर्चा कोठारी कमीशन ने की थी, वही चरवाहा विद्यालय है। यह समझ का फेर है, बुनियादी चीजों को समझने की जरूरत है। जिस दिन इस देश के अंदर गरीब और अमीर का एक साथ पढ़ने का सिलसिला अनिवार्य रूप से शुरू हो जाएगा, एक सामाजिक परिवर्तन की रफ्तार इस देश में प्रारंभ हो जाएगी। उसी के साथ मैं चाहता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा एक समान मुफ्त और अनिवार्य होनी चाहिए। यदि इस दिशा में आपने बजट प्रस्तुत किया होता तो मेरी दृष्टि से लोगों के लिए समर्थन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता।

**श्री आनन्द अहिरवार (सागर)** : सभापति महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान माँगों पर इस सदन में हुई चर्चा के दौरान सदन के सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण और सामयिक सुझाव रखे हैं। मैं स्वयं को उन रचनात्मक सुझावों से जोड़ना चाहता हूँ। जिस पर अमल किए जाने से हमारी शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा और शिक्षा से रोजगार के अनुकूल अवसर मिल सकेंगे। रोजगार की मौजूदा निराशाजनक स्थिति में यह समय की माँग है कि शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान कर युवाओं, बेरोजगारों को भटकने की जगह हम उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में पहल करें।

संसद में जब-जब इस विषय पर चर्चा हुई तब-तब इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षा को और व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख बनाया जाए। लेकिन रोजगार मुहैया कराने के अनुपात में बेकारी बढ़ती गई।

सभापति महोदय, युवाओं और छात्रों के बीच से मैं आया हूँ। युवा होने के नाते मुझे इस वर्ग की पीड़ा का पूरा अहसास है और मैं जानता हूँ कि बेकारी की दुर्दशा ने उन्हें भटकने के लिए विवश कर दिया है। अल्फा, सिख स्टूडैन्ट फैडरेशन, फ्रंट खंड आन्दोलन से जुड़े युवा और 1973 से 1977 के बीच गुजरात और बिहार में हुए छात्र आन्दोलनों की पृष्ठभूमि का जब हम अध्ययन करते हैं और कारणों के अलावा इस वर्ग में सबसे ज्यादा असंतोष बेकारी जैसे सवालों को लेकर रहा है। मान्यवर, यह एक ऐसा सवाल है जिससे प्रत्येक घर प्रभावित हैं। मैंने रोजगार कार्यालयों में लम्बी कतार देखी हैं। मैंने रोजगार के अभाव में उन्हें अपने घरों में अभिभावकों के बीच अपमानित होते देखा है। मैंने देखा है कि इस निराशा से युवा आत्महत्या की तरफ अपनी सोच विकसित कर रहे हैं। गलत राह पर विवश हो रहे हैं। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसका कोई हल नहीं है।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं की तरफ जो खेल-कूद में विशेष योग्यता रखते हैं। सांस्कृतिक रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि होने से विशेष योग्यता प्राप्त ऐसे छात्र समुदाय, जो राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी-न-किसी रूप में ख्याति पाए हुए होते हैं, उन्हें उनके कार्य के अनुसार रोजगार मुहैया कराने की वचनबद्धता हो।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

**श्री सनत कुमार मण्डल** : शिक्षा का उद्देश्य अपनी यात्रा निचले स्तर से शुरू करना और सामाजिक समस्याओं और दशाओं का बोध कराते हुए लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता करना है। शिक्षा के इस सार्वभौमिक दृष्टिकोण का उपयोग आम नागरिक के फायदे के लिए किया जाना चाहिए। शिक्षा को ज्ञान और समझ को जागरूक बनाने में कार्यबल का कार्य करना चाहिए तथा इसे व्यक्तिगत रचनात्मक योग्यता विकसित करने में सहायक होना चाहिए। यदि असमानता दूर करने के लिए प्रत्येक को शिक्षा का अवसर सुलभ कराना ही पर्याप्त नहीं है, लक्ष्य तक पहुँचने के हेतु वातावरण तैयार करने के लिए भी सभी प्रयास किए जाने चाहिए। असमानताएँ दूर करने तथा समाज के कमजोर

वर्गों की शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के प्रयास होते रहने चाहिए। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा स्थिति आशावादी नहीं है। एक ओर तो हमारे पास विकसित भविष्योन्मुखी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है, जिनमें बड़े-बड़े शहरों में रहने वाले कुछ चुनिन्दा लोगों के बच्चों के लिए सभी प्रकार की नवीनतम सुविधाएँ उपलब्ध हैं; और दूसरी ओर समाज का बहुत बड़ा वर्ग, जो गाँवों में रह रहा है, छोटे स्कूलों में शिक्षा ले रहा है जिनमें न्यूनतम मूल सुविधाओं का भी अभाव है। शिक्षा के क्षेत्र में यह पूरे समाज का प्रतिबिम्ब है, जो शिक्षा नीति के संबंध में सरकार की असफलता को प्रदर्शित करता है।

**प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है। जैसा कि सभी ओर से कहा गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बजट प्रस्तावों के अन्दर जितनी धनराशि निर्धारित होनी चाहिए उसका सर्वथा अभाव रहा है। देश की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए और देश की आवश्यकताओं को देखते हुए सिर्फ तीन-चार प्रतिशत राशि रखी है, यह ऊँट के मुँह में जीरे के समान है।

मान्यवर, मानव सबसे बड़ा संसाधन है और कहीं वह मानव बन जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। किन्तु आज जिस प्रकार से मानव का अधोपतन हो रहा है भारत में रहने वाले लोग चाहे वे जातिवाद का शिकार हो रहे हों, चाहे सांप्रदायिकता का शिकार हो रहे हों, चाहे क्षेत्रवाद का शिकार हो रहे हों, चाहे आतंकवाद का शिकार हो रहे हों, चाहे बेरोजगारी का शिकार हो रहे हों, चाहे उग्रवाद का शिकार हो रहे हों या युवा आक्रोश पनप रहा हो या चारों ओर असंतोष की काली घटाएँ विखण्डन और राष्ट्र के विघटन की प्रवृत्ति जन्म ले रही हो, इन सबके पीछे एक मात्र कारण है कि जिस मानव का निर्माण होना चाहिए शिक्षा के माध्यम से, वैसे मानव का निर्माण नहीं हो रहा है। प्रारम्भ में किशोरावस्था से ही, बाल्यावस्था में बालक में जैसे संस्कारों का बीजारोपण होना चाहिए उन संस्कारों का विकास करने का शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में अवसर उपलब्ध होना चाहिए वह हम सब कुछ करने के बावजूद उसमें असफल रहे हैं। परिणाम यह है कि शिक्षा के बारे में यह कहा जाता है :

निकले हैं कहाँ जाने के लिए, पहुँचेंगे कहाँ यह मालूम नहीं।
इन राहों में भटकने वालों को, मंजिल की दिशा मालूम नहीं॥

**श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई)** : मुझे केवल कुछ मिनट के लिए बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ।

प्रारम्भ में मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रीजी का आभारी हूँ कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित विद्यासागर ग्रामीण विश्वविद्यालय को पर्याप्त मात्रा में निधि प्रदान की है।

पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की यह उनकी पुण्यतिथि का शताब्दी वर्ष है। वह केवल बंगाल के ही नहीं बल्कि भारत के भी उन्नीसवीं शताब्दी के नवजागरण के एक महान प्रवर्तक थे।

विश्वविद्यालय द्वारा पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की पुण्य तिथि का शताब्दी वर्ष मनाने के लिए एक समिति बनाई गई है। उन्होंने विश्वविद्यालय में बंगाली साहित्य में पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के नाम पर एक पीठ की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है।

मैं माननीय मंत्रीजी से पीठ के सृजन के लिए पर्याप्त निधि प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। परन्तु संबंधित व्यक्तियों को कार्य संचालन के लिए दिल्ली आना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना राज्यों में ही की जाए।

ग्रामीण खेलों को वरीयता दी जानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि 'नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा' को अपना और विकास करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा।

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे विभाग की अनुदान माँगों पर चर्चा करने के लिए इस सभा को चर्चा करने का अवसर दिया है। यह संयोग ही है कि इस विभाग का कार्यभार मेरे पास है परन्तु वास्तविकता यह है कि आपने ही इस सभा में इस पर चर्चा करने की सहमति बनाई है ताकि देश जान सके कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभाग से संबंधित मुद्दों के बारे में सभा के क्या विचार हैं।

मैं आपका इसलिए भी आभारी हूँ कि शुरुआत में ही यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि इस चर्चा में खेलकूद, महिला और बाल विकास विषयों पर विशेष जोर दिया जाएगा और राष्ट्रीय गतिविधि के इन दो क्षेत्रों के प्रति आपकी गहन चिन्ता स्पष्ट है और जिन पर कि निश्चित रूप से माननीय सदस्यों को और देश में भी सर्वोच्च वरीयता दी जानी चाहिए।

कई माननीय सदस्यों ने मेरे प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है और उन्होंने यह भी बताया है कि वे मानव संसाधनों को देखना नहीं चाहेंगे बल्कि मंत्रालय के उन वित्तीय संसाधनों को देखना चाहेंगे जिन्हें इस समय उपलब्ध प्रतिशत से अधिक बढ़ाया जाना है। संभवत: कोई भी नहीं, सिवाय एक अत्यन्त विद्यमान प्राध्यापक के, जो इस सभा की एक अत्यन्त जानी-मानी समस्या है और वह हैं श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य, जो इस मामले को अत्यन्त स्पष्ट रूप में रख सकती थीं, जैसा कि उन्होंने मेरी सहयोगी कुमारी ममता बनर्जी, जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, के बारे में टिप्पणी करके दिखाया हैं। परन्तु मेरे विचार से उन्होंने यह टिप्पणी मेरे लिए भी की थी और इसीलिए मैं उनकी टिप्पणी को उद्धृत करना चाहूँगा। जो कुछ भी उस दिन कुमारी ममता बनर्जी ने कहा था, उससे उनकी यह धारणा बनी कि उन्होंने एक पुराने अमरीकन गीत से उद्धरण दिया था— मैं नहीं जानता कि एक अमरीकी गीत ने उन्हें कहाँ आकर्षित किया लेकिन जो शब्द उन्होंने हमें यहाँ सुनाए थे वे बहुत अर्थपूर्ण थे। उन्होंने कहा "आई वुड, इफ आई वुड बट आई एम नॉट" (मैं करूँगी, यदि में कर सकी लेकिन मैं नहीं कर सकती)।

**श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर)** : यह अमरीकी सरकार की नीति के संदर्भ में कहा गया है न कि अमरीकी लोगों अथवा उनके गीतों के संदर्भ में।

**श्री अर्जुन सिंह** : ठीक है, चाहे वह अमरीकी गीत के संदर्भ में है अथवा अमरीकी लोगों के संदर्भ में है, कम-से-कम वह आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन चूँकि इसने आपका ध्यान आकर्षित किया है आपने इस सभा में कहा है, मैं समझता हूँ कि आप स्वयं यह कहना चाहती थीं कि मैं करूँगी, यदि मैं कर सकी, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे सम्मानित साथी श्री मनमोहन सिंह ने धनराशि का आवंटन नहीं किया है। लेकिन, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि मैं नहीं कर सकता पर समाप्त नहीं कर दूँगा, मैं इसे आपकी अनुमति से समाप्त करूँगा तथा सभा में सभी पक्षों से मिल रहे समर्थन के कारण मैं कोशिश करूँगा और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि यह खोखला वचन नहीं है। जिस समय आवंटन को अन्तिम रूप दिया जा रहा था मुझे यह लग रहा था कि तैयार होने वाला प्रारूप ऐसा था कि किसी कारण से अथवा अन्यथा, इस विभाग के क्रियाकलापों के लिए आवंटित की जा रही राशि में कुछ कमी की गई थी। मैं प्रधान मंत्री, योजना आयोग तथा वित्त मंत्री के साथ दोनों मौखिक तथा लिखित रूप में निरन्तर बातचीत कर रहा हूँ और मैं इस सभा को आश्वासन देने की स्थिति में हूँ कि जैसे ही संसाधनों

में कोई वृद्धि की जाएगी— जो कि उम्मीद है कि की जाएगी— इस विभाग को सबसे पहले उस वृद्धि का लाभ मिलेगा।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम)** : मैं समझता हूँ कि यहाँ कटौती प्रस्तावों से अधिक वृद्धि के प्रस्ताव होंगे।

**श्री अर्जुन सिंह** : जहाँ तक कि कटौती प्रस्तावों का संबंध है, मुझे विधान सभा में इसका काफी अनुभव है। जब मैं विपक्ष में था तब मैं भी कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किया करता था। मुझे बहुत निराशा होती थी जब मंत्री महोदय जवाब देते समय कटौती के चार प्रस्ताव उठाकर उन पर काफी लम्बे जवाब देते तथा अन्य कटौती प्रस्तावों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। निःसन्देह, इस सभा में सभी सदस्य बोल नहीं सकते हैं। इसलिए कुछ लोग, जिन्हें बोलने का अवसर मिलता है वे सहज ही अपने कटौती प्रस्तावों पर बोलते हैं। वे अन्य लोगों के कटौती प्रस्तावों पर नहीं बोले। मैंने इस चतुराई के बारे में इसलिए उल्लेख नहीं किया है क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, बल्कि मुझे यह विश्वास है कि पूर्ण लोकतंत्रात्मक प्रणाली, ज्ञान तथा जानकारी को आपस में बाँटने के नियम पर आधारित होती है। यदि हमें सभा का सदस्य होने के नाते जानकारी दी जाती है तो सभा के अन्दर हमारा कार्य तथा जनता के प्रतिनिधि के रूप में हमारा कार्य अपने आप ही बेहतर होगा। इसीलिए मैं उसी प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहूँगा जिसको मैंने वहाँ आरम्भ किया था। मैं सभा को यह सूचित करना चाहूँगा कि जिन सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए है तथा जिनको अगले पखवाड़े तक उन्हें सभा में उठाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को उनके कटौती प्रस्तावों में उल्लिखित मदों पर जहाँ तक सम्भव होगा, एक लिखित जवाब भेजूँगा ताकि उनको इस बारे में जानकारी मिल सके।

इसलिए, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरा साथ दें। मैं यहाँ सभा में इस स्थिति में नहीं हूँ कि उन मुद्दों पर पर्याप्त रूप से तथा उनकी संतुष्टि के अनुरूप बातचीत करूँ जिन पर कि उन्होंने यहाँ अपने विचार अभिव्यक्त किए जो कि प्रत्यक्ष रूप से एक घटना अथवा एक विशिष्ट चीज से जुड़े हुए हैं। निश्चय ही, मैं नीति के व्यापक मुद्दों तथा चिन्ता के विशिष्ट विषयों पर ही बातचीत करूँगा। मैं विशेष मुद्दों पर ही बातचीत करूँगा। मैंने उन सबको ध्यान में रखा हुआ है। मैं आपको उस बारे में लिखित रूप में भी दूँगा तथा यदि आप समझते हैं कि किसी सूचना की कमी है, तो मैं आपके द्वारा यह बताए जाने पर उसको महत्व दूँगा तथा इस संबंध में आपको पूर्णतः संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा।

महोदय, चूँकि आपने खेल तथा महिला तथा बाल विकास को विशेष जोर देने के लिए चुना है, इसलिए मैं खेलों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। आपको याद होगा कि पिछले सत्र में भी मैंने ऐसा ही अनुरोध किया था और फिर भी, आपके द्वारा पूरी कोशिशों के बावजूद भी ऐसा नहीं हो सका।

**अध्यक्ष महोदय** : इस वर्ष भी, क्योंकि आप इस विषय को देख रहे हैं, इसलिए यह मामला उठाया गया है।

**श्री अर्जुन सिंह** : नहीं महोदय, यह आपके कारण है।

मैं निश्चय ही इस बारे में बहुत उत्सुक था क्योंकि मैं भी इस देश के नागरिकों में से एक हूँ जो कि बहुत निराशा तथा दुःख महसूस करते है जबकि राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई घटना होती है, तथा हम टेलीवीजन सैट से चिपक कर बैठ जाते हैं और अन्त में परिणाम ऐसे होते है कि जो शायद हमें हतोत्साहित कर देते है। लेकिन यह सत्य भी है कि हम टी.वी. सैट के करीब तभी जाते है जब कोई विशेष कार्यक्रम होता है। यह एक सत्य है कि खेल भी एक क्रिया है जो कि आवधिक अथवा तदर्थ नहीं हो सकती है। भारत जैसे बड़े देश में, यह एक ऐसी क्रिया

है, जिसे ठीक निचले स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक कायम रखना है। किसी कारण से अथवा अन्यथा ऐसा नहीं हुआ अथवा ऐसा बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से हुआ है जिसके कारण मैं समझता हूँ कि खेल के क्षेत्र में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है।

जो क्रियाकलाप इसके अन्तर्गत आते हैं वह बहुत व्यापक हैं। मेरी साधारण राय में जिसके लिए यह कहना गलत है कि एक विभाग, एक प्राधिकरण, एक सरकार उससे प्रभावी ढंग से निपट सकती है। इसमें राज्य सरकारें, विभिन्न अन्य एजेन्सियाँ शामिल हैं और जो कुछ महत्वपूर्ण है और जो प्राथमिकताएँ हैं, उन पर समग्र रूप से विचार करना आवश्यक है। एक बार आपका यह विचार बन जाता है तो आपको नीति तैयार करनी होती है और यही कारण है कि मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप सभा को अपना परामर्श देने की अनुमति दें।

अनेक माननीय सदस्यों ने इस बारे में बहुत स्पष्टवादी वक्तव्य दिए हैं। यहाँ कुछ सदस्य स्वयं भी खेल जगत की बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं। मैं आपको केवल यह आश्वासन दूँगा कि जो कुछ भी यहाँ कहा गया है वह मामले का अन्त नहीं है। जो कुछ भी विचार आपके द्वारा व्यक्त किए गए हैं, उन पर हमारे द्वारा न केवल ध्यान दिया जाएगा बल्कि जैसे ही यह सत्र समाप्त होगा, हम इस विषय पर बातचीत आरम्भ करेंगे—अथवा शायद इससे पहले राज्य सरकारों, अन्य खेल प्राधिकरणों, अन्य संघों तथा जो भी इसमें शामिल हैं उनसे बातचीत शुरू करेंगे। बातचीत का आधार वही होगा जो कि आपने सभा में कहा है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य यह देखना होगा कि इसे खेलकूद सम्बन्धी नीति में कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है और इसके फलस्वरूप विश्व में इस देश का प्रदर्शन कैसा होगा। मैं आशा करता हूँ कि मानसून सत्र में मिलने से पहले मैं सभा में एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकूँगा। मुझे उम्मीद है जो कि इस विषय में आपकी चिन्ता तथा आपकी राय को व्यक्त करेगा।

जहाँ तक कि महिला तथा बाल विकास के प्रश्न का संबंध है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रत्येक घर तथा प्रत्येक परिवार प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। हम उस राय को व्यक्त करने की कोशिश नहीं कर सकते जो कि इस देश की अनेक शताब्दियों से विकसित महिला तथा शिशु की, परिवार में, समाज में तथा देश में केन्द्रीय स्थिति की प्रकृति से मेल न खाती हो। जैसा कि श्रीमती मालिनीजी ने कहा है, मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि यहाँ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जिनमें पूर्णतः कुप्रथाएँ लागू हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत दुःखद सत्य हमारे सामने आते हैं, जहाँ समाज महिला तथा बच्चों से न केवल अनुचित व्यवहार ही करता है बल्कि उल्टे मनुष्य की दृष्टि से भी नहीं देखता है। अब, हम चुप रहकर यह सब नहीं होने दे सकते और इसलिए वर्षों से, पिछले 45 वर्षों में इस देश की महिलाओं को सुरक्षा, संरक्षण तथा अधिकार देने की कोशिश की गई है। ताकि वे न केवल राष्ट्र-निर्माण के क्रियाकलापों में ही अपनी भूमिका अदा कर सकें बल्कि एक व्यक्ति विशेष के रूप में भी सम्मान अर्जित कर सकें तथा इस देश का नागरिक होने के नाते उन्हें सभी अधिकार मिल सकें। जो नहीं हो सका है, इस बारे में हम जानते हैं, लेकिन कोशिश जारी है और इस प्रयत्न में सरकार का हाथ नहीं है। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, जैसा कि आप जानते है कि इस प्रयत्न के लिए प्रेरणा जनता से मिलती है तथा मुझे विश्वास है कि वह प्रेरणा ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगी जहाँ इस प्रकार की शिकायतों से न केवल प्रभावपूर्ण तथा निवारक तरीके से निपटा जाएगा बल्कि अन्ततोगत्वा उन्हें होने ही नहीं दिया जाएगा। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए तथा यही हमारी कोशिश होनी चाहिए।

समय-समय पर जो सुझाव दिए गए थे उनमें से कुछ को कार्यान्वित कर दिया गया है। उदाहरण के लिए इस बात की आवश्यकता को महसूस किया गया था कि महिलाओं के अधिकारों के लिए एक आयोग होना चाहिए। इसमें कुछ विवाद था क्योंकि एक राय यह भी थी कि महिलाओं के अधिकारों के लिए एक आयुक्त होना चाहिए। पिछले सत्र में इससे सम्बन्धित अनेक प्रश्न

पूछे गए थे, माननीय सदस्यों ने यह महसूस किया था कि दोनों चीजों को कार्यान्वित किए जाने की स्थिति में विरोध होगा। तब मैंने माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दिया था कि इस अधिनियम को लागू किया जाएगा और आयोग की नियुक्ति की जाएगी और इसकी नियुक्ति की गई है। आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में जो शंकाएँ बनी हुई हैं, उनके बारे में हमने निर्णय किया है कि जो आयोग नियुक्त किया है, वह स्वयं इस बात पर विचार करेगा कि क्या किया जाना है और हम आयोग की राय तथा परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे।

महोदय, दीदी यहाँ नहीं हैं। उन्होंने इस मामले में बहुत भावपूर्ण तरीके से हस्तक्षेप किया था तथा कहा था कि यह आयोग शायद उस तरह से कार्य नहीं कर सकेगा जैसी कि कल्पना की गई थी। यदि वह सभा में होती तो मैं उन्हें बताता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इस अधिनियम को पास करते समय जो कुछ भी कहा गया था, वह किया जाएगा। स्वयं सरकार ने इस आयोग को प्रभावी आयोग बनाने की जो जिम्मेवारी ली है, उससे बचने का प्रश्न ही नहीं उठता।

महोदय, एक और शंका भी व्यक्त की गई कि हम उन बच्चों के बारे में क्या करने का प्रयास कर रहे हैं जिनका शोषण किया जा रहा है और जिनके हित के लिए कोई स्पष्ट नीति अथवा कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया। बाल मजदूर, निराश्रय, नशा करने वाले आदि भारत के फूल जैसे ऐसे ही दुर्भाग्यपूर्ण बच्चे हैं जोकि यद्यपि मेरे विभाग का इन बातों से सीधा संबंध नहीं है, सम्माननीय सभा को मैं यह सूचित कर सकता हूँ कि इस बारे में सरकार को केवल गहरी चिन्ता ही नहीं है, अपितु कल्याण मंत्रालय और श्रम मंत्रालय द्वारा विशिष्ट परियोजनाएँ भी आरम्भ की गई हैं।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा)** : महोदय, क्या मैं एक स्पष्टीकरण की माँग कर सकता हूँ? जब हमें इस बात का पता चला कि बाल मजदूरी के निवारण संबंधी संयुक्त राष्ट्र अनुबंध पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए तो हमारा सिर शर्म के मारे झुक गया। क्या आप इस बारे में आश्वासन दे सकते हैं कि आप ऐसा करने हेतु कार्रवाई करेंगे और वास्तव में इस बात का पता लगाकर इसे वास्तविक रूप दिलाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएँगे?

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इस मामले का कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं श्रम मंत्री को इस तथ्य से अवगत करा दूँगा और मुझे विश्वास है कि वे इस पर प्रतिक्रिया करेंगे तथा इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

दूसरी बात जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, वह संस्कृति के बारे में है। मैं शिक्षा में संस्कृति को अधिक वरीयता दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि सभा इस बारे में मुझसे सहमत होगी कि किसी भी समुदाय अथवा राष्ट्र की सांस्कृतिक रूपरेखा ही अन्ततः इसके समूचे ढाँचे को अवधारित करती है। यह हमारा सौभाग्य है कि विगत कई शताब्दियों से देश में हो रही अत्यधिक उलटफेर के बाद भी, इस देश की संस्कृति को सुरक्षित रखा गया है, इसे कायम रखा गया है और यहाँ तक कि इस देश के लोगों में इसका विकास किया है। भले ही कुछ सरकारें भारतीय संस्कृति की मौलिक अवधारणा के विपरीत ही क्यों न रही हों, इस देश के लोगों ने भारत की संस्कृति को पोषित किया, उसकी सुरक्षा की और उसको बढ़ाया है। इसलिए, मेरे विचार से देश की सांस्कृतिक रूपरेखा की प्रत्येक बात का अपेक्षाकृत काफी अधिक महत्व है और वास्तविक शिक्षा केवल तभी आ सकती है जबकि हमें अपने सांस्कृतिक ढाँचे की सही समझ हो। सरकार कोई भी रही हो, इस पर मैं बारीकी में नहीं जाना चाहता, लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ है?

लेकिन एक प्रयास अवश्य हुआ है कि हमें अपने देश की सांस्कृतिक छवि के बारे में एक केन्द्रीय विचारधारा अपनानी चाहिए। कम-से-कम एक सर्वसम्मत धारणा तो हमें अवश्य ही बना लेनी चाहिए कि देश की इस सांस्कृतिक छवि को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है और किस तरह से उसका विकास किया जा सकता है। सम्पन्न भारतीय संस्कृति में से फूटने वाली विचारधाराएँ इतनी विविध हैं, इतनी विभिन्न और अपने-अपने महत्व में इतनी दूरभाषी हैं कि मेरे विचार से भारत में और विदेशों में किसी भी व्यक्ति के लिए यह कहना संभव नहीं है कि भारतीय संस्कृति की सही परिभाषा क्या है? यही हमारे बहुसंख्यक समाज की विचारधारा है। हमारी आस्थाओं का और यहाँ तक कि हमारे अतीत के विश्वासों का प्रतीक है। हमारे जीवन में ये बातें किस तरह से परिलक्षित होती हैं, किस तरह से इनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और किस तरह से हम यह देखना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर का मानवीय तत्व इस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के भीतर मुरझा जाता है अथवा खिल उठता है जिसमें वह रहता है। इसलिए मैं यह कहूँगा कि भारत की सांस्कृतिक छवि ऐसी होनी चाहिए जोकि साम्प्रदायिकता, संकीर्णता और तंग विचारधारा से परे हो और जोकि अनिवार्यत: मानवीय हो, धर्मनिरपेक्ष हो, दूरदर्शी हो और उदार हो ताकि उसमें केवल इस देश की हजारों वर्षों की अच्छी बातों का ही समावेश न हो अपितु उसमें इस तरह की क्षमता होनी चाहिए कि हमारी संस्कृति की द्योतक सभी बातों को परिलक्षित कर सके। अलगाववाद और विभाजन जैसी बातों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। यदि ऐसा कोई प्रयास किया जाता है अथवा प्रतिगामी, सामाजिक अथवा राजनैतिक मनोवृतियों को परिलक्षित किया जाता है तो मेरे विचार से अपनी मातृभूमि पर गर्व करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी प्रतिगामी प्रवृत्तियों के विरुद्ध आवाज उठानी होगी और यदि आवश्यक हुआ तो अपनी पूरी शक्ति और मनोबल के साथ उनके विरुद्ध लड़ना होगा।

कुछ बातों को विशेष तौर पर उठाया गया है। इसलिए उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। यह कहा गया है कि इस देश की लोक संस्कृति और जनजातीय संस्कृति को संरक्षण नहीं मिल रहा है और इसका अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है और इस संबंध में जो धनराशि आवंटित की गई है इससे शायद सरकार की मनोवृत्ति परिलक्षित होती है। मैं हर बार एक ही बात को दोहराना नहीं चाहता। मैं सभा को केवल यह सूचित करना चाहूँगा कि लोक संस्कृति और जनजातीय संस्कृति का विकास करना ही उन्हें अस्तित्व प्रदान करना नहीं है। केवल इसका ही विकास नहीं किया जा सकता। इस तरह से हम कोई अकेला कार्यक्रम नहीं अपना सकते और ऐसा करने से तो इनका अंत हो जाएगा। कृपया किसी एक मद अथवा दूसरे मद के अंतर्गत बजट संबंधी आवंटन से ही सरकार के प्रयास और ईमानदारी को न आँकिए। वास्तविकता यह है कि सांस्कृतिक क्षेत्र के किसी भी कार्यकलाप में यदि इस देश की जनजातीय तथा लोक संस्कृति को हृदयंगम नहीं किया जाता तो उस कार्यकलाप का कोई अर्थ ही नहीं है।

आपने 'इंदिरा गाँधी सेन्टर ऑफ आर्ट्स' का उल्लेख किया है। मैं जानता हूँ कि कभी-कभार इस केन्द्र का विचार बहुत से लोगों को अनावश्यक कारणों की वजह से पसंद नहीं आता। मैं इस केन्द्र के कार्यकलापों की एक संक्षिप्त रूपरेखा आपको देना चाहूँगा और यह बताना चाहूँगा कि जो कुछ आप स्वयं जिस ढंग से चाहते थे, उन सभी बातों का किस तरह से प्रत्यक्ष समावेश इसमें किया गया है। यद्यपि इस सेन्टर का नाम श्रीमती इंदिरा गाँधी के नाम पर रखा गया है, जोकि सही भी है तथापि यह केन्द्र केवल श्रीमती इंदिरा गाँधी की विचारधारा और उनके जीवन के कार्यों से ही सम्बद्ध नहीं है। स्पष्टत: श्रीमती इंदिरा गाँधी ही उस समय देश की प्रधान मंत्री थीं। लेकिन प्रधान मंत्री होने के अलावा, उनमें एक सच्चे भारतीय के सच्चे मानवीय गुणों की क्षमता कूट-कूट कर भरी थी। महोदय, उनके नाम पर रखे गए इस संस्था का अधिकार-पत्र बहुत ही व्यापक है।

मैं केवल आपको यह सूचित करना चाहता हूँ कि इस अधिदेश में केवल समकालीन संस्कृति का संरक्षण और विकास करना ही शामिल नहीं है, इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों, जो कि केन्द्र के कार्यकलापों को स्वयं देखने में वास्तव में इच्छुक है, से मेरा अनुरोध है कि हम इसके निदेशक श्रीमती कमला वात्सायन जोकि स्वयं भी एक महान संवेदनशील व्यक्तित्व की महिला हैं, से अनुरोध करेंगे कि वे आपको केन्द्र दिखाएँगी और वहाँ जाने पर आप यह देखेंगे कि यह संस्था देश के लिए, आप लोगों के लिए किस तरह की परम्पराओं का सर्जन कर रही हैं। वहाँ आपको संगीत, कला, दृश्यकला और विभिन्न कलात्मक वस्तुएँ उच्च कोटि की देखने को मिलेंगी जोकि हमारी भावी पीढ़ी एक सौ वर्ष बीतने तक खो बैठती और फिर हममें से शायद ही कोई जानता कि भारत के पास किसी समय इतनी मूल्यवान उत्कृष्ट कलाएँ थीं। वहाँ एक ग्रन्थालय का भी निर्माण किया जा रहा है। विश्व के किसी भी देश में घटित होने वाले हर प्रकार के कार्यक्रमों के चित्र इस संस्था में रखे जा रहे हैं। देश की लोक तथा जनजातीय कला संबंधी वृत्तचित्र भी इसमें रखे हैं। भावी पीढ़ी आएगी और चली भी जाएगी किन्तु शायद इतिहास की ताकत, समय की ताकत हमारे स्मृति-पटल से इन बातों को दूर नहीं कर सकेगी कि कुछ समय पहले क्या-क्या होता रहा है?

इस देश में क्या-क्या होता रहा है? प्रत्येक देश में क्या-क्या होता रहा है? यह केन्द्र लोक तथा जनजातीय कला पर तैयार कर रहे वृत्तचित्र के द्वारा इस देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख रहा है।

अत:, मेरा यह अनुरोध है कि जब भी आप सफलता का आकलन करें तो घटनाक्रम के पूरे दृश्य को सामने रखें और यदि फिर भी किसी वस्तु की कमी है, तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि हमारा यह कहने का बिल्कुल इरादा नहीं है कि हमने ही सब कुछ किया है और कुछ भी किया जाना शेष नहीं है। और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आपके विचार और आपके सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। मैं इस समस्या को हल करूँगा। लेकिन पहले आप एक बार केन्द्र देख आएँ।

अब मैं शिक्षा के बारे में बोलूँगा, जो कि स्पष्टत: एक ऐसा विषय है जिस पर प्रत्येक माता-पिता का अपना ही दृष्टिकोण है। इसलिए जब कोई यह कहता है कि शिक्षा पर बहुत से दृष्टिकोण हैं, तो बहुत से लोग बहुत-सी बातें और सुझाव देने लगते हैं।

सर, मनमोहन सिंहजी ने कहा, आमूल परिवर्तन करने की बात कही जाती है। यह कौन कहता है— आमूल परिवर्तन? पेरेंट्स कहते हैं, आम लोग कहते हैं, तो इस आवाज को हमें एक ऐसी आवाज नहीं समझना चाहिए, सब उस नाटशाह इस लिए कह रहे हैं क्योंकि मेरा बच्चा इन्वॉल्व्ड है, मेरा पोता या पोती इन्वॉल्व्ड है, इसलिए मैं भी शिक्षा के बारे में अपनी नजर बनाता हूँ। कोई बड़ा है, छोटा है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है और जब वह दृष्टिकोण हम अपना बनाते हैं और उसको व्यक्त करते हैं तो स्वाभाविक है कि बहुत-सी चीजें सामने आती हैं और कभी-कभी यह मुश्किल हो जाती है कि हम किस चीज को स्वीकार करें और किस चीज को स्वीकार न करें। इसलिए आवश्यकता होती है कि समय-समय पर एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण बनाने की कोशिश की जाए, उसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण का समावेश हो, व्यक्तिगत आधार को नजरअन्दाज न किया जाए, लेकिन एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी बनना चाहिए और यह हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आजादी के बाद से इस महत्वपूर्ण विषय पर ऐसे-ऐसे बड़े विद्वानों ने विचार करके अपनी राय दी है जो इस देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉ. कोठारी, अनेकों ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने समूचे देश के

शैक्षिक जगत के बारे में न केवल अपने अनुभवों से, बल्कि सारे राष्ट्र के दृष्टिकोण से अपनी बातें सोची हैं, उनको कहा है, वह आज हमारे पास विद्यमान हैं, यह हमारा सौभाग्य है और हम उनमें सीख सकते हैं, उनसे ले सकते हैं और उसके ऊपर नई इमारत बना सकते हैं। यही 1986 के नेशनल पॉलिसी ऑफ एजूकेशन ने किया है, जब स्वर्गीय श्री राजीवजी ने इस नेशनल पॉलिसी ऑफ एजूकेशन को बनाने के लिए सारे राष्ट्र में एक चर्चा का आह्वान किया, एक डिबेट हुआ, उस वक्त भी यह आलोचना की गई थी कि कई दफा शिक्षा नीति बन चुकी, बिगड़ चुकी सुधर चुकी, अब राजीवजी कौन-सी नई बात कहने वाले हैं। मैं केवल आपको स्मरण दिला रहा हूँ यह बात हुई थी लेकिन राजीव जी ने उस वक्त यही कहा था कि शिक्षा की नीति कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती है, एक बदलते हुए समाज के लिए इसकी सार्थकता, उपयोगिता और इसका स्वरूप तीनों बदलते रहेंगे, आवश्यकता इस बात की है कि हम तीनों का आकलन करके एक मापदंड बना सकें और वह मापदंड राष्ट्र का मापदंड हो।

सर पॉलिसी ऑफ एजूकेशन, केवल दो-तीन पैराग्राफ मैं इसलिए कोट करना चाहता हूँ ताकि वह सही परिवेश में, बैकग्राउंड में, कॉंटेक्स्ट में, हम आगे की बात कह सकें, मैं उसे कोट कर रहा हूँ :

मैं "शिक्षा नीति : पृष्ठभूमि सन्दर्भ" 6 से उद्धृत करता हूँ :

> "हरेक देश अपनी अनूठी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करने और उसे बढ़ावा देने तथा समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी शिक्षा पद्धति विकसित करता है। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्रता के बाद के भारत में शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास 'सामान्य नागरिकता और संस्कृति के मान" को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय अखण्डता को सशक्त बनाना था।
>
> "राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढाँचे पर आधारित होगी जिसमें अन्य लचीले घटकों सहित एक सामान्य सार शामिल हैं। सामान्य सार में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक अनिवार्यताएँ और राष्ट्रीय पहचान को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य आवश्यक विषय शामिल होंगे। ये तत्व विषय संबंधी परिधि की सीमाएँ तोड़ेंगे और भारत की सामान्य सांस्कृतिक विरासत, समतावाद, लोकतंत्र और धर्मनिपेक्षवाद, लिंग भेद समाप्त करने, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक बाधाओं को दूर करने, छोटे परिवार के मानदण्ड का पालन करने और वैज्ञानिक मन:स्थिति को समझने जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए जाएँगे, सभी शैक्षिक कार्यक्रम लोकतान्त्रिक मूल्यों का कड़ाई से पालन करते हुए चलाए जाएँगे..."

इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिपादित की गई है। इस बारे में मैं एक बात कहूँगा। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूँ कि तब से जो काम होने चाहिए थे वे सब ईमानदारी से किए गए हैं। केवल डींगें मारने वाला ही ये सब कहेगा। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ कि कॉंग्रेस सरकार द्वारा उस समय से उठाया गया हरेक कदम राष्ट्रीय नीति के प्रतिपादन के परिप्रेक्ष्य में ही है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है, मैं इसे राजनैतिक मामला नहीं बना रहा हूँ, दो अन्तरावर्ती वर्षों में क्योंकि यह कदम श्री राजीव गांधी द्वारा उठाया गया था, इसलिए उसकी हरेक बात को नकारा गया या उसे अनुचित समझा गया, परन्तु मैं सदन को सूचित करता हूँ कि राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और यह रिपोर्ट हमारे पास है और कहीं-कहीं पर मामूली परिवर्तनों के अलावा प्रोफेसर राममूर्ति ने इस नीति को संचालित करने वाले मूल निर्देशों को न केवल अनुमोदित और रेखांकित ही किया है, बल्कि यह भी कहा है कि इस देश में इस नीति को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने इसमें कुछेक परिवर्तन भी किए हैं जिसके

लिए वह बिलकुल अधिकृत थे। मैं सदन को सूचित करना चाहूँगा कि मैं यह नहीं चाहता हूँ कि इस देश की शिक्षा नीति किसी विवाद या राजनीति का विषय बने। इसलिए राममूर्ति सिफारिशें चाहे कुछ भी हों, सी.ए.वी. की एक समिति यह देखने के लिए नियुक्त की गई थी कि उन्हें व्यापक नीति ढाँचे में कैसे सम्मिलित किया जा सकता है। उस समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। मैंने एक कार्ययोजना तैयार कर ली है। मेरा प्रयास होगा कि 12 या 15 तारीख तक इस सदन के इस सत्र में अवकाश के लिए उठने से पहले इस मामले पर सी.ए.बी. में चर्चा करने के बाद मैं इस सम्माननीय सदन में एक दस्तावेज प्रस्तुत करूँ, जो इस नीति की रूपरेखा होगी। यह देश हमारी राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखने तथा हमें प्रगति और आधुनिकता के साधन उपलब्ध कराने के लिए व्यापक परिप्रेक्ष्य और व्यापक ध्येय में इसका अनुसरण करता रहेगा, जैसा कि यहाँ उल्लेख किया गया है।

नवोदय विद्यालयों के बारे में कुछ मुद्दे उठाए गए थे। नवोदय विद्यालय इस नीति में उल्लिखित मदों में से एक मद था और यह उन मुद्दों में से एक था जिन पर बहुत अधिक मतभेद था और जो अभी भी कायम हैं, तथापि ये धारणाएँ अब वास्तविकता के साथ धीरे-धीरे पकड़ में आ रही हैं और नई धारणाएँ उभर कर आ रही हैं। मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी राज्य का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यह प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और मुझे आशा है कि निकट भविष्य में नवोदय विद्यालयों की योजना राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत योजना हो जाएगी। हमने निर्णय लिया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय होगा और इसके लिए हम सुविधाएँ देंगे, धन देंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि श्री राजीव गाँधी की इस संकल्पना को न केवल पूरा किया जाए, कार्यान्वित किया जाए बल्कि यह समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी साधन बन जाए और समाज के कमजोर वर्ग कौशल प्राप्त कर सकें, जिसे वे अन्य कारणों से प्राप्त नहीं कर सके हैं।

विद्यालयों के कार्य न करने या उनके गलत कार्यकरण के बारे में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे और जो कुछ यहाँ पर कहा गया है, हम उस पर ध्यान देंगे। यदि कोई कमियाँ या बुराइयाँ हैं तो उन पर ध्यान दिया जाएगा।

उसके बाद प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न उठाया गया था। इस बारे में मैं सभा के लिए प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त न करने के लिए इस सदन के साथ खेद प्रकट करने और कुछ हद तक नैराश्य में शामिल होने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद एक निश्चित समय सीमा के भीतर इस लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल दिया गया था। हालांकि हमने काफी प्रगति की है फिर भी अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस ढंग से सभी राजनीतिक दल, सभी सरकारें चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हों, अब उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि इस राष्ट्रीय ध्येय को प्राप्त करना होगा। अपने विचारों को उनकी प्रतिज्ञा और प्रत्यक्ष ज्ञान बोध पर आधारित करते हुए मैं समझता हूँ कि इस शताब्दी के अंत तक इस देश में सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना संभव हो सकेगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे संसाधन बढ़ें। हमें इस दिशा में सभी प्रयास करने चाहिए। जब भारत जैसा देश कोई निर्णय लेता है तो मुझे विश्वास है कि इस निर्णय को कार्यान्वित किया जाएगा। महोदय, मैं इस तथ्य से भी उत्साहित हूँ कि हम देख चुके हैं कि देश में साक्षरता के सम्पूर्ण प्रयास में किस नाटकीय ढंग से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने महत्वपूर्ण स्थिति ग्रहण कर ली है। इस संबंध में कुछ संदेह, कुछ अवरोध थे। लेकिन अब केरल, पांडिचेरी, महाराष्ट्र द्वारा पथ-प्रदर्शन करने से और पश्चिम बंगाल के इस दिशा में आगे बढ़ जाने से देश के मध्य भाग के कुछ राज्यों के अलावा ऐसे कोई राज्य नहीं है, जिनमें से एक राज्य से मैं

भी संबंध रखता हूँ और जिसके लिए मुझे अत्यन्त खेद है, जो उस तरह से इस कार्य को आरम्भ नहीं कर पाए है जैसी कि उन्हें इन दिशा में शुरुआत करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस दिशा में यह शुरुआत की जाएगी और यह शुरुआत सच्चे अर्थों में की जाएगी। मुख्य मंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों से मेरी पारस्परिक बातचीत ने मुझे यह कहने के लिए उत्साहित किया है। मुझे विश्वास है कि शताब्दी के अन्त तक भारत यूनेस्को द्वारा निर्धारित समान साक्षरता के मानदण्ड को प्राप्त कर लेगा। मैं कोई साहसिक घोषणा नहीं कर रहा हूँ और न ही मैं ऐसी बात कह रहा हूँ जिसे मै सपनों की बात समझता हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साक्षरता मिशन अब इस देश में जन आन्दोलन बन गया है। जब भारत के लोग उठेंगे, जागृत होंगे और आगे बढ़ेंगे तो इसमें संदेह नहीं कि हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएँ।

माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कुछ कहा गया है। इस सरकार द्वारा नई नीति पर की गई कतिपय पहलों के बारे में कुछ सदस्यों के मत कुछ भी हों, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि जहाँ तक इस देश के युवाओं को कौशल प्रदान करने का प्रश्न है, वह एक बहुत अच्छी माँग है, क्योंकि देश ने आर्थिक पुनर्जागरण के लिए की गई पहलों का लाभ उठाना आरंभ कर दिया है। हम सभी को देश के लोगों और युवाओं को ये कौशल और साधन सुलभ कराने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे विचार से पूरे देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण करने के लिए एक बहुत कल्पनाशील और साहसिक कार्यक्रम से यह कौशल आएगा। मैं इस तथ्य से भी उत्साहित हुआ हूँ कि अनेक सरकारी उपक्रमों, निजी उपक्रमों ने इस देश में व्यावसायिक मार्गदर्शन के माध्यम से उन लोगों को, जिन्होंने कौशल प्राप्त किया है, न केवल उनके बोझ को कम करने के प्रति बल्कि उन्हें खपाने के लिए उनसे किए गए अनुरोध के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया है। हमारे संसाधन इस समय सीमित हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि औद्योगीकरण का तेजी से विकास होने के साथ ये माँगें इतनी व्यापक हो गई हैं कि हमें पर्याप्त संसाधन जुटाने होंगे। इस देश के विकास के लिए हम एकतरफा दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं। जहाँ इस तरह की शुरुआत हो रही है, जहाँ उसकी आवश्यकता है और हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं।

अत: यह हमारे शैक्षणिक कार्यक्रमों, देश को साधन सुलभ कराने संबंधी भावी कार्यक्रमों के मामले में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक क्षेत्र बनने जा रहा है।

चूँकि बहुत से माननीय सदस्यों ने खुद न बोलकर मुझे वो सब बोलने का अवसर दिया है जो मैं बोलना चाहता था, अत: मैं अधिक नहीं बोलूँगा। मैं केवल एक-दो बातें कहना चाहता हूँ जिनका कुछ माननीय सदस्यों ने सभा में विशेष उल्लेख किया है, यद्यपि उनमें से कुछ लोग इस समय मौजूद नहीं हैं। इंदौर से माननीय सदस्या श्रीमती महाजन ने एक स्थिति स्पष्ट की थी, जो मध्य प्रदेश में कुछ पुस्तकों के बारे में थी और जिन्हें बोझ कम करने के लिए पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है जैसा कि उन्होंने तथा वहाँ की सरकार ने कहा कि बच्चों के कंधों पर अतिरिक्त बोझ था। मैं खुद इसका समर्थन करता हूँ। वास्तव में सरकार ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया है जो यह सुनिश्चित करने के उपायों की सिफारिश करेगा कि ऐसा होता है। मैं यहाँ पर किसी से तर्क नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करूँगा कि वह "गाँधी, राजा राम मोहन राय, ईसा मसीह और मोहम्मद को हमारे बच्चों पर बोझ न समझे"। वे कभी बोझ नहीं हो सकते हैं।

यदि हम इतिहास के इन महान व्यक्तियों के बारे में जानें, तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी और संभवत: इससे हमें इस देश का एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा भी मिलेगी। इन बातों के बारे में हमें चौथी कक्षा में जानकारी मिले या आठवीं कक्षा में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो हम विभिन्न धर्मों

पर एक दस्तावेज या किताब इस सदन में वितरित करवा दें, जिससे हमें सूचना और जानकारी तो प्राप्त होगी ही, साथ ही हमें अपनी उस संकीर्ण विचारधारा से भी छुटकारा मिल जाएगा, जिसके कारण हम भारत की आत्मा को चोट पहुँचाते है और इसका तिरस्कार करते हैं। और अब, वे यह कह रहे हैं कि हम छात्रों का बोझ कम कर रहे हैं जिसे उन्होंने हमारे और एन.सी.ई.आर.टी. के कहने से बढ़ा दिया था। मैं यहाँ पूर्णतया स्पष्ट करना चाहूँगा कि एन.सी.ई.आर.टी. ने इस देश की किसी भी सरकार को कभी भी इस तरह का सुझाव नहीं दिया है।

यही माननीय सदस्य और दूसरे लोगों ने यह भी कहा था कि नेहरू युवा केन्द्रों में कुछ भी काम नहीं हो रहा है और इसकी न आगे और न पीछे कोई श्रृंखला है। कुछ शब्द तो हमारे कोष में ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझ ही नही पाता। ऐसा ही एक शब्द है श्रृंखला। हम कैसी श्रृंखला का निर्माण करना चाहते हैं—आगे की, पीछे की या बगल की? यह सब ठीक है। जहाँ तक मैं समझता हूँ नेहरू युवा केन्द्र योजना की परिकल्पना सन् 1970 में की गई थी। उस समय भी यह महसूस किया गया था कि एक बहुत ही धूर्त और व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से इस देश के युवाओं के मस्तिष्क में जहर भरा जा रहा है। यह योजना किसी भी पार्टी को ऊपर उठाने के लिए नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय चेतना को उभारने के लिए है, उस राष्ट्रीय चेतना को जिससे विचार जगते हैं, मनन होता है और फिर सृजन होता है जो हमारी वैचारिक प्रक्रिया को राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय अखंडता की वृहत् धारा से भटकने नहीं देती। मैं समझता हूँ कि इसका उद्देश्य बहुत ही महान था। इस योजना में कुछ असफलताएँ भी मिलती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे खिड़की से फेंक दिया जाना चाहिए। कम से कम हम तो ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। यह तो हमारी घोषणा पत्र का भाग है कि हम देश में ज्यादा से ज्यादा नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना करेंगे जो देश के युवाओं के लिए जीवन के हरेक क्षेत्र में योग्यता हासिल करने की खातिर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अखंडता, धर्म निरपेक्षता, राष्ट्र, लोगों, गरीबों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, और उन सभी के लिए जिनका लक्ष्य राष्ट्रवाद है कार्यक्रम शुरू करने का केन्द्रीय स्तम्भ बनेंने। इस संबंध में यदि समन्वय की कोई कमी हो तो यह बताने हेतु मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं। हमने यहाँ बैठक भी आयोजित की थी। उसके बारे में बात तो सभी करते हैं लेकिन जब मैं पत्र लिखता हूँ तो कोई जवाब ही नहीं देता। मैं सभा को इस संबंध में अन्धेरे में नहीं रखना चाहता। कुछ लोग ऐसे हैं जो देश भर में फैले नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा प्रज्वलित दीए को बुझता हुआ देखना चाहते हैं क्योंकि ये जो (ज्ञान की) ज्योति प्रचंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रकाश उस अन्धेरे से लड़ता है, जिसको ये लोग फैलाना चाहते हैं। इसलिए ये केन्द्र उनके ध्यान आकर्षण और साथ ही आक्रमण का भी केन्द्र बन गए हैं।

**प्रो. रासा सिंह रावत:** कामों के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए। इतना समय हो गया है उनके परिणामों के माध्यम से मूल्यांकन करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए।

**श्री अर्जुन सिंह :** मैं एक नहीं दस बार मूल्यांकन करने को तैयार हूँ। लेकिन मूल्यांकन करने के लिए कोई हाथ तो बढ़ाए। केवल भाषण दे देने से या एक बात कहने से न आपको मानना चाहिए, न हमें मानना चाहिए। जब दिमाग खुला हो, आप करें मूल्यांकन, क्योंकि खुले दिमाग से ही मूल्यांकन का निष्कर्ष ठीक होगा। जब दिमाग बन्द होगा तो मूल्यांकन सही नहीं हो सकता।

मैं इस विशाल सभा से और इसके माध्यम से देश की विशाल और चौकस जनता से एक अनुरोध करने के बाद अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। और वह यह कि कई मुद्दे है, जिन पर हमारे मतभेद हो सकते है, और विभिन्न अवधारणाओं के प्रति हमारी सोच में अन्तर हो सकता है, परन्तु एक बात ऐसी है, जिस पर देश विभिन्न विचारों और मतभेदों को नहीं झेल सकता है और वह है देश की एकता, अखंडता और भविष्य।

शिक्षा सिर्फ प्रशासनिक गतिविधि तक सीमित नहीं रहनी चाहिए और ऐसा हो भी नहीं सकता है और न ही उसका उपयोग किसी खास विचारधारा को उभारने या खंडन करने में किया जाना चाहिए, ऐसा करना संभव भी नहीं है। बल्कि इसका प्रयोग तो लोगों को जानकारी देने और उन्हें शक्ति प्रदान करने के लिए होना चाहिए, जिससे वे इस देश के योग्य नागरिक बनने में स्वत: सक्षम हो सकें और स्वयं ही यह देख सकें, समझ सकें, फैसला कर सकें और तदनुसार निर्णय कर सकें कि उनके लिए, समाज के लिए और देश के लिए क्या सही है और क्या गलत। उसी शक्ति का संचार करने के लिए हमारा विभाग सभी प्रकार की गतिविधियों से लैस है और महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी और इस सभा की मदद, मार्गदर्शन और सहारे से हम अपने प्रयत्न में जरूर सफल होंगे। (व्यवधान)

**श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुराई)** : माननीय मंत्री ने इन्दिरा महिला योजना के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। (व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** : मुझे मालूम नहीं था कि मेरे आदरणीय दोस्त श्री अय्यर आ चुके हैं। मैंने पीछे देखा ही नहीं था। मैं इस एक बात से सहमत हूँ कि कुछ विशिष्ट कारणों से, जिनका उल्लेख श्री मणि शंकर अय्यर सदन में कर चुके है, इन्दिरा महिला योजना जड़ नहीं जमा पाई है। इस देश में अभी भी हम कुछ विशिष्ट विचारधारा के गुलाम बने हुए हैं। अपनी मर्जी और प्राधिकार को विभाग के ऊपर थोपना इनमें से एक है। सामान्य रूप से यह विचार प्रचलित है कि जब हम अपनी शक्ति का उपयोग करने की स्थिति में न हों, तभी समन्वय के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं अपने सीमित अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में व्यावहारिक रूप से समन्वय, समन्वय न होकर महज रुकावट बन कर रह जाता है।

लेकिन मैं श्री मणि शंकर अय्यर और इस सभा को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इन्दिरा महिला योजना को इस प्रकार का दृष्टिकोण या विचारधारा का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री ने स्वयं ही इसका भार ग्रहण किया है। इस योजना को लागू करने के लिए जिस मूलभूत संरचना और आवश्यक बातों की जरूरत पड़ेगी, वे मुहैया कराई जाएँगी।

मैं उन राज्य सरकारों से अपील करता हूँ, जिनके साथ हम मिलकर कार्य कर रहे हैं कि वे इस योजना को इन्दिराजी के नाम के रूप में न देखें, बल्कि इसे इस देश की महिलाओं की योजना के रूप में देखें— एक ऐसी योजना जो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में सहारा देगी, इस आत्मनिर्भरता से वे देश और समाज के लिए खड़ी हो सकेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही हम इस कार्य को पूरा करने में सक्षम होंगे, इस योजना को भारत के उत्तम प्रयासों के सर्वोत्तम अध्यायों में स्थान प्राप्त होगा।

**डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी (खेड़ा):** सिन्धी विकास बोर्ड के बारे में नहीं बताया कृपा करके बताइए।

**श्री अर्जुन सिंह:** मैं चिट्ठी लिखूँगा।

**श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम-निर्दिशत आंग्ल भारतीय):** महोदय, मैं 50 वर्षो से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ जो कि एक बहुत विशाल क्षेत्र हैं इस संबंध में माननीय मंत्री का कार्य सिर्फ एक राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें पूरे उप-महाद्वीप, 179 भाषाओं, 500 उप-भाषाओं और बोलियों से जूझना हैं उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि हमें समन्वय की नीति अपनानी चाहिए। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। हालांकि मैं काँग्रेस पार्टी का सदस्य कभी नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने श्रीमती इन्दिरा गाँधी का, जो महानतम नेताओं में से एक थीं, हमेशा ही सफलतापूर्वक समर्थन किया। उन्होंने मुझे अपने समुदाय के, जोकि एक पिछड़ा वर्ग है, वर्गीकरण जो अस्वीकार कर देने पर बधाई दी थी। उन्होंने कहा था: "यह सही है कि सभी समुदाय में कमजोर वर्ग होते हैं, लेकिन मुझे भी 'पिछड़ा'

शब्द अमान्य है। अगर मैं आपके रास्ते पर होती, तो सामाजिक शब्दकोष से 'पिछड़ा' शब्द हमेशा के लिये निकाल देती।"

मैं माननीय मंत्री को माध्यमिक शिक्षा को संवर्ती सूची में शामिल करवाने के लिए बधाई देता हूँ। मैं माननीय मंत्री की तरफदारी इसलिए करना चाहता हूँ, क्योंकि वह हमारी एकमात्र उस राष्ट्रीय पार्टी के नताओं में से एक है, जिस पार्टी के सदस्य होने का सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिला।

**अध्यक्ष महोदय:** यह एक औपचारिक भाषण नहीं हो जाना चाहिए।

**श्री फ्रैंक एन्थनी:** धमनिरपेक्ष प्रजातंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए केन्द्रीय सरकार को आश्वस्त करना चाहिए कि कुछ राज्यों में क्षेत्रीयता, भाषाई और शैक्षिक कट्टरपन में संलग्न होने की प्रवृति नहीं पनपेगी। यह एक महान कार्य होगा। मै उन्हें इस बातके लिए बधाई देना चाहता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय:** आप उन्हें पहले ही बधाई दे चुके हैं और उनको बधाई देने में हम सब आपके साथ हैं।

(व्यवधान)

**श्री फ्रैंक एन्थनी:** मेरी तो एक घंटा तक बोलने की इच्छा थी लेकिन अध्यक्ष महोदय ने जल्दी खत्म करने को कहा है इसलिए मैं बैठ जाता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय:** यदि किसी माननीय सदस्य को अपने कटौती प्रस्ताव पर अलग से मतदान कराने की इच्छा न हो तो अब मै सभी प्रस्तावित कटौती प्रस्तावों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान माँगों के साथ सभा के मतदान हेतु रखना चाहूँगा।

अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

**सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।**

**अध्यक्ष महोदय:** अब मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदानों की माँगों को सभा के मतदान के लिये रखूँगा।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित माँग संख्या 47 से 50 के सामने दिखाए गए माँग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 6 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियाँ भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएँ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(लोक सभा कार्रवाई / 6 अप्रैल 1992, पृष्ठ 263 से 339)

*मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह प्राथमिक शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर थे। ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड को गति देने में उनका अमूल्य योगदान रहा है। 6 अप्रैल को प्रश्न काल के दौरान श्री राम कापसे, श्री केशरीलाल, श्री बल्लभ पाणिग्राही, श्री सैय्यद शाहबुद्दीन व श्री योगेन्द्र झा ने मंत्री महोदय से अनेक जानकारी मांगी। जिनका उत्तर श्री अर्जुन सिंह ने सदन के सामने रखा।*

**6433. श्री केशरी लाल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड फेज-4 शुरू कर दिया गया है;

(ख) इस चरण में क्या लक्ष्य रखा गया है तथा इस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है;

(ग) इस चरण की अवधि कितनी है और इसे किन-किन एजेन्सियों/संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) परियोजना का सही मूल्यांकन करने तथा इस संबंध में निधार्रित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) चरण की अवधि, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जो इस योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदाई है, योजना के कार्यान्वयन की गति पर निर्भर करती है।

(घ) योजना के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण, प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है तथा इन रिपोर्टों को राज्य सरकार को प्रत्येक सत्र में भेजना होता है। इन रिपोर्टों की जाँच से ऐसे क्षेत्रों का पता चला हैं जिनमें सरकारी हस्तक्षेप अपेक्षित हैं। यदि आवश्यक हो तो, राज्य सरकारों के साथ पुनरीक्षण बैठकें आयोजित की जाती है।

**विवरण**

| क्र.सं. | राज्य का नाम | शामिल किए गए स्कूलों की संख्या | अनुमानित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1. | आंध्रप्रदेश | 17148 | 1360.00 लाख रुपये |
| 2. | गोआ | 191 | 22.70 लाख रुपये |
| 3. | हरियाणा | 2663 | 192.14 लाख रुपये |
| 4. | कर्नाटक | 7918 | 654.49 लाख रुपये |
| 5. | केरल | 1149 | 82.90 लाख रुपये |
| 6. | मणिपुर | 548 | 57.30 लाख रुपये |
| 7. | राजस्थान | 2322 | 199.53 लाख रुपये |

**6437. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में घने जंगल के अन्दर विक्रमखोल अभिलेख निरन्तर क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) अभिलेख वाली शिला के एक छोटे टुकड़े पर क्षतिग्रस्त होने के कुछ निशान देखने में आए हैं। यह क्षरण ऋतुओं के प्रभाव के कारण हुआ है।

(ग) शिलालेख के संरक्षण के लिए तथा क्षरण को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(लोक सभा कार्यवाई / 7 अप्रैल 1992, पृष्ठ 144 से 153)

*4 मई को माननीय अध्यक्ष श्री शिवराज वी. पाटिल पीठासीन थे। मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में श्री अर्जुन सिंह का सदैव यह प्रयास रहा कि शिक्षा का अधिक से अधिक लोकव्यापीकरण हो। वे एक ओर उच्च शिक्षा के बढ़ावे के लिए नई योजनाओं को मंजूरी देते थे वहीं दूसरी ओर उनका ध्यान बुनियादी शिक्षा पर भी रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन की बात हो अथवा 'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड' की, श्री अर्जुन सिंह समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचाना चाहते थे। उनकी हमेशा इच्छा रही कि राज्य सरकारें बुनियादी शिक्षा की ओर ध्यान दें। उनके विभाग ने इसके लिए तत्परता से कार्य किया। श्री अर्जुन सिंह की यह भी इच्छा रही है कि बुनियादी शिक्षा हो अथवा अन्य कोई शिक्षा वह सदैव राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए। उत्तरप्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना के संदर्भ में माननीय मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य इसी लक्ष्य की ओर संकेत करता है।*

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : सभी के लिए शिक्षा के बारे में जॉमितियन, थाईलैंड में मार्च, 1990 में हुए विश्व सम्मेलन के अनुसरण में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेन्सियाँ बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में रुचि दिखाती रही है। सरकार शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों में शैक्षिक परियोजनाएँ विकसित करने के लिए इस रुचि का लाभ उठाने का प्रयास करती रही है।

इन परियोजनाओं का मूल उद्देश्य यह है कि शैक्षिक पुन:निर्माण के लिए अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग किया जाए जिसका अर्थ यह होगा कि हमें नए स्कूल खोलने, स्कूलों के भवनों का निर्माण करने और शिक्षकों की नियुक्ति करने जैसे परम्परागत उपायों से और आगे बढ़ना होगा। इस प्रयोजन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा जिससे कि प्रभावी और सहभागितापूर्ण प्रबन्ध ढाँचों और साथ ही स्थानीय समुदाय, शिक्षकों और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के माध्यम से कार्यरत बच्चों, बालिकाओं और सुविधाओं से वंचित वर्गों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा किया जा सके।

मैंने जिस समग्र दृष्टिकोण का उल्लेख किया है उससे निश्चय ही अधिक गहन प्रक्रियाएँ जुड़ी हुई हैं। कुछ पड़ोसी देशों में जहाँ काफी बाहरी सहायता प्राप्त हुई है, इन प्रक्रियाओं की उपेक्षा की गई, परिणामस्वरूप विदेशी निधियों का शैक्षिक उपलब्धियों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

प्रारम्भिक शिक्षा के लिए विश्व बैंक की सहायता का प्रश्न 1987 से सरकार के विचाराधीन रहा है। शुरू में सरकार यह सहायता लेने की इच्छुक नहीं थी क्योंकि इससे शैक्षिक पुन:संरचना में असंतुलन आ जाता। तथापि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 से मेल खाती हुई शर्तों पर बुनियादी शिक्षा के लिए सहयोग देने के उद्देश्य से बैंक ने जिस पहल का परिचय दिया, उसे देखते हुए जिन निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका था, उनके आधार पर उत्तर प्रदेश के 10 आरक्षित जिलों सहित दस जिलों में एक प्रायोगिक परियोजना विकसित करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना में बुनियादी शिक्षा के सभी संघटकों जैसे, प्राइमरी स्कूल, गैर-औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता, महिला विकास, उत्तर साक्षरता और सतत् शिक्षा को शामिल किया जाना है। नवम्बर, 1990 में विश्व बैंक के एक दल ने केन्द्र और राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान इन उद्देश्यों के प्रति सहमति व्यक्त की। हमारे निवेदन पर बैंक परियोजना को तैयार करने या उसे कार्यान्वित करने के लिए किसी विशेषज्ञ या सलाहकार को नियुक्त न करने पर सहमत हो गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना पूर्ण रूप से हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है और हमारी अपनी क्षमता विकसित होती है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार

बोर्ड ने भी हमारे इस दृष्टिकोण का समर्थन किया।

इस परियोजना को तैयार करने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार के लिए नवम्बर, 1990 से मेरे मंत्रालय के अधिकारियों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् और 'नीपा' सहायता प्रदान करते रहे हैं। इस परियोजना को तैयार करने के लिए राज्य सरकार की मदद करने के उद्देश्य से नीपा में अक्तूबर, 1990 से एक वर्ष के लिए एक पूर्णकालिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। मार्च, 1991 में 15 परियोजना-पूर्व कार्यकलापों के लिए बेसिक शिक्षा परिषद् को 1.14 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। इन क्रियाकलापों से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जरूरी नए मॉडलों और क्रियाविधियों को विकसित करने में मदद मिलती। इस परियोजना के उद्देश्यों पर विचार-विमर्श करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ नवम्बर, 1990 में हुई पहली औपचारिक बैठक के बाद 7 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। अन्तिम बैठक 30 सितम्बर, 1991 को हुई थी। केन्द्रीय शिक्षा सचिव के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने 7 जनवरी, 1991 और 15 सितम्बर, 1991 को विचार-विमर्श के लिए लखनऊ का दो बार दौरा किया।

अप्रैल, 1991 में नीपा में आयोजित एक कार्यशाला में राज्य सरकार द्वारा तैयार परियोजना के दस्तावेज के मसौदे पर विचार-विमर्श किया गया। यह निर्णय लिया गया कि कार्यशिविर में विचार-विमर्श के अनुरूप एक विशेष निवेश परियोजना दस्तावेज को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाए। विशेष निवेश परियोजना को क्षेत्रीय (सेन्ट्रल) निवेश परियोजना से बेहतर समझा गया, क्योंकि बैंक नीति के मुद्दों को नहीं केवल निवेश के आवंटनों को देखता है। फिर भी आगे की प्रक्रियाओं को उस समय एक धक्का लगा जब मई-जून, 1991 में राज्य सरकार ने सैक्टर आधारित परियोजना को बेहतर समझते हुए परियोजना के सहमत उद्देश्यों से पूर्णत: अलग होने का फैसला किया। सैक्टर आधारित परियोजना में समूचे राज्य को शामिल करने तथा परियोजना की पांच वर्षों की अवधि वाले प्रथम चरण में केवल प्राथमिक स्कूल शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाना था।

नई राज्य सरकार के सत्ता में आने के शीघ्र बाद ही सितम्बर, 1991 में राज्य सरकार के साथ दोबारा बातचीत शुरू की गई। इस पर बार-बार बल दिया गया कि परियोजना दस्तावेज को जून, 92 में बैंक के समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में बैंक द्वारा अनुमोदित किए जाने के लिए समय रहते प्रस्तुत कर दिया जाए। तथापि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 दिसम्बर, 1991 को प्राप्त परियोजना दस्तावेज कई दृष्टियों से अधूरा पाया। दस्तावेज की मंत्रालय और नीपा में जाँच कर लेने के बाद 23 दिसम्बर, 1991 को राज्य सरकार को संशोधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ विस्तृत टिप्पणियाँ भेजी गई। 22 जनवरी, 1992 को एक संशोधित परियोजना दस्तावेज प्राप्त हुआ जिसमें इस बात को छोड़कर कि दस्तावेज को बैंक के मार्गदर्शन के अनुसार फिर से व्यवस्थित किया जाए और किसी भी टिप्पणी का समाधान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप 14 फरवरी, 1992 को राज्य सरकार को पुन: सलाह दी गई कि वे दस्तावेज को फिर से संशोधित करें। पुन:संशोधित दस्तावेज 4 मार्च, 1992 को प्राप्त हुआ।

दो संशोधनों के बावजूद भी असली मुद्दे अछूते ही रहे। परियोजना में शैक्षिक पुनर्रचना के बृहत्तर और मूलभूत मुद्दों पर समुचित ध्यान दिए बिना स्कूल भवनों के निर्माण और शिक्षकों की नियुक्ति पर बल देना जारी रखा गया। इस प्रकार प्रथम वर्ष में ही मुख्यत: भवनों के निर्माण और शिक्षकों की नियुक्ति पर परियोजना के कुल परिव्यय में से 40% से भी ज्यादा खर्च करने की माँग की गई है। गैर-औपचारिक शिक्षा, लैंगिक मुद्दे जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। परियोजना कार्यान्वयन के लिए प्राय: विद्यमान प्रशासनिक तंत्र और प्रक्रियाओं पर ही पूरी तरह भरोसा करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त जिन परियोजना-पूर्व क्रियाकलापों के लिए निधियाँ मंजूर

की गई थीं उनमें से नीपा को सौंपे गए कार्यकलाप को छोड़कर किसी भी क्रियाकलाप की शुरूआत की गई प्रतीत नहीं होती।

समूचे राष्ट्र को प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण तथा सार्वभौम साक्षरता के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, सरकार राज्य सरकारों के घनिष्ट सहयोग से शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में परियोजनाएँ विकसित करने के लिए बेसिक शिक्षा में दान देने वालों की रुचि का लाभ उठाने का प्रयास कर रही है। दो परियोजनाएँ अर्थात् यूनिसेफ की सहायता से बिहार शिक्षा परियोजना तथा स्वीडन की सहायता से राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना पहले से ही शुरू की जा चुकी है। ये राज्य सरकारें हमारे दृष्टिकोण का समर्थन करती है तथा सभी प्रकार की अपेक्षित पहल के लिए वे अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसी ही परियोजनाएँ मध्यप्रदेश और उड़ीसा में शीघ्र ही शुरू होंगी। हमारा लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित केन्द्र और राज्यों के बीच सार्थक सहभागिता की सच्ची भावना के साथ विकसित की गई ऐसी परियोजनाओं के माध्यम को शैक्षिक रूप से पिछड़े सभी राज्यों को अन्ततः शामिल करने का है।

मुद्दों को तय करने तथा परियोजना दस्तावेज को अन्तिम रूप प्रदान करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ बातचीत जारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार दस्तावेज को समुचित ढंग से संशोधित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेगी ताकि शैक्षिक पुनर्रचना के बृहत्तर लक्ष्यों की ओर ध्यान दिया जा सके।

(लोकसभा कार्रवाई /4 मई 1992, पृष्ठ 273 से 275)

*लोकसभा में 15 जुलाई को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भाजपा के श्री जसवन्त सिंह ने रखा। इस समय माननीय अध्यक्ष श्री शिवराज वी. पाटिल पीठासीन थे। श्री जसवन्त सिंह ने सरकार की आर्थिक नीतियों, मंत्रिमंडल की अक्षमता का उल्लेख अपने अविश्वास प्रस्ताव में बड़ी सिद्दत से रखा। श्री जसवंत सिंह द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर सदन में तीखी बहस शुरू हुई। श्री सोमनाथ चटर्जी भी सरकार पर बरसे। श्री जसवंत सिंह ने एक घंटे से भी अधिक के समय में सरकार की अक्षमता, अस्पष्टता और दुविधा की स्थिति को स्थापित करने का प्रयास किया।*

*सदन में इसी गहमा-गहमी के बीच मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह बोलने के लिए खड़े हुए। श्री अर्जुन सिंह ने श्री जसवंत सिंह द्वारा सदन में कही गई बातों पर जबरदस्त प्रहार किया। जनादेश के पक्ष में होने अथवा न होने को उन्होंने स्पष्ट किया। श्री अर्जुन सिंह हमेशा पारदर्शिता के समर्थक रहे हैं। जब चर्चा के दौरान बोफोर्स तथा प्रतिभूति घोटाले की जाँच की बात उठी तो उन्होंने इस माँग का विरोध नहीं किया।*

**श्री जसवन्त सिंह (चित्तोड़गढ़)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद् में अपना अविश्वास व्यक्त करती है।"

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री की 30 जून की प्रैस कान्फ्रेंस की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उनके प्रधान मंत्री बनने के बाद इस प्रकार की यह पहली कान्फ्रेंस थी। उन्होंने इसमें एकत्र लोगों और उनके माध्यम से शेष देश के लोगों को सूचित किया कि बुरा वक्त बीत गया है। मैं उनके इस दावे को बहुत अविश्वसनीय मानता हूँ और यही इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए उपयोगी प्रथम मुद्दा मानता हूँ।

वयोवृद्ध माननीय प्रधान मंत्री विद्वान व्यक्ति है तथा उन्हें सार्वजनिक जीवन का समृद्ध अनुभव है लेकिन मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि 30 जून की उनकी टिप्पणी के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुत: टिप्पणी हमारी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में थी लेकिन इससे स्थिति और गम्भीर हो रही है। इससे उसका कोई समाधान नहीं निकलता क्योंकि जब उन्होंने यह कहा तब उनके पास अपने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग की जून, 1992 की रिपोर्ट थी जो कि आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति को भेजी गई थी। इसमें शुरू की टिप्पणी में शुरू के पैराग्राफ मे कहा गया है "आर्थिक स्थिति का संक्षेप"। यह मंत्रिमंडलीय दस्तावेज है। इसमें कहा गया है : "मानसून पूर्व की कम वर्षा, कम खाद्यान्न भंडार, खाद्यान्नों की कम वसूली और लदान, कम औद्योगिक उत्पादन, मूल भूत ढाँचे और निवेश में मिश्रित संकेत, धन की आपूर्ति में अधिक वृद्धि, मुद्रास्फितीय दबाव जारी है, निर्यात बहुत कम है और विदेशी मुद्रा भंडार में थोड़ी कमी आई है।" यह मेरा निष्कर्ष नहीं है। इस अभिप्राय से यह पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष नहीं है। यह आर्थिक स्थिति पर आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति को प्रस्तुत दस्तावेज का निष्कर्ष है और इस पर माननीय प्रधान मंत्री ने देश को बताया कि सर्वाधिक खराब समय व्यतीत हो गया है।

इसलिए मुझे यह अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए विवश होना पड़ा है। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं जब हम यह देखते हैं कि प्रधान मंत्री पर, जोकि दल के अध्यक्ष भी हैं, काफी भार है और वह अपने पद ग्रहण करने के एक वर्ष बाद तक भी अपने मंत्री मंडल को पूरा नहीं कर पाए हैं और उनके पास एक निष्क्रिय मंत्री मंडल है, एक ऐसा मंत्री मंडल है जिसके अंतर्गत विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय जैसे नाजुक मंत्रालयों के मंत्रियों को त्याग-पत्र देने पड़े हैं— एक ऐसा मंत्री मंडल हैं जिसकी नैतिक सत्ता को रोजमर्रा के एक के बाद दूसरे त्याग-पत्रों के सुझावों के द्वारा क्षीण किया जा रहा है, जहाँ किस्तों में त्याग-पत्र दिए जाते हैं— वहाँ पर एक मंत्री आज त्याग-पत्र दे रहा है और कल कितने त्याग-पत्र आने वाले हैं? यह सभी त्याग-पत्र बोफोर्स और बैंक-घोटाला जैसे उन अति-दण्डकारी षड़यंत्रों का प्रत्यक्ष परिणाम है जोकि स्वतंत्रता के पश्चात् हमें देखने को मिले हैं। यह दुर्दान्त, व्यापक और सतत् भ्रष्टाचार की घटना है जिसमें आँकड़ों की बात हजारों, सैकड़ों-हजारों और करोड़ के दशकों में नहीं की जाती जैसा कि बोफोर्स के मामले में की गई थी, इसमें तो कई हजार करोड़ रुपये की बात की गई है जिसमें शायद ही कोई मंत्रालय इसमें संबद्ध होने में बाकी बचा हो। रक्षा मंत्रालय में बोफोर्स घटना हुई, वित्त मंत्रालय में बैंक-घोटाला हुआ है, कृषि मंत्रालय में गेहूँ और चावल के निर्यात में घोटाला हुआ है, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत — एन.टी.पी.सी. — उपकरणों की खरीद के लिए, ऋण के लिए विश्व-बैंक से सीधा पत्राचार कर रहा है, रेल मंत्रालय में रेल इंजनों के आयात में, स्वास्थ्य मंत्रालय में दवाइयों के मामले में और पैट्रोलियम मंत्रालय में भी घोटाले की घटनाएँ हैं। पैट्रोलियम मंत्रालय को दुर्गन्धित किया गया है। पैट्रोलियम मंत्रालय की हर चीज में भ्रष्टाचार की गंध आती है। गैस-एजेन्सियों के वितरण से लेकर कच्चे तेल के आयात आदि सभी बातों में भ्रष्टाचार की गंध आती है। इन सभी बातों की व्याख्या करना एक अति दु:खद कार्य है। मुझे इस बात का तनिक भी संदेह नहीं है कि सरकार के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार की घटनाएँ हो रही हैं, प्रधान मंत्री को उनका पता है और यदि उनको इस बात का पता नहीं है, तो इस अविश्वास-प्रस्ताव को रखने का यह भी एक कारण है। यदि अगर उनको इसका पता है और फिर भी कुछ भी नहीं करते, तब तो इस अविश्वास-प्रस्ताव को रखने का यह और भी अधिक सशक्त कारण है। (व्यवधान) यह सरकार सेन्ट किट्स् मामले से चल कर बैंक प्रत्याभूति घोटाले तक का सफर तय कर हमें यह बताती है कि खराब वक्त बीत गया है। इसके विपरीत मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि अभी तो केवल बुरा ही हुआ है, अभी आगे-आगे इससे भी बुरा वक्त आएगा। यह अविश्वास प्रस्ताव किसी छोटी-मोटी बात को लेकर नहीं रखा गया। इसका आधार,

सही माइनों में, 1991 के चुनाव में निहित है, जिसमें घोर त्रासदी सामने आई और जिसने इस सभा को, संसद को अवधारणागत तौर तथा अंकगणित के हिसाब से चटक कर रख दिया। इस चुनाव में किसी दल की भी जीत नहीं हुई और जैसा कि सुविज्ञ अर्थशास्त्रियों का कहना है, इस चुनाव में विजेता दल दूसरे स्थान पर रहा है।

इस चुनाव के समय देश में राजनीतिक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ था। राजनीतिक अनिश्चितता के उस वातावरण में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोच-समझ कर एक सुविचारित निर्णय लिया कि यह जो राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता को पंगु बना रही सतत परिस्थितियाँ हैं, राष्ट्र को इससे सुरक्षित रखना है। हम उस समय संभवत: एक असाधारण घोर आर्थिक संकट में फँसे हुए थे जोकि शायद ही देश के सामने पहले कभी आया हो। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोच-समझ कर यह निर्णय लिया कि यह पार्टी इस संसद में अथवा इसके बाहर ऐसा कोई भी कार्य नही करेगी जिससे अनिश्चितता का वेग और अधिक बढ़ सके और यह पार्टी इस सरकार को ऐसी हरेक कोशिश में, जोकि राष्ट्रीय हित में होगी, समर्थन देगी और इसे कायम रखेगी।

महोदय, उस घटना के एक ही वर्ष बाद हमें अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए विवश कर दिया गया है और मै माननीय प्रधान मंत्री से यह कहना चाहता हूँ कि जिस समय आपकी सरकार पथ पर अग्रसर हुई थी, तो उस समय उसके पास संसदीय बहुमत नहीं था। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज आपके पास थी आपके पास जनता की सद्भावना थी, जनता की स्वीकृति और अनुमोदन आपके साथ था। यह जन-सद्भावना, जन-स्वीकृति और अनुमोदन व्यापक तौर पर आपके साथ था— क्योंकि 80 के लम्पटतावादी दशक में देश में जो व्यापक लम्पटता का करिश्मा हुआ था, उससे लोगों को राष्ट्रीय-व्यापक राहत मिली थी— क्योंकि इस सरकार ने और माननीय प्रधान मंत्री ने आम राय और सहमति के मामलों में सभी दलों की सही भागीदारी का रास्ता अपनाया था। इस रास्ते को अपनाने के पश्चात् इसे बीच में ही छोड़ दिया गया और पुराने तौर तरीके और पुरानी काँग्रेस ने अपने आप को दोहराना शुरू किया। महोदय, जैसी कि टिप्पणी की गई है, आम-राय को चालाकी का रूप दे दिया गया। संयुक्त भागीदारी के बजाय, इन लोगों ने अंधेरगर्दी की बात अपनानी चाही। इन पर यह भी आरोप है कि इन्होंने तेलुगु देशम पार्टी को भी विभाजित किया है। यह भी आरोप है कि इन्होंने इस तरह की व्यवस्था की कि जनता दल के कुछ सदस्य टूट जाएँ जिससे इनकी संसदीय संख्या अधिक सुविधाजनक हो सके। नागालैंड और मिजोरम की घटनाओं पर भी इस सभा में चर्चा हो चुकी है। पंजाब में चुनाव स्थगित करना और आयोजित कराना भी अपने आप में एक अलग कहानी ही है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री के पास इस समय संसदीय बहुमत का एक ऐसा गद्दा है जिस पर विराजमान हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुका कर उसे खरीदा है।

उन्होंने जनानुमोदन जैसी सम्पदा खो दी है। इसलिए हम इस अविश्वास-प्रस्ताव लाने के लिए विवश हुए हैं। मेरे पास इसके लिए चौगुणे कारण हैं। पहली बात तो आर्थिक क्षेत्र में, आपके इस ध्वजपोत की है जिस पर सवार होकर आप तेजी से चलते हैं और अधिक बाते करते हैं। दूसरी बात भ्रष्टाचार फैलाने की है जैसा कि बोफोर्स और बैंक घोटाले के उदाहरण दिए गए हैं। तीसरी बात शासन के तंत्र प्रबन्धन की है, आन्तरिक और इस तरह के बाहरी मामलों की है जिनका हमारी आन्तरिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है और चौथी बात हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के पतन की है। महोदय, अर्थव्यवस्था के प्रश्न पर, इस समय अनुकूल अवसर नहीं है कि अवधारणाओं को लेकर नए सिरे से चर्चा की जाए। यह जो नई आर्थिक नीति अथवा परिवर्तन संबंधी सुधार हैं, इस सरकार ने यह सोचकर सौहार्द के साथ इन्हें अपनाया है और कि जैसा कि मुझे याद है, हमने भी चार आवश्यक बातों को रखा था। इस सुधार अथवा परिवर्तन के अन्तर्गत परिवर्तन की विषय-वस्तु, परिवर्तन की दिशा, परिवर्तन की गति और परिवर्तन के लिये प्रबंधन

यह चार बातें जुड़ी है और परिवर्तन प्रबंधन में आप आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनैतिक पहलुओं को ले सकते हैं। महोदय, मैं किसी भी प्रकार विषय-वस्तु अथवा दिशा की बात पर जोर नहीं दे रहा हूँ लेकिन मैं आर्थिक परिवर्तन के प्रबन्धन की बात करना चाहूँगा। आर्थिक परिवर्तन के प्रबंधन की बात कहने के अभी एक शब्द पूर्व मैंने परिवर्तन की गति की बात कही है। मुझे, सरकार की परिवर्तन की गति के पहलू पर इस बात की दुविधा है कि यदि मुझे उचित स्मरण हो रहा है, तो माननीय प्रधान मंत्री ने इसी प्रेस सम्मेलन में यह सूचना दी थी कि हम इस परिवर्तन में उलट-पुलट नहीं कर सकते। यह तो आप का दृष्टिकोण हो सकता है और इस दृष्टिकोण पर जोरदार बहस हो सकती है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इस सरकार के साथ सबसे अधिक कठिनाई यह है कि यह सरकार धीरे-धीरे सुधार लाने की कोशिश न करके एकदम सुधार लाने की कोशिश में है। यह अपनी अतीत की गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहती जिनको स्वीकार किए बिना आज सही कदम नहीं उठाए जा सकते। आर्थिक परिवर्तन अथवा नई आर्थिक नीति के क्षेत्र में आज तक जो कुछ किया गया है, वे सभी मामूली बातें हैं। ये तो बहुत ही आसान थी और उन्हें भी पूरी तरह से नहीं किया गया। आज भी अफसरशाही का वर्चस्व है, आज भी अफसरशाही का ही नियन्त्रण है। पुरानी पद्धति के शिकंजे से राहत की अनुभूति अभी भी शेष है और यह भी बाकी है कि सरकार हमें आकर यह बताए कि उनकी कोई भी महान सफलता क्या है और क्या वास्तव में बुरा वक्त बीत गया है?

महोदय, मैंने एक प्रलेख से उद्धरण रखे हैं जोकि भारत सरकार की अपनी ही एजेन्सियों का प्रलेख है। आप किन्हीं भी तथ्यों को उठाकर देखिए और ये तथ्य भारत सरकार के पास उपलब्ध सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित मिलेंगे और सरकार के अपने ही सांख्यिकी विभाग द्वारा ही स्थापित किए गए मिलेंगे। महोदय, अप्रैल 1991 और फरवरी 1992 के बीच औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष इसी अवधि तक 9.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2 प्रतिशत कमी आई है और यदि आप इस 9.6 प्रतिशत को इस 2 प्रतिशत कमी के साथ जोड़ें तो वास्तविक आँकड़े काफी ऊँचे रहेंगे। बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में भी कमी आई है और सीमेन्ट, उर्वरकों और कच्चे तेलों के उत्पादन में भी कमी आई है। तेल उत्पादन 8.4 प्रतिशत कम हुआ है। कच्चे तेलों के उत्पादन में लगभग 12 प्रतिशत गिरावट आई है। निर्यात में 1.9 प्रतिशत गिरावट आई है। जैसा कि सरकार स्वयं मानती है, थोक मूल्य सूचकांक 12 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, भले ही कितना ही सही अथवा गलत क्यों न हो, भारतीय रिजर्व बैंक के मई, 1992 के अपने ही सांख्यिकी अनुमान के अनुसार इसमें लगभग 14.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मुद्रा-आपूर्ति जोकि एम-3 है, का मुद्रा-स्फीति से प्रत्यक्ष संबंध है जोकि गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में लगभग 19 प्रतिशत अधिक है। मैं नहीं जानता कि बुरा वक्त कैसे पीछे छूट गया है। आज दिल्ली में आम उपभोग की वस्तुओं की जो कीमतें हैं जरा उन पर भी नजर डालिएगा। घटिया किस्म के गेहूँ की कीमत 650 रुपये प्रति क्विंटल है। केवल कीमत की ही बात नहीं, परन्तु क्वालिटी का सवाल भी अहम है। माननीय मंत्री को स्वयं, लाइन में लगकर राशन नहीं खरीदना पड़ता, वह दूसरों से मँगवाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में मैं अभी एक मिनट में अपने विचार अभिव्यक्त करूँगा। जैसाकि मैंने पहले भी कहा कि घटिया किस्म का गेहूँ 650 रुपये प्रति क्विंटल पर बिक रहा है। बासमती चावल-टूटे हुए जो कि निर्यात नहीं किए जाते पचीस रुपये प्रति किलो पर बेचे जा रहे हैं, चने की दाल, जो कि सबसे सस्ती दाल है, 18 रुपये प्रति किलो बिक रही है, पोरटमैन तेल के पांच किलो के डिब्बे की कीमत 300 रुपये है। दिल्ली में सब्जियों की न्यूनतम कीमत, ट्रकों की हड़ताल के बाद भी कीमत नहीं अपितु ट्रकों की हड़ताल के पहले की कीमत— 16 रुपये प्रति किलो थी, टमाटर 18-20 रुपये प्रति किलो और आलू 6 रुपये प्रति किलो थे, और अगर आप आम खरीदने का सामर्थ्य रखते हैं, तो आम 18 रुपये प्रति किलो पर बिक रहे हैं। महोदय, कीमतों का

यह हाल है। मैं नहीं जानता की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ उनका क्या संबंध है परन्तु यह रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएँ है। अगर मुझे इन कीमतों के बारे में गलत सिद्ध किया जाता है, तो मैं बहुत खुश हूँगा। आपको मेरा कहना अच्छा नहीं लगता लेकिन आम उपभोक्ता यही कहता है, आप आज कृषि को देखिए। महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश उसकी स्थिति बहुत खराब है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और बिहार में वर्षा की कमी है। राजस्थान के बहुत बड़े भाग में बुआई नहीं हुई। वर्षा के न होने के परिणामस्वरूप एक अन्य समस्या जो पैदा हो जाती है, वह है पीने के पानी का अभाव। ऐसी स्थिति में, जहाँ वर्षा की अभी से इतनी कमी है, चावल की प्राप्ति, मई 27, 1992 तक, पिछले साल के 12025 मिलियन टन की तुलना में केवल दस मिलियन टन की प्राप्ति हुई। चावल की वसूली, 18.6 प्रतिशत कम हुई।

इसी प्रकार महोदय, गेहूँ की वसूली पिछले साल के 7½ मिलियन टन की तुलना में मई 1992 तक 6.1 मिलियन टन हुई और उसमें भी 18½ प्रतिशत की कमी हई। दूसरी तरफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 18.84 मिलियन टन अनाज दिया गया पिछले साल की वितरित मात्रा 15.64 मिलियन टन की तुलना में, यह 20.4 प्रतिशत से ज्यादा है। आपकी वसूली कम होती है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिक वितरण किया जाता है और इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यकुशलता को दोष नहीं दिया जा सकता। यह अभावों का प्रतीक है। अप्रैल, 1992 के अंत में खाद्यान्न भण्डार, 14.34 मिलियन टन था जोकि पिछले साल के 18.84 मिलियन टन की तुलना में, 22.4 प्रतिशत कम है। शेयर बाज़ार की भाँति, खाद्यानों के मामले में भी अटकलें सक्रिय रही हैं। भगवान न करे वर्षा में समय लग जाए। परन्तु अगर ऐसा होगा तो। देश को बड़ी विकट स्थिति का सामना करना पड़ेगा और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 30 जून को प्रेस को कहे गए यह शब्द याद दिलाना चाहता हूँ 'बुरा वक्त बीत चुका है।' महोदय, एक मिनट के लिए इस साल में इस सरकार के बुनियादी ढाँचे पर विचार करें, और इस मूलभूत ढाँचें के महत्त्वपूर्ण अंग है बिजली, तेल, ईंधन, परिवहन इत्यादि। जहाँ तक कच्चे तेल की स्थिति का संबंध है मोटे तौर पर इस दशक में कुल उपभोग-55 मिलियन टन, से बढ़कर अंत तक 77 मिलियन टन होने की संभावना है। यह अतिरिक्त 22 से 25 मिलियन टन तेल कहाँ से आएगा जब कि हमारे पास डालरों की कमी है, और देश में कच्चे तेल का उत्पादन 1991-92 के 30.4 मिलियन टन, की तुलना 1992-93 में घटकर 28.4 मिलियन टन रह गया है। कच्चे तेल की हमारी बढ़ती हुई माँग और आवश्यकताओं के अनुरूप तेल उत्पादन बजाए बढ़ने के घटता जा रहा है। इस गिरते हुए कच्चे तेल के उत्पादन से मैं क्या सोचूँ? आज जब ईंधन की खपत बढ़ रही है और डालर की उपलब्धता उसके अनुरूप नहीं है तो क्या मैं यह स्वीकार कर लूँ कि बुरा वक्त बीत चुका है?

महोदय, एक क्षण के लिए आयात आँकड़ों पर एक दृष्टि डालिए और मैंने सदन का ध्यान पहले भी इस ओर आकर्षित किया है। आपके पास एक काबिल और कार्य कुशल वाणिज्य मंत्री थे यह बात मैंने यहाँ कई बार कही है। प्रधान मंत्री महोदय, उनका फेयरग्रोथ नाम की एक कम्पनी के साथ उनके कारोबारी होने के कारण अनौचित्य के आधार पर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हमने मंत्री महोदय द्वारा प्रेस को दी गई चिट्ठी पढ़ी है। उस चिट्ठी से, हम आश्वस्त नहीं है कि आपके द्वारा स्वीकार किया गया इस्तीफा, उन कारणों पर आधारित है जो आपने बताए। या तो वह चिट्ठी ही उसके पीछे नहीं थी और अगर ऐसा नहीं था, तो हमें यह जानने का हक है कि उसके पीछे क्या था? क्योंकि वाणिज्य और विदेश मंत्रालयों जैसे महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों को बिना प्रभारी मंत्री के नहीं रखा जा सकता। किसी ने माननीय प्रधान मंत्री से पूछा, कि आप कब विदेश मंत्री की नियुक्ति करेंगे तब माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि, 'मैं जो हूँ, एक अलग मंत्री की क्या जरूरत है, जब कि आपके पास एक उससे बड़ा मंत्री मौजूद है?

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री इस हैसियत में क्या-क्या करेंगे? जहाँ तक आयात के आँकड़ों का संबंध है डालरों में आयात इस साल अप्रैल में 24.5 प्रतिशत बढ़ा जबकि पिछले साल इसी महीने में आयात अप्रैल 1991 के 1.34 बिलियन की तुलना में 1.78 बिलियन था। अवमूल्यन की वजह से रुपयों में आयात का मूल्य और भी अधिक बढ़ जाएगा। परन्तु चिन्ता का विषय यह है कि अप्रैल 1991 की तुलना में, इस वर्ष अप्रैल 1992 में निर्यात में काफी कमी हुई है और इससे भी अधिक चिन्ता का मामला यह है, कि यह कमी सामान्य मुद्रा क्षेत्र और पारंपरिक रुपया भुगतान दोनों ही क्षेत्रों में है। अब आयात में वृद्धि हुई है, परन्तु निर्यात की मात्रा में कमी आई है। सरकारी आँकड़ों के आधार पर इस साल अप्रैल में, निर्यात में 7.79 प्रतिशत कमी हुई, जी.सी.ए. देशों को इस साल अप्रैल में किया गया निर्यात का मूल्य 1.27 मिलियन डालर था जबकि पिछले साल यह 1.29 मिलियन था और जिन देशों को भुगतान रुपये में किया जाता है उनको किए जाने वाले निर्यात में भी स्पष्ट कारणों की वजह से लगभग 50 प्रतिशत तक कमी हुई है। प्रतिकूल व्यापार संतुलन अप्रैल में 400 से 500 मिलियन था। इसकी तुलना में, मार्च अप्रैल, 1991-92 में, डालर के संदर्भ में, लगभग एक पूरे साल के लिए, 2 प्रतिशत कमी हुई।

महोदय, विदेशी मुद्रा भण्डार, जो कि कम हो गया उसमें वृद्धि हुई है और यह वृद्धि मुख्यत: तीन कारणों से हुई है। एक यह है कि हमने पैसा उधार लिया है, दूसरा हमने आयात में कमी की है, और तीसरा हमने एफ.सी.एन.आर. इत्यादि के माध्यम से इस देश में पैसा आने दिया है। परन्तु फिर भी 1 अप्रैल-मई 1992 में इस भंडार में 254 मिलियन की कमी हुई है, और इस समय यह लगभग 5377 मिलियन है। यह अप्रैल-मई 1992 के आँकड़े हैं। मेरे पास इसके अद्यतन आँकड़े नहीं हैं, क्योंकि वित्त मंत्रालय के दिन प्रतिदिन के आँकड़ों की जानकारी प्राप्त करना मेरी पहुँच के बाहर है। अप्रवासी भारतीयों के खातों में प्रतिमाह राशि निकाली जा रही है। अप्रैल, 1992 में एफ.सी.ए.आर. खाते में 188 करोड़ रुपये जमा थे। आज सुबह मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एफ.सी.एन.आर. खातों के बारे में चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा ताकि इन खातों से राशि बाहर निकलने से रोका जा सके।

आयात और निर्यात में इस असंतुलन के कारण इस सरकार के एक वर्ष के शासन काल में हमारा ऋण ब्याज अनुपात 30% से अधिक हो गया है। मैं वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि हमारा आज ऋण ब्याज अनुपात क्या है और अगले तीन से पाँच वर्षों तक ऋण भार अनुपात का अनुमान क्या है?

इस चर्चा में मेरे लिए इसका पूर्ण विश्लेषण करना संभव नहीं है, कि आर्थिक सुधारों के प्रबंधन में क्या कमियाँ हैं? मैं कह सकता था कि प्रबंधन असंतोषजनक है, 'एक्स', 'वाई', 'ज़ेड' मदों में अथवा 'ज़ेड' क्षेत्र में सुधार किया जाना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रणाली छोड़कर दूसरी प्रणाली अपनाने से इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। निश्चय ही सरकार यह कह सकती है जैसाकि उसने पहले भी कहा है कि एक वर्ष की अवधि हमारे लिए बहुत कम है। एक साल में हम परिणाम नहीं ला सकते हैं। परिणाम लाने के लिए कम से कम तीन-चार वर्ष चाहिए। अगर आपको तीन-चार वर्ष चाहिए, तो जो कदम आपने उठाए हैं उनके परिणाम यह संकेत देते हैं कि जो तर्क आपने और अधिक समय माँगने के लिए रखे हैं उनको यह कदम सुदृढ़ करते हैं।

मैंने यह आँकड़े इसलिए बताए हैं क्योंकि आर्थिक प्रबंधन में परिवर्तन करने के प्रारंभिक परिणाम संतोषजनक नहीं थे। अत: आपकी इस बात को मानते हुए कि आप तीन या चार वर्ष में ही अपनी सफलता दर्शा सकते हैं हम आपके द्वारा उठाए गए कदमों की प्रत्याशा करेंगे। मैं उनके महत्व को कम नहीं करना चाहता लेकिन मैं इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि आपने पेय पदार्थों, कपड़े धोने की मशीनों तथा रेफ्रीजरेटरों को महत्व तथा

प्राथमिकता दी है।

मेरे पास विद्युत संयंत्रों से संबंधित प्रश्न के उत्तर में कुछ आँकड़ें हैं। विद्युत संयंत्रों तथा बिजली की कमी एक बुनियादी ढाँचागत कमी है। आने वाले दशकों में यदि हमने इस ओर ध्यान न दिया तो देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, सरकार द्वारा संसद में दिए ब्यौरे के अनुसार निजी क्षेत्र में 21 विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह हजारों करोड़ रुपये का निवेश है। मैं और समय नहीं लूँगा। भारत सरकार की अनुमति के लिए 21 विद्युत संयंत्र स्वीकृति के लिए लंबित पड़े हैं। इन विद्युत संयंत्रों को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। प्रत्येक विद्युत संयंत्र नौकरशाही के नियंत्रणाधीन है। लेकिन इस एक वर्ष के दौरान सरकार क्या कर रही है?

इसने ज़ल्दबाज़ी करके कोका कोला को यहाँ आने की अनुमति दे दी। किसी भी पेय पदार्थ अथवा कोका कोला को ले लीजिए इस बारे में शीघ्र निर्णय लिया गया।

अब बात यह है कि निवेश में प्राथमिकता को देखते हुए सरकार ने 21 विद्युत संयंत्रों जैसे महत्वपूर्ण मामले के बारे में निर्णय लेने के लिए एक वर्ष का समय मिला लेकिन कोका कोला के मामले में शीघ्र स्वीकृति दे दी। इस मुद्दे के दूसरे पहलू को देखिए। इसी कारण मुझे इस बारे में चिंता हो रही है। वैसे मैं यह ब्यौरा नहीं देता। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि कोका कोला के लिए माननीय रक्षा मंत्री के जिले में फैक्ट्री लगाने के लिए भूमि मिल गई है। इसे कहीं-न-कहीं तो स्थापित करना ही था। उन्हें भूमि ढूँढनी ही थी। यह मात्र एक संयोग है कि कंपनी को जो 1000 एकड़ भूमि चाहिए थी वह उसे भारत के बारामती जिले में मिल गई। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी यह चिंता की बात है।

**एक माननीय सदस्य** : यह बारामती में नहीं है।

**श्री जसवन्त सिंह** : मुझे प्रसन्नता होती यदि यह बारामती में नहीं होती। मुझे और भी प्रसन्नता होती यदि वह 1,000 एकड़ न होकर 100 एकड़ होती। लेकिन बात कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि यह कोका कोला कौन लेकर आया है? यह व्यक्ति है... मैंने माननीय वित्त मंत्री को भी इस मामले के बारे में लिखा है। एक व्यापारी है जो इस उद्योग को भारत में बढ़ावा दे रहा है। इस व्यापारी के विरुद्ध 70 के दशक के अंत में तथा 80 के दशक के प्रारंभ में वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय बैंकों का धन दुरुपयोग करने, उसे सिंगापुर ले जाने का आरोप लगाया गया था तथा केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने एक मामला दायर किया था। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली जाँच को लंबित रखा गया क्योंकि बैंकों ने उसके साथ सहयोग नहीं किया। जब संसद में यह मामला उठाया गया तब माननीय वित्त मंत्री तथा वित्त मंत्रालय ने यह कहा कि "उपभोक्ता तथा बैंकों के बीच लेन-देन की गोपनीयता यह जानकारी देने के लिए हम पर प्रतिबंध लगाती है।"

मैंने शुरू में ही यह कहा था कि मैं इस मामले को महत्वहीन नहीं बनाना चाहता। मैं फिर से यही बात कह रहा हूँ कि एक वर्ष तक आपने 21 विद्युत संयंत्रों में से एक के बारे में भी कोई निर्णय नहीं लिया। लेकिन आपने पेय पदार्थों के बारे में एक माह के भीतर ही निर्णय ले लिया जबकि देश इसके बिना भी चल सकता था। मुझे आर्थिक सुधारों के प्रबंधन के बारे में बहुत चिंता है। मेरे विचार से यह भ्रष्टाचार की ओर जाने का एक रास्ता है। मैंने इस सरकार के कार्यकरण के बारे में भी चिंता व्यक्त की थी और भ्रष्टाचार के कारण ही मुझे इसमें विश्वास नहीं है। मेरे विचार से इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ सरकार में भ्रष्टाचार होता है अथवा होने की आशंका होती है वहाँ सामान्य विधिशास्त्र के असमान विपरीत सिद्धान्त लागू होता है। सभी सरकारों को जब तक कि वह स्वयं को निर्दोष साबित न कर दें दोषी माना जाएगा अत: मेरा यह कहना है कि सामान्य विधिशास्त्र के असमान जिम्मेदारी आप पर

है। बोफोर्स और बैंकिंग कांड में जब तक आप इसका खंडन कर स्वयं को निर्दोष साबित न करें...(व्यवधान)

**श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई)** : कौन सा कानून, किसका कानून।

**श्री जसवंत सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना था कि भ्रष्टाचार के मामले में स्वयं को निर्दोष साबित करने का दायित्व सरकार का ही होता है। यहाँ विधिशास्त्र के विपरीत कानून लागू होता है। बोफोर्स और बैंकिंग के मामले में आपको जनता के प्रति जवाबदेही के कर्तव्य को निभाते हुए स्वयं को निर्दोष साबित करना होगा, आपको दोषी माना जाएगा।

एक अतिरिक्त सावधानी भी बरतनी होगी क्योंकि सरकार मीडिया द्वारा अथवा मौखिक आश्वासन देकर इसका खंडन कर स्वयं को निर्दोष साबित नहीं कर सकती है। इसके लिए कोई उचित कार्रवाई करनी होगी और वही इसका मापदंड है आप बोफोर्स की तरह इस बैंकिंग के मामले में भी असफल हो गए हैं। बोफोर्स के मामले में तो अटल रूप से लेकिन दूसरे मामले में आपके पास अभी भी समय है। अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। मैं ज्यादा समय न लेकर बोफोर्स के मामले में केवल चार या पाँच पहलू ही उठाऊँगा। बोफोर्स पर हुई अंतिम चर्चा में माननीय प्रधान मंत्री ने सभा में यह सुझाव दिया था कि वह इस मामले की व्यक्तिगत तौर पर जाँच करेंगे। मुझे यह अच्छी तरह याद नहीं है कि उन्होंने यह कहा था कि वह इस मामले के संबंध में दिन-प्रतिदिन जानकारी लेंगे लेकिन यह मुझे याद है कि उन्होंने यह बात अवश्य कही थी कि वह इस मामले की व्यक्तिगत तौर पर जाँच करेंगे इसीलिए मैंने कहा था कि अत्यंत व्यस्त प्रधान मंत्री स्वयं इस मामले की कैसे जाँच करेंगे? वह विदेश, वाणिज्य, उद्योग मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री हैं। केन्द्रीय जाँच विभाग भी उनके पास है और वह अब बोफोर्स मामले की भी जाँच करेंगे। इसके देखभाल के क्या परिणाम रहे। इसमें अनेक कठिनाइयाँ हैं। संसद को यह आश्वासन देने के बाद कि वह व्यक्तिगत तौर पर इसकी जाँच करेंगे, उसके क्या परिणाम रहे। व्यक्तिगत तौर पर इस मामले की जाँच करने का प्रदर्शन उस साँठ-गाँठ पूर्ण ढंग में हुआ है जिस ढंग से दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा विन चड्ढा का मामला चलाया जा रहा है। मैं विन चड्ढा का नाम लेने की आपसे अनुमति चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ और नाम लेने की भी अनुमति चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि विन चड्ढा का मामला कैसे चलाया जा रहा है और भारत सरकार तथा विन चड्ढा के वकील एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर)** : आप उनको ईसाई नाम मत दीजिए केवल चड्ढा ही कहिए। (व्यवधान)

**श्री जसवन्त सिंह** : ठीक है, चड्ढा। इस जालसाजी को देखिए कि किस प्रकार चड्ढा के वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय से उनके पासपोर्ट जब्त किए जाने के मामले में आदेश प्राप्त कर लिए। उसका पासपोर्ट जब्त करने के बारे में न्यायालय ने आदेश दिया कि आप 15 दिन के भीतर निर्णय लें। न्यायालय पासपोर्ट के मामले में निर्णय दे सकता है! लेकिन भारत सरकार प्रधान मंत्री के आश्वासन के बावजूद न्यायालय से आदेश नहीं ले सकता है! प्रधान मंत्री द्वारा इस मामले की व्यक्तिगत तौर पर जाँच करने का आश्वासन देने के बाद कितने माह का समय बीत चुका है? इसके बाद जहाँ तक सोलंकी से भेंट करने वाले वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने का प्रकरण है, यह वास्तव में बहुत ही विस्मयजनक है क्योंकि यह जो धारणा प्रस्तुत की गई है, वह एक ऐसे सज्जन, एक ऐसे व्यक्ति, जो कानूनन वकील है, उसके बारे में श्री सोलंकी कहते हैं कि....(व्यवधान) यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। माननीय प्रधान मंत्री देश के समाचार-पत्रों के माध्यम से यह सूचित करते हैं कि "मैं क्या कर सकता हूं? सी.बी.आई. उस वकील का पता नहीं लगा पाई है।" मुझे यह सचमुच आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। यह बात अविश्वसनीय है। प्रधान मंत्री के इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने स्वयं यह आश्वासन दिया था कि वे इससे सम्बंधित

दिन-प्रति-दिन की कार्रवाई पर निगरानी रखेंगे। और दो, तीन महीने बाद ही यह यह कहते है कि "मुझे खेद है, मैं कुछ नही कर सकता। सी.बी.आई. वकील का पता नहीं लगा सकी है।"

मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप इसका पता तो लगा ही सकते है कि व्यक्ति वस्तुतः वकील है भी अथवा नही, और आपके एक भूतपूर्व मंत्री ने इस सभा में जो कुछ कहा है और अन्यत्र जो कुछ कहा है, उन दोनों बयानों के बीच की भारी विसंगति को दूर करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं।

माननीय विदेश मंत्री ने 30 मार्च, 1992 को इस सभा में यह कहा था, "जब मैं दवोस में था तो मैंने... कृपया इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा।" मैंने विदेश मंत्री श्री फेलबर से शिष्टाचार के नाते भेंट की थी और उनसे बात-चीत की थी तथा अंत में विदा लेते समय मैंने एक नोट उनके सुपुर्द किया। भारत में जो मुक़दमें अभी न्यायालयों के विचाराधीन है बकाया हैं, उनकी स्थिति के संबंध में यह नोट एक वकील ने मुझे दिया था।" यहाँ यह षडयंत्र और जटिल रूप धारण कर लेता है क्योंकि 12 जून को श्री फेलबर के एक साक्षात्कार में यह कहा गया है कि "सोलंकीजी ने केवल एक संक्षिप्त नोट मुझे दिया और संक्षेप में उसके बारे में बताया भी था...। इस शब्द को दोबारा ध्यान से सुने। और संक्षेप में उसके बारे में बताया भी था तथा पूरी बात में सिर्फ दो ही मिनट लगे।" सोलंकीजी कहते है कि उन्होंने एक औपचारिकतावश भेंट करना चाही थी...।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप कोई उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं?

**श्री जसवंत सिंह** : मैं तो सिर्फ किसी बात का हवाला मात्र दे रहा हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : उद्धरण चिन्हों के बिना ही।

(व्यवधान)

**श्री जसवंत सिंह** : श्री फेलबर ने यह कहा है कि श्री सोलंकी ने उसके बारे में संक्षेप में बताया भी था...(व्यवधान)

CAREER COLLEGE
B.H.E.L. BHOPAL
ACC.No.....
Book No.....
Date.....
26926

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यदि मैं किसी बात को सही मानता हूँ, तो मैं उसे उद्धृत कर सकता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह क्या बात है?

**श्री जसवंत सिंह** : इसका अभिप्राय यह है कि हर सदस्य को किसी बात के अधिप्रमाणन की स्वतन्त्रता प्राप्त है। लेकिन मैं इस समय के बारे में सविस्तार चर्चा नहीं करना चाहता, (व्यवधान)।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : समाचार पत्र द्वारा किए जाने वाले अधिप्रमाण के बारे में आपकी क्या राय है?

**श्री जसवंत सिंह** : श्री सोलंकी ने यह बात कही है कि यह बिल्कुल औपचारिक रूप से भेंट हुई थी। उन्होंने भेंट करनी चाही, और भेंट करने के पश्चात् अलविदा कहते समय इन्होंने एक नोट उनके सुपुर्द किया और वे यह कहते है कि नोट में क्या लिखा था, उसका उन्हें पता नहीं था। यह घटना किस तरह से घटी इसके बारे में श्री फेलबर ने बताया है। वह एक बैठक में भाग लेने के लिए गलियारे में से जा रहे थे और उस समय श्री सोलंकी ने उन्हें आवाज देकर बुलाया और यह संकेत किया कि वह कुछ कहना चाहते हैं। दवोस सम्मेलन के संयोजकों ने दोनों मंत्रियों को एकान्त में भेंट करने की सुविधा देने की दृष्टि से तत्काल ही समीप के एक कक्ष को खोला और यह सभी कुछ एकदम अचानक ही हुआ। तब यह लिफाफा उनको दिया गया। सोलंकी जी कहते हैं कि लिफाफे के अंदर क्या बात लिखी थी इसके बारे में उन्हें कोई ज्ञान नही है। जबकि फेडरल चांसलर जी का कहना है, "उन्होंने मुझे यह बताया कि यह बोफोर्स मामले से संबंधित है।" सोलंकी जी कहते है कि यह एक औपचारिक भेंट मात्र थी लेकिन यह भेंट तो गलियारे में हुई जहाँ जैसा कि फेलबर ने बताया है कि "मुझे आवाज देकर बुलाया गया, एक कमरा खोला गया और हम सिर्फ दो मिनट तक उस कमरे में रहे।" माननीय प्रधान

मंत्रीजी हमें विश्वास दिलाते हैं कि बोफोर्स मामले से निपटने के लिए वे दिन-प्रति-दिन इस प्रकार की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। स्वत: स्पष्ट है कि माननीय प्रधान मंत्रीजी से इस वकील को ढूँढ निकालने की तनिक भी आशा नहीं की जा सकती? माननीय प्रधान मंत्रीजी अपने भूतपूर्व साथी से यह तो पूछ ही सकते हैं कि उन्होंने इस सदन में जो कुछ कहा है और विदेश में जो कुछ कहा है, उन दोनों बयानों के बीच विसंगति क्यों है? माननीय प्रधान मंत्रीजी सी.बी.आई. को श्री सोलंकी के दोनों बयानों तथा स्विटजरलेण्ड में दिए गए उनके बयान की जाँच के लिए आदेश तो कम से कम दे ही सकते हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। उनकी सरकार चड्ढा के बारे में, जोकि बोफोर्स घोटाले में रिश्वत लेने वालों में से एक माने जाते हैं कुछ नहीं करेगी; उनकी सरकार कुआतरोची के खिलाफ भी कुछ नहीं करेगी।* उसके बारे में वर्षों से यह माना जाता रहा है कि उन्होंने भी बोफोर्स घोटाले में रिश्वत ली है और अब तो उनके विरुद्ध प्रत्यक्षत: आरोप लगाया जा रहा है। आरोप के आधार पर तो उनके खिलाफ अवश्य ही.....

**अध्यक्ष महोदय** : जसवंत सिंहजी, यदि मामला कानूनी अदालत में लंबित है और यदि आप उस मुकदमे से सम्बंधित किसी व्यक्ति का उल्लेख कर रहे हैं तो यह अनुचित है अत: उस नाम को तो आपको वापिस लेना ही होगा।

**श्री जसवंत सिंह** : मेरा संदेह काफी प्रबल है और इसलिए मैं नाम वापिस नहीं लेना चाहता।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप दो प्रतिकूल सिद्धान्तों का पालन करना चाहते हैं?

**श्री जसवंत सिंह** : यदि आप मुझे इस बारे में निर्देश देते हैं, तो मैं नाम वापिस ले लूँगा।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं तो केवल आप से अनुरोध ही करूँगा कि आप अपने विवेक का प्रयोग करें और नियमों का अनुसरण करें।

**श्री जसवंत सिंह** : मैं इसे वापिस लेता हूँ। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह इटली निवासी जोकि स्नाम प्रोगेटी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, और भारत में रहते हैं तथा जिनके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि काफी ऊपर तक पहुँच रखते हैं, अब भी काफी ऊपर तक पहुँच रखे हुए हैं और विगत दशक में इनकी काफी ऊँची पहुँच रही है, इटली के इस भद्रपुरुष अथवा अभद्रपुरुष के बारे में यह विश्वास किया जाता रहा है और अब भी विश्वास किया जाता है कि इन्होंने बोफोर्स में रिश्वत ली है। महोदय, मैं आपसे पूछता हूँ कि जब सरकार को इस बात का पता चला है तो सरकार ने क्या कार्रवाई की है, इस इटली निवासी से क्या पूछताछ की गई है? इससे पूछताछ क्यों नहीं की गई? केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को इस व्यक्ति के पास जाकर पूछताछ करने के लिए क्यों नहीं कहा गया? उसे चेतावनी नहीं दी गई, तो कम से कम आगाह तो किया ही जा सकता था, भ्रष्टाचार के इस चौराहे पर यदि कोई लाल लैम्प नहीं था तो कम से कम पीले लैम्प से ही कोई संकेत क्यों नहीं दिया गया? महोदय, ऐसा क्यों नहीं किया गया? प्रधान मंत्रीजी के ऐसा कहने कि वे दिन-प्रतिदिन इस मामले से निपटेंगे, के बावजूद भी ऐसा क्यों नहीं किया गया? महोदय, मैं बोफोर्स मामले पर और अधिक चर्चा नहीं करना चाहता। जैसाकि मैंने आरंभ में ही कहा है, सरकार को ही स्वयं अपनी सच्चाई सिद्ध करनी होगी। हमें कोई सच्चाई सिद्ध नहीं करनी क्योंकि बोफोर्स के मामले में सरकार ही पूर्णतया दोषी सिद्ध हो रही है।

इस बैंक घोटाले को ही देखिए। इस पर हम एक बार चर्चा तो कर चुके हैं और दूसरी बार चर्चा अभी भी शेष है। इस मामले में मैंने अपनी राय स्पष्ट कर दी है और उस समय मैंने जो कुछ कहा है, उसे दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं तो केवल चार बातें संक्षेप में कहना चाहूँगा जोकि मेरे विचार से सरकार की जिम्मेदारियाँ हैं, और जिनके संदर्भ में मुझे ऐसी आशंका है कि सरकार अपने दायित्वों में असफल रही है।

सरकार का यह दायित्व है कि वह हमारी स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली से नुकसान न होने देने के लिए भरसक प्रयास करे। मैं इस बात से सन्तुष्ट नहीं हूँ कि इस मामले में जिस तत्परता से कार्य किया जा रहा है, वह प्रशंसनीय है। मैं तो यह मानता हूँ कि सरकार का यह दायित्व है कि देश की राजकोषीय, वित्तीय प्रणाली को यथासंभव शीघ्र उसके मौलिक रूप में सुदृढ़ करे इसमें गति लाए और उसका विकास करे ताकि देश के भीतर और देश के बाहर भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक हानि न होने पाए। मैं नहीं मानता कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस देश में जो सबसे बड़ा बैंक घोटाला हुआ है इस कार्य में भी सरकार उतनी तत्परता से कार्य नहीं कर रही है जितनी कि सरकार से उम्मीद की जानी चाहिए।

तीसरी बात केवल देश के बैंकों अथवा बैंकिंग व्यवस्था की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता को ही यथाशीघ्र पुन: प्राप्त करना नहीं है; क्योंकि इस मामले में केवल बैंक अथवा बैंकिंग व्यवस्था ही शामिल नहीं है; इसमें भारत के नाम पर भी आँच आ रही है। और इसीलिए जब मैंने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो मैंने यही कहा था कि चिंता 3500 करोड़ अथवा 5000 करोड़ रुपये की ही नहीं— भारत 35,000 करोड़ रुपये तक की क्षति झेल सकता है। लेकिन प्रश्न तो यह है कि सबसे बड़ी बात तो भारत के नाम पर आँच आने की है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ कि यह सरकार देश की आन्तरिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की विश्वसनीयता को पुन: प्राप्त करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।

महोदय, अब मैं अंतिम बात रख रहा हूँ जोकि मैं दोबारा कह रहा हूँ। माननीय वित्त मंत्रीजी ने हमें यह सूचना दी है कि बैंक घोटाला प्रमुखत: हमारी आंतरिक विनियामक प्रणाली की असफलता की वजह से हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की भी सीधी जिम्मेदारी है; भारतीय रिजर्व बैंक को भी बहुत सी बातों का उत्तर देना है।

मार्च 1991 में जिस समय इसकी पताका नीचे की ओर झुकने लगी थी, तब जुलाई 1991 में इन्होंने अनुदेश जारी किए और तब जुलाई 1991 से मई 1992 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियंत्रक कार्यों को सन्तोषजनक ढंग से पूरा नहीं किया। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख द्वारा प्रेस और दूसरे प्रचार माध्यमों, दूरदर्शन आदि के माध्यम से बार-बार इस तरह की सूचना देना अच्छी बात नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हैं जोकि उनसे छुटकारा चाहते हैं। परन्तु वही लोग अपराधियों का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक अविश्वसनीय, असंयत और एक अंहकार पूर्ण टिप्पणी है।

हर व्यक्ति इसके लिए चिंतित है कि देश के केन्द्रीय विनियामक बैंक की स्थिति को किस प्रकार बेहतर बनाए रखा जा सकता है। लेकिन भारत के केन्द्रीय विनियामक बैंक की अच्छी स्थिति को अपराधियों की मदद के द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। रिजर्व बैंक यह स्पष्ट करे और यह सरकार तथा वित्त मंत्री भी स्पष्टीकरण दें क्योंकि ये सभी किसी न किसी रूप में इतने बड़े कांड के प्रति उत्तरदाई हैं। यदि वित्त मंत्री या प्रधान मंत्री खड़े होकर यह कहें कि आप हम पर यह आरोप लगाकर अपराधियों की मदद कर रहे हैं तो क्या ऐसा कहना उचित होगा, हालाँकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने काफी संयम से काम लिया है। लेकिन रिजर्व बैंक के मुखिया ने इसे बड़े अंहकार से कहा है। मैं यह कहने के लिए विवश हो गया हूँ— मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के बाद दुबारा यह कहना नहीं चाहता कि यह विश्वसनीय नहीं है।

मैंने कहा था कि मेरा तीसरा मुद्दा राज्य तन्त्र के प्रबन्ध से संबंधित है। आन्तरिक राज्य तन्त्र के प्रबन्ध पर चर्चा के लिए हमें अनेक अवसर मिले हैं। आंतरिक राज्य तन्त्र के प्रबन्ध के संबंध में मुझे जम्मू-कश्मीर, पंजाब, असम, पूर्वोत्तर सीमा और एल.टी.टी.ई. के प्रभाव के परिणाम के बारे में मुझे चार प्रकार की चिन्ताएँ हैं। इन सभी के बारे में मेरा निवेदन है कि जब

भी मैं भारत सरकार की नीति का परीक्षण करता हूँ और शोध करता हूँ.....

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपके भाषण में व्यवधान डालना नहीं चाहूँगा। मुझे ऐसा करते हुए खेद भी हो रहा है कि आवंटित समय आठ घंटे है। हम आपके समय को सीमित करना नहीं चाहेंगे। लेकिन आपकी पार्टी को एक घंटा अड़तीस मिनट दिए गए। जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है, वह एक वाक्य में कहीं जाती तो बेहतर होता।

**श्री जसवंत सिंह** : मैं मानता हूँ कि मुझे बात को दोहराने की थोड़ी बुरी आदत है। मैं इससे बचने की कोशिश करूँगा।

**अध्यक्ष महोदय** : एक घंटा पहले ही बीत चुका है। आप जितना चाहे समय ले सकते हैं क्योंकि आपने इस बहस की शुरुआत की थी। हम आपका समय सीमित करना नहीं चाहेंगे। लेकिन इस सीमा को ध्यान में रखें तो कृपा होगी।

**श्री जसवंत सिंह** : मैं जम्मू-कश्मीर, पंजाब, असम, एल.टी.टी.ई इत्यादि मुद्दों के समाधान पर बोल रहा था। मैं जब भी भारत सरकार की इनसे ही सम्बंधित नीति की जाँच करता हूँ तो पाता हूँ कि इसमें द्वैध वृत्ति, दुविधा, असंगति और अस्पष्टता विद्यमान है तथा उनके बारे में अनेक परस्पर विरोधी बयान जारी किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर को ही देखिए। हमने कल जम्मू-कश्मीर पर वाद-विवाद किया। मैं इसे नहीं दोहराऊँगा। यह दो परस्पर विरोधी मंत्रियों की दु:खद दास्तान है; जो एक ही सरकार से दो आवाजें बुलंद करते हैं। सरकार के एक माननीय मंत्री श्रीनगर जाते हैं। उनके सुरक्षा कर्मी किसी वजह से आतंकित हो जाते हैं। छ: व्यक्ति अकारण ही उनकी गोली के शिकार हो जाते हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री श्रीनगर जाते हैं। एक टायर फटने से उनके सुरक्षा कर्मी डर जाते हैं और उनके द्वारा आठ लोग मारे जाते हैं। समस्या के समाधान हेतु जम्मू-कश्मीर में मंत्रियों को भेजने का क्या औचित्य है? वहाँ पर उनके दौरों से आप श्रीनगर शहर में और हत्याएँ कराते हैं। दोनों मंत्री वहाँ जाने के बावजूद अलग-अलग तरह की बातें कहते हैं। इसीलिए जिन दोनों ने जब वहाँ का अलग-अलग दौरा किया तो दोनों ही बार भगदड़ मची और सुरक्षा दलों ने नाहक गोलियाँ चलाई। मैं यह सब जम्मू-कश्मीर के बारे में कह रहा हूँ। हम चाहते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री हमें बताएँ कि कल के वाद-विवाद के बावजूद जम्मू-कश्मीर राज्य में वास्तविक स्थिति क्या है? क्योंकि एक मंत्री कहते हैं कि वहाँ चुनाव करवाना सम्भव नहीं है, किंतु दूसरे मंत्री कहते हैं कि निकट भविष्य में चुनाव सम्भव हैं। भारत सरकार का क्या रवैया है? सत्ता में आने के एक वर्ष बाद जम्मू-कश्मीर के बारे में अब आपकी क्या नीति है?

पंजाब तो खोए गए अवसरों और चुनावी घपलों की लम्बी दास्तान बन गया है। पंजाब के पांचवें भाग से भी कम मतदाताओं द्वारा मतदान करने और इस पांचवें भाग के दसवें भाग से कम के मत आपकी पार्टी को मिलने से आपने निश्चित रूप से अपनी संसदीय संख्या में वृद्धि की है। लेकिन मैं कहता हूँ कि उस विधान सभा, इस राजधानी और पंजाब राज्य के अशांत लोगों के बीच भावनात्मक दूरी कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है। अब पंजाब राज्य में आपका कांग्रेस मंत्रिमंडल है, यहाँ पर भी कांग्रेस मंत्रिमंडल है। महोदय, कांग्रेस पार्टी ने गत वर्षों में शहीदों से तथा संत लोंगोवालजी से जो समझौता किया उस से लेकर अब तक अनेक वचन पंजाब को दिए हैं अब उनको लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। केन्द्र में और पंजाब में दोनों ही स्थान पर आपकी कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, पंजाब पर अपने वायदों को कार्यान्वित कीजिए। कृपया हमें इसका उत्तर दें क्योंकि आप जिस प्रकार पंजाब के बारे में कार्रवाई कर रहे है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। आप इससे कैसे निबट सकते हैं? आप पर 1984 के दंगे करवाने का आरोप है। क्या मै याद दिलाऊँ कि 1984 के दंगों में गृह मंत्री कौन थे? 1984 के अपराधियों को दंडित करने के लिए वास्तविक जाँच को कौन रोक रहा है? कृपया इन सभी का उत्तर दें। हमें इनके बारे में बहुत चिन्ता है।

आन्तरिक राज्य तन्त्र पर ये दो आरोपित कारण गलत प्रभाव डालते हैं। इन्हें आपके ध्यान में लाना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ। मुझे याद है, स्वर्गीय श्रीमती गाँधी तब प्रधान मंत्री थीं और मुझे तब संसद में यह उल्लेख करने का अवसर मिला था कि मुझे आशंका है कि लिट्टे के प्रति भारत का रवैया, लिट्टे के प्रति नीति अथवा भारत-श्रीलंका संबंध दिल्ली में तय नहीं होते बल्कि मेरी आशंका है कि इन्हें तमिलनाडु द्वारा जबरन तय किया जा रहा है। हालांकि इस बात का खण्डन किया गया था। लेकिन बाद की घटनाओं ने यही साबित किया है और तब हम यह नहीं चाहते थे कि श्रीलंका के जातीय दंगों का प्रभाव भारत में भी पड़े।

मुझे एक और चिन्ता है और मेरी चिन्ता यह है कि भारत-बांग्लादेश संबंध भी यहाँ दिल्ली में तय नहीं किए जा रहे हैं। वे पश्चिम बंगाल में तय किए जा रहे हैं। आपने तीन बीघा जमीन के बारे में क्या किया है, मैं इसका उल्लेख अभी एक मिनट बाद करूँगा? इसे सर्वोच्च राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर तय नहीं किया गया। जिस दिन आप बाहरी तत्वों को आन्तरिक राजनीति पर हावी होने देंगे तब आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा और मैं इस बार मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ।

मैंने कहा था कि मैं व्यवस्थित ढंग से हुई गड़बड़ी पर संक्षेप में बोलूँगा और यह मेरा चौथा मुद्दा है— राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति मैं वाकई बहुत चिन्तित हूँ, इस बारे में मैं समझता हूँ कि यह सरकार बिल्कुल विफल रही है। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के गठन के शैक्षिक सिद्धान्तों के पुन: प्रतिपादन के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं तो इस नीति के संचालन, पर्यवेक्षण और प्रबन्ध की जाँच कर रहा हूँ।

शून्यकाल में आज सुबह एक घटना का उल्लेख हुआ था कि भारत में बर्मा के सैनिक आए और उन्होंने मिजोरम में हमारे छात्रों को पीटा। मैं आपको एक घटना से अवगत कराना चाहूँगा। यह राजस्थान में जैसलमेर जिले में बीदान गांव में 19 दिसम्बर, 1991 को घटी थी। तीन पाकिस्तानी आक्रांता हमारी सीमा में 50 किलोमीटर तक घुस आए। उन्होंने तीन भारतीयों को मार दिया, उनमें से दो के सिर काट दिए। उन्होंने उनके सिर एक बोरी में रखे और 19 दिसम्बर, 1991 को वापस सिन्ध ले गए। जनवरी में मैंने सरकार को लिखकर पूछा कि उन्होंने इस बारे में क्या किया है? मैंने जनवरी से जून, 1992 के बीच इस सरकार को पाँच पत्र लिखे हैं। मुझे वास्तविक घटना पर संतोषजनक उत्तर अभी तक नहीं मिला है। सीमा पार से अपराध की यह घटना हुई है जिसमें पाकिस्तानियों ने भारत में घुसने का साहस किया, हमारे देशवासियों की हत्या की और फिर उनके सिर वापस ले गए दिसम्बर, 1991 से आज तक इतने महीने बाद कोई कार्रवाई करने, पाकिस्तान से विरोध व्यक्त करने की बात तो अलग है, गिरफ्तार करने की बात अलग है, मुझे तो इस घटना पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय से संतोषजनक उत्तर भी नहीं मिला है। मैंने यह उदाहरण क्यों दिया? मैंने इसे इसलिए उद्धृत किया है क्योंकि यह इस नीति को लागू करने के प्रति आपके रवैये को दर्शाता है कि दो भारतीय मारे जाएँ या तीन भारतीय मारे जाएँ उससे आपको को क्या फर्क पड़ता है, इसे साधारण घटना ही समझा गया।

मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि राजस्थान का भाग और संभवत: कच्छ का भाग मैं 'संभवत:' शब्द का प्रयोग किसी खास वजह से ही कर रहा हूँ— राजस्थान का क्षेत्र, हिन्दूमल कोट के दक्षिण से कच्छ तक हमारे पास संभवत: भारत-पाक सीमा का यह अन्तिम सुदृढ़ क्षेत्र है। मैं यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि यह सरकार भारत-पाक सीमा पर राजस्थान क्षेत्र को अपेक्षित गंभीरता से नहीं ले रही है। अगर भारत-पाक सीमा के इस अन्तिम क्षेत्र को इस प्रकार लिया गया तो निश्चित रूप से यह सरकार हमारे विश्वास के योग्य नहीं है। भारत-पाक संबंध में संभवत: केवल हमारे दल ने ही आपत्ति की थी क्योंकि हमारे विचार से शिमला समझौते के माध्यम से दूसरे पक्ष को ज्यादा

लाभ दिया गया है और शिमला समझौते में वस्तुतः आपने यही किया भी था अब तो लगभग सभी की यही राय है कि हमारा विचार ही सही था।

जहाँ तक तीन बीघा-जमीन का प्रश्न है, इस बात पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है कि जो बात एक ऊपरी पुल-निर्माण करने से तथा हर-संम्भव परिवहन-सुविधा प्रदान करने से हासिल की जा सकती थी वह उस भूमि को लम्बी-अवधि के लिए पट्टे पर देकर की गई है। वह लम्बी-अवधि पर पट्टा देते हुए, आपने यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि भारत-बंगला देश संबंधों के परिप्रेक्ष्य में अबाधित अनधिकृत अप्रवासन पर रोक लगेगी अथवा नहीं। मैं यह कैसे मान लूँ कि हमारे देश के सुरक्षा-प्रबंधन में यह सरकार हमारे विश्वास की पात्र है।

मैंने यहाँ पहले भी माननीय प्रधान मंत्री महोदय से अनुरोध किया था कि क्या वह हमें बताएँगे कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? क्या वह हमें बताएँगे कि अफगानिस्तान में हुए परिवर्तनों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। प्रधान मंत्री ने उस समय कहा था; कृपया मुझ से मत पूछिए। वहाँ परिस्थितियाँ बदल रही हैं। उस संबंध में कुछ कहना या इसी तरह के कुछ शब्द उन्होंने कहे थे मेरे लिए उलझन पूर्ण होगा।

अब घटनाएँ तेजी से बदल रही हैं। अब हमें केवल अफगानिस्तान में ही इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बल्कि मध्य एशिया गणतंत्रों के समूचे क्षेत्र में भी हमारी स्थिति यही है क्योंकि हममें समय के साथ चलने की क्षमता नहीं है। परिणामस्वरूप, भारत की सुरक्षा को गम्भीर खतरे की संभावना है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके बारे में क्या किया है?

इसी प्रकार विभिन्न देशों में हमारे राजनयिकों को वहाँ से बाहर निकाले जाने और उनकी पिटाई करने की बात भी आम हो गई है। हमें ज्ञात हुआ है कि ईरान की सरकार ने तेहरान स्थित भारतीय राजनयिकों के अपहरण अथवा उन्हें गिरफ्तार करने अथवा उन्हें कहीं ले जाने की योजना थी। हम भारत सरकार से यह जानना चाहते हैं कि तेहरान में कार्यरत भारतीय राजनयिकों को ईरान द्वारा पूछताछ के लिए बाहर ले जाने संबंधी घटना के पीछे तथ्य क्या हैं?

महोदय, हमारे सशस्त्र-बलों और उनके मुकाबला करने के लिए तैयार रहने की स्थिति के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं रक्षा मंत्री महोदय के इस विचार से सहमत हूँ कि रक्षा मंत्रालय उन मंत्रालयों में से एक है जिसकी बड़ी सरलता से अनदेखी की जाती है। मंत्रालय अपने आप चलता है क्योंकि तीनों सशस्त्र सेनाएँ और डी.आर.डी.ओ. स्व नियंत्रित संगठन हैं। लेकिन मैं इस सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि जब रक्षा मंत्री महोदय भारतीय वायु सेना से मानार्थ, विंग्ज स्वीकार करते हैं, तो यह औचित्य का घोर उल्लंघन है। क्योंकि किसी के मंत्री होने अथवा नहीं होने के कारण 'विंग्ज' प्रदत्त नहीं किए जाते हैं। मैं कोई सामान्य मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि यह सशस्त्र सेनाओं की वर्तमान स्थिति का द्योतक है। तीनों सेनाओं की रक्षा-तत्परता अथवा मुकाबला करने की तैयारी की दशा के बारे में सिद्धान्ततः दो आधारों पर मुझे परेशानी है। इनमें से एक है मनोबल और दूसरे साजो-सामान की स्थिति। मैंने 'विंग्ज' का उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि यह मनोबल के प्रश्न पर प्रकाश डालता है और मुझे विश्वास है कि रक्षा मंत्री महोदय मेरे कहने का तात्पर्य समझते हैं। सशस्त्र बलों के मनोबल के प्रश्न पर ही मुझे यह भी खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सेना के तीनों अंगों के अध्यक्षों के पद विवादग्रस्त हो गए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों को पहली बार इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि रक्षा मंत्रालय के शीर्षस्थ अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध और अधिकाधिक अपीलें दायर की जा रही हैं। न्यायालयों में अधिकतम केस दायर किए जा रहे हैं और अधिक कोर्ट मार्शल हो रहे हैं। आप इस बारे में इस सभा में स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। जो बात मैं कह रहा हूँ, यह कोई बहस करने वाला मुद्दा नहीं है। यह सरकार को ही उद्घाटित करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को

न्यायालय का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? सशस्त्र सेनाओं की शिकायतें दूर करने की व्यवस्था में कहाँ खराबी आ गई है? जब तक आप इन कारणों पर विचार करके इनका समाधान नहीं निकालते तब तक आप हमारे विश्वास के पात्र नहीं हो सकते है।

भारतीय थल सेना अथवा भारतीय सशस्त्र बलों की महान् शक्ति इसके अधिकारियों और जवानों के बीच मधुर संबंध हुआ करते थे। मैं अत्यन्त नम्रता और चिन्तापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि अब संबंध वैसे नहीं हैं। अतः सरकार को अत्यंत गम्भीरता से हमारी सशस्त्र सेनाओं के मनोबल की दशा और मुकाबला करने की तैयारी तथा साथ ही, सोवियत-संघ के भंग होने और इसके फलस्वरूप हमारी सशस्त्र-सेनाओं की शस्त्रों की आपूर्ति में आने वाली स्पष्ट बाधाओं के बारे में अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। लेकिन इस स्थिति का एक और पहलू है, जिसके बारे मे सरकार को जाँच-पड़ताल करनी चाहिए और मुझे आशा है कि वे हमारे साथ अपने विचारों का विनिमय करेंगे। सोवियत-संघ के दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए हैं लेकिन दूसरों के लिए वे खुले हैं। इससे भारत के सुरक्षा सम्बन्धी हितो पर उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? दूसरे, शस्त्र आपूर्ति करने वाले पाँच राष्ट्रों ने कम-से-कम सिद्धान्त रूप से, भले ही व्यवहार में सही इसके लिए सहमत हो गए हैं कि वे शस्त्रों के हस्तांतरण का रजिस्टर रखेंगे। क्या सरकार हमें सूचित करेगी कि मुकाबला करने की कारगरता और भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारी के बारे में उससे क्या प्रभाव पड़ा है?

तीसरे, अब अफगानिस्तान में साजो-समान और शस्त्रों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। अफगानिस्तान में अशांति है। भारत की सुरक्षा पर उसका क्या असर पड़ेगा?

चौथे, अब ईरान केवल प्रौद्योगिकी ही नहीं, बल्कि हथियारों एवं मानव-शक्ति का भी एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेता है। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर भी हमारे साथ अपने दृष्टिकोण की चर्चा करे। हमने पाकिस्तान को परमाणु शस्त्र सज्जित देश माना है। जब तक सरकार पाकिस्तान के परमाणु शस्त्र सज्जित देश होने के बारे में अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं करती, तब तक हम आसानी से उन पर अपना विश्वास कैसे कायम कर सकते है।

महोदय, मैं दो या तीन मिनट और लूँगा। लेकिन अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं देश के तंत्र के योजनाबद्ध दुष्क्रियाओं और संकटपूर्णता के बारे में अपनी गम्भीर चिन्ता आपके साथ बाँटना चाहूँगा।

वर्षों से हम प्रत्येक नए अपराध के लिए नए कानून बनाते आ रहे हैं और प्रत्येक अतिरिक्त अपराधी के लिए एक नए पुलिस बल की स्थापना करते आ रहे हैं। इन बलों ने अब पूर्णतया निष्क्रियता ला दी है क्योंकि ये पूर्णतया गैर-जिम्मेदार हो गए हैं। हमारे गणतंत्र को दो अति-गम्भीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है— भारत की पुलिस की दशा और भारतीय जाँच एजेंसियों की अवस्था। इन दो बातों की विस्तारपूर्वक व्याख्या करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। लेकिन महोदय मेरा निवेदन है कि पुलिस और जाँच एजेन्सियों की गैर-जिम्मेदार स्वायत्तता और इन दोनों के मेल ने हमारे गणतंत्र के लिए एक गम्भीर कठिनाई और विकट-समस्या खड़ी कर दी है। मैं स्वीकार करता हूँ कि आपने इस समस्या को पैदा नहीं किया है, आपको ये विरासत में मिली है। लेकिन, मेरे दिमाग में यह बात स्पष्ट नहीं हुई है कि आपने इसे सही करने अथवा इसका निराकरण करने के लिए उचित योजना बनाई है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की संसदीय-बहस की कुछ अपनी सीमाएँ हैं। समय की ऐसी सीमाएँ हैं कि इस प्रकार की बहस केवल सांकेतिक हो सकती है और इसमें सब कुछ शामिल नहीं किया जा सकता है। अतः मैं इस सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ नकल करना और प्रश्न पत्रों का पहले पता लग जाना हर-तरफ व्याप्त है; अथवा जनसंख्या-नियंत्रण, जहाँ चुप्पी-साध लेना ही नीति माना जाता है; अथवा ऊर्जा, ईंधन, यातायात और दूर-संचार जैसे

अत्यावश्यक क्षेत्र, जो कि हमारे भावी विकास के संबल हैं, के बारे में कमियों पर विस्तार में नहीं बोल पाया हूँ। इन क्षेत्रों में विफलता भविष्य में सामने आएगी।

मैं पर्याप्त रूप से सहमत नहीं हुआ हूँ कि इस सरकार ने अर्थपूर्ण ढंग से कार्य किया है। मैं यह प्रस्ताव पेश करने को इसलिए राजी हुआ हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ— मैं आरम्भ करता हूँ कि यह सच न हो लेकिन मैं मानता हूँ कि यह विपत्ति राष्ट्र के सिर पर ही नहीं आ खड़ी हुई है बल्कि उसका प्रवेश आरम्भ भी हो चुका है। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए पेश किया है। क्योंकि मैं मंत्रि-परिषद के सीमित दृष्टिकोण और उसकी संकुचित जागरूकता के प्रति चिंतित हूं। वर्तमान उच्च नैतिक और अध्यात्मिक मुद्दों पर बेलगाम अपारदर्शिता को देखते हुए मेरे सामने इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है कि मैं यह प्रस्ताव रखूँ कि यह सभा मंत्री-परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करती है ...(व्यवधान)

**श्री मणि शंकर अय्यर** : महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय से एक स्पष्टीकरण माँगना चाहता हूँ ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यह व्यवस्था के प्रश्न जैसा है। मैं उनकी बात सुन रहा हूँ।

**श्री मणि शंकर अय्यर** : मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बोलने के लिए कितने मिनट का समय अब बकाया रह गया है?

**अध्यक्ष महोदय** : इसका निर्णय मुझे करना है। आपको इसके बारे में चिन्ता नहीं करनी है।

...(व्यवधान)...

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : माननीय अध्यक्ष, हम सबने माननीय सदस्य का एक बहुत आकर्षक भाषण सुना जो कि विषयवस्तु के मुकाबले वक्तृता की दृष्टि से अधिक आकर्षक है। परन्तु मैं श्री जसवंत सिंह को बधाई दूँगा कि एक चुराये हुए लेख के आधार पर मैं नहीं जानता कि उनको वह कैसे मिला— वह आज भारत में हो रही घटनाओं की एक बहुत भीषण तस्वीर पेश करने की चेष्टा कर रहे हैं इसके साथ ही, उन्होंने प्रधान मंत्री पर यह व्यंगपूर्ण आक्षेप करना ठीक समझा कि उन्होंने यह कैसे कह दिया कि वह सब कुछ पीछे छूट गया है और वह अब कुछ बेहतरी की आशा करते हैं। श्री जसवंत सिंह ने व्यंग की यही एक बात नहीं कही। जो भी व्यक्ति इतिहास के इस मोड़ पर भारत के प्रधान मंत्री का पद पर संभालेगा, उस पर व्यंग किए जाएँगे। उसका उपहास भी होगा। उसकी हँसी उड़ाई जाएगी। परंतु मुझे विश्वास है कि इतिहास इस समय यह फैसला भी करेगा कि प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव ने केवल उसका सामना ही नहीं किया परंतु इस सबको विगत की चीज भी बना दिया और भविष्य यह दिखाएगा।...(व्यवधान)...

**श्री जसवंत सिंह** : महोदय, मैं अपने सभी दोस्तों से चुप रहने के लिए कहूँगा क्योंकि धैर्य विरोधी दल का गुण नहीं है। हमारे अंदर अपने खिलाफ कही गई बातों को सुनने की नम्रता और साहस है, और श्री चटर्जी, जहाँ कहीं हमसे गलती हुई है, हमें उसे मानने में कोई संकोच नहीं है। स्पष्टवादिता एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में होनी चाहिए, स्पष्टवादिता की कमी से लोकतंत्र की क्षति होती है, सरकार की नहीं।

**श्री अर्जुन सिंह** : अध्यक्ष महोदय, श्री जसवंत सिंहजी जैसी वाग्विद्रग्धता मुझ में नहीं है, एक के बाद एक इल्जाम लगाने का ज्ञान भी मुझे निश्चित रूप से नहीं है। मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि श्री जसवंत सिंहजी ने, बुरे मामले को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का जोरदार प्रयास किया है। और इसकी वजह यह है कि मैंने उनके सारे भाषण में बहुत ध्यान से सुनने पर एक ही बात का बार-बार उल्लेख पाया है कि हम एक साल तक चुप रहे। अब हमें बोलना है, उन्होंने इसी बात का गेना गेया है कि प्रधान मंत्री ने अपनी पारी की शुरुआत 1991 के चुनावों के नतीज़े के आधार

पर अवधारणा एवं अंकगणितीय दृष्टि से एक कमज़ोर एवं पंगु व्यवस्था के साथ की। शायद प्रधान मंत्री ने यह कहकर एक बहुत बड़ी गलती की कि आम सहमति वक्त की जरूरत है। अगर अवधारणा एवं राजनीतिक रूप से अंकगणितीय दृष्टि से कमजोर राज्य व्यवस्था को आम सहमति के उपचार की जरूरत थी तो इसमें उनकी गलती नहीं थी। मेरे विचार से, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वही वक्त की जरूरत थी। परंतु आपने किस प्रकार का व्यवहार किया?

आप चुप रहे—मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों किया—परंतु इस सदन ने और इस देश ने यह बहुत स्पष्ट रूप से समझ लिया है, फिर आपके चुप रहने और हमें एक साल की मोहलत देने के कोई भी कारण रहे हों लेकिन वह आपके कहने पर नहीं किया गया था। इस देश के व्यवस्था संचालन का यह मौका, हमें जनादेश से प्राप्त हुआ है। इसे पूर्ण बहुमत भले ही न मिला हो, परंतु जनादेश तो मिला ही है। हमारी नीतियों, पॉलिसी और कार्यक्रमों के मामले में जो हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, काँग्रेस पार्टी उसके प्रति वचनबद्ध है। यह हमारा कर्त्तव्य है। ऐसा नहीं है कि आप हमारी राजनीतिक कार्य-सूची बनाएँगे। अगर यह आप नहीं कर पाए, और एक साल के बाद अपनी सद्भावना वापस ले लेने के पश्चात् इसी बात का रोना है तो मैं तो नहीं कहूँगा कि अच्छा पीछा छूटा। परंतु यह भी स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए कि अपनी ओर से हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है और न ही हम भविष्य में राष्ट्रीय कार्य-सूची में सम्मिलित ऐसे मुद्दों पर आम सहमति के अपने रास्ते से विचलित होंगे, जिनसे हमारे राजनीतिक दल का कोई संबंध नहीं है, जिनका की एक निश्चित दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है—परंतु जो कि इस गणतंत्र से संबंधित है—जिस के बारे में मैं श्री जसवंत सिंहजी को याद दिला दूँ कि इस सम्मानित सदन से कुछ सौ फुट की दूरी पर, चौदह अगस्त की अर्ध रात्रि को पैदा हुआ था तथा जब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था "राष्ट्र की आत्मा जो बहुत लम्बे समय से दमित रही है, आज उसे वाणी मिल गई है।"

हमें उसका भान है। महोदय, हम बहुत छोटे लोग हैं तथा उन महान व्यक्तियों जैसी जिम्मेदारियाँ उठाने की सामर्थ्य हममें नहीं है परंतु हमें निश्चय ही उस विरासत पर गर्व है तथा वह महान विरासत हमारी पथप्रदर्शक शक्ति, हमारी ताकत है, शक्ति है और हम भरसक इस बात की कोशिश करेंगे कि इस विरासत को हम अपनी दूसरी पीढ़ी तक उससे अधिक समृद्ध रूप में पहुँचाएँ जिस रूप में हमने उसे प्राप्त किया था।

अब श्री जसवंत सिंहजी ने कतिपय विशिष्ट मुद्दे उठाए। मैं इस सदन को केवल यह याद दिलाना चाहूँगा कि शायद एक मिनट के लिए उन हालात पर गौर करना उचित होगा जिनमें यह सरकार बनी थी। यह राज्य व्यवस्था केवल अवधारणा के आधार पर गणितीय और राजनीतिक दृष्टि से ही पंगु नहीं है। जब मैं यह कहता हूँ कि मैं किसी पर भी उँगली नहीं उठा रहा हूँ परंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारी राज्य शासन व्यवस्था आर्थिक रूप से भी खण्डित थी। मैं इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। स्थिति जो भी रही हो, लेकिन जब प्रधान मंत्री ने कार्यभार ग्रहण किया स्वभावतः उनका पहला कार्य इस देश का आर्थिक संतुलन कायम रखना था। शायद आप उनके द्वारा उठाए गए कदमों से सहमत न हों। आप का सुझाव देने का दूसरा तरीका है। परंतु उस समय, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों ने इस देश को एक बहुत ही भयंकर स्थिति से बचाया जिसका हमें उस समय सामना करना पड़ता, अगर हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नहीं किए होते और अगर हमारी भी वही स्थिति होती जो कि उन कुछ देशों की हुई है, जिनके नेता उस संकट के समय साहस, विश्वास और दूरदृष्टि से काम नहीं ले सके। मैं जानता हूँ कि आप विगत का विवेचन कर के ऐसी सैकड़ों बातों का उल्लेख कर सकते हैं जिनके बारे में गलती हुई। हममें से प्रत्येक को यह विशेषाधिकार है। मुद्दा यह है कि इसका किस तरह से उपयोग होता है। अगर इसका उपयोग इस इरादे से किया जाए कि राष्ट्र के लिए एक बहुत आसान रास्ता निकल जाए भविष्य के लिए तो उसका प्रयोग उचित है। अगर इस

विशेषाधिकार का प्रयोग इस वजह से किया जा रहा है कि उससे लोगों को और ज्यादा दिग्भ्रमित किया जाए या उसका प्रयोग, मैं यह नहीं कहूँगा कि वित्तीय मामलों पर नहीं बल्कि अन्य मुद्दों पर विरोध करने या राज्य की शासन व्यवस्था के संकल्प को कमजोर करने के लिए किया जाए तो वह मेरे विचार से उस का उचित प्रयोग नहीं है। इसलिए जहाँ अविश्वास प्रस्ताव लाना और उस पर बोलना श्री जसवंत सिंहजी का हक है, वही मुझे यकीन है कि वह रुक कर यह सोचेंगे कि उन्हें क्या कहना है, और उसका इस देश के संकल्प के ऊपर अंततः क्या असर होगा?

मैं जानता हूँ कि कीमतें बढ़ रही है। आपने बहुत से आँकड़े उद्धृत किए हैं। मुझे यकीन है कि मेरे माननीय साथी श्री मनमोहन सिंह, जब वह बोलेंगे, आपको वे सब कारण बताएँगे कि ऐसा क्यों हुआ? वह आपको बताएँगे कि हम उसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं और वह आपको यह भी बताएँगे कि निःसंदेह हम इस स्थिति पर विजय पा लेंगे।

मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य यह महसूस करेंगे कि मैं इस सरकार के केवल नाममात्र के बचाव के लिए ही खड़ा नहीं हुआ हूँ, बल्कि इसलिए भी खड़ा हूँ क्योंकि मेरे कुछ विश्वास हैं, और मैं यह देख रहा हूँ कि यही वह सरकार है जो कि अंततः इस देश को उसकी विषम परिस्थितियों से बचा सकती है और किसी की वजह से मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई इलज़ाम नहीं लगा रहा हूँ परंतु सच तो यह है कि किसी को तो इस देश को इस संकट से बचाना है, और मुझे यकीन है कि यह सरकार ही ऐसा करेगी।

श्री जसवंत सिंह ने प्रतिभूति घोटाले और बोफोर्स के बारे में भी कहा है कि जिसमें न्याय शास्त्र का सिद्धांत ही उलट दिया गया है। मैं वकील नहीं हूँ हालाँकि मैंने कानून पढ़ा था, परंतु मेरे अध्यापक ने कभी भी मुझे इस सिद्धांत के बारे में कुछ नहीं बताया जिसको उत्क्रमित न्यायशास्त्र कहा गया है। वास्तव में यह नया न्यायशस्त्र ही व्यवहार में आ गया है, महोदय। जब श्री जसवंत सिंह ने इस शब्द का प्रयोग किया है तो ऐसा शब्द होता होगा।

अतः मैं चाहता हूँ कि सदन तथ्यों पर विचार करे। जब प्रधान मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि जाँच द्वारा मामले की तह तक पहुँचा जाएगा, तो उनकी बात पर संशय करने का कोई कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस घोटाले का पता चलते ही तुरंत तथा कड़ी कार्रवाई की। अब, मेरे विचार से उन्होंने लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप, इस सदन से संयुक्त संसदीय समिति का उपयोग तथ्यों को उजागर करने के लिए करने का आग्रह किया है ताकि जो भी कार्रवाई यह सदन उचित समझे, सरकार उस पर अमल कर सके। मैं समझता हूँ कि आप उन पर किसी को बचाने का प्रयत्न करने का आरोप नहीं लगा सकते।

श्री जसवंत सिंहजी ने चार बातें कहीं हैं। उन्होंने शासन तंत्र को चलाने के ढंग का उल्लेख किया है। शासन तंत्र प्रबन्धन के संबंध में उन्होंने कश्मीर, पंजाब तथा लिट्टे की समस्या से निपटने के सरकार के तरीके के बारे में अपने विचार व्यक्त किए है तथा उन्होंने हम पर दुविधा में होने तथा हमारी विदेश नीति पर जातीयता हावी होने का आरोप लगाया है। मुझे विश्वास है कि जितनी विद्वत्ता तथा ज्ञान श्री जसवंत सिंहजी के पास है, उसके अनुसार उन्हें इतना तो पता ही होगा कि शासन प्रबन्धन का अर्थ इस बारे में एक पक्षीय दृष्टिकोण अपनाना नहीं हो सकता है क्योंकि इससे सारी वस्तुस्थिति को आप कभी भी उसकी समग्रता में नहीं देख सकते।

आपने कश्मीर का उदाहरण दिया है कि दो मंत्रियों ने अलग-अलग वक्तव्य दिए हैं। यह सत्य नहीं कि दोनों मंत्रियों ने अलग-अलग बात कही हो। दोनों ने ही सरकार की चिंता को व्यक्त किया है। जब स्वयं प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि इस देश की एक इंच भूमि भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के दायरे से बाहर नहीं है तो ऐसी स्थिति में अगर कोई चुनाव करवाने की बात कहता है तो वह नीति के विरुद्ध बात नहीं कर रहा। अगर कोई व्यक्ति जोकि कानून व्यवस्था स्थापित करने,

आतंकवादी विरोधी अभियान को वास्तव में जारी रखने के लिए जिम्मेदार है, इस संबंध में अपनी चिंता अभिव्यक्त करता है तो वह कोई नीति विरोधी कार्य नहीं कर रहा है। राष्ट्र के समक्ष मुद्दों और समस्याओं में समन्वय स्थापित करना ही वास्तव में प्रबंध कला है। अगर आप इसे पाप या गलत समझते हैं तो आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है परंतु मेरे विचार में ऐसा ठीक नहीं है तथा यह सरकार अपने उत्तरदायित्वों से विमुख हुए बिना तथा सारी स्थिति को इसकी समग्रता में सामने रखते हुए तथा यह मानकर कि मूलत: यह एक लोकतांत्रिक देश है तथा शासन चलाने का कार्य लोकतांत्रिक ताकतों को दिया जाना चाहिए, शासन व्यवस्था करती रहेगी। यही हमारा उद्देश्य है। इस प्रक्रिया को काफी उतार-चढ़ाव से होकर गुजरना होगा। इस दुनिया में ऐसा होता ही है।

इसके अतिरिक्त उन्होंने सुरक्षा को खतरे की बात की है। श्री जसवंत सिंहजी प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से आए हैं, मै यह जानता हूँ। उन्हें भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर सेवा करने का गौरव प्राप्त है, जिसका हमें गर्व है। हम उनका सम्मान करते है। परंतु क्या आप किसी एक घटना के आधार पर सुरक्षा के खतरे की बात कह सकते हैं। मैं नहीं समझता कि आप ऐसा कर सकते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा विशेषकर विद्यमान संदर्भ में ऐसा विषय है जिसके दायरे में देश के भीतर होने वाली प्रत्येक घटना आ जाती है। तथा इसका देश के समक्ष बाहरी खतरे से क्या संबंध है? इसलिए जब ऐसा कह कर उन्होंने अपनी बात समाप्त की तो शायद अनजाने में उनसे ऐसी बात कही गई जो कि वे पहले नहीं कह सके थे तथा यह बात उनके मन में खटक रही थी कि भारतीय गणराज्य के समक्ष यह खतरा बना हुआ है। बेशक आपके विचार से इसके लिए पुलिस तथा गैर जिम्मेदार आसूचना सेवाओं की स्वायत्तता जिम्मेदार है। मैं माननीय सदस्यों के समक्ष यह बात दोहराना चाहूँगा कि देश की सुरक्षा केवल पुलिस तथा गैर जिम्मेदार आसूचना एजेन्सियों तक ही सीमित नहीं है; हाँ, यह उसमें योगदान करने वाली एक बात हो सकती है परंतु मेरी वास्तविक शिकायत यह है जो कि मैं स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहता हूँ कि अगर इस देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न हुआ है, अगर देश के लोकतांत्रिक ढाँचे के लिए कोई खतरा है तो इस खतरे का कारण सदन में इस ओर बैठे हुए लोग नहीं हैं बल्कि विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं।

इस राष्ट्र के बारे में आप की क्या संकल्पना है? क्या मानते हैं? यह राष्ट्र केवल किसी व्यक्ति विशेष, किसी आस्था विशेष वाले लोगों, किसी जाति या किसी वंश का नहीं है बल्कि सबका है तथा यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारत के संविधान में अधिकारों और कर्त्तव्यों की व्यवस्था की गई है। इसलिए यदि कोई गैर जिम्मेदाराना तरीके से सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करता है, चाहे उसमें देश के राजनैतिक तंत्र को कितना ही खतरा क्यों न हो तो ऐसी स्थिति में हमें बैठकर यह विचार करना होगा कि वास्तव में देश के सुरक्षा वातावरण के लिए खतरा कौन उत्पन्न कर रहा है तथा राष्ट्र के सैद्धांतिक, राजनैतिक तथा सामाजिक ढांचे को तोड़ने में सहायता कौन कर रहा है? इसलिए, मैं श्री जसवंत सिंह तथा उनकी पार्टी से यह अपील करता हूँ कि यही अवसर है कि वे इस पर विचार करें कि वे क्या करने जा रहे हैं। दी गई मोहलत वापस लेने के पश्चात् यही अवसर है जब कि आप का यह कर्त्तव्य है कि आप आग में घी डालें तथा उन खतरनाक प्रवृत्तियों को फिर से बढ़ावा दें जिसने सारे राष्ट्र को अपनी आग में लपेट लिया था।

जब तथाकथित अर्द्ध देव ने अपने रथ पर सवार हो कर सारे देश की यात्रा की तो उसने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि उनके पीछे होने वाले रक्तपात में भारी पीड़ा भर दी थी। तथा उसके कान पूरी तरह सत्ता के उस सूर्यनाद से जुड़े हुए थे जिसे वे अपने दिल्ली पहुँचने पर सुनने की आशा लगाए बैठे थे। उनका ध्यान उन हज़ारों स्त्रियों और बच्चों के आर्तक्रन्दन से भी भंग नहीं हुआ जो कि उनके अग्नि रथ के गुजरने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए थे...(व्यवधान)

यह संभव नहीं।...(व्यवधान) जिस प्रकार की धर्मान्धता को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या आपको उसकी जानकारी है...(व्यवधान)

**श्री नीतीश कुमार (बाढ़)** : महाराष्ट्र में क्यों नहीं पकड़ा?...(व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ कि किसने, किसको पकड़ा। मैं जानता हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह सब एक कड़वी सच्चाई है। परंतु मैं यह सोचता हूँ कि किसी न किसी को तो यह कड़वा सच बोलना ही पड़ेगा, किसी न किसी को तो यह जोखिम उठाना ही पड़ेगा परंतु विनम्रतापूर्वक मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं यह सब खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ चाहे इसका कुछ भी परिणाम क्यों न हो। मैं यह कहना चाहता हूँ कि शायद आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि अगर यह सांप्रदायिक हिंसा देश में फैल गई तो उसका क्या परिणाम होगा? क्या आप चारों तरफ के वातावरण के प्रति जागरूक हैं? मैं अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की चर्चा कर रहा हूँ। देश में चारों तरफ हम धर्मान्ध ताकतों का उत्कर्ष देख रहे हैं। देश में कट्टरवाद की आग को भड़काकर आप देश को उन कट्टरवादी ताकतों के साथ संघर्ष के लिए तैयार कर रहे हैं। अथवा क्या आप इस देश के लोगों के संकल्प को कमजोर करना चाहेंगे क्योंकि अगर सांप्रदायिकता उनको जकड़े रखेगी तो वे कट्टरवादी ताकतों से संघर्ष कैसे करेंगे? इसके लिए आपको सारे देश को तैयार करना होगा, लोगों के दिल और दिमाग को तैयार करना होगा। आप इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं।

मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूँगा कि प्रधान मंत्री परस्पर विरोधी शक्तियों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।...(व्यवधान)। कुछ मुद्दों की वजह से जो सामाजिक असामन्जस्य उन्हें विरासत में मिला उसे वे प्रत्येक संबंधित व्यक्ति की सहायता से समाप्त करने में सफल रहे तथा आरक्षण नीति के संबंध में उन्होंने अधिक से अधिक सहमति तथा समर्थन जुटाने की कोशिश की। उन्होंने इस बात का भरसक प्रयास किया कि बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में जिसमें कि राष्ट्रीय सीमाएँ समाप्त हो रही हैं, जब कि एक उपमहाद्वीप के लोग दूसरे उपमहाद्वीप के लोगों की ओर मित्रता अथवा तोड़फोड़ के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, वे भारत को इन सब बातों से मुक्त रखने में सफल रहे हैं। इस एक वर्ष में दिखावे के लिए चाहे हमने कुछ अधिक नहीं किया, परंतु देश की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के मामले में एक मौन संकल्प बरकरार रहा।

इसलिए मेरी आपसे यह विनती है तथा आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूँ कि लोगों की भावनाओं अथवा संस्थाओं के साथ खिलवाड़ के लिए यह उचित अवसर नहीं है। यह उन्हें शक्तिशाली बनाने का समय है। यह समय अपनी निष्ठा और विश्वास को और मज़बूत करने का है।

कुछ पीढ़ियों को अपनी निष्ठा का प्रमाण अपने कर्म से देना पड़ता है, हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारा निश्चय और विश्वास राजनीति, दलगत राजनीति पर आधारित अथवा क्षणिक नहीं है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह राष्ट्र आर्थिक प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि देश की राजनैतिक एकता बनी रहे, जो सामाजिक तनाव पैदा किया जा रहा है, उसका मुकाबला लोकतांत्रिक तरीके के अनुसार किया जाए, तथा हर हालात में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि देश के कमजोर, गरीब तथा पिछड़े हुए वर्गों को उनका हक तुरंत तथा निश्चित रूप से मिले। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ताकतें जो कि लोकतांत्रिक, धर्म निरपेक्ष तथा सौहार्द्रपूर्ण शक्तियों के रास्ते में रुकावटें और अड़चनें डालना चाहती हैं, वे किसी भी हालात में सफल न हों।

मेरे पास जितनी अंतर्दृष्टि है उसके आधार पर मैं इस सदन को इस संबंध में सावधान करना चाहता हूँ तथा यह निवेदन करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ, वह कभी भी न हो।

मै देख रहा हूँ कि फासिस्टवाद की लम्बी छाया इस देश पर मंडरा रही है, तथा हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम इस छाया को वास्तविकता का रूप न लेने दें। इस संबंध में इस सदन को प्रधान मंत्री महोदय का साथ देना होगा ताकि हमारी भावी पीढ़ियाँ यह कह सकें कि इस समय जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी, उन्होंने इस छाया को सच्चाई बनने से रोक दिया। डाइलन थॉमस के शब्दों में यह एक दूसरे का विरोध करने का समय नहीं है और कम से कम उन व्यक्तियों को ऐसा नहीं करना चाहिए जो इस देश की धर्मनिरपेक्ष शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके लिए यह समय एकजुट होने का है ताकि हम ऐसी स्थिति का विरोध कर सकें और इसके सामने झुकें नहीं। मुझे विश्वास है कि श्री नरसिंह राव जी के कुशल नेतृत्व में अच्छी परिस्थितियाँ आएँगी, जिनकी श्री जसवंत सिंह जी को कोई आशा नही है, मै उन्हे विश्वास दिलाता हूँ कि हम देखेंगे कि ऐसी स्थितियाँ फिर से पैदा न हों।

मै चाहता हूँ कि यह सभा न केवल उसे परिलक्षित करे जो हम कर चुके हैं बल्कि उसे भी परिलक्षित करे जो कार्य करने की आवश्यकता है, और इसके लिए सबको इकट्ठा होना होगा तथा जो देश को विभाजित करना चाहते है उन्हे रोका जाए। समय की यही माँग है। भविष्य भी हमसे यही चाहता है।

**श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा)** : अध्यक्ष जी, मैं अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मेरी यह मान्यता है कि इस सरकार को एक क्षण भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

अभी हमको इस बात का सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ कि अर्जुन सिंह जी को क्यों बुलाया गया? हमारे बीच मे सत्ता पक्ष के एक से एक धुरन्धर लोग हैं, जो जसवन्त सिंहजी के प्रश्नों का जवाब दे सकते थे, लेकिन अर्जुन सिंहजी को ही क्यों बुलाया गया और श्री अर्जुन सिंह जी ने जरूरत से ज्यादा प्रधान मंत्री की तारीफ क्यों कर दी?

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं आपकी तारीफ करूँ, सवाल ही नहीं उठता है।

**श्री रामविलास पासवान** : इसलिए यह साबित करता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। यह सरकार एक साल तक टिकी, हम सरकार गिरा पाएँगे, नहीं गिरा पाएँगे, यह अलग बात है लेकिन इस सरकार से इस देश का मोहभंग हो गया है, क्योंकि, आपने महँगाई के ऊपर रोक नहीं लगाई, देश की जनता कुछ दिन के लिए क्षमा कर सकती थी, आपने बेरोजगारी के बढ़ने पर रोक नहीं लगाई, देश की जनता आपको कुछ दिन के लिए और माफ कर सकती थी, आपने भ्रष्टाचार के ऊपर रोक नहीं लगाई, देश की जनता कुछ दिन तक आपको माफ कर सकती थी। पंजाब की समस्या सुलझाने में आप असफल रहे, देश की जनता आपको कुछ दिन तक माफ कर सकती थी, आप दलितों की रक्षा करने में विफल रहे, पूर्णतया विफल रहे, इसके लिए भी देश की जनता आपको कुछ समय दे सकती थी। अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटी की रक्षा करने में आप विफल रहे, आप मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने में विफल रहे, आपने अमेरिका के आगे घुटने टेकने का काम किया, लेकिन सबसे बड़ा जो जुर्म आपने किया है, वह संविधान की रक्षा करने में पूर्णतया अपने को असफल साबित किया है और आपने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई हैं, आप संविधान की रक्षा नहीं कर पाए हैं इसलिए आपको सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

आपने एक-एक बात कही, मैं सोच रहा था कि जसवन्त सिंहजी ने जो मुद्दा उठाया, हालाँकि उन्होंने एक पक्ष मुँह का उठाया, जो आर्थिक सवाल था, जिसको इन्होंने रखने का काम किया लेकिन आज मुझे इस बात का आश्चर्य है कि अर्जुन सिंहजी बोले और एक शब्द भी सामाजिक न्याय के संबंध में आपके मुँह से नहीं निकला एक शब्द भी नहीं कहा।...(व्यवधान)...

**श्री अर्जुन सिंह** : आपने सुना नहीं। मैंने सामाजिक न्याय की बात भी कही।...(व्यवधान)...

**श्री रामविलास पासवान** : आपने धर्म-निरपेक्षता की दुहाई दी। मैं किसी और बात पर नहीं जा रहा हूँ,

मैं महँगाई से शुरू करता हूँ। आपने कहा, मेरी मोनोपॉली नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेरी मोनोपॉली नहीं है। जब आपकी मोनोपॉली थी, तो क्यों आपकी मोनोपॉली खत्म हो गई और कभी इस बारे में आपने सोचने का काम किया है? दलितों की आपकी मोनोपॉली थी, तो आपकी मोनोपॉली क्यों खत्म हो गई?

मैं महँगाई से शुरू करना चाहता हूँ। आप अपना मैनिफैस्टो तो कभी पढ़ते नहीं हैं, हम लोगों को ही आपका मैनिफैस्टो पढ़ना पड़ता है। आपने कीमतों के संबंध में कहा है कि सौ दिनों में महँगाई को घटाएँगे। घटाएँगे ही नहीं, जुलाई, 1990 के दामों पर वापिस लाने के लिए दृढ़-संकल्प हैं। अर्जुन सिंहजी, हम लोग जुलाई, 1992 में चल रहे हैं, आप महँगाई के बारे में भी तुलना कर सकते हैं। आप जुलाई, 1990 की बात छोड़ दीजिए, जुलाई, 1991 भी जा चुका है—क्या आपने अपना वायदा पूरा किया? महँगाई के बारे में परसों के टाइम्स-ऑफ-इंडिया अखबार को पढ़िए, उसमें लिखा है जिस तरह से महँगाई बढ़ रही है, अगले एक साल में जितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं वे तो हैं ही, दो करोड़ लोग और गरीबी की रेखा से नीचे चले जाएँगे। यह आपकी महँगाई का आलम है।

आर्थिक नीति का सवाल, बोफोर्स का सवाल, बोफोर्स तो एक ऐसी तोप है कि आपने बहुत गाली देने का काम किया था कि बोफोर्स में कोई गोली ही नहीं है लेकिन बोफोर्स के पास में ऐसी गोली है कि बिना चलाए चलता रहता है। 6 महीने चलता है और फिर साफ हो जाता है तो बोफोर्स का मामला अपने स्थान पर है। अभी विस्तार से हमारे साथी ने बताया बैंक स्केम का मामला, बैंक करप्शन का। अभी मैं देख रहा था कल दूसरे सदन में, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंहजी हैं उन्होंने सब को क्लीन चिट दे दिया। इन्होंने कहा कि उसमें रिजर्व बैंक का हाथ नहीं है, उसमें भारतीय स्टेट बैंक का हाथ नहीं है, आय-कर विभाग का हाथ नहीं है। सब निर्दोष हैं, सब निर्दोष हैं, तो दोषी कौन है? आप हैं। कौन इसके लिए दोषी है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अध्यक्षजी, भारत सरकार को कहीं न कहीं जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी और क्या यह बात सही नहीं है कि हम लोगों ने अपने समय में जिस-जिस बैंक के चेयरमैन को हटाने का काम किया था, उनको लाने का काम किया गया था इसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता यदि नाम कहें...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं-नहीं।

**श्री रामविलास पासवान** : मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि यूटीआई के चेयरमैन को नेशनल हाउसिंग बैंक का चेयरमैन बनाया गया, क्या यह बात सही नहीं है कि बैंक ऑफ सौराष्ट्र के चेयरमैन को यूको बैंक का चेयरमैन बनाया गया और क्या यह बात सही नहीं है जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो यह नेशनल हाउसिंग बैंक है और यूको बैंक है, दोनों मिलाकर के 1271 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। 70 परसेंट सिक्योरिटी का घोटाला, एक साल में 170 परसेंट से ज्यादा फॉरेन बैंक ने किया है और यह बैंक किस के जिम्मे है, रिजर्व बैंक के जिम्मे नहीं है, क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है?...(व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं पासवानजी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जो अभी आपने कहा वह इस शताब्दी का क्या है, मैं कह नहीं सकता।

**श्री राम विलास पासवान** : लेकिन आप जानते हैं। अध्यक्षजी, मैं यह कह रहा था इतना बड़ा गम्भीर मामला है फिर शनिवार, रविवार बीत गया, सोमवार को आए आज तक क्या आपकी नीति बनी है। अभी तक कोई आपने नीति बनाई है क्या? होम मिनिस्टर साहब गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि होम मिनिस्टर पहले क्यों नहीं गए? होम मिनिस्टर का बनाया हुआ डैलीगेशन था एस.आर. बोम्मई साहब वाला, उनके साथ ये क्यों नहीं गए। पहले ये क्यों नहीं गए? वहाँ से आने के बाद इन्होंने कहा यह मेरा ओपीनियन है कि कंस्ट्रवशन शरू हो गई है, कानून का वायलेशन हुआ

है। आपने माना कि कानून का वायलेशन हुआ है, संविधान का वायलेशन हुआ है। तीन चीजें हैं— न्याय-पालिका, कार्य-पालिका और विधायिका। हमारे किसी साथी ने ठीक कहा कि न्याय-पालिका के पास तोप और बन्दूक नहीं है, न्याय-पालिका का जो आदेश होता है उसको विधायिका को लागू करवाना होता है। न्याय-पालिका ने आदेश दिया क्या आपने लागू करवाने का काम किया? नहीं, आपने लागू करवाने का काम नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ कि यह मेरी समझ से मन्दिर का मामला नहीं है। आप मन्दिर बचाने के लिए नहीं जा रहे हो, हम मस्जिद बचाने के लिए नहीं जा रहे है, मामला न मन्दिर का है और न ही मस्जिद का है, मामला कोर्ट का है, संविधान का है। वहाँ निर्माण कार्य जो चल रहा है वह निर्माण कार्य मन्दिर बनाने के लिए नहीं, मस्जिद को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि संविधान को तोड़ने के लिए चल रहा है।

मै आपका घोषणा-पत्र पढ़ रहा था। राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के बारे में आपने घोषणा-पत्र में क्या कहा है। इन्होंने इसके संबंध में कहा है कि कॉंग्रेस मस्जिद को गिराए बिना मन्दिर के निर्माण के पक्ष में है। वही तो हो रहा है।...(व्यवधान) यह है आपका 1991 का मैनीफैस्टो...(व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह :** पासवानजी, आपने कांग्रेस के मैनीफैस्टो का अध्ययन बहुत किया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन कांग्रेस का सदैव स्टैंड रहा है कि हम भगवान राम के मन्दिर को बनाने के खिलाफ नहीं है, परन्तु कभी भी मस्जिद को गिराकर उस स्थान पर मन्दिर नहीं बनना चाहिए। आपको भ्रम है तो आप सुन लीजिए।

**श्री राम विलास पासवान :** अध्यक्षजी, जो बात आप कह रहे हैं वह तो मैं कहता हूँ कि दोनों बराबर हैं इस मामले मैं— कॉंग्रेस और बी.जे.पी.। जो बात आप कह रहे हैं वही बात यहाँ से आडवाणीजी भी कह रहे हैं।

**श्री अर्जुन सिंह :** क्या आप मन्दिर नहीं बनाने देना चाहते। आप यह बताइए कि कहीं भी भगवान का मन्दिर न बने, यह आपकी मान्यता है। अगर ऐसी मान्यता है तो साफ-साफ कहिए।...(व्यवधान)

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नवी आजाद) :** हम मस्जिद को बचाकर उस जगह को छोड़कर मंदिर बनाने के पक्ष में है। उस जगह जहाँ मस्जिद है उसको छोड़कर दूसरी जगह के पक्ष में हैं। आप यह बताएँ कि मंदिर बनना चाहिए या नहीं।...(व्यवधान)

**श्री राम विलास पासवान :** जहाँ शिलान्यास स्थान है तो क्या वहाँ आप मंदिर बनाने की इजाजत दे रहे है।...(व्यवधान)

**श्री चन्द्र शेखर (बलिया) :** श्री राम विलासजी ने एक बहुत सही सवाल उठाया है। वे कहते हैं कि जो आज अर्जुन सिंहजी कह रहे हैं वही आडवाणीजी कह रहे हैं। आडवाणीजी कह रहे हैं कि तीन बरस तक हम मस्जिद को नहीं गिराएँगे और उस मंदिर को बनाते रहेंगे। अगर यही कह रहे हो तो दोनों में कोई अंतर नहीं है।...(व्यवधान) देखिए, दुनिया के बड़े काम चालाकी से नहीं होते और राष्ट्रीय निर्णय तिकड़म से नहीं हुआ करते। इसलिए, आप यह तय करें कि यदि आपका कहना सही है तो आडवाणीजी जो कह रहे हैं, वह सही है। मैं आडवाणीजी के कहने को सही इसलिए नहीं मानता...(व्यवधान) आप कहते हैं कि आप हर जगह मंदिर बनाने के खिलाफ हो हर जगह का सवाल नहीं है, सवाल विवाद का है। जो विवाद बरसों से है और जिससे देश में उत्तेजना है। आडवाणीजी या विश्व हिन्दू परिषद के लोग कहते हैं कि हम मस्जिद को नहीं छुएँगे, हमको मंदिर बनाने दो। अंत में देखा जाएगा कि मस्जिद गिराएँगे या नहीं...(व्यवधान) मुझे श्री वी.पी. सिंह से कोई मतलब नहीं है। श्री वी.पी. सिंह आपसे कम कन्फयूज़ नहीं थे, वह बात अलग है। कन्फयूजन जितना श्री वी.पी. सिंह में था उतना आपमें है। आज श्री वी.पी. सिंह नहीं है बल्कि आज श्री नरसिंह रावजी हैं। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी को अपना दिमाग साफ करना चाहिए, जो वह कह

रहे हैं और वह भी आप कह रहे हैं या उससे अलग है।...(व्यवधान)

**प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव)** : बहुत अच्छी बात सुनी। मैं सोच रहा था कि बाद में मुझे कल या परसों कहना पड़ेगा। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैं इस पक्ष में हूँ, काँग्रेस पार्टी इस पक्ष में है कि वहाँ राम मंदिर बने...(व्यवधान) सुनिए, और बाबरी मस्जिद कभी भी न टूटे। दो-तीन साल के लिए नहीं...(व्यवधान) हमारे मेनिफेस्टो का मतलब यही है। जहाँ का मतलब उस जगह नहीं...(व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर)** : हम जानना चाहते हैं कि वे देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं।...(व्यवधान)

**श्री चन्द्र शेखर** : महोदय, मैं चाहता हूँ कि श्री अर्जुन सिंह अपनी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा करें।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर)** : अध्यक्षजी, मैं आभारी हूँ श्री राम विलास पासवानजी का, जिन्होंने काँग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का उद्धरण देकर के और इस अविश्वास प्रस्ताव की बहस के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान को छेड़ दिया जिसका खुलासा कराने के लिए श्री चन्द्र शेखरजी ने सवाल पूछा और प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि अच्छा है मुझे मौका मिला है और मैं उसका खुलासा करता हूँ। मैं यह निवेदन करूँगा कि इस बात को सत्ता पक्ष कभी न भूले कि शिलान्यास का स्थान इस कारण चुना गया क्योंकि जिस मंदिर की रचना करने की कल्पना विश्व हिन्दू परिषद ने की है वह सिंहद्वार शिलान्यास का स्थान है और सिंहद्वार से रचना आरंभ हो करते...(व्यवधान) यह सारा विवाद राम मंदिर का नहीं है। यह विवाद का मुख्य मुद्दा है और देश के लोगों की यह धारणा है कि राम जन्म स्थान यह है इसीलिए यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। वह राम जन्म स्थान है ही नहीं, ऐतिहासिक तथ्य है या नहीं, इस विवाद के विषय का समय नहीं है...(व्यवधान) लेकिन इसके आधार पर और वह सारी बहस शुरू हुई है इसी में से आपकी सरकार ने राम जन्म स्थान को मानकर एक प्रकार से विश्व हिन्दू परिषद् को शिलान्यास की अनुमति दी थी।...(व्यवधान)... राजीव सरकार ने उस समय इसकी अनुमति दी जब मेरी जानकारी में वह अविवादास्पद नहीं था, वह स्थान भी विवादास्पद था, तो भी शिलान्यास की अनुमति दी। आज मुझे इस बात का खेद है कि आपका यह घोषणा पत्र होते हुए भी जिस समय वहाँ पर रचना हो रही है, निर्माण हो रहा है उस समय भी आप विरोध कर रहे हैं और प्रतिदिन कोई न कोई बाधा पैदा कर रहे हैं। अध्यक्षजी, इस लड़ाई में इनके साथ लड़ाई न करें, ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं...

**श्री पी.वी. नरसिंह राव** : मैं किसी के साथ नहीं लड़ रहा हूँ।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : इनको कहने का अधिकार है। चन्द्रशेखरजी अपनी दृष्टि से सही कहते हैं और मैं सार्वजनिक रूप से संसद में कहूँगा कि अगर किसी प्रधान मंत्री ने प्रामाणिकता से इस समस्या को हल करने की कोशिश की तो अकेले चन्द्रशेखरजी ने की और किसी ने नहीं की .....

**श्री पी.वी. नरसिंह राव** : ठीक है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : आप भी इस समस्या का हल करवा सकते हैं, लेकिन निर्माण कार्य मत रोकिए और वह निर्माण कार्य करने वाले लोग आज भी कई बार कह चुके हैं कि हम इस मस्जिद ढाँचे को स्पर्श नहीं करेंगे और किसी को करने की अनुमति भी नहीं देंगे। (व्यवधान)

**श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी)** : मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मन्दिर का नक्शा क्या है? आडवाणीजी से पूछता हूँ कि मंदिर के हिस्से में मस्जिद शामिल है या नहीं, मैं नरसिंहरावजी से भी यही पूछता हूँ, दोनों से पूछ रहा हूँ। क्या नक्शा है, आप कैसे मस्जिद की हिफाजत करेंगे?

**श्री श्रीकांत जेना (कटक)** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे विचार से इस मुद्दे पर प्रधान मंत्री अपनी

प्रतिक्रिया व्यक्त करें। प्रधान मंत्री को प्रतिक्रिया व्यक्त करने दें।

**श्री पी.वी. नरसिंहराव** : यह तो बिल्कुल साफ है जहाँ तक बाबरी मस्जिद का सवाल है हम उसे कभी गिरने नहीं देंगे और गिराने भी नहीं देंगे। यह हमारा मैनिफेस्टो है और उसका संकल्प भी है। अब रही बात मन्दिर के निर्माण की, शिलान्यास की जो जगह थी जिस वक्त शिलान्यास किया गया था वह अन-डिस्प्यूटेड बताई गई थी इसलिए शिलान्यास वहाँ हुआ था। शिलान्यास कभी सिंहद्वार का नहीं होता, शिलान्यास होता है मन्दिर का...

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : इस पद्धति में वहीं शिलान्यास होता है।

**श्री पी.वी. नरसिंह राव** : जहाँ मन्दिर का निर्माण हुआ था, जहाँ से मन्दिर शुरू होने वाला था उसको आपने सिंहद्वार बना दिया ताकि आपका मन्दिर सीधे चला जाए बाबरी मस्जिद में।...(व्यवधान)...

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं श्री चन्द्रशेखर की बात का उत्तर देना चाहता हूँ। इस मुद्दे पर माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बाद इस सरकार तथा दल की नीति के बारे में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। मैं माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेखरजी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ जबकि यह प्रश्न मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछा गया है लेकिन मैं अपनी ओर से यह उत्तर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि प्रश्न यह है कि मुद्दा यह नहीं है कि क्या हो रहा है। प्रधान मंत्री ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। मंदिर का निर्माण तथा मस्जिद गिराना एक विवादास्पद मुद्दा है। जिसके बारे में राष्ट्र के स्पष्ट विचार हैं जो आपके, हमारे तथा उनके विचारों में झलकते हैं।

**श्री चन्द्र शेखर** : आपके और मेरे विचार एक जैसे नहीं हैं।

**श्री अर्जुन सिंह** : ठीक है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ।

**श्री चन्द्र शेखर** : यदि आप अपने दल के विचार प्रकट कर रहे हैं तब आपके और मेरे विचार समान नहीं हैं। क्या आप अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट कर रहे हैं?

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ इसमें कोई व्यक्तिगत विचार नहीं हैं।

**श्री चन्द्र शेखर** : हाँ ऐसा ही है।

**श्री अर्जुन सिंह** : दल के विचारों को न देखते हुए भी मेरे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं और जहाँ तक बाबरी मस्जिद के ढाँचे का संबंध है यह दल उसे किसी भी प्रकार क्षति नहीं पहुँचने देगा, चाहे वे इसके लिए कितना ही प्रयास क्यों न करें? यह हमारी प्राथमिकता है। (व्यवधान) कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। जहाँ तक राम मंदिर का संबंध है, हम अयोध्या में किसी भी स्थान पर मंदिर का निर्माण करने के विरुद्ध नहीं हैं।

**एक माननीय सदस्य** : विवादित स्थल पर नहीं।

**श्री अर्जुन सिंह** : मैंने कहा है कि विवादित स्थल पर नहीं। मैं इस माननीय सभा तथा विशेष रूप से विपक्ष के माननीय नेता से यह अनुरोध करता हूँ कि मुद्दा केवल यही नहीं है। बात यह भी है कि क्या हम इस मुद्दे को लंबा खींचकर उन भावनाओं को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं जो राष्ट्र के हित में नहीं हैं? क्या यह बात सही नहीं है कि जब तनाव बढ़ेगा तब परिस्थितियाँ और खराब होंगी जिससे देश को खतरा उत्पन्न हो जाएगा? ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यदि श्री लाल कृष्ण आडवाणी देश के बारे में पूर्ण ईमानदार हैं तब उन्हें यह घोषणा करनी चाहिए तथा राष्ट्र को आश्वासन देना चाहिए कि अगले पाँच वर्ष तक वे इन सब कार्यों को रोक देंगे। इस देश की जनता को एकत्रित होने दें। जो व्यक्ति न्याय तथा निष्पक्षता से संबद्ध हैं उन्हें एकत्रित होने दें और श्री चन्द्र शेखरजी द्वारा उठाए गए कदमों को कार्य रूप लेने दें। अन्यथा यह स्पष्ट है कि सत्ता के मोह में हम सभी संविधान और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, जनता की भावनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

**श्री चन्द्र शेखर** : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं प्रधान मंत्रीजी से एक बात जान सकता हूँ कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में मुकदमे थे, क्या वहाँ कोई फैसला हुआ और उसकी कोई सूचना उनके पास आई है।

**श्री पी. वी. नरसिंह राव** : अभी मैं थोड़े में बता सकता हूँ। लखनऊ खंडपीठ ने अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण करने से राज्य सरकार को रोक दिया है और यदि भूमि के उपभोक्ता के लिए कुछ करना आवश्यक है तो उसे न्यायालय की पूर्व अनुमति लेनी होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यही निर्णय है।

पहले से निर्मित ढाँचे को गिराने तथा अवमानना के लिए आवेदन हेतु प्रति-हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को तीन दिन का समय दिया गया है। इसके तीन दिन के बाद प्रत्युतर होगा। इसके तत्काल बाद मामले पर सुनवाई होगी। इसी बीच कल से रोज़ मुख्य याचिका पर सुनवाई होगी। यह इलाहाबाद न्यायालय का निर्णय है। राज्य सरकार कल उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर करेगी।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : जहाँ तक मुझे जानकारी है राज्य सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बल देकर यह कहा है कि हम चाहते हैं कि मूल याचिका पर तत्काल निर्णय लिया जाए।

**श्री पी.वी. नरसिंह राव** : इसीलिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर इस पर सुनवाई की जाएगी।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अध्यक्ष जी, चर्चा में असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम बहुत बड़े गंभीर मसले पर बहस कर रहे हैं। बहस का स्तर अगर ऊँचा नहीं रहा तो हम यही बैठे-बैठे लोकतंत्र की हत्या कर देंगे।

(व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : हमने श्री अर्जुन सिंह को सुना है। उन्होंने स्वीकार किया था कि कीमतें बढ़ रही हैं और बोफोर्स तथा प्रतिभूति घोटाले की जाँच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ।

लेकिन श्री चिदम्बरम का कहना है कि इस राष्ट्र में सब कुछ ठीक है। कोई समस्याएँ नहीं हैं। सरकार की भव्य आर्थिक नीतियों के कारण लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। लोगों को तंगहाली और गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। इस नीति की यह अच्छी उपलब्धियाँ हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन लोगों के लिए अभी भी कुछ बचा है तो उसे भी कम कर दिया जाए। आपको दो या तीन वर्षों में इसके परिणाम मिल जाएँगे। यदि यह देश और यहाँ की जनता बची तो उनके भाषण का कोई महत्व होगा।

हमने सत्यनिष्ठा और गंभीरता से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। हमने जिस बारे में निर्णय लिया था वह महत्वहीन मुद्दा नहीं था। हमें विश्वास था कि इस अल्पमत की सरकार को हटाने से इस देश का मान-सम्मान तथा आत्म सम्मान वापिस आ सकता है और कुछ साम्राज्यवादी वित्तीय लुटेरों के पंजों से देश को छुड़ाना आवश्यक था।

इस देश की जनता, मेहनतकश तथा श्रमिक वर्ग, 16 जून, 1992 को अपने एकत्रित संघर्ष को दर्शा कर इस जनता विरोधी निरंकुश शासन में अविश्वास की घोषणा कर चुकी है।

अब सभा में हमें इस प्रक्रिया को पूरा करना है और हमें आर्थिक विश्वासघात तथा राष्ट्रीय अपमान की नीति से छुटकारा पाकर अपना कर्तव्य निभाना है।

हमें इस देश में कॉंग्रेस की कार्य करने की नीति का पूर्ण ज्ञान है। हमने इस देश में अनेक कांग्रेस सरकारें देखी हैं। वे इन सोलह महीनों के बारे में ही कहते रहते हैं। उनके पास अपने गलत कार्यों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। बहुत वर्षों से आम आदमी की समस्याएँ बढ़ती जा रही है। अधिक से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए

है, बेरोज़गार हो गए हैं। इस देश के गरीब लोगों पर भार डाला जा रहा है तथा बहुराष्ट्रीय एकाधिकारियों और कालाबाज़ारियों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जा रहा है। तीन वर्षों से देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है और यह इतना अधिक बढ़ गया है कि हम इसकी उँचाइयों पर पहुँच गए हैं।

प्रतिभूति घोटाले से इस देश की पूरी बैंकिंग व्यवस्था लड़खड़ा गई है। यह सरकार इस बात से बिल्कुल अपमानित महसूस नहीं करती है कि जनता के 4000 करोड़ रुपये का कोई हिसाब-किताब नहीं है, देश का करोड़ों रुपया बाहर चला गया है, हज़ारों आम निवेशकर्त्ताओं, मध्यम वर्ग के व्यक्तियों ने भविष्य निधि से पैसा निकलवाकर शेयर खरीदे और अब यह मंत्री शेयर बाज़ार के इतने अधिक बढ़ने की बात करते हैं, वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री ने जनता को सावधान करने के लिए एक भी शब्द नहीं कहा। सरकार की यही उपलब्धि है।

देश में अब ऐसी सरकार है जो न केवल कांग्रेस का पुराना कुप्रशासन चला रही है और वही नीतियाँ अपना रही है जिससे हमारी आर्थिक संप्रभुता समाप्त हो गई है बल्कि इसने हमारे स्वयं निर्णय लेने के अधिकार से भी समझौता किया है तथा आज हमारी आर्थिक नीतियाँ विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भेजे गए व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती हैं। वे यहाँ बड़े होटलों में बैठे रहते हैं। मुझे यह बात बहुत शर्मनाक प्रतीत होती है कि विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुछ अधिकारियों द्वारा दिल्ली के होटल में बैठकर हमारी आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं और हमारी सरकार को केवल तुलन पत्र देना होता है और उन्हें अपने कार्यनिष्पादन के लिए उन्हें उत्तर देना होता है तथा संसद में उत्तर वह बाद में देते हैं जिसके प्रति वह उत्तरदाई हैं। अब हम ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** श्री अर्जुन सिंह ने कहा है कि "यह एक अच्छा छुटकारा है कि भारतीय जनता पार्टी हमें समर्थन नहीं दे रही है। परन्तु वह उनकी आर्थिक नीतियों और उनकी विदेश नीतियों का समर्थन कर रही है। केवल मंदिर नीति के कारण फिलहाल कुछ सतही गलतफहमियाँ उत्पन्न हो रही हैं और अब प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप से स्थिति स्पष्ट हो गई है। वे लोग बहुत उत्सुक हैं। प्रधान मंत्री विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक हैं और वह बहुत खुश हैं।

अत: मैं यह आरोप लगाता हूँ कि इस सरकार ने इस देश में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त, जो कि हमारे संविधान की आधारभूत विशेषताओं में से एक है, के साथ समझौता कर लिया है। महोदय, यदि सरकार अब भी ईमानदारी और विश्वास से काम करने में असफल रहती है तो उसके देश में गंभीर परिणाम होंगे और मैं यह माँग करता हूँ कि इस सरकार को अपनी दिशाहीनता की नीति और साम्प्रदायिक ताकतों से समझौते की नीति छोड़ देनी चाहिए।

महोदय, राष्ट्रीय एकता परिषद ने एक निर्णय लिया, इसकी स्थाई समिति ने एक निर्णय लिया, सभी धर्मनिरपेक्ष दल इस विषय पर सहमत हैं और उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमने कुछ कार्रवाई करने के लिए कहा, हमने तनाव को कम करना चाहा ताकि कोई भी स्थिति का फायदा न उठा सके। हम कहते रहे हैं कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर सभी पक्षों से वार्तालाप करके निर्णय लिया जाना चाहिए और यदि वार्तालाप से समाधान संभव नहीं है तो न्यायालय द्वारा इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। हमारा हमेशा ही यह दृष्टिकोण रहा है। महोदय अब हम देख रहे है कि सरकार बहुसंख्यक संप्रदायवाद को गर्जी करने, धर्मनिरपेक्षवाद के मूलभूत सिद्धान्तों की कुर्बानी देने और सदन में मुख्य विपक्षी दल से सहयोग और मेल-मिलाप बनाए रखने में अधिक चिंतित है।

महोदय, कश्मीर, पंजाब, असम और अन्य क्षेत्रों में क्या हो रहा है? यह मुद्दे है जो राष्ट्र के मूलभूत ताने-बाने को राष्ट्र की एकता और अखण्डता को प्रभावित करते है। इन मुद्दों को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं निपटाया जा रहा

है। उन्हें केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति समझा जा रहा है। उन्हें अधिक से अधिक जटिल बनाया जा रहा है क्योंकि कश्मीर में वहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को नहीं सोचा जा रहा है या उन पर विचार नहीं किया जा रहा है। स्वायतत्ता की उनकी माँग पर विचार नहीं किया जा रहा है। किस प्रकार एक के बाद एक विधिवत रूप से चुनी गई सरकारों को हटाया गया है और कैसे वहाँ चुनावों में हेराफेरी की गई। वहाँ की जनता का दिल्ली ब्रांड लोकतंत्र के कार्यकरण से कांग्रेसी ब्रांड लोकतंत्र से विश्वास उठ गया है।

अत: लोग अलग-थलग महसूस कर रहे हैं क्योंकि वे स्वयं अपने भविष्य का निर्णय नहीं कर सकते हैं। महोदय, इसीलिए उन्हें मुख्य धारा में वापस नहीं लाया जा रहा है और कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं चलाई जा रही है। केवल सेना और अर्द्ध सैनिक बलों पर निर्भर रह कर इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है।

महोदय, हम यह कहते रहे हैं कि यह आवश्यक है कि केन्द्र-राज्य संबंधों की बहुत गहराई से समीक्षा करनी होगी। सरकारिया आयोग की अपर्याप्त सिफारिशें भी कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं। केन्द्र सरकार के पास शक्तियों का अधिक केन्द्रीयकरण होने से देश के अनेक भागों में लोग अलग-थलग पड़ रहे हैं। कश्मीर, पंजाब और असम इसके दृष्टांत है। केन्द्र सरकार के पास शक्तियों का केन्द्रीयकरण होने के कारण जातीय अल्पसंख्यक और जनजातीय लोग इस देश में आज विमुख हो रहे हैं, केन्द्र सरकार इन क्षेत्रों की समस्याओं और विकास के प्रति पूरी तरह से कठोर हृदय बनी हुई है। इसीलिए वह लोग स्वयं को हमारे राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से अलग समझते हैं। सरकार जब तक इन मामलों पर विचार नहीं करती है, तब तक वह भारत के लिए उत्पन्न हो गए खतरे की मूल प्रकृति को नहीं समझेंगे।

अब वह कश्मीर में क्या करना चाहती है? वह वहाँ पर चुनाव कराने की कोशिश कर रही है। श्री जसवंत सिंह ने मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न वक्तव्यों का उल्लेख किया है। पंजाब के अनुभव से उसे इतना बढ़ावा मिला है कि उसने इस सभा में छह और सदस्य अपनी संख्या में जोड़कर काँग्रेस दल की स्थिति को मजबूत कर लिया है। जैसे कि उनका एकमात्र लक्ष्य किसी तरह अपनी सदस्य संख्या बढ़ाने का है। भले ही यह काम तेलगूदेशम पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टियों में से विभाजन करके ही क्यों न किया जाए अथवा देश में झूठे चुनाव करवाकर ही क्यों न किया जाए। पंजाब में क्या हुआ? हमने कहा कि कुछ राजनीतिक एक मुश्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करना होगा। उन्होंने कहा कि वह ऐसा करेंगे। अन्तत: उन्होंने यह नहीं किया क्योंकि उन्हें केवल इस सदन में कुछ लोगों को निर्वाचित करवाने की चिन्ता थी। चुनाव के नाम पर जो मजाक हुआ मैं उसके आंकड़ों की बात नहीं करूँगा, मैं श्री चन्द्र शेखरजी की इस बात से सहमत हूँ कि इस सरकार को "लोकप्रिय सरकार" कहना ठीक नहीं होगा। यही कारण है कि इस समस्या का अभी तक समाधान नहीं किया गया है। बेगुनाह लोगों को रोज़ाना मारा जा रहा है। आज सुबह ही पंजाब से हमारे मित्र ने उल्लेख किया था कि किस प्रकार पुलिस द्वारा अत्याचार और क्रूरता की जा रही है और कैसे अधिकाधिक लोगों को अलग-थलग किया जा रहा है वहाँ क्या घटित हो रहा है? पंजाब में काँग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब राजीव लोंगोवाल समझौता संगत नहीं रह गया है और कोई एकमुश्त-प्रस्ताव आवश्यक नहीं है। वह कहते हैं कि समझौते पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। क्या सरकार उससे सहमत है? क्या प्रधान मंत्री उस बात से सहमत हैं? वह वहाँ की स्थिति से निबटने के लिए क्या कर रहे हैं? फिर हरियाणा के मुख्य मंत्री उल्टे संकेत दे रहे हैं। इस महत्वपूर्ण समस्या के हल करने का क्या यही तरीका है? प्रधान मंत्री और वर्तमान सरकार द्वारा दिया जा रहा क्या यही नेतृत्व है?

(लोकसभा कार्रवाई, 15 जुलाई 1992 पृष्ठ 227 से 275)

*जामिया मिलिया इस्लामिया में एक दिसम्बर के पूर्व कुछ हिंसक घटनाएँ हुई, जिसके चलते विश्वविद्यालय को बंद करने की नौबत आई। इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने एक विशिष्ट दल भेजकर इन घटनाओं के संदर्भ में जानकारी व सलाह माँगी। यह सलाह तथा उनके सुझावों को सदन पटल पर रखा गया। दल की सभी अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया गया।*

*श्री अर्जुन सिंह छात्रों की समस्याओं से सदा अवगत रहने का प्रयास करते थे। उनकी सहजता के इसी गुण के चलते जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्र व शिक्षक उनसे समय-समय पर मिलते रहते थे।*

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : महोदय, कृपया आपको याद होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया की कुछ घटनाओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित हुआ था और सदन ने इस पर चिन्ता व्यक्त की थी। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थिति पर प्रत्येक ने चिन्ता व्यक्त की थी। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र संघ के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के नेतृत्व में छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल 7 जून, 1992 को मुझसे मिला था। अध्यापक व विश्वविद्यालय के अन्य प्रतिनिधि भी इस संबंध में मुझसे मिले थे तथा सभी ने शीघ्र समझौते के लिए आग्रह किया। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों सहित सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से विचार-विमर्श के पश्चात् हमने जामिया मिलिया इस्लामिया की घटनाओं से सम्बन्धित संपूर्ण मामला प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दल को सौंपने का निर्णय किया। दल में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे :

(1) न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एम.एस. इस्माईल, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय।

(2) प्रो. ए.एम. खुसरो, भूतपूर्व कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय।

(3) श्री सैयद हमीद, भूतपूर्व कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय।

(4) श्री जाफर जंग, सदस्य, वक्फ़ बोर्ड, दिल्ली।

मैं दल की सलाह को उद्धृत करता हूँ, जो कि निम्नलिखित है :

1. प्रो. मुशीरूल हसन ने खेद व्यक्त किया है और स्पष्ट रूप से क्षमा याचना की है कि इसे तहे दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। क्षमा करना ईश्वरीय गुण है और कुरान ने तथा इस्लाम के पैगम्बर ने इसे प्रोत्साहित किया है। हमें विश्वास है कि जामिया समुदाय के छात्र, शिक्षक तथा अन्य स्टाफ, माफ़ी के इन सिद्धान्तों को हल्का नहीं पड़ने देंगे।

2. संयोगवश, यह भी उल्लेखनीय है कि विशाल हृदय वाली यह प्रवृत्ति, विश्वविद्यालय समुदाय के परिवर्तित स्वभाव में भी प्रतिबिम्बित होती है। छात्र संघ, संकाय तथा प्रशासनिक स्टाफ सभी ने विश्वविद्यालय को पुनः खोलने में तथा इसके सामान्य कामकाज को बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों में सहयोग दिया है। यह बात उस संस्था की खुशहाली के लिए उनके गहरे मोह तथा चिन्ता की सूचक है जिससे जुड़े रहने का उनका अधिकार है। प्रो. मुशीरूल हसन स्वयं सलमान रूशदी के ईशनिन्दात्मक, अपरिष्कृत, असहनीय और गैर धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण के लगातार आलोचक रहे हैं, हमें यह विश्वास है कि जामिया समुदाय, मुस्लिम समुदाय और सभी समझदार लोग इस पर ध्यान देंगे। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए और छात्रों, शिक्षकों तथा प्रशासन के बीच सार्थक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए लगातार बातचीत के अलावा और कोई बेहतर तरीका नहीं है। बात चीत भी असहनशील व्यवहार तथा हिंसा में परिणित नहीं होनी चाहिए।

दल ने यह भी नोट किया है कि परिसर के रखरखाव और इसकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त तथा नीतियाँ निर्धारित नहीं हैं। दल ने इन कमियों को दूर करने तथा इन त्रुटियों के निदान के लिए तत्काल कदम उठाने का परामर्श दिया है।

सरकार ने इस रिपोर्ट को मान लिया है और इसे दल की सिफारिशों के सम्बन्ध में, तत्काल और उचित कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के पास भेजा जा रहा है।

रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर भी रखी जा रही है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2801/92]

(लोकसभा कार्रवाई 01 दिसम्बर 1992, पृष्ठ 293,294)

*लोक सभा में 03 दिसम्बर को अयोध्या की स्थिति पर नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू हुई। वर्ष 1992 में देश में 'कार सेवा' व 'मंदिर-मस्ज़िद विवाद' चल रहा था। सारे देश में तनाव था। इसी बीच हजारों की संख्या में लोग अयोध्या पहुँच रहे थे। इस स्थिति का समाधान ढूँढने के लिए केन्द्र सरकार व उत्तर प्रदेश की सरकार रास्ता ढूँढ रही थी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार यह आश्वासन दे रही थी कि विवादित ढाँचे को क्षति नहीं पहुँचाने दी जाएगी। केन्द्र सरकार इस हेतु केन्द्रीय सुरक्षा बल भी मुहैया करा रही थी।*

*राजनीतिज्ञों का एक तबका इस मुद्दे से लाभ उठाने का प्रयास कर रहा था। सदन में कई बार इस मुद्दे पर चर्चा हुई। 3 दिसम्बर को एक बार फिर इस पर बहस शुरू हुई। श्री रामविलास पासवान ने सरकार व विपक्ष, दोनों पर इस मुद्दे को लेकर कई आक्रमण किए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पार्टी के श्री लालकृष्ण आडवाणी की स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया। सदन में चर्चा शुरू होने के पूर्व ही माननीय अध्यक्ष श्री शिवराज वी. पाटिल ने यह स्पष्ट किया था कि इस चर्चा का उद्देश्य समाधान तलाशना है। मामले को उलझाना नहीं।*

*श्री सोमनाथ चटर्जी के उद्बोधन के पश्चात् श्री अर्जुन सिंह ने सदन में मंदिर विवाद के पीछे की राजनीति से पर्दा हटाने का प्रयास किया। श्री अर्जुन सिंह समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक ढँग से कराने के पक्ष में रहे हैं। श्री अर्जुन सिंह धर्म तथा भगवान का नाम अपने निहित स्वार्थों के लिए उपयोग करने के कट्टर विरोधी थे। वे सदन में बार-बार कहते रहे कि धार्मिक कट्टरता को फैलाकर कुछ लोग सत्ता हथियाना चाहते हैं, यदि इस धार्मिक कट्टरता को रोका नहीं गया तो देश की दुर्दशा की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राम विलास पासवान।

**श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा)** : अध्यक्षजी, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह कोई पार्टी या दल का मामला नहीं है, बल्कि देश का मामला है। हमको इस बात का दुःख है, आज देश के सामने जितना बड़ा संकट आया हुआ है, मैं समझता हूँ कि आजादी के बाद यह सबसे बड़ा संकट हमारे सामने, देश के सामने कभी नहीं था। यह संसद सर्वोच्च शक्तिमान है। कुछ लोगों की नजर में यह संसद भले ही कोई काम की न रहे, उनकी दूसरी संसद चलने वाली हो, लेकिन हमारी नजर में यह संसद सर्वोपरि

है। जिस दिन इस सदन की मर्यादा खत्म हो जाएगी, उस दिन देश की सारी मर्यादाएँ टूट जाएँगी। यह संसद इस देश के भाग्य का फैसला करती है, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, हमको इस बात का दु:ख है और मैं पिछले कुछ दिनों से इस बात को देख रहा हूँ कि यह संसद देश का जो बुनियादी सवाल है, उस बुनियादी सवाल पर चर्चा करने में असमर्थ रही है। इसलिए कि संसद के सामने ऐसे मुद्दे लाकर रख दिए जाते हैं, जिन मुद्दे से देश के आम लोगों के आर्थिक उत्थान एवं कल्याण होने वाला नहीं है। आम लोगों के भाग्य का फैसला होने वाला नहीं है। उस माध्यम से कुछ लोग लाल-किले के ऊपर जाकर भले ही झण्डा फहराने का ख्वाब रखते हों, लेकिन देश की एकता और अखण्डता का सवाल, देश की आर्थिक समस्याएँ, वे सब पीछे पड़ जाती हैं।

पिछले सत्र में भी आपने देखा। आपकी जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, उस समय आप इनडायरेक्टली हम लोगों को डाँट लगाने का काम करते हो, संसद के सदस्यों के ऊपर भाषण दिया जाता है, उन पर हम बहुत गहराई से सोचते हैं, लेकिन सोचने के बाद असहाय हो जाते हैं। पिछली बार पार्लियामेंट का सैशन चला और उस पार्लियामेंट के सैशन का पूरा का पूरा लेखा-जोखा करें तो देखेंगे कि हम क्या कर पाए हैं? पार्लियामेंट के सैशन में, सिवाय मंदिर-मस्जिद के मामले में हम लोग उलझते रहे और आज भी...(व्यवधान)...मंडल का फैसला तो हो गया। सब लोग मंडल-मंडल करते अब किस मंडल की बात करते हो...(व्यवधान)... अध्यक्षजी, जब इस बार पार्लियामेंट का सैशन शुरू हुआ फिर बीच में, 24 तारीख को सैशन शुरू हुआ है और यह 22 तारीख तक चलेगा, इसमें ठीक बीच की तिथि पड़ती है 6 तारीख, यह मामला लाकर रख दिया है। नतीजा यह हो रहा है कि आज पार्लियामेंट में पिछली 24 तारीख से कुछ भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। कहाँ गया बैंक स्कैम, कहाँ गया आर्थिक मामला, कहाँ गई सरकार की आर्थिक नीति, जिसके तहत आप कह रहे हैं कि देश आर्थिक गुलामी के कगार पर जा रहा है और कहाँ जा रही है जे.पी.सी.।

इसलिए, अध्यक्षजी, मैं यह कहना चाहता हूँ, कि यह एक सुनियोजित चाल है। जानबूझकर यह सरकार लिंगर करना चाहती है और उनको भी इसमें फायदा हो जाता है। चलो इस मंदिर-मस्जिद, सरकार के सारे कर्म कुकर्म ढँके रह जाएँ और उसके ऊपर कोई चर्चा न हो पाए। हमारे बगल में जसवन्त सिंह बैठे हुए हैं। ये जे.पी.सी. में कितनी मेहनत करते होंगे और दूसरे साथी कितनी मेहनत करते होंगे आज देश की जनता का ध्यान उस ओर था कि बैंक के स्कैम में क्या होने वाला है? और सरकार की जो आर्थिक नीति है, उस सरकार की आर्थिक नीति का प्रभाव देश के ऊपर क्या पड़ने वाला है? आज देश में महँगाई है, महँगाई से देश परेशान है। इस पर यह संसद क्या करने जा रही है? बेरोजगारी की समस्या है, उस बेरोजगारी की समस्या के संबंध में यह संसद क्या सोच रही है? लेकिन आज हम उस विषय पर चर्चा न करके पिछली 24 तारीख से हम अयोध्या में मंदिर-मस्जिद के सवाल पर ही चर्चा कर रहे है और 6 तारीख को कार-सेवा होने वाली है। फिर 6 तारीख के बाद यह 22 तारीख तक मामला चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि याद रखिए जिस दिन इस देश में देश की सर्वोच्च संस्था यह संसद की मर्यादा भंग हो जाएगी, उस दिन देश में कोई मर्यादा चलने वाली नहीं है। याद रखो इस देश में लोग हैं जो कहते हैं कि और यदि हम अपने कर्म से इसी को साबित करना चाहते हैं तो याद रखिए दूसरी फोर्सेस भी देश में काम कर रही हैं। इसलिए मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि संसद को बेकार बनाने की साजिश मत करो, संसद की जो मर्यादा है, आप कहोगे कि क्यों बार-बार इस सवाल को उठाते हो क्योंकि आप बीज को डाल देते हो जिस प्रकार से यदि दूध में एक बूंद खटाई या नींबू की कुछ बूंदें डाल दी जाती है तो पूरा-का-पूरा दूध फट जाता है। इसलिए हम आपसे यह आग्रह करना चाहेंगे कि जो संसद है इस संसद को बड़े उद्देश्यों के लिए काम करना चाहिए। हमको यह बात याद है एक मेम्बर बोल

रहे थे कि मई, 1989 के पहले तो हम केवल दो थे, लेकिन इसी मन्दिर के मुद्दे ने हमको 119 बना दिया तो हम मुद्दे को क्यों छोड़ेंगे? आप उस मुद्दे को मत छोड़ें लेकिन कम-से-कम देश का भी ध्यान रखने का काम करें।

अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सरकार पर यह चार्ज है कि जिस दिन ये लोग मंदिर तोड़ रहे थे, उसी दिन यदि आपने रोक दिया होता तो आज यह मस्ज़िद टूटने की नौबत नहीं आती। जो मंदिर तोड़े गए, उनका नाम था संकट मोचन मंदिर और साक्षी गोपाल मंदिर। पहले सिर्फ 2 फीट का रास्ता था, ये मंदिर तोड़कर वहाँ पर 80 फीट चौड़ी सड़क बनवा दी गई है। होम मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, हमने उसी समय कहा था कि आपने इसी पार्लियामेंट में कानून बनाया है, जिसमें कहा गया है कि अयोध्या को छोड़कर जितने भी सारे मंदिर हैं या मस्जिदें हैं, जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनका जो स्टेटस है, वही बना रहेगा, तो फिर यह कानून कब टूटा, यहाँ पर कानून पास होने से पहले टूटा या कानून पास होने के बाद टूटा, मैं कहना चाहूँगा कि यह कानून यहाँ पर पास होने के बाद टूटा। तो उस समय जब ये मंदिर तोड़े जा रहे थे तब भारत सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया। पार्लियामेंट में कानून पास होने के बाद साक्षी गोपाल मंदिर और संकट मोचन मंदिर को तोड़ा गया और 2 फीट के रास्ते को 80 फीट की सड़क में बदल दिया गया। मैंने 23 तारीख को एन.आई.सी. की मीटिंग के बाद कहा था।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि पार्लियामेंट से बनाया हुआ जो कानून था, उसके अनुसार आप मंदिर को तोड़ना नहीं रोक सके। मैं बार-बार कहता हूँ कि न सिर्फ मस्ज़िद के सवाल पर बल्कि मंदिर के सवाल पर भी आप रक्षा नहीं कर पाए। हमारे लायक दोस्त जो बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि वे न सिर्फ मस्जिद को तोड़ने की बात करते हैं, बल्कि उन्होंने मंदिर को भी तोड़ कर दिखला दिया है। हम जो यहाँ पर नेशनल फ्रंट और लैफ्ट फ्रंट के लोग बैठे हैं, हम में और इनमें यही बुनियादी फर्क है। आप याद रखिए कि जो मस्ज़िद को नहीं बचा सकता है, वह मंदिर को भी नहीं बचा सकता है, हम देश में न तो मंदिर को तोड़ने देना चाहते हैं और न मस्ज़िद को तोड़ने देना चाहते हैं। जो मस्जिद को तोड़ेगा वह अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए मंदिर को भी तोड़ने का काम करेगा और उन्होंने यह काम किया है।

अध्यक्षजी, मैं गृह मंत्रीजी से कहूँगा कि आडवाणी साहब क्या कहते हैं, यह उनके बस की बात नहीं है, कल्याण सिंहजी क्या कहते हैं कि यह उनके बस की बात नहीं है इसलिए हम उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम उस बात पर विश्वास करेंगे कि भारत सरकार क्या कह रही है? क्या यह इस देश के लोगों के लिए और हमारे लिए शर्म और अफसोस की बात नहीं है कि जिस लीडर ऑफ अपोजीशन के बारे में संविधान में भी लिखा है कि विपक्ष भी सरकार का एक अंग होता है और हम सब देश का एक अंग है और वह लीडर ऑफ अपोजीशन जिसके ऊपर प्रधान मंत्री के बाद सबसे बड़ा दायित्व होता है, वह कहता है कि यह संसद क्या तय करेगी उससे हम गाइडेड नहीं है? धर्म संसद क्या तय करेगी हम उससे गाइडेड हैं? क्या यह हमारे लिए अफसोस की बात नहीं है? देश की संसद देश के भाग्य का निर्माण नहीं करेगी, नेता विरोधी दल इस संसद के निर्णय के मुताबिक नहीं चलेंगे नेता विरोधी दल तो धर्म संसद से गाइडेड होंगे। यदि इसी तरह सब अपनी-अपनी संसद से गाइडेड होने का काम करें तो इस देश का जो विशाल संसद भवन है, जिसका एक गौरव है और जिसकी एक-एक ईंट एकता के ऊपर आधारित है और जिसके गार्जियन के रूप में आप यहाँ बैठे हुए हैं। इस पार्लियामेंट का भविष्य क्या होने वाला है, यह हम आपसे और आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहेंगे। इसलिए मेरी शिकायत यदि किसी से है तो इस सरकार से है। हमने सोचा था कि नरसिंहराव साहब की सरकार, जिसके गृह मंत्री श्री एस.बी. चव्हाण साहब हैं, वह अपनी पुरानी गलती को फिर से नहीं दोहराएंगे। हमने समझा था कि चलो आपने ताला खुलवा दिया, आप उस गलती का पश्चाताप कर लोगे। कम

से कम आप गलती का तो पश्चाताप कर सकते थे, लेकिन आपने ताला भी खुलवा दिया, शिलान्यास भी करवा दिया और अब आप इस आसरे में बैठे हो कि मन्दिर भी बन जाए।...(व्यवधान)...यदि इनकी कृपा रही तो मन्दिर भी बनवा देंगे, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। कल ये कह देंगे कि दस लाख लोग आ गए थे, मैं क्या करता, मैं तो बिल्कुल असहाय हो गया था। इसलिए हमारे जैसे लोगों के मन में कोई शंका नहीं है, मुझे बी.जे.पी. वालों से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि आप तो कोई बात छिपाते नहीं हैं, आपकी नीयत में जो है, उसे आप बतला देते हो, लेकिन हमें शंका है तो इस सरकार से है जो सैक्युलरिज्म का लबादा ओढ़े हुए लेकिन सारे का सारा काम कम्युनल आधार पर चला रही है।

**श्री राजवीर सिंह (आंवला)** : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक जानकारी चाहता हूं इनसे कि क्या इनके दल ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया है कि वह विवादित ढांचा मस्जिद है। यदि इन्होंने तय कर दिया है, इनकी पार्टी की नीति बन गई है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, ये स्पष्ट कर दें।

**श्री रामविलास पासवान** : अध्यक्षजी, जो मंदिर का नक्शा दिया है, उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ। मिसाइल आप कहाँ से छोड़ते है प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न तो यह है कि वह मिसाइल कहाँ जाकर गिरती है। आपने जो ढांचा बनाया है, उसका क्या मतलब है, सरकार बताए? इसका मतलब यही है कि मस्जिद गिरेगी। सारी विवादग्रस्त और अधिगृहीत भूमि को मिलाकर आपने जो नक्शा, मंदिर बनाने का दिया है, उसमें यह मस्जिद शामिल है। उसके मुताबिक अगर वह मंदिर बनेगा, तो मस्जिद खत्म हो जाएगी।

गृह मंत्रीजी याद रखिए, इस देश का मुसलमान आज कहीं नहीं आ रहा है, न आएगा, उसके मन में एक पीड़ा है। जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाली ताकतें हैं, उनके मन में जो पीड़ा है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। आप एक मस्जिद को खत्म कर दो। मुसलमान अपनी जानमाल की रक्षा करने के कारण एक मस्जिद को भले छोड़ दे लेकिन उसके मन में जो घाव बनेगा, क्या वह देश की एकता और अखण्डता को मजबूत करने वाला होगा? मन में घाव मत लगने दीजिए।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ)** : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मै गृह मन्त्री श्री चव्हाण के वक्तव्य पर कुछ टिप्पणी करूँ, मैं एक मामले में स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूँ। कल सदन में प्रतिपक्ष के नेता श्री आडवाणीजी पर कड़े प्रहार किए गए थे इस आधार पर कि उन्होंने अपने किसी भाषण में कहा कि वे जब कार सेवा के लिए जाएंगे तो अपने साथ फावड़ा और ईंट लेकर जाएँगे। रात को आडवाणीजी के साथ मेरा संपर्क हुआ, दिन में संपर्क नहीं हो सका। जिस एक अखबार ने यह खबर छापी थी वह अखबार भी उन तक नही पहुँचा था। रात में उन्होंने मुझे सूचित किया कि फावड़ा और ईंट लेकर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अपने भाषण में उन्होंने फावड़ा और ईंट शब्द का उपयोग तक नहीं किया। लेकिन फावड़ा और ईंट उनके मुँह में रख दिए गए। (व्यवधान)

**श्री नीतीश कुमार (बाढ़)** : उनके मुँह में फावड़ा और ईंट रखा जाएगा तो उनकी जान नहीं बचेगी। यह तो मर्डर है, केस होना चाहिए।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अध्यक्ष महोदय, हमारे जनता दल के मित्र जरा भाषा की सुन्दरता को समझने की भी तैयारी दिखाएँ। फावड़ा सुनते ही ये मेरे ऊपर फावड़ा लेकर हमला करने को तैयार हो गए और इन्हें आडवाणीजी के प्राणों की भी चिन्ता हो गई।

अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने कल कहा था कि समाचार-पत्रों में जो कुछ प्रकाशित होता है उसके आधार पर नतीजे नहीं निकाले जाने चाहिए। आज तो समाचार-पत्रों में कुछ ऐसी खबरें आई है जिनसे भ्रमों के निराकरण में

सहायता मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्रीजी से सहमत हूँ कि मामला बहुत नाजुक स्थिति में है और इससे उपयुक्त एप्रोप्रियेट रूप से निपटा जाना चाहिए। यह पार्टी का सवाल नहीं है। प्रश्न ऐसा है जो लोगों की आस्थाओं के साथ जुड़ा है और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए।

गृह मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में प्रधान मंत्री द्वारा 27 जुलाई, 1992 को संसद के दोनों सदनों में जो वक्तव्य दिया गया, उसका उल्लेख किया है। फिर उन्होंने कहा है कि 3 अक्तूबर, 1992 को अयोध्या के विवाद के दोनों पक्षों के बीच वार्ता शुरू हो गई। जुलाई और अक्तूबर के बीच में पूरे दो महीने थे। साधु-संतों ने प्रधान मंत्री को तीन महीने का समय दिया था। प्रधान मंत्री ने कहा कि 3 या 4 महीने में हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। साधु समाज ने उसे भी स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने बाद में देखा कि दो महीने बीत गए और समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। चार महीने में से दो महीने का अर्थ होता है, 50 फीसदी समय। हम लोग बराबर पूछते रहे कि आप इस बीच में क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? तो कहा गया कि प्रधान मंत्री के सचिवालय में एक सैल गठित कर दिया गया है, फिर कहा गया कि प्रधान मंत्री के सचिवालय में जो सैल गठित किया गया है, वह उन दस्तावेजों का कागज-पत्रों का पता लगाने का प्रयत्न कर रहा है, जिनका आदान-प्रदान चन्द्र शेखर सरकार के जमाने में हुआ था। मैंने पूछा कि वे कागज-पत्र कहाँ गए तो कहा गया कि उस समय एक राज्य मंत्री थे, वह जाते-जाते कागज-पत्र भी ले गए। क्या कोई मंत्री अपने साथ कागज-पत्र भी ले जाता है? क्या गृह मंत्रालय में वह सारी सामग्री उपलब्ध नहीं होनी चाहिए थी? इससे संदेह पैदा हुआ कि सरकार समस्या का तत्काल समाधान करने के लिए दृढ़ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, फिर से, 'कार सेवा' करने का जब फैसला हुआ, मैं उस समय देश में नहीं था। यह फैसला किन परिस्थितियों में हुआ है इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है।

मेरा निवेदन है कि जो साधु-महात्मा प्रधान मंत्रीजी से प्रभावित थे और यह विश्वास लेकर लौटे थे कि प्रामाणिकता के साथ समस्या का हल करने के प्रयास किए जाएँगे, उनके मन में आशंका क्यों पैदा हुई? मैं दो ही घटनाओं का उल्लेख करूँगा। मानव संसाधन मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक संगठन है, इंडियन कौंसिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च। यह सरकार की सहायता से चलता है। सरकार का उसे समर्थन प्राप्त है। उस संस्था के पुराने सचिव थे श्री मैनन, जिन्हें त्यागपत्र देने के लिए विवश किया गया, उन्होंने अभी मातृभूमि में एक लेख लिखकर जो रहस्योद्घाटन किया है, वह सचमुच में बड़ा धक्का देने वाला है।

श्री नारायणन का आरोप है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च का काम बाबरी मस्ज़िद एक्शन कमेटी को मदद देने का था। बाबरी मस्ज़िद एक्शन कमेटी की तरफ से जो प्रमाण इकट्ठे किए गए, जो दस्तावेज लाए गए, कौन इतिहासकार वहाँ जाएगा इसका सारा निर्णय काउंसिल के साथ होता था, काउंसिल भवन में बैठकर और यह निर्णय किए जाते थे। अब अगर यह आरोप सही है, माफ करिए मैं यह आरोप अपनी तरफ से नहीं लगा रहा हूँ जो काउंसिल के सेक्रेट्री थे श्री नारायणन, उन्होंने जो लेख मातृभूमि में प्रकाशित किया है उस लेख में इस तरह का गम्भीर आरोप है।

अध्यक्ष महोदय, एक घटना और हुई जिसके कारण सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा। आडवाणीजी का मन इतना खट्टा क्यों हो गया है, जब चार महीने पहले कार सेवा रोकी गई थी तो आडवाणीजी ने हस्तक्षेप किया था। भारतीय जनता पार्टी ने साधु महात्माओं से अनुरोध किया था कि आप प्रधान मंत्री से मिलिए, कार सेवा स्थगित होनी चाहिए, समस्या का बातचीत से समाधान निकालने का प्रयत्न होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में खड़ा करने

की कोशिश की जा रही है। आडवाणीजी को आक्रमण का सबसे बड़ा केन्द्र बना लिया गया है। उनके रवैये में परिवर्तन का कारण है केन्द्र के एक मंत्री आडवाणीजी के पास यह प्रस्ताव लेकर गए थे, वह लिखा हुआ प्रस्ताव था...(व्यवधान)

**श्री सूरज मल (गौड़ा)** : आप उसका नाम बोलिए।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मुझे नाम बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, उनका नाम है कमलनाथ, वह एक प्रस्ताव लेकर गए थे। अध्यक्षजी, मैं नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता वैसे नाम का उल्लेख करने में इस बारे में कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। वह एक प्रस्ताव लेकर गए थे जिस प्रस्ताव का निचोड़ यह था कि 2.77 एकड़ क्षेत्र का केन्द्र सरकार अधिग्रहण कर लेगी, उसे मंदिर बनाने के लिए सौंप देगी। जो विवादास्पद ढाँचा है उसका फैसला या तो बातचीत से होगा और या फिर किसी अदालती कार्रवाई से होगा तो इस पर आडवाणीजी ने कहा कि अदालती कार्रवाई 40 साल से चल रही है। अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ के बेन्च में मुकद्दमे पेश हैं, मामले सुप्रीम कोर्ट मे भी आ गए हैं जो तो "जूडिशियल प्रोसेस की जगह ड्यू प्रोसेल ऑफ ला" यह संशोधन आडवाणीजी ने सुझाया और आडवाणीजी ने पूछा कि यह प्रस्ताव आप अपनी तरफ से लाए हैं या इसे प्रधान मंत्रीजी का समर्थन प्राप्त है। श्री कमल नाथ ने आडवाणीजी को कहा कि इसे प्रधान मंत्री का समर्थन प्राप्त है, बाद में पता लगा कि उन्होंने गलत कहा है। उस प्रस्ताव को प्रधान मंत्री का समर्थन नहीं है। फिर क्या श्री कमल नाथ ने अपने मन से यह प्रस्ताव रख दिया, फिर उन्होंने प्रधान मंत्री का नाम क्यों लिया और अगर प्रधान मंत्री का नाम लेने की उन्होंने गलती की है और बड़ी भारी गलती है तो वह अभी तक मंत्रिमंडल में क्यो हैं? ऐसे मंत्री को मंत्री परिषद में नहीं रखना चाहिए लेकिन श्री कमलनाथ को हटाया नहीं गया है। इससे भी इस आशंका की पुष्टि हुई है कि समस्या के प्रामाणिक समाधान का प्रयास नहीं है। अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग संदेश भेजना और वह संदेश जब भारतीय जनता पार्टी मान ले और साधु-संतों से मनवाने का प्रयत्न करे तो फिर उन प्रस्तावों से हट जाना। कितने मंत्रियों को दूत बनाकर भेजा गया, क्यों भेजा गया? सरकार का क्या इरादा है, सरकार की विश्वसनीयता में संकट क्यों पैदा हुआ? साधु-संतों ने प्रधान मंत्री पर समस्या के समाधान के लिए सारा भार सौंपा था लेकिन बाद में उन्हें लगा कि भेद नीति अपनाई जा रही है, अलग-अलग साधुओं से अलग-अलग बातें की जा रही हैं। और बातें कार सेवा की तिथि घोषित होने के बाद भी की जाती रही हैं, और बातें कार सेवा क्यों कर रहे हैं? कार सेवा की आवश्यकता नहीं है, इसको लेकर नहीं हुई है। हल कैसा होगा इसको समझने के प्रयत्न किए गए कि हर साधु से अलग-अलग बात हो, कभी एक साधु को बुलाया कभी दूसरे को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वाम देवजी को बुलाया गया, नृत्यगोपाल दासजी को बुलाया गया। मैं चाहता था कि इस सवाल पर हमारे स्वामी चिन्मयानन्द जी प्रकाश डालें, जो बातचीत में शामिल थे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे बताया गया कि इस चर्चा में केवल मैं ही बोलूँगा, किसी दूसरे सदस्य को अवसर नहीं मिलेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात है, प्राइवेट में जो चर्चा हो, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करनी चाहिए।

**श्री अटल विहारी वाजपेयी** : नहीं अध्यक्ष महोदय, आज इसको कहने की आवश्यकता है।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं तो फिर आगे चलकर चर्चा नहीं होगी।

**श्री अटल विहारी वाजपेयी** : मैं मानता हूँ अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह प्राइवेट मामला नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो बातें घर में होती हैं, उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज जब यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार सेवा क्यों शुरू की गई...?

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष महोदय, ये ठीक कह रहे हैं, यही तो हम लोगों का सरकार पर आरोप है, अब सारी बातें एक्सपोज हो रही हैं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : और आडवाणीजी पर हमले किए जा रहे हैं। मैंने कहा कि आखिर आडवाणीजी के मन में इतनी खिन्नता क्यों है, क्योंकि विश्वसनीयता का प्रश्न पैदा हो गया है, यह प्रश्न पैदा नहीं होना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय, मामला इस समय लखनऊ बैंच के सामने है, वह 2.77 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का जो मामला है। 16 महीने हो गए है? सुनवाई समाप्त हो गई है, पर फैसला नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है? हर बात के लिए लिमिटेशन्स हैं, कानून हैं, लेकिन जज फैसला कब देंगे इसकी कोई सीमा नहीं है और फिर यह मामला तो 40 साल से चल रहा है। भावनाओं से जुड़े हुए इस प्रश्न को इतने साल तक लटकाए रखने का क्या औचित्य है? और प्रधान मंत्रीजी से जो साधु संतों की बातचीत हुई थी, उसमें यह भी तय हुआ था कि जितने भी मुकदमे हैं, सबको कंसॉलीडेट कर दिया जाएगा, प्रधान मंत्रीजी का यह वक्तव्य है और सबको किसी न्यायाधिकारी को सौंप दिया जाएगा, वह भी नहीं हुआ। बाद में यह तय हुआ था कि उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार, और यह हमारा प्रस्ताव था कि हम लखनऊ बैंच के सामने जाकर कहें कि अधिग्रहण का मामला आपके सामने है, जल्दी फैसला दीजिए, यह नहीं कि फैसला हमारे हक में दीजिए, यह तो कोई अदालत से कह नहीं सकता, कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन यह कहें कि जल्दी फैसला दें। अधिग्रहण के मामले पर फैसले के 16 महीने लगे हैं, इसलिए भी स्थिति बिगड़ी।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह दृढ़ आश्वासन दिया है कि विवादग्रस्त ढाँचे को किसी तरह की क्षति नहीं पहुँचने दी जाएगी, उसका पूरा संरक्षण किया जाएगा। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर विश्वास न किया जाए? उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को जो जानकारी भेजी है, मैं उस सबको पढ़ना नहीं चाहता। उन्होंने वहाँ बल लगाया हुआ है और कितने सुरक्षा बल का प्रबंध किया है, इसका पूरा विवरण है, अब और अगर केन्द्र समझता है कि सुरक्षा बल का जो प्रबंध किया है वह पर्याप्त नहीं है तो केन्द्र बातचीत कर सकता है, सुझाव दे सकता है। लेकिन केन्द्र क्या कह रहा है? केन्द्र अगर उत्तर प्रदेश में अयोध्या में केन्द्रीय सुरक्षा बल भेजता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को समय पर सूचना भी नहीं देता। विश्वास में लेना तो अलग रहा, अनुमति का तो सवाल ही नहीं, अब गृह मंत्रीजी ने स्वयं कहा कि 24 तारीख को सुरक्षा बल आ रहा है इसकी सूचना हमने भेज दी थी। सुरक्षा बल कब पहुँचे? वह पहले ही 19 तारीख को पहुँच गए। बड़े एडवांस में काम हो रहा है! बल पहले पहुँचता है और चिट्ठी बाद में पहुँचती है!

**गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण)** : क्या मैं हस्तक्षेप कर सकता हूँ? क्या माननीय सदस्य को पक्का विश्वास है कि केंद्रीय बलों को 19 और 20 तारीख को भेजा गया था, न कि 24 तारीख को? मैं प्राधिकार सहित कहता हूँ कि केंद्रीय बलों को 24 तारीख को ही भेजा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है।

**श्री अटल विहारी वाजपेयी** : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास भी कुछ तथ्य हैं और वह तथ्य उत्तर प्रदेश की सरकार से मुझे प्राप्त हुए हैं।

**श्री एस.बी. चव्हाण** : हम भी जो बोलते हैं उस पर विश्वास कीजिए।

**श्री अटल विहारी वाजपेयी** : हाँ, मैं कर रहा हूँ मगर मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप विश्वास करने को तैयार नहीं है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केन्द्र की सरकार इस सवाल पर एक राय की है कि विवादग्रस्त ढाँचे को कोई क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सोमनाथ चटर्जी।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को धैर्यपूर्वक सुन रहा था। लेकिन उन्होंने देश के सामने उठे मुख्य मुद्दे को ही सावधानी के साथ दर-किनार कर दिया है। मुद्दा यह है कि क्या 6 दिसम्बर को अयोध्या में न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाएगा या नहीं। मैं सावधानी से सारी बात सुन रहा था परन्तु उन्होंने इस मुद्दे के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया। आज हम इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे कि क्या वहाँ पर मंदिर बनाया जाना चाहिए अथवा नहीं अथवा पहले वहाँ पर क्या बना हुआ था। हम यहाँ पर सबूत देने अथवा किसी निर्णय लेने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। आज प्रश्न यह है कि हम एक विशेष स्थिति से गुजर रहे है जिसके कारण देशवासियों में काफी चिंता व्याप्त है। आज लोगों का एक वर्ग, एक राजनैतिक दल अथवा कुछ संगठन, जो कि खुले तौर पर धार्मिक संगठन ही हैं, कट्टरपंथी संगठन हैं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारे विचार से इस देश की एकता और अखण्डता को गहरा धक्का लगेगा, जिससे देश में साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखने पर आघात लगेगा और मैं सोचता हूँ कि यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में इस देश के प्रत्येक नागरिक को सचेत रहना चाहिए। परन्तु इन मुद्दों का उत्तर नहीं दिया गया। हमें कई बातें बताई गई हैं कि नेहरूजी ने पंथ-निरपेक्ष-वाद का क्या अर्थ बताया था। यदि वह नेहरूजी के उद्धरण पर ही चलें, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नेहरूजी के विचारों को अमल में लाने के लिए 2.77 एकड़ भूमि पर कार सेवा करने की कोशिश कर रही है? यह तो मैंने श्री अटलबिहारी वाजपेयीजी से अजीब तर्क ही सुना है। हमारा इस बात से संबंध क्यो है? जब भारत सरकार के कहने पर बातचीत चल रही थी, जी हाँ, अगर बातचीत जुलाई-अगस्त में शुरू हो गई होती तो मुझे तो खुशी होती क्योंकि उस समय भी मैंने सरकार के बारे में कुछ कहना था- कि आप इस तरह के मामले के लिए समय क्यों बर्बाद करते हैं? परन्तु बातचीत अक्टूबर-नवम्बर में रखी गई और इसके लिए तारीख भी निश्चित कर दी गई। बातचीत भी चल रही थी तो अचानक ही बातचीत पूरी किए बिना यह एकतरफा फैसला और एकतरफा घोषणा क्यों की गई है कि चाहे जो भी हो, चाहे बातचीत का जो भी परिणाम हो, हम मंदिर का निर्माण करेंगे। मैं नहीं जानता कि 6 दिसम्बर का क्या महत्व है? हमें भारतीय जनता पार्टी अथवा विश्व हिन्दू परिषद की ओर से यह जानकारी नहीं मिली कि इस दिन का क्या विशेष महत्व है और यह दिन क्यों निश्चित किया गया है। फिर भी उन्होंने यह दिन निश्चित किया है। शायद इसमें उनकी अपनी कोई भावना होगी, कोई अपना विश्वास होगा, इस पर मेरा कोई विरोध नहीं है। परन्तु उन्हें देश को उत्तर देना है कि वे बातचीत की प्रक्रिया में बाधा क्यों डाल रहे हैं? यदि आपकी बात में कोई दम है और आप ऐसा सोचते हैं तब जब तक चार महीने न बीत जाएँ, उससे पहले बीच में आप क्यों विघ्न डाल रहे है? आज स्थिति यह बन पड़ी है कि 6 दिसम्बर की तारीख कार-सेवा के लिए निश्चित की गई है। कार-सेवा को दूसरा कोई अर्थ न होकर यह अर्थ है कि मंदिर निर्माण के लिए मंदिर के एक भाग का ईंट और मसाले के साथ स्थाई निर्माण करना है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 'जी हाँ' मंदिर वहाँ पर बनाया जाएगा। उन्होंने लोगों का आव्हान किया है कि मंदिर निर्माण में उनकी सहायता करें। जब ऐसी स्थिति है, तो मामला न्यायालय को सौंप दिया जाता है। हमने सरकार की जोरदार निंदा की है और जितनी जोर से हमने आलोचना की है, उतनी किसी और ने नहीं की। जब शाहबानो का मामला था और उच्चतम न्यायालय ने विपरीत निर्णय सुनाया था तब भी हमने सरकार की आलोचना की थी। हमने कहा था कि यह गलत है। इससे बहुत ही गलत संकेत मिला और उससे इस देश में न्यायिक निर्णय का अपमान हुआ। फिर भी, क्या यह सही है कि चूँकि शाहबानो के मामले में निर्णय को बदल दिया गया, उससे इन्हें न्यायपालिका की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए? न्यायपालिका के प्रति केवल वचन से ही सेवा

जतलाने का क्या फायदा है?

हम इस देश में आपात-स्थिति की घोषणा किए जाने के बहुत ही विरुद्ध है। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों को इससे नुकसान हुआ था। परन्तु उन दिनों न्यायपालिका की शक्ति छिन चुकी थी। क्या आप दोबारा उन आपातकालीन दिनों को देखना चाहते है और यह सही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यायिक निर्णय की अवमानना की जा सकती है, इसकी उपेक्षा की जा सकती है ताकि किसी वर्ग विशेष के लोगों के अथवा राजनीतिक दल के राजनीतिक स्वार्थ पूरे हो सकें? यही कारण है कि जब प्रेस-सम्मेलन में विपक्ष के अन्य किसी सदस्य ने कुछ न कह कर विपक्ष के नेता ने स्वयं इस बारे में कहा, "वे अपने लोगों तक इस आशय का संदेश पहुँचाने का सुनियोजित प्रयास कर रहे है कि जहाँ तक अयोध्या मुद्दे का संबंध है, न्यायपालिका कार्यपालिका के हाथ का खिलौना बन कर रह गई है" ये बात अन्य किसी व्यक्ति ने न कहकर विपक्ष के नेता ने स्वयं कही है। महोदय, मैं वही बात कह रहा हूँ जो इन्होंने स्वयं स्वीकार की है।

अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा मुद्दा है जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता और इसमें नरमी भी नहीं बरती जा सकती है। इसके प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए उचित कार्रवाई करनी होगी। अनेक बार हमें यह याद दिलाया गया कि उन्हें मंदिर निर्माण करने के लिए जनादेश मिला है। 33% प्रतिशत जनादेश नहीं दे सकते हैं। यदि वे सोचते हैं कि यह जनादेश था तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश लोग उनके पक्ष में नहीं थे।

इस देश में राष्ट्रीय एकता परिषद् का महत्वपूर्ण स्थान है। उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जानबूझकर राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक का बहिष्कार किया क्योंकि वे उसमें अलग-थलग नहीं होना चाहते थे। राष्ट्रीय एकता परिषद् एकमत से निष्कर्ष पर पहुँची और उसने प्रधान मंत्री को सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया। अत: यह सरकार और प्रधान मंत्री का कर्त्तव्य है कि वे आवश्यक कार्रवाई करें। उच्चतम न्यायालय में सरकार को कार्रवाई का भागीदार बनना चाहिए। यह अपने विचार स्पष्ट और ज्ञातव्य बना सकती थी। यह न्यायालय के समक्ष वैध स्थिति बता सकती थी। मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि वे उसका एक पक्ष क्यों नहीं बने? पहले भी हमने सभा में यह सुझाव दिया था कि सरकार को अधिक सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए और तब देखना चाहिए था कि उच्चतम न्यायालय में क्या हो रहा है।

अत: हम सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं। प्रमुख विपक्षी दल, भारतीय जनता पार्टी देश को सांप्रदायिक और धार्मिक आधार पर विभाजित कर रही है। हमें इससे संघर्ष करना चाहिए। मैं सरकार पर भी आरोप लगा रहा हूँ कि आप भी इस देश की अखण्डता को असफल कर रहे हैं। आप अन्य अनेक समस्याओं का भी समाधान नहीं कर पाए और आप अपनी अनिर्णय और टालमटोल की नीति के कारण इस समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको अपनी उपस्थिति का एहसास कराना होगा क्योंकि आज इस देश में एक ही धर्मनिरपेक्ष राय है। वे देश विभाजित नहीं करना चाहते हैं। अंततः वार्ता द्वारा अथवा न्यायिक निर्णय द्वारा वे मंदिर बना सकते हैं, मस्ज़िद को गिरा सकते हैं, उन्हें ऐसा करने दीजिए। लेकिन इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? ऐसी स्थिति क्यों ला रहे हैं जिसमें कोई उचित तरीका कारगर साबित न हो? आप न तो कोई बातचीत करने के लिए तैयार हैं और न ही न्यायिक निर्णय को मानने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर, आपके राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए न्यायपालिका के महत्व को घटा कर ऐसी गम्भीर स्थिति पैदा कर रहे हैं।

मैं माननीय गृह मंत्री से यह माँग करता हूँ कि उन्हें आज सभा में यह स्पष्ट करना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा और देश की एकता व अखण्डता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैं इन मुद्दों पर गृह मंत्री के स्पष्ट वक्तव्य की माँग करता हूँ।

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सभा में एक बार फिर अयोध्या की स्थिति पर चर्चा हो रही है। स्पष्टतया सभा अयोध्या की समस्या से चिन्तित है। वास्तव में यह समस्या लोगों के ग्रुप द्वारा की गई है जो एक राजनीतिक नाम से जाना जाता है जिन्होंने अपने जहन में, अपनी हताशा में भी यह निर्णय कर लिया है कि इस मुद्दे को इस प्रकार उठाया जाए जिससे मुहिम के अन्तर्गत इसे देश में मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सत्ता हासिल करने हेतु एक राजनीतिक हथियार बनाया जा सके।

दूसरी बात यह है कि जब भी शांतिपूर्ण एवं सौहार्द्रपूर्ण समाधान ढूँढ निकालने का प्रयास किया गया ग्रुप के लोगों ने जानबूझकर इसे निष्फल कर दिया, जिस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं। मैं इस तथ्य की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूँ।

तीसरी बात यह है कि शायद वे इसे इन लोगों की निष्क्रियता और उदासीनता समझते हैं, जिन्होंने महात्मा गाँधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, श्री मौलाना आजाद जैसे कई महान नेताओं के नेतृत्व में स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। शायद वे समझते हैं कि वह करिश्मा, वह चिन्गारी, जिससे स्वाधीनता आन्दोलन प्रज्ज्वलित हुआ, बुझ गई है और इसकी राख पर प्रतिगामी सर्वसत्तावादी और पूर्णतया विवेकशील राजनैतिक ढाँचे का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास बाहुबल है। वे समझते हैं कि वे जनता की इच्छा को प्रतिबिम्बित कर रहे हैं। वे समझते हैं कि उन्हें अपना अभिलक्षित ध्येय प्राप्त होने वाला है। चाहे उन्हें यह इस देश के, संविधान के चुनाव कानूनों द्वारा निर्धारित मतदान प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त न हो, वे इसे छलकपट, झूठे प्रतिनिधित्व और अनिवार्य हुआ तो बाहुबल से प्राप्त कर लेंगे। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं तो कहूँगा कि आप अपने विवेकानुसार जो कुछ उचित समझें, सम्भव समझें, करें। लेकिन आप और आपकी तथाकथित आकांक्षा के बीच लोगों का एक जत्था खड़ा है और इस देश के लोगों का यह संगठित समूह वह सब त्यागने को तैयार नहीं है जो हमें इस देश के स्वतन्त्रता सेनानियों से, इस देश के शहीदों से विरासत के रूप में मिला है जिन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जो न केवल राजनैतिक दासता से मुक्त हो बल्कि उनका एक ऐसा भारत हो जो आर्थिक और सामाजिक दास्ताँ के लिए भी संघर्षरत रहे, जिस भारत में प्रत्येक व्यक्ति को जाति, वर्ण और धार्मिक भेदभाव के बिना फल ने फूलने, आगे बढ़ने एवं अपने परिश्रम का पूरा-पूरा प्रतिफल प्राप्त करने का एक समान अधिकार हो। आज जो कुछ दाँव पर लगा दिया है वह, वह नहीं जिसे वह प्राप्त करना चाहता है और जो कुछ उसे प्राप्त होगा। आज तो यह दाँव पर लगा है कि क्या यह देश, वह देश रह पाएगा जिसकी कि कल्पना की गई थी? क्या इस देश के लोग अपने अधिकारों का उपयोग कर पाएँगे अथवा हम उस राजनैतिक कुचक्र में फँस जाएँगे जो सत्ता प्राप्ति के लिए चल रहा है? मैं अदालत की बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं उनकी दलीलों में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि उनकी वह तर्क प्रखरता है जो शायद हमारे पास नहीं है। यदि वे अल्पसंख्यक समुदाय का मत अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाते हैं जैसा कि जनमत हासिल करने का वे प्रयास कर रहे हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? यदि वे ऐसा करते हैं कि न्यायालय के आदेश कुछ भी हों, जनमत कुछ भी हो, इस समय की न्यायोचित माँग कुछ भी हो, तो वही करेंगे जो वे चाहते है, जिसके लिए वे तैयार हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आप क्या तर्क करेंगे? यदि वे कहते हैं कि उनकी आस्था, जिसकी वे सौगन्ध लेते है, पर वाद-विवाद नहीं किया जा सकता है, यह बुद्धिगम्य नहीं है यह तो भावात्मक मुद्दा है। मेरा तो यह कहना है कि यदि सत्ता हासिल करने के लिए एक तरफ आस्था की बात की जाती है तो स्वाधीनता प्राप्ति के समय भी इस देश की आस्था कम नहीं है, कम प्रासंगिक नहीं थी। सवाल तो यह है कि आज हम अपनी स्थिति कैसे कायम करते है? हम उक्त स्थिति को कैसे लेते हैं? यहाँ मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना यही नहीं

है हमें सड़कों पर आकर इससे लड़ना चाहिए। यदि मेरी आवाज सुनी जा रही है तो मैं चाहूँगा कि इस आवाज को इस देश के एक विनीत नागरिक की आवाज के रूप में सुना जाय जो आस्था से हिन्दू और विश्वास से एक राष्ट्रवादी है। मैं तो कहूँगा कि अब वह समय आ गया है जबकि इन धार्मिक ढोंगियों को इनका स्थान दिखा दिया जाना चाहिए और ऐसा सड़कों पर लड़ाई करने से नहीं किया जा सकता, ऐसा एक-दूसरे से प्रतिवाद करके नहीं किया जा सकता। आज तो इस बात की आवश्यकता है कि इस देश के लोगों को आगे बढ़कर अपनी बात कहने, अपनी अभिव्यक्ति करने की अनुमति दी जाए। इसके लिए एक शक्तिशाली आन्दोलन देश में एक जन आन्दोलन चलाया जा रहा है कि आज मन्दिर या मस्ज़िद दाँव पर नहीं लगा है। आज तो अपनी आस्था के अनुसार आपके पूजा-अर्चना करने का अधिकार, काम करने का अधिकार दाँव पर लगा है।

प्रधान मंत्री महोदय ने एक सौहार्दपूर्ण समाधान ढूँढने हेतु एक साहसपूर्ण शुरुआत की है, उपाय किए हैं। हमने देखा कि उन्होंने किस प्रकार आखिरी कुछ महीनों में लोगों में अपनी आस्था और विश्वास पेश किया। इस मुद्दे का राजनैतिक समाधान करने अथवा इसे न्यायालय में भेजने का निर्णय लेने के प्रति प्रत्येक कदम बड़ी सूझबूझ से उठाया, लेकिन हमें यह देखकर बड़ा दुःख हुआ कि वे लोग जो स्वयं को अत्यन्त तर्कसंगत और औचित्यपूर्ण व्यक्ति के रूप में पेश करने का प्रयास करते थे। हर प्रकार का तर्क सुनने और तर्क करने को तैयार थे जिससे हम निष्क्रिय हो गए और इस प्रकार ये लोग प्रधान मंत्रीजी की आस्था और विश्वास के साथ धोखा करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। आज यदि प्रधान मंत्रीजी यह महसूस करते हैं कि इन लोगों ने उनका निरादर किया है तो मैं समझता हूँ कि वे ऐसा तो सोचेंगे ही।

**श्री अन्ना जोशी (पुणे)** : आप अन्य लोगों का भी निरादर कर रहे हैं।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, जब मैं आपको यह नहीं कह सकता कि आपको क्या करना चाहिए तो आप भी मुझे यह निर्देश नहीं दे सकते कि मुझे क्या करना है? मैं आपको केवल एक बात बताना चाहूँगा। मेरा किसी को निरादर करने का कोई इरादा नहीं है और न मेरा किसी भारतीय की उस आस्था के साथ कोई विश्वासघात करने का इरादा है जो उसे इस देश के मौलिक कानूनों, इस देश के संविधान और इस देश के लोकाचार में है। आप समझते हैं कि आप हमें इस तरह विचलित करके हममें असमंजसता की स्थिति पैदा कर देंगे। इससे कोई असमंजसता की स्थिति पैदा होने वाली नहीं है। इसमें कोई छलकपट की स्थिति पैदा होने वाली नही है। हम पूरी तरह सचेत हैं। वक्त बड़ी तेजी से बीत रहा है, वक्त किसी का इन्तजार नहीं करता। जो संकट आपने राष्ट्र के लिए खड़ा किया है, जो खतरा आपने देश के लिए पैदा किया है उस खतरे पर हँसा नहीं जा सकता, इसका उपहास नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा खतरा है जिसका सामना एक संकल्प से, साहस से किया जाना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे अब तक आपकी भावना कुछ भी रही हो, इस संकट को दूर कर लिया जाएगा। मैं सरकार की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको यही विश्वास दिला सकता हूँ। हमने समूचे उत्तर प्रदेश में जन सभाएँ, रैली आयोजित करने का निर्णय लिया है ताकि जनता को उस द्विविधा और छलकपट से बाहर निकाला जा सके जिसमें भाजपा कई महीनों से अन्तर्गस्त थी, हममें से प्रत्येक व्यक्ति इन रैलियों में जाएगा और जनता को बताएगा कि उनके इरादे क्या हैं और वे क्या करने जा रहे हैं।

कल मैं फैजाबाद में शान्ति रैली में भाग लेने जा रहा हूँ और इस बात के बारे में आपको सूचित किया जा रहा है। (व्यवधान)

**श्री नीतीश कुमार (बाढ़)** : शिलान्यास किसने करवाया था? (व्यवधान)

**श्री राजवीर सिंह (आँवला)** : कार सेवा करने जा रहे है?

**श्री अर्जुन सिंह** : ऐसा है, आप जिन भगवान राम की सेवा की बात करते है उन्हें हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए माध्यम नहीं बनाते हैं। भगवान राम हम सब के हृदय में हैं, हम सब की कल्पनाओं में है, आस्थाओं में है, लेकिन भगवान राम हमारे लिए इसके लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं है कि जहाँ हमको 10 सीटें मिलती है, उनको बढ़ा कर हम 20 कर लें। और आप ख्याल रखिए कि इस प्रकार के प्रपंच और इस प्रकार का जो वातावरण आप पैदा करने में लगे हुए हैं, शायद आपको बहुत बड़ा भ्रम है। इस भ्रम में आकर आपने पिछले दिनों रथ यात्रा निकाली थी कि दिल्ली के सिंहासन पर आकर बैठेंगे, पर जहाँ पर आप हैं, उसकी कल्पना आपको होगी और हम लोग जहाँ पर है, वह आपके सामने है, लेकिन सवाल यह नहीं है। मैं अटल बिहारी वाजपेयीजी से, जिन्हें मैं एक संवेदनशील और सूझ-बूझ से संपन्न राष्ट्रीय नेता के रूप में देखता हूँ, मैं उनसे यह अपील करना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, मेहरबानी करके ये जो घोड़े आपने छोड़ दिए हैं, जिन पर कोई लगाम नहीं है, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, जिनके सामने किसी प्रकार का रास्ता नहीं है, ऐसा न हो कि एक दिन ये घोड़े आपके ही पथ में आड़े आ जाएँ, ऐसी स्थिति न बने, यह हम आपसे अपील करते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, वरना जैसा मैंने कहा—

इस देश की दुर्दशा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम दूसरे विभाजन की चोट व पीड़ा नहीं झेलना चाहते, लेकिन आज जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उससे यही हो सकता है। हमें इस मामले में किसी प्रकार के उलझाव में नहीं रहना चाहिए। जो लोग यह नहीं जानते कि उनके समक्ष खतरा क्या है, जो लोग यह नहीं जानते कि खतरे की स्थिति में उन्हें क्या करना है, उन्हें भारी कष्ट झेलना पड़ता है।

अब समय आ गया है जबकि आपको किसी भी कीमत पर सत्ता की इस पागलपन की दौड़ पर अंकुश लगाना होगा। इस समय हमें यही करना है, हमें राजनैतिक रूप से सुदृढ़ होकर यह सुनिश्चित करना है कि देश को अस्तव्यस्तता और विप्लव की स्थिति में ले जाने वाली परिस्थितियाँ उभर न पाएँ और हम इन परिस्थितियों पर पूरी दिलेरी, साहस और विश्वास के साथ अंकुश लगा दें क्योंकि यह समय किसी भी कारणवश अपने विश्वास में डगमगाने या दिग्भ्रमित होने का नहीं है। इस वाद-विवाद से इस बात का भी निर्णय होगा कि क्या हमारा देश गाँधीजी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रहा है, क्या यह देश उनके पदचिन्हों का अनुकरण कर रहा है या गोडसे के मार्ग और उनके पदचिन्हों का अनुकरण कर रहा है, जिससे राष्ट्रपिता की हत्या करवाई गई।

(लोकसभा कार्रवाई / 3 दिसम्बर 1992, पृष्ठ 258 से 291)

यह राष्ट्र केवल किसी व्यक्ति विशेष, किसी आस्था विशेष वाले लोगों, किसी जाति, या किसी वंश का नहीं है बल्कि सबका है तथा यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारत के संविधान में अधिकारों और कर्त्तव्यों की व्यवस्था की गई है। इसलिए यदि कोई गैर जिम्मेदाराना तरीके से सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करता है, चाहे उसमें देश के राजनैतिक तंत्र को कितना ही खतरा क्यों न हो ऐसी स्थिति में हमें यह विचार करना होगा कि वास्तव में देश के सुरक्षा वातावरण के लिए खतरा कौन उत्पन्न कर रहा है तथा राष्ट्र के सैद्धान्तिक, राजनैतिक तथा सामाजिक ढाँचे को तोड़ने में सहायता कौन कर रहा है।

—अर्जुन सिंह,
*15 जुलाई 1993*

1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993

1683

# 1993

*अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर दिल्ली में हुए लाठी चार्ज के बारे में श्री रामविलास पासवान ने प्रश्न उठाया। इस समय माननीय उपाध्यक्ष श्री एस.माल्लकार्जनय्या पीठासीन थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय में हुई गोलाबारी में दो छात्रो की मौत हो गई थी। विरोध प्रदर्शन के लिए छात्र प्रधानमंत्री निवास पर गए जहाँ पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। छात्रो से संबंधित कोई भी घटना जब जब सामने आई, तब तब माननीय मंत्री श्री अर्जुनसिंह ने स्वयं पहल कर कदम उठाए।*

**श्री राम विलास पासवान** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक गम्भीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में है। आपको मालूम है और इस सदन को भी मालूम है कि दो विद्यार्थियों की मृत्यु के कारण आज वहाँ स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वहाँ सीधे छात्रों के ऊपर गोली चलाई गई थी, जिससे दो लड़के मारे गए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हम मामले की ज्यूडिशियल इंक्वायरी करा रहे हैं। हम लोगों ने सदन में बार-बार माँग की। कल भी कश्मीर के मामले में, एजीटेशन के बाद, आपने कहा है कि जो पुलिसकर्मी दोषी पाए जाएँगे और कम से कम आपने एस.एस.पी. को ट्रांसफर कर दिया लेकिन हम लोगों ने बार-बार माँग की है कि एस.पी. के रहते हुए, डी.एम. के रहते हुए, वहाँ इंक्वायरी सही ढंग से नहीं हो सकती है।

उपाध्यक्षजी, कल प्रधान मंत्री जी के निवास स्थान पर प्रदर्शन किया गया, विद्यार्थियों द्वारा अपनी माँगों को लेकर, जब वे जा रहे थे तो उनको बुरी तरह से पीटा गया। यहाँ एच.आर.डी. मिनिस्टर, श्री अर्जुन सिंहजी बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जवाब आप कर सकते हैं....(व्यवधान)....वह मैं जानता हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं।

मैं जानता हूँ आप कर सकते हैं, छात्रों का मामला है उपाध्यक्षजी, कल विद्यार्थी प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर गए थे और वहाँ पर उनको बुरी तरह से पीटा गया रात में, हम करीब 25 लड़कों से मिलकर रात 12 बजे आए हैं और मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि एक्शन कमेटी के अध्यक्ष डॉ. एस.एम. सरवार हुसैन, जो कन्वीनर ऑफ एक्शन कमेटी हैं उनको बुरी तरह से मारा गया। सैय्यद अबरार चिक्कू, जो फॉरमर सैक्रेट्री हैं, उनके सिर पर चोट लगी है, वे घायल अवस्था में हैं, उनका सिर फट गया है। डॉ. अब्दुल्ला मन्नान, उनका पाँव टूट गया है। मोहम्मद इमरान, आल इण्डिया मैडिकल इन्स्टीट्यूट में भर्ती हैं। उनका हाथ बिलकुल टूट गया है। मोहम्मद सलीम उनको गाड़ी में ले जाया गया, उन्होंने कहा कि यदि मुझे गिरफ्तार करना है, तो गिरफ्तार करो, लेकिन उनको छोड़ दिया गया। डॉ. एम.पी. रेड्डी, आल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के वाइस प्रेसीडेंट हैं, वे घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। डॉ. सोलंकी, घायल अवस्था में हैं। डॉ. एम.एम. अनवर हुसैन, प्रेसीडेंट, आल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वे घायल

अवस्था में है। इसलिए उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यह कानून का राज चल रहा है या जंगल का राज चल रहा है। उनको गिरफ्तार करना था, तो गिरफ्तार करते, पुलिस गिरफ्तार कर लेती, लेकिन गिरफ्तारी के बजाय लड़कों के हाथ-पाँव तोड़कर उनके साथ अमानुषिक अत्याचार किया गया है। यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ही बात नहीं है। हम लोगों ने हमेशा देखा है जहाँ कहीं कोई लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी बच्चे का भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग गुस्से में आकर गाड़ी को फेंक देते हैं, गाड़ी को जला देते हैं लेकिन अधिकारी सीधा रिवॉल्वर निकाले और कॉलेज के विद्यार्थियों को मारने का काम करे और दूसरी तरफ फिर लड़के अपनी माँगों को लेकर जाएँ, तो उन लोगों के इस तरह से हाथ-पाँव तोड़ दिए जाएँ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यह गॉयनारिटी का सवाल नहीं है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, एस.एफ.आई., पी.यू.आई., एस.एफ.आई., पी.एस.यू., ए.आई.एस.एफ., युवा जनता दल, बी.एम.एस., आर्टिस्ट ग्रुप, दलित सेना, ये सारे के सारे लोग मिलकर, छात्र जनता दल, आदि सभी की माँग है, कोई एक यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है और यदि सरकार यह चाहती है कि यह आन्दोलन पूरे देश में आग की तरह फैले, तो इसके लिए भी आन्दोलन शुरू हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से डिस्क्रिमिनेटली वे में यूनिवर्सिटी के छात्रों को मारना बिलकुल ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, वहाँ राजेश पायलट गए थे, उन्होंने कहा था कि दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाएगा, किसको दंडित किया गया? सबको हाई पोस्ट पर प्रमोशन दी गई है। वहाँ के एस.ए.ओ. का प्रमोशन कर दिया गया। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार स्टूडेन्ट से इस तरह का व्यवहार करती है, यह शर्म की बात है यदि सरकार में थोड़ी सी भी इन्सानियत हो, सरकार को शर्म हो, तो सरकार को उठ करके एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि वहाँ के जो एस.पी. और डी.एम. हैं, उनको वहाँ से हटाया जाएगा। उनको वहाँ से हटाना चाहिए और उनको वहाँ से ट्रांसफर करना चाहिए। यह हम आप से माँग करते हैं। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह सच है कि यह एक गम्भीर मसला है और आपने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है। सरकार ने सुन लिया है।

**मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : माननीय महोदय....(व्यवधान)

**श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़)** : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे चुनाव क्षेत्र का मामला है। इसलिए मुझे बोलने का मौका दिया जाए। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें बोलने का एक मौका देना चाहिए। (व्यवधान)

**श्रीमती शीला गौतम** : माननीय उपाध्यक्षजी, जब राजेश पायलट माननीय मन्त्री महोदय वहाँ गए थे, तो फारूक साहब ने.....(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य चाहते है कि सरकार उत्तर दे लेकिन उन्हें उत्तर नहीं देने दे रहे है। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

**श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़)** : मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ और यहाँ जो बयान दिया जा रहा है, वह बिलकुल तथ्यों के विपरीत है।....(व्यवधान) यह फारूकीजी का बयान छपा है। उन्होंने यह लिखा है कि संविधान बदला जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का दरवाजा खटखटाना बुरा नहीं है। इस तरह के बयान वाइस-चांसलर

दे रहे है। उन्होंने लड़कों को बरगलाने के लिए यहाँ से लैटर लिखा है कि हमने यह-यह काम करवा दिया है....(व्यवधान) इन्होंने वादा बिल्कुल नहीं किया है लेकिन इन्होंने जो दिया है, वह मैं आपको बताना चाहती हूँ....(व्यवधान) वाइस चांसलर की अनुमति के बिना पुलिस विश्वविद्यालय परिसर में नहीं घुसेगी।

यह वाइस-चांसलर ने लड़कों को लिखकर भेजा है कि उन्होंने दिल्ली से करवाकर भेज दिया है, जो कि गलत है। राजेश पायलटजी ने कोई वायदा नहीं किया है। इस तरह से 5-6 पाइंट्स हैं, मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ।

अनूप शहर रोड पर यातायात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की देख रेख में चलेगा। दूसरे शब्दों में अनूप शहर रोड अब यूनिवर्सिटी रोड का ही हिस्सा समझी जाएगी।

अब मेन रोड, जो कि अनूप शहर को जाती है, बन्द करना चाहते हैं। तीसरा पाइंट है कि जिन छात्रों की सात तारीख की रात को दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी उन्हें प्रत्येक मामले में 2 लाख से अधिक मुआवजा दिया जाए।

यह सब फारूकीजी ने यहाँ से लिखकर भिजवाया है, जो कि बिल्कुल गलत है। श्री राजेश पायलट यहाँ आकर बयान दें कि वे वायदा करके गए हैं या नहीं?....(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब माननीय मंत्री आपके अनुरोध का उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

**श्री अटल बिहारी वाजयेपी (लखनऊ)** : उपाध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ के दो पहलू हैं। एक तो अलीगढ़ में जो कुछ हुआ, उसके बारे में श्री पायलट ने बयान दिया था। उस पर चर्चा हो सकती है। कई दृष्टिकोण उस बयान पर होने वाली चर्चा के दौरान आ सकते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू है जिसे कि हमारे कुछ मित्रों ने उठाया है। वह अलीगढ़ से सम्बन्धित नहीं है, वह दिल्ली से सम्बन्धित है। अलीगढ़ के विद्यार्थी दिल्ली में प्रदर्शन के लिए आए। उन पर लाठी चार्ज किया गया। उनके साथ और भी लोग थे, ऐसा कहा जाता है।

यह संसद है। केन्द्र सरकार से कहा जा सकता है कि प्रधान मन्त्री के घर के सामने जो प्रदर्शन करने के लिए जाए, अगर उन्हें लाठियों का निशाना बनाया जाना है तो सरकार को बयान देना चाहिए। अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि इस सवाल को हम न तो साम्प्रदायिक बनाएँ, न राजनीतिक बनाएँ। आगे गृह मंत्रालय की माँगों पर चर्चा होने वाली है, उसमें अलीगढ़ का व्यापक प्रश्न उठाया जा सकता है। जो दिल्ली में लाठी चार्ज हुआ है, उस पर बयान देने के लिए आप सरकार को कह सकते हैं। इससे मामला शान्त हो सकता है।...(व्यवधान)

**श्री ई. अहमद (मंजेरी)** : महोदय, श्री वाजपेयीजी ने जो यह कहा है कि इसे साम्प्रदायिक दंगो के रूप में नहीं लेना चाहिए यह बात उनके अपने दल के सदस्य पर ज्यादा लागू होती है क्योंकि अलीगढ़ से जो सदस्य हैं उन्होंने अपने वक्तव्य में उप-कुलपति श्री फारुखी के बारे में एक अलग ही रंग प्रस्तुत किया है। यह गलत था। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें इसे एक साम्प्रदायिक मुद्दे के रूप में नहीं लेना चाहिए बल्कि छात्रों और राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में...(व्यवधान) श्री वाजपेयी की इस बात से सहमत हूँ कि इन मुद्दों को साम्प्रदायिक नजरिए से नहीं लेना चाहिए।

महोदय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों ने केवल उचित और आवश्यक माँगें ही की हैं कि विश्वविद्यालय से गुजरने वाले एक मार्ग को बन्द कर दिया जाए। ऐसा करना विश्वविद्यालय के छात्रों के हित में ही है।

दूसरी माँग पुलिस अधिकारियों सहित उन अधिकारियों का स्थानान्तरण करने की है जो इस तरह से अन्यायोचित रूप से गोली चलाने के लिए जिम्मेदार हैं।

महोदय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों से प्रधान मंत्री के घर पर जो व्यवहार किया गया वह खेदजनक है। हमें इस तरह के कठोर रवैये की तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों पर किए गए अत्याचार की निन्दा करनी

चाहिए। (व्यवधान)

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : मुझे अलीगढ़ वाली घटना पर कुछ नहीं कहना है, क्योंकि न्यायिक जाँच के आदेश दिए जा चुके हैं और इसीलिए जो कुछ वहाँ हुआ है उस पर टिप्पणी करना किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। कल शाम अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र मुझसे मिले थे और उन्होंने मुझे इस घटना के बारे में बताया। मैंने उनसे आग्रह किया था कि चूँकि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें मैं सीधे ही हस्तक्षेप कर सकूँ। अतः उन्हें श्री राजेश पायलट से पूर्व अनुमति लेकर मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। मैंने उन्हें शाम को अपने यहाँ भी बुलाया था ताकि वे श्री राजेश पायलट से बात करके मुझे बताएँ। एक बार वे वहाँ से आते हैं तो मैं निश्चित रूप से इस मामले पर स्वयं श्री राजेश पायलट से बात करूँगा क्योंकि बात चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी छात्रों को अपनी बात कहने से रोक सकता है।

(लोकसभा कार्रवाई/ 27 अप्रेल 1993, पृष्ठ 149 से 155)

*मानव संसाधन विकासमंत्री माननीय श्री अर्जुन सिंह ने लोकसभा में 'राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना' नामक राष्ट्रीय ऋण कोष की स्थापना की 27 अप्रैल को घोषणा की।*

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : अध्यक्ष महोदय, आज महिलाओं के लिए "राष्ट्रीय महिला कोष" नामक एक राष्ट्रीय ऋण कोष की स्थापना की घोषणा करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। यह प्रस्ताव पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है और मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष है कि अब हमने इस मामले को अन्तिम रूप दे दिया है।

संस्थागत ऋण को सामाजिक परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में जाना जाता है। किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसे ऋण गरीबों विशेषकर गरीब महिलाओं को मिल पाना बड़ा कठिन होता है। सामान्य तौर पर अनौपचारिक क्षेत्र की इन महिलाओं को अनौपचारिक निम्नस्तरीय ऋण व्यवस्था से निरन्तर कम लागत पर ऋण लेने की जरूरत होती है। चूँकि इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए औपचारिक बैंकिंग ढाँचा हमेशा तैयार नहीं रहता, इसलिए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया था। मुझे विश्वास है कि इस कोष की स्थापना से अनौपचारिक क्षेत्र में गरीब महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराए जाने की चिर प्रतीक्षित माँग पूरी हो सकेगी। ऋण और इससे संबद्ध कार्यक्रमों के क्षेत्र में प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों को इस कोष से ऋण प्रदान किया जाएगा और ये सरकारी संगठन आगे निम्नतम स्तरों पर गरीब महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराते रहेंगे। इस योजना के अन्तर्गत ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की पात्रता के बारे में उपयुक्त मानदण्डों का निरूपण भी कोष द्वारा किया जाएगा।

मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने इस ऋण ढाँचे को सरकार की आसान किश्तों पर ऋण देने की अन्य योजनाओं के समतुल्य ही रखा है। लाभ प्राप्तकर्ताओं को यह ऋण 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर पर प्राप्त होगा। महोदय हमने ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया है ताकि सरकार महिलाओं को आर्थिक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से कार्यशील रहे।

मुझे यह घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है कि वर्ष 1992-93 में इस कोष के लिए 31 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है इस 31 करोड़ रुपये की राशि से गरीब महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु अगले पाँच-छः वर्षों के दौरान काफी हद तक ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाने की संभावना है। इस कोष की स्थापना एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई है जिसके कार्य प्रबन्धन के लिए एक महासभा और एक संचालन बोर्ड होगा। इस संचालन बोर्ड

में सरकारी विभागों, मंत्रालयों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और ऋण संबंधी कार्य क्षेत्र के व्यवसाई और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कोष ऋण लेने वाली महिलाओं के लिए जोखिम निधि (रिस्क फंड) के सृजन की व्यवस्था करेगा, ऋण संबंधी जानकारी प्रदान करेगा और सामूहिक बीमे की सुविधा उपलब्ध कराएगा। कोष शीघ्र ही कार्य करना शुरू कर देगा।

महोदय, यह एक प्रशंसनीय कार्य है जिसे मैं प्रबुद्ध सदन के समक्ष रख रहा हूँ।

**श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा)** : जो बोर्ड बनाएँगे उसमें क्या सब सेक्शन के लोगों को रखेंगे?

**श्री अर्जुन सिंह** : यही प्रयास होगा।

**श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन)** : इसके लिए कितना प्रावधान किया है?

**श्री अर्जुन सिंह** : 31 करोड़ का।

**श्री मणिशंकर अय्यर (मइलादुतुराई)** : इस समूचे उपाय का स्वागत करते हुए, मैं मंत्रीजी से यह जान सकता हूँ हम इन्दिरा-महिला योजना का क्रियान्वयन कब करने जा रहे हैं जिसमें बिना महिलाओं के विकास के प्रति अनौपचारिक रवैया ही होगा।

**श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर)** : जो घोषणा की है यह स्वागत योग्य है। हम चाहते हैं कि इस विषय को लेकर ढाई घंटे की चर्चा हो कि कैसे काम होगा, कैसे महिलाओं का सहयोग मिलेगा, अगर मंत्रीजी तैयार हो जाएँ तो इस पर चर्चा होनी चाहिए।

**श्री अर्जुन सिंह** : किसी भी चर्चा के लिए मैं तैयार हूँ। चर्चा हो या न हो यह अध्यक्ष महोदय पर निर्भर है।

(लोकसभा कार्रवाई /27 अप्रेल 1993, पृष्ठ 167-168)

*वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम.वी. चंद्रशेखर मूर्ति द्वारा 4 मई को विनियोग विधेयक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ। वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए जब राशियों के संदाय और विनियोग हेतु माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो श्री राम नाईक ने कुछ स्पष्टीकरण चाहे। इनमें से पहला स्पष्टीकरण खादी ग्रामोद्योग में कथित भ्रष्टाचार को लेकर था। जबकि दूसरा विषय श्री अर्जुन सिंह के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित था। श्री राम नाईक चाहते थे कि प्रिंस ऑफ वेल्स नाम से प्रख्यात म्यूजियम को नेशनल म्यूजियम का दर्जा दिया जाए जिसका उत्तर मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्री अर्जुन सिंह ने दिया।*

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष, 1993-94 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

**श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : मैं विधेयक पुर:स्थापित ..... करता हूँ।

**श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर)** : अध्यक्षजी, मेरे तीन विषय हैं। उसमें से पहला विषय प्रधान मंत्री जी के साथ और उद्योग मंत्री के साथ जुड़ा हुआ है वह है खादी ग्रामोद्योग कमीशन में बड़े पैमाने पर फैले हुए भ्रष्टाचार के बारे में। गए साल भी मैंने एप्रोप्रिएशन बिल पर दो समय आक्षेप किए थे और उसमें से सिद्ध हुआ है कि वहाँ पर वूलन मिल्स से बने हुए माल को ब्लैकेट करके बेचा गया। साथ ही साथ यह भी सिद्ध हुआ है कि कई संस्थाओं को डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन दिया गया। जब 21 अप्रैल को मैंने यहाँ सवाल उठाया था तो उद्योग मंत्री ने यह बताया कि हमने डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए पाबंदी लगाई है।

मेरा दूसरा विषय मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंहजी के साथ जुड़ा हुआ है। मुम्बई शहर में प्रिंस ऑफ वेल्स नाम का प्रख्यात म्यूजियम है जो 1905 में बना था। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम एक्ट के अन्तर्गत चलता है जो महाराष्ट्र सरकार का बनाया हुआ कानून है। अब यह म्यूजियम बहुत अच्छा है जहाँ विदेशों से लोगों को, वी.आई.पी. को देखने के लिए भेजा जाता है लेकिन उसे नेशनल म्यूजियम का स्टेटस नहीं मिला है हालांकि महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार के बीच में कई साल तक बात चली है। सिद्धांत रूप से केन्द्रीय सरकार ने इस बात को मान्य किया है लेकिन न तो इस बारे में कोई कानून बना है और न ही महाराष्ट्र में नेशनल म्यूजियम बनाने के लिए बिल लाए और जब बिल आएगा तो उसमें— प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम अंग्रेजों के नाम से है— मुम्बई की जनता की ओर से माँग करना चाहता हूँ कि इस म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रखा जाए।

अध्यक्षजी, मेरी तीसरी बात यह है कि मैंने इससे पहले भी उठाया है कि एक एम.पी. कांस्टीटुएन्सी में अच्छे ढंग से काम कर सकें, उसके लिए दो करोड़ रुपये कांस्टीटुएन्सी फन्ड बनाना चाहिए। ऐसी माँग मैं एक बार फिर करता हूँ। गत साल भी प्रधान मंत्रीजी ने कहा था कि इस पर विचार करूँगा जब 20 मार्च को वोट ऑफ एकाउंट और एप्रोप्रिएशन बिल पर बात की थी तो उस समय सारे सदन ने समर्थन दिया था। अध्यक्षजी आपने भी कहा था और आश्वासन दिया था कि उस पर जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहिए तो इस बात के लिए दुबारा आग्रह करना चाहता हूँ कि एम.पी. कांस्टीटुएन्सी फण्ड हेतु दो करोड़ रुपये की जो माँग है, उसके बारे में प्रधान मंत्री वक्तव्य दें, यही मुझे कहना है। (व्यवधान)

**श्री राजवीर सिंह (आंवला)** : प्रधान मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : इन मुद्दों पर सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : महोदय, श्री राम नाईक ने प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का मुद्दा उठाया है। स्थिति इस प्रकार है। यह सच है कि इस पर कुछ चर्चा हुई थी और सैद्धान्तिक रूप से एक निर्णय लिया गया था। लेकिन इसे लागू करने के लिए निम्नलिखित कार्य करने होंगे। महाराष्ट्र सरकार से सबसे पहले अपने अधिनियम को इस शर्त के साथ निरस्त करने का अनुरोध किया गया है कि निरस्तीकरण केन्द्रीय अधिनियम की अधिसूचना की तिथि के साथ ही प्रभावी होगा। केन्द्रीय अधिनियम कमोबेश तैयार है। जैसे ही वह सूचना महाराष्ट्र

सरकार से हमें प्राप्त होगी हम मामले पर आगे कार्रवाई करेंगे।

**श्री राम नाईक** : संग्रहालय के नामकरण का क्या होगा?

**श्री अर्जुन सिंह** : नाम उसके बाद आता है।

**श्री राम नाईक** : जब आप विधेयक का प्रारूप तैयार कर रहे हैं तो नाम अवश्य आना चाहिए क्योंकि वर्तमान में इसका नाम 'प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम' है। जब आप इस समय विधेयक का प्रारूप तैयार कर रहे हैं तो संग्रहालय के नाम पर अवश्य ही गौर करना होगा।

**श्री अर्जुन सिंह** : हम उसे ध्यान में रखेंगे।

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राम नाईक ने निर्वाचन-क्षेत्र निधि का मुद्दा उठाया है जो कि संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रवार है। पिछली बार प्रधान मंत्री ने कहा था कि यह मामला अपीलीय प्राधिकरण को भेजा जाएगा। यह अपीलीय प्राधिकरण के ऊपर है कि वह इस प्रश्न के बारे में सोच-विचार करे। यदि इसका निर्णय हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि जो भी माँगे हैं, उनकी जाँच की जाएगी और इस बारे में निर्णय किया जाएगा।

**प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंहराव)** : ताली बजाने से कौन खुश नहीं होता है? (व्यवधान) जब पहली बार यह मुद्दा उठाया गया था, तो मैंने कहा था कि मैं इस पर विचार करूँगा, सरकार इस पर विचार करेगी। मैं अभी भी इस बात का समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं अभी स्पष्ट रूप से कोई वक्तव्य नहीं दे सकता। इसे बजट में किस प्रकार शामिल किया जा सकता है, यह कहने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में यह काफी लम्बे समय से चल रहा है। उन्होंने लगभग इसे पूरा कर लिया है। लेकिन अनेक राज्यों में यह नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश के बारे में मैं नहीं जानता। यह अवश्य ही उनके लिए कोई नई बात होगी। लेकिन हम उन सब बातों का अध्ययन करेंगे और फिर सभा में आकर बताएँगे। (व्यवधान)

**श्री राम नाईक** : खादी आयोग के बारे में क्या स्थिति है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया।

**श्री अर्जुन सिंह** : मंत्री महोदय खड़े हुए हैं। वे इसका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं।

**उद्योग मन्त्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि विभाग और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम)** : महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा उठाया गया मुद्दा यह था कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों और गैर-कानूनी कार्यों व त्रुटियों की जाँच की जाए। महोदय, अनेक बार मैंने संसद में इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि हमने इन भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों की जाँच की है तथा हमने उचित कार्रवाई की है। हमने आयोग को निदेश दिए हैं कि वे पोलिवस्त्र सहित खादी के उत्पादन के लिए उन क्षेत्रों को छोड़कर जो विशेष रोजगार कार्यक्रमों से जुड़े हैं, नई समितियों और नए संस्थानों को पंजीकृत न करें। ग्राम उद्योगों के लिए किसी भी नए संस्थान को सीधे, खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। वैयक्तिक मामलों में, उन्हें राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों द्वारा वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। खादी ग्रामोद्योग आयोग को पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत किए गए संस्थानों के कार्यकरण की तत्काल पुनरीक्षा करनी चाहिए तथा हमने आयोग से रिपोर्ट माँगी है। पुनर्गठन के सम्बन्ध में...

**श्री राम नाईक** : लेकिन उन्होंने फैक्स द्वारा सन्देश भेजा है कि 5 मई को वे सीधे किए गए पंजीकरणों की सूची को अन्तिम रूप देने जा रहे हैं।

**श्री एम. अरुणाचलम** : हमने निदेश दिए हैं कि आगे की कार्रवाई रोक दी जाए।

**श्री राम नाईक** : लेकिन वे आपके अनुदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं।

**श्री एम. अरुणाचलम** : हमने 29 अप्रैल को आयोग को अनुदेश दिए थे कि नए संस्थानों को मन्जूरी न दी जाए। पुनर्गठन के सम्बन्ध में हम उन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे जो माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्तुत स्वीकृत हुआ

(लोकसभा कार्रवाई / 4 मई 1993, पृष्ठ 433 से 437)

*27 जुलाई को प्रश्नकाल के दौरान श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गैर सरकारी व्यावसायिक कालेजों में छात्रों के प्रवेश हेतु ट्यूशन तथा अन्य फीस से संबंधित मानदण्डों के बारे में जानकारी माँगी। जिसका उत्तर मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने दिया। श्री सत्यदेव सिंह ने भी माननीय मंत्री महोदय से मौखिक प्रश्न पूछा जो आई.आई.टी. की परीक्षाओं में गड़बड़ियों से संबंधित था। माननीय मंत्री ने इस तरह की खबरों के प्राप्त होते ही खड्गपुर जे.ई.ई. के चेयरमैन को हटा दिया साथ ही माननीय सदस्य को आश्वस्त भी किया।*

*श्री अर्जुन सिंह का अपने कार्यकाल में अच्छी किस्म की शिक्षा देने का प्रयास रहा। इस समय अध्यक्ष माननीय श्री शिवराज वी.पाटिल पीठासीन थे।*

राष्ट्रीय परीक्षा सेवा

***24. श्री सत्य देव सिंह**

**श्री वृज भूषण शरण सिंह**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत "राष्ट्रीय परीक्षा सेवा" बनाने की कोई योजना है;

(ख) क्या इसे लागू कर दिया गया है;

(ग) क्या "राष्ट्रीय परीक्षा सेवा" के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि उक्त परीक्षा में होने वाली विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से बचा जा सके; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 में यह परिकल्पना की गई है कि चुनिन्दा क्षेत्रों में नौकरियों को

डिग्रियों से अलग करने, विशेषकर उन सेवाओं में, जिसके लिए विश्वविद्यालय की डिग्री एक आवश्यक योग्यता के रूप में जरूरी नहीं है, की शुरूआत की जाएगी। इसमें आगे यह भी परिकल्पना की गई है कि नौकरियों को डिग्रियों से अलग करने के साथ-साथ स्वैच्छिक आधार पर विशिष्ट रोजगारों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करने की जाँच करने और देश भर में समतुल्य योग्यताओं के मानदण्ड विकसित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने के वास्ते उपयुक्त चरणों में एक उचित मशीनरी अर्थात् एक राष्ट्रीय परीक्षा सेवा स्थापित की जाएगी।

इस प्रयोजनार्थ एक सोसाइटी का पंजीकरण करके इस योजना को संचालित करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

(ग) और (घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और प्रौद्योगिक संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए प्रति वर्ष संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.ई.) आयोजित की जाती है। ऐसा वर्षों से किया जा रहा है और परीक्षा के आयोजन के दौरान अथवा मूल्यांकन की प्रक्रिया में, जहाँ भी आवश्यक हो, किसी प्रकार की असंगति/कमियों को दूर करने का ध्यान रखा जाता है। राष्ट्रीय परीक्षा सेवा अथवा किसी अन्य तन्त्र द्वारा यह परीक्षा आयोजित कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**श्री सत्य देव सिंह :** अध्यक्षजी, आज देश की शिक्षा नीति और शिक्षा के लिए जो परीक्षा की व्यवस्था है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस ढंग से जवाब दिया गया है, उससे यह बिल्कुल अस्पष्ट है कि सरकार की जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजूकेशन, 1986 की है, वह सिर्फ कागजों तक और शब्दों तक सीमित हो गई है। परीक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए आपने अपनी पॉलिसी में कुछ बातों को कहा है। आपने कहा है कि एग्जामिनेशन सिस्टम में परिवर्तन होगा, पाठ्यक्रमों में परिवर्तन होगा और उसके असेसमेंट की नई विधा, नई व्यवस्था बनाई जाएगी लेकिन आपने जो उत्तर दिया है, उससे यह बात कहीं स्पष्ट नहीं है कि आपकी नीति क्या है।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से अपना प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रश्न का "क" पार्ट है कि आपने ऐसे कौन से चुनिंदा क्षेत्र आईडेंटीफाई किए हैं, जहाँ आप नौकरियों को डिग्रियों से अलग (डीलिंकिंग ऑफ डिग्रीज) करने की बात सोचते हैं?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ, इसी में आपने आगे कहा है कि डिग्रियों को अलग करके स्वैच्छिक आधार पर विशिष्ट रोजगारों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करेंगे, यह कौन से मापदण्ड होंगे, जिनके आधार पर आप स्वैच्छिक आधार पर विशिष्ट रोजगार उपलब्ध कराने के मापदण्ड को निर्धारित करने वाले हैं?

पार्ट "सी" मेरा यह है— सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आपकी प्राइमरी, सेकंडरी और हायर एजुकेशन के बाद हायर टैक्नीकल एजुकेशन है, यह चार आपके केन्द्र हैं, 4 मुख्य मुद्दे हैं लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा है, एलीमेंटरी स्टेज पर क्लास 1-5 तक। इस सम्बन्ध में मुझे आपसे कहना है कि आपने स्वयं निर्धारित किया है कि भाषा और लेविल ऑफ लर्निंग, इस पर आपने कहा है कि भाषा, गणित और पर्यावरण के लिए आपने पूरे देश में एक नीति बनाई है, वह नीति क्या है और वह कब तक लागू होने वाली है? यह मेरे तीन मुद्दे हैं।

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस प्रश्न में जो मुख्य मुद्दे पूछे थे, उससे अलग जाकर सारी शिक्षा नीति की व्याख्या करने का कष्ट किया है। ऐसा कोई अवसर मुझे प्रदान किया जाए कि उन सब मुद्दों पर, जिन पर माननीय सदस्य ने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं भी कर सकता हूँ लेकिन वह उस प्रश्न की परिधि में नहीं है। (व्यवधान) मेरी बात तो सुनिए, आप उत्तर तो सुनेंगे? जो उत्तर दिया है, वह मेरे पास भी रखा है।

यह प्रश्न नेशनल टैस्टिंग सर्विस से संबंधित है। आपका प्रश्न यह था कि नेशनल टैस्टिंग सर्विस कायम की गई है या नहीं। इस नोट में उसके बारे में पूरी बात कही गई है। जहाँ तक यह प्रश्न है कि इस पर आगे और क्या कार्रवाई हुई है तो 1992 में जो 1986 की पॉलिसी की रीवेल्यूएशन हुई, उसके तहत नेशनल टैस्टिंग सैन्टर को नेशनल इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। इसका रजिस्ट्रेशन एक सोसाइटी की हैसियत से 9-12-1992 को किया गया।

अब इसके तहत किस प्रकार से इम्तिहान होंगे, इवेल्यूएशन होगा, अलग-अलग जॉब्स के लिए जो आवश्यकता है, उसकी जाँच कैसे होगी वह सब निर्धारित किया जा रहा है, क्योंकि इसमें अकेले एक बॉडी बना देने से मतलब नहीं है, जब तक हम उन संस्थाओं का समावेश नहीं करते हैं, जो अन्ततः इम्तिहान लेंगी और उनका भी समावेश नहीं होता है, जो जॉब्स क्रिएट करेंगी, तब तक यह बिल्कुल एक आइसोलेटेड संस्था जाएगी। उन सब पर कार्रवाई हो रही है। नेशनल एजुकेशन की जो मंशा है, उसको पूरी तरह से पूरा किया जाएगा, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ।

**श्री सत्यदेव सिंह** : महोदय, प्रतिवर्ष 85 हजार से ज्यादा छात्र आई.टी.आई. की परीक्षाओं में बैठते हैं और दो हजार परीक्षार्थी देश की सर्वोच्च टैक्नीकल एजुकेशन में भेजते हैं। इस ज्वाइन्ट एन्ट्रेंस एग्जामिनेशन में पिछले दो वर्षों से गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं...(व्यवधान)...मैं इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलॉजी की बात कर रहा हूँ। मैं आपका ध्यान पिछले दिनों अखबारों में जो समाचार निकले थे, उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ। आपने उन समाचारों के आधार पर एक जाँच आयोग भी बैठाया था। खड़कपुर जे.ई.ई. के जो चेयरमैन थे, उनको आपने हटा दिया और आपने एक जाँच समिति बैठा दी। क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे, जाँच समिति के जो नतीजे आपके सामने आए हैं और इन शीर्षस्थ टैक्नीकल एजूकेशन की व्यवस्था में जो कमियाँ हैं, उनको सुधारने के लिए आपने क्या सोचा है?

**श्री अर्जुन सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूँ कि यह प्रश्न प्राइमरी शिक्षा से संबंधित नहीं रहा और हायर टैक्नॉलॉजी से संबंधित रहा। ...(व्यवधान)—आपने जिस घटना का उल्लेख किया है, उस संबंध में दूसरे सदन में जवाब दिया जा चुका है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि त्रुटियाँ इम्तिहान में हुई थीं, उसके बारे में जाँच की गई है और उन त्रुटियों का छात्रों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनके प्रश्नोत्तर के मूल्यांकन के बारे में इसको आश्वस्त किया गया है। उसको कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ा। गलतियाँ कैसे हुईं और आगे न हों, उसके लिए विचार हो रहा है और अगले इम्तिहान में उसका पूरा-पूरा ध्यान रखा जाएगा, यह आप आश्वस्त रहें।

## व्यावसायिक कॉलेजों में ट्यूशन तथा अन्य फीस

***31. श्री अटल विहारी वाजपेयी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय को ध्यान में रखते हुए गैर-सरकारी व्यावसायिक कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश हेतु ट्यूशन तथा अन्य फीस लिए जाने के लिए कोई मानदंड तथा दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं?

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य-वार क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है? और

(ग) इन संस्थाओं में शैक्षणिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या कदम उठाए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) और (ख) फरवरी, 1993 में, उच्चतम न्यायालय ने उन्नीकृष्णन के मामले में, प्राइवेट व्यावसायिक संस्थाओं में वसूल किए जाने वाले शुल्क और दाखिलों को नियंत्रित करने से सम्बन्धित एक "योजना" निर्धारित की है। इस "योजना" को लागू करने में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से परामर्श करके प्रारूप रूप में मार्गदर्शी रूपरेखाएँ तैयार की गई थीं और राज्यों को उनका प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए परिचालित की गई थीं। 17 जून, 1993 को राज्य सरकारों के मंत्रियों की एक बैठक भी आयोजित की गई थी। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं का सामान्य तौर से समर्थन किया था। उक्त सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखकर इन प्रारूप रूप में मार्गदर्शी रूपरेखाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम द्वारा शामिल किए गए व्यावसायिक कालेजों/संस्थाओं में स्तर को बनाए रखने के उत्तरदायित्व का भार सौंपा गया है। ये प्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार में नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस "योजना" को लागू करने के लिए अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अधीन उपयुक्त नियम जारी करने के लिए कदम उठा रहा है।

(लोकसभा कार्रवाई/ 27 जुलाई 1993, पृष्ठ 13 से 16 तथा 25)

*सदन में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। अध्यक्ष महोदय ने चर्चा की प्रक्रिया के संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिए। 'मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव' पर 27 जुलाई को भी सदन में चर्चा हुई थी। श्री पी.जी. नारायणन ने कल हुई अधूरी चर्चा पर आज 28 जुलाई को पुन: बोलना शुरू किया। अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने वाले माननीय सदस्यों का मानना था कि इस सरकार के कार्यकाल में देश में महँगाई व बेरोजगारी बढ़ी है तथा आर्थिक परिस्थितियाँ खराब हुई हैं। देश की अखंडता भी खतरे में है। इन आशंकाओं को लेकर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। श्री चंद्रशेखर ने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए श्री अर्जुन सिंह पर कई प्रश्न दागे। देश की आर्थिक स्थिति के संबंध में उन्होंने अपनी आशंकाएँ व्यक्त कीं। काँग्रेस को कई मुद्दों पर कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया।*

*श्री अर्जुन सिंह ने इस चर्चा में श्री चंद्रशेखर के प्रश्नों के उत्तर दिए। श्री अर्जुन सिंह का स्पष्ट मानना था कि काँग्रेस देश की जिम्मेवारी को निभाने में सक्षम है। देश के महापुरुषों की भावना श्री अर्जुन सिंह के जेहन में सदा रही है। संसद में उनके भाषणों में भी बार-बार महापुरुषों की उस भावना का उल्लेख मिलता है। श्री अर्जुन सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव पर उठाए गए मुद्दों का तार्किक ढंग से जवाब दिया। श्री अर्जुन सिंह सदन को झकझोरने वाले प्रश्न उठाते थे। इन प्रश्नों के मूल में गाँधी का सपना साकार करने की मंशा कार्य करती थी।*

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने से पूर्व मैं आपके ध्यान में कुछ बातें लाना चाहूँगा जिससे आप लोगों को भाषण देने में सुविधा होगी। इस चर्चा में कुछ वरिष्ठ सांसद, दलों के नेता और कुछ माननीय मंत्रिगण भी बोलेंगे। मेरे विचार से उन्हें भी समय दिया जाना चाहिए।

इस चर्चा के लिए 12 घंटे का समय आवंटित किया गया था। काँग्रेस दल को 5 घंटे और 11 मिनट का समय दिया गया था। इस 5 घंटे और 11 मिनट में से उन्होंने 3 घंटे और 11 मिनट का समय ले लिया है। काँग्रेस दल के पास 2 घंटे का समय बचा है। भाजपा को 2 घंटे 28 मिनट का समय मिल गया था। उसके सदस्यों ने 2 घंटे 3 मिनट का समय लिया। उनके 25 मिनट बचे हैं। जनता दल को 49 मिनट का समय आवंटित किया गया था। अब तक दो सदस्य बोल चुके है और उन्होंने 2 घंटे और 6 मिनट का समय लिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 43 मिनट का समय दिया गया था। दो सदस्यों ने अपनी बात कहने में 1 घंटा और 27 मिनट का समय लिया। जनता दल (अ) को 25 मिनट का समय दिया गया था। उन्होंने कोई समय नहीं लिया। अब कम्युनिस्ट पार्टी को 18 मिनट का समय दिया गया है। मैं सोचता हूँ कि माननीय सदस्यों को और अधिक समय-समय दिया जाना चाहिए। अन्नाद्रमुक को 13 मिनट का समय दिया गया है जिसमें से 2 मिनट का उपयोग किया गया है। तेलुगु देशम को 8 मिनट का समय दिया गया है। उनका कोई सदस्य नहीं बोला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 7 मिनट का समय दिया गया था। वे भी कुछ नहीं बोले हैं।

अन्य सदस्यों के पास बहुत कम समय है। छोटे दलों के पास भी बहुत कम समय है। हमारा इरादा सभी सदस्यों को समय देने का है। परन्तु छोटे दलों के सदस्यों को स्पष्ट करना चाहिए कि समय असीम नहीं हो सकता। हमने इस मुद्दे पर दो दिन तक चर्चा की है। आज भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। 5 बजे माननीय प्रधान मंत्री वक्तव्य दे सकेंगे। उत्तर के लिए तथा पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं के लिए भी कुछ समय चाहिए। मेरा अनुरोध है कि आप सब कृपया ये बातें अपने ध्यान में रखें।

कल श्री पी.जी. नारायणन बोल रहे थे। आप कृपया समय का ध्यान रखें।

**श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम)** : अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर विपक्ष का राष्ट्र के प्रति यह कर्त्तव्य है कि वह इस सरकार को सत्ता से बाहर करे जिससे कि लोगों को एक भ्रष्ट, अकुशल और अक्षम प्रशासन से बचाया जा सके। उसी पवित्र कर्त्तव्य का निर्वाह करने तथा अपने असंख्य देशवासियों की इस विषय से जुड़ी मनोभावना को अभिव्यक्त करने के लिए और यह दर्शाने के लिए कि सत्ताधारी दल लोगों की भावनाओं, उनके अधिकारों और आकांक्षाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हमें बाध्य होकर यह अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा।

गत दो वर्षों से यह देश एक के बाद एक ऐसे अनेक संकटों का सामना कर रहा है जो घटनाओं ने नहीं परन्तु इस सरकार के कुप्रशासन, कुव्यवस्था और अकर्मण्यता तथा उनके द्वारा अपनाई गई जन-विरोधी नीतियों द्वारा पैदा किए गए हैं। देश की एकता और अखंडता कभी भी इतने तनाव से नहीं रही जितना हम आज देख रहे हैं।

सरकार आज घोटालों, भ्रष्टाचार और बेईमानी का प्रतीक बन गई है। पहले भी देश में और सरकारों में भ्रष्टाचार था परन्तु इस समय इसने केन्द्र में एक नया खतरनाक स्वरूप ले लिया है और इसकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ भी हुई है।

हम इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन क्यों कर रहे हैं? हम इसका समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि सत्ताधारी दल के उन आश्वासनों को पूरा करने में असमर्थ रहा है जिनके आधार पर वह सत्ता में आए। यह एक कष्टप्रद कर्तव्य है क्योंकि दो वर्ष पूर्व जब यह सरकार सत्ता में आई लोगों को सरकार से बड़ी आशाएँ थी। परन्तु आज हम क्या पाते है? आज यह देखकर बड़ा कष्ट होता है कि इस सरकार ने अनेक गलतियाँ की हैं।

अब मैं शेयर बाजार घोटाले, बोफोर्स कमीशन तथा 1991-92 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार के शेयर कम करने सम्बन्धी सुपर घोटाले के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा।

देश के प्रत्येक भाग में भारत का प्रत्येक नागरिक यह महसूस करता है कि आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम, सांसद केवल लोगों की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। यदि आप लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हें शीघ्र ही उखाड़ फेंका जाएगा।

वह "व्यक्ति" कौन है जिसका नाम शीघ्र ही पता चल जाएगा? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप स्वयं इस समय सरकार को छोड़ दो ताकि आपका सम्मान बना रहे? अभी भी त्यागपत्र दे देने से कम-से-कम काँग्रेस पार्टी भारत में कुछ और वर्षों तक अस्तित्व में रह सकती है। परन्तु ऐसा लगता है कि प्रधान मंत्री ने हमेशा के लिए काँग्रेस पार्टी को समाप्त करने का फैसला कर लिया है। शायद उन्हें अपनी ही पार्टी से शिकायत है अथवा वह महात्मा गाँधी की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। महात्मा गाँधी स्वतन्त्रता मिलने के शीघ्र बाद काँग्रेस को भंग करना चाहते थे। अब हमारे प्रधान मन्त्रीजी यह वायदा पूरा कर रहे हैं।

अन्ततः क्या आप स्वतन्त्रता के 45 वर्षों बाद भी पेयजल तक नहीं उपलब्ध करा पाने पर भी सरकार में बने रहने पर शर्मिन्दा नहीं है। उत्तर भारत में बाढ़ आई है और दक्षिण भारत में सूखा पड़ा है। आप सब के द्वारा लूटे गए धन से पीने तथा सिंचाई दोनों कार्यों हेतु जल की मूल आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत की सभी नदियों को आसानी से जोड़ा जा सकता था।

इसलिए मेरा एक सपना है कि इस राष्ट्र की गरीबी दूर करने के लिए इस देश पर प्रगतिशील लोगों का शासन होना चाहिए तथा इन प्रगतिशील लोगों को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। मेरा यह भी सपना है कि "सूटकेस की यह राजनीति" हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व में यह जानना चाहता हूँ कि इन सब पर सरकार के क्या अनुमान हैं? इस प्रकार के दुरुपयोगों से किसे नुकसान हो रहा है? क्या वे व्यक्ति आम लोग नहीं हैं? सरकार आम आदमी, कामकाजी लोगों, कृषक वर्गों, भूमिहीन श्रमिकों, बेरोजगार युवकों का हित नहीं देखती। इसलिए इस सरकार को एक मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है और यदि वे शीघ्र पूरी तरह सत्ता छोड़ देते हैं, तो यह उनकी लोक सेवा होगी।

**श्री चन्द्र शेखर (बलिया) :** अध्यक्षजी, फिर एक बार अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का दुःखद प्रसंग उपस्थित हो गया। प्रस्ताव कई बार आ चुके, प्रस्ताव के बाद सरकार बनी रह जाती है और सरकार के लोग इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान लेते हैं। मानना भी चाहिए, क्योंकि इस देश में एक बात बड़े जोरों से कही जाती है, किसी तरह से सरकार में बने रहो, जितनी लम्बी अवधि खींच जाओगे, उतने ही सफल राजनीतिक नेता आप हो, चाहे वह सफलता पाने के लिए कुछ भी करना पड़े।

पिछले दिनों में जो कुछ हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव के समय और आज जो हो रहा है, उससे सरकार मत जीत सकती है लेकिन सरकार भारत की सारी परम्पराओं को एक धक्का नीचे की ओर लगा देती है।

हमारी संसदीय परम्परा हमारी संसदीय मान्यताएँ, हमारे राजनीतिक आचरण, हमारी राजनीतिक नैतिकता, सब इसलिए दाव पर है कि कोई एक व्यक्ति प्रधान मंत्रीजी कुर्सी पर बैठा रहे और इस सफलता को दिलाने में हमारे काँग्रेस के सारे मित्र एकजुट हैं। होना भी चाहिए, उनकी पार्टी का सवाल है। जिस दिन यह अविश्वास का प्रस्ताव प्रारम्भ हुआ था, उस दिन माननीय अर्जुन सिंहजी ने सवाल उठकर पूछा था, क्या कोई अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर शर्त के साथ समर्थन हो सकता है? लेकिन मैं अर्जुन सिंहजी से पूछना चाहता हूँ, कभी उन्होंने अपनी आत्मा को कुरेदा, कभी उनके साथियों ने इस बात को सोचा, विभिन्न विचारों के लोग, क्यों आपसे इतने विमुख हैं? विभिन्न विचारों के लोग जो दूसरों को देखना नहीं चाहते, आपको इस गद्दी से हटाने के लिए क्यों विवश हो रहे है। यह कोई व्यक्तिगत

द्वेष की भावना नहीं है। यह भी नहीं है कि जो आपको हटाना चाहते हैं, वे तुरन्त गद्दी पर आना चाहते हैं, वह लड़ाई तो आपके अन्दर हो सकती है, विरोधीपक्ष की वह लड़ाई नहीं है। लेकिन कुछ पीड़ा है। कुछ दर्द है, कुछ ऐसी बात है, जिससे लोग यह समझते हैं कि न केवल आपके वहाँ रहने से इस देश की समस्याएँ जटिल हो रही है, बल्कि देश की मर्यादा दिन प्रतिदिन नीचे गिर रही है। मैं यह बात किसी आक्षेप के लिए नहीं कह रहा हूँ।

क्या दुनिया में विश्वयुद्धों के लिए जिम्मेवार वह अर्थ नीति नहीं है। क्या एक-दूसरे का गला काट करके अपने को बढ़ाने की वह अर्थ नीति नहीं है, यह करुणा के आधार पर आधारित भारत की सभ्यता और संस्कृति, अटलजी और आडवाणीजी मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ कि जिस अर्थ नीति को आप सब समर्थन दे रहे थे, पता नहीं आज दे रहे हो या नहीं वह अर्थ नीति करुणा की अर्थ नीति नहीं है। करुणा और अबाध प्रतियोगिता दोनों साथ नहीं चल सकते, किसी तरह दूसरे को नीचा दिखाओ और अपने को ऊँचा उठाओ क्या यह अर्थ नीति है? कोई आएगा विकास के लिए, मदद देने के लिए नहीं, आएगा आपसे कुछ लेने के लिए। दुनिया में कौन नहीं जानता कि भारत के बाजार के ऊपर कब्जा करने के लिए दुनिया के औद्योगिक देश आज होड़ लगाए हुए हैं। आप उस होड़ के शिकार बन रहे हो। कितने सपने आपने 6 महीने साल भर में दिखाए। क्या इसी सदन में और सदन के बाहर आपने नहीं कहा कि अमरीका हमारा दोस्त हो गया। अमरीका से मेरी कोई लड़ाई नहीं। कहा गया, अमरीकन पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने जा रहा है, बड़े जोरों से चर्चा चलाई गई आतंकवादी देश घोषित करेंगे। जब उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे तो एक दबी हुई आवाज में आपने कहा कि हमारा भरोसा टूटा है। वह आतंकवादी देश घोषित नहीं करेगा, तब तक, जब तक आप अपने को हिन्दू राष्ट्र घोषित न करें। आपके कहने से घोषित नहीं करने वाले हैं, अटलजी के कहने से भी नहीं घोषित करने वाले हैं। आडवाणीजी के कहने पर भी नहीं घोषित करने वाले हैं। कोई ऐसा संत-महात्मा जो राजनीति से ऊपर है, जो भगवान से भी ऊपर है वह अगर हिन्दुत्व की परिभाषा नहीं देगा तो उनको इस्लामिक फण्डामेंटलिज्म से लड़ने के लिए एक हिन्दू फण्डामेटलिस्ट स्टेट चाहिए।

**एक माननीय सदस्य** : आपका प्रभाव था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं कोई ग्लूम या अंधेरे की बात नहीं कहता। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आज पाकिस्तान में कौन प्रधान मंत्री बना है, कभी आपने सोचा है, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई आरोप नहीं लगाऊँगा, पाकिस्तान से अगर कोई प्रधान मंत्री उस तरह का बन सकता है तो याद रखिए हिन्दुस्तान भी उन हालात से दूर नहीं है। जिन हालात में आप इस देश को ले जा रहे हैं, मैं नहीं जानता कि क्या होगा। (व्यवधान)

यह सही है कि भारत और पाकिस्तान दोनों भाई-भाई हैं। हमारी समस्याएँ एक हैं। हमारे ऊपर दबाव एक जैसे हैं। हम आपस में समझौता करके नहीं रहेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हम यह कहते रहेंगे, चाहे कोई सुने या न सुने, हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है।

आप एक सवाल का जवाब देश को दीजिए, जिस सवाल पर आपने पिछले दो वर्षों में कभी आत्म विश्वास का परिचय नहीं दिया है। मुझे सबसे बड़ा दु:ख है, जो आजादी इस देश को शहीदों की कुर्बानी से हासिल हुई है, उस आजादी को आप एक-एक करके गिरवी रखते जा रहे हैं और भाषण ऐसे लच्छेदार सुनाते हो कि जैसे बाकी हम सब जो इस तरफ बैठे है, नालायक और निकम्मे लोगों की जमात हैं, आपने ही सारी समझदारी का भार उठाया हुआ है। यह नहीं चलेगा। हमारे मन में अगर पीड़ा है, दर्द है, तो उसको सुनने की कोशिश कीजिए। हमारे पास वह समझ नहीं हो सकती जो चिदंबरमजी में है, जो मनमोहन सिंहजी में है या बलराम जाखड़ में है, लेकिन आप सीताराम केसरी की समझ भी थोड़ी ले लीजिए, ये हमारी तरह बिना पढ़े-लिखे हैं, इन्होंने उन जमानों को देखा है, जहाँ दर्द से राजनीति पैदा होती है।

आर्थिक क्षेत्र में रोज आंकड़े दिए जाते है, रोज कहा जाता है कि इन्फ्लेशन कम हो गया है, लेकिन जिस दिन आप सरकार में आए थे उस दिन से क्या कम कीमतों पर मजदूरों को किसानों को, वेतनभोगी लोगों को जीवनोपयोगी चीजें मिल रही है? क्या सामानों की कीमत इस देश में कम हुई है। हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है। आँकड़ों में कमी होती जाती है। आँकड़ों की सौदागरी में आप माहिर है? इसलिए इस आँकड़ें की सौदागरी से जन-भावनाओं को कभी सन्तुष्ट नहीं कर सकते। यह बुनियादी सवाल आज हमारे देश के सामने है।

किसके लिए राजनीति, किसके लिए अर्थ नीति, केवल कुछ समझदार लोगों के लिए आँकड़े जानने वाले लोगों के जरिए यह देश बर्बादी की ओर जा रहा है। क्या देश की व्यवस्था बनाए रखने में आप कामयाब हुए हैं?

मैं पुराने किस्से नहीं दोहराना चाहता हूँ। दुनिया में कोई प्रधान मन्त्री यह कह सकता है कि हमें धोखा हो गया। 6 दिसम्बर को आपको धोखा नहीं हुआ। आपने सारे देश को धोखा दिया, आपने देश की मान्यता को धोखा दिया। यह धोखा किसको नहीं था। सारे लोगों ने कहा कि बाबरी मस्जिद गिरेगी, उसको रोकिए। मान लीजिए उस समय धोखा हुआ, आडवाणीजी की बात से आप चुप रह गए। 12 बजे शुरू हुआ, सात घण्टे तक आप कुछ नहीं कर सके। ऐसी निकम्मी और अपंग सरकार जो भारत की मर्यादा के खिलाफ सात घण्टे तक चुप बैठी रहती है उसको शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज देश के सामने एक बड़ी समस्या है। समस्या है देश के जनतन्त्र को बचाने की। समस्या है देश के संविधान को बचाने की, समस्या है इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने की। आडवाणीजी, मुझे उस दिन दुःख हुआ था जब आपने कहा था कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद एक ही यह प्रधान मन्त्री पैदा हुआ और इसलिए कहा था कि उस समय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का सिद्धांत हमारे मित्र मनमोहन सिंह लाए थे। हिन्दुस्तान की आखिरी लड़ाई आर्थिक सवालों पर होगी, हिन्दुस्तान की आखिरी लड़ाई रोटी के लिए होगी, प्यास के लिए होगी, बेरोजगारी के सवाल पर होगी, भूख के सवाल पर होगी। मुझे डर लगता है आडवाणीजी, कहीं उस दिन आप और नरसिंहराव साथ न हो जाएँ। और ये खतरनाक बात है इसलिए मैं बार-बार उधर के भी नौजवानों से कहना चाहूँगा कि ये धर्म और जाति के नारे आदमी को नशा दिला सकते हैं लेकिन देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। इस देश की समस्याओं का समाधान करना है तो अपने लोगों के पौरुष पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी जब आर.एस.एस. के सर संघ संचालक ने स्वदेशी और स्वावलंबन के नारे को लेकर देश में आंदोलन करने के लिए कहा था। मैंने खुले आम उसका समर्थन किया था। मैंने कहा था कि एक सही काम आर.एस.एस. ने किया है लेकिन वह आवाज बंद हो गई। वह आवाज सुनाई नहीं पड़ती। अगर वह आवाज है...(व्यवधान)...हम इन्तजार करेंगे। अगर वह आवाज उठे तो मुझे खुशी होगी क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि संसदीय जनतंत्र में हम किसी को अछूत नहीं मानते, संसदीय जनतन्त्र में हम किसी को हमेशा नफरत से नहीं देखते। अगर कांग्रेस के नौजवानों से उम्मीद है तो भारतीय जनता पार्टी के नौजवानों से भी उम्मीद है, लेकिन वे अपने उस बंधन को तोड़ें जो संकीर्णता का बंधन है, जो धर्म के नाम पर आदमी को आदमी से बाँटने का बंधन है, जो इंसान इंसान में भेद करता है। अध्यक्ष महोदय, आज देश को उस राह पर चलाना है और मैं दुःख के साथ कहता हूँ कि नरसिंहरावजी इस काम को पूरा नहीं कर सके।

हमारे किसी मित्र ने पूछा था कि कौन प्रधान मन्त्री बनेगा? काँग्रेस में 200 से अधिक लोग हैं। इसमें बहुत बुद्धिमान लोग है, चतुर लोग हैं। क्या आप अपने में से एक आदमी नहीं पा सकते? कोई आदमी इतिहास का पूर्ण विराम नहीं होता, हर आदमी इतिहास का अर्द्ध विराम होता है। युगपुरुष महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध भी अर्द्ध विराम

थे। वह दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद भी देश चला। मैं समझता हूँ कि हमारी और नरसिंहराव के न रहने पर भी यह देश रहेगा। काँग्रेस के लोगों, अपने को इतना बेबस मत समझो, बद हिम्मत मत समझो, कुछ हिम्मत दिखाओ, हटाओ इनको और देश को बचाओ।

**मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं और पूरा सदन बड़े ध्यान से आदरणीय चंद्रशेखरजी का वक्तव्य सुन रहे थे।

**श्री नीतीश कुमार (बाढ़)** : इनका पूरा भाषण तो आप ही के लिए था।

**श्री अर्जुन सिंह** : कृपा करके मुझे भी कुछ बोलने दीजिए यह आपसे प्रार्थना है।

अध्यक्ष महोदय, व्यक्ति का व्यवहार, विचार और कार्य-कलाप महत्वपूर्ण होते हैं। कभी-कभी महत्वपूर्ण नहीं होते है। कभी-कभी उनको लेकर भ्रांतियाँ पैदा होती हैं। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं— दुनिया के इतिहास में हैं और भारत के इतिहास में भी हैं। मैं व्यक्ति के आधार पर चर्चा आज यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़े क्षणों के लिए हम आज की ऊहापोह से ऊपर उठने की कोशिश करें। कुछ क्षणों के लिए सही मायनों में, आज हमारे देश के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, उनको समझकर, उनका निराकरण करने के लिए विचार करें।

मैं जानता हूँ कि हर व्यक्ति के, हर राजनैतिक दल के विचार और आचार में कभी ऐसे मौके आते हैं जब तात्कालिकता हावी हो जाती है। विचार दूसरे नम्बर पर चला जाता है और आचार तीसरे नम्बर पर चला जाता है। आज ऐसी घटनाओं की ओर इंगित करके मैं किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को लांछित नहीं करना चाहता हूँ लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं, अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति के ऊपर होते हैं, केवल देश के लिए होते हैं। ऐसे सवालों को हमें उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी दृष्टिकोण से देखने के लिए हम जो इस सदन में बैठे हैं, भारत की सार्वभौमिकता का प्रतिनिधित्व करते हुए, हमारे लिए न केवल यह अनिवार्य है, बल्कि हमारा कर्तव्य भी है, भारत की आजादी के बाद जिस ऐतिहासिक प्रवाह ने हिन्दुस्तान को एक दिशा में ले जाने की, चलने की हिम्मत दी, साहस दिया, वही प्रवाह सच्चा है और वही प्रवाह भारत को अपने उस गंतव्य तक ले जा सकता है, जिस गंतव्य तक पहुँचने का हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने संकल्प लिया था, त्याग और बलिदान जिसके लिए किया था। भटकाव बीच में हुए, लेकिन क्यों हुए।

आज हमारे बड़े भाई चन्द्रशेखरजी ने, जिनका मैं अत्यधिक सम्मान करता हूँ कुछ इस तरह की बातें कहीं कि जैसे हम लोग ही देश के अन्दर सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, हम ही जिम्मेदार हैं उस सब गलत बातों को देश के अन्दर, यहाँ की राजनीति में समावेश कराने के लिए, जिनसे आज यह देश जूझ रहा है, भारत की आत्मा जूझ रही है। (व्यवधान)

मैं बताता हूँ, वे कौन हैं। मैं चाहता नहीं था कि उस धरातल पर डिबेट को ले जाऊँ, लेकिन आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा और अपने दिल पर हाथ रखकर स्वीकार करना पड़ेगा कि 117 की संख्या में जो लोग सामने बैठे हैं, जिनको आप आए दिन कोसा करते हैं, उनको यहाँ लाने के लिए आप सब जिम्मेदार हैं। यदि 1977 में और फिर 1989 में आपने तात्कालिक राजनैतिक लाभ के लिए, ऐसी शक्तियों को बढ़ावा न दिया होता तो आज शायद ऐसी स्थिति न आई होती जब आप और हम सब मिलकर, सारे भारत के लिए एक चुनौती के रूप में इनको स्वीकार करते। आप मुझे क्षमा करेंगे मेरा आपमें से किसी से द्वेष नहीं है, मैं आपमें से प्रत्येक का सम्मान करता हूँ, लेकिन...(व्यवधान)...

**श्री नीतीश कुमार** : 7 नवम्बर, 1988 को आपने क्या किया था? (व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** : नीतीशजी, मैं तो यह मानकर चलता हूँ कि जो व्यक्ति किसी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, हिम्मत नहीं रखता, वह किसी दूसरे को कुछ कह भी नहीं सकता, कोई नैतिक अधिकार उसको नहीं है। पहले आप मुझे सुन तो लें, फिर अपने भाषण में वह सब कुछ कहें, जो आप कहना चाहते हैं। मैंने इस बात का उल्लेख इसलिए किया कि ये बातें एकाएक पैदा नहीं हुआ करती हैं। (व्यवधान)

शायद हम सब इस भ्रम में हैं कि जब इतिहास का एक पन्ना उलट जाता है, तो फिर उल्टा नहीं जाता है, ऐसा दुनिया में होता नहीं। इतिहास का हर पन्ना उल्टाया जा सकता है और दोनों तरफ उल्टाया जा सकता है, दोनों तरफ देखने के लिए समय है, लोगों के पास समय है और लोगों को देखना पड़ेगा। मैंने इस बात का उल्लेख सिर्फ इसलिए किया है कि आज जो समस्या देश के सामने मौलिक रूप से खड़ी है, उस समस्या को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे और उसे निपटाने की कोशिश करेंगे, तो शायद आगे हमसे ऐसी गलती न हो।

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर)** : कृपया यह स्पष्ट करें कि 6 दिसम्बर, 1992 को भारत सरकार क्या कर रही थी?

**श्री अर्जुन सिंह** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस अविश्वास प्रस्ताव में जो विरोधाभास है, दादा के प्रश्न उसके सूचक हैं। यह विरोधाभास इस प्रस्ताव के अन्दर है और इसीलिए मैंने शुरू में ही आपसे पूछा था कि क्या ऐसा भी कोई अविश्वास प्रस्ताव होता है जिसमें परस्पर विरोधी बातें हों और जो परस्पर विरोधी विचारधारा के लोग हों वे सब उसका समर्थन करें, आदरणीय दादाजी आपका प्रश्न उसी का सूचक है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : समझ लिया।

**श्री अर्जुन सिंह** : आपने समझ लिया मैं संतुष्ट हो गया।

**श्री अन्ना जोशी (पुणे)**: आदरणीय दादाजी।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : दादाजी बड़ा डेंजरस शब्द है।

**श्री अर्जुन सिंह** : ये सब "जी" के शब्द इधर लगेंगे, आपकी तरफ नहीं लगेंगे।

अटल बिहारीजी और सम्माननीय आडवाणीजी की ओर मुखातिब होकर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि राजनीति के शिखर पर पहुँचने के लिए आपका प्रयास करना बिलकुल वाजिब है और इस देश की जनता आपको उस शिखर की ओर ले जाए, यह उसकी मर्जी है, उसमें कोई आड़े नहीं आता है, लेकिन यदि इस रास्ते पर चलते हुए आप भारत की तमाम राजनैतिक मान्यताओं को, संविधान की सभी धाराओं के द्वारा प्रदत्त अधिकारों में, मर्यादाओं के, व्यावहारिक आवरण के सभी मानदण्डों को कुचल कर आगे जाना चाहते हैं, तो ऐसा मत समझिए कि उस पर कोई आवाज नहीं उठाएगा, उसकी कोई खिलाफ़त नहीं होगी, उसका विरोध नहीं होगा और यदि आज भारत को कोई संकट पैदा हुआ है, तो वह संकट शक्ति की लड़ाई नहीं है, सत्ता की लड़ाई नहीं है, वह संकट इस तरह के आचरण से पैदा हुआ है जो आचरण न केवल स्वेच्छाचारी है, जो आचरण न केवल राजनीतिक रूप से मर्यादा को तोड़ने वाला है, बल्कि जो आचरण केवल अपनी तुष्टि के लिए, अपने दल की तुष्टि के लिए आगे बढ़ना चाहता है। आज कृपा कर के आप इसको समझने की चेष्टा करें।

मैं अपने आदरणीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि शायद चीख-पुकार की आवाज से अगर इस डिबेट को चलाना है, तो मैं बैठ जाना चाहता हूँ। मैं इस प्रकार की बातों में कोई कम्पिटीशन नहीं कर सकता हूँ। मै सच्चाई की बात कर रहा हूँ। आप सच्चाई न देख पाएँ। एक कहावत है,

(व्यवधान)

**श्री नीतीश कुमार (बाढ़)** : कहावत बोलिए।

**श्री अर्जुन सिंह** : कहावत बोलूँगा, तो और दिक्कत पैदा हो जाएगी। (व्यवधान)

आप कहते हैं कि यह गलत है। यहाँ चन्द्रशेखरजी है, हमारे मि. एंथनी है, कुछ बहुत बुजुर्ग हैं यहाँ, शायद उनमें से कुछ ने कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली में भाग लिया होगा। और आजादी की पूर्व संध्या में क्या भावनाएँ थी? जैसाकि चन्द्रशेखरजी ने कहा कि दर्द से राजनीति उपजा करती थी। मैं उस समय दर्द की राजनीति का मतलब तो नहीं समझता था, मेरी उम्र वो नहीं थी लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मात्र संयोग है कि यहाँ से मुश्किल से सौ फीट की दूरी पर, सेन्ट्रल हाल में 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दर्शक दीर्घा से 17 वर्ष की उम्र में मुझे भारत के राष्ट्र के जन्म के पूरे दृश्य को देखने का अवसर मिला। कोई भी जन्म एक मिरैकल होता है। जब किसी देश का जन्म हो, आप सोच सकते हैं कि वह कितना बड़ा मिरैकल होगा। उस दिन इस देश का जन्म और पंडित नेहरू की वह तकरीर जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि हमने पूरी तरह से तो सब बातें हासिल नहीं की हैं लेकिन बहुत कुछ सब्सटैनशियली हमको मिला है और भारत ने 'ट्राईस्ट विद डेस्टिनी' किया था। आज हम उस को काफी हद तक पूरा कर रहे हैं।

**श्री राम विलास पासवान** : आपने बहुत अच्छी बात कही लेकिन जब इन्हीं गरीब, मंडल, मस्जिद के मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे थे, उस समय 7 नवम्बर 1988 को आपने क्यों हाथ मिलाकर वी.पी. सिंह की सरकार को गिरा दिया था।

**श्री अर्जुन सिंह** : पासवानजी, मैं आपसे कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना ही कहता हूँ कि कृपया ठंडे दिल से सोचें, मंडल आयोग हो या कोई आयोग हो, जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों को सुविधा मिलती है, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, न ही हमारी पार्टी विरोधी है। सवाल यह है कि जब केवल तात्कालिक लाभ के लिए कोई काम किया जाए तब वहाँ शंकाएँ पैदा होती हैं। जो वी.पी. सिंह कभी नहीं कर पाए वह आज केसरीजी पूरा कर रहे हैं। आपकी सहमति हो या न हो और हम जानते है कि अगर इस प्रकार से हम केवल क्षणिक फायदे के लिए कोई कदम उठाएँगे उसका अन्ततः परिणाम अच्छा नहीं होगा।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल इस सदन के सामने नहीं, अपने साथ में बैठे हुए साथियों को उनके भरोसे पर यह कहना चाहता हूँ कि काँग्रेस पार्टी नवयुवकों, वयस्कों या बूढ़े हों, इस बात से पूरी तरह से अवगत है, अभिभूत हैं, ऐसा उन सब का संकल्प है कि जो ऐतिहासिक जिम्मेदारी केवल आजादी की लड़ाई के समय में नहीं, भारत की आजादी के बाद इस दल के सदस्यों के कन्धों पर आई है, हम उस जिम्मेदारी को निभाने में कहीं कोई संकोच नहीं करेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे, इस मुद्दे का त्याग करने के लिए तैयार नहीं होंगे लेकिन इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि इस प्रक्रिया में हम मर्यादाओं का पालन करेंगे। हम किसी के बारे में ऐसी बात नहीं कहेंगे जो मर्यादा के बाहर जाकर कहनी पड़े। इस प्रकार का सवाल यदा-कदा उठता रहता है। उन सवालों को करने वाले लोग शायद समझते नहीं हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या है, इसके इतिहास क्या हैं? हमारे आदरणीय भाई चन्द्रशेखर आज भी उसको याद रखते हैं और मैं जानता हूँ कि और कौन याद रखता है। ठीक है, उन्होंने किसी समय पर एक अपना अलग रास्ता चुना। यह उनका अधिकार है। उस विषय में हमारे मन में या कांग्रेस के मन में किसी को कोई क्षोभ नहीं है, लेकिन ऐसी गलती मत करिएगा। सामने बैठे लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आपको यह गलतफहमी हो जाए कि काँग्रेस आज उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कमजोर हो गई है या नहीं करेगी, इससे बढ़कर गलत फहमी कोई नहीं होगी क्योंकि उस गलत फहमी में आप बहुत से ऐसे गलत काम करने की सोच सकते हैं जिससे

काँग्रेस को ही नहीं सारे देश को नुकसान हो सकता है।

अटल बिहारी वाजपेयीजी, व्यक्तिगत बात यहाँ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि उस पूरी जमात में अगर कोई अच्छा इंसान दिखता है तो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी और उन्हें इस बात को समझने में थोड़ी गलती हुई।...(व्यवधान)...आप हमारे और उनके सम्बन्धों के बारे में कुछ भी कहें, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने हर्षद मेहता को संरक्षण देने की बात नहीं कही। मैंने यह कहा कि वह बार-बार कहता है कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा कि इसका बलफ-काल करिए। कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं कह नहीं सकता हूँ, कह नहीं सकता हूँ और हमें कहे कि तुम नहीं कह सकते हो, तो मत कहो, तो उसका क्या अर्थ होगा। उसका बलफ-काल करने की बात जरूर मैंने कही और मैं समझता हूँ कि मैंने सार्वजनिक रूप से जो कुछ भी कहा, उसका औचित्य था। अब यह समूचा मामला इसी सदन की ज्वाइन्ट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने है।

प्रधान मंत्रीजी ने कहा है कि कमेटी बुलाएगी, तो वे स्वयं जाकर गवाही देंगे और जितने भी प्रमाण खोजने के लिए दस्तावेज चाहिए थे, जो आपने माँगे हैं, वे आपके पास पहुँच गए हैं। इस सदन की सम्पूर्ण मर्यादों के भीतर ज्वाइन्ट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, जिसमें सभी पक्ष के माननीय सदस्य हैं। कम से कम मैं तो उस पर पूरा-पूरा भरोसा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ और मुझे इस बात का पूरा-पूरा भरोसा है कि यह कमेटी सच्चाई का पता लगाकर सामने रखेगी और उसी सच्चाई के प्रकाश में आपको भी बातों को स्वीकार करना होगा और हमें भी स्वीकार करना होगा। उससे बाहर जाकर केवल अपने द्वेष और ईर्ष्या की वजह से किसी को लांछित करना चाहते हैं, प्रताड़ित करना चाहते हैं, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि यह उचित रास्ता नहीं है। आगे के दिनों में परिस्थितियों से समस्याएँ आएँगी। मैं आडवाणीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जरा सोचिए कि किस प्रकार से आप भारत से विरोधी पक्ष के राष्ट्रीय नेता इस देश की राजनीति को संचालित करना चाहते हैं।

मैं यह बात औरों से नहीं पूछ सकता लेकिन आपसे पूछने का मेरा हक है इसलिए पूछना चाहता हूँ। क्योंकि अभी तक जितनी भी बातें उभर कर सामने आई हैं चाहे वह आपके अधिवेशन में आई हों, आपके भाषणों में आई हों। आपके द्वारा व्यक्त किए हुए विचारों में आई हों, वे आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं, इस देश के लोगों को, कि जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं वह रास्ता स्वस्थ राजनीति को इस देश में जन्म देगा। सामाजिक न्याय की सुरक्षा करेगा, गरीबों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा। धर्म-निरपेक्षता को अक्षुण्ण रखेगा या कि सारे भारत की मानसिकता को बाँट कर छिन्न-भिन्न कर देगा। यह विश्वास जिस दिन आप देश को दिलाएँगे उस दिन आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और यह अविश्वास प्रस्ताव मैं समझता था कि आपके द्वारा उस दिशा में एक कदम होगा कि आप कुछ कह सकेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कुछ कहा गया उसकी ओर संकेत भी नहीं, जरा इशारा भी नहीं, केवल व्यक्तिगत लांछन, काँग्रेस के ऊपर छींटे कसने और ऐसी बातों को यहाँ पर कह देना जिनका कोई लेना-देना किसी से नहीं है। इस वजह से मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ और मुझे आशा है कि सदन इस विरोध को स्वीकार करेगा, इसे वोट-आउट करेगा।

**अध्यक्ष महोदय :** सभा अब थोड़े समय के लिए 2.30 म.प. तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

**मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.35 म.प. पुनः समवेत हुई**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री इन्द्रजीत गुप्त।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर)** : अध्यक्ष महोदय, हमने एक प्रभावशाली चर्चा की है जिसमें हमारे अनेक सहयोगियों ने लम्बे-लम्बे भाषण दिए हैं। उसको तथा हमारे पास बचे समय को देखते हुए— जैसाकि आप मुझे बार-बार याद दिला रहे हैं— मेरे विचार से यही अच्छा होगा कि मैं यथासम्भव संक्षेप में बोलूँ।

इस वाद-विवाद के दौरान बिना किसी के प्रति अनादर की भावना के मैं सोच रहा था कि जिस पर हम वाद-विवाद कर रहे हैं वह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं है बल्कि यह अविश्वास प्रस्ताव है जिसका तात्पर्य यह है कि यदि यह पारित हो जाता है, जिसका मुझे पूरा विश्वास है, तो इस सरकार को जाना होगा। यह स्थगन प्रस्ताव द्वारा सरकार की निंदा अथवा सरकार की नीतियों के विभिन्न पहलुओं की आलोचना नहीं है जैसाकि हम बजट वाद-विवाद के दौरान अन्य अवसर पर करते हैं। यह अलग श्रेणी का प्रस्ताव है; इसलिए उस तरफ के कुछ सदस्यों ने इस तथ्य पर टिप्पणी की है कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि परस्पर विरोधी विचारधारा और धर्म वाले लोग अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। यह एक तथ्य है। सामान्यत: न तो हम, न ही भाजपा एक-दूसरे के प्रस्ताव का समर्थन करने के बारे में सोच सकते हैं, यद्यपि हमारे मामले में कुछ आधार दिए गए हैं जिसे आप पढ़ सकते थे।

मेरे विचार से अविश्वास प्रस्ताव का वस्तुत: कोई औचित्य नहीं है जब तक कि मामला ऐसा न हो कि वर्तमान सरकार का सत्ता में अभी बने रहना देश के लिए विध्वंसकारी न साबित होने जा रहा हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे दाहिनी ओर बैठे मित्रों के साथ हमारे मौलिक मतभेद हैं परन्तु किस बात ने हमें एक साथ किया है? सामान्य रूप से एक ऐसी सरकार ने जो स्वयं शासन करने की स्थिति में नहीं है। यदि वे किसी तरह बच जाते हैं तो वे अपनी नीतियों और कार्यक्रमों तथा उन नीतियों और कार्य-संचालन पर पुनर्विचार करेंगे जिन पर आज यहाँ चर्चा हुई है और वे इसमें कुछ आमूल परिवर्तन कर भी सकते हैं; वे ऐसा दावा नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि जो वे कर रहे थे वह पूर्णत: ठीक था और वह देश तथा लोगों के हित में है और वे वही करते रहना चाहते हैं। इसीलिए मेरे विचार से हमारे अविश्वास प्रस्ताव का आशय यह है कि उन्हीं नीतियों का अनुसरण करते रहने, जिनका वे यदि अधिक नहीं तो गत दो वर्षों से अनुसरण करते आ रहे हैं, के लिए सरकार का सत्ता में बने रहना देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। इसलिए हम चाहते हैं कि वे सत्ता छोड़ दें।

वस्तुत: यहाँ बोलते हुए कुछ माननीय सदस्यों— प्रमुख नेताओं ने कहा कि जिस विशेष कारण से इस सरकार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए वह यह है या वह है। एक सदस्य ने मुम्बई में हुए बम-विस्फोट के पश्चात् देश में सुरक्षा के अभाव और इस मामले में कुछ कर पाने तथा अपराधियों को पकड़ने में सरकार की पूर्ण अक्षमता का उल्लेख किया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। एक अन्य मित्र ने कहा कि कोई अकेला मुद्दा जिस पर इस सरकार को चले जाना चाहिए यह है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रति आत्मसमर्पण करते जा रहे हैं।

सबसे दु:खद बात तो यह है कि 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में जो कुछ भी घटित हुआ उसे रोका जा सकता था और टाला जा सकता था बशर्ते सरकार इसे रोकने की इच्छा शक्ति रखती जो उसके पास नहीं है। बाद में प्रधान मंत्री ने बार-बार कई अवसरों पर कहा कि, "मेरे साथ विश्वासघात हुआ है", उन्हें किसने धोखा दिया? मैंने चैम्बर्स डिक्शनरी में 'विट्रेयल' शब्द का सही अर्थ देखा। आपके साथ कौन विश्वासघात कर सकता है? केवल वे ही आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं जिन पर आपका पूरा विश्वास है, आप उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों पर पूरा विश्वास करते हैं और बाद में वह कुछ ऐसा कर देते हैं जिसे आप विश्वासघात मानते हैं। इसलिए मैं यह

जानना चाहता हूँ कि वह किस पर विश्वास कर रहे थे? उनके विश्वास ने उन्हें क्यों...

**कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़)** : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या आप यह मानते हैं कि विपक्ष में बैठे माननीय सदस्यों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए?

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर)** : उन्होंने खुले तौर पर उच्चतम न्यायालय के आदेश को भी नहीं मानने के इरादे का संकेत दे दिया था।

**श्री बलराम जाखड़** : कुछ बातों पर विश्वास करना होता है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : श्री जाखड़, मैंने श्री अर्जुन सिंह से पूछा था कि एक बजे मस्जिद ढहाने का कार्य शुरू हो गया और चलता रहा और आप कब तक उन पर विश्वास करते रहे?

**श्री बलराम जाखड़** : मैं इसे स्पष्ट करना चाहता था। (व्यवधान)

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इसका दुःखद पहलू यह था कि हमारे समक्ष 6 दिसम्बर था जिसके लिए कई आश्वासन दिए गए थे और वायदे किए गए थे। निश्चय ही, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता परिषद्, दो अन्य मौकों पर जहाँ मैं उपस्थित था और उच्च न्यायालय के समक्ष तथा उच्चतम न्यायालय में एक शपथ पत्र में भी उन्होंने कहा था। ये बातें कई बार दुहराई गई थीं। (व्यवधान)

उक्त ढाँचा, अयोध्या स्थित वह ढाँचा, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि वह मस्जिद है या मन्दिर हो गया है। पहले यह मस्जिद था, बाद में यह बाहर से मस्जिद और अन्दर मन्दिर था। चाहे उक्च ढाँचा मस्जिद हो या मन्दिर आपने एक पूजा स्थल को ध्वस्त किया है। यदि वह मस्जिद है तो आपने इसे नष्ट किया है, यदि आप यह मानते है कि वह मंदिर हो गया है, तो भी आपने ही उसे नष्ट किया है। ऐसे कृत्यों के लिए आप कुछ तो स्पष्टीकरण दें।

इस घटना को टाला और रोका जा सकता था लेकिन उक्त ढाँचे को खुले आम पूर्व नियोजित ढंग से हटाया गया जैसा कि मेरे कई मित्रों ने दोपहर और छह-सात बजे शाम के बीच कहा। रात तक यह सारा कार्य पूरा हो गया। मंत्रिमंडल की बैठक छह-सात बजे शाम में बुलाई गई। यह पूरा 'तमाशा' दिन भर चलता रहा। श्री बलरामजी आप उस मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। यह समाचार पहले ही दिल्ली पहुँच गया था। हम लोग दिल्ली में ही थे। हमें पता चला कि उक्त ढांचे को ध्वस्त करने तथा ढहाने का कार्य शुरू हो गया है; कुछ लोग उक्त ढाँचे के गुम्बदों पर चढ़ गए है और उन्हें गिराना शुरू कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक सात या आठ घंटे बाद हुई और उस समय तक हो, सकता है मैं समय एकदम ठीक-ठीक नहीं बता पा रहा होऊँगा— मुख्य मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं थी— मेरे कहने का तात्पर्य है इसका शासन केन्द्र सरकार के नियंत्रण में आ गया। उसके छत्तीस घंटे बाद भी उक्त स्थल पर लोगों को रहने दिया गया एक अस्थाई मंदिर बनाने दिया गया। किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया और न किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोका।

महोदय, हमारे संविधान का मौलिक आधार धर्म-निरपेक्ष ढाँचे को गम्भीर क्षति हुई है और आहत हुआ है? इसमें हो सकता है उनका हाथ रहा हो। लेकिन इसमें जो साँठ-गाँठ या सहापराधिता है, या इसे मैं जो भी कहूँ, इस मुद्दे पर सरकार को माफ नहीं किया जा सकता है। अतः इस समय उनकी साख खत्म हो गई है। उसके एक माह बाद जनवरी, 1993 में मुम्बई शहर में भारतीय जनता पार्टी का एक सहयोगी संगठन— कम-से-कम चुनाव वे साथ-साथ लड़ते है— शिव सेना ने जघन्य अत्याचार किया। देश का वाणिज्यिक रूप से यह प्रमुख स्थान है जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था का ढाँचा निर्भर है, उस शहर के साथ शिव सेना ने दस-बारह दिनों तक मनमानी की। घटिया

किस्म की गुंडा-गर्दी वहाँ की गई—लूटमार, आगजनी, हत्या की गई—और वहाँ न कोई प्रशासन, न सरकार और न पुलिस थी, मुख्यमंत्री भी सामने नहीं आए। प्रधान मंत्री ने रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को यह देखने के लिए भेजा कि वहाँ क्या हो रहा है और रक्षा मंत्री वहीं रह गए क्योंकि शायद वह उस राज्य के हैं, और मैं समझता हूँ कि आपने मुम्बई में जाँच आयोग की कार्रवाई सम्बन्धी समाचार पढ़ा होगा जिसमें देश के दो प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतन टाटा और श्री केशव महिंद्रा से बतौर गवाह पूछताछ की गई और श्री टाटा ने कहा कि 'मैं और श्री महिंद्रा मुख्यमंत्री श्री नाईक से मिलने गए और उनसे कहा कि 'यह सब क्या हो रहा है? आपको कुछ करना चाहिए, कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो आपको श्री बाल ठाकरे को भी गिरफ्तार करना चाहिए।' और मुख्यमंत्री का यह उत्तर था कि यदि मैंने ऐसा किया तो पूरे मुम्बई में आग लग जाएगी तब श्री टाटा ने कहा, 'लेकिन यह तो पहले से ही जल रही है, 'यहाँ पहले ही आग लगी है, और आप क्या चाहते हैं?' कुछ भी नहीं किया गया। श्री टाटा ने कहा कि 'मैंने उन्हें कहा कि बाल ठाकरे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कानून से ऊपर है।' खौफनाक घटनाएँ मुम्बई शहर में घटीं। क्या किसी व्यक्ति को सजा दी गई? अब दो आम नागरिक एक श्री डीसुजा थे। पहले महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव थे और अब अवकाश प्राप्त हैं और दूसरे व्यक्ति एक पत्रकार हैं जिनके सतत और साहसिक प्रयासों के कारण मुम्बई पुलिस द्वारा मुकदमे की कार्रवाई शुरू कराने में वह सफल रहे हैं। उनका क्या होगा कोई नहीं जानता, केवल ईश्वर ही जानता है। इस जाँच आयोग के सामने साक्ष्य के रूप जो अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तु है वे हैं 77 टेप रिकार्डिंग सूचनाएँ और वार्ता जो मुम्बई के केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष और 77 गस्ती दल जो शहर में चारों ओर गश्त कर रहे थे तथा वायरलेस पर सूचना दे रहा था उक्त टेप प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। हमें पता चला है कि यदि उन टेपों को प्रस्तुत किया जाए और उन्हें सुना जाए तो आपको पता चलेगा कि पुलिस की भूमिका क्या थी? शिव सेना द्वारा केवल कत्ल और आगजनी ही नहीं हुई बल्कि इन सारे कृत्यों में पुलिस पूरी तरह से लिप्त थी। हमारे देश में अल्प-संख्यक समुदाय के लोगों की यही नियति है। इस सम्बन्ध में हमने क्या किया है? आन्तरिक सुरक्षा मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

**श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर)** : कलकत्ता में हुए बम विस्फोट के सम्बन्ध में क्या हुआ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जाँच की गई है?

**श्री इन्द्र जीत गुप्त** : जी हाँ, वहाँ जाँच की गई है और लोगों को पकड़ा भी गया है। मुम्बई में कोई पकड़ा नहीं गया है। यह तो सबसे बड़ी समस्या है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर)** : क्या आप कलकत्ता के बम विस्फोट के कारण मुम्बई के बम विस्फोट को सही ठहरा रहे है?

**श्री राम नाईक** : जी नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आप तो यही कर रहे हैं। आप केवल केन्द्र सरकार को उसके दायित्व से बचाने का प्रयास कर सकते है।

**श्री राम नाईक** : ऐसी बात नहीं है। सभा में कुछ शिष्टाचार निभाना पड़ता है। जाँच आयोग वहाँ कार्य कर रहा है और क्या हमें जाँच आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों का यहाँ उल्लेख करना चाहिए?

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : दूसरे, जहाँ तक आर्थिक नीति का सम्बन्ध है, श्री चिदम्बरम अर्थशास्त्र के विद्वान शिक्षक हैं जिन्होंने हार्वर्ड में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। कल उन्होंने हमारे समक्ष इस विषय में लम्बा सा शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया था कि यह नई संरचनात्मक पुनर्समायोजन नीति और आर्थिक सुधार नीति

देश के लिए किस प्रकार लाभदायक होगी, किस प्रकार हमें बाजारोन्मुख और हमारे उद्योगों को प्रतियोगी बनाएगी इत्यादि। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे मित्र श्री बूटा सिंह इस समय यहाँ उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान यह बताया था कि आम आदमी और गरीब लोग इस नीति का लाभ पहले ही उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि मुद्रा-स्फीति बड़ी तेजी से घट रही है और वित्त मंत्री महोदय भी इसका हर बार दावा करते हैं। पता नहीं श्रीमती बूटा सिंह और श्रीमती मनमोहन सिंह के इस विषय में क्या विचार है? मेरे विचार से जो लोग घरेलू प्रबन्ध से जुड़े है उनकी आपके थोक मूल्य सूचकांक में बहुत अधिक रुचि नहीं है। उनका थोक मूल्य सूचकांक से कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब तो उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य सूचकांक से है।

अब मैं भ्रष्टाचार के मामले पर आता हूँ। भ्रष्टाचार के मामले को नैतिक, वित्तीय अथवा राजनैतिक मामले के रूप में देखा जा सकता है। हमारे मित्र श्री वाजपेयी ने इसे एक उच्च नैतिक आधार पर उठाने का प्रयास किया है इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने प्रत्येक से अपील की है कि हमें काले धन के दूषित प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैं इन विचारों से सहमत हूँ। परन्तु, आज हमारे समाज का कौन सा क्षेत्र इस दूषित वातावरण से मुक्त है? कृपया मुझे बताइए। आज यह कहना आम बात है, अरे, राजनीतिज्ञ बड़े भ्रष्ट लोग होते हैं। कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे हो सकते हैं। परन्तु दूसरे तो ऐसे नहीं होते हैं। परन्तु उन्हें प्रतिदिन भ्रष्ट बनाया जा रहा है। क्या न्यायपालिका को भ्रष्ट नहीं किया जा रहा है? कल हमने एक मामले का जिक्र किया था। प्रेस का कुछ क्षेत्र भी भ्रष्ट होता जा रहा है। खेलकूद जगत भी भ्रष्ट होता जा रहा है। इसलिए यह सच है कि काले धन का दूषित प्रभाव हमारे समाज की यथासम्भव तबाही कर रहा है। मैं नहीं जानता कि हम इससे किस प्रकार निपट पाएँगे। यह बड़ा व्यापक विषय है। परन्तु इस सरकार के साथ मेरा यही झगड़ा है कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ सरकार ने भ्रष्टाचार को संरक्षण प्रदान किया है। वे भ्रष्ट लोगों को बचाना चाहते हैं। यह किसी उत्तरदाई सरकार का कार्य नहीं है। जब किसी भ्रष्टाचार के मामले की सूचना मिलती है तो सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उसकी जाँच कराए और दोषी लोगों का पता लगाकर उन्हें प्रकाश में लाए। सरकार का यह कार्य है। मामलों को छिपाने का प्रयास करना सरकार का कार्य नहीं है। इसलिए हम उनसे नाराज हैं क्योंकि यदि यह प्रक्रिया जारी रहेगी तो हम कभी भी इस कुप्रथा को रोक नहीं पाएँगे। बोफोर्स का मामला ऐसा पहला उदाहरण है जिस पर हमने इस सभा से त्यागपत्र दिया था। मैं उनमें से एक था। पूरे विपक्ष ने त्यागपत्र दे दिया था और सभी सदस्य सदन से बाहर चले गए थे। क्योंकि हमने क्या कहा कि तत्कालीन प्रधान मंत्री ने पैसे लिए थे, हमने ऐसा कभी नहीं कहा, पर हमने यह कहा कि अपने व्यवहार व आचरण से वह ऐसे लोगों का परिरक्षण कर रहे हैं, जो अपराधी हो सकते हैं।

उन्होंने ऐसे वक्तव्य दिए थे जिन्हें नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इस विषय पर दी गई अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया था, जिसने कहा कि दस्तावेजों में कहीं ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि श्री राजीव गाँधी और स्वीडन के पूर्व प्रधान मन्त्री, श्री ओलोफ पाल्मे के मध्य कोई ऐसा समझौता हुआ था, कि वे इस बात पर सहमत हो गए थे कि इस सौदे में कोई कमीशन एजेंट अथवा बिचौलिया नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोई कागज का टुकड़ा, कोई पत्र अथवा कोई अन्य वस्तु इस बात को साबित नहीं करते।

अन्त में मैं हर्षद मेहता के आरोप के प्रश्न पर आता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर, यदि यह प्रधान मन्त्रीजी की सच्चाई और ईमानदारी और हर्षद मेहता जैसे आदमी, जो एक कुख्यात अपराधी और धूर्त और बेइमान है, दोनों में से किसी एक पर भरोसा करने का प्रश्न हो तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि हर्षद मेहता पर भरोसा किया जाए। पर यहाँ समस्या यह है कि वह इतने बड़े देश के प्रधान मन्त्री हैं; शासन की बागडोर संभाले हुए हैं, यदि हर्षद मेहता कहता

है कि उसने इन्द्रजीत गुप्त जी को 50 लाख रुपए दिए हैं, तो इस पर कोई व्यक्ति गौर नहीं करेगा। किन्तु, दुर्भाग्य से उसने मुझे पैसे नहीं दिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?

मै श्री चन्द्रशेखर जी से सहमत हूँ कि इतने बड़े शासक दल में जिसने कई वर्षों तक शासन किया, कुछ समायोजन करने अथवा किसी प्रकार का सामंजस्य करने की क्षमता होनी चाहिए।

मै नहीं जानता कि वे ऐसा कर सकते हैं अथवा नहीं, तो यह बहुत ही खेदपूर्ण और दुख:पूर्ण स्थिति है जिसमें कई वर्षों के बाद इन्होंने देश तथा अपने दल को झोंका है, आपका दल बचाने के लिए, हम अपने दल की बलि नहीं दे सकते। कुछ मित्र कह रहे हैं, "हमें बचाइए, हमें बचाइए", मैंने कहा, बाबा आपका दल बचाने के लिए हम अपने दल का नाश नहीं करते।" ऐसा नहीं हो सकता। (व्यवधान)

अत:, मै अधिक समय नहीं लेना चाहता, मेरे अन्य मित्रों ने भी बहुत सी बातें कहीं हैं; इसलिए, इस प्रस्ताव पर निश्चित रूप से गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि यह सदन, इसे पारित करेगा और इस सरकार को निकाल बाहर करेगा।

**श्री मनमोहन सिंह :** अध्यक्ष महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्तजी ने ठीक ही कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाना वास्तव में एक गम्भीर मामला है। हमारे दल ने इस चर्चा का स्वागत किया क्योंकि हम समझते हैं कि देश को सच्चाई जाननी चाहिए।

इस वाद-विवाद में दोनों पक्षों के ऐसे कई महत्वपूर्ण नेताओं और महान देशभक्तों ने भाग लिया जिसकी ईमानदारी, विद्वता और उद्देश्यों को कोई चुनौती नहीं दे सकता। हम चाहें उनसे सहमत हों अथवा नहीं, पर मैं समझता हूँ कि यदि हम एक दूसरे पर लांछन लगाएँ, किसी के उद्देश्यों, पर प्रश्न-चिह्न लगाए, देशभक्ति पर सन्देह करें तो संसदीय जीवन बिताना कठिन होगा।

महोदय, प्रस्ताव में तीन महत्वपूर्ण मुद्दे दिए गए हैं, इसमें बढ़ती साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार और आर्थिक दशा का उल्लेख है। यह अच्छी बात है कि इन मुद्दों पर यहाँ वाद-विवाद हो रहा है। साम्प्रदायिक चुनौती के सम्बन्ध में मैं नहीं समझता कि हमारे देश के विचारकों में इस बात पर कोई असहमति है कि यदि हम इस बढ़ते हुए साम्प्रदायिक विभाजन पर रोक न लगाएँ तो हमारे देश का कोई भविष्य नहीं है, और अन्यत्र जो कुछ हो रहा है, उससे हमें सबक सीखना चाहिए। यूगोस्लाविया एक सम्पन्न, शांतिप्रिय देश था और जब आदिवासियों की भावनाएँ, पुरानी धार्मिक शत्रुताएँ भड़काई गई तो वह सुन्दर भूमि आज इस विक्षुब्ध स्थिति में पहुँच गई जो अब हमारे सामने है। अत: बुराई को जड़ से काटने के प्रश्न पर कोई दो राय नहीं हो सकती; यह इस सदन की सामूहिक जिम्मेदारी है कि मंदिर-मस्जिद के नाम पर जो निर्दोषों का खून बहा है, उसे रोकें। इन घावों को भरने का समय आ गया है और यह सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसा एक दूसरे को चुनौतियाँ देकर नहीं हो सकता। बढ़ते हुए साम्प्रदायिक खतरे से निपटने के लिए हमें बुद्धिमता से विचार करना होगा और हम देखते हैं कि भावावेश में साम्प्रदायिक खतरे से नहीं निपटा जाता। हमारे वामपंथी मित्रों ने भाजपा पर साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। फिर भी उन्हें अपने प्रस्ताव हेतु उनसे समर्थन माँगने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

**कुछ माननीय सदस्य :** हमने कोई समर्थन नहीं माँगा है।

**श्री मनमोहन सिंह :** हमारे वामपंथी मित्र मुझे क्षमा करेंगे। इतिहास में यह पहली बार नहीं हुआ है कि वामपंथियों ने स्थिति का यथोचित आकलन नहीं किया है— मुझे, यूरोप— यूरोप के इतिहास, हिटलर का उत्थान, वीमर गणराज्य किस प्रकार मिट गया और वामपंथियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इन सब बातों में जाने की

आवश्यकता नहीं है।

मैं अपने वामपंथी मित्रों को याद नहीं दिलाना चाहता हूँ। मैं उनकी देशभक्ति का सम्मान करता हूँ, मैं इसे कोई चुनौती नहीं दे रहा हूँ। किन्तु फिर भी, यह सत्य है कि 1942 में उन्होंने देश की भावना और नब्ज को गलत ढंग से समझा। मैं उनकी राष्ट्रभक्ति पर अंगुली नहीं उठा रहा हूँ। किन्तु यह सच है। मैं उन दिनों पंजाब में छात्र था जब वामपंथी समुदाय के लोग पाकिस्तान के निर्माण को उचित ठहराते हुए परचे बाँट रहे थे। मुझे उनकी राष्ट्रभक्ति पर कोई संदेह नहीं; किन्तु 1947 में हमारे गणराज्य की स्थापना के तुरन्त पश्चात् गणराज्य को उसके शैशव काल में ही समाप्त करने के लिए उन्होंने तेलंगाना में विद्रोह कर दिया। (व्यवधान)।

फिर, 1962 में, जब हमारे देश पर आक्रमण किया गया, तो उन्हें पता ही नहीं था कि हमारी निष्ठा किधर है। (व्यवधान)।

**श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी)** : इन्हें असत्य बोलने तथा ऐतिहासिक तथ्यों को झुठलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (व्यवधान) वे सत्य नहीं बोल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा)** : आप इतिहास को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। (व्यवधान) आप सत्य बोलें।

**श्री मनमोहन सिंह** : श्रीमन्, उन्होंने दुर्भाग्यवश 1977 में भी ऐसा ही किया। श्री अर्जुन सिंह ने आज सुबह उल्लेख किया था कि उस ओर के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए उत्तरदाई कौन है? मैं सोचता हूँ कि इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि 1977 के कारण ऐसा हुआ या 1989 के (व्यवधान)

इन आर्थिक नीतियों के मुद्दे पर भी मैं यह कहना चाहता हूँ, राजनीति में कई बड़े विचित्र ढंग के लोग मित्र बन जाते हैं। मेरे पास श्री वीरेन शाह, उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 'बी.जे.पी. एण्ड दि इन्डियन इन्डस्ट्री' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक पेम्फलेट उपलब्ध है। मैं इससे केवल एक ही वाक्य का उद्धरण दूँगा। यह नीति के दिशा-निर्देश से सम्बन्धित है। मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी को उद्धृत करूँगाः

> "व्यापक दिशा-निर्देश जो 1991 में अपनाए गए थे, वही वे दिशा-निर्देश जिनका भारतीय जनता पार्टी माँग करती रही है। अतः इस दिशा में परिवर्तन लाने का बी.जे.पी. का सवाल ही नहीं उठता। निर्देश वही है और उसी रूप में चलते रहेंगे और फिर भी आज राष्ट्रीय मोर्चे और भारतीय जनता पार्टी का इस सरकार के विरुद्ध मत देने के लिए एक साथ होना एक अजीब बात है।"

क्या अवसरवादी पक्तियाँ हैं। (व्यवधान) वाम मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सिद्धांतों के प्रति ऐसा ही वचनबद्धता हैं। (व्यवधान)

**श्री श्रीकांत जेना** : श्री सिंह वे लोग आपकी आर्थिक नीति का समर्थन कर रहे हैं और आप उनकी मंदिर नीति का समर्थन कर रहे हैं। (व्यवधान)

(लोकसभा कार्रवाई/ 28 जुलाई 1993, पृष्ठ 252 से 293)

*माननीय अध्यक्ष श्री शिवराज वी. पाटिल पीठासीन थे। लोकसभा कार्रवाई के प्रावधानों के अंतर्गत श्री. वी. धनजंय कुमार ने 5 अगस्त को अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को उठाया, जो विभिन्न राज्यों में चिकित्सा व इंजीनियरिंग कालेजों में कैपीटेशन फीस को लेकर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रियान्वयन में देरी से संबंधित था। श्री अर्जुन सिंह ने इस मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण बताया। इस संबंध में उन्होंने राज्य सरकारों के तकनीकी*

*मंत्रियों की बैठक भी आयोजित की। साथ ही वे न्यायालय के निर्णयों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराने के लिए सदा गंभीर रहे।*

**श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर)**: मैं मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर आकर्षित करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह उस पर वक्तव्य दें :

विभिन्न राज्यों में विशेषकर कर्नाटक में चिकित्सा और इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिए ली जा रही कैपिटेशन फीस के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रियान्वयन में हुई देरी तथा भारत सरकार द्वारा किए गए अथवा प्रस्तावित उपाय।

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : उन्नीकृष्णन और अन्यों बनाम आंध्र प्रदेश और अन्यों के मामले में दिनांक 4-2-1993 को निर्णय देते समय, उच्चतम न्यायालय में प्राइवेट, गैर-सहायता-प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं में दाखिलों और शुल्कों को विनियमित करने के लिए एक योजना निर्धारित की है। उच्चतम न्यायालय ने 1993-94 से इस योजना को लागू कर दिया है। न्यायालय ने यह अपेक्षा की है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अ.भा.त.शि.परि.), भारतीय चिकित्सा परिषद् (भा.चि.परि.) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अनु.आ.) को अपने-अपने विधान के अन्तर्गत दिशा-निर्देश अथवा विनियमन् बनाने चाहिए और उन्हें जारी करना चाहिए। न्यायालय ने उचित शुल्क निर्धारित करने के लिए तन्त्र और दाखिलों के लिए आदेश हेतु सक्षम प्राधिकारी भी निर्दिष्ट किया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनियमों को जारी किए जाने तक ये तन्त्र लागू होंगे।

चिकित्सा शिक्षा से सम्बन्धित मामलों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है और वे स्वास्थ्य शिक्षा से सम्बन्धित मामलों को समन्वित कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित मामलों का सम्बन्ध मानव संसाधन विकास मंत्रालय से है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई योजना को लागू करने के लिए तकनीकी शिक्षा हेतु दिशा-निर्देश विकसित किए हैं। क्योंकि निहित मामलों में ज्यादातर मामले काफी महत्वपूर्ण हैं और उनका सम्बन्ध राज्य सरकारों से है जिन्होंने उनका कार्यान्वयन करना है, प्रारूप दिशा-निर्देशों पर 17 जून, 1993 को राज्य सरकारों के तकनीकी शिक्षा मंत्रियों की बैठक में चर्चा की गई थी। सरकार शीघ्र ही दिशा-निर्देशों को अन्तिम रूप देगी और वे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम के तहत जारी किए जाएँगे।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि सम्बन्धित राज्य सरकारें उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दाखिलों और शुल्कों पर निर्णय लेने के लिए कार्रवाई कर रही हैं। केवल कर्नाटक में, भुगतान वाले स्थानों (सीटों) के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था और न्यायालय ने 28-6-93 को शुल्कों से सम्बन्धित राज्य सरकार के आदेश स्थगित कर दिए हैं। कर्नाटक सरकार ने स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए मामले पर कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल की राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और चण्डीगढ़ से यह सुनिश्चित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा-निर्धारित दाखिलों अथवा शुल्कों के सम्बन्ध में कोई समस्या नहीं है। महाराष्ट्र में, उच्च न्यायालय में तीन मामले दायर किए गए हैं। इन मामलों में निर्णय होने तक राज्य सरकार द्वारा दाखिले

की प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने की रिपोर्ट मिली है। यद्यपि आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था, दाखिलों के लिए अनिवार्य कार्य पूरा कर लिया गया है। तमिलनाडु में, उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर की गई हैं और न्यायालय द्वारा अंतरिम व्यादेश दिया गया है। दाखिला संबंधी प्रक्रिया पूरी हो गई है। कर्नाटक में उच्च न्यायालय में 33 रिट याचिकाएँ दायर की गई थीं, जिनमें से 7 मामले अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित दावों के बारे में थे, 15 मामलों में राज्य के दाखिला संबंधी नियमों को चुनौती दी गई थी, और शेष मामलों में शुल्क संबंधी ढाँचे को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने दाखिला संबंधी नियमों के बारे में कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया है। यह रिपोर्ट मिली है कि राज्य सरकार का शीघ्र ही सामान्य प्रवेश परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करने का प्रस्ताव है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्नीकृष्णन के मामले में दिए गए अपने निर्णय में निर्धारित दाखिलों और शुल्कों के विनियमन संबंधी योजना का कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं से संबंध है और यह अप्रत्याशित नहीं है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित योजना के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में कुछ मुकदमेबाजी हो। सरकार स्थिति पर बराबर निगरानी रखे हुए है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का निष्ठापूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपके ध्यान में केवल संबंधित प्रावधानों को लाना चाहता हूँ। इस संबंध में प्रावधान इस प्रकार है :

"कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से, अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान दिला सकेगा और मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा या बाद के किसी समय या तिथि को वक्तव्य देने के लिए समय माँग सकेगा :

परन्तु कोई सदस्य किसी एक बैठक के लिए ऐसी दो से अधिक सूचनाएँ नहीं दे सकेगा।"

दूसरा प्रावधान बहुत ही सुसंगत है। इसमें कहा गया है:

"ऐसे वक्तव्य पर जब वह दिया जाए, कोई वाद-विवाद नहीं होगा, परन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य-सूची में मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकेगा और ऐसे सभी प्रश्नों के अन्त में मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिया जाएगा:

परन्तु कार्य-सूची में पाँच से अधिक सदस्यों के नाम नहीं दिखाए जाएँगे।"

अत: यदि कार्य-सूची में ऐसा उल्लेख किया गया है तो केवल पांच सदस्य ही प्रश्न पूछ सकते हैं। वे लोग केवल प्रश्न पूछ सकते हैं। वे लोग भाषण नहीं दे सकते हैं और यदि हम इस प्रक्रिया को अपनाएँ तो आप इतमीनान रखिए कि हम केवल एक ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर सकते हैं बल्कि हम दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी चर्चा कर सकते हैं।

यदि आप प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं और यदि आप प्रश्न पूछे बिना ही भाषण देने लगें तो हमारे लिए इसको निर्धारित समय के भीतर पूरा करना संभव नहीं होगा और हमारे लिए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा कर पाना संभव नहीं होगा। आज के लिए हमारे पास सूची में केवल दो नाम हैं और केवल वे दो ही सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं उनके अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य प्रश्न नहीं पूछ सकता है। यदि हम इस सूची में सदस्यों के नाम शामिल करते जाएँ तो यही हमारे लिए कल कठिनाई बन जाएगी। (व्यवधान)

**श्री वी. धनंजय कुमार** : मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊँगा। निजी प्रबंधक 2,000 से अधिक सीटें उपलब्ध कराते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : तो फिर प्रश्न क्या है?

**श्री वी. धनंजय कुमार** : इन कालेजों में से निजी प्रबंधन द्वारा चलाए जा रहे कालेज "फ्री सीट्स" कोटे के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक सीटें पहले ही उपलब्ध करवा रहे हैं। इन सीटों के लिए सरकार द्वारा सरकारी कालेजों में दाखिल किए गए विद्यार्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम शुल्क के बराबर शुल्क लिया जाता है। बाकी 50 प्रतिशत सीटों के लिए पिछले वर्ष तक यह कालेज कैपिटेशन फीस, दान, भवन निधि और किसी दूसरे ढंग से धन एकत्रित करते रहे है।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आपने इस समस्या का वास्तव में अध्ययन किया है, यदि आप इस समस्या के बारे में वास्तव में गंभीर है तो वक्तव्य से आपको पता चल जाएगा कि क्या कठिनाई है?

**श्री वी. धनंजय कुमार** : जी हाँ, अब मैं प्रश्न पर आ रहा हूँ। इन कॉलेजों में से अधिकांश कालेजों को इंडियन मेडिकल काउंसिल या इंडियन काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजूकेशन या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया आदि द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। ये संगठन प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में यह घोषणा करते हैं कि विद्यार्थी जिन कालेजों को मान्यता प्राप्त नहीं है उनमें अपने जोखिम पर दाखिला लें। इसके बावजूद भी राज्य सरकार इन वर्षों में 50 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए उन कॉलेजों में दाखिले करती रही है जिन्हें मान्यता नहीं मिली है और इसका नतीजा यह हुआ है कि इन कालेजों से डिग्रियाँ लेकर निकलने वाले विद्यार्थियों को नौकरियों पर लेने की अनुमति नहीं दी गई है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूँगा क्योंकि आपके पास कोई प्रश्न नहीं है।

**श्री वी. धनंजय कुमार** : इस पृष्ठभूमि को जाने बिना मंत्री जी उत्तर नहीं दे सकेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : वह समझने में बिलकुल सक्षम हैं।

**श्री वी. धनंजय कुमार** : मैंने कभी भी उनकी सक्षमता को कम आँकने की कोशिश नहीं की है। मैं केवल यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह समस्या कितनी गंभीर है। उन विद्यार्थियों का क्या होना चाहिए जिन्होंने उन कालेजों में दाखिला लिया है? जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। यह मेरे प्रश्न का "क" भाग है।

उसके बाद मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में न्यायालयों में बहुत सी रिट याचिकाएँ दायर की गई हैं और कुछ न्यायलयों ने स्टे ऑर्डर भी दे दिए हैं। इसके बावजूद भी वक्तव्य में कहा गया है कि दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह प्रक्रिया कैसे पूरी की गई है और दाखिले कैसे किए गए हैं तथा कितनी संख्या में दाखिले किए गए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन सभी निजी प्रबंधनों ने तैयार की गई योजना के अनुसार विद्यार्थियों को दाखिले देने से एकदम इन्कार कर दिया है। उन्होंने कालेजों को बंद करने की धमकी दी है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूँ कि आप भाषण देने के इच्छुक हैं। आप इन समस्याओं को हल करने के इच्छुक नहीं हैं।

**श्री वी. धनंजय कुमार** : उन विद्यार्थियों का क्या होगा जिन्हें सरकार ने इन कॉलेजों में दाखिले के लिए चुना है? यह प्रश्न का अंतिम भाग है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का विचार माइनॉरिटी इन्स्टीट्यूशन्स और अन्य इन्स्टीट्यूशन्स के बीच असमानता को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन करने का है और यह भी कि क्या सरकार का विचार पूरे देश में सभी कॉलेजों में दाखिलों पर एक समान नियम, मानदंड और विनियम लागू करने के लिए एक नया कानून बनाने का है।

(लोकसभा कार्रवाई /5 अगस्त 1993, पृष्ठ 220 से 224)

शिक्षा, जन हित से जुड़ा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। अब शिक्षा के साथ महिला तथा बाल विकास, खेल और संस्कृति विषय भी जुड़ गए हैं। ये सब मिलकर उसे बहुत ही व्यापक और विशिष्ट विषय बना देते हैं, जिसके सम्बन्ध में हमारे समुदाय के सभी वर्गों के अपने-अपने विचार हैं।

—अर्जुन सिंह,
*3 मई 1994*

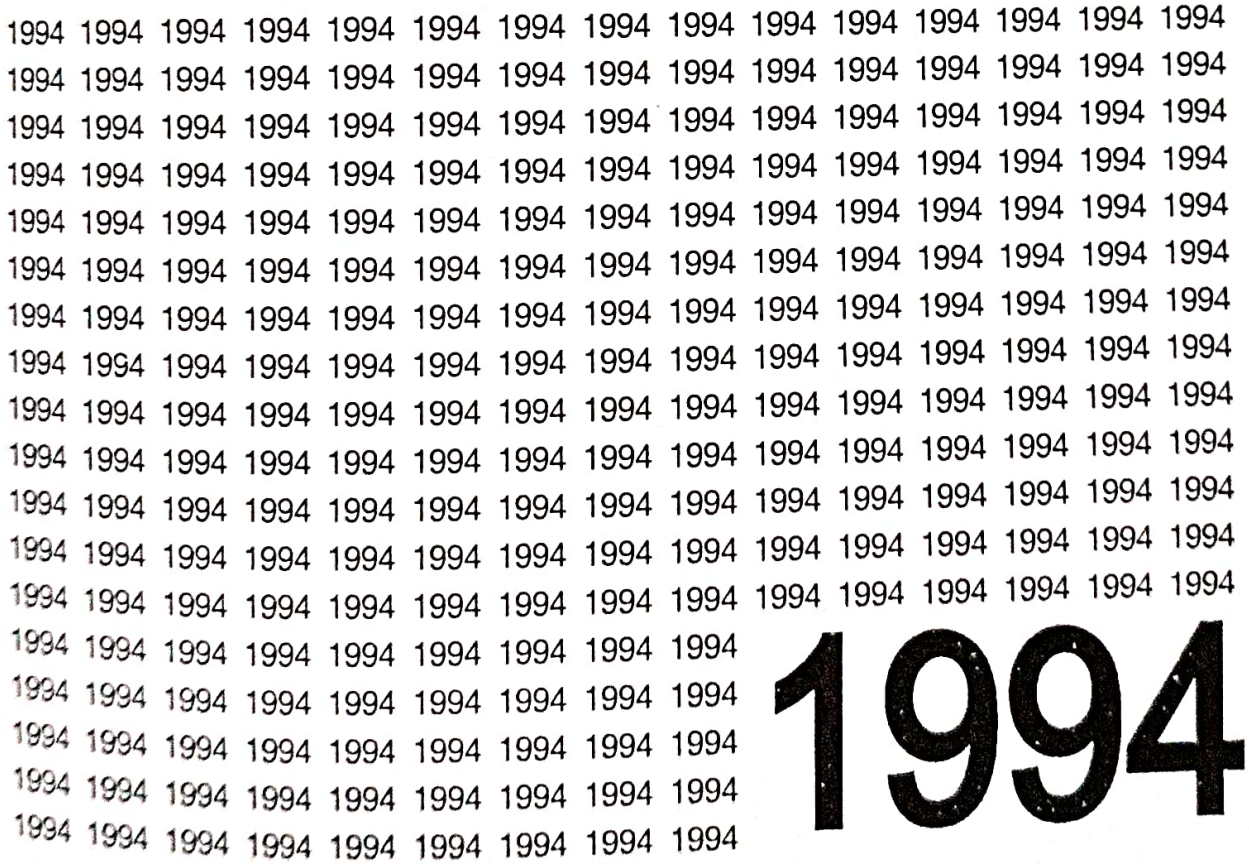

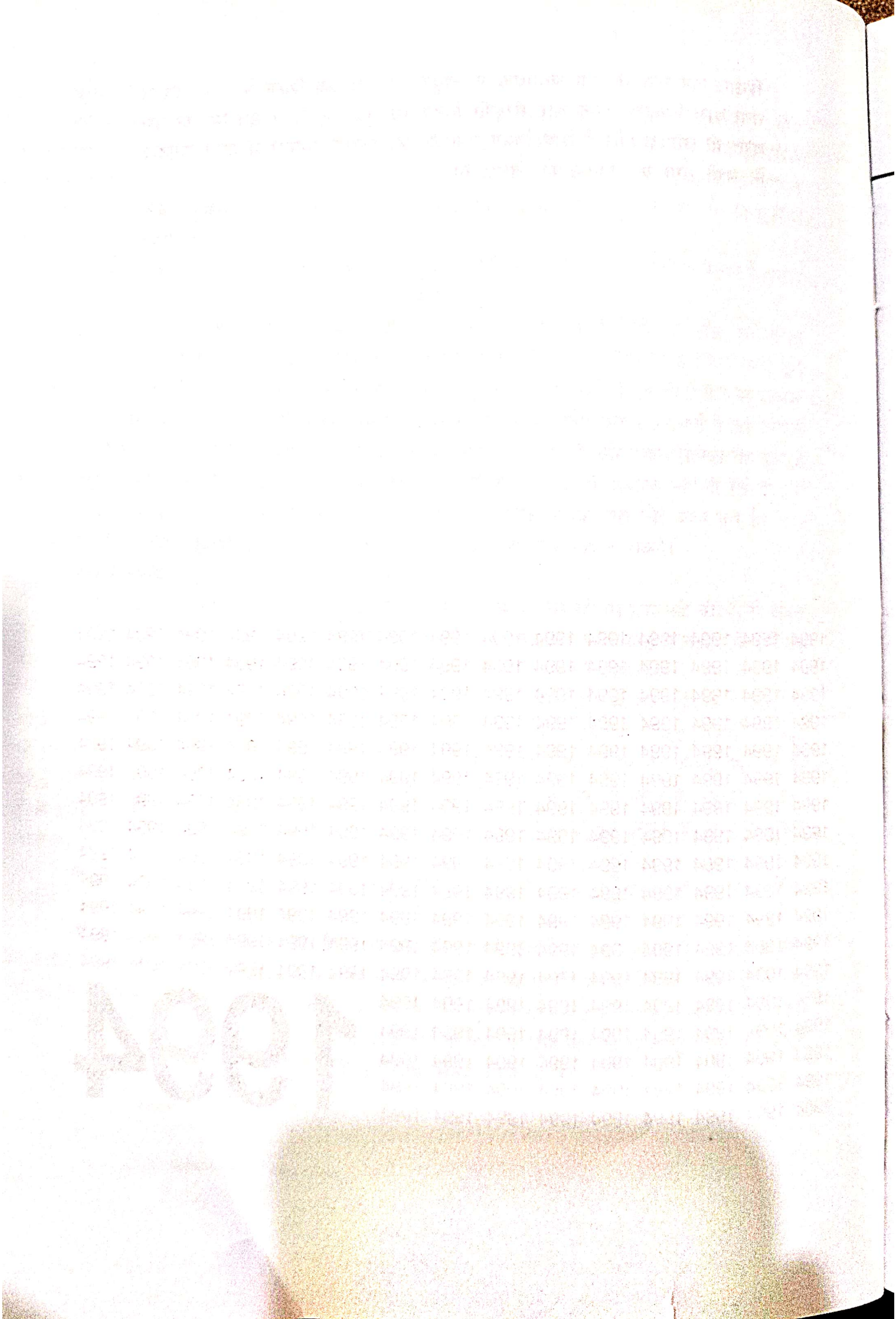

# 1994

*मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित वर्ष 1994-95 की सामान्य अनुदान माँगों पर लोक सभा में 3 मई को विस्तार से चर्चा हुई। इस चर्चा के लिए नई समिति प्रणाली अपनाई गई। इसमें सदस्य विस्तार से अपने सुझाव दे सकते हैं। इस लम्बी चर्चा का मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय अर्जुन सिंह ने उपयोग अपने मंत्रालय के कामकाज में सुधार के लिए किया। उस समय अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल पीठासीन थे।*

*उन्होंने सदस्यों की शंकाओं का समाधान किया तथा उनके प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए। सदस्यों ने शिक्षा प्रणाली, शिक्षा स्तर, खेलकूद आदि में सुधार किए जाने के सुझाव दिए।*

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने विभाग की ओर से इसकी गहन प्रशंसा करना चाहता हूँ कि नि:संदेह सभी विभाग इस नई समिति प्रणाली को आरम्भ करने के लिए समान रूप से आभारी हैं जो कि हमारी संसदीय प्रणाली के एक अंग के रूप में आरम्भ की गई है?

इसी एक प्रस्ताव के द्वारा उन मामलों और मुद्दों की ओर ध्यान दे पाना संभव हो सका है जो कि सामान्यत: पहले उपेक्षित रह जाते थे तथा सदन में जो चर्चा में होती थीं स्वाभाविक तौर पर उनमें प्रत्येक माननीय सदस्य जो कुछ कहना चाहते थे समय की पाबन्दी एवं उनकी अपनी प्राथमिकताओं के वशीभूत अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते थे। परन्तु इस प्रणाली के आरम्भ होने के साथ हमारे पास इस बात का रिकार्ड रहता है कि माननीय सदस्य किसी विशेष विभाग के बारे में क्या विचार रखते हैं, किन-किन प्राथमिकताओं की ओर वे ध्यान दिलवाना चाहते हैं, जिससे संसद की इच्छा ही स्पष्ट नहीं होती बल्कि राजनैतिक कार्यप्रणाली को संसद की इच्छानुसार उन मुद्दों की ओर ध्यान देने का अवसर भी मिलता है।

मै स्पष्ट तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे सहयोगी श्री वासनिक, श्रीमती बासव राजेश्वरी तथा कुमारी शैलजा द्वारा इस चर्चा में भाग लेना इसीलिए संभव हो सका क्योंकि स्थायी समिति की रिपोर्ट हमारे पास थी तथा हम आपस में बैठकर इस बात का निर्णय कर सके कि जो भी हम कर पाए हैं उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तथा संसद को यह भी बताया जाए कि क्या-क्या हम नहीं कर पाए हैं? तथा संसद हमसे क्या करवाना चाहती है? तथा कुछ ऐसे लक्ष्य बनाएँ जाए जो कि हम इस वर्ष के दौरान हासिल करना चाहते हैं जो कुछ उन्होंने कहा है, मै उसे दोहराना नहीं चाहता क्योंकि इससे समय नष्ट होगा परन्तु उसे इस बात का विश्वास है कि माननीय सदस्य निश्चित तौर यह स्वीकार करेंगे कि ये मुद्दे वही मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने स्थायी समिति की रिपोर्ट के माध्यम से भरपूर दिलचस्पी ली है।

महोदय, शिक्षा, जन हित से जुड़ा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। तथा शिक्षा के साथ, अब हमारे पास महिला तथा बाल विकास, खेल और संस्कृति विषय भी है। ये सब मिल कर उसे बहुत ही व्यापक और विशिष्ट विषय बना

देते हैं जिसके सम्बन्ध में हमारे समुदाय के सभी वर्गों के अपने-अपने विचार हैं और यह एक सन्तुष्टि की बात है। इस देश में अनेक ऐसी बातें और मुद्दे हैं जिनके सम्बन्ध में कुछ लोगों की कुछ विशेष राय हो सकती है, जिनके सम्बन्ध मे ऐसे समूहो द्वारा राय व्यक्त की जाती है जिन्होंने कोई विशेष अध्ययन किया हो। शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसके बारे में प्रत्येक माता पिता का अपना-अपना विचार होता है तथा इस सदन में मुझे उनकी संख्या दोहराने की आवश्यकता नही है। इन विचारों की व्यापकता पर इस ढंग से ध्यान दिया जाए जिससे कि इस सम्बन्ध में किए जा रहे प्रस्ताव समुदाय की आकांक्षाओं पर कुल मिलाकर यथासंभव पूरे उतर सकें।

आज हमारे देश में शिक्षा को दो भागों में बाँटा गया है- राज्य और केन्द्र। यह कहने से मेरा इरादा अपने उत्तरदायित्व से बचने अथवा इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर डालने का नहीं है। परन्तु वास्तविकता यह है कि शिक्षा के सम्बन्ध में अधिकतर योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा ही लागू किया जाता है। बेशक इसके लिए केन्द्र सरकार से पूरा सहयोग और समर्थन मिलता है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूँगा कि मेरा अनुभव बड़ा स्पष्ट है। आज प्रत्येक राज्य सरकार से, चाहे इसका राजनैतिक स्वरूप कैसा भी हो, इस सम्बन्ध में जो कदम उठाने का हमने प्रयास किया, उन पर काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। जो भी पहल इस सम्बन्ध में वे करना चाहते हैं, हमने भी उस पर वैसी ही सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का प्रयास किया है। परन्तु इस बात पर गौर करना सुसंगत होगा कि जिन मुद्दों पर निर्णय लेना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, एकदम से वह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आ सकता। तथा अगर कभी हम तर्क देने के तौर पर किसी प्राधिकारी की असफलता को ध्यान में करते हैं, तो मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहूँगा कि ऐसा बड़ी सावधानी, धैर्य और सकारात्मक रूप से किया जाना चाहिए।

महोदय, जिस भी माननीय सदस्य ने चर्चा में भाग लिया है, उसने अपनी राय के अनुसार इस विषय पर प्रकाश डाला है। मैं कुछ ऐसी बातों का उल्लेख करना चाहूँगा जो मेरे विचार से कहीं अधिक सुसंगत हैं।

प्रथम वक्ता श्री चिन्मयानन्द स्वामी की अनुपस्थिति में मैं उनके द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूँ। उन्होंने यह कहा है कि 1986 तक अर्थात् इस नीति के आरम्भ तक कोई शिक्षा नीति नहीं थी। तथा इसके पश्चात् उन्होंने एक और प्रश्न जोड़ दिया कि यह नीति हमारे उपनिवेशवादी आधार को परिलक्षित करती है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूँगा, उसे विश्वास है कि यह जानकारी उन्हें दे दी जाएगी क्योंकि वे सदन में उपस्थित नहीं हैं, कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1968 में तैयार की गई थी। एक संसदीय समिति द्वारा इसका अध्ययन किया गया और अन्ततः एक नीति सभा-पटल पर रखी गई। विनम्र भाव से मैं यह बताना चाहूँगा कि डॉ. राधा कृष्णन, डॉ. जाकिर हुसैन तथा डॉ. कोठारी ऐसे सुप्रसिद्ध व्यक्तियों ने जिस शिक्षा नीति को तैयार करने में योगदान दिया जिसे 1968 में सभा-पटल पर रखा गया। उसे उपनिवेशवादी कहना किसी धर्मस्थल को अपवित्र करने से कम नहीं है। हम इस नीति के कुछ पहलुओं से सहमत या असहमत हो सकते हैं परन्तु हम इन व्यक्तियों पर इस शिक्षा नीति में उपनिवेशवादी दृष्टिकोण लाने का आरोप नहीं लगा सकते।

वर्ष 1986 में श्री राजीव गाँधी ने इस सम्बन्ध में किए गए कार्य का आकलन किया क्योंकि समय के साथ-साथ अनेक बाध्यताएँ हमारे समक्ष आती हैं, अधिकतर इसलिए क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मापदण्ड निर्धारित किए गए थे। उदाहरणार्थ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और पैनापन आया है, शारीरिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक शिक्षा का आपसी सम्बन्ध और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित हुआ। श्री राजीव गाँधी ने नीति को अद्यतन रूप दिया तथा इस वर्ष 1986 की नई शिक्षा नीति बनी। इस प्रकार यह 1968 में आरम्भ की गई नीति का अनुवर्ती रूप है। तथा मैं यह कह सकता हूँ कि इस नीति को अद्यतन रूप देने की दिशा में किया गया सारा कार्य इसके आधार को सुदृढ़ करने तथा 21वीं शताब्दी की ओर अग्रसर होते हुए भविष्य के लिए योजना तय करने के उद्देश्य से किया गया।

अब, इसके लिए मूल मापदण्ड क्या थे? जैसे कि मैंने कहा है: ऐसे व्यापक कार्य क्षेत्र में आपको उसी चीज पर उंगली रखनी पड़ती है जो कि उस समय महत्त्वपूर्ण हो अगर आप अपना सारा समय ऊर्जा और संसाधन उन सब बातों पर लगाते है जो कि आपके समक्ष हैं तो आप वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमने तीन-चार महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को चुना जिन पर कार्य किया जाना चाहिए था। एक ऐसा क्षेत्र शिक्षा के स्तर को बढ़ाना था।

अनेक माननीय सदस्यों ने पूछा है तथा मैं भी उनसे सहमत हूँ कि हम दो शिक्षा प्रणालियाँ कैसे रख सकते है, एक तथाकथित सम्पन्न लोगों के लिए तथा दूसरी सामान्य लोगों के लिए? प्रश्न बहुत अच्छा है, परन्तु हम इस सम्बन्ध मे कर भी क्या सकते हैं? अचानक हम यह कह कर कोई अध्यादेश पारित नहीं कर सकते कि अमुक तिथि से लोगों द्वारा चलाए जा रहे निजी विद्यालय बंद हो जाने चाहिए। क्या ऐसा करना किसी भी सरकार के लिए संभव है।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा)** : आप इस समय में स्कूलों में दी जा रही शिक्षा का स्तर सुधार सकते हैं।

**श्री अर्जुन सिंह** : इसीलिए मैंने कहा है कि शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए। इस त्रुटि को केवल सरकार द्वार चलाई जा रही शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा के स्तर को सुधार कर ठीक किया जा सकता है। यह कोई आसान कार्य नहीं है तथा नवोदय विद्यालय की अवधारणा इसी पहल के परिणामस्वरूप हमारे सामने आई है। मैं जानता हूँ कि कुछ राज्य सरकारें अभी भी इसके पक्ष में नहीं हैं तथा इसे अपनाना नहीं चाहेंगी। स्वाभाविक तौर पर हम उन्हें इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। परन्तु मैं उन्हें पूरी निष्ठा से यह अपील करूँगा कि वे इस योजना को किसी संकीर्ण दृष्टिकोण से न देखकर व्यापक दृष्टिकोण से देखें तथा ऐसे रास्ते निकालने का प्रयास करें जिससे कि हम आठवीं योजना के अन्त तक प्रत्येक जिलों में एक नवोदय विद्यालय स्थापित कर सकें जो कि हमारा लक्ष्य है।

महोदय, नवोदय विद्यालय के परीक्षण की समीक्षा करने के सम्बन्ध में यहाँ उल्लेख किया गया था। मैं जानता हूँ कि समय-समय पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए परन्तु यह सारी योजना अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं की गई है। हम इस सम्बन्ध में निरन्तर निगरानी रख रहे हैं तथा जो खामियाँ कहीं-कहीं आ गई हैं, हम उन्हें दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। अगर हमने सारी नवोदय योजना की समीक्षा करनी हो जो कि दो या तीन वर्ष पहले हुआ था जब सारी नवोदय विद्यालय योजना ठप्प कर दी गई थी, अब हम उस तरह की समीक्षा नहीं कर सकते। जब हम इस योजना को काफी हद तक पूरा कर लेंगे तो इसकी समीक्षा की जाएगी तथा जो भी त्रुटियाँ सामने आएँगी, उन्हें दूर किया जाएगा।

दूसरा मुद्दा जिसके सम्बन्ध में उंगली उठाई गई थी वह था शिक्षा और साक्षरता को सर्वव्यापी बनाना। अनेक सदस्यों ने साक्षरता कार्यक्रम के सम्बन्ध में शंकाएँ व्यक्त की हैं तथा मैं निश्चित तौर पर न तो उनके द्वारा दिए गए लक्ष्यों और आँकड़ों पर शक कर रहा हूँ और न ही मेरी ऐसी कोई भावना है। महोदय, अगर मुझे अनुमति हो तो मैं बड़े संतोष और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पूर्ण साक्षरता को प्राप्त करने के लिए आज साक्षरता अभियान सभी राजनैतिक, सामाजिक और अन्य सीमाओं के ऊपर उठ कर एक राष्ट्रीय अभियान बन गया है। इसमें कुछ त्रुटियाँ हो सकती है, कुछ खामियाँ हो सकती हैं तथा कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो कि नहीं की जानी चाहिए जैसा कि पश्चिम बंगाल की माननीय सदस्या सुश्री ममता बनर्जी ने बताया है। मैंने मामले पर गौर किया है। मैंने पता लगाया है कि यह विशिष्ट पुस्तक जिसका उन्होंने उल्लेख किया है। उसमें निश्चित तौर पर ऐसी सामग्री है, जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि साक्षरता अभियान की भावना के अनुरूप नहीं है। यह पुस्तक वर्ष 1981 में प्रकाशित हुई थी जब साक्षरता अभियान आरम्भ नहीं हुआ था। पश्चिम बंगाल सरकार के जन शिक्षा, सचिव द्वारा दी गई जानकारी

के अनुसार इस पुस्तक का राज्य की साक्षरता अभियान समिति ने अनुमोदन नहीं किया है तथा हमने भी निश्चित तौर से ऐसा नहीं किया है। परन्तु इसकी अभी जाँच करनी है कि क्या इस पुस्तक का उपयोग किया गया था या नहीं तथा इस बात की जाँच की जाएगी और अगर जाँच में यह पाया गया कि कहाँ इस पुस्तक का उपयोग हुआ है तो मैं पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान इसकी ओर दिलाऊँगा तथा मुझे विश्वास है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के साक्षरता अभियान में कहीं भी इस पुस्तक का उपयोग न हो।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ)**: इस पुस्तक के सम्बन्ध में हमें जानकारी क्यों न दी जाए? हमें इसकी जानकारी नहीं है।

**श्री अर्जुन सिंह** : कल जब विपक्ष के माननीय नेता यहाँ नहीं थे तो इस पुस्तक के सम्बन्ध में सभा को काफी जानकारी दे दी गई थी।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मैं अशिक्षित रहना ही पसंद करूँगा।

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं व्यक्तिगत तौर से तो किसी को शिक्षित करने वाला कोई नहीं हूँ। परन्तु मैं सारी सामग्री आपको भेजने का सम्मान प्राप्त करना चाहूँगा ताकि आप भी इसे पढ़ सकें।

जैसा कि मैंने कल कहा है, तीसरा प्रश्न शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का है। मैं जानता हूँ कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर एक के दिल को चोट लगती है। संविधान में यह वचन दिया गया था कि एक अवधि विशेष के भीतर हम सर्वव्यापी शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए किसी पर दोष लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता यह है कि ऐसा कर पाना संभव नहीं था। एक रास्ता यह था कि हम यह कह सकते कि हम अभी भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, हम देखेंगे कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। 1986 में तैयार की गई शिक्षा नीति में यह आश्वासन दिया गया था कि इस शताब्दी के अन्त तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अब मैं यह नहीं कह रहा कि जो उस में कहा गया है वही अन्तिम निर्णय है। परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसने अभी तक प्रगति की है, जिसने अनेक कठिनाइयों को पार किया है, जो एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर है, निश्चित तौर पर अपने लोगों से यह वायदा कर सकता है कि इस शताब्दी के अन्त तक हम शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना संभव बना देंगे तथा इसके लिए जिन प्राधिकरण, संसाधनों और प्रयासों की आवश्यकता होगी, वे जुटाए जाएँगे। यही सब कुछ किया गया है।

दिसम्बर में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह कोई मामूली अन्तर्राष्ट्रीय बैठक नहीं थी, यह केवल शिक्षा विषय पर पहला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन था; तथा जिन नौ देशों ने इसमें भाग लिया था, वे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश थे जो एक जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्होंने भी यह अनुभव किया कि प्रत्येक को "सभी के लिए शिक्षा" के प्रति वचनबद्धता को दोहराना चाहिए क्योंकि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी और सशक्त माध्यम है और रहेगा। यही इस समिति का उद्देश्य था, तथा इस उद्देश्य को प्राप्त करने में आशा से अधिक सफलता केवल इन देशों के भाग लेने से ही नहीं मिली बल्कि दिल्ली उद्घोषणा से भी मिली जिसमें देश के नेताओं देश के प्रतिनिधियों ने कुछ वायदे किए तथा हमारे अपने प्रधान मंत्री ने भी वायदा किया जो मेरे विचार से आने वाले समय में शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने में एक कीर्तिस्तम्भ माना जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने यह वचन दिया कि शताब्दी के अन्त तक भारत सरकार कुल घरेलू उत्पाद का छः प्रतिशत इस उद्देश्य के लिए खर्च करेगी। पैसे की दृष्टि से आठवीं योजना के दौरान यह आँकड़े दो गुणा होंगे।

यहाँ यह मुद्दा बिल्कुल सही उठाया गया था कि हम यहाँ कर क्या रहे है और अब इस संसाधन को सभी के लिए सम्भव बनाकर हम क्या करना चाहते है? यहाँ मै आपके माध्यम से तथा इस सभा के माध्यम से उस देश

के उस हर व्यक्ति से यह अपील करना चाहता हूँ कि जो यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मात्र पैसा ही इस काम में सहायक नहीं हो पाएगा। अनेक ऐसे क्षेत्रों में जहाँ धनराशि अपर्याप्त है, सम्भवत: उन क्षेत्रों में यह परियोजना उपलब्ध हो। लेकिन इस क्षेत्र में हमें कुछ करना पड़ेगा। एक दूसरे पर दोषारोपण करने की कोशिश करने का कोई लाभ नहीं है।

श्याम-पट्ट अभियान एक राष्ट्रीय नीति थी। यह केन्द्र प्रायोजित योजना थी; यह सौ फीसदी केन्द्रीय प्रायोजित योजना थी। अनेक राज्यों ने इस योजना को अत्यंत बेहतर ढंग से चलाया था। जहाँ तक प्रश्न अध्यापकों का है, अब तक तकरीबन 99 प्रतिशत अध्यापक नियुक्त किए जा चुके हैं। जहाँ तक इस योजना के संचालन संबंधी विषय का संबंध है, लगभग 75 से 80 प्रतिशत तक लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। स्कूल के कमरों के निर्माण के संबंध में हम निर्धारित लक्ष्यों से पीछे चल रहे हैं। प्रश्न यह है कि हम इस सम्बन्ध में अपने वायदे को कैसे पूरा कर सकते हैं?

आओ हम सभी अपने-अपने समाज में यह बात सुनिश्चित करें कि जिन स्कूलों का निर्माण कर लिया जाए। संसद, विधान सभाओं तथा ग्राम पंचायतों के सदस्य होने के नाते, हम सभी के संयुक्त प्रयासों से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि यह कार्य हो गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब बड़े पैमाने पर समाज जिससे कि यहाँ बैठे हुए हम सभी सदस्य संबंध रखते हैं की ओर से इस प्रकार की वचनबद्धता प्राप्त होगी तथा इसी वचनबद्धता से ऐसा करना सम्भव होगा।

दूसरी बात मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे नई नीति में उजागर किया गया है। मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी विषय महत्वपूर्ण कैसे हैं क्योंकि अब ज्ञान का प्रसार सभी काल्पनिक सीमाओं को पार कर देता है। ऐसी कुछ सीमाओं के बारे में तो हमें जानकारी है लेकिन कुछ सीमाओं के बारे में हमें जानकारी हासिल नहीं है। ज्ञान का प्रसार उन सीमाओं को भी लाँघ सकता है। एक देश के रूप में हम कहाँ खड़े हैं? विश्व भर में इस महान प्रौद्योगिकीगत् प्रोन्नति से हम इस देश की जनता के लिए क्या प्राप्त करने जा रहे हैं?

मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ अत: मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर विस्तृत विवेचन कर पाने में सक्षम नहीं हूँ। मैंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल देखा है। देश की जनता ने भी लोक महत्व के विषयों में इसका इस्तेमाल देखा है। हरित क्रांति को ही लीजिए। एक समय ऐसा था, जब इस देश को लाखों डालर विश्व के अन्य देशों से खाद्यान्न खरीदने के लिए देने पड़ते थे तथा हमें उन देशों से खाद्यान्न प्राप्त हुआ करता था और उस समय यह कहा जाता था कि भारतवर्ष खाद्यान्नों के मामले में विदेशी आयात पर निर्भर है। आज कैसी स्थिति है, आज हम खाद्यान्नों का आयात नहीं कर रहे हैं? आज हमारी यह स्थिति है कि हम इस देश के किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों का इस देश से निर्यात कर सकते हैं। यह हरित क्रान्ति थी। किसानों के खेतों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया था। खेती के लिए आवश्यक आदान किसानों को दिए गए तथा किसानों ने इन्हें स्वीकार किया।

इसके पश्चात् हमने दूसरे क्षेत्र अर्थात् तिलहन के क्षेत्र में प्रवेश किया। इस देश में तिलहनों का आयात किया जाता था। तिलहनों के उत्पादन हेतु, इस क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से हम आज तिलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं आप देखिए कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कैसे कारगर सिद्ध हुई है। अत: इस देश में जरूरत इस बात की है कि हमें इस संसार में हुई उन वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीगत् प्रोन्नतियों को बड़ी सर्तकतापूर्वक चुनना चाहिए जो इस देश के लिए उपयोगी हैं तथा उनका ऐसे स्तर पर एवं ऐसे ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि उनसे इस देश के निर्धन वर्ग को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में तत्काल सहायता मिल सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा करना सम्भव है तथा इसी प्रकार की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को हमें अपनाना है तथा इसे

स्कूलों/कालेजों में पढ़ रहे हमारे छात्रों और प्रयोगशालाओं आदि में कार्यरत लोगों तक पहुँचाना है। मैं कह सकता हूँ— मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग भी ऐसा देख सकते हैं। इस देश में वैज्ञानिक किसी से भी कम नहीं हैं तथा वे क्या नहीं कर सकते उसके बारे में मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे विश्वास है कि ऐसा अवश्य होगा।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यहाँ कुछ मुद्दे उठाए थे। आजकल यह बड़ी आम बात है। ऐसा कहा जाता है कि हमने विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के मामले में उन शर्तों को स्वीकार कर लिया है, जो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है तथा जिनसे शिक्षा के क्षेत्र में हमारी स्वतंत्रता पर अंकुश लगता है। सभा की जानकारी के लिए मैं सी.ए.बी. की दिनांक 8, 9 मार्च, 1991 को हुई छियालीसवीं बैठक में बुनियादी शिक्षा हेतु विदेशी संसाधन जुटाने के लिए निर्धारित किए गए नीतिगत मापदंडों जिन्हें 6 मई, 1992 को हुई सैंतालीसवीं बैठक में दोहराया गया था— को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। निम्नानुसार उल्लिखित इन मापदंडों में बाहरी सहायता प्राप्त करने के लिए यह सुनिश्चित करने की माँग की गई है कि इससे परावलम्बन के लक्षण नहीं उभरने चाहिए। यह दिशानिर्देश इस प्रकार है:—

(1) विदेशी वित्तीय-सहायता शिक्षा हेतु उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त होनी चाहिए।

(2) ऐसी परियोजना राष्ट्रीय नीतिगत रणनीतियों एवं कार्यक्रमों के बिल्कुल समरूप होनी चाहिए।

(3) ऐसी परियोजना तैयार करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों तथा अन्य राष्ट्रीय एजेन्सियों की होनी चाहिए और ऐसी परियोजना तैयार करने की प्रक्रिया सक्षमता का निर्माण करने वाली होनी चाहिए।

(4) ऐसी परियोजना नवीनतम दिशानिर्देशों के आधार पर ही तैयार की जानी चाहिए, जिसमें जनता की भागीदारी, गुणवत्ता में सुधार, तथा शिक्षा की समानता एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में व्यापक उत्थान पर जोर दिया गया हो।

(5) विदेशों से प्राप्त सहायता राशि को शिक्षा के पुनर्निर्माण हेतु उपयोग किया जाना चाहिए और इसे नए स्कूल खोलने, अध्यापकों को नियुक्त करने तथा शिक्षा से संबंधित मुद्दों, पाठ्यक्रमों, प्रक्रिया एवं गुणवत्ता में सुधार करने जैसे परम्परागत उपायों में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश से निर्वाचित हुए एक माननीय सदस्य द्वारा ई.ई.सी. के वित्तपोषण के बारे में उठाया गया यह मुद्दा कि हमने इस धनराशि में से कुछ प्रतिशत धनराशि स्टाफ पर व्यय करने का वायदा किया है; मुझे खेद है कि यह बात सही नहीं है। ऐसी कोई शर्त नहीं है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में जिक्र किया गया था। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस पुस्तकालय ने स्वयं ही अपनी स्थिति बदतर बनाई हुई है। इस देश में कुछेक महान् संस्थाएँ ऐसी हैं, जिनकी विशेषता को बनाए रखना होता है तथा संरक्षण प्रदान करना होता है एवं प्रगति सुनिश्चित करनी होती है। ऐसे संस्थानों में से एक संस्थान कलकत्ता में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय भी है। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज यह पुस्तकालय शैक्षिक एवं प्रशासनिक दोनों ही किस्म की समस्याओं से घिरा हुआ है। इस पुस्तकालय को सुचारु रुप में लाना अकेले मेरे लिए सम्भव नहीं है। अतः मैंने अपने विवेक के मुताबिक मात्र यही तरीका अपनाया है कि मैंने पश्चिम बंगाल के सभी माननीय संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाई है तथा यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम बाधाओं को दूर करने तथा इस पुस्तकालय के सुचारु रूप से संचालन में कैसे सहायता प्रदान कर सकते हैं। मैं यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि सभी राजनैतिक दलों से संबंधित सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया है तथा हमने अत्यंत रचनात्मक चर्चा की है तथा इस बैठक में दो अथवा तीन निर्णय लिए है।

हाल ही में, मदरसों के आधुनिकीकरण के बारे में हमने जो प्रयास किए हैं, उनके बारे में कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी है कि हम 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' से क्या लेना देना है? मदरसों में ये छोटे-छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। मदरसों में उन्हें जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, वह इन बच्चों को पढ़ने दीजिए। हम यह कहने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि आप उन्हें इनमें पढ़ने से रोकिए। हम तो केवल यही कह रहे हैं कि जब आप उन्हें पढ़ा रहे है, तो आपने अभी तक उन्हें क्या पढ़ाया है। यदि सम्भव हो तो उन्हें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी अथवा आधुनिक विश्व में इनके अलावा जो कुछ पढ़ना जरूरी है, वही पढ़ाने की कोशिश कीजिए। हम इसके लिए आपको सहायता देंगे, आपको अध्यापक उपलब्ध कराएँगे तथा अन्य मशीनरी प्रदान कराएँगे। मैं यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि इन मदरसों के एक विशाल बहुसंख्यक वर्ग तथा जो लोग ये मदरसे संचालित कर रहे है, उन्होंने इन योजनाओं का स्वागत किया है। यद्यपि यह मात्र शुरूआत ही है, मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में यह योजना एक अत्यंत निर्णायक आयाम हासिल कर लेगी, हालाँकि भविष्य का कोई भरोसा नहीं है, फिर भी मुझे तो कम से कम यह उम्मीद है कि सम्भवत: यह योजना शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों में व्याप्त पिछड़ेपन को दूर करने में निर्णायक साबित होगी, क्योंकि हम बिल्कुल प्राथमिक स्तर से शुरूआत कर रहे है, जिसे कि हम एक स्रोत की संज्ञा दे सकते हैं। एक बार यदि इन स्रोतों को यह आदान प्राप्त हो जाते हैं, तो मुझे विश्वास है कि इससे सारे देश को फायदा पहुँचेगा।

महोदय, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के बारे में यह उल्लेख किया गया था कि इस विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खोला गया था तथा यह घोषणा करने के बाद कि हम इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे, हम इसके बारे में भूल गए हैं। यह सही नहीं है। इस बारे में कुछ कानूनी एवं तकनीकी समस्याएँ हैं क्योंकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा को एक अधिनियम पारित करना था। अब औपचारिक रूप से इस अधिनियम को वापिस लेना पड़ेगा। इसके पश्चात् इस बारे में संसद में एक विधेयक पारित करने का अधिकार केन्द्र सरकार को देना पड़ेगा।

इसीलिए इसमें विलंब हुआ। यह विधेयक अब तैयार है और मैं अपने स्तर पर हरसंभव प्रयास कर रहा हूँ कि यह कम से कम संसद के इस सत्र में पुर:स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् मानसून सत्र में पारित कर दिया जाए। मुझे विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर होगा इसे एक मिल यूनिवर्सिटी की तरह नहीं चलाया जाएगा बल्कि यह एक ऐसा विश्वविद्यालय होगा जो समाज के उपेक्षित वर्गों को बहुत ही उच्च स्तर के कौशल की शिक्षा देगा जिससे उन्हें अपना जीवनस्तर बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।

महोदय, यदि मैं संस्कृति के बारे में कुछ न कहूँ तो यह गलत होगा। मैं जानता हूँ कि महाराष्ट्र के माननीय सदस्य श्री अन्ना जोशी ने यह दिखाने के लिए आँकड़े दिए हैं कि हम वास्तव में संस्कृति के बारे में पूरी तरह से कितने उदासीन थे। मुझे मालूम है कि सरकार द्वारा संस्कृति के क्षेत्र में क्या किए जाने की आवश्यकता है इस बारे में आपके विचार सदा विवाद का विषय रहेंगे। मैं बहुत उत्सुकता से उस दिन का इन्तजार कर रहा हूँ जब सभा इसके समक्ष पड़े संस्कृति संबंधी दृष्टिकोण पत्र पर बहस करेगी। स्थाई समिति ने इस पर विचार कर लिया है और मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से अगले सत्र में हमें वह अवसर मिलेगा और फिर माननीय सदस्यों को संस्कृति के बारे में वे जो कुछ सोचते है उस पर विस्तार से अपने विचार करने का अवसर मिलेगा। मेरा अपूर्ण ज्ञान- मैं अपूर्ण ज्ञान शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा हूँ। यह है कि जहाँ तक संभव हो राज्य को संस्कृति से अलग ही रहना चाहिए। इसे केवल अभिव्यक्ति, निष्पादन, विकास के लिए साधन उपलब्ध करवाने चाहिए क्योंकि यदि राज्य संस्कृति के क्षेत्र में अत्यधिक अंतर्ग्रस्त रहता है, इससे गंभीर संकट पैदा

हो सकता है जैसाकि विश्व के बहुत से भागों में हुआ है तो संस्कृति को प्रमुखता देना ही राज्य की नीति का अंग बन जाता है। हम नहीं चाहते कि किन्हीं भी परिस्थितियों में इस देश में यह सब हो। अत: हमें इस बारे में सावधान रहना होगा...(व्यवधान)... स्वाभाविक है कि मै संस्कृति के बारे में बोल रहा हूँ। मेरे मित्र श्री बलराम जाखड़ जी कृषि के बारे में बोलेंगे।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा)** : वह भी संस्कृति के बारे में बात कर सकते हैं।

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं भी एक किसान हूँ, इसलिए मैं भी कृषि के बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन इस सभा में नहीं। महोदय, अत: हम देश में इस तरह की मूलभूत सुविधाओं का सृजन करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सभा एक बार उस अप्रोच पेपर पर बहस कर ले और हमें इस बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत मिल जाएँ, इस देश की सांस्कृतिक नीति निर्धारित कर ली जाएगी और मुझे विश्वास है कि जब किसी मुद्दे पर सामूहिक बुद्धिमत्ता से काम लिया जाए तो उसका नतीजा बहुत ही अच्छा होगा। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। फिर भी थोड़े समय पर यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें जितनी भी राशि मिलेगी, उसको इस तरह से खर्च किया जाए जिससे संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायता मिले। यदि कुछ कमियाँ हैं, उनमें से बहुत सी कमियों का स्थाई समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, तो हम समिति की रिपोर्ट पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे और इस मामले को ठीक करने की कोशिश करेंगे।

श्री अन्ना जोशी ने जिन बातों का उल्लेख किया उनमें से एक बात हमारी विरासत, स्मारकों और इस तरह की चीजों के अनुरक्षण की खस्ता हालत के बारे में थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुल स्मारकों की संख्या और हम जिन स्मारकों को संरक्षण दे रहे हैं उसमें बहुत अन्तर है इस संबंध में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। यह भी सच है कि हमारे पास देश में मौजूद स्मारकों को उस तरह का संरक्षण देने के लिए वैसे संसाधन उपलब्ध नहीं है, यद्यपि हमें इस तथ्य से सतर्क रहना होगा, यह कहा गया है, और ठीक ही कहा गया है कि देश का भविष्य कैसा होगा अथवा इसका वर्तमान कैसा है इसका अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि अतीत कैसा रहा है?

अत: कुछ सीमाबद्धताएँ हैं। फिर भी इस दिशा में हमारे प्रयास जारी रहेंगे। हमने विभाग में एक सांस्कृतिक निधि बनाने का निर्णय लिया है जिसके लिए हम अन्य लोगों से भी अंशदान लेंगे। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्रीजी आयकर अधिनियम के अन्तर्गत हमें छूट देकर हमारी सहायता करेंगे ताकि सभी तरह के संसाधनों...

**श्री अन्ना जोशी** : क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूँ? आप राज्य सरकारों और अन्य राष्ट्रीय निकायों को उन स्मारकों की देखभाल करने की अनुमति दे सकते हैं जिनकी देखभाल आप नहीं कर सकते हैं।

**श्री अर्जुन सिंह** : श्री जोशीजी आप मुझे फिर राज्य केन्द्र विचार में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार की पहले ही जिम्मेदारियाँ हैं। वह अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए।

प्रश्न यह है कि हमें यह कार्य करना है। इस सांस्कृतिक निधि से इन स्मारकों पर खर्च करने के लिए संसाधन मिलेंगे। तत्पश्चात् दूसरा कार्य है जिसे हम इसी वर्ष पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैंने माननीय वित्त मंत्रीजी से पहले ही चर्चा कर ली है कि हमें गरीबों को विशेष रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु कोई युक्ति निकालनी चाहिए और उन वास्तविक गैर सरकारी संगठनों की भी सहायता करनी चाहिए जो शिक्षा या संस्कृति के लिए संस्थान स्थापित करना चाहती है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वह इसकी समीक्षा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष के अन्त तक या वर्ष के दौरान किसी भी समय हम एक योजना तैयार कर सकेंगे जिससे जरूरतमंद छात्रों, विशेष रूप से समाज के उपेक्षित वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता मिल सकेगी और साथ ही

शिक्षा के लिए सुविधाओं का सृजन भी होगा।

महोदय, अंत मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने शिक्षा, महिला और बाल विकास, खेल एवं संस्कृति के क्षेत्र में देश के सम्मुख मौजूद समस्याओं पर विचार किया और महोदय मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूँ, उन्होंने अपने भाषणों में जो कुछ भी कहा है मैं उन सबकी सभी बातों का उत्तर नहीं दे सका हूँ कि जैसा कि मैंने पिछले वर्ष किया था माननीय सदस्यों ने सभा में जो भी प्रश्न उठाए हैं मैं उनके बारे में सभी को पत्र भेजने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं इस चर्चा के लिए आपका और सभा का धन्यवाद करता हूँ।...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : मैं मानता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय को कई प्रश्नों का उत्तर देना है और यदि मैं मंत्री महोदय से सभी प्रश्नों के उत्तर देने को कहूँगा तो यह आम चर्चा हो जाएगी। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह अब जितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, दें और शेष प्रश्नों का उत्तर लिखित में दिया जा सकता है।

**श्री अर्जुन सिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा मौलिक सवाल है कि बेटा अनपढ़ रहे और बाप को पढ़ाया जा रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह शिकायत बेटे की है या बाप की?

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं समझता हूँ कि उस बाप को पढ़ाया जाना जरूरी है, जिसका बेटा अनपढ़ है, क्योंकि और बातें भी इससे जुड़ी हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय, इंदिरा महिला योजना की स्थिति के बारे में पूछा गया है।

मैं यह कहना चाहूँगा कि इस योजना को जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज तक पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए क्योंकि अभी सम्बद्ध विभागों के बीच कतिपय मुद्दों को सुलझाया जाना बाकी है। इसके लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं योजना आयोग भी इस प्रक्रिया में हमारी सहायता कर रहा है और मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी ही हम इसे लागू कर पाएँगे।

श्री चौधरीजी ने बच्चों के ऊपर पुस्तकों के भारी बोझ की बात कही थी। वास्तव में यह बात मेरे मन में भी थी। लेकिन मैं कह नहीं पाया। यशपाल समिति की रिपोर्ट सी ए बी ई की 50वीं बैठक में 2.3.1994 को प्राप्त हो गई है। सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने इस पर अपनी आम सहमति व्यक्त की है। अब इसे राज्यों को अपने-अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करने पर विचार करने के लिए भेजा गया है। मैं समझता हूँ कि इस अत्यंत आवश्यक उद्देश्य को पूरा कर लिया जाएगा।

प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोलने की योजना है। जैसाकि मैंने कहा है आठवीं योजना के अन्त तक हम प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना कर पाएँगे। जहाँ तक केन्द्रीय विद्यालयों का संबंध है, इन्हें प्रत्येक जिले में खोलने की जरूरत नहीं है। इन विद्यालयों को खोलने के लिए कुछ दिशानिर्देश दिए गए हैं।

मैंने उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के लिए मार्ग निर्देशों का जिक्र किया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम केवल इंजीनियरिंग, मैनेजमेन्ट तथा इस प्रकार के अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए दिशानिर्देश जारी करेंगे और जहाँ तक चिकित्सा कॉलेजों का संबंध है, दिशानिर्देश स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए जाएँगे।

माननीय सदस्य ने उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के देश से बाहर चले जाने की बात कही है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विभिन्न राज्यों की सरकारें समय-समय पर ध्यान देती रही हैं। लेकिन अन्ततः यह सर्वसम्मति रही है अथवा यह निष्कर्ष निकला है कि ऐसा कोई कानून पारित नहीं कर सकते जिससे उनके प्रवास पर रोक लगाई जा सके क्योंकि यह उनका अधिकार है। वस्तुतः स्वर्गीय राजीव गाँधीजी से यह सवाल करने पर उन्होंने एक बात कही थी लोग इसे भारत से प्रतिभा का पलायन मानते हैं लेकिन स्वर्गीय राजीव गाँधीजी ने जो कहा मैं समझता हूँ कि उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप इसे प्रतिभा पलायन क्यों समझते हैं और इसे प्रतिभा भण्डार क्यों नहीं कहते? यह प्रतिभा का भण्डार

है। जब भी हमें आवश्यकता होगी। हम विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को स्वदेश लौटकर सहायता करने की अपील कर सकते है। हम यही दृष्टिकोण रख सकते हैं। हम इसके लिए कानून नहीं बना सकते।

इसके अतिरिक्त, डी.पी.ई.पी कार्यक्रम भी है। मैं समझता हूँ कि यह मूल कार्यक्रम, मूल परियोजना का एक भाग था। अब हम अचानक इस परियोजना के मानदंड को बदलने के लिए नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ कि यह अच्छी बात है कि कुछ हद तक हम इसके जिम्मेदार हैं। प्रश्न यह है कि आप इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार क्यों नही है? मै समझता हूँ कि मुझे उत्तर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं हैं जिससे हम इसके लिए जिम्मेदार ठहर सकें। यदि हमें उस क्षेत्र में सहायता मिल रही है, जिस क्षेत्र में कभी ध्यान नहीं दिया जाता तब मै समझता हूँ कि हमें इसका स्वागत करना चाहिए।

जहाँ तक निचली कक्षाओं में परीक्षाओं का संबंध है, मैं समझता हूँ कि शिक्षाशास्त्रीयों मत यह है कि हमें कक्षा एक से चार तक के बच्चों पर परीक्षाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए। ऐसी परीक्षाओं में उनका सामान्य जन मूल्यांकन कर लेना चाहिए। लेकिन लिखित परीक्षा के लिए उन्हें मजबूर करना कोई उचित बात नहीं है। यह संयोग से नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, वही हो रहा है।

**श्री अन्ना जोशी** : अब तक हम गलत कर रहे हैं।

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं समझता हूँ कि न तो आपको और न ही मुझे अपने स्कूल जीवन को याद करना चाहिए।

दूसरे, सिंधी विकास बोर्ड गठित किया गया है। वास्तव में, आज बोर्ड की पहली बैठक थी। मैं उसमें शामिल नहीं हो सका। इसलिए, बैठक कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। हमारा आशय इसे अन्ततः स्वायत्त निकाय बनाना है। फिलहाल, बोर्ड का पहली बार गठन हुआ है। मुझे इस बैठक में उपस्थित होने वाले सभी सदस्यों से परामर्श करना है। हमारा खुले तौर पर यह प्रयास है कि सिंधी समुदाय जो कि इस देश की जनसंख्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है उनकी जो भी समस्याएँ हों, इस बोर्ड द्वारा उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी।

**श्री रामनगीना मिश्र** : अध्यक्ष महोदय, भारत में संस्कृत भाषा का लोप हो रहा है।

**श्री अर्जुनसिंह** : लोप नहीं हो रहा है, उद्धार की जरूरत है। संस्कृत में अपने आप में इतनी शक्ति है सामर्थ्य है, वह भारत की भूमि से उपजी है, कोई लोप नहीं हो सकता है, हमें साधन जरूर देने चाहिए क्योंकि उसकी शिक्षा के लिए, उसके प्रसार के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको पत्र लिखकर सूचित करूँगा।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अनुदानों की माँगें सदन में मतदान के लिए रखने से पहले यह कहना चाहूँगा कि इस वर्ष हम केवल दो मंत्रालयों से संबंधित माँगों पर चर्चा कर सकेंगे। लेकिन स्थायी समितियों द्वारा सभी मंत्रालयों की जाँच कर ली गई है और संयोग से स्थाई समितियों द्वारा पेश की गई रिपोर्टों का उन दोनों मंत्रियों ने भी हवाला दिया जिन्होंने इस चर्चा का उत्तर दिया है। अपने उत्तर के दौरान उन्होंने कहा है कि रिपोर्टों में दिए गए सुझाव अच्छे हैं और कई मामलों में, उनके अनुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। हमारा प्रस्ताव है कि सभी समितियों द्वारा दिए गए सभी सुझावों को एक ही पुस्तक में प्रकाशित कर सभी सदस्यों और मंत्रालयों को भेज दिया जाए। चूँकि सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों ने स्थाई समितियों की प्रणाली का समर्थन किया है हम उनसे यह आशा करते है कि वे सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार करें और जहाँ तक संभव हो उन सुझावों को लागू करें। यदि इनमें से कुछ सुझाव है जो कि लागू नहीं किए जा सकते, निश्चित ही उन सुझावों को समिति के ध्यान में लाया जा सकता है। मुझे आशा है कि इससे संसदीय प्रणाली को जैसा हम चाहते है निश्चित ही वैसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है। स्थाई समितियो के सदस्यो, अध्यक्षो तथा सरकार द्वारा दिए गए सहयोग के लिए हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँगों पर कई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा चुके हैं। क्या मैं सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ सभा में मतदान के लिए रखूँ या कोई माननीय सदस्य किसी विशेष कटौती प्रस्ताव को अलग से रखना चाहते है?

अब मै सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

[सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए]

अब मै मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँगें सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है:

कि कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित माँग संख्या 47 से 50 के सामने दिखाए गई माँग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 6 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियाँ भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(लोक सभा कार्रवाई /3 मई 1994 पृष्ठ 303 से 326)

*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति को लेकर डॉ. खुशीराम डुंगरोमल जस्वाणी तथा श्री गुरुदास कामत ने मानव संसाधन विकास मंत्री से 14 जून को ब्यौरा माँगा जिसका उत्तर मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) उपमंत्री कुमारी शैलजा ने दिया। डॉ. खुशीराम डुंगरोमल ने इसी प्रश्न के पूरक प्रश्न भी पूछे जिनका उत्तर मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने दिया। इस दिन प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री शिवराज वी. पाटिल पीठासीन थे।*

**24. डॉ. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी:**

**श्री गुरुदास कामत:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए स्थान, आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता और कार्य संचालन की रूपरेखा जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना व कार्यकरण की योजना की जाँच के लिए आयोग ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की थी। समिति ने फरवरी, 1994 में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 4 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं तथा राज्यों द्वारा दी गई अच्छी बुनियादी सुविधाओं को देखते हुए ये राज्य मुख्यालयों में स्थापित किए जाने चाहिए।
2. निम्नलिखित योजनाओं, संस्वीकृति व तत्सम्बन्धी निधियाँ प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्तावों पर कार्रवाई करने सम्बन्धी कार्य क्षेत्रीय कार्यालयों को हस्तांतरित किया जा सकता है:
   (क) कॉलेजों का विकास (अवर स्नातक/स्नातकोत्तर)
   (ख) कॉलेज विकास परिषद
   (ग) सी.ओ.एस.आई.पी. व सी.ओ.एच.एस.एस.आई.पी.
   (घ) लघु अनुसंधान परियोजनाएँ (कॉलेज)
   (ङ) स्वायत्त कॉलेज (कॉलेज को स्वायतत्ता प्रदान करने का निर्णय मुख्य कार्यालय में लिया जा सकता है)।
   (च) कॉलेजों के लिए सेमिनार, संगोष्ठी
   (छ) क्षेत्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण व मूल्यांकन।
3. संगणकीकृत कार्यकरण व अधिकारी प्रबोधक दृष्टिकोण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश प्रदान किए जाने चाहिए।
4. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में संयुक्त सचिव, शिक्षा अधिकारी, लेखा अधिकारी, कार्यालय सहायक, अपर श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक तथा संयुक्त सचिव के निजी सचिव, चपरासी का एक-एक पद तथा संगणक संचालकों के दो पद होने चाहिए।
5. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को प्रिंटर पी.सी./एक्स.टी. के साथ दो संगणक, दो वातानुकूलन, एक फेरोक्स मशीन, एक फेक्स मशीन, दो टाइपराइटर, तीन टेलीफोन लाइन प्रदान की जानी चाहिए।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के स्थान निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि आयोग के 5 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सम्बन्धित राज्य सरकारों से अपने-अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए भूमि/भवन की माँग की है।

**डॉ. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :** अध्यक्ष महोदय, विभिन्न राज्यों और विश्वविद्यालयों की राज्यों के मुख्यालयों में अपने-अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की यह एक पुरानी माँग थी। उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने ऐसे चार क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में सुझाव दिया था। मुझे प्रसन्नता है कि उसने अन्ततोगत्वा पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में निर्णय किया है। जब से अब चार माह का समय बीत गया है।

मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या गुजरात राज्य में ऐसे एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करने के लिए गुजरात राज्य से कोई माँग की गई है। अन्य राज्यों में खोले जाने वाले शेष क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध

में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी बताया है उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने चार क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है। पूरे मामले की प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद द्वारा जाँच की गई थी। उसने बताया कि कम-से-कम चार ऐसे कार्यालय खोले जाने चाहिए। आवश्यकता को देखते हुए देश के सभी अंचलों—पूर्व, मध्य, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी अंचल में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय किया गया है। अत: इस समय तो मेरे विचार से गुजरात में कोई अलग क्षेत्रीय कार्यालय नहीं स्थापित किया जा सकता। महाराष्ट्र के पुणे स्थित कार्यालय से जहाँ यह स्थापित किया जा रहा है, गुजरात और गोवा लाभान्वित हो सकेंगे।

**डॉ. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : महोदय, गैर-योजना सहायता का निर्धारण करने के लिए घाटे को पूरा करने की पद्धति राज्य विश्वविद्यालयों की संस्थाओं द्वारा आन्तरिक संसाधनों को जुटाने संबंधी इसकी जटिलताओं के कारण कठिन सिद्ध हो रही है। क्या सरकार की उच्च शिक्षा के लिए संस्थाओं को विकास और रखरखाव अनुदान देने की कोई योजना है?

इन संस्थाओं द्वारा इस तरह से आंतरिक संसाधन जुटाने के लिए क्या योजनाएँ सुझाई गई हैं?

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, इस वर्ष के बजट में इस मामले पर विचार किया गया है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य उस समय उपस्थित थे जब सभा में इस पर विचार से चर्चा की गई थी। संस्थाओं द्वारा संसाधन जुटाने संबंधी योजना की मुख्य बातें ये हैं कि उन्हें परामर्श और अन्य तरीकों जैसे विदेशी विद्यार्थियों से श्रेणीकृत शुल्क लेने जैसे तरीकों से अपनी आय बढ़ानी चाहिए।

जहाँ तक विभाग अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध संसाधनों का संबंध है, मेरे विचार से इस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के धनराशि प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम में धनराशि बढ़ाई गई है। लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इसमें अधिक वृद्धि नहीं होगी। मुझे भरोसा है कि नौवीं योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दी जाने वाली धनराशि में काफी वृद्धि होगी। तब इन आवश्यकताओं को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : सभी प्रोफेसर महोदय प्रश्न पूछें। प्रो. अंसारी।

**डा. मुमताज अंसारी** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पाँच क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएँगे। इन क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिए क्या मानदंड होंगे? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या साक्षरता के संबंध में पिछड़ेपन को ध्यान में रखा जाएगा और क्या उड़ीसा और बिहार जैसे अधिकतर पिछड़े राज्यों को ऐसे क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के संबंध में वरीयता दी जाएगी अथवा नहीं?

**श्री अर्जुन सिंह** : इन क्षेत्रीय कार्यालयों को कई बातों के आधार पर स्थापित किया जाएगा, क्योंकि यह न्यूनाधिक रूप से कृत्यात्मक स्वरूप के हैं, क्योंकि दिल्ली स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन किया जाता है। अब इन को इन कार्यालयों के जिम्मे कर दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि जिन राज्यों में ये कार्यालय स्थापित किए जाएँगे, उन्हें कोई विशेष फायदे होंगे। इन्हें तो राज्य में उपलब्ध सुविधाओं की दृष्टि से स्थापित किया जा रहा है। यही मानदंड होंगे जिसके आधार पर इन पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों की अवस्थिति के बारे में निर्णय किया जाएगा।

**डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : मैंने मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सीमा पर एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के संबंध में एक समझौते के बारे में पहले एक पत्र लिखा है। मैंने उन स्थानों का उल्लेख किया था कि जहाँ पर इनकी स्थापना के लिए स्थान उपलब्ध है। इस माँग पर विचार करने के लिए सरकार

और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, माननीय सदस्य जिस बात को उचित समझते हैं, उसका सुझाव देना उनके अधिकार-क्षेत्र में आता है। लेकिन आप भी इस बात से सहमत होंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इन मामलों पर निर्णय करते समय बहुत-सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। मेरे विचार से हमें यह बात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन के विवेक पर छोड़ देनी चाहिए। यही सुझाव उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने दिया है। किसी स्थान का सुझाव नही दिया है। उसने यही कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्णय करना चाहिए और स्वाभाविक रूप से शीघ्र ही एक निर्णय लिया जाएगा।

**श्रीमती गिरिजा देवी** : अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा की दुरुह-स्थिति को देखते हुए और दिल्ली की दूरी सारे प्रान्तों से देखते हुए यू.जी.सी. के रीजनल ऑफिसेज अधिक मात्रा में खोलने की आपसे गुजारिश की गई थी। आपने चार की बजाय पाँच जगहों पर उन्हें खोलने का काम किया। इसके लिए धन्यवाद, लेकिन उस धरती की उपेक्षा हमेशा की जाती है, जहाँ से बाणभट्ट, न्यायविशेषज्ञ पाणिनी जैसे लोग निकले हैं। आज वह क्षेत्र शिक्षा के निचले पायदान पर चला गया है। उन कारणों की वजह से जैसा कि एक महोदय ने कहा कि उड़ीसा, बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर रीजनल ऑफिस बनें। आप इनकी स्वीकृति न देकर, उपेक्षा का रवैया अपना रहे हैं। इसका मैं उत्तर जानना चाहती हूँ।

**श्री अर्जुन सिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह तो हमारा गौरव है कि भारत का कोई भी ऐसा भाग नहीं है, केवल वहाँ नहीं जिस का जिक्र आप कर रही हैं, इस देश का प्रत्येक भाग ऐसा है जहाँ कहीं-न-कहीं महान साहित्यकार, कलाकार हैं और जो हमारे लिए एक गरिमा और आदर्श के पात्र हैं। इसलिए उस आधार पर यू.जी.सी. का लोकेशन करना सम्भव नहीं होता है। जहाँ तक सवाल उस क्षेत्र में शिक्षा के बारे में है, मैं आदरणीया सदस्या से पूरी तरह से सहमत हूँ कि विशेष प्रयास वहाँ करने चाहिए। उसमें जो मदद लेना चाहें, उसको अगर आप और आपकी सरकार कहे तो हम उसे जरूर देने को तैयार हैं।

**प्रो. रासा सिंह रावत** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पांच क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करने का निर्णय यू.जी.सी. के कार्य विस्तार और विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए और उसे आर्थिक या वित्तीय दृष्टि से सफलता प्रदान करने के लिये कोई उपाय कर रही है? इनके द्वारा लिए गए जो भी निर्णय हैं, पाठयक्रम हैं, उनकी अनिवार्यता क्रियान्वयन राज्यों के संबंधित महाविद्यालयों में किया जाए, इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

**श्री अर्जुन सिंह** : अध्यक्ष महोदय, यू.जी.सी. ने विगत कुछ दो तीन वर्ष में कई ऐसे मौलिक निर्णय लिए हैं, जिनसे शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में जो कुछ भी ऐसे सुझाव आएँगे, जिनसे यू.जी.सी. के कार्यक्षेत्र में, उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके, वह किसी भी यूनिवर्सिटी से आएँगे तो निश्चित रूप से उन पर विचार जरूर किया जाएगा।

(लोकसभा कार्रवाई/ 14 जून 1994, पृष्ठ 18 से 22 तथा 29 से 30)

*26 जुलाई को मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने सांसदों के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए।*

## जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम

**32. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**

**श्री डी.वेंकटेश्वर राव:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "यूनेस्को" तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियाँ जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने में सरकार की सहायता कर रही हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत, चालू वर्ष के दौरान, राज्यवार, किन-किन जिलों को शामिल करने का विचार है ;

(ग) क्या यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त राज्य में जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) और (ख) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्तपोषित अभिकरणों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, यूरोपियन समुदाय और ब्रिटेन की समुद्रपारीय विकास अभिकरण ने जनपदीय प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में धन लगाने में दिलचस्पी व्यक्त की है। यूरोपीय समुदाय पहले ही कार्यक्रम के लिए, यूरोपीय संयुक्त संघ की तरफ से 150 मिलियन (लगभग 585.00 करोड़ रुपए) की सहायता देने का वायदा कर चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 260 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता के लिए वार्ता अन्तिम दौर में है।

चालू वर्ष के दौरान सात राज्यों में 42 जनपदों में उस कार्यक्रम को लागू करने का प्रस्ताव है। ये जिले हैं:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | असम | (1) दारांग (2) धुवरी (3) कारबी-आनंगलोंग (धमोरी गाँव) |
| 2. | हरियाणा | (1) हिसार (2) जींद (3) कैथल (4) सिरसा |
| 3. | कर्नाटक | (1) बेलगाँव (2) कोलार (3) माण्ड्या (4) रायचूर |
| 4. | केरल | (1) कासरगोड (2) बेनाड (3) मालापुरम |
| 5. | महाराष्ट्र | (1) औरंगाबाद (2) लातूर (3) नांदेड़ (4) उस्मानाबाद (5) परभनी। |
| 6. | मध्यप्रदेश | (1) रायसेन (2) मंदसौर (3) सतना (4) रतलाम (5) टीकमगढ़ (6) गुना (7) पन्ना (8) राजगढ़ (9) धार (10) राजनांदगाँव (11) रीवा (12) बैतूल (13) सीहोर (14) छतरपुर (15) सीधी (16) शहडोल (17) रायगढ़ (18) सरगुजा (19) बिलासपुर। |
| 7. | तमिलनाडु | (1) धरमपुरी (2) साउथ आरकाट (3) तिरूवन्नामलाई और (4) साम्बूवारया। |

(ग) और (घ) इसकी व्याप्ति एवं विस्तार बाहरी संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ओ डी ए ने आंध्र प्रदेश के 3 से 5 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जैसी एक परियोजना चलाने के लिए धन लगाने में रुचि दर्शाई है।

## खेलकूद परियोजना विकास क्षेत्र संबंधी केन्द्र

**40. श्री मोहन रावले** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण के अन्तर्गत खेलकूद परियोजना विकास क्षेत्र संबंधी योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अभी तक स्वीकृत किए गए तथा खोले गए केन्द्रों की संख्या कितनी है और ये केन्द्र कहाँ-कहाँ हैं;

(ग) इस योजना से ग्रामीण बच्चों को खेलकूद कि कितनी मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या 1994-95 में ऐसे कुछ और केन्द्र खोले जाएँगे; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)**: (क) खेलकूद परियोजना विकास क्षेत्र (एस पी डी ए) योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(एक) खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकार के बीच अधिक सहयोग को सुनिश्चित करना।

(दो) स्थानीय और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को (राष्ट्रीय स्तर के समान) अवसर प्रदान करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी प्रतिभा छोटी अवस्था में ही छुपी और उपेक्षित न रह जाए।

(तीन) विद्यमान अथवा भविष्य में सृजित की जाने वाली खेलकूद सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ उठाना।

देखा गया है कि बहुत से मामलों में विद्यमान सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(चार) खेलकूद परियोजना विकास क्षेत्र केन्द्र खोलने हेतु पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर खेलकूद के विकास में विद्यमान क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करना।

(पाँच) लाभ को सीधे निचले स्तर तक पहुँचाना।

(छह) केन्द्र और राज्य सरकारों की खेलकूद के विकास संबंधी योजनाओं में अधिक एकीकरण। इनको आपस में प्रतिस्पर्धा करने की अपेक्षा साथ-साथ अथवा एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करना चाहिए। निचले स्तर पर कार्य के दोहराव से भी बचा जाना चाहिए।

(सात) राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सहायता के समान वितरण को सुनिश्चित करना।

(ख) 43 खेलकूद परियोजना विकास क्षेत्र (एस पी डी ए) केन्द्र मंजूर किए गए हैं जिसमें से 34 केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

*श्री अर्जुन सिंह मंत्रालय व सरकार के कामकाज में पारदर्शिता के समर्थक थे। उनकी यह भावना जहाँ एक ओर उनके द्वारा बनाई गई नीतियों में देखने को मिलती हैं वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा माननीय सदस्यों को दिए गए उत्तरों में यही भावना परिलक्षित होती है। मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में श्री अर्जुन सिंह का सदैव यह प्रयास रहा कि पारदर्शिता के जरिए मंत्रालय को जनता के प्रति अधिक से अधिक लोकोन्मुख बनाया जाए।*

## व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश

*233. **श्री अटल विहारी वाजपेयी :**

**डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न राज्यों में निजी प्रबंधन वाले व्यावसायिक कालेजों में पचास प्रतिशत स्थानों पर 'निःशुल्क' कोटा

के अंतर्गत और शेष पचास प्रतिशत स्थानों पर 'भुगतान' के आधार पर छात्रों के प्रवेश देने के बारे में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 फरवरी, 1993 के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए मार्ग-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे मार्ग-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) इस विषय पर कुछ राज्य सरकारों द्वारा दायर की गई याचिकाओं, जो अन्य न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में लंबित है, का ब्यौरा क्या है और इन याचिकाओं में कौन-कौन से मुद्दे उठाए गए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) और (ख) गैर-सरकारी व्यावसायिक गैर-सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं मे दाखिलों और शिक्षा शुल्कों को विनियमित करने के लिए 4-2-1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में 26-5-1994 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विनियम जारी किए गए हैं। इन विनियमों के मुताबिक, 50 प्रतिशत स्थान नि:शुल्क स्थान होंगे और शेष 50% स्थान भुगतान वाले स्थान होंगे। दाखिले पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किए जाएँगे। किसी व्यावसायिक कॉलेज द्वारा लिए जाने वाले शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्कों का निर्धारण राज्य स्तरीय समितियों द्वारा किया जाएगा।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम सोच-विचार की प्रोन्नत अवस्था में हैं तथा शीघ्र जारी कर दिए जाएँगे। गैर-सरकारी व्यावसायिक मेडिकल कालेजों में दाखिलों और शुल्कों को विनियमित करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श करके स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सक्रिय तौर से विचार किया जा रहा है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में ऐसे कोई मामले लम्बित नहीं हैं।

## शैक्षिक सर्वेक्षण

*234. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
**श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न चरणों में स्कूल सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन करने के लिए नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर की सुविधाओं का उपयोग एक प्रमुख शैक्षिक सर्वेक्षण के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे शैक्षिक सर्वेक्षण से क्या-क्या लाभ होने की संभावना है; और

(घ) सर्वेक्षण के बाद प्रस्तावित अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (घ) छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (ए.आई.ई.एस.) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों का एक संयुक्त प्रयास है। जिला और राज्य मुख्यालयों में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की संगणक प्रणालियाँ सेटेलाईट-आधारित संचार नेटवर्क जिसे एन.आई.सी.एन.ई.टी. कहा जाता है, से जुड़ी हैं। आँकड़ों के प्रभावी संसाधन एवं सारणीयन तथा सूचना के प्रसार के लिए छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की संगणक और एन.आई.सी.एन.ई.टी. सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न स्कूली स्तरों पर शैक्षिक सुविधाओं की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने और समय पर सर्वेक्षण रिपोर्ट को प्रकाशित करने के अलावा छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण का उद्देश्य जिला और राज्य मुख्यालयों में स्कूली शिक्षा के आँकड़ों का आधार तैयार

करना है ताकि केन्द्रीय और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा सूक्ष्म (माइक्रो) और वृहत (मैक्रो) स्तरों पर स्कूली शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में परिमाणात्मक और गुणात्मक सुधार की योजना तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य वार्षिक आँकड़ों को अद्यतन बनाने की प्रक्रिया को सुलभ बनाया जा सके।

(लोकसभा कार्रवाई/ 9 अगस्त 1994, पृष्ठ 29 से 31 तथा 36)

*लोक सभा मे 16 अगस्त को बहुचर्चित यशपाल समिति की रपट पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्री अर्जुन सिंह ने दिया और बताया कि इस समिति के गठन का उद्देश्य शालेय छात्रों के बस्तों का बोझ कम करने के सम्बन्ध में सुझाव देना था।*

*श्री अर्जुनसिंह देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु समय-समय पर शिक्षा शास्त्रियों एवं विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर उनके सुझावों को क्रियान्वित करते थे।*

**312. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स:**

**श्री मोहन रावले:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यशपाल समिति की रिपोर्ट पर राज्यों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की थीं;

(ख) यदि हाँ, तो कौन-कौन से राज्य उक्त समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सहमत हैं; और

(ग) बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने हेतु कौन-कौन से कदम उठाने का विचार किया गया है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (ग) स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने से संबंधित राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट को भेजते समय राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. यशपाल ने इस पर व्यापक स्तर पर चर्चा कराने की सलाह दी है। 15-10-93 को आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 49वीं बैठक में इस सलाह का समर्थन किया गया। दिसंबर, 1993 में, यशपाल समिति की रिपोर्ट तथा समिति की सिफारिशों की संभाव्यता का पता लगाने के लिए मंत्रालय में गठित समूह की रिपोर्ट की प्रतियाँ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को इस आग्रह के साथ भेजी गई कि वे इन रिपोर्टों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों, अभिभावकों तथा शिक्षकों की कार्यशालाएँ आयोजित करें तथा अपने विचार भेजें।

2. 2-3-1994 को आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 50वीं बैठक में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने समूह के सुझावों के साथ पठित समिति की सिफारिशों पर मोटे तौर पर अपनी सहमति व्यक्त की

3. यशपाल समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि चिंता का वास्तविक कारण स्कूली बस्ते का भौतिक बोझ नहीं है बल्कि न समझ पाने का बोझ ही चिंता का कारण है। स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जो प्रमुख सुझाव दिए गए हैं, वे इस प्रकार हैं:—

(I) राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर पर पाठ्यचर्या तैयार करने तथा पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी में शिक्षकों की अधिक भागीदारी।

(II) पूर्व-स्कूल के लिए मानदंड निर्धारित करने हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के स्कूली शिक्षा अधिनियमों या नियमावलियों में संशोधन।

(III) पूर्व-स्कूल में दाखिला के लिए परीक्षण/साक्षात्कार को बंद करना तथा पूर्व-स्कूल स्तर पर पाठ्य-पुस्तकों और गृह कार्य को समाप्त करना।

(IV) प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य और परियोजना कार्य बंद करना।

(V) श्रव्य-दृश्य सामग्री का व्यापक प्रयोग तथा शिक्षक-छात्र के 1:40 के अनुपात को लागू करना।

(लोक सभा कार्रवाई/ 16 अगस्त 1994, पृष्ठ 48-49)

*17 अगस्त को लोक सभा में मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्री अर्जुन सिंह ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्वर्गीय राजीव गाँधी के नाम पर तीन पीठों के सृजन संबंधी वक्तव्य दिया। इसमें उत्कृष्ट छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने का उल्लेख है।*

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : महोदय, हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी की स्मृति में विश्वविद्यालय पीठों के सृजन के लिए मैं सदन में एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। सरकार ने उन क्षेत्रों में, जिनमें उनकी गहरी रुचि थी, उत्कृष्टता छात्रवृत्ति के समर्थन में निम्नलिखित पीठों का सृजन करने का निर्णय किया है।

(1) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में "शान्ति और निरस्त्रीकरण संबंधी अध्ययन के लिए राजीव गाँधी पीठ";

(2) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में धर्म संबंधी तुलनात्मक अध्ययन के लिए राजीव गाँधी पीठ;

(3) उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय में संरक्षणात्मक विभेदीकरण संबंधी अध्ययन के लिए राजीव गाँधी पीठ।

तीनों में प्रत्येक पीठ के लिए 8000/- रुपये के साथ-साथ सामान्य भत्ता देय होगा। इस प्रकार, पीठासीन व्यक्ति का स्थान देश में अधिकतम भुगतान पाने वाले प्रोफेसरों में होगा तथा वह राष्ट्रीय प्रोफेसर के समकक्ष होगा।

प्रत्येक पीठ पर नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी तथा यह नियुक्ति संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियमों, विधानों और अध्यादेशों के प्रासंगिक खण्डों के अंतर्गत की जाएगी।

सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से प्रत्येक पीठ के लिए 45 लाख रुपये के विशेष एक-कालिक अक्षय निधि अनुदान के रूप में इस योजना के लिए निधियाँ उपलब्ध कराई जाएँगी। इस राशि के ब्याज से, संबंधित विश्वविद्यालय पीठ पर होने वाला सारा व्यय पूरा करेगा।

पीठों की अनुश्रवण समिति गठित की जाएगी, जिसमें इसके अध्यक्ष के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, मेजबान विश्वविद्यालय के कुलपति, राजीव गाँधी प्रतिष्ठान के एक प्रतिनिधि और इसके सदस्यों के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा तैयार किए गए नामों के एक पेनल में से सरकार द्वारा नामजद तीन विख्यात विशेषज्ञ शामिल होंगे।

महोदय, हमें पूर्ण विश्वास है कि इन पीठों के संस्थापन से अध्ययन के चयनित क्षेत्रों में शैक्षिक कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा तथा इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीति निर्धारण का आधार बनेंगे। यह श्री राजीव गाँधी की स्मृति में उपयुक्त चिरस्थाई श्रद्धांजलि होगी, जो अंतिम क्षण तक इन बातों के लिए निरन्तर संघर्ष करते रहे।

(लोक सभा कार्रवाई /17 अगस्त 1994, पृष्ठ 268-269)

*20 दिसम्बर को मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्री अर्जुन सिंह ने लोकसभा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में संसाधनों की कमी से संबंधित प्रश्न का लिखित उत्तर दिया।*

*183. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में संसाधनों की कितनी कमी है;

(ख) उन्हें गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) इन संस्थानों में निष्पादित अनुसंधान-कार्य का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ये निष्पादित अनुसंधान कार्य धनराशि के अधिक आवंटन के उनके दावे को उचित ठहराते है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) और (ख) योजनागत नियतन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को उनके अवस्थापना संबंधी विकास, अप्रचलन को दूर करने और प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण करने संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं ताकि सक्षम जनशक्ति तैयार की जा सके और उच्च कोटि का अनुसंधान किया जा सके। योजनेतर संघटक में कार्यकलापों का अनुरक्षण शामिल होता है और उसे प्रत्येक वर्ष सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है। एकमुश्त अनुदानों और सामूहिक निधि के सृजन संबंधी पद्धति के साथ वर्ष 1993-94 से आरंभ की गई संशोधित वित्त पोषण प्रणाली से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विकासात्मक प्रयोजनों हेतु प्रयोग में लाए जाने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाकर और अधिक आत्म-निर्भर बनाने में सक्षम हुए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए वित्तीय नियमन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अनुसंधान संबंधी परिणाम का श्रेय मुख्यतया संकाय द्वारा प्रकाशनों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों, पेटेंटों, पुस्तकों और साथ ही बड़ी संख्या में परामर्शी परियोजनाओं, प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी अन्तरण और इंजीनियरी, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के नए और उभरते हुए क्षेत्र में जनशक्ति के विकास को जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अनुसंधान कार्यकलाप साधारणतया उनके लिए किए गए नियमनों के अनुरूप रहे हैं।

(लोकसभा कार्रवाई /20 दिसम्बर 1994, पृष्ठ 23)

सरकार अपनी ही साख पर चलती है। आप हर व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकते। हर एक को नहीं सुधार सकते। आप हर चीज को ठीक नहीं कर सकते। यह सभी जानते हैं। लेकिन भावना या मत यह है कि आपको उस सभी गलत कार्यों की जानकारी है। मान्यता यह है कि आप उसी चीज को ठीक करते हैं जो खराब हो गई है या खराब हो रही है। जब मान्यता और विश्वास समाप्त हो जाता है तो बड़े-बड़े लोकतंत्र गिर जाते हैं। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है। मैं देख रहा हूँ कि इस देश में भी धीरे-धीरे यही हो रहा है।

— अर्जुन सिंह

*21 अगस्त, 1995*



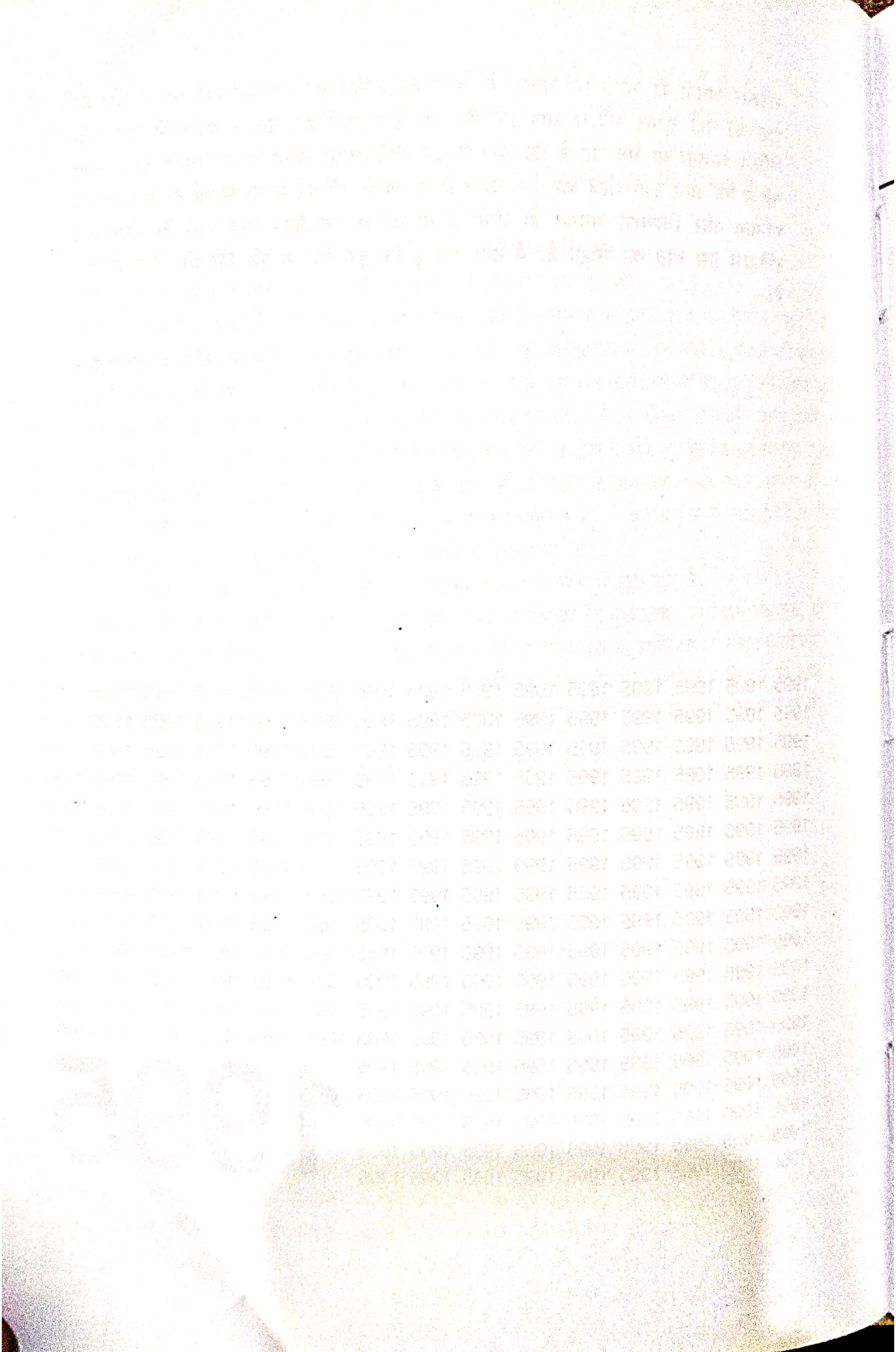

# 1995

*कश्मीर में चरार-ए-शरीफ दरगाह जला दिए जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर लोकसभा में 15 मई को स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस समय अध्यक्ष माननीय श्री शिवराज वी. पाटिल पीठासीन थे। स्थगन प्रस्ताव पर श्री मणिशंकर अय्यर और श्री सोमनाथ चटर्जी ने रोष व्यक्त किया।*

*उल्लेखनीय है कि 11 मई, 95 को कश्मीर में चरार-ए-शरीफ नामक पवित्र दरगाह जला दी गई थी। एक अफगान नागरिक मस्तगुल ने अपने कुछ भाड़े के सैनिकों के साथ तीर्थयात्री के रूप में दरगाह में प्रवेश किया था। वह अपने साथ विस्फोट की सामग्री भी दरगाह में ले गया था। इस विस्फोट के जरिए उसने यह दुष्कृत्य किया।*

*विपक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव असाधारण परिस्थितियों में लाया गया था। उस समय बजट पर चर्चा चल रही थी। वर्षों बाद रक्षा मंत्रालय की अनुदान माँगों पर सदन में बहस छिड़ी थी। विपक्ष के नेता श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने इस विषय को लेकर सरकार पर कई प्रश्न दागे।*

*श्री अर्जुनसिंह ने चरार-ए-शरीफ में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने इस संकट पर व्यापकता से विचार करने के बाद रणनीति बनाने की बात कही। चरार-ए-शरीफ की घटना की स्थिति पर विचार के लिए लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर श्री अर्जुन सिंह ने विनम्रता से अपना आक्रोश और अपने तर्क प्रस्तुत किए।*

**श्री शरद यादव :** अध्यक्षजी मेरा निवेदन है कि चरार-ए-शरीफ का ध्वंस इनके निक्कमेपन के कारण हुआ है और वह भी हजरत बल के किस्से के बाद। अब मस्त गुल किसी दूसरे चरार-ए-शरीफ में चला जाएगा, उसमें घुस जाएगा और फिर 15 दिन बाद चले आओगे कि वह जल गया। ऐसी बात मत करके आना। अब आगे नहीं जलें, जितनी दरगाह हैं, लोगों के श्रद्धा के केंद्र हैं, वहाँ चारों तरफ से मिलिट्री लगा दो और सब तरफ डंडा ठोक मिलिट्री लगा दो। खाना-तलाशी करो, इसमें कुछ बिगड़ता नहीं है। जब आप काशी में मैटल डिटैक्टर लगा सकते हैं तो फिर यहाँ करने में क्या दिक्कत है?

अध्यक्षजी, आप कश्मीर में चुनाव कराना चाहते हैं लेकिन चरार-ए-शरीफ के चलते पूरी की पूरी वैली में लोगों ने सड़कों पर स्पान्टेनियसली विरोध क्यों किया? इन लोगों पर आपको विश्वास है लेकिन हम लोगों पर नहीं। हमें अपना विश्वास अर्जित करना है और इस विश्वास को कायम करने के लिए एक सजेशन देता हूँ कि देश, के मेडिकल कॉलेजों और इंजीनियरिंग कॉलेजों में बड़े पैमाने पर कश्मीरी नौजवानों का भर्ती का कोटा बाँध दीजिए। यदि वे नौजवान यहाँ आएंगे तो उनकी बात को वहाँ कहने का अवसर मिलेगा और यदि देश को इंटिग्रेट करना है, देश को समरस करना है तो यहाँ की हकीकत वहाँ पर और वहाँ की हकीकत यहाँ बताना जरूरी चीज है।

कश्मीर में आप चुनाव कराना चाहते हैं वह ठीक है। आप चुनाव कराएँगे तो हमने कहा कि चुनाव में ये सब

बातें हो सकती हैं और ये खतरे है। आज देश की सरकार आपके हाथ में है। आप चाहें तो डुबाएँ या चलाएँ, लेकिन हमने जो कहना था कह दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि ये दोनों मामले हमारे प्रधान मंत्रीजी के हाथ में थे, पायलट साहब के हाथ में चार्ज नहीं था। आप पहली बार कश्मीर के मामले में सक्रिय हुए हैं।

चरार-ए-शरीफ जला और तब कहीं आपने आतंकवादियों को बाहर निकाला है। चव्हाण साहब पहली बार वहाँ गए। प्रधान मंत्री भी इस मामले को देख रहे थे। अब उनको राष्ट्र पर कृपा करनी चाहिए। उन्होंने चार-पाँच साल बेहतरीन तरीके से मुल्क चलाया है। अब इस मुल्क को दूसरे को चलाने के लिए दे दें तो क्या दिक्कत हो जाएगी? आने वाले कल का आदमी दहशत में रहेगा कि कोई चरार-ए-शरीफ न जल जाए, नहीं तो हमें खिसकना पड़ेगा। ऐसी घटनाओं पर जब तक आदमी कुर्सी से नहीं खिसकेगा, नहीं हटेगा, या तो ही मन से हट जाए या फिर हिन्दुस्तान की जनता कभी ताकतवर हो तो वह हटाएगी। मेरा आपसे कहने का तात्पर्य यह है कि कश्मीर में चुनाव का रास्ता निकल सकता है लेकिन सरकार पूरी तरह से सबका सहयोग लेकर सबको विश्वास में लेकर वहाँ की जनता के बीच घुसने का काम करे तो इसका रास्ता निकलेगा। चरार-ए-शरीफ के मामले पर आपकी सजा एक ही है कि आप जाएँ और भले ही अपने बीच में से किसी दूसरे को लेकर आएँ। लेकिन वह दूसरा भी आए तो चरार-ए-शरीफ फिर कभी न जल पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

**श्री अर्जुन सिंह (सतना)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने का अवसर देने के लिए मैं आप का आभारी हूँ।....(व्यवधान)

**अनेक माननीय सदस्य** : आप हिन्दी में बोलिए। (व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** : यह आखिरी अवसर नहीं है।

महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूँ कि आपने कुछ शब्द बोलने की मुझे अनुमति दी है। बहुत विवादग्रस्त मामले की किसी दूसरे विवादग्रस्त मामले से या किसी समस्या का दूसरी समस्या से तुलना करने का मेरा इरादा नहीं है। क्योंकि मेरा ऐसा करना अर्थहीन कोशिश है। इस दुर्भाग्यशाली घटना के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है यह इस तरह के प्रयासों से भी बहुत ज्यादा गंभीर है। मैं इस माननीय सभा को यह याद नहीं दिलाना चाहता कि कश्मीर एक ऐसा स्थान रहा है जहाँ पर सभी तरह की अवधारणाएँ साम्प्रदायिक सौहार्द्र, मानसिक शांति और एक दृष्टिकोण, उभरे विकसित हुए जिनका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस देश के महान नेताओं और जनता ने अनुसरण किया, यह वही भूमि है जहाँ भारत विभाजन की दुःखद घटना की अंतिम परीक्षा की साक्षी रही।

इसलिए मेरे विनम्र दृष्टिकोण से, यह केवल प्रशासनिक ढाँचे अथवा राजनीतिक मान्यताओं की असफलता का प्रश्न नहीं है हमें इस मामले को इस परिप्रेक्ष्य में देखना है कि भारत क्या बनना चाहता है, कहाँ हम आए हैं, कहाँ हमें जाना है, यदि हम इस विस्तृत परिप्रेक्ष्य में इसे नहीं देखते तो हम निश्चय ही भावावेश में दुर्भावना के शिकार हो सकते हैं और एक-दूसरे पर आक्षेप लगाने का प्रयास कर सकते हैं। मैं उस समय बहुत दुःखी हुआ जब सभा में कुछ वरिष्ठ लोगों ने एक निश्चित स्तर पर चर्चा को लाने के लिए आपके हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। यह आवश्यकता नहीं उठनी चाहिए थी। जम्मू और कश्मीर में हम किस स्थिति का सामना कर रहे हैं? इससे मात्र किसी धार्मिक स्थल के प्रति आस्था ही किरच- किरच होकर नहीं बिखरी है अपितु मैं तो आक्रोश और विनम्रता के साथ यही कहूँगा कि हम न केवल कश्मीर में अपितु समूचे देश में हमारे विश्वास, प्रतिबद्धता और गणतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति आस्था के बिखरने के संकट का सामना कर रहे हैं।

यदि आस्था खंडित हो रही है, तो हम देश के किसी भी भाग में इसे कृत्रिम रूप से नहीं जोड़ सकते, दृढ़ता

नहीं दे सकते यही सब कुछ हुआ है। जिस नैतिक ताने-बाने से हम खड़े रह सकते हैं और भयंकर से भयंकर संकट का सामना कर सकते हैं जैसा कि हमने विगत में किया विश्वास के प्रति जो साहस हमें जटिल परिस्थितियों, विवादास्पद मामलों का समाधान करने के लिए पहल करने की क्षमता पैदा करने वाले चिंतन का आज अभाव है और जब हम से इनका अभाव दूर नहीं होता तो चाहे यह अयोध्या हो या चराए-शरीफ या कल फिर कोई स्थान हो सकता है जैसा कि मेरे मित्र श्री यादव ने कहा कि हम उन पवित्र पूजा स्थलों की दुखद तबाही की केवल गणना भर करते रहेंगे जिनमें देश के सभी धर्मों के आम लोगों की आस्था और विश्वास है।

मै जानता हूँ कि कुछ लोग यही कहेंगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसका आज सभा में हो रही चर्चा के साथ कोई संबंध नहीं है और मैं भी यही कहूँगा क्योंकि यह एकदम स्पष्ट है कि जवाबदेही जो किसी भी प्रजातांत्रिक संस्था में मुख्य होती है, वह आज बहुत कलंकित स्थिति में आ गई है। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। आपकी अनुमति से मै यही बताना चाहता हूँ कि आज जो कुछ कश्मीर में दाँव पर लगा है हमने उसकी सम्पूर्णता में उस पर विचार करने का प्रयास नहीं किया है। जो चूँकि कुछ हो रहा है अथवा क्योंकि कुछ हम पर थोपा गया है इसलिए जो कभी कभार पहल की गई है उनसे कोई कश्मीर नीति नहीं बन जाती। मैं इस सभा को उस अत्यंत उलझनभरी स्थिति के बारे में बताना चाहूँगा जिसका कुछ समय पूर्व मुझे जम्मू में सामना करना पड़ा था।

जब सर्वदलीय शिष्ट मंडल मुझसे मिला और उन विषय पर जो मेरे प्रभार के अंतर्गत थे, के बाद, स्वाभाविक रूप से उन्होंने मुझे पूछा कि "कश्मीर के संबंध में भारत सरकार की क्या नीति है?" यह बात रिकार्ड में हैं क्योंकि उस समय भी यह बात समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थीं मैंने कहा कि अभी मैं पूरी निष्ठा के साथ इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। वहाँ से वापस आने के बाद हमने इस बात का प्रयास किया कि सरकार की कैबिनेट व्यवस्था, जो रणनीति बनाती है, और निर्णय लेती है, कश्मीर की समस्या पर एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए और हम सभी को कश्मीर नीति बनाने में हम सभी को सम्मिलित किया जाना चाहिए। मैं कैबिनेट की गोपनीय बातें नहीं बात रहा हूँ क्योंकि किसी बात पर चर्चा नहीं की गई थी कम से कम मेरी जानकारी में। केबिनेट में कभी भी कश्मीर पर व्यापक रूप से कोई चर्चा नहीं हुई है और जब तक मैं मंत्रिमंडल का सदस्य रहा तब तक ऐसी चर्चाओं से कोई नीतिगत ढाँचा नहीं बन पाया।

महोदय, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसके विरुद्ध शिकायत कर सकता हूँ? और जिस स्थिति का आज हम सामना कर रहे हैं, उसका मूल शिकायत करने में नहीं है। हम इतनी बड़ी समस्या का टुकड़ों में समाधान नहीं निकाल सकते।

महोदय, हमारे देश के एक महान योद्धा इस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। वह अत्यधिक सम्माननीय और सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं और मेरा विश्वास है कि मातृभूमि के प्रति उनकी सेवाएँ किसी से कम नहीं हैं। लेकिन वह नागरिक प्रशासन का नेतृत्व कर रहे हैं और वह नागरिक प्रशासन अगर पूरी तरह से नहीं तो कुछ सीमा तक, राज्य में सैनिक अभियानों पर नियंत्रण रखे हुए हैं या कम से कम उन्हें दिशा-निर्देश दे रहे हैं। या धारणा बनाएँ बगैर कि कोई व्यक्ति ठीक है या गलत, कुछ जो मनोवैज्ञानिक कारण उत्पन्न हो गए हैं, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संबंध में हमारे बड़े निश्चित मापदंड हैं। मैं सेना के किसी पूर्व जनरल अथवा अधिकारी के विरुद्ध नही हूँ। वह सब ठीक है। लेकिन ऐसे गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में, जहाँ प्रतिदिन निर्णयों का इतना महत्व होता है, किसी पूर्व जनरल और कार्यकारी जनरल के बीच संबंधों की संवेदनशीलता से समस्याएँ उत्पन्न हो गई है और उस पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं इन पर अथवा उन पर, किसी पर भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ।

महोदय, दूसरी बात यह है कि वहाँ सामान्य स्थिति कैसे बहाल की जाए ताकि हम वहाँ चुनाव करवा सकें।

यहाँ इस महान सभा में बैठा हुआ प्रत्येक सदस्य इस सभा में जनमत के माध्यम से ही आया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हममें से प्रत्येक न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति कृतज्ञ हैं बल्कि इसके अंतिम सोपान भी हैं। यहाँ कोई भी यह बात किस प्रकार कह सकता है कि जम्मू और कश्मीर में कोई लोकतांत्रिक विकल्प नहीं होना चाहिए? लेकिन प्रश्न अति सरल है। महोदय, लोकतांत्रिक विकल्प का प्रयोग दो महत्वपूर्ण स्थितियों के अंतर्गत किया जाता है। पहली, वहाँ शांति और अमन-चैन होना चाहिए। दूसरी, किसी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अगर सरकार, सारा देश और सभी राजनीतिक दल यह महसूस करते हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ मौजूद हैं, तो वे निश्चित रूप से वहाँ चुनाव करवा सकते हैं। लेकिन हमें केवल चुनाव करवाने के लिए ही प्रयास नहीं करना चाहिए बल्कि हमारे पास एक रणनीति भी है जिसे लागू करना है। महोदय, यह देश बहुत विशाल है और इसकी समस्याएँ इतनी जटिल हैं कि ये बड़े सरल ढंग से स्वार्थ का माध्यम बन जाती हैं।

इस बात का ध्यान रखना होगा। केवल तभी चुनाव करवाने का निर्णय किया जा सकता है। इस पर काफी टीका-टिप्पणियाँ की गई हैं लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है, मेरी इसमें अपने आपको शामिल करने की कोई मंशा नहीं है। मुझे यह विश्वास है और मैं यह स्वीकार करता हूँ कि हम कश्मीर के लोगों से यह पूछने के लिए तैयार नहीं हैं कि वे हमसे दूर क्यों चले गए हैं? अगर हम यह प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने आपको ठीक से तैयार कर पाएँगे और फिर ईमानदारीपूर्वक इस अलगाववाद का कोई संतोषजनक हल ढूँढ पाएँगे और अगर इन लोगों की संतुष्टि हमारा उद्देश्य नहीं है तो फिर मेरा विश्वास है कि जैसी स्थिति है, हम उसे ऐसे ही चलते रहना देना चाहेंगे और इसमें थोड़ा-बहुत सुधार करेंगे ताकि इसका श्रेय हमें मिल सके। ऐसे चमत्कार कल्पनीय तो हैं लेकिन ऐसे चमत्कार व्यावहारिक रूप से विश्व में कहीं भी नहीं हुए हैं। किसी लोकतांत्रिक देश में निर्णय बड़ी कठिन परिस्थितियों के अंतर्गत लेने पड़ते हैं. उग्रवाद, आतंकवाद और कट्टरतावाद के कारण वे स्थान ही, जहाँ निर्णय लिए जाते हैं, तहस-नहस हो गए हैं और अभी भी वे निर्णय लिए जाने हैं। हालाँकि मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, परन्तु पंजाब में भी हमें व्यावहारिक रूप से इसी प्रश्न का, इसी परिस्थिति का, इसी विकल्प का सामना करना पड़ा था लेकिन वहाँ दो बातें बिल्कुल स्पष्ट थी। पहली-कमान अर्थात् निर्णय किस स्तर पर लिया जाना है और किसके द्वारा लिया जाना है, यह स्पष्ट था। उसमें कोई अस्पष्टता नहीं थी और जिस समय-सीमा में ऐसे निर्णय लिए जाने थे, वह उस समय की जरूरतों के प्रतिकूल नहीं थी। अगर कोई निर्णय दो घंटे के भीतर लिया जाना है, तो उसे इसका दो सप्ताह में लिया जाना उतना फायदेमन्द नहीं हो सकता। ऐसी ही स्थिति वहाँ उस दिन उत्पन्न हुई थी जबकि विधान सभा के चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया हो गई थी, उसी समय सन्त लोंगोवाल की हत्या कर दी गई थी। वहाँ आतंकवादी चुनावी माहौल को विषाक्त करना चाहते थे, चुनावों को रोकना चाहते थे क्योंकि ये सभी लोगों की इच्छा के सामने खड़े नहीं रह सकते थे, जिसका प्रदर्शन केवल लोकतांत्रिक चुनावों के द्वारा ही हो सकता है। बहुत से माननीय सदस्य जो इस सभा में बैठे हुए हैं, उस दिन वहाँ मौजूद थे जब तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गाँधी ने प्रत्येक सदस्य से सलाह मशविरा करते हुए यह निर्णय लिया था कि जो कुछ घटित हुआ उसके उपरांत भी चुनाव होंगे और उन्होंने इस सभा में एक वक्तव्य दिया। उसका एक वाक्य अभी भी मेरे कानों में गूँज रहा है- 'चाहे हम जीतें या हारें, लोकतंत्र की जीत अवश्य होगी' और लोकतंत्र की जीत हुई क्योंकि ऐसे जघन्य हत्याकांड के साए में भी, किसी एक व्यक्ति की भी जान नहीं गई, हिंसा की एक भी घटना नहीं घटी और पंजाब में हुए चुनाव किसी एक राजनीतिक दल अथवा दूसरे राजनीतिक दल के उपयुक्त न रहे हों लेकिन कम से कम पंजाब के लोग तो संतुष्ट थे कि उन्हें अपना लोकतांत्रिक अधिकार प्रयोग करने और अपने मतानुसार काम करने का अवसर दिया गया। क्या आज

जम्मू और कश्मीर में ऐसा करना संभव है? और अगर ऐसा संभव है तो इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है। पहले वह स्वयं को, उसके बाद इस सभा को और तत्पश्चात इस देश को आश्वस्त करेगी। लेकिन जो खतरे मंडरा रहे है, जिनकी ओर श्री चन्द्रशेखरजी ने इस सभा का ध्यान आकर्षित किया है, वे काल्पनिक बातें नहीं हैं।

जहाँ तक पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का प्रश्न है, जिनका जम्मू और कश्मीर की स्थिति से गहरा संबंध है, मुझे इस पर और अधिक नहीं कहना है। दो बातों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान उस आघात से नहीं उभर सका है जिसका स्पष्टीकरण देने के लिए वह स्वयं असमर्थ है। वह कौन सा आघात है, जो अभी भी उनसे मस्तिष्क पर छाया हुआ है? क्या यह पाकिस्तान बनने के बावजूद, भारत के दो टुकड़े न होने की पराजय है? क्या इसकी वजह यह है एक अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकांश लोगों ने पूरे विश्वास के साथ इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि भारत एक शांतिप्रिय और धर्म-निरपेक्ष देश है, जहाँ उनके अधिकार और उनका भविष्य सुरक्षित है? या फिर यह वह आघात है जो उनके द्वारा इस देश पर किए गए जिन असफल आक्रमणों के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है? पाकिस्तान सरकार इससे उबर नहीं सकी है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की जनता का प्रश्न है, ऐसी स्थिति नहीं है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के लोगों से अपने भेदभाव मिटाने के लिए सच्चे दिल से प्रयास करें। मैं जानता हूँ कि इस कार्य में अनेक बाधाएँ हैं। यहाँ तक कि छोटी-छोटी चीजें जैसे व्यापारिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान की अनुमति नहीं है। लेकिन उस प्रयास में दृढ़ भावना का होना आवश्यक है।

बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिनका हमें भी ध्यान रखना चाहिए। पाकिस्तान जानता है और हम भी जानते हैं कि अगर किसी भी समय उसने भारत की शक्ति को चुनौती दी, तो उसका परिणाम वही होगा जो पिछले युद्धों में रहा है। कोई और परिणाम हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें लोगों को पाकिस्तान से आने वाले सम्माननीय लोगों के विचारों से अवगत नहीं कराना चाहिए, जो खुले रूप में इन लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि जो उनका विचार है, वही वास्तव में भारत के हित में है और इस देश में हम जम्मू और कश्मीर के लोगों के बारे में जो सोचते हैं, वह उनके हित में नहीं है। हुर्रियत नेताओं के साथ नई दिल्ली में एक भेंटवार्ता आयोजित की गई थी। उसमें सम्भाषण दिया गया और मेरे विचार में वह सम्भाषण से कुछ ज्यादा ही था। क्या ऐसा करना आवश्यक था? या यह कूटनीति का एक भाग था जिसका कुछ अन्य उद्देश्य दृष्टिगत रहा हो? हो सकता है। लेकिन हमें मालूम नहीं है। हमें इसके बारे में सावधान रहना है।

अन्त में, मैं एक टिप्पणी के साथ अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। जैसा कि एक रोमन दार्शनिक ने कहा था, कोई भी देश या कोई भी नेता अपने प्रति या देश के प्रति तब तक न्याय नहीं कर सकता है जब तक कि वह अधिकार की सीमाओं से परिचित नहीं है। अफीम एक मादक और बहुत नशीली दवा है। मैं समझता हूँ कि इन सीमाओं से बाहर जाना, इतने प्रछन्न और अहितकारी विचारों की शुरुआत अन्ततोगत्वा एक प्रजातांत्रिक देश में राष्ट्र की आत्मा और भविष्य को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, जो वास्तव में शक्ति को क्षीण कर देते हैं, पहल को क्षीण कर देते है और उसको क्षीण कर देते हैं जो पूरी भागीदारिता, आत्म-विश्वास और संतुलन के साथ एक प्रजातंत्र के संचालन के लिए जरूरी है और अन्ततोगत्वा देश और लोगों की सेवा करने की उस प्रेरणा, इच्छा और प्रतिबद्धता को क्षीण कर देते है जिनसे हमें इस सभा का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान प्राप्त हुआ है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल संक्षेप में बोलूँगा। हम मजबूरन एक दर्दनाक कार्य में लगे हुए है जैसा कि वे न केवल चरार-ए-शरीफ दरगाह को विध्वंस किए जाने, अपितु घरों, सैकड़ों लोगों के घरों को नष्ट किए जाने की घटना के बाद की चर्चा कर रहे हैं। यह हमारे आसूचना विभाग की न भूलनेवाली असफलता रही है। मैं इसके बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि कई साथियों ने उसके बारे में चर्चा कर दी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा

हूँ क्योंकि हम भी इसी निर्णय पर पहुँचे हैं। हमारे पास जो भी सूचना उपलब्ध है, उसके आधार पर हम केवल इसी निर्णय पर पहुँच सकते है, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। सरकार ने हमें यह नहीं बताया है कि इस लम्बी अवधि के दौरान सरकार हमारी आसूचना सेवाओं से वास्तव में क्या सूचना प्राप्त कर रही थी जब इन विद्रोहियों या आतंकवादियों ने चरार-ए-शरीफ कस्बे में प्रवेश किया था और बाद में दरगाह में प्रवेश किया था और बारूदी सुरंग बिछाने और इसी प्रकार के अन्य कार्यों में व्यस्त थे। हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन यह फरवरी से चल रहा था। लोग पूछ रहे है कि क्यों सुरक्षा बल इन लोगों को वहाँ प्रवेश करने से या हथियार जमा करने और इस प्रकार के अन्य कार्यों को करने से रोक नहीं पाया। यदि आसूचना विभाग ने उन्हें कोई चेतावनी दी होती, तो शायद उन्होंने कुछ किया होता। मै इसके बारे में नहीं जानता। मुझे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में घटित घटना की याद है कि काफी संख्या में हथियार मंदिर के अंदर ले जाए गए और जमा किए गए जबकि मंदिर परिसर को सुरक्षा बलों ने घेर रखा था। आज तक, हम यह नहीं जानते हैं कि इसकी अनुमति कैसे दी गई जब तक कोई मिली-भगत नहीं थी। लेकिन ऐसा घटित हुआ।

महोदय, जब हम इस प्रकार की स्थिति पर विचार कर रहे हैं, तो मैं कुछ सामान्य वास्तविकताओं, मुख्य वास्तविकताओं पर जोर देना चाहता हूँ। यह भी उल्लेख किया गया है कि यह एक अनेक धर्मों वाला देश है, लोग धार्मिक भावनाओं से बहुत अधिक प्रभावित हैं और विभिन्न समुदाय हैं जिनके अपने निजी पूजा-स्थल हैं। ऐसे देश में, यदि आपका देश में एकता बनाए रखने का विचार है, तो इन पूजास्थलों की रक्षा, चाहे किसी भी धार्मिक समुदाय से उनका सम्बन्ध हो, अवश्य ही की जानी चाहिए, उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस मामले में हमारा रिकार्ड अच्छा नहीं रहा है, चाहे जिसको भी दोषी ठहराया जाए। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। वस्तुतः, मैं इससे संबद्ध कई लोगों पर आरोप लगाना शुरू कर सकता हूँ। मामले की सच्चाई यह है कि स्वर्ण मंदिर मुद्दे से लेकर– यदि कुछ लोगों की जानें चली जाती हैं, यदि कुछ आतंकवादियों या सुरक्षा बलों के सदस्यों को भी बलिदान करना पड़ जाता है, तो हमें इसकी परवाह नहीं है और परवाह नहीं कर सकते हैं। लेकिन दरगाह को सुरक्षित रखा जाए, दरगाह की रक्षा की जाए क्योंकि इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है।

(लोकसभा कार्रवाई / 15 मई 1995, पृष्ठ 427 से 434)

*स्वर्गीय राजीव गाँधी की हत्या की जाँच में विलम्ब होने तथा हत्यारों को नहीं पकड़ने एवं उसमें हो रहे विलम्ब को ध्यान में रखकर श्री नरसिंहराव सरकार के मंत्री मंडल से श्री अर्जुन सिंह ने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था। उनका कहना था कि वे उस सरकार में नहीं रह सकते जो हाल ही किए गए सबसे घिनौने अपराध की तह तक जाने को तैयार नहीं है। बाद में श्री अर्जुन सिंह तथा उन लोगों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया जो श्री राव सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। काँग्रेस से निष्कासित सदस्यों ने श्री नारायणदत्त तिवारी की अध्यक्षता में 'तिवारी काँग्रेस' का गठन किया।*

*लोकसभा में प्रारूप कृषि नीति संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए तिवारी काँग्रेस के सांसद श्री अर्जुन सिंह ने सरकार की कृषि नीति का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों पर की गई कार्रवाई को अमानवीय बताया तथा सरकार की इस कार्रवाई की भर्त्सना की।*

*प्रारूप कृषि नीति संकल्प पर चर्चा के समय अध्यक्ष माननीय श्री शिवराज वी. पाटिल पीठासीन थे।*

**श्री सत्यदेव सिंह** : वह ठीक है। जो उन्होंने लिखा है, मैं उस पर नहीं बोलूँगा क्योंकि सारी चीजें लिखी हुई है। ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी रैजोल्यूशन, 1992 में जो उन्होंने ऑबजरवेशन्स की हैं, यह कह कर अपनी बात समाप्त कर दूँगा।

मैं इसे कृषि मंत्रालय मंत्री के फायदे के लिए उद्धरित करना चाहता हूँ।

"इसलिए समिति ने सरकार से यह पूछना सही समझा कि वह अपनी नीतियों को कैसे लागू करेगी और चुनौतियों से कैसे निपटेगी क्योंकि समिति की राय में यदि प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन के लिए कोई संभावना नहीं है तो कोई भी नीति केवल एक दस्तावेज बनकर रह जाएगी।"

मेरा कहना यह है कि इसमें रिसोर्सेज़ क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसके लिए अच्छी भूमि दे देंगे। सारी पॉलिसी ले आए हैं, यह जमीन पर कितनी उतरेगी? यह बाद की बातें हैं। स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आ रही है, उसको कृपया पीस ऑफ डाक्यूमैंट मत बनाइए। इतना ही मुझे कहना है।

**श्री अर्जुन सिंह (सतना)** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूँ कि आपने मुझे दो मिनट अपनी भावनाएँ व्यक्त करने का अवसर दिया। भारतवर्ष के कोने-कोने से हजारों लोग आज भारत की सार्वभौम संसद के सामने व्यथित हृदय से चिन्ता और भविष्य की शंकाओं के बारे में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए दस्तक देने आए थे। आज देश की जो हालत है, उसके बारे में चिन्ता प्रकट करने के लिए वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने आए थे। मुझे अत्यन्त खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोका गया और बल प्रयोग बिना किसी कारण के किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नारायणदत्त तिवारीजी भी इसमें घायल हुए। वह थाने पर 24 घंटे के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बैठे हैं। इसमें सैंकड़ों साथी ओर बहनें घायल हुईं। हम न केवल इसकी भर्त्सना करते हैं बल्कि यह कहना चाहते हैं कि इस प्रकार के आतंकवादी व्यवहार से लोगों की भावनाओं को नहीं दबाया जा सकता है।

जो आज भारत के भविष्य पर एक प्रश्न चिह्न लगा दिया गया है, वह प्रश्नचिह्न इस देश के लोग हटाएँगे। आप चाहे जितना दमन करें, चाहे जितना लोगों को परेशान करें। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और ऐलान करते हैं कि यह संघर्ष चलता रहेगा, जब तक हम इस देश की रक्षा के लिए उठाया गया संकल्प पूरा नहीं करते हैं।

**श्री सत्यदेव सिंह** : इसके साथ-साथ 25 फरवरी की घटना की भी भर्त्सना करिए। हम भी इसी अधिकार के साथ आए थे। जो आपके साथ हुआ है, उसकी हम निन्दा करते हैं। इसके लिए लोकतंत्र में बिलकुल स्थान नहीं है, लेकिन इसके साथ-साथ 25 फरवरी की भी भर्त्सना करें।

**श्री बलराम जाखड़** : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। मैंने यही कहा था और प्रार्थना भी यही की थी कि यह जो नीति मैं सदन में पेश कर रहा हूँ जिसको दो साल आठ महीने सदन के पटल पर रखे हुए हो गए हैं, वह मेरी या पार्टी की नीति नहीं है, वह किसान की नीति है।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह मसौदा नीति है अथवा अपनाई गई नीति है?

**श्री बलराम जाखड़** : यह एक नीति है और मैं इस पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ।

**श्री सत्यदेव सिंह** : महोदय आपको उन्हें मार्ग निर्देशन देने चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : निश्चय ही मसौदा नीति और अपनाई गई नीति दोनों में अन्तर है।

**श्री बलराम जाखड़** : बस यही तो एक ऐब है। ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ा है। यह तो वही बात हो गई कि जैसे कहते हैं—

"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का
जो चीरा तो कतराए खूँ निकला"

तो जनाब थोड़ा सा गर्व होता, बात करते। मैंने तो सुझाव भी मांगे थे। हर चीज में सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह मसौदा नीति है।

(लोकसभा कार्रवाई / 9 अगस्त 1995, पृष्ठ 346-347)

*उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मंडल के फिरोजाबाद स्टेशन पर 20 अगस्त 95 को 2.55 बजे कालिंदी एक्सप्रेस के पिछले हिस्से के साथ पुरुषोत्तम एक्सप्रेस टकरा गई और एक भीषण दुर्घटना हुई। इस पर सदन में नियम-193 के तहत 21 अगस्त को चर्चा की शुरुआत विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की। इस हृदय विदारक दुर्घटना पर श्री अर्जुन सिंह जब सदन में बोल रहे थे, तब माननीय रेल मंत्री श्री जाफर शरीफ सदन में उपस्थित नहीं थे। श्री अर्जुन सिंह इस तरह की घटनाओं की जिम्मेवारी तय करने के पक्षधर थे। श्री अर्जुन सिंह को इस दुर्घटना से गहरा आघात लगा था, जिसका पता सदन में व्यक्त उनके आक्रोश से लगता है।*

*उपाध्यक्ष एम. मल्लिकार्जुनय्या पीठासीन थे।*

**श्री अर्जुन सिंह (सतना)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रिय मित्र, जिनके चुनाव क्षेत्र में यह हृदय-विदारक दुर्घटना घटी, को सुनकर दुर्घटना में घायल हुए लोगों और मारे गए व्यक्तियों के परिवारों के लोगों की भावनाओं की किसी भी भाषा के शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। हमने अपनी संवेदनाएँ व सहानुभूति व्यक्त कर दी है जैसा कि होता आया है। लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक बात इस सदन में कह दी गई है कि क्या यह प्रश्न जवाबदेही, जिम्मेदारी, पारदर्शिता अथवा सिफारिशों के कार्यान्वयन अथवा विश्व भर में सबसे बड़ी और बहुत ही योग्य व गौरवान्वित परिवहन व्यवस्था में सुरक्षा सुनिश्चित करने का है जबकि हमारे सामने बहुत सी कठिनाइयाँ हैं।

मैं समझता हूँ कि इस सदन में यह सब कुछ कहना निरर्थक है क्योंकि मेरे विचार से पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी इस सरकार के शब्द कोष में गंदे शब्द हैं। मैं नहीं जानता माननीय रेल मंत्री सदन में हो रहे इस वाद-विवाद से क्यों अनुपस्थित हैं?

**एक माननीय सदस्य** : मिनिस्टर तो लन्दन चले गए।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, मैं जानता हूँ कि मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री सोमनाथजी ने श्री जाफर शरीफ के नाम का मजाक में उल्लेख किया है। मुझे इससे कोई आश्चर्य नहीं होता यदि इस दुर्घटना के लिए व्यक्त तर्क में, जिससे प्रधान मंत्री के कार्यकलाप संचालित होते, श्री जाफर शरीफ को त्याग-पत्र देने के लिए कहा जाता।

ऐसी घटना क्यों हो? जिस ढंग से वे जनता की भावनाओं का अनादर करते हैं वह इस सब के मूल में व्याप्त है जो घटित हुई है। हमारे गणतंत्र की दसवीं लोकसभा के सदस्यों के रूप में यहाँ बैठे सभी सदस्यों का आदर करते हुए और सभी से क्षमा माँगते हुए मैं यही कहूँगा कि कुछ घटित हुआ है संसद ने उसकी अनुमति दे दी है और

सम्भवतया आने वाले समय में भी इसकी मौन सम्मति दे दी है। मैं नहीं जानता कि इसके बारे में भारत की भावी पीढ़ी क्या कहेगी? क्यों नहीं है जवाबदेही? मैं इस सबके विस्तार में नहीं जाना चाहता जो कि श्री सोमनाथजी ने कहा है। वह तो सब उनकी उँगलियों पर विद्यमान है। किन्तु सरकार अपनी ही साख पर चलती है। आप हर व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकते। हरेक को नहीं सुधार सकते। आप हर चीज को ठीक नहीं कर सकते। यह सभी जानते हैं। लेकिन भावना या मत यह है कि आपको उन सभी गलत कार्यों की जानकारी है। जो कुछ हो रहा है। मान्यता यह है कि आप उसी चीज को ठीक करते हैं जो खराब हो गई है या खराब हो रही है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जब मान्यता और विश्वास समाप्त हो जाता है बड़े-बड़े लोकतंत्र गिर जाते हैं। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है। मै देख रहा हूँ इस देश में भी धीरे-धीरे यही हो रहा है।

हम करोड़ों रुपये मूल्य के उपकरण आयात कर रहे हैं। हमारे पास 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सै दौड़ने वाले इंजन है जो हमने 700 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करके प्राप्त किए हैं। आपत्तियाँ उठाए जाने के बावजूद इस सदन में इसका सभी औचित्य दिया गया। आप तनिक अनुमान लगाएँ कि यदि ऐसा कोई इंजन दुर्घटनाग्रस्त रेलगाड़ी के आगे होता तो उस अभागे स्थान पर क्या दृश्य होता? लेकिन क्या किसी ने इस पर ध्यान दिया और पूछा, क्या हुआ? और यह कैसे, क्यों हुआ? अब हमने भारत में एक नया शब्द बनाया है जो है क्रमबद्ध विफलता। यह क्रमबद्धता अथवा व्यवस्था क्या है? यह व्यवस्था कोई मिट्टी से तो नहीं है, यह कोई कपड़े या कठपुतली की तो नहीं है। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो हमने अपने दायित्व की पूरी जानकारी से अपने लिए तैयार की है। यह वह व्यवस्था है, जिसके लिए हमने भारत में, अपने नागरिकों तथा लोगों और जरूरतमन्दों को वचन दिया था। और यदि यह नहीं होता है, और इस उत्तरदायित्व का पालन नहीं होता है तो हम इस व्यवस्था को दोषी नहीं ठहरा सकते। हम ही इस व्यवस्था को चलाते और इसके लिए हम ही दोषी हैं। लेकिन क्या हम यह करने के लिए तैयार हैं?

हम जानना चाहते है कि किन कमियों के कारण यह दुर्घटना हुई उनका स्पष्ट रूप से पता लगाना है। केवल इसी दुर्घटना को अलग से नहीं देखना है। लेकिन जैसा कि श्री सोमनाथजी ने कहा है कि हर चीज की व्यवस्था की अवहेलना करके इसकी कैसे जाँच की जा सकती है। यह सब बातें नहीं देखी गई। इसीलिए यह गम्भीर दुर्घटना हुई।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है जब संसद को अपना अधिकार जताना होगा कि इसके सदस्य, जो चुनकर यहाँ आते हैं, और जनता के प्रतिनिधि कहलाते हैं, इस देश की जनता की आवाज को सुनें, भले ही हम सदन में इस ओर बैठें अथवा उस ओर। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो खतरा व्यक्तियों को नहीं बल्कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को होगा, जो इस देश के इतिहास में बड़े दुःख की बात होगी।

**डॉ. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर)** : उपाध्यक्ष महोदय, इस हृदय विदारक रेल दुर्घटना से मुझे बहुत आघात पहुँचा है। ऐसी रेल दुर्घटना हमारे देश में शायद ही पहले हुई हो। जुलाई, 1988 में हुई रेल दुर्घटना में 107 व्यक्ति मरे थे, लेकिन कल हुई इस रेल दुर्घटना में बहुत अधिक लोग मरे हैं। इस दुर्घटना में 300 से अधिक लोग मरे है और 400 से अधिक गम्भीर रूप से घायल हुए हैं।

महोदय, मैं प्रधान मंत्री का बहुत आभारी हूँ क्योंकि प्रभावित लोगों को राहत पहुँचाने के लिए उन्होंने कदम उठाए है। मैं उन्हें सदन में वक्तव्य देने के लिए बधाई देता हूँ और विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी को बधाई देता हूँ क्योंकि उन्होंने माँग की है कि इस सदन में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने के तुरन्त पश्चात चर्चा आरम्भ की जाए।...(व्यवधान)

**श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद)** : इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है और आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे है।

**डॉ. कार्तिकेश्वर पात्र** : महोदय, इस दुर्घटना से मुझे बहुत धक्का लगा है। कुछ माननीय सदस्य सदन में यह दबाव डाल रहे थे कि चर्चा स्थगन प्रस्ताव के रूप में की जानी चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री पात्रजी आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधन करें।

(लोकसभा कार्रवाई / 21 अगस्त 1995, पृष्ठ 272 से 274)

*उपाध्यक्ष माननीय श्री एम. मल्लिकार्जुनय्या ने वर्ष 1995-96 के लिए जम्मू और कश्मीर के संबंध में अनुदानों की माँगों पर 22 अगस्त को चर्चा और मतदान का प्रस्ताव पढ़ा।*

*श्री अर्जुन सिंह ने इस बजट का समर्थन तो किया लेकिन व्यवस्था संबंधी प्रश्न भी उठाए। उनका मानना था कि जब जम्मू कश्मीर की वित्त व्यवस्था से संबंधित कोई भी चर्चा सदन में होती है तो यह विशुद्ध रूप से वित्त व्यवस्था पर ही नहीं वरन् समग्र स्थिति पर होती है। इससे देश की भावनाएँ भी जुड़ी होती हैं। श्री अर्जुन सिंह के मन में संसद के प्रति अगाध श्रद्धा उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों से प्रगट होती हैं।*

**श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़)** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक आपत्ति उठानी है। जम्मू और कश्मीर की अनुदानों की माँगों के बारे में जब चर्चा निर्धारित की गई थी, तब माननीय अध्यक्ष महोदय ने विशेष रूप से कहा था कि यह साधारण चर्चा नहीं है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा चलाई जाएगी और यह अनुदानों की नैमित्तिक माँगें नहीं हैं। चूँकि इसका संबंध जम्मू और कश्मीर से है, अत: उस राज्य की समग्र राजनीतिक स्थिति की जाँच करनी होगी। इसलिए उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री उपस्थित रहेंगे और गृह मंत्री चर्चा में हस्तक्षेप करेंगे, यद्यपि यह कार्य करने का कोई अधिक कारगर तरीका नहीं है। किन्तु यह एक पृथक् मामला है। जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए एक पृथक् मंत्री है जो राज्य के मामलों का निपटारा करता है। जम्मू और कश्मीर के मामले से संबंधित मंत्री अनुपस्थित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय के यह कहने के बावजूद कि गृह मंत्री इस चर्चा के भागीदार होंगे, गृह मंत्री भी अनुपस्थित है।

महोदय, मेरा तात्पर्य अपने सम्माननीय साथी, माननीय श्री चन्द्रशेखर मूर्ति का अनादर करने का नहीं है। वह बहुत ही योग्य वित्त राज्य मंत्री हैं और वह वित्त मंत्रालय से संबंधित मामलों के बारे में कारगर ढंग से उत्तर देंगे।

इस पूरी बहस का आयाम बड़ा है, राजनैतिक मुद्दे हैं, कश्मीर में क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? वह अटलजी बयान करेंगे। यहाँ सरकार की हवाइयाँ ही नहीं उड़ी हुई, मंत्रीजी भी नदारद हैं। यह तो हमारे साथ अत्याचार है।

**गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण)** : चूँकि मुझे राज्य सभा में किसी अन्य मामले का उत्तर देना था, अत: मैं राज्य सभा में था। इस कारण ही मैं देर से आ पाया हूँ।

**श्री अटल विहारी वाजपेयी (लखनऊ)** : उपाध्यक्ष महोदय, हम जम्मू-कश्मीर एप्रोप्रिएशन (नं.2) बिल पर चर्चा कर रहे हैं। यदि जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य होती तो इस विधेयक को यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जम्मू-कश्मीर की स्थिति असामान्य है और इसलिए संसद अनेक ऐसे दायित्वों का निर्वाह कर रही है, जिनका निर्वाह जम्मू-कश्मीर की विधान सभा को करना चाहिए था।

लगभग 44 अरब रुपये जम्मू-कश्मीर में विभिन्न कामों के लिए, विभिन्न गतिविधियों के लिए वहीं के कन्सॉलिडेटेड फण्ड से निकाले जा रहे हैं और यह सदन उसकी स्वीकृति दे रहा है। इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, होम है, प्लानिंग

एण्ड डेवलपमेंट है, इन्फॉर्मेशन है, पावर डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, पार्लियामेंटरी एफेयर्स है, टूरिज्म है, फॉरेस्ट है, लेबर है, स्टेशनरी एण्ड प्रिंटिंग है, फिशरीज़ है, हायर एजुकेशन है। इसके पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि जम्मू-कश्मीर में सब कुछ ठीक-ठाक है और खाली धन देने की आवश्यकता है। लेकिन धन खर्च कौन करेगा? क्या धन ठीक तरह से खर्च होगा? क्या गाँव के स्तर पर, जिले के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर प्रशासन नाम की कोई चीज है?

बीच में ऐसा लगा था कि स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, लोग आतंकवाद से त्रस्त हैं, लोग सामान्य जीवन जीना चाहते है, लेकिन चरार-ए-शरीफ की घटना के बाद आतंकवादियों को एक बार फिर से अपना प्रभाव जमाने का मौका मिला है। आज जब हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, मेरा ध्यान जाता है उन विदेशी पर्यटकों की ओर जो 4 जुलाई से बंधक है, आतंकवादियों की गिरफ्त में हैं। वे भारत भ्रमण के लिए आए थे। वे भारत की भूमि पर कश्मीर, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, उसके भ्रमण के लिए आए थे, वे तो नर्क से भी ज्यादा बदतर स्थिति में पहुँच गए। एक पर्यटक की हत्या कर दी गई, अब चार बाकी हैं, उनका क्या होगा? सारी दुनिया का ध्यान जिस तरह से नार्वे के पर्यटक की हत्या हुई है उसकी ओर गया है। विश्व का जनमत उसके खिलाफ मुखर हुआ है। सुरक्षा परिषद में भी उसके विरुद्ध आवाज उठाई गई है। मुस्लिम देशों ने, अरब देशों ने भी उस हत्या की निन्दा की है। लेकिन हम हत्या को रोक नहीं सके। हम हत्या से पहले उनकी रिहाई नहीं करा सके। सदन जानना चाहेगा इस चर्चा के उत्तर के रूप में कि जो 4 विदेशी पर्यटक इस समय भाड़े के टट्टुओं के हाथ में हैं, इससे निबटने के लिए सरकार क्या करने जा रही है। मेरी जानकारी के अनुसार अपहरणकर्त्ताओं में पाकिस्तानी हैं और कुछ अफगानिस्तानी भी हैं, उसमें कश्मीर घाटी के ज्यादा लोग नहीं हैं।

अगर इस मामले में कुछ मित्र देश आपको सलाह देना चाहते हैं, कोई सहायता देना चाहते हैं, तो उसे लेने में किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। आतंकवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय खतरा है। उसका सामना करने के लिए, सभी जो लोकतंत्र में, शान्ति में विश्वास करते हैं, उनको एक जुट होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार के पास जो तंत्र है, वह अपने आप में सक्षम है और हम उनकी रिहाई के लिए कदम उठा सकते हैं। उसमें सफलता पा सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस निर्णय की आवश्यकता है, उसमें एक संकल्प शक्ति के भाव की कमी है। आत्म विश्वास के साथ कदम उठाने की जरूरत है। इस काम में दलबन्दी का सवाल नहीं है, आपको सारे सदन का समर्थन मिलेगा, सारे देश का समर्थन मिलेगा।

लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार की कश्मीर के बारे में कोई नीति ही नहीं है। कौन संचालन करता है नीति का, यह प्रश्न तो बाद में उठेगा और उठना स्वाभाविक है, लेकिन नीति क्या है? क्या घटनाचक्र को भगवान के भरोसे छोड़ देना और आशा करना कि कुछ अच्छा हो जाएगा, यह तो नीति नहीं हो सकती। न एक संकट से दूसरे संकट तक जिन्दा रहना, यह नीति नहीं हो सकती है। न काम चलाऊ फैसले करना, यह नीति हो सकती है। नीति क्या है? हम आतंकवादियों को और जो आतंकवादियों के आका हैं, जो सीमा पार बैठे हैं, उन्हें क्या संदेश भेजना चाहते है। अगर हम उन्हें दृढ़ता का संदेश भेजना चाहते हैं, तो उस पर अमल करना पड़ेगा। नीति के निर्धारण में स्पष्टता होनी चाहिए और लक्ष्य भी ऐसा हो, जिस पर हम सचमुच चल सकें, जिसको पा सकें।

अब जम्मू-कश्मीर में एक गवर्नर हैं। मैंने सुना है कि आजकल वे कहते हैं, मुझे चेयरमैन ऑफ दि क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी कहा जाए, गवर्नर नहीं। उनकी और उनके सलाहकारों की आपस में बात नहीं होती। गवर्नर तो शायद गृह मंत्री से भी बात सीधे नहीं करते हैं। इससे भी और जरा ऊपर बात करते हैं। कितनी बातें करते है, मालूम नहीं।

अभी तक पायलट साहब गृह मंत्रालय में थे। वे और कुछ न करते हो, कभी-कभी हवाई जहाज लेकर वहाँ घूम जरूर आते थे। अब तो वह भी बन्द है। अब तो गृह मंत्रीजी एक तरह से स्वतन्त्र हैं, नीति निर्धारण के लिए और उस नीति पर अमल करने के लिए। लेकिन अब पी.एम.ओ. नीति के निर्धारण में कितनी मदद देता होगा। मैं नहीं समझता, वहाँ कोई कश्मीर का विशेषज्ञ है, कश्मीर का कोई अनुभवी आफिसर है, कश्मीर से सतत् संपर्क में रहने वाला कोई आदमी है। मै नहीं जानता, प्रधान मंत्रीजी कितना समय दे सकते होंगे। उन्होंने तो इतना भार उठा रखा है कि जब कोई संकट होता होगा, तो ही प्रधान मंत्री से बात होती होगी।

एक बात मैं कहना चाहूँगा, हम जब कभी प्रधान मंत्रीजी से मिले, और मिलते रहते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, और लोग भी मिलते रहते हैं और वे भी प्रधान मंत्री को सुझाव देते हैं कि जम्मू-कश्मीर में जो वर्तमान गवर्नर हैं, उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है और अगर वहाँ कोई नया अध्याय शुरू करना है, तो उसके लिए नए गवर्नर की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री से मिलने के बाद हम लौटकर यह धारणा लेकर आते हैं कि गवर्नर बदलने वाला है, गवर्नर के बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मगर वह आशा कभी पूरी नहीं होती। मैं गवर्नर महोदय के व्यक्ति के रूप में खिलाफ नहीं हूँ। एक संस्था का प्रश्न है। अगर वह अपने एडवाइजरों को विश्वास में लेकर नहीं चल सकते तो वह जनसमर्थन कैसे जुटाएँगे?

अब स्थिति को सामान्य बनाने की बात हो रही है। उसके लिए लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों में जो भय की भावना व्याप्त है, उसे निकालना पड़ेगा और लोगों को दृढ़ता के साथ समझदारी के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। वहाँ राजनीतिक नेता नहीं हैं। जो हैं वह अधिक सक्रिय नहीं हैं। पहले गृह मंत्री महोदय ने माना था कि दिल्ली में कोई एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी। वह तो अस्तित्व में नहीं आई कभी-कभी जम्मू में या लद्दाख में या श्रीनगर में भी कोई बैठकें हो जाती हैं और उसके बाद सब मामला ठप्प हो जाता है। यह धन जो हम दे रहे हैं, यह धन लोगों की भलाई में लगे, इसके लिए वहाँ किसी न किसी रूप में कोई न कोई प्रशासन का तन्त्र होना चाहिए। यह धन ठीक तरह से खर्च होना चाहिए। पहले भी धन नई दिल्ली से जम्मू-कश्मीर के लिए जाने में कभी कमी नहीं हुई, कभी कोताही नहीं हुई। मैं आँकड़े नहीं बताना चाहता। 40-45 सालों में कितना धन यहाँ से गया है और गया है तो ठीक गया है, स्वाभाविक गया है। जम्मू-कश्मीर हमारा भाग है, अटूट अंग है हमारा, और उसके विकास के लिए, उसकी रक्षा के लिए हम उन पर कोई खर्च करते हैं तो हम उन पर कोई अहसान नहीं करते, अपने दायित्व का पालन करते हैं। लेकिन धन ठीक तरह से खर्च हो इसके लिए वहाँ प्रशासन चाहिए। प्रशासन में ईमानदार लोग चाहिए। न तो आतंकवादियों से डरने वाले लोग चाहिए और न आतंकवादियों के साथ साँठ-गाँठ करने वाले लोग चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर की बिगड़ती हुई स्थिति में कुछ उज्ज्वल पक्ष भी हैं। एक उज्ज्वल पहलू तब दिखाई दिया जब अमरनाथ की यात्रा के लिए देश के कोने-कोने से हजारों यात्री मौत का खतरा मोल लेकर, अपने जीवन को संकट में डालकर आतंकवादियों को चुनौती देते हुए और उनके जो आका सीमा के पार बैठे हैं, उनके मुँह पर भी जैसे एक करारी चपत लगाते हुए अमरनाथ की ओर बढ़े, कश्मीर की घाटी को पार करके गए। बर्फ गिर रही थी, बरसात हो रही थी। लोगों के पास जाड़े में पर्याप्त कपड़े नहीं थे, मगर एक तो भक्ति का भाव उन्हें ले गया और दूसरा अमरनाथ भारत की भूमि में है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, इसका भी उनको यात्रा से परिचय मिला, उनकी यात्रा से इस बात का भी संकल्प प्रकट हुआ। आतंकवादी भी यात्रियों की संख्या देखकर चौंक गए। स्थानीय लोगों ने यात्रा में मदद की। मैं सरकार को भी बधाई देना चाहता हूँ। पहले तो ऐसा लगा था कि शायद सरकार प्रबन्ध नहीं कर पाएगी, लेकिन सरकार ने प्रबन्ध किया और आतंकवादियों की एक नहीं चली। तो इसका

मतलब यह है कि सरकार अगर मन में ठान ले और उस पर पार्लियामेंट का पर्याप्त दबाव हो और देश का दबाव हो तो इस सरकार से भी, जैसी भी है और जब तक है, कुछ अच्छा काम कराया जा सकता है। अमरनाथ की यात्रा का यह उज्ज्वल पक्ष है। आम आदमी, जैसा मैंने कहा शान्ति चाहता है। वह तंग है। वह भारत से अलग होना नहीं चाहता। कभी आजादी के नारे ने कुछ गुमराह नौजवानों को लुभाया होगा, लेकिन वे भी अब समझ रहे हैं कि आजादी का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान उन्हें आजाद नहीं रहने देगा। पाकिस्तान में जो हालत सिन्ध में हो रही है, जो मुहाजिर यहाँ से गए हैं, उनकी जो दुर्दशा हो रही है, पाकिस्तान में अन्य भाषा-भाषियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उससे भी लोगों की आँखें खुली हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मत में भी एक परिवर्तन हुआ है, लेकिन हम अपने घर को तो ठीक करें, अपनी नीतियाँ तो प्रभावी बनाएँ और नीतियों को कार्यान्वित करने का जो तंत्र है उसे भी प्रभावी बनाएँ।

26926

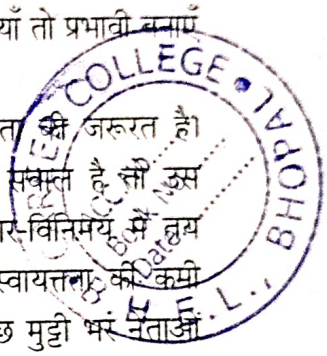

उपाध्यक्ष महोदय, एक मामला उठाया जाता है कि जम्मू-कश्मीर को और अधिक स्वायत्तता की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता थी, स्वायत्तता है और अगर स्वायत्तता बढ़ाने का सवाल है तो उस पर शांति स्थापना के बाद चुनाव के पश्चात् जब जन-प्रतिनिधि चुनकर आएँ तो उनके साथ विचार-विनिमय में तय किया जा सकता है कि वे सचमुच में कितनी स्वायत्तता चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? कथित स्वायत्तता की कमी से उनके विकास में किसी तरह की बाधा पैदा नहीं हुई है। लेकिन जो स्वायत्तता थी, उसका लाभ कुछ मुट्ठी भर नेताओं ने उठाया, आम आदमी ने नहीं, चाहे वह सब्सिडी का सवाल हो या धारा 370 का सवाल हो। जब धारा 370 पर संविधान परिषद् में बहस हो रही थी तो गोपालास्वामी आयंगर ने कहा था कि यह धारा अस्थाई धारा है। यह उनका वक्तव्य है, जो संविधान परिषद् में उन्होंने दिया था। मैंने सदन में एक प्रस्ताव लाकर कि धारा 370 को समाप्त कर दिया जाए, यह मामला उठाया था। तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस बहस का जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि वाजपेयीजी आप जरा जल्दी कर रहे हैं, धारा 370 घिस रही है और घिसते- घिसते घिस जाएगी। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह कोई लक्ष्मण रेखा है या पत्थर की लकीर है, जिसे मिटाने का सवाल ही नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं की भूमिका स्पष्ट थी क्योंकि वे जानते थे कि कश्मीर का आम आदमी सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण चाहेगा। कश्मीर का आम आदमी यह चाहेगा कि वहाँ जो भी धन जाता है, भारत के कंट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल उसके हिसाब-किताब की जाँच करें। कश्मीर का आम आदमी यह चाहेगा कि वहाँ चुनाव निष्पक्ष हों, स्वतंत्र हो। इसके लिए वह हिन्दुस्तान के इलैक्शन कमीशन के ज्यूरिस्डिक्शन के भीतर आना पसंद करेगा। धारा 370 के अंतर्गत यही सुविधाएँ हैं, इन्हीं का विस्तार किया गया है। वह कोई दीवार नहीं है, कोई रुकावट नहीं है।

उस इलाके के लोगों का मनोबल टूट रहा है। वहाँ से माइग्रेशन हो रहा है। एक हजार के करीब परिवार रामबन चले आए हैं। शहर में स्थिति सुधरी है, लेकिन गाँवों में आतंकवादी घूम रहे हैं। पहाड़ों पर अड्डे बने हुए हैं, लोगों को लूटते हैं, औरतों को उठा ले जाते हैं, और उनका जिस तरह से मुकाबला होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है इसलिए नहीं कि हमारे सुरक्षा बल मुकाबले के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन इसलिए कि स्पष्ट निर्देश नहीं है। अगर वे कार्रवाई करते हैं, तो उन्हें दोष दिया जाता है और उन्हें कटघरे में खड़ा करने कोशिश की जाती है। इसलिए वे "बचकर चलो", यह नीति अपनाते हैं। इसलिए उनके मनोबल की रक्षा करना बहुत जरूरी है।

जम्मू की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये जो घटनाएँ हो रही हैं और घटनाओं की श्रृंखला है, इन्हें रोका जाना चाहिए। जम्मू में बड़ी संख्या में एक्स-सर्विसमैन रहते हैं। वे एक्स-सर्विसमैन सेवा करने के लिए तैयार हैं और आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उन्हें ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, वे सब ट्रेंड हैं। उन्हें हथियारों की जरूरत

है। वे देशभक्त लोग हैं। आज वे अपनी दुर्दशा पर आठ-आठ आँसू रो रहे हैं। सुरक्षा बल कार्रवाई नहीं करते क्योंकि दिशानिर्देश स्पष्ट नहीं हैं और वे कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास हथियार नहीं हैं। आतंकवादियों ने कई एक्स-सर्विसमैन मारे हैं। अब उनकी स्थानीय दलों का संगठन किया जा सकता है। लोगों को संगठित किया जा सकता है। रक्षा के काम में लगाया जा सकता है, आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए लोगों को खड़ा किया जा सकता है। अब वह स्थिति आ गई है। मगर सरकार न घाटी में यह कर पा रही है न जम्मू में यह कर पा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूँगा। हम लोग चाहते थे कि जम्मू-कश्मीर पर विस्तार से चर्चा हो। इसीलिए स्पीकर महोदय के कमरे में कहा गया था कि गृह मंत्री आएँ और हम लोगों की बातें सुनकर सरकार की नीति को स्पष्ट करें। वर्तमान में सरकार के पास कश्मीर नीति जैसी कोई नीति नहीं है। एक डिफ्ट है, एक एडहॉक पॉलिसी है। टुकड़ों-टुकड़ों में समस्याएँ हल करने की कोशिश होती है।

चुनाव की चर्चा हो रही है, मगर बन्दूक का भय कायम है। ऐसे में चुनाव कैसे होंगे? हम चाहते हैं कि चुनाव हों और स्वतंत्र चुनाव हों। 1989 में चुनाव में जो धाँधली हुई उसके कारण भी जम्मू-कश्मीर की स्थिति बिगड़ी। लोगों को भरोसा होना चाहिए कि उन्हें अपनी इच्छा से वोट डालने की छूट होगी, लेकिन घर से निकल सके, पॉलिटिकल पार्टियाँ वहाँ प्रचार कर सकें, इतना वातावरण तो बनाना पड़ेगा और यह जिम्मेदारी सरकार की है। अभी तक सरकार इसमें पूरी तरह विफल रही है।

जहाँ तक इस एप्रोप्रिएशन का सवाल है, हम उसकी स्वीकृति देते हैं। वह उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ध्यान इतना ही रखना चाहिए कि जो धन है, वह जिनके लिए दिया जाता है वह उनके ऊपर खर्च हो, वह आतंकवादियों को शक्तिशाली न बनाए।

**श्री उमराव सिंह (जालंधर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि वाजपेयीजी ने आज बड़ी कंस्ट्रक्टिव बातें कहीं हैं और जम्मू-कश्मीर की नीति के बारे में और स्पष्ट करने के लिए कहा है और अपनी पार्टी का सहयोग भी देने के लिए कहा है। अगर यही हालात इस देश में कुछ साल पहले होते, तो शायद जम्मू-कश्मीर, पंजाब और दूसरी जगहों में ये हालात पैदा न होते जैसे कि हुए हैं। मैं चूँकि पंजाब से संबंधित हूँ और जम्मू-कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वही कुछ पंजाब में हुआ है, उनमें बहुत सिमिलैरिटी है, इसलिए अगर इसमें पंजाब का कोई जिक्र कर लूँ, तो कोई इर्रेगुलैरिटी नहीं होगी। इस सिलसिले में वहाँ हमने जो कुछ स्टैप्स लिए थे और उनसे पंजाब में जो सुधार हुआ है, उससे जम्मू-कश्मीर में हालात सुधारने में काफी आसानी हो सकती है।

इसमें कोई दो राय नहीं है हमारे बॉर्डर पर यह हालत क्यों हुई? पाकिस्तान ने किस तरीके से हमारे नौजवानों को बरगला कर, उनको ट्रेनिंग देकर, उनको घुसपैठिए बनाकर भेजा जा रहा है उनको हथियार और ट्रेनिग भी दी जा रही है। वहाँ हालात सामान्य बनाने के लिए तथा पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियो को समाप्त करने के लिए कदम उठाना चाहिए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर)** : महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि इस सभा को जम्मू और कश्मीर के लिए अनुदानों की माँगों पर चर्चा करनी पड़ेगी और उनकी स्वीकृति प्रदान करनी पड़ेगी। किन्तु वर्तमान स्थिति में इससे बचा नहीं जा सकता। हमें यह पता है। किन्तु प्रश्न यह है कि भारत सरकार की नीति क्या है? क्या जम्मू और कश्मीर के बारे में उसकी कोई नीति है? यह स्थिति कब तक बनी रहेगी? क्या केन्द्र सरकार की कोई भूमिका या कोई कार्य योजना है?

महोदय, हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि केन्द्र सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है। स्वतंत्रता दिवस पर हमने

प्रधान मंत्री का भाषण सुना था और उसमें कश्मीर के बारे में बड़ी बाक्पटुता थी। गत वर्ष भी उन्होंने कुछ धमकी दी थी। किन्तु तत्पश्चात-वह उस समय तक निष्क्रिय बने रहते है जब तक कि कोई भयानक और भयंकर घटना नहीं घटती; हमे लगता है कि सरकार को जम्मू और कश्मीर के बारे में जरा भी चिंता नहीं है; जब कभी संसद में इस मामले को उठाया जाता है, जब कभी इस सभा में मामला उठाया जाता है और तब प्रधान मंत्री द्वारा यह निरर्थक वक्तव्य दिए जाते हैं कि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्वायत्तता, अल्प आजादी देंगे। उसका क्या हुआ? यह किस प्रकार की स्वायत्तता है? क्या कोई भी कार्रवाई की गई है? अब आपने गृह मंत्री को भी पृथक् कर दिया है। वह भी अनुपस्थित है? स्वाभाविक रूप से जम्मू और कश्मीर के बारे में उनकी कोई रुचि नहीं है। उन्हें यहाँ समय बिताने की क्या आवश्यकता है? इस सरकार द्वारा इस सभा के प्रति यह सम्मान दर्शाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर, कश्मीर के मंत्री, जो कि प्रधान मंत्री होने चाहिए, यहाँ उपस्थित नहीं है। कश्मीर के लिए कौन मंत्री है? चतुर्वेदीजी हो गए।

**प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी)** : मैं तो आपका असिस्टेंट हूँ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : तब तो आप बेहतर ढंग से काम कर रहे होते। आपने एक गलत साधन का चयन किया है। वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। हम उन्हें सहन करते हैं। किन्तु वह कश्मीर पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। आपके नेता, जैसा कि मैंने कहा था, कभी-कभी यहाँ आते हैं और किसी प्रकार का वक्तव्य दे देते हैं। आजकल, मैं देखता हूँ, कि वह नाराज हो रहे हैं। संभवत: यह सुरंग का अंतिम छोर है और इसीलिए वह नाराज हो रहे हैं...(व्यवधान)

**श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा)** : किससे नाराज हैं?

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : सभी से। कल उन्होंने क्या उत्तर दिया था? तथापि मुझे मालूम नहीं है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। अब प्रश्न यह है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है? हमें पता है कि यह स्थिति विशेष रूप से हाल ही में बंधक बनाए जाने के मामले और नॉर्वे के पर्यटक की अमानवीय रूप से हत्या किए जाने के बाद उत्पन्न हुई है। उनका अपराध केवल इतना ही था कि वह एक पर्यटक के रूप में हमारे देश के सुंदर भाग को देखने आया था और इसीलिए उसका मूल्य उन्हें अपना जीवन देकर चुकाना पड़ा। आज की स्थिति क्या है? कम से कम विश्व जाग उठा है। आज की स्थिति यह है कि कुछ आतंकवादी सुरक्षा करने पर लगे हैं। पाकिस्तान रक्षा करने की स्थिति में है। किन्तु हमारी सरकार क्या कर रही है? आप यह सुनिश्चित करने की चेष्टा क्योंकर कर रहे हैं कि इस स्थिति का उपयोग जम्मू और कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए किया जाएगा जिससे कि सामान्य स्थिति बहाल करने में उन्हें संबद्ध किया जा सके? हम ऐसी कोई बात नहीं देखते हैं। यह देखा गया है, मेरा विश्वास है कि यह प्रत्यक्ष है कि बंधक के मामले में समस्त कार्रवाई आतंकवादियों और पाकिस्तान के हित में, प्रति-उत्पादक रही है। और अब यह पाकिस्तान समर्थक दल रक्षा में लगे हुए हैं, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि विश्व मत उनके विरुद्ध बनता जा रहा है। इंग्लैण्ड के गार्जियन में कहा गया है :

> "गत एक वर्ष से अधिक समय से पाकिस्तानी और अफगान सैनिक बड़ी संख्या में घाटी में सक्रिय रहे है। इसके सम्पादकीय लेख में कहा गया है कि कश्मीर समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक कि पाकिस्तान हथियारों और सैनिकों की सप्लाई बंद करने को सहमत नहीं होता और जब तक स्वतंत्र पर्यवेक्षक यह विश्वास नहीं करते कि विश्व का अंत हो जाएगा।"

तथापि दी टाइम्स कहता है :

"पाकिस्तान को बलवा करने के लिए गुप्त धन और बन्दूकों से मदद की जा रही है और यह प्रत्यक्ष तौर पर राजनैतिक और राजनयिक समर्थन से हो रहा है। उसकी गतिविधि से एक तरह से धर्मोन्माद को बढ़ावा मिला है जिसके परिणाम स्वरूप नॉर्वे के पर्यटक की हत्या हुई। उसकी बंदूकें धन और व्यक्ति तथा कथित युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन करते रहेंगे और दोनों देशों को युद्ध के कगार पर रखेंगे जबकि कश्मीर के व्यक्ति असहाय देखते रहेंगे।"

जैसा कि मैं कह चुका हूँ, अपहरणकर्ताओं द्वारा बंदियों को मुक्त करने की हाल ही में अल-फरान द्वारा माँग की गई है, वह एक नई तैयारी है, जिसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। वे गिरफ्तार किए गए जिन व्यक्तियों को छोड़ने की माँग कर रहे है, वे हरकत-उल-अंसार और हिजबुल-मुजअहीदीन के उन ग्रुपों से संबंधित हैं जो कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने के लिए युद्ध कर रहे हैं। अब तक की यह जानकारी रही है और यही कारण है कि अब यह स्थिति हो गई है कि लोग इन आतंकवादियों की गतिविधियों से और इस अशांति की स्थिति से तंग आ चुके हैं और अब वे शान्ति वापस लौटाना चाहते हैं। जहाँ तक इस जमात-ए-इस्लामी और जम्मू कश्मीर मुक्ति मोर्चा (जे.के.एल.एफ.) का संबंध है, उसके संबंध में अब तक आप क्या करते रहे? जमात-ए-इस्लामी मिलाने की माँग कर रहे हैं। वे कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाने की माँग कर रहे हैं। जे.के.एल.एफ. शबीर शाह के वर्तमान रवैये के अनुसार ऐसा लगता है कि कम से कम वह पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ रहा है। यह सच है कि वे भी आजादी की माँग करते रहे हैं। किन्तु वे कश्मीर की पहचान, कश्मीर के लोगों की, उनकी संस्कृति और उनकी परम्पराओं को बनाए रखने के बारे में बहुत ही गंभीर और चैतन्य हैं। इसीलिए, इन क्षेत्रों में भी हमें पता चला है कि शबीर शाह को लोगों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो सका है और अन्ततोगत्वा उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहाँ तक उसका संबंध है, वह कट्टरपंथ के विरुद्ध है। वह धर्म को राजनीति से जोड़ने का विरोधी है।

**श्री जसवंत सिंह** : महोदय, मैं एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण चाहता हूँ। हमें सूचित किया गया था। कि माननीय गृहमंत्री हस्तक्षेप करेंगे और तत्पश्चात् प्रधान मंत्री भी कुछ कहेंगे और इसके बाद श्री चन्द्रशेखर मूर्ति चर्चा का उत्तर देंगे क्योंकि यह इनका विषय है।

अब तीन वक्ता और हैं। हमारे सदस्यों की उपस्थिति एवं विद्यमान रहने की सुविधा के लिए, मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या यह चर्चा कल तक चलेगी अथवा ये सब हस्तक्षेप आज ही होंगे, और यदि आज ही होंगे तो हमारे पास किस प्रकार समय रहेगा क्योंकि हम लोग अध्यक्ष महोदय के इस निदेश पर यहाँ एकत्र हुए हैं कि सब कुछ आज ही समाप्त होगा। किन्तु आज हम लोग जिस प्रकार चल रहे हैं उससे मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसके लिए दुबारा आश्वासन देने का कोई औचित्य है।

**सभापति महोदय** : वास्तव में, तीन घंटे का समय आवंटित किया गया है और हमारे पास पर्याप्त समय बचा है। मेरे विचार से हम चर्चा आज समाप्त कर सकते हैं, और इसीलिए ऐसा निर्णय लिया गया था। गृहमंत्री यहाँ उपस्थित हैं, यदि आवश्यक हुआ तो हम समय बढ़ा सकते हैं और सभी सदस्यों के लिए इसमें भाग ले सकने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

**श्री एस.बी. चव्हाण** : कल चर्चा के लिए हमारे पास बोहरा समिति का प्रतिवेदन है और इसीलिए दो दिन के बजाए, हम केवल एक दिन ले रहे हैं। इसका यह भी तात्पर्य है कि इस चर्चा में अनेक सदस्य भाग लेना चाहेंगे और तब कल भी यही समस्या उत्पन्न होगी।

**सभापति महोदय** : यह अच्छा है कि श्री जसवंत सिंह ने इसका संकेत अभी कर दिया। अभी केवल 4

बजे है और मेरे विचार से हम चर्चा आज ही समाप्त कर सकेंगे।

**श्री जसवंत सिंह** : महोदय, मैं केवल संकेत चाहता था। क्या मैं इसका संकेत पा सकता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री किस समय हस्तक्षेप करेंगे?

**श्री एस.बी. चव्हाण** : प्रधान मंत्री इस चर्चा का उत्तर नहीं देने वाले हैं।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ। हम लोग इस आशा में थे कि प्रधान मंत्री उत्तर देंगे किन्तु अब माननीय गृहमंत्री ने यह कह कर उसे झुठला दिया कि प्रधान मंत्री आज इस चर्चा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। निश्चित रूप से उनका यह विशेषाधिकार है कि वह हस्तक्षेप करना चाहते हैं अथवा नहीं। वह कश्मीर संबंधी मामलों के प्रभारी मंत्री हैं। मैं यह जानता हूँ कि वित्त राज्यमंत्री को संविधान द्वारा विशेष स्थिति में बजट प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान किया है। उन्हें ऐसा करने का अधिकार है और हम बजट का समर्थन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। किन्तु जो आधारभूत मामले विपक्ष के नेता ने उठाए हैं, माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी ने उठाए हैं और जिसे हममें से अनेक सदस्यों ने उठाना चाहा है, वह मूल रूप से नीति संबंधी मामलों से संबंधित है, मूल मामले केवल हमारे देश के उस अभागे भाग का भला करने से ही संबंधित नहीं है, अपितु उनसे इस देश का भविष्य भी उससे गंभीर रूप से प्रभावित होता है। हमारे गृहमंत्री के लिए मेरे मन में अत्यधिक व्यक्तिगत सम्मान है। वह ऐसा करने में सक्षम थे, किन्तु अब उनके पास इसका प्रभार नहीं है। विशिष्ट रूप से उन्हें इस प्रभार से वंचित कर दिया गया है। महोदय, हमें इस मामले से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में अपनी व्यवस्था दें कि क्या यह सभा इस विषय के प्रभारी मंत्री की अनुपस्थिति में इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ा सकता है।

**सभापति महोदय** : वास्तव में चर्चा का विषय तो 1995-96 के लिए जम्मू और कश्मीर के संबंध में अनुदानों की माँगों पर चर्चा करने से संबंधित है और इस चर्चा का उत्तर देने के लिए वित्तमंत्री सही व्यक्ति हैं। वित्तमंत्री सभा में उपस्थित हैं, और वही वह व्यक्ति हैं जो इस चर्चा का उत्तर देंगे। वस्तुत: इसका अन्य पहलू भी है। विपक्ष के माननीय नेता ने यह कहा था कि गृहमंत्री को भी उपस्थित रहना चाहिए। इसके बावजूद कि माननीय गृहमंत्री राज्य सभा में चर्चा में अत्यधिक व्यस्त थे, उन्होंने स्वयं को वहाँ से मुक्त कराया और यहाँ आए तथा सदस्यों की भावनाओं का सम्मान किया। वित्तमंत्री और गृहमंत्री दोनों ही सभा में उपस्थित हैं।

**श्री अर्जुन सिंह** : यह अत्यधिक अनुचित है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : निश्चित रूप से हमें प्रसन्नता होगी यदि गृहमंत्री श्री चव्हाण मामले में हस्तक्षेप करें। मुझे विश्वास है कि अपनी इच्छा के विपरीत उन्होंने अपना कश्मीर संबंधी मामलों के मंत्री का पद खो दिया है। अब हस्तक्षेप का प्रश्न और उत्तर देने की बात दो पृथक् चीज हैं। सरकार के बहुत ही वरिष्ठ और आदरणीय सदस्य होने के नाते वह हस्तक्षेप कर सकते हैं, किन्तु तो भी वक्तव्य तो प्रधान मंत्री की ओर से ही आना है क्योंकि वह कश्मीर संबंधी मामलों के प्रभारी मंत्री भी हैं। इस पर सहमति भी हुई थी क्योंकि हम केवल बजट पर ही नहीं अपितु कश्मीर में सामान्य स्थिति पर भी चर्चा कर रहे हैं।

इसलिये उत्तर तो प्रधान मंत्री, जो संबंधित मंत्री हैं, द्वारा ही दिया जाना है। अन्यथा गृहमंत्री चर्चा में केवल हस्तक्षेप ही कर सकते हैं।

**श्री चन्द्रजीत यादव** : मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की सूचना गृहमंत्री तथा अध्यक्ष पीठ को भी देनी है। जब अध्यक्ष ने सभी नेताओं की बैठक बुलाई थी तब हमारी माँग थी कि जम्मू और कश्मीर में व्याप्त स्थिति

के बारे में पृथक् रूप से चर्चा की जानी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तब सरकार की तरफ से यह सुझाव दिया गया था कि बजट और जम्मू और कश्मीर में राजनैतिक स्थिति पर चर्चा दोनों को जोड़ दिया जाए। यह भी निर्णय लिया गया था कि जब चर्चा हो तब गृहमंत्री और प्रभारी मंत्री भी उपस्थित रहेंगे? केवल प्रधान मंत्री ही नहीं अपितु प्रधान मंत्री कार्यालय में एक राज्य मंत्री भी हैं जो जम्मू और कश्मीर के मामले देख रहे है। इस समय वह भी उपस्थित नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह बोलेंगे अथवा नहीं। हो सकता है कि अन्ततोगत्वा वह वहाँ हों। श्री जसवंत सिंह जी कह रहे हैं कि वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। किन्तु मेरे विचार से वह महत्वपूर्ण है। मैं हमारे गृहमंत्री का बहुत सम्मान करता हूँ। हमें अवश्य ही उनका कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि विगत बैठक में वह भी उपस्थित थे और उन्होंने कहा था कि "मैं चर्चा में उपस्थित रहूँगा।" वह यहाँ उपस्थित हैं। श्री अर्जुन सिंहजी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रखा है कि प्रधान मंत्री जम्मू और कश्मीर के प्रभारी मंत्री हैं और जो चर्चा हो रही है उसका संबंध नीति से है। यह कहना ठीक नहीं है कि मूल बात बजट पर चर्चा की है। ऐसा नहीं है। यह निर्णय किया गया था कि बजट और जम्मू तथा कश्मीर में राजनैतिक स्थिति की चर्चा को एक साथ जोड़ा जाएगा और इसीलिए यह कहा गया था कि "हम बजट पारित कर देंगे।" चर्चा बजट पर नहीं होनी है। श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे विरोधी दल के नेता के भाषणों से हम देख रहे हैं कि यह चर्चा बजट पर ही नहीं है। बजट पारित करने के बारे में हमें आपत्ति नहीं है। यह महत्वपूर्ण है। अतः संसदीय परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए यह अच्छा होता कि प्रधान मंत्री उत्तर देते।

**श्री एस.बी. चव्हाण** : सभापति महोदय, चूंकि श्री चन्द्रजीत यादव ने कार्य मंत्रणा समिति का उल्लेख किया है तो मुझे विश्वास है कि वहाँ जो कुछ भी हुआ था वह सब उन्हें याद आ गया होगा और वहाँ ऐसी कोई माँग नहीं थी कि प्रधान मंत्री को वहाँ रहना होगा। दूसरी ओर, वास्तव में कुछ सदस्यों ने मुझे यहाँ उपस्थित रहने को कहा था। यथा संभव मैं स्थिति स्पष्ट करने की चेष्टा करूँगा और यदि आप संतुष्ट नहीं होंगे तब मैं श्री चतुर्वेदी को आने के लिए तथा आपको स्पष्ट करने के लिए कह सकता हूँ।

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं केवल माननीय गृहमंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ। जैसा कि मैं कह चुका हूँ हम सबमें उनके प्रति अत्यधिक सम्मान है। वह ऐसा करने में सक्षम हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश उन्हें उस उत्तरदायित्व से वंचित कर दिया गया है और वह भी सार्वजनिक रूप से। हम उन्हें कैसे हतोत्साहित कर सकते हैं? ऐसा करना उचित नहीं है।

**सभापति महोदय** : दो बातें उठाई गई हैं। एक मामला स्वामित्व के अधिकार से संबंधित है, जिसका उत्तर माननीय मंत्री दे चुके हैं। कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा बहुत स्पष्ट थी। श्री जसवंत सिंहजी को शायद याद होगा कि कार्य मंत्रणा समिति में उन्होंने आपत्ति की थी और उन्होंने चाहा था कि गृहमंत्री उपस्थित रहें। उस चर्चा में आपने यह नहीं कहा था कि आप चाहते हैं कि चर्चा में प्रधान मंत्री उपस्थित रहें। आप चाहते थे कि गृहमंत्री उपस्थित रहें और गृहमंत्री सभा में आएँ। हम अपने निर्णय को बदल तो नहीं सकते। नियमानुसार सभा जो चाहती है, उसका उत्तर देने के लिए वित्तमंत्री हैं।

दूसरी बात यह है कि श्री अर्जुन सिंह अध्यक्ष पीठ से इस मामले में व्यवस्था चाहते थे। मैं व्यवस्था देना चाहता हूँ। आवश्यकतानुसार, इसका उत्तर देने के लिए वित्तमंत्री हैं। कार्य मंत्रणा समिति में जो चर्चा हुई थी, उसे दृष्टि में रखते हुए तथा सभा में भी जो चर्चा हुई है, उसे ध्यान में रखते हुए, गृहमंत्री यहाँ है। और किसी का भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिससे वह परेशान हो जाएँ। पूरी सरकार का, पूर्ण प्राधिकार के साथ, प्रतिनिधित्व करने के लिए गृह मंत्री यहाँ है। इसलिए, प्रधान मंत्री की अनुपस्थिति को अनादर नहीं माना जा सकता है। प्रधान मंत्री की

अनुपस्थिति के बारे मे श्री अर्जुन सिंह ने प्रश्न उठाया था। मैं कहता हूँ कि इसे अवमानना नहीं कहा जा सकता है। हम लोग चर्चा जारी रखें।

**अध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद। श्री अर्जुन सिंहजी, क्या आप बोलना चाहेंगे?

**श्री अर्जुन सिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मै आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया जिसका संबंध न केवल इस देश के एक भाग से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है बल्कि मेरे विचार से इसका संबंध इस राष्ट्र की स्वाभाविक विशिष्टता और इस देश की भावी राजनैतिक स्थिति से पूरी तरह सम्बद्ध है।

कश्मीर, जैसा कि सभी को पता है, एक ऐसी कड़ी परीक्षा का स्थान रहा है जहाँ स्वतन्त्रता के बाद भारतीय राष्ट्र के वास्तविक स्वरूप को बाध्यकारी बनाया गया। कश्मीर ऐसा स्थान है जहाँ दो राष्ट्र के सिद्धांत की, जिससे दुर्भाग्यवश देश का विभाजन हुआ था, के हानिकारक सिद्धांत को दफन किया गया था। जैसा कि मेरे साथी श्री यादव ने कहा है, वास्तव में कश्मीर ने हमें यह दर्शाया है कि साम्प्रदायिकता के तनाव से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं जो इस देश की राजनीति में प्रवेश कर गया है। देश का यह भाग अनेक बार उतार-चढ़ाव की स्थिति से गुजरा है। आज जो भी हो रहा है उससे वे सभी विवश हैं, किन्तु दु:खी हैं जो यह चाहते हैं कि भारत एक महान देश बने, भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश बने और इससे भी बढ़कर जो यह चाहते हैं कि भारत लोकतांत्रिक प्रणाली का एक आदर्श बने, जिसे हमने, भारत की जनता ने अपनाया और अपने लिए एक संविधान की रचना की। कश्मीर में आज जो अनेक प्रश्न उठ खड़े हुए हैं, वह न केवल सरकार बल्कि इस देश के नागरिकों के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं। देश के एक भाग में जो घटना घटती है उसकी प्रतिक्रिया सामान्य रूप से दूसरे भाग में जो होती वैसी स्थिति भारत या भारत के अन्य भागों और कश्मीर के बीच विद्यमान नहीं है। ऐसी स्थिति होने का अत्यधिक दु:खद कारण अनुकूल अवसर का न होना, जानबूझकर की गई गलतियाँ और यहाँ तक कि सुगमता से टाली जा सकने वाली कभी-कभी की गई गलत परिगणना है।

माननीय सदस्य जो कुछ इस सभा में कह चुके हैं, मैं उसे दोहराउँगा नहीं और उससे स्थिति बहुत ही व्यापक रूप से स्पष्ट हो चुकी है। उन मुद्दों को दोहराने का अर्थ है इस सभा के बहुत ही मूल्यवान समय को नष्ट करना। मैं दो या तीन मुद्दे लेना चाहूँगा। किन्तु उन्हें कहने से पूर्व मैं यहाँ उपस्थित सभी के साथ नॉर्वे के उस पर्यटक की क्रूर हत्या पर अपनी गहरी सम्वेदना व्यक्त करता हूँ जो भारत भ्रमण पर आया था और कश्मीर की उस भूमि को देखने गया था जो अपने सौन्दर्य और आतिथ्य सत्कार के लिये सुप्रसिद्ध है। हम लोग उन अन्य बंधकों के लिए उसी प्रकार दु:खी और चिंतित हैं जिन्हें अभी तक छोड़ा नहीं गया है।

'कश्मीर से संबंधित नीति' का प्रश्न उठाया गया था। इसके बारे में अन्य सदस्यों के समान मैं भी अनभिज्ञ हूँ। श्री यादव ने समनुगत नीति के बारे में कहा है। केवल समनुगत और सुविचरित नीति ही अभिव्यक्त की जा सकती है। अन्यथा आप यदा-कदा केवल यही बातें ही कर सकते हैं; जो किसी दिन कुछ घटित हो जाएँ, जिसके बारे में कुछ टिप्पणियाँ की जाएँ, कुछ प्रतिक्रियाएँ हों और तदनन्तर, समय के अन्तराल में हमारे दावे भी धूमिल हो जाएँगे। दुर्भाग्यवश हाल ही में जो हो रहा है वही होता रहा है। यह कुछ ऐसी घटना हुई है जिससे हम दु:खी हो गए हैं। किन्तु फिर भी मैं यह महसूस करता हूँ कि इस उदासी से हमें निराश नहीं होना चाहिए। कश्मीर की छवि जो धूमिल नहीं हुई है, उसमें भी आज कुछ कुछ आशा की उज्ज्वल किरण झलक रही है। चूँकि यह पहलू उजागर नहीं है, इसलिए हम इस छवि को देख नहीं पा रहे हैं।

कश्मीर और इस देश के शेष भागों के बीच संचार की जो कड़ी है, मै उसके बारे मे बात कर रहा हूँ। कश्मीर

में उन सभी उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता जिनका वहाँ उपयोग होता है। वे कहाँ से आती हैं? वे न तो पाकिस्तान से आती है और न विदेशों से आयात की जाती हैं। वे भारत से ही आती है। जिस माध्यम से सभी वस्तुएँ देश के अन्य भागों में पहुँच रही हैं, उसी माध्यम से वे कश्मीर के लोगों के पास भी पहुँच रही हैं। मैं चाहूँगा कि इसी माध्यम को और अधिक सुदृढ़ और पूर्ण किया जाए और यदि उनके पास किसी चीज की कमी है तो उसे बुद्धिमत्ता से निश्चित रूप से दूर किया जाए।

दूसरा मुद्दा ढाँचे के बारे में है— इस ढाँचे के अन्तर्गत क्या अधिक स्वायत्तता देने या इसी प्रकार की कोई बात है, वह विचारणीय है।

जहाँ तक हमारे संविधान के ढाँचे के अन्तर्गत इसका संबंध है, मेरे विचार से हम इस प्रकार की चर्चा करने के वास्तविक अधिकारी नहीं है। इस प्रकार की चर्चा और निर्णय जम्मू और कश्मीर के लोगों की तरफ से लिया जाना चाहिए। हम उनके बारे में न तो सोच सकते हैं और न कोई सुझाव दे सकते हैं। वह वार्ता, जो लोकतंत्र के किसी कार्यकरण की बहुत ही प्रमुख भूमिका है, जो भी हो- मैं इसे असाध्य तो नहीं किन्तु गंभीरतापूर्वक अशांत कहूँगा वह वार्ता अवश्य ही आरम्भ की जानी चाहिए।

मैं विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता हूँ। किन्तु एक सामान्य व्यक्ति के रूप में मैं भी यही महसूस करता हूँ कि कश्मीर से हमारे देशवासियों के मन में यह धारणा व्याप्त है कि दिल्ली में हमारे प्राधिकारी एवं प्रतिनिधि केवल बंदूक के माध्यम से वार्ता कर सकते हैं। बंदूक की आवश्यकता किसी देश के मौलिक हित की रक्षा के लिए होती है। बंदूकों की आवश्यकता तब होती है जब देश की स्वतंत्रता और अखंडता को खतरा हो। किन्तु बंदूकें किसी देश की जनता के बीच संचार का माध्यम कदापि नहीं बन सकती।

यदि ऐसा होता है तो ऐसी अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ घटेंगी जो दशकों तक मस्तिष्क में कौंधती रहेंगी आज जो कोई जम्मू और कश्मीर जाता है और यदि वह अपने नेत्र और कर्ण खुला रखता है, तो उनके मन में यही छाप पड़ेगी कि प्रशासन संचालन करने वाले उत्तरदाई व्यक्तियों और जनता के बीच संचार का पूर्णत: अभाव है। ऐसा कैसे हुआ? मुझे विश्वास है कि भारत का कोई भी प्राधिकारी मेरे इस विचार से असहमत नहीं होगा, जो मैंने अभी-अभी अभिव्यक्त किया है।

**मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल)** : महोदय, समय बढ़ाया जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से, हम सब इस बात पर सहमत हुए थे कि हम यहाँ बैठेंगे और इस कार्य को पूरा करेंगे।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आज ही?

**अध्यक्ष महोदय** : अन्यथा, सारा कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो जाएगा।

**श्री अर्जुन सिंह** : किन्तु तथ्य यह है कि वहाँ ऐसा हो रहा है। मैं संक्षेप में यह जानना चाहूँगा कि जम्मू और कश्मीर में इस चुप्पी को तोड़ने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। इस स्थिति को पैदा करने के लिए उत्तरदाई चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे वह राज्यपाल हो अथवा सचिव या कोई अन्य व्यक्ति, क्या उसे उत्तरदायी ठहराया गया है। और यदि कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है और कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम कहाँ जाएँ और क्या करें?

मैं राज्यपाल के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। पिछली बार भी मैंने कहा था कि मैं उन्हें जानता हूँ कि वह एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति एक अच्छे सिपाही रहे हैं। किन्तु स्वाभाविक रूप से जब किसी को एक नागरिक के रूप में और एक सिपाही होने के नाते उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र में सेना की कमान संभालनी पड़ती है तो ऐसी स्थिति में चाहे

भूतपूर्व मुख्य सेना कमॉन्डर ही क्यों न हो, उसके बारे में विरोधाभास तो होना स्वाभाविक ही है। वे परम्परावादी हैं। क्या हम उनकी ओर ध्यान देने में असमर्थ है? क्या हम उन्हें पहचानने में असमर्थ है? इस मौलिक विरोधाभास के कारण ही प्रशासन में अधिक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी व्यक्ति के प्रति बिना किसी द्वेष के जितनी जल्दी हम उस राज्य के प्रशासन की ओर ध्यान देंगे, उतनी ही जल्दी स्थिति में सुधार होगा।

मेरे अन्य मित्रों ने अन्य मुद्दे भी उठाए हैं किन्तु मैं इस पर जोर देना चाहूँगा कि जम्मू और कश्मीर में प्रशासन की सत्यनिष्ठा नष्ट हुई है उसके भी गम्भीर और गहन कारण हैं। आप चाहे जहाँ जा सकते हैं। सड़कों पर करोड़ों रुपए व्यय किए जा चुके है किन्तु वहाँ सड़क है ही नहीं। इस सभा में हमारे माननीय राज्य मंत्री ने कुछ धन माँगा है जिसके लिए हर एक ने यही कहा है कि बिना किसी आनाकानी के वह दे दिया जाएगा। क्या कोई भी व्यक्ति यह बता सकता है कि उस धनराशि में से अनुमानत: कितनी राशि उग्रवादियों और प्रशासन में भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जाएगी? मै अनुमान लगाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे आपके अनुमान लगाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे आपके अनुमान में जमीन आसमान का अंतर होगा। किसी भी प्रशासन की ये मूल बातें हैं और यदि ऐसे उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र में इन मौलिक बातों की उपेक्षा की जाती है और उन्हें ध्यान में नहीं रखा जाता है, जहाँ अन्य देश की पूरी पैठ है और वह उस क्षेत्र की सामान्य कार्यकलापों को अव्यवस्थित करने का हर संभव प्रयास कर रहा है, तो इससे देश को खतरा ही होगा।

अंत में, मैं नीति के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ जो मुझे आशा है कि कभी-कभी बहुत ही गंभीर विमर्श और चिंतन अथवा आकस्मिक रूप से बनती है। किन्तु उसके संबंध में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसा कि श्री वाजपेयी ने अपने भाषण में कहा है कि जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में जम्मू के लोगों और घाटी के लोगों के बीच दरार बढ़ रही है जिसका बढ़ते रहना हितकर नहीं है। अभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता है किन्तु यदि उसकी उपेक्षा की जाती रही तो मेरे विचार से यह समस्या अत्यधिक गंभीर हो जाएगी और इससे जम्मू और कश्मीर की समस्या कई गुणा बिगड़ जाएगी। इसका प्रयोग लद्दाख में स्वायत्तता प्राप्त एकक के साथ हो चुका है। संविधान के अन्तर्गत राज्य में एक सुदृढ़ एकक के रूप में समानता वित्तीय प्रशासन और विकास शक्तियों के साथ हर क्षेत्र के लिए स्वायत्त परिषदों की प्रतिष्ठापना की वांछनीयता और अवांछनीयता के बारे में संभवत: विचार किया जा सकता है, अन्ततोगत्वा उसका परिणाम जो भी हो। मैं संविधान के संबंध में नहीं कहना चाहता हूँ किन्तु यह एक विचार है जिसकी चर्चा अनेक लोगों ने की है। यदि इस पहलू पर यदि सभा चाहे तो विचार कर सकती है और सरकार प्रयास कर सकती है।

हाल ही में, इस देश में दूसरे शक्तिशाली मित्र देशों और उनके प्रतिनिधियों से उपचारात्मक सुझाव प्राप्त हुए हैं। हमने विश्व के राष्ट्रों के साथ प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हैं। किन्तु हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे वे उपचार निदेश बन जाएँ। यदि यह दृष्टिकोण अपनाया गया तो मेरे विचार से इससे हमारी प्रतिष्ठा नहीं घटेगी अपितु अन्ततोगत्वा हमारे लिए बहुत पहले बंद हो चुके वे मार्ग खुल जाएँगे जो इस देश के महान नेताओं ने दृढ़तापूर्वक एवं दूरदर्शिता के साथ निर्धारित किए थे। मुझे आशा है कि आज की इस चर्चा से हम मुद्दों पर, जो यहाँ उठाए गए हैं, गंभीरतापूर्वक विचार कर सकेंगे और एक ऐसी कार्यप्रणाली और एक ऐसी नीति निर्धारित कर सकेंगे जो एक समनुगत नीति का पूर्ण हिस्सा होगा। हम सभी को आशा है कि भारत का वह अशांत क्षेत्र देश के लोकतांत्रिक ढाँचे में सम्मिलित हो जाएगा, स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों के अन्तर्गत जो लोकतंत्र को बहाल करने के पक्ष में है, न कि ऐसे लोकतंत्र जिस पर संगीन की परछाई है।

मैं यह कहना चाहूँगा कि जो मैंने पिछली बार भी इस सभा में कहा था कि मैं सरकार में चार वर्ष तक रहा किन्तु मेरे अपने और अन्य साथियों के प्रयास के बावजूद भी मंत्रिमंडल में कश्मीर नीति पर चर्चा नहीं हो पाई।

**श्री मणि शंकर अय्यर** : मंत्रिमंडल कक्ष की प्रकट न की जाने वाली गुप्त वार्ता को इस सभा में प्रकट करने के लिए मै अपने वरिष्ठ नेता का आभारी हूँ। 31 मई, 1990 के बाद, जब जम्मू और कश्मीर में इस स्थिति के लिए उत्तरदाई राज्यपाल को हटाया था, तब से हमारी संबद्धता की नीति का आविर्भाव हुआ था। इसके बाद से हम उस समस्या के राजनैतिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाधान ढूँढते रहे हैं। उसके लिए निश्चित ही कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। सर्वप्रथम आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखनी होगी जिससे कि घाटी से आतंकवाद मिट जाए, दूसरे अधिक से अधिक उग्रवादियों को लोकतांत्रिक पथ पर लाना; तीसरे उनके साथ वार्ता की जाए जिससे कि हमने जो समाधान निकाला है वे उसके लिए राजी हो सकें। मेरे विचार से हम इन तीनों बातें में काफी सफल रहे हैं। यह स्पष्ट है कि घाटी में उग्रवाद समाप्ति की ओर है।

(लोकसभा कार्रवाई / 22 अगस्त 1995, पृष्ठ 335 से 392)

*श्री अर्जुन सिंह एक मंत्री के रूप में रहे हों अथवा सदन के सदस्य, उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों को सदा उठाया। श्री राजीव गाँधी की हत्या के पीछे साजिश का पता लगाने में कथित विलंब का मुद्दा श्री अर्जुनसिंह ने सदन में 25 अगस्त को उठाया। इस समय अध्यक्ष माननीय श्री शिवराज वी. पाटिल पीठासीन थे। श्री अर्जुन सिंह का प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गाँधी से आत्मीय लगाव रहा। वे उनकी हत्या से आहत थे। उनकी हत्या के पीछे की साजिश का पता लगाने में हुए विलंब को लेकर श्री अर्जुन सिंह व्यथित व व्यग्र थे। श्री अर्जुन सिंह ने इस संदर्भ में श्रीमती सोनिया गाँधी द्वारा प्रकट की गई चिंता और नाराजगी से सदन को परिचित कराया। इस मुद्दे को लेकर श्री अर्जुन सिंह सदन में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं चाहते थे।*

*श्री अर्जुन सिंह यह जानना चाहते थे कि श्री राजीव गाँधी की हत्या करने वालों को पकड़ने में तथा उन्हें दंडित करने में विलंब क्यों हो रहा है?*

**श्री अर्जुन सिंह (सतना)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे यह मामला आपके ध्यान में लाने का अवसर मिला है, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह न तो उग्र होने का अवसर है और न ही विवाद करने का। यह हमारे प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने में हुए विलंब पर श्रीमती सोनिया गाँधी द्वारा प्रकट की गई चिन्ता और नाराजगी पर इस प्रभुत्व संपन्न संसद द्वारा गरिमापूर्ण और संवेदनापूर्ण अनुक्रिया व्यक्त करने का समय हैं।

महोदय, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा जिससे इस विषय पर कोई विवादपूर्ण चर्चा हो क्योंकि यह मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल यह है, जैसा कि मैंने कहा था और जैसा मैं महसूस करता हूँ, कि सभा इस बात से सहमत होगी कि हमें बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से इस अवसर पर सर्वसम्मत प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि इस पर चारों ओर अच्छी प्रतिक्रिया होगी।

मैंने एक प्रतिवेदन तैयार किया है जिससे मैं समझता हूँ कि इस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ता हूँ :

"यह सभा श्रीमती सोनिया गाँधी द्वारा अपने पति स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी की हत्या के पीछे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने मे हुए विलंब पर प्रकट की गई चिन्ता और नाराजगी को बहुत सहानुभूतिपूर्वक नोट करती है। यह सभा निर्देश देती है कि भारत सरकार को इस मामले में शीघ्रता और स्पष्टता से काम करना चाहिए ताकि दोषियों को तत्काल दंडित किया जा सके।"

महोदय, मै आप से और सभा से प्रार्थना करता हूँ कि उचित और मर्यादा पूर्ण बात यही होगी कि सभा इस अवसर पर इसे एक अनुक्रिया के रूप में स्वीकार करे।

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर)** : बेशक हम सभी चिन्तित है कि दोषी लोगों से समुचित ढंग से तत्काल निपटा जाना चाहिए। हमारे देश के साथ एक त्रासदी हुई कि हमने अपने युवा नेता और भूतपूर्व प्रधान मंत्री को खो दिया। हमें इस बात की चिन्ता है कि ऐसे आयोग जाँच कार्य में बहुत लंबा समय लेते है और हम सरकार से यह पूछने में श्री अर्जुनसिंहजी की बात से सहमत है कि आयोग के माध्यम से जाँच पूरी करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने चाहिए अन्यथा यह अधिक समय तक नहीं चल सकता हैं और लोगों के मन में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि इस मामले में कुछ टालमटोल की जा रही है।

अत: सरकार को इस काम में तेजी लानी चाहिए और लोगों को विश्वास में लेना चाहिए कि सभी संभावित कदम उठाए जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार को भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए और हमें बताना चाहिए कि इस संबंध में क्या किया गया है। आप हमें यह भी बताइए कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा।

मुश्किल यह है कि जब ऐसी महत्वपूर्ण और त्रासदीपूर्ण घटनाएँ होती हैं तो सरकार कहती है कि वह इस संबंध में सब कुछ कर रही है। लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है जैसा कि 1984 के दंगों के मामले में हुआ हैं।

अत: जहाँ तक सरकार की कार्रवाइयों का संबंध है उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। कदम उठाना और यह बताना सरकार का काम है कि जो कुछ किया जा रहा है वह उसके प्रति गंभीर हैं।

**श्री शरद यादव (मधेपुरा)** : अध्यक्षजी, माननीय अर्जुन सिंहजी ने जो सवाल सदन में उठाया है, स्वर्गीय राजीव गाँधीजी इस देश के प्रधान मंत्री थे और उनकी जिस भयावह किस्म से, अमानवीय तरीके से हत्या हुई है, उसका हम सबको अफसोस है लेकिन दिवंगत प्रधान मंत्री की पत्नी ने जब उनकी हत्या के सवाल पर तकलीफ जाहिर की, उससे देश भर में ऐसा महसूस होता है कि इस सवाल पर सरकार को जितनी मुस्तैदी से काम करना चाहिए था, सरकार उसमें सफल नहीं रही है। मैं सोचता हूँ कि इस मामले में सरकार को सारे तथ्यों को सदन में रखना चाहिए। उनकी हत्या के कारणों की जाँच के लिए जो कमीशन बैठाया गया है, उसमें जिस तरह से बयान हो रहे हैं, उनके आधार पर कमीशन अपनी अंतिम राय देगा लेकिन कमीशन में जो गवाहियाँ हुई हैं, उनमें कई लोगों के नाम सामने आए हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि अभी यह मामला कमीशन के सामने हैं। लेकिन श्रीमती सोनिया गाँधी के बयान के बाद सरकार को इस सवाल से संबंधित सभी तथ्यों को देश के सामने साफ करना चाहिए। उनके मन में जो शंकाएँ हैं, वे बहुत से लोगों के मन में हैं, जो उनके चाहने वाले है। इसलिए सवाल यह है कि सारी बातों को साफ-साफ किया जाए। सरकार इस मामले में कितनी मुस्तैद है, कितनी नहीं इस संबंध में होम मिनिस्टर साहब को तथ्यों सहित सारी बातें सदन के सामने और देश के सामने रखनी चाहिए कि कितनी ईमानदारी से इस मामले को डील किया जा रहा है। यह जरूरी है कि इस मामले पर सरकार बयान दे ताकि देश को पता चल सके क्योंकि राजीव गाँधी इस देश के प्रधान मंत्री पद पर रहे हैं, और इस देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री का कत्ल हुआ है। इतना ही नहीं, साढ़े चार साल तक हम किसी अपराधी या कातिल को सजा नहीं दे पाए है या किसी कन्क्लूजन पर नहीं पहुँच पाए

हैं, यह राष्ट्र के लिए अफसोस की बात है। इसलिए सरकार को इस मामले पर बयान देना चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

**श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़)** : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत वरिष्ठ काँग्रेसी सदस्य माननीय श्री अर्जुन सिंह, जो कुछ समय तक इस मंत्रिमंडल के दूसरे नंबर के सदस्य थे, ने इस सभा की प्रस्तावित इच्छा के बारे में जो कुछ कहा वह मैंने बहुत ध्यान से सुना।

महोदय, मैं आरंभ में ही कह देना चाहता हूँ, कि हम शोक संतप्त परिवार के दुःख में शरीक हैं। हमारा यह भी विश्वास है कि दोषी व्यक्तियों को शीघ्र दंडित किया जाना चाहिए। तथापि मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूँ।

मैं सभा की भावनाओं और शोक संतप्त परिवार की भावनाओं का भी सम्मान करता हूँ। महोदय, इस संबंध में जो स्थिति उभर कर आ रही हैं यदि मैं ईमानदारी से इस के बारे में यह नहीं कहूँ कि इसमें काँग्रेस दल के अंदरूनी राजनीतिक कलह की गंध नहीं आ रही है तो यह मेरे वंश, मेरे विश्वास के प्रति बेइमानी होगी और सभा में मेरा यह कहना भी ठीक नहीं होगा। हमें व्यक्तिगत रूप से काँग्रेस दल के अंदरूनी कलह या अशांति से कुछ लेना-देना नहीं है। इसका समाधान उन्हें करना है और यह पूरी तरह से उनका अपना मामला है कि क्या वें इसे चुनते हैं या राजधानी में पुराने ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदले जाने के बेतुकेपन को चुनते हैं। इस सब में मुझे काँग्रेस पार्टी के आंतरिक कलह की झलक मिलती हैं। मैंने अपनी बात यह कहते हुए शुरू की थी कि हम शोकाकुल परिवार के दुःख में शरीक हैं। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी की इस बात से भी सहमत हूँ कि जब उच्च पदों पर आसीन लोगों जिन्होंने उत्कृष्टता से देश की सेवा की उन्हें कायरतापूर्ण अपराध से हमारे बीच से उठा लिया गया है, और भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गाँधी की हत्या निःसंदेह एक कायरतापूर्ण अपराध है जिसकी केवल कड़ी निन्दा ही नहीं की जानी चाहिए बल्कि इसके लिए दोषियों को उचित दंड भी दिया जाना चाहिए। यह सब कहने के बाद सांसद या इस सभा का सदस्य होने के नाते मैं किन शब्दों में एक-दूसरे की शोक-संतप्तता की अपनी चिन्ता व्यक्त करूँ।

**गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट)** : महोदय, दिल्ली दंगों के बारे में कुछ कहा गया है। 1984 के दंगों के बारे में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उसके बारे में मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। क़ल सुबह मैं सभा पटल पर इस संबंध में पूरी रिपोर्ट रख दूँगा कि हमने दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की हैं। यहाँ तक कि हमने एक संसद सदस्य के विरुद्ध भी जाँच के आदेश दिए हैं, जो हमारे दल से संबंधित है, और हमने न्यायालय को अपनी कार्रवाई करने के लिए रास्ता साफ कर दिया है। हम इसे सभा पटल पर रखेंगे।

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी की हत्या के लिए दोषी व्यक्तियों को दंड देने में परिहार्य विलंब, जैसा कि उनका विश्वास है, पर अपनी क्षुब्धता व्यक्त कर दी है। महोदय, मैंने कल अमेठी में अपने भाषण में श्रीमती सोनिया गाँधी द्वारा की गई टिप्पणियों को भी नोट किया है। उन्होंने कहा था, 'वेदना'। मेरे विचार से इसका अर्थ पीड़ा है। कुछ माह पूर्व उन्होंने एक प्राइवेट बैठक में अपनी यह पीड़ा व्यक्त की थी। मैं भी उनकी पीड़ा और चिन्ता से उतना ही व्यथित हुआ। वास्तव में मैंने यह पाया था कि सरकार में सभी, प्रधान मंत्री, मंत्री तथा संसद सदस्य इससे चिन्तित हैं। क्योंकि मैं श्रीमती सोनिया गाँधी की पीड़ा तथा चिन्ता से उतना ही व्यथित हूँ। इसलिए मैंने स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी की हत्या से संबंधित सभी मामलों को समन्वित करने का कार्य, जो प्रधान मंत्री ने मुझे सौंपा था, स्वीकार किया था।

24 मई, 1995 से मैं उत्तरदाई हूँ। सरकार सामूहिक रूप से उत्तरदाई है। लेकिन मेरा एक विशेष तथा प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व है। पिछले 90 दिनों में, सरकार ने जैन आयोग द्वारा सुनवाई तथा जाँच की प्रक्रिया को तेज करने के

लिए कई उपाय किए हैं। महोदय, आपकी अनुमति से, प्रत्येक जाँच अथवा सुनवाई के चरण को बताने के लिए केवल दो या तीन मिनट का और समय लूँगा।

अत: इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के पश्चात्, 3 जून 1995 को तीन अपराधियों को प्रत्यर्पण के लिए श्रीलंका को एक औपचारिक अनुरोध भेजा गया था और मैंने उन घटनाओं तथा परिस्थितियों पर इस माननीय सभा के समक्ष एक वक्तव्य दिया था, जिनकी वजह से प्रत्यर्पण के लिए यह अनुरोध करना पड़ा। पूनामाले में नामनिर्दिष्ट न्यायालय के समक्ष या आरोपियों के बारे में सुनवाई की गई, इन 41 अपराधियों में से 12 कर्मियों की मृत्यु हो चुकी है। तीन भगोड़े है तथा 26 अपराधियों पर मुक़दमा चल रहा है। 3 जून को संसद को दिए अपने वक्तव्य में मैंने उन अत्यधिक विधिक तथा प्रक्रियात्मक अड़चनों को इंगित किया था जो उस न्यायालय द्वारा सुनवाई करने में आ रही है। आपके बोध के लिए सुनवाई प्रारंभ होने के बाद पिछले कुछ वर्षों में उक्त न्यायालय के समक्ष प्रक्रियात्मक तथा महत्वपूर्ण मामलों की 399 याचिकाएँ, 25 याचिकाएँ उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में तीन याचिकाएँ चल रही है। सुनवाई के लिए तमिलनाडु सरकार के सहयोग से अत्यधिक प्रारंभिक कार्य करना पड़ा था। जैसा कि एक विशेष न्यायालय तथा बहुत उच्च सुरक्षा आवश्यकता की व्यवस्था, क्योंकि वे अत्यधिक कठोर तथा बेरहम हत्यारे थे। तथापि, न्यायाधीश ने, जो बहुत साहसी, स्पष्ट तथा ईमानदार न्यायाधीश हैं, ने इस मुकदमें में 222 दिन सुनवाई की है, 183 साक्षियों का साक्ष्य किया हैं, तथा अब तक 908 दस्तावेज तथा 557 वस्तुओं की पहचान कर ली गई है।

अभियोग की ओर से साक्ष्य के काम को निपटाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित किया है। वरिष्ठ अभियोजक (सीनियर प्रॉसिक्यूटर) बहुत अनुभवी वकील, एक बहुत प्रसिद्ध आपराधिक वकील हैं, और बहुत अधिक आयु के बावजूद, उसने इस मामले पर अपना पूरा समय लगाया हैं। मुझे विश्वास है कि दिसम्बर तक साक्ष्य पूरा हो जाएगा, दोषी व्यक्तियों के लिए दण्ड निश्चित है और दण्ड कठोर होगा। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मुकदमें के मार्ग में और कोई अड़चन न आए।

जहाँ तक जैन आयोग का संबंध है इसकी अब तक 65 बैठकें हुई है। आज 66वीं बैठक हैं। जैन जाँच आयोग को न्यायाधीश वर्मा, जिनकी रिपोर्ट पहले ही सभा के समक्ष रखी जा चुकी हैं, के क्षेत्राधिकार में न आने वाले विषयों की जाँच करनी हैं। जैन आयोग के लिए स्वयं अपने आदेश तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा 29 जुलाई 1987 से पूर्व के मामलों की जाँच करने का निषेध किया गया है। अत: जैन आयोग का आपराधिक मुकद्दमे से संबंध नहीं है, न ही यह न्यायाधीश वर्मा आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों की जाँच कर सकता है। न्यायाधीश जैन ने कई अवसरों पर जानकारी तथा दस्तावेजों के अभाव, जो उन्होंने अथवा किसी अन्य वकील ने माँगे थे, के बारे में कुछ प्रसन्नता व्यक्त की थी। इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के पश्चात, मैंने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक दस्तावेज और प्रत्येक रिपोर्ट, जो न्यायाधीश जैन चाहते हैं अथवा चाहते थे, वह दो प्रतिबन्धों के साथ उपलब्ध कराई गई है अथवा उपलब्ध कराई जाएगी।

पहला प्रतिबंध यह हैं, जैसा कि आपराधिक कानून के प्रत्येक जानकार को पता है, मामले के रिकार्ड तथा मामले की डायरी को इस चरण पर न्यायाधीश जैन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। विद्वान न्यायाधीश ने इसको समझा है और इस तर्क को उचित ठहराया हैं। दूसरा प्रतिबंध बहुत थोड़े, बहुत कम दस्तावेजों के संबंध में है जिनमें विशेषाधिकार का दावा न्यायाधीश श्री जैन द्वारा उचित ठहराया गया है अथवा दावा अथवा विशेषाधिकार का निर्णय न्यायाधीश जैन द्वारा नहीं किया गया है। स्वयं न्यायाधीश के अलावा, अन्य वकीलों को उन दस्तावेजों तक पहुँचने

का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन वह एक बहुत छोटी संख्या है। न्यायमूर्ति श्री जैन को प्रत्येक अन्य दस्तावेज, प्रत्येक अन्य रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है अथवा उपलब्ध कराई जाएगी।

महोदय, न्यायाधीश जैन एक सम्माननीय न्यायाधीश हैं। वे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। मेरा विश्वास है कि, उन्हें इस बात की जानकारी है कि वे क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहेंगे? आयोग के समक्ष कई लोगों ने जानकारी होने का दावा करके, आयोग का समय नष्ट किया है, न्यायाधीश नि:संदेह असलियत का पता लगा करके अपनी रिपोर्ट देंगे, मैंने न्यायाधीश जैन को अपना कार्य पूरा करने और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक प्रकार की सहायता का वचन दिया है। निष्कर्ष रूप में, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि हम इस परिवार के दु:ख में शरीक हैं। मेरे लिए यह एक गहन व्यक्तिगत हानि है। मैंने यह कार्य इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि मुझे विश्वास था कि प्रधान मंत्री को मेरे ऊपर विश्वास है और श्रीमती सोनिया गाँधी को मेरे ऊपर विश्वास है। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कार्य करूँगा कि मुकद्दमा समय-सूची के अनुसार पूरा हो जिसके बारे में मैंने अभियोजक के साथ विचार-विमर्श किया है और मैं इस रिपोर्ट को यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए न्यायमूर्ति जैन की हरसंभव सहायता करूँगा।

**श्री अर्जुन सिंह :** महोदय, मैंने माननीय मंत्री की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है और जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था, और मैं अपनी प्रारंभ की बात पर अडिग रहूँगा कि यह कटुता अथवा विवाद का अवसर नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने कई ब्यौरे दिए है। यदि मैं उन ब्यौरों में जाऊँ तो उससे कटुता पैदा होगी और विवाद खड़ा होगा जिनसे मैं बचना चाहता हूँ। इसलिए, मैं स्वयं को इस अवसर से वंचित करता हूँ।

जो कुछ भी कहा गया है, कुछ योग्यता के साथ कहा गया है। हाँ, मैं समझता हूँ माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है, यह ठीक हैं। लेकिन प्रत्येक ने कहा है कि वह दु:ख, पीड़ा और चिन्ता में भागीदार है। यदि आप शब्द चयन की तरफ ध्यान देते हैं जो मैंने पढ़े हैं, तो उसमें एक भी अल्प विराम, पूर्ण विराम या शब्द ऐसा नहीं हैं, जो कि अवमानना सूचक हो, इस तरह की कोई बात नहीं हैं, जैसा कि अब ऐसी स्थिति प्रतीत होती है कि सभा में सभी पक्षों के सदस्य दु:ख और पीड़ा में भागीदार हैं, ऐसे में मुझे इसमें कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती कि आपकी अनुमति से शब्दों में यह अभिव्यंजना, जिसका मैंने आपको सुझाव दिया हैं, वह आमसहमति सभा की भी है। मैं माननीय सदस्य श्री जसवंत सिंह को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अन्दरूनी बातों के बारे में उनकी शंकाएँ और संदेह सही नहीं है।

मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से भीतर कोई इस मामले में सूत्र संचालन कर रहा है। मुझे विश्वास है कि हर सदस्य किसी न किसी तरह इस बात को मानता है कि घर परिवार में दखलंदाजी करने वाली इन डोरों को जरूर हिलाया और खींचा जा रहा है। इसमें कोई राजनीतिक विवाद नहीं है। मैं पुन: यह अपील करता हूँ कि सभा स्वविवेक से सहमत हो और मुझे विश्वास है कि आप स्वयं भी इसकी तरफ अपना पूरा ध्यान देंगे और हमें बोलने का अवसर देंगे, जैसा कि यहाँ हर सदस्य चाहता है। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** यदि मैं सही समझता हूँ तो श्री अर्जुन सिंहजी इस कोशिश में है कि उनकी सूचना को स्वीकार किया जाए और पारित किया जाए। क्या यह सही है?

**श्री अर्जुन सिंह :** स्वाभाविक रूप से, जब मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ तो किसी ढंग से ....(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** क्या मेरी सोच सही है या नहीं?

(व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** : इसे जिस ढंग से किया जाता है, यह तय करना पूर्णतः आपका विवेकाधिकार है ताकि सभा के विचार जाने जा सकें। मैंने एक फार्मूला सुझाया है। यह स्पष्ट है ....(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : औपचारिक स्वीकृति का कोई आग्रह नहीं है, इसे अध्यक्ष पीठ के लिए छोड़ा जाता है।

(व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** : प्रत्येक बात अध्यक्ष पीठ के लिए छोड़ दी जाती है, लेकिन मुझे आशा है कि माननीय अध्यक्ष पीठ यह भी याद रखेंगे कि आपका विवेकाधिकार किस विधि से और किस रूप में है, लेकिन भावनाओं को इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए ....(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यदि इसे स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष पीठ के लिए छोड़ा जाता है तो अध्यक्ष पीठ से न्याय करने की कोशिश की जाएगी। यदि इसके लिए आग्रह किया जाता है तो सभा की आम सहमति जानूँगा और तदनुसार कार्रवाई करूँगा।

(व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष पीठ द्वारा जिस 'भाषा' में वे चाहें इसे तैयार किया जा सकता है।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं मैं 'भाषा' के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं 'रूप' के बारे में पूछ रहा हूँ।

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं कह रहा हूँ जिस किसी भी 'भाषा' या 'रूप' में अध्यक्षपीठ उचित समझें।

(व्यवधान)

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर)** : अध्यक्षजी, अर्जुन सिंहजी ने अभी-अभी कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का आरोप नहीं है और जो चिन्ता प्रकट की गई उनके इस प्रस्ताव में, जो प्रस्ताव वास्तव में सदन में औपचारिक रूप से नहीं आया, अभी-अभी उन्होंने अनौपचारिक रूप से प्रस्तुत किया है। सभी सदस्यों ने चिदम्बरमजी सहित, सभी पक्षों ने चिन्ता से अपने को सम्बद्ध किया है। लेकिन प्रस्ताव में सरकार पर आरोप हैं, आरोप है डिले का।

शब्द 'विलम्ब' का प्रयोग किया गया है।

मैं समझता हूँ कि उसी शब्द ने शायद सोमनाथजी को, मेरे सहयोगी जसवन्त सिंहजी को प्रेरित किया होगा, सदन को यह स्मरण कराने के लिए कि कोई भी इस प्रकार का अपराध होता है और अपराधी को त्वरित दंड नहीं मिलता है, तो उससे देश का अहित होता है और मन की वेदना पीड़ा बढ़ती है। अगर 1991 में जो अपराध हुए, उसके बारे में आज तक अपराधियों को दंडित नहीं किया गया, तो उसके लिए चिन्ता स्वाभाविक है। लेकिन 1984 में जो अपराध हुए और कोई कम जघन्य अपराध नहीं थे, जिनमें तीन हजार लोग मारे गए या उसके दो साल के बाद 1993 में बम्बई में 300-350 लोग मारे गए...(व्यवधान)

**श्री पी. चिदम्बरम** : महोदय, माननीय सदस्य श्री अर्जुन सिंह ने एक विशेष कार्रवाई करने का सुझाव दिया है।

कोई दो शीशे हाथ में पकड़े, एक तरफ सच्चाई है और दूसरी तरफ बोध, मैं समझता हूँ कि सच्चा होना ही काफी नहीं है लेकिन किसी की सच्चाई का बोध होना भी आवश्यक है। मैंने सच्चाई से मौजूदा स्थिति और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा पिछले तीन महीनों में उठाए गए कदमों के बारे में बता दिया है। मैं विनम्रतापूर्वक श्री अर्जुन सिंह और अन्य सदस्यों से यह अपील करता हूँ कि वे मेरे वक्तव्य को स्थिति के सच्चे विवरण के रूप में स्वीकार करें और तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए इस प्रक्रिया को जारी रखें।

महोदय, इस सभा के सभी सदस्यों ने पहले ही दु:ख और पीड़ा की अभिव्यक्ति कर दी है। श्री अर्जुन सिंह द्वारा किसी संकल्प या किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाए, उसकी बजाए मैं आपसे यह अपील करता हूँ कि इस बात पर विचार करें कि यदि अध्यक्ष पीठ सभा के भाव को सारांश में बताएँ और मैं इसे सरकार के लिए और अपने लिए इस हिदायत के रूप में लूँ कि मुकदमें और जाँच की शीघ्र समाप्ति के लिए उपाय जारी रखे जाएँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि आप उचित समझते हो तो सभा के भाव के सारांश में व्यक्त कर दें।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, मैंने पहले ही यह अध्यक्ष पीठ पर छोड़ दिया है कि वे जिस तरह भी चाहें इसे सारांशित कर सकते हैं। मैं स्वयं बार-बार इस मामले के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि इससे विवाद खड़ा होगा और विवाद ही वह अंतिम चीज है जो मैं इस समय उठाना नहीं चाहता हूँ। श्री चिदम्बरम ने कहा है और मैं उनके इन शब्दों का प्रयोग करता हूँ कि विभाजन रेखा को भी निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए, अब मैं उस विभाजन रेखा में नहीं पड़ना चाहता हूँ कि किस तरफ बोध होना चाहिए और किस तरफ सफाई, क्योंकि इस अवसर पर मैं इससे बचना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उनके वक्तव्य को चुनौती नहीं दी है, लेकिन तथ्य यह है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अनुभव किया जा सकता हैं लेकिन कुछ लोग इसे सच्चाई समझते हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी विभाजक रेखा खींचने का अधिकार हो। मैं फिर कहता हूँ कि मैं किसी बात के लिए दबाव नहीं डाल रहा हूँ। अध्यक्ष पीठ को स्वविवेक से इसे करना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस ढंग से इस विषय पर सभा में चर्चा हुई है, वह प्रशंसनीय हैं और समझने योग्य है और ऐसे अवसरों पर प्रतीत होता है कि सभा बहुत ऊँचे स्तर की ओर अग्रसर हैं, अत: मैं इसके लिए सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। हमें अपराधियों का पता लगाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और अति शीघ्र उन्हें देश के कानून के अनुसार सजा देनी चाहिए, यही अधिकांश सदस्यों या मुझे कहना चाहिए सभा के लगभग सभी सदस्यों की इच्छा प्रतीत होती हैं। ...(व्यवधान)

**श्री जसवंत सिंह** : महोदय, आपने अध्यक्ष पीठ से जो देखा है यह उस पर टिप्पणी नहीं हैं, और हम उस सबमें भागीदार हैं, लेकिन सभा की इस तरफ से हमारे द्वारा जो कुछ विचार व्यक्त किए गए थे शायद अनजाने में उन्हें जो आपने कहा है उसको स्थान नहीं मिला हैं। मैं इसे यहाँ पर ही छोड़ देना चाहता हूँ। ....(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : इसी कारणवश मैं आपके विचार सुनना चाहता था और मुझे लग रहा था कि हम केवल एक मुद्दा विशेष पर ही चर्चा कर रहे हैं, न कि सभी मुद्दों पर। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन मैं यह जरूर महसूस करता हूँ कि किसी व्यक्ति या कई अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों की समान रूप से उचित ढंग से जाँच की जानी चाहिए और समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए। ....(व्यवधान)

(लोकसभा कार्रवाई / 25 अगस्त, 1995, पृष्ठ 214 से 225)

*पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी की नृशंस हत्या की जाँच कर रहे जैन आयोग की स्थिति पर 26 अगस्त को चर्चा शुरू करते हुए माननीय श्री अर्जुन सिंह ने हत्यारों को पकड़ने में हो रहे विलम्ब पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उनकी माँग थी कि सरकार को इस हत्या के पीछे षड़यंत्र का भी पर्दाफाश करना चाहिए तथा अपराधियों को अविलम्ब दण्डित किया जाना चाहिए। यह चर्चा नियम 193 के अधीन हुई।*

**श्री अर्जुन सिंह (सतना)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, शुरू में, मैं इस चर्चा की अनुमति देने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, शायद इससे सभी को कुछ असुविधा हुई होगी और मैं इस असुविधा के लिए माफी चाहता हूँ। माननीय श्री चिदम्बरम यहाँ बैठे हुए हैं। वे केवल 90 दिनों का उत्तर दे सकते हैं जब से वे उपर्युक्त मामले के प्रभारी बने हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय महोदय मैं आपके जरिए यह जानने के लिए विधिसम्मत ढंग से अनुरोध कर सकता हूँ कि शेष चार वर्षों का उत्तर कौन देगा।

**एक माननीय सदस्य** : आप भी इनमें शामिल हैं।

**रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : यदि वे इसके सीधे प्रभारी अभी बने हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वे पहले की घटनाओं के बारे में नहीं जानते हैं। जाँच आयोग जो कुछ भी कर रहा था, उन्हें इसके बारे में पता है।

**एक माननीय सदस्य** : वह यहाँ है। इसलिए वे यह कह सकते हैं।

**श्री अर्जुन सिंह** : मेरी टिप्पणियाँ उत्तर जानने की भूमिका में हैं जो माननीय मंत्री महोदय ने दिया है।

इसलिए, कम से कम तब और उसके बाद यह नहीं कहा जाएगा कि वे केवल 90 दिनों का ही जवाब देंगे और बाकी समय के उत्तर जानने के लिए मुझे किसी और की तरफ देखना पड़े।

महोदय, मैं अपने सीमित ज्ञान और योग्यता से, जो कि बहुत कम है, जो कुछ मैं जानता हूँ और जो मेरे विचार से हम में से कई लोग जानते हैं, उसे सभा में रखता हूँ और कुछ कारणों के कारण हम में से कई नहीं भी जानते हैं तो मैं समझता हूँ कि उन्हें पूछना चाहिए और मुझे भरोसा है माननीय मंत्री महोदय हम सबको इसके बारे में बताएँगे।

मुद्दों पर बहस करने से पहले मैं एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में इस दु:खद घटना के सभी पहलुओं पर वास्तव में ईमानदारी से ध्यान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इसी बात से इस प्रयोजनार्थ बरती गई ईमानदारी का पता चलेगा। यदि कुछ अन्य प्रयोजन हैं जो इस एकनिष्ठता से मामले की जाँच नहीं होने दे रहे हैं या जो किसी न किसी व्यक्ति, एजेन्सी के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं, तो औचित्य और विधिक आवश्यकता की सीमाओं के अन्दर, मेरे विचार से, इस सभा और इस देश को इसके बारे में जानने का हक है। हम मामलों को किसी के गले नहीं मढ़ सकते हैं, हम मामलों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हम टालमटोल नहीं कर सकते हैं और हम गलत प्रचार नहीं कर सकते हैं।

मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुल मिलाकर जो धारणा बनी है केवल मेरी ही नहीं अपितु सुप्रसिद्ध न्यायाधीश न्यायमूर्ति वर्मा, जो वर्मा आयोग के प्रमुख थे, उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जजों में से एक, न्यायमूर्ति जैन जिनके बारे में श्री चिदम्बरम ने कल बोला था, एक प्रसिद्ध न्यायाधीश और राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश - अब यदि उन्हें कुछ आशंकाएँ हैं और यदि वे आशंकाएँ थीं तो मैं समझता हूँ मेरे जैसे आम आदमी को जानने का पूरा अधिकार है कि क्यों इस तरह की आशंकाओं को विकृत किया जा रहा है और यह सरकार इन आशंकाओं का उत्तर देने के लिए क्या कर रही है।

मैं न्यायमूर्ति वर्मा से बहस शुरू करूँगा। आयोग जिसके वे प्रमुख थे, वर्मा ने अपनी विद्वतापूर्ण रिपोर्ट में, मैं विस्तार में कई अन्य पहलुओं पर नहीं जाना चाहता लेकिन रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण वाक्य जो निष्कर्षों में से एक है, उसका उल्लेख यहाँ किया जाना चाहिए और सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहिए, उन्होंने आसूचना ब्यूरो के निदेशक श्री नारायणन की गवाही का उल्लेख किया है। मैं उसे उद्धृत करता हूँ:

"श्री नारायणन श्री गाँधी की सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट प्रतीत नहीं हुए और उनकी सुरक्षा के बारे में आशंकित

थे। लेकिन कुछ गुप्त कारण से वे अप्रभावी थे और आयोग के समक्ष गवाही के दौरान भी उन्होंने चुप रहना पसंद किया। एक उच्च पदधारी की ऐसी असमर्थता व्यग्र करने वाली है और इसके कारणों का पता लगाना चाहिए और शासन व्यवस्था के हित के लिए इसे समाप्त करना चाहिए।''

स्वातंत्र्योत्तर भारत में दु:खद घटनाओं में से यह एकमात्र दु:खद घटना घटित हुई है।

जब कोई युवा नेता, जो इस देश का प्रधान मंत्री था - युवाकाल में उसकी हत्या कर दी जाती है - कुछ लोगों का उनकी राजनीति से मतभेद हो सकता है, कुछ लोग उनका चेहरा भी न देखना चाहते हों, इसका कोई महत्व नहीं रहता - लेकिन तथ्य यह है कि उन्होंने देश की लगन से सेवा की और देश को उनसे भविष्य में कुछ और आशाएँ थीं।

पहली बात, जिसकी स्वाभाविक रूप से परिश्रम से जाँच की जानी चाहिए थी वह श्री राजीव गाँधी को खतरे की संभावना के बारे में थी, जिस समय कि उनकी हत्या की गई। जैसा मैंने कहा, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता लेकिन खतरे की संभावना, महोदय, जैसा आप दोनों तरह से जानते हैं - हम माननीय सभा के अध्यक्ष के रूप में और सरकार में उच्च पद धारण करने के कारण - कि आसूचना ब्यूरो केन्द्रीय एजेन्सी है जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी सभी उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्याँकन और विचार करना और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को खतरे की संभावना पर निर्णय लेना है। यह जिम्मेदारी श्री नारायणन के कंधों पर थी और उसी जिम्मेदारी के संबंध में न्यायमूर्ति वर्मा का यह निष्कर्ष है। वस्तुत: यदि हम वर्मा आयोग की समूची रिपोर्ट को देखते हैं तो यह धारणा बनती है कि वह अन्तत: सूचना से नहीं अपितु चुप्पी से अटक गए थे। यह हमें न केवल आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है अपितु तत्पश्चात् एक विचित्र घटना घटी है, महोदय, मेरे विचार से कदाचित हमारे न्यायिक इतिहास में पहली बार न्यायमूर्ति वर्मा सरीखे न्यायाधीश ने 15 अगस्त, 1993 को इस देश के एक प्रसिद्ध साप्ताहिक 'द इंडिया टुडे' को एक साक्षात्कार दिया था। मैं जानता हूँ कि इसे पढ़ने में कतिपय सीमाएँ हैं लेकिन आपकी अनुमति से क्योंकि मामला इतना गम्भीर है कि, मुझे इसे पढ़ने के लिए कि न्यायमूर्ति वर्मा ने क्या कहा था आपकी अनुमति चाहूँगा, 'द इंडिया टुडे' को एक लम्बे साक्षात्कार में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा - वस्तुत: यह वह है जो समाचार पत्र में दिया गया है - मैं यह नहीं कहूँगा कि सरकार पर तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाओ।

उद्धरण :

**प्रश्न** : आपने अपने निष्कर्ष को कैसे साबित किया कि आसूचना ब्यूरो ने सूचना को छिपाया था?

**उत्तर** : सार्वजनिक रिपोर्ट में इस तरह के अत्यधिक संवेदनशील मामले की व्याख्या करना ठीक नहीं है, तथापि सरकार जानती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, यह सब दस्तावेजों में है जो हमने वापस कर दिए।

**प्रश्न** : क्या आपका निष्कर्ष अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग के वरिष्ठ अधिकारी श्री एस.ए. सुब्बैया द्वारा दायर किए गए शपथपत्र पर आधारित है?

**उत्तर** : जी, हाँ, सुब्बैया का शपथपत्र उस शपथपत्र के साथ पढ़ें जो उस समय आसूचना ब्यूरो के भूतपूर्व संयुक्त निदेशक, श्री के.एन. ठाकुर ने दायर किया था।

**प्रश्न** : क्या आपको विश्वास है कि आपने इन शपथपत्रों को अधिक नहीं पढ़ा है?

**उत्तर** : न्यायाधीश होने के कारण, मैंने पूरी रिपोर्ट में बहुत संयमित भाषा का प्रयोग किया है, जहाँ कठोर शब्द की आवश्यकता थी वहाँ मैंने मृदु शब्द का प्रयोग किया है। फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि अधिसूचना ब्यूरो के पास 'स्पष्ट और बाकपटु' सूचना थी, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मैंने इन शब्दों का प्रयोग सावधानी से किया।

**प्रश्न :** सरकार ने आपके जाँच परिणाम को अस्वीकार कर दिया है?...(व्यवधान)

यह केवल सारांश है। यह बहुत बड़ा साक्षात्कार था। मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को उद्धृत कर रहा हूँ जो सीधे प्रासंगिक है। केवल दो या तीन प्रश्न शेष हैं, महोदय...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** इन सब बातों की प्रामाणिकता की जाँच नहीं की जा सकती है, आप सारांश दे सकते है इस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा, लेकिन शब्दशः या उद्धरण मुद्दे को कदाचित जटिल बना सकता है।

**श्री अर्जुन सिंह :** यदि यह बात एक प्रमुख व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा कही गई है तो मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहना चाहता। यदि, मैं जो कुछ महसूस करता हूँ वह कह दूँ तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** जो उन्होंने कहा है आप कह सकते हैं। बिना उद्धरण दिए उन्होंने जो कुछ कहा है आप उसका सारांश दे सकते हैं।

**श्री अर्जुन सिंह :** यह प्रश्न जिसका उत्तर मैं बाद में दूँगा।

उद्धरण :

**प्रश्न :** सरकार ने आपके निष्कर्ष को अस्वीकार कर दिया है मुझे खेद है कि इस दल के एक माननीय सदस्य मुझे रोकना चाहते हैं। नेता को ऐसा कहने दिया जाए।

**उत्तर :** आपने देखा होगा कि उन्होंने कोई कारण नहीं दिया, उन्होंने कहा मेरा जाँच परिणाम तथ्यों पर आधारित नहीं था। यदि वस्तुतः ऐसा था तो उन्होंने इसे अस्वीकार करने के कारण दिए होते, उनकी चुप्पी यही दर्शाती है कि मेरा निष्कर्ष सही था। छिपाने में लगने के बजाय, सरकार ने मेरे जाँच परिणाम को नोट किया होता और सुधारात्मक उपाय किए होते।

केवल एक बात है जो मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ। इस बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। प्रश्न यह था:

**प्रश्न :** श्री एम.के. नारायणन ने इस बारे में क्या कहा कि आई.बी. ने सूचना छुपाई थी?

**उत्तर :** उन्होंने टालमटोल वाले अथवा असंतोषजनक उत्तर दिए थे।

मैंने जो उद्धृत किया है वह वर्मा आयोग रिपोर्ट का अंग है।

महोदय, मुझे पृष्ठभूमि के रूप में यह सब कुछ इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आयोग को उस घटना के संबंध में सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं में त्रुटियों, गलतियों और कमियों की जाँच करने का कार्य सौंपा गया था। आयोग किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुँच सकता था जबकि सुरक्षा के लिए मूलतः जिम्मेदार व्यक्ति बिना किसी कारण के चुप रहता है और आयोग के समक्ष भी बोलने के लिए तैयार नहीं है? यह वास्तव में इस बात का सूचक है कि इस अत्यंत दुःखद घटना के संबंध में क्या दृष्टिकोण अपनाया गया।

मेरे दोनों तरफ के साथी कहते रहते हैं कि आप सरकार का अंग थे। हाँ, मैं इस बात से इंकार नहीं करता हूँ और विनम्र भाव से कहना चाहता हूँ कि मैं मंत्रियों के दल का सदस्य था जिसे वर्मा आयोग की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई करने का कार्य सौंपा गया था। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विचार से वर्मा आयोग की रिपोर्ट पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट दो बार सभा में प्रस्तुत की गई थी, परन्तु सभा ने उसे स्वीकार नहीं किया था। इसको पुनः देखने का निदेश हुआ था और इसी पृष्ठभूमि में मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया था कि इसकी जाँच हेतु मंत्रियों के एक दल का गठन किया जाए और इस माननीय सभा को संतुष्ट करने के लिए एक अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट तैयार करें। मेरे विचार में यह बैठक जून अथवा जुलाई, 1994 में आरम्भ हुई थी। मैं उन पत्रों को उद्धृत नहीं करना चाहता

हूँ क्योंकि अब यह सार्वजनिक रिकार्ड का अंग है क्योंकि यह श्री रेड्डी द्वारा मुझे काँग्रेस पार्टी से निष्कासित किए जाने वाले कारण बताओ नोटिस के उत्तर में संलग्न है। इच्छुक व्यक्ति इनको पढ़ सकते हैं। (व्यवधान) वह आन्ध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के अध्यक्ष श्री विजय भास्कर रेड्डी हैं।...(व्यवधान) देखिए, हम सिर्फ अनुशासन में ही विश्वास नहीं रखते हैं अपितु अपनी जिम्मेदारी में भी विश्वास रखते हैं। अनुशासन जिम्मेदारी के पश्चात् होता है और जिम्मेदारी का निर्वाह करने के पूर्व नहीं होता है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : इस काँग्रेस में?

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं इस सब में नहीं जाना चाहता।

...(व्यवधान) कौन किसको निकालता है, वह जनता तय करेगी।

हमको इसके ऊपर नहीं झगड़ना चाहिए, यह इस वाद विवाद का विषय नहीं है।

मै सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ क्योंकि इस गंभीर मामले में श्री नारायणन की चुप्पी, जो मैंने उठाई है, मंत्रियों के दल को जाँच करनी है...

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : चव्हाण साहब ने कल क्या बोला?

**श्री अर्जुन सिंह** : कल वाली बात पर तो मैं अभी आ रहा हूँ, यह तो आज वाली है। चव्हाण साहब को तो मैं नहीं जानता कि कहाँ है लेकिन अब इन्होंने पूरी रैस्पाँसिबिलिटी ले ली है।

मल्लिकार्जुनजी को धन्यवाद। इसलिए, मुझे किसी की बात की ओट नहीं लेनी है।

महोदय, अगर श्री राजीव गाँधीजी को खतरे के संबंध में वास्तव में जानकारी उपलब्ध थी तो जो व्यक्ति इसके मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार हैं तो कम से कम आयोग को उत्तर देना चाहिए था। आयोग को उत्तर न दिए जाने का कारण, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा है, राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि यह उत्तर क्यों नहीं दिया गया। उनको यह उत्तर सभा में और सभा के बाहर देना चाहिए।

मुद्दा यह है कि आसूचना ब्यूरो के पास मद्रास से लेकर दिल्ली तक उपलब्ध सूचनाओं, पत्रव्यवहार और जानकारी से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि एक दु:खद घटना होने वाली थी। अन्ततः, यह सब वर्मा आयोग के समक्ष भी रखा गया था। यही पृष्ठभूमि है और अब मैं न्यायमूर्ति जैन जाँच आयोग को सुझाए गए कार्यक्षेत्र पर आता हूँ।

महोदय, न्यायमूर्ति जैन आयोग का गठन 23 जून, 1991 को किया गया था। तब से यह पूरी मेहनत, न्यायिक तहकीकात और चेतना से कार्य कर रहा है। न्यायमूर्ति जैन ने मुझसे बेहतर बहुत अच्छे ढंग से खुद कई दिक्कतों को सामने रखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि वास्तव में सरकार असहयोग कर रही है। यह सब बातें आयोग की खुली बैठक में उठाई गई थी और प्रेस में छप चुकी हैं। मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूँ।

कल माननीय चिदम्बरमजी ने कहा था कि माँगी गई तमाम जानकारी दो शर्तों के अध्यधीन, जो कि उन्होंने एक विशिष्ट वकील के रूप में कही है, विशेषाधिकार का मामला और कुछ दस्तावेज अन्य बातों को प्रभावित करेंगे जो कि सार्वजनिक नहीं करने हैं, उपलब्ध करा दी गई है और करा दी जाएगी।

मैं श्री चिदम्बरमजी की अनुमति से सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मामले को समझने के लिए स्वयं 90 दिन का समय दिया था, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। मेरे पास अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के महासचिव, श्री अहमद पटेल द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र है, जो कि आयोग में दाखिल किया गया था और जिसमें मेरे विचार से लगभग 25 सुस्पष्ट मुद्दों के संबंध में पूछी गई जानकारी प्रेषित की गई थी। विशिष्ट दस्तावेज माँगे गए

थे। इस पत्र में सभी बातें दी गई हैं। मैं यहाँ पर पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझे सभा पटल पर रखने की अनुमति नहीं देंगे।

**श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर)** : क्यों?

**श्री अर्जुन सिंह** : अगर आपकी अनुमति है तो मैं चाहता हूँ कि इसको कार्रवाई वृत्तान्त का हिस्सा बनने दिया जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : "क्यों" उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा है।

**श्री हरि किशोर सिंह** : आप इसके लिए अनुरोध कर सकते हैं।

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं इसके लिए सिर्फ अनुरोध ही नहीं कर रहा हूँ, परन्तु यह भी कहना चाहता हूँ कि मेरी जानकारी के मुताबिक यह एक सत्यापित प्रति है। मैं यह सत्यापित कर सकता हूँ कि यह अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी द्वारा दाखिल किए गए पत्र की प्रति है। मेरी जानकारी के मुताबिक अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो क्षमा का प्रार्थी हूँ - सम्पूर्ण प्रारूप श्री चिदम्बरमजी द्वारा तैयार और अनुमोदित किया गया था।

**श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी)** : इस पत्र पर किसके हस्ताक्षर हैं?

**श्री अर्जुन सिंह** : मैंने कहा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव श्री अहमद पटेल के हैं।

**एक माननीय सदस्य** : कृपया हमें तिथि बताइए।

**श्री अर्जुन सिंह** : 28 अक्तूबर, 1993...(व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** : जसवंत सिंहजी, यह काँग्रेस पार्टी के कार्यालय का दस्तावेज नहीं था।

**श्री जसवंत सिंह** : आपने कहा था कि यह अखिल भारतीय काँग्रेस समिति का है। इसी वजह से मैंने ऐसा कहा।

**श्री अर्जुन सिंह** : ए.आई.सी.सी. एक दल है।

**श्री जसवंत सिंह** : आपने ऐसा ही कुछ कहा था, दोनों काँग्रेस पार्टियों में अंतर है?

**श्री अर्जुन सिंह** : जी नहीं, महोदय। मेरे विचार में आप चर्चा का रुख मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि यह निवेदन आपस में एक दूसरे से नहीं बल्कि जैन आयोग से किया गया है। और जैन आयोग से जो निवेदन किया गया है, वह आयोग का एक दस्तावेज है।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : दस्तावेज की विषय-वस्तु क्या है?...(व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** : आयोग के लिए काँग्रेस दल भी एक पार्टी है।

**श्री नीतीश कुमार** : उसमें खास-खास क्या है, नमूना बताइए?

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : चिदम्बरम ने क्या गड़बड़ किया है?

**श्री अर्जुन सिंह** : नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है।

जैसा कि श्री चिदम्बरम की स्वीकृति से मैंने कहा है, इस पत्र में जिस जानकारी के लिए कहा गया था, वह वही है, जिसे आयोग को बताने से अब सरकार इंकार कर रही है। महोदय, अब मैं समझ सकता हूँ कि उस अनुरोध में बहुत सी बातें लिखी गई थीं जिन पर संभवत: आगे जाँच-पड़ताल अथवा विचार करने पर यह पाया गया है कि इन्हें प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका कोई प्रबल कारण होना चाहिए। हम आयोग के लिए कोई दस्तावेज तैयार करके उससे पीछे नहीं हट सकते और यह नहीं कह सकते कि ये दस्तावेज हम नहीं दे सकते।

इसकी एक लंबी सूची है। अगर आपको कोई परेशानी न हो, तो मैं इसे पढ़ सकता हूँ या सभा पटल पर रख सकता हूँ ...(व्यवधान)

(एक) प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, विदेश सचिव तथा भारत सरकार के गृह सचिव को यहां पेश होने और निम्नलिखित दस्तावेज पेश करने के लिए सम्मन भेजे जाएँ :

(क) 29 जुलाई, 1987 दिनांकित राजीव-जयवर्धने समझौता।

(ख) श्रीलंका में पुन: शांति स्थापित करने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा भारत सरकार से शांति सेना तैयार करने के अनुरोध सहित रिकॉर्ड।

(ग) वर्ष 1988 से 21 मई, 1991 के बीच श्री राजीव गाँधी पर हमला होने की धमकियों के संबंध में (रॉ. केन्द्रीय जाँच ब्यूरो, इंटेलीजेंस ब्यूरो इत्यादि) विभिन्न केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों की रिपोर्ट।

(घ) श्री एम. करुणानिधि की श्री नटेशन तथा श्री काशीनंदन से मुलाकात से संबंधित इंटेलीजेंस ब्यूरो/ रॉ. के रिकॉर्ड तथा केन्द्र सरकार की वह गुप्त सूचना जिसे उन तक पहुँचाया गया था और जिसे उन्होंने लिट्टे तक पहुँचाया।

(ङ) 1989 में श्री वी.पी. सिंह की अध्यक्षता में जनता दल की सरकार का श्री राजीव गाँधी से एस.पी.जी. सुरक्षा वापिस लेने संबंधी निर्णय और उन्हीं के आदेश के तहत उन्हें प्रदान की गई वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था।

(च) काँग्रेस अध्यक्ष अर्थात् श्री कमलापति त्रिपाठी, सांसद श्री पी. चिदम्बरम, अखिल भारतीय काँग्रेस समिति के पदाधिकारियों, विधिक प्रकोष्ठ अधिवक्ताओं के समूह, महिला विंग तथा अन्य लोगों द्वारा दिए गए तथा उन्हें प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदनों के साथ उन पर किसी प्रकार के आदेश या उत्तर, यदि कोई हों।

(छ) वर्ष 1989 से लेकर 21 मई, 1991 तक विभिन्न एजेन्सियाँ जैसे रॉ, सी.बी.आई., आई.बी., विभिन्न राज्यों की गुप्तचर एजेन्सियों, इंटरपोल तथा अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा तत्कालीन प्रधान मंत्री को पेश की गई रिपोर्ट और उन पर तत्कालीन प्रधान मंत्रियों द्वारा पारित आदेश।

(ज) श्री राजीव गाँधी की सुरक्षा के साथ-साथ सरकार द्वारा वहन किए जा रहे व्यय के ब्यौरे के संबंध में श्री वी.पी. सिंह अथवा गृह मंत्री के संसद और संसद से बाहर दिए गए विभिन्न वक्तव्य।

(झ) वर्ष 1988 से लेकर 1991 तक की अवधि, विशेष रूप से तमिलनाडु में लिट्टे की गतिविधियों के संबंध में इंटेलीजेंस ब्यूरो, रॉ, सी.बी.आई., तथा राज्य खुफिया एजेन्सियों के पास उपलब्ध रिपोर्टें।

(दो) वर्ष 1989 से 1990 के बीच श्री वी.पी. सिंह की सरकार द्वारा श्री राजीव गांधी की सुरक्षा में कटौती करने के संबंध में विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों द्वारा सचिव, भारत के राष्ट्रपति को दिए गए अभ्यावेदन तथा उन पर पारित आदेश/कार्रवाई तथा उसके संबंध में किया गया किसी प्रकार का कोई पत्र-व्यवहार।

(तीन) श्री राजीव गाँधी की सुरक्षा के प्रश्न पर की गई चर्चा से संबंधित संसदीय कार्रवाई प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा तथा राज्य सभा के महासचिवों से अनुरोध किया जाए।

(चार) रक्षा सचिव को निम्नलिखित दस्तावेज पेश करने का अनुरोध किया जाए ...(व्यवधान)

सचिव, तमिलनाडु, सरकार/गृह सचिव, तमिलनाडु सरकार से निम्नलिखित के संबंध में रिकॉर्ड प्राप्त किए जाएँ:-

(क) वर्ष 1989 से द्रविड़ मुनैत्र कषगम् की सरकार की स्थापना के रिकॉर्ड। उनके लिट्टे से संबंधों के बारे में एजेन्सियों की रिपोर्ट।

(ख) वर्ष 1989 से 1991 की अवधि में श्री राजीव गाँधी की सुरक्षा को खतरे के बारे में 1989 से लेकर 1991 तक की एजेन्सियों की रिपोर्ट।

(ग) द्रविड़ मुनैत्र कषगम् सरकार की अवधि के दौरान लिट्टे द्वारा तस्करी, आयुध कारखाने चलाने, मादक औषधियों का अवैध व्यापार, कैंप लगाने, वायरलैस सेट संचार केन्द्रों की स्थापना संबंधी गतिविधियों पर खुफिया एजेन्सियों की रिपोर्ट। राजकोष से पुनर्वास योजनाओं या अन्य किसी नाम से तमिलनाडु सरकार द्वारा उन्हें धनराशि प्रदान करने का निर्णय।

(घ) जून, 1989 में मद्रास शहर में ई.पी.आर.एल.एफ. के नेता श्री पद्मनाभ की हत्या संबंधी रिकॉर्ड। राज्य सरकार द्वारा की गई जाँच-पड़ताल।

(ङ) बिना कोई वीसा और अनुमति प्राप्त किए कानून का उल्लंघन करते हुए सांसद श्री गोपालस्वामी श्रीलंका जाकर लिट्टे के नेता से भेंट और उस पर श्री करुणानिधि द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के रिकॉर्ड।

(च) विशेष रूप से मई, 1991 में तमिलनाडु सरकार और केन्द्र सरकार की एजेन्सियों के बीच रिपोर्टों का आदान-प्रदान तथा लिट्टे की गतिविधियों और श्री राजीव गाँधी की सुरक्षा के संबंध में उन पर की गई कार्रवाई।

(छ) 1989 से 1991 के बीच द्रविड़ मुनैत्र कषगम् और लिट्टे के संबंधों के बारे में रिपोर्ट।

(ज) तमिलनाडु में श्रीलंकाई लोगों के पंजीकरण के संबंध में रिकॉर्ड तथा गृह-स्वामियों द्वारा श्रीलंकाई लोगों को मकान किराए पर देने को अधिसूचित करने संबंधी आदेश तथा इस योजना के क्रियान्वयन और रिकॉर्ड।

(झ) तमिलनाडु में लिट्टे के आदमियों द्वारा किए गए विभिन्न अपराधों और गिरफ्तारियों से संबंधित किसी प्रकार के रिकॉर्ड।

महोदय, अगर आप चाहते हैं, तो मैं इसे सभा पटल पर रखना चाहूँगा और सभा का अधिक समय नहीं लूँगा...(व्यवधान)... इसमें आगे कहा गया है :—

"21 मई, 1991 को या उसके आसपास श्रीपेरम्बुदूर में क्या कोई बम-निरोधक दस्ता या जासूसी कुत्तों का दस्ता लाया गया था या फिर इसे जानबूझकर मद्रास हवाई अड्डे पर ले जाया गया था। इसके संबंध में राज्य सरकार को रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा जाए।"

इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और अगर आपकी अनुमति हो तो माननीय सदस्य इसे देख सकते हैं।

मेरी शिकायत यह है कि ये अनुरोध इसलिए किए गए थे कि आयोग ऐसी स्थिति में आ सके कि वह कोई स्पष्ट निर्णय ले सके। अब अनुरोध करने के बाद भी अगर कोई न कोई बहाना लगाकर वही दस्तावेज आयोग को नहीं भेजे जाते तो यही मेरी शिकायत का विषय है।

**श्री हरि किशोर सिंह** : उस समय अखिल भारतीय काँग्रेस समिति का अध्यक्ष कौन था?

**श्री अर्जुन सिंह** : मै समझता हूँ हमें किसी अप्रासंगिक बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

**श्री हरि किशोर सिंह** : आप अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव द्वारा दिए गए दस्तावेज को उद्धृत कर रहे हैं। उन्हें अखिल भारतीय काँग्रेस समिति का महासचिव किसने नियुक्त किया? अध्यक्ष आप थे।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, महासचिव की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। आपके दल में भी ऐसा होता है। जब तक कि आप स्वत: नियुक्त नहीं हो जाते।...(व्यवधान)

**श्री हरि किशोर सिंह** : आप झिझक क्यों रहे हैं?

**श्री अर्जुन सिंह** : मुझे कोई झिझक नहीं है। मैं केवल यही कह रहा हूँ जो मुझे कहना चाहिए।

**श्री नीतीश कुमार** : अर्जुन सिंहजी, आप थक गए हैं।

**श्री अर्जुन सिंह** : हम थकने वाले नहीं हैं, नीतीश कुमारजी।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : तारीख कितनी थी?

**श्री अर्जुन सिंह** : 28 अक्तूबर, 1993 की बात है।

महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार यह अनुरोध मुख्य रूप से मंजूर किया गया था। यह आयोग के अभिलेखों से संबंधित है। अत: मैं यह नहीं कह सकता कि हर एक अनुरोध के संबंध में क्या आदेश दिए गए हैं। मुख्यत: ऐसा किया गया था।

विशेषाधिकार का प्रश्न आता है जैसा कि श्री चिदम्बरम ने कहा है। यद्यपि मैं वकील नहीं हूँ, मैंने कानून पढ़ा है लेकिन इसे अपना पेशा नहीं बनाया, फिर भी मैं जानता हूँ मेरे हिसाब से और निश्चित रूप से श्री चिदम्बरम की योग्यता मुझ से कहीं अधिक है कि उनकी बात मेरी समझ से परे है। लेकिन थोड़ा बहुत कानून मैं जो जानता हूँ उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जी हाँ, विशेषाधिकार का दावा किया जा सकता है। वह अभियोजन, या बचाव पक्ष या किसी भी अन्य का न्यायालय में विशेषाधिकार है। लेकिन विशेषाधिकार मंजूरी का अधिकार उस व्यक्ति के पास नहीं होता जो इसके लिए आवेदन करता है।

यहाँ पर ऐसा लगता है कि विशेषाधिकार का दावा करना, और इसका निर्णय करना, दोनों भूमिकाएँ सरकार ने अपने पास ले ली है। अन्यथा जिन दस्तावेजों को आयोग के समक्ष रखे जाने का अनुरोध किया गया था उन्हें क्यों नहीं भेजा गया? मैं उन दस्तावेजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो भेजे गए हैं। लेकिन दस्तावेज न भंग कर वह विशेषाधिकार मान लेना जो है ही नहीं, यह कैसी बात है, मैं नहीं समझता कि श्री चिदम्बरम कहेंगे कि यह अधिकार है।

महोदय, अंत में अनेक हिचकों के बाद जब आयोग ने अपनी सुनवाई शुरू की, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, जिनकी प्रचार माध्यमों में काफी चर्चा हुई, 10 फरवरी, 1994 को मंत्रिमंडल के सामने जैन आयोग को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव आया जिसकी अब हर एक को अच्छी तरह से जानकारी है।

इस पर सहमति नहीं हुई थी, मैं इसके कारण यहाँ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस पर सहमति नहीं थी। एक माह के अन्तर्गत श्री मुश्ताक अहमद ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की जिसमें उन्होंने बहुत से आधारों पर अनुरोध किया था कि आयोग को समाप्त किया जाए। उस याचिका पर सुनवाई हुई और उच्च न्यायालय ने आयोग को समाप्त करने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कतिपय शर्तें निर्धारित की थी। उच्च न्यायालय ने कतिपय स्पष्ट मार्गनिर्देश निर्धारित किए कि जुलाई 1987 से पहले के सभी मामलों पर आयोग गौर नहीं कर सकता

है और जुलाई, 1987 के पश्चात् के सभी मामलों पर आयोग गौर कर सकता है। इसे सभी ने अर्थात् आयोग ने, सभी परिषदों ने और केन्द्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया था, मैं इस प्रश्न में नहीं जाना चाहता हूँ कि श्री मुश्ताक अहमद की क्या हैसियत थी। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। उत्तर आज प्रासंगिक भी नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय का आदेश स्वीकार कर लिया गया है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : वह कौन है?

**श्री अर्जुन सिंह** : मुश्ताक अहमद नाम का एक व्यक्ति है।

**श्री नीतीश कुमार** : जब नाम लिया है और जानते हो तो कुछ बताइए।

**श्री अमल दत्त** : क्या आप उन्हें जानते हैं?

**श्री अर्जुन सिंह** : हर एक के पीछे जाकर उनका पता लगाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है।

महोदय, उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिए जाने के बाद प्रश्न यह है कि सरकारी वकील ने जैन आयोग को एक आवेदन पत्र दिया था कि इस याचिका पर अंतिम निर्णय दिए जाने तक आयोग को अपनी कार्रवाई रोक देनी चाहिए। जिसका मतलब यह है कि क्या न्यायालय इसे समाप्त करने के आदेश देना चाहता है या नहीं, न्यायालय के इस आदेश के बाद सरकारी वकील का आवेदन पत्र जैन आयोग को दिया गया था।

महोदय, मैं समझता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है और मैं इस विचार से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आयोग को केवल जुलाई 1987 के बाद की घटनाओं पर गौर करना चाहिए। सरकारी कारणों से इस बारे में अब कोई विवाद नहीं है जो हम सब को मालूम है। हर एक को इस प्रयास में दृढ़ क्यों रहना चाहिए कि उस आदेश के बावजूद इस आयोग को समाप्त किया जाए। यह मामला इतना गंभीर हो गया कि इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों को उस मामले में अन्तरायक बनाए जाने के लिए आग्रह करना पड़ा और वे उस मामले में अन्तरायक है। यह तथ्य रह गए हैं कि आज जैन आयोग के समक्ष जाँच चल रही है और उस विभाजक रेखा का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

महोदय, अब मैं 90 दिन की छूट पर आता हूँ जो श्री चिदम्बरम के छूट के दिन थे। मैं मानता हूँ कि वह एक दृढ़ विश्वासी, योग्य और सक्षम व्यक्ति हैं और वे दिया गया कोई भी काम बहुत सावधानी से करते हैं। प्रश्न यह है कि इन 90 दिनों के दौरान कतिपय घटनाएँ हुईं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : इनको ज्यादा सर्टिफिकेट देंगे तो गड़बड़ नहीं होगी?

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, चर्चा समाप्त होने के बाद मैं उनकी सुरक्षा के लिए उन सभी प्रमाण-पत्रों को वापस ले लूँगा।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : अच्छा लगा।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, आयोग ने केन्द्रीय एजेन्सियों के प्रमुखों को साक्ष्य के लिए आयोग के समक्ष पेश होने के लिए 27, 28 और 29 जुलाई तिथियाँ निर्धारित की हैं।

उन्होंने शपथ-पत्र भी दाखिल कर दिए हैं। लेकिन उसके पक्ष और आयोग महसूस करते हैं कि उन्हें भी आना चाहिए और साक्ष्य देना चाहिए। इस बात पर सहमति भी हो गई थी। तदनन्तर अब जैसा कि श्री चिदम्बरम् को स्पष्ट करना पड़ा कि किसके सुझावों और आदेशों से यह आभास दिया गया कि वे मौखिक साक्ष्य के लिए नहीं आएँगे और उन्होंने जो शपथ-पत्र दाखिल किए हैं वे पर्याप्त है। जब यह सूचना आयोग के पास पहुँची तो स्वाभाविक रूप से इसके पक्ष उत्तेजित हुए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है जबकि ऐसा आदेश मौजूद है कि इन तीन दिनों में उनकी

जाँच की जानी है। उन्होंने आयोग में अपनी आपत्तियाँ दर्ज करवाई, उस पर दलील हुई और अंत में आयोग ने आदेश दिया कि उन्हें जिरह के लिए स्वयं को आयोग के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। महोदय, अब जैसा आयोग ने निर्णय लिया है अब जिरह बन्द कमरे में होगी, इसलिए मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनके पेश होने का आदेश क्यों बदला गया था और किसने बदला?

जैन आयोग को थोड़ी सी असुविधा होनी तब शुरू हुई जब आयोग के वकील माननीय श्री अरोड़ा, एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कतिपय कारणों से त्यागपत्र दे दिया। मैं समझता हूँ कि दो महीने तक या एक माह से कुछ अधिक समय तक आयोग का कोई अधिवक्ता नहीं था। कोई भी व्यक्ति जो जाँच आयोग की कार्रवाई से विज्ञ है वह आयोग को सहायता पहुँचाने में आयोग के अधिवक्ता की भूमिका को समझता है। मुझे विश्वास है कि श्री चिदम्बरम को यह बात मालूम थी प्रसिद्ध अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई थी, महोदय, लेकिन यह नियुक्ति 24 अगस्त, 1995 को की गई थी। ...(व्यवधान)... जी, हाँ, मैंने तारीख ली है, यह भूतलक्षी प्रभाव से नहीं हो सकती है, यह परसों की बात है।

अब, मुझे मालूम नहीं है कि यह ठीक 24 तारीख को ही क्यों की गई, लेकिन ऐसा हुआ है। अब यह साधारणत: आयोग को सहायता पहुँचाने की प्रक्रिया में किया गया है लेकिन इसमें विलम्ब हुआ है। महोदय, न्यायमूर्ति जैन एक ऐसे मामले की जाँच कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उनके लिए सुरक्षा संबंधी बहुत से जोखिम भी हैं। हम सब इस बात को मानेंगे। सुरक्षा की आवश्यकता है, और यह स्वीकार भी किया गया है और शायद पहले जैन आयोग या न्यायमूर्ति जैन को एक सुरक्षा सलाहकार दिया गया था। यह पद काफी लंबे समय से रिक्त पड़ा है। मुझे विश्वास है कि श्री चिदम्बरम यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन उपलब्धियों का वर्णन किया गया है उसमें इस बात को भी शामिल किया जाए।

महोदय, अब मैं उन कुछ दस्तावेजों के बारे में कहना चाहता हूँ जो जैन आयोग ने माँगे थे लेकिन जो उसे उपलब्ध नहीं करवाए गए।

महोदय, मेरे पास डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी द्वारा आयोग को संबोधित एक पत्र है...(व्यवधान)...मेरे विचार से आप डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी को जानते हैं...(व्यवधान)।

**एक माननीय सदस्य** : मिर्च मसाला लगाइए।

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं मिर्च मसाला लगाने का आदी नहीं हूँ। मैं फैक्ट के आधार पर बोलता हूँ और फैक्ट्स के आधार पर इनफरेंस ड्रा करता हूँ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आप डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी को जानते हैं। बस इतना कहना ही काफी है।

**श्री अर्जुन सिंह** : इतना मिर्च-मसाला लगाना ही काफी है...(व्यवधान)... नहीं, महोदय, लेकिन मुझे अत्यंत खेद है कि मुझे माननीय सदस्य के बारे में ऐसा कुछ कहना पड़ा, जिसे कि आप पसंद नहीं करते, लेकिन विषय-वस्तु ही ऐसी है कि मैं इस बात की अनदेखी नहीं करना चाहता।

निस्संदेह इसमें उन्होंने यह कहा है कि वह आयोग के समक्ष पेश होना चाहते हैं और आयोग की सहायता करना चाहते हैं। उन्होंने यह कहा है :

"इस पत्र के साथ मैं तमिलनाडु एवं जाफना में लिट्टे के लोगों के बीच हुए वार्तालाप का अनुवाद संलग्न कर रहा हूँ, जिसे कि मैं पहले ही एक प्रेस-सम्मलेन में जारी कर चुका हूँ।"

यह कोई गोपनीय बात नहीं है। इसे एक प्रेस-सम्मेलन में पहले ही जारी किया जा चुका है। इण्डिया टुडे में भी लगभग डेढ़ वर्ष पहले यह बात प्रकाशित हुई थी, लेकिन महोदय, ये वार्तालाप/संदेश विशेषाधिकृत दस्तावेज हैं। आपकी अनुमति से मैं इन वार्तालापों में से कुछ अंश पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप पढ़ कर सुना सकते हैं, परन्तु उद्धरणों के रूप में नहीं।

**श्री अर्जुन सिंह** : इन अंशों को मैं उद्धरणों के रूप में नहीं पढ़ूँगा।

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : आम तौर पर मैं श्री अर्जुन सिंहजी जैसे किसी वरिष्ठ सदस्य के बीच में नहीं बोलता।

ये वार्तालाप 'ए' और 'बी' व्यक्तियों के बीच हुए गुप्त बेतार संप्रेषण हैं जिन्हें कि खुफिया एजेन्सियों ने प्रकट किया था तथा मैं यह उल्लेख नहीं कर सकता कि ये 'ए' और 'बी' व्यक्ति कौन थे। इन्हें डी-कोड किया गया था तथा स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी की हत्या के मामले की सुनवाई कर रही पुण्डामल्ली (मद्रास) में स्थित पदनामित न्यायालय के समक्ष चल रहे मुकदमे में इन्हें 'प्रदर्शित' के रूप में अंकित किया गया है। जैन आयोग ने इन संप्रेषित संदेशों की प्रतियाँ माँगी थी। इन्हें जैन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था- जो वस्तुत: विशेषाधिकार का मामला बनता है तथा मुझे विश्वास है कि सभी जानते हैं। मेरा अत्यंत सम्मानपूर्वक यह कहना है कि मैं यह बात नहीं समझ रहा हूँ कि किसी ऐसे गुप्त संप्रेषित संदेश पर - जो किसी सुनवाई न्यायालय में दाखिल किया गया महत्वपूर्ण अभियोजन है, न्यायाधीन न्यायिक मुकदमा है, जैन आयोग के समक्ष भी विचाराधीन है, इसकी कार्रवाई न्यायिक प्रकृति की है एवं न्यायाधीन भी हैं - यह मुद्दा कैसे आरम्भ हुआ और श्री अर्जुन सिंह - जिन्हें अपने उत्तरदायित्व की पूर्ण जानकारी है - इस महत्वपूर्ण साक्ष्य के अंश को इस माननीय सभा के समक्ष कैसे पढ़ कर सुनना चाहते हैं? मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह दस्तावेज उन्हें कैसे प्राप्त हुआ है। इस समय, मैं यह रहस्योद्घाटन करने की स्थिति में नहीं हूँ। चाहे मुझे इस बात की जानकारी है अथवा नहीं तथा किसी समाचार में प्रकाशित कोई संदेश सही है अथवा नहीं, लेकिन उसे मैं यहाँ प्रकट करने में असमर्थ हूँ। यह दस्तावेज न्यायालय में उपलब्ध है।

**श्री हरि किशोर सिंह** : श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी को बहुत-सी बातों की जानकारी हो सकती है क्योंकि इस सरकार ने उन्हें भी केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया हुआ है। अत:, वह कोई साधारण आदमी नहीं है। इन दस्तावेजों को जारी करने के बाद, उन्हें केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। उनके कहने का यही तात्पर्य है।

**अध्यक्ष महोदय** : जो बात श्री चिदम्बरम कहने की कोशिश कर रहे थे, मैं उसे समझना चाहता हूँ। वह यह कह रहे थे : "इसे पढ़कर नहीं सुनाया जा सकता। यह एक विशेषाधिकृत दस्तावेज है।

**श्री पी. चिदम्बरम** : यदि श्री अर्जुन सिंह यह दावा करते हैं कि यह एक संप्रेषित संदेश है, तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि सुनवाई न्यायालय एवं जैन आयोग के समक्ष प्रस्तुत "साक्ष्य" अंकित दस्तावेज को विशेषाधिकृत दस्तावेज के रूप में होने का दावा किया गया था।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : उन्होंने इस बारे में क्या निर्णय लिया था?

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इसे समझना पड़ेगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या इस दस्तावेज को प्रदर्शित किया गया है अथवा उसे इस शर्त के साथ प्रदर्शित किया गया है कि न्यायाधीश इस दस्तावेज पर बाद में निर्णय लेगा?

**श्री पी. चिदम्बरम** : इसे सुनवाई कार्यालय में प्रदर्शित किया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : तब तो यह एक साक्ष्य है।

**श्री पी. चिदम्बरम** : इसे प्रकट नहीं किया जा सकता क्योंकि इस पर टाडा कानून के अंतर्गत बंद कमरे

में मुकदमा चल रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं भी यही कह रहा हूँ। आपको मुझे बताना चाहिए कि न्यायाधीश महोदय ने इसे प्रकट करने को मना किया है।

**श्री पी. चिदम्बरम** : इस पर बंद कमरे में मुकदमा चल रहा है तथा यह टाडा न्यायालय की कार्रवाई है।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या सभी कुछ बंद कमरे में हो रहा है?

**श्री पी. चिदम्बरम** : इस पर बंद कमरे में कार्रवाई चल रही है। इसमें से कुछ भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता। सुनवाई न्यायालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया हुआ है।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री अर्जुन सिंहजी, मैं कोई निर्णय लेने से पूर्व उस दस्तावेज को देखना चाहता हूँ। इस मामले में कार्रवाई बंद कमरे में हुई थी तथा इन्हें प्रदर्शित किया गया था। यदि इस मामले में कार्रवाई बंद कमरे में न हुई होती और इन्हें प्रदर्शित नहीं किया हुआ होता, तो मैं आपको उस दस्तावेज में से पढ़कर सुनाने की अनुमति दे देता। लेकिन यदि कार्रवाई बंद कमरे में न हुई होती - इससे पूर्व कि आपने इस मामले विशेष का उल्लेख किया है - मैं यह देखना चाहता हूँ कि आप जिस दस्तावेज को रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं, वह दस्तावेज क्या है।

(व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री पी. चिदम्बरम ने जो कहा है न तो मैं उस पर कोई विवाद खड़ा करना चाहता हूँ और निश्चित रूप से न ही उसका खण्डन करना चाहता हूँ, जो आपने कहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह खंडन करना नहीं है। हम बिल्कुल सही करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

**श्री अर्जुन सिंह** : कृपया मेरी बात सुनें आपकी ऐसी इच्छा है, अत: मैं निश्चित रूप से आपसे सहमत हूँ।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : श्री अर्जुन सिंहजी, मान लीजिए कि जो श्री चिदम्बरम जी कह रहे हैं, वास्तव में मैं यह महसूस नहीं करता हूँ कि जैन आयोग के समक्ष जो कुछ चल रहा है, वह सब कुछ बंद कमरे में चल रहा है।

**श्री पी. चिदम्बरम** : महोदय, यह सब कुछ जैन आयोग के समक्ष विचाराधीन नहीं है। यह मुकदमा पदनामित न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जो कि स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी की हत्या के संबंध में 41 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर रही है तथा इस न्यायालय की कार्रवाई पूर्णतया बंद कमरे में चल रही है।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह कार्रवाई बंद कमरे में चल रही है तथा यदि इसे प्रदर्शित भी कर दिया गया है, तब भी मुझे आपको इसकी कार्रवाई वृत्तान्त/रिकॉर्ड में लाने के लिए अनुमति देने से पूर्व जाँच-पड़ताल करनी होगी।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, जैसा कि मैंने स्पष्ट कहा है और मैंने अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए कहा है कि आपने जो कहा है, मैं उससे सहमत हूँ और उसे स्वीकार करता हूँ। जहाँ तक आपका संबंध है, निस्संदेह मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूँ जिसे कि आपको भी बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर अवश्य ही पूछना चाहिए और वह प्रश्न सरकार से इस दस्तावेज के बारे में पूछने से संबंधित है। मैं इसमें से एक भी वाक्य पढ़कर नहीं सुनाऊँगा।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कोई निर्णय लेने से पहले मैं जो आप पढ़कर सुनाना चाहते हैं - उसे जानना चाहता हूँ।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, इसी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ। मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूँ। मैं इसे नहीं पढ़ूँगा। मैं तो आपसे बस इतना ही अनुरोध कर रहा हूँ कि आपको उनसे यह अवश्य पूछना चाहिए...

**अध्यक्ष महोदय** : किस बारे में?

**श्री अर्जुन सिंह** : सरकार से एक प्रमुख तथ्य के बारे में पूछा जाना चाहिए कि क्या यह दस्तावेज...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन कौन-सा दस्तावेज, मैं यह जानना चाहता हूँ।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। इस दस्तावेज को, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा। मैं इस दस्तावेज को आपको दे दूँगा।

**अध्यक्ष महोदय** : अब, इस बात को छोड़िए। यह दस्तावेज मुझे दे दीजिए। मैं इसे पढ़ने के बाद कोई निर्णय ले लूँगा।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, मैं शब्दों को प्रयुक्त करना नहीं जानता। लेकिन इस संबंध में निर्णय लेने के लिए आप ही बिल्कुल उचित व्यक्ति हैं। आपके अलावा अन्य कोई व्यक्ति इस बारे में कैसे निर्णय ले सकता है?

**अध्यक्ष महोदय** : श्री अर्जुन सिंहजी, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए कि आप कुछ कहते हैं तथा यह रिकॉर्ड करने की बात बन जाती है, यदि इसे प्रकट कर दिया जाता है, तो मेरी तरफ से यह कहने का कोई औचित्य नहीं है कि इसे कार्रवाई वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा सकता। कम-से-कम इसे इस सभा में तो कहा ही गया है।

**श्री अर्जुन सिंह** : अच्छा महोदय, मैं उस बात को मान लूँगा। परन्तु मुझे अपना कर्त्तव्य समझकर एक बात कहनी है और वह यह है कि इस दस्तावेज में जो तथ्य हैं, जिसका मैं उल्लेख नहीं करूँगा।...(व्यवधान)

**श्री नीतीश कुमार** : 'इंडिया टुडे' में है।

**श्री अर्जुन सिंह** : 'इंडिया टुडे' को छोड़िए, हाउस की बात है।

**श्री नीतीश कुमार** : 'इंडिया टुडे' में छपा है।...(व्यवधान)...

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : अध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय बिल्कुल सही है। उसमें केवल एक पहलू और है। क्योंकि अर्जुन सिंहजी ने अपने व्याख्यान में कहा है, यह चीज 'इंडिया टुडे' में छपी है। इसीलिए अगर 'इंडिया टुडे' में क्या छपा है, उसका वे उल्लेख करें, तो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है और कितनी नहीं है, यह तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसके आधार पर तो आज कम से कम जो चीज वे पढ़ना चाहते हैं, वह जगजाहिर है।

यद्यपि मुकदमे की कार्रवाई कैमरे के सामने चल रही है फिर भी इसमें कोई गोपनीय बात नहीं है क्योंकि 'इंडिया टुडे' ने जिस सूचना को प्रकाशित किया है वह चाहे सच है या गलत, मैं नहीं जानता क्योंकि हमारे पास इसको जानने का कोई भी तरीका नहीं है...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : जो भी कार्रवाई वृत्तान्त में निश्चित रूप से सम्मिलित किया जा सकता है, हम उसको रोकने के पक्ष में नहीं है। लेकिन, साथ ही हमारी देश के प्रति जिम्मेदारी है। यदि मंत्री अथवा सदस्य द्वारा सभा में कुछ भी कहा जाता है अथवा उद्घाटित किया जाता है तो वह सही है अथवा गलत उसका फैसला बाद में होना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ पवित्र भावनाएँ सम्मिलित हैं और ये भावनाएँ समाचार पत्रों में प्रकाशित तथ्यों से कुछ और ज्यादा पवित्र है। यदि यह दो देशों के बीच का मामला है तो मुझे सचेत रहना पड़ेगा। यदि यह उस प्रकार का कोई मामला है तो मुझे उस पर ध्यान देना होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसका उत्तर 'हाँ' या 'ना' में दे रहा हूँ। मेरा यह कहना है कि पहले मैं यह पढ़ना चाहूँगा कि आखिर यह मामला क्या है और उसके बाद मैं निर्णय लूँगा कि इसे कार्रवाई वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाना चाहिए अथवा नहीं।

यदि न्यायालय की कार्रवाई गुप्त नहीं होती और यदि इसे खुला नहीं रखा जाता तो मै ने केवल इतना कहा होता कि यह न्यायालय के रिकॉर्ड में एक दस्तावेज है और इसलिए यह एक प्रकार से सार्वजनिक दस्तावेज है और इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। चूँकि यह कार्य गुप्त रूप से हो रहा है इसलिए, मुझे सतर्क रहना होगा और अर्जुन

सिंहजी, मुझे आशा है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे।

**श्री अर्जुन सिंह** : मैंने आपका विनिर्णय आरम्भ में ही स्वीकार कर लिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद।

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस दस्तावेज को देखने के बाद आप जिस निष्कर्ष पर पहुँचे है, उसके अलावा - मैं दस्तावेज का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ - सूचना से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि मार्च 1991 में ही सरकार को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राजीव गांधी की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। किस प्रकार की तैयारी की जा रही थी, इसकी व्यवस्था कैसे की जा रही थी और यह हत्या मद्रास में अथवा दिल्ली में की जानी थी इसके बारे में मैं अब कुछ भी नहीं कह पाऊँगा। आपके निर्देश के कारण मैं चुप बैठ रहा हूँ। मैं इसे नहीं पढ़ूँगा।

**अध्यक्ष महोदय** : हम सब लोगों की दिलचस्पी सच और सही जानकारी प्राप्त करने में है।

**श्री अर्जुन सिंह** : जी अच्छा। मैं इसे ऐसे समाप्त करता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि ये प्रश्न, हम सब लोगों को और मुख्यत: देश को व्यथित करते रहेंगे और यही प्रश्न भावी पीढ़ियों का भी पीछा नहीं छोड़ेंगे और हम सब लोगों को अपने-अपने ढंग से इसका उत्तर देना होगा। इतना कहते हुए मैं यह बात समाप्त करता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री अर्जुन सिंहजी, मुझे वह दस्तावेज देखने दीजिए। आप कृपया वहीं पर बैठे रहिए। कोई आकर आपसे वह दस्तावेज ले लेगा। आप दूसरे मुद्दे पर आ सकते है और उसके बाद इस बात पर आ सकते हैं।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, कल राज्य सभा में भी यह मुद्दा उठाया गया था और इस संदर्भ में मैं समझता हूँ कि माननीय गृहमंत्री द्वारा जारी वक्तव्य के दो अथवा तीन सम्बद्ध विशेषताओं को आपके समक्ष रखना मेरे लिए प्रसंगौचित्य होगा।

**श्री संतोष मोहन देव** : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर राज्य सभा के वाद विवाद का उल्लेख किया जा सकता है। मैं नहीं जानता इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है?

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसे या तो व्यवस्था के प्रश्न के रूप में रखिए अथवा आप संबंधित पुस्तक पढ़िए।

**श्री संतोष मोहन देव** : आप उनकी सहायता कर रहे हैं, मेरी भी सहायता कीजिए। कृपया मेरी भी सहायता कीजिए। मैं केवल यही बात जानना चाहता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं बस यही तो कर रहा हूँ। यदि आप को विश्वास है कि इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता तो आप नियम पढ़िए और उसके बाद कहिए कि उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता है और फिर उसके बाद आप उसे व्यवस्था के प्रश्न के रूप में रखिए।

**श्री संतोष मोहन देव** : तब तो आपको मुझे उसका अध्ययन करने के लिए समय भी देना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूँ कि मुझे पुस्तक भी लाकर देनी होगी। सामान्यत: हम इस चर्चा का उस रूप में उल्लेख नहीं कर सकते हैं।

**श्री अर्जुन सिंह** : हम आम तौर पर इसका उल्लेख नहीं करते हैं और मैंने सामान्यत: इसका उल्लेख किया भी नहीं होगा।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : जहाँ तक मंत्रियों का संबंध है, यह एक अलग मामला है।

**अध्यक्ष महोदय** : तभी तो यह बात रख रहे हैं। मैं यह पढ़ रहा हूँ।

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं किसी सदस्य का नाम नहीं लूँगा।

महोदय, वह दो बातें कहते हैं :

"एक और मामला है जो कि षड़यंत्र से संबंधित है। न्यायाधीश जैन इस मामले को देख रहे हैं, जिसमें वास्तव में अन्य देश और देश के कुछ लोगों का षड़यंत्र शामिल है।"

उसके बाद मैं वह बातें यहाँ उद्घृत नहीं करूँगा जो कि एक माननीय सदस्य ने पूछा। लेकिन गृह मंत्री का उत्तर था:

"जी, हाँ। देश के और बाहर के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। यह भी आश्चर्य की बात नहीं कि षड़यंत्र के इस मामले में अन्य अभिकरण भी शामिल हों। और षड़यंत्र के मामले में कतिपय ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें विचार करना है कि क्या कतिपय दस्तावेजों को उद्घाटित करना उचित होगा आदि।"

महोदय, मैंने आरम्भ में यही प्रश्न उठाया था। हम श्री राजीव गाँधी की हत्या से संबंधित षड़यंत्र का पर्दाफाश करने के बारे में कितने गंभीर हैं? रुकावट किस बात की है? वे बाहरी तत्व कौन से हैं जो कि इसके बीच अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं वह भी सिर्फ इसलिए कि इसमें कोई अभिकरण अथवा कोई व्यक्ति शामिल है? हम किसको बचाने जा रहे हैं? हम इस मूल विषय से क्यों हट रहे हैं? और यदि यह बात गृहमंत्री ने नहीं कही होती तो मैं कतई उसका उल्लेख नहीं करता।

और उन्होंने श्री चिदम्बरम के बारे में कुछ कहा था :

"जहाँ तक गृह मंत्रालय का संबंध है, श्री चिदम्बरम ने मुझसे कभी भी ये नहीं कहा 'कि इस दस्तावेज की आवश्यकता है। कृपया मुझे यह दस्तावेज दीजिए।' मैं दस्तावेज देने के लिए तैयार हूँ।"

यह बातचीत उनके और श्री चव्हाण के बीच हुई। मैं उस मामले में कतई नहीं पड़ना चाहता।

दूसरी बात जो उन्होंने कही थी और जो कि समाचार पत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित हुई थी वह यही है। मुझे विश्वास है कि श्री चव्हाणजी ने 1987 के बाद की घटनाओं के संबंध में इसका उल्लेख किया क्योंकि जैन आयोग के समक्ष यही विषय-वस्तु थी और 1987 के पूर्व के समय के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। अत: वह इसका अवश्य ही उल्लेख कर रहे थे और आगे वह कहते हैं :

"हम यह नहीं चाहते थे कि विभिन्न देशों द्वारा किसी परिवार को भी बदनाम किया जाए और इसलिए मैं स्वयं श्रीमती सोनिया गाँधीजी से मिलने गया था।"

क्या इसका यह मतलब है कि 1987 के बाद के घटना क्रम में, जिस पर अभी जाँच चल रही है, ऐसी कोई बात है जो कि गृह मंत्रीजी हमें बताना नहीं चाहते हैं, जो कि उनको बाद में हमें बता देना चाहिए था। (व्यवधान) उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था।

महोदय, आज जानबूझकर उनका नाम लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है और कल भी मेरा कुछ भी कहने का इरादा नहीं था सिवाय उन भावनाओं के जो कि हम सभी ने व्यक्त की थी। मैं किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता था। परन्तु ऐसा करने का यह कोई तरीका नहीं है। दुर्भाग्यवश, इससे सारा माहौल ही बिगड़ जाता है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि यह पूरे प्रकरण का एक छोटा सा हिस्सा है। सभी दस्तावेजों को पढ़ने और उनके विस्तार में जाने का मेरे पास कोई समय नहीं है। लेकिन इससे लोगों के मन में यह धारणा लाई गई कि वे लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कहाँ की जा रही है। वे यह भी नहीं बताना चाहते हैं कि वे उनकी सुरक्षा क्यों नहीं कर पाए। वर्मा आयोग स्तब्ध है। अब जैन आयोग कार्रवाई कर रहा है। विशेषाधिकार के लिए दावे पर दावे किए जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आखिर में क्या होगा?

इतने महत्वपूर्ण गंभीर मामले को निपटाने का यह कोई तरीका नहीं है। मैं इस देश के लिए गंभीर महत्व शब्दों को दोहराना चाहता हूँ जिसमें इस देश के एक नेता का जघन्य हत्याकांड शामिल है।

अगर इसे हल करने का यही तरीका है तो फिर यह प्रश्न उठाया जाएगा कि क्या हम किसी का बचाव करने का प्रयास कर रहे है? क्या इस कार्रवाई में किसी को बचाने की कार्रवाई की जा रही है? यहाँ तक कि एक इंटरव्यू के दौरान उच्चतम न्यायालय के एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश ने भी 'कवर-अप' शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या हम राष्ट्र को यही दिखाना चाहते हैं? यह हमारी मर्यादा, हमारे शौक, जो हमें अत्यधिक दुःखी कर देती है, के अनुरूप किस प्रकार हो सकता है?

इन शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि इस सभा में इन प्रश्नों के जवाब दिए जाएँ और अगर मुझे और अधिक कुछ कहने के लिए आपकी अनुमति मिली तो मैं अपने जवाब में इस बात को पूरा करूँगा।

**श्री जसवन्त सिंह :** मैंने बैठक में भी कहा है कि यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम भी चर्चा चाहते हैं। लेकिन मैं नियम 193 के अंतर्गत चर्चा का, समय का तथा चर्चा के विषय का हवाला दे रहा हूँ। निश्चय ही मैंने कहा था और मैं पुनः यह मानता हूँ महोदय, कि मैंने कहा था कि यदि सब लोग चर्चा करना चाहते हैं तो हम उनका साथ देंगे।

महोदय, जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका जवाब वास्तव में सरकार को देना है। उनका जवाब मुझे नहीं देना है। लेकिन मैं वास्तव में देख रहा हूँ कि जहाँ तक कि जैन आयोग द्वारा कार्य किए जाने का संबंध है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जैन आयोग किस तरह से कार्य कर रहा है अथवा किस तरह से नहीं कर रहा है। मैं अभी भी उसके कार्यकरण के बारे में भ्रमित हूँ। जो कुछ भी श्री चिदम्बरम ने कहना था उन्होंने कहा और मुझे लगा कि उन्होंने बहुत सावधानी से अपनी बात कही।

लेकिन, मैंने तो इस मामले को यह समझा है कि यह पूरा विषय आयोगों की राजनीति है और उसके पश्चात् आयोगों के माध्यम से राजनीति के संबंध में है। उदाहरण के लिए मेरे विचार से ठक्कर आयोग के संबंध में अन्ततः सरकार में काफी समय के बाद उगलवाया गया कि हमें ठक्कर आयोग के संबंध में चर्चा करनी चाहिए। महोदय, मैंने ऐसा सभा में भी कहा था और इसलिए मुझे यह टिप्पणी करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हो रही है कि ऐसे घोर अपराध के लिए वह बहुत गलत दस्तावेज है। निश्चय ही, अपराध की जाँच की जानी चाहिए। अनेक आयोग स्थापित किए गए हैं। लेकिन आयोग को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए।

महोदय, अन्य विषय क्या हैं? मैं माननीय अर्जुन सिंहजी द्वारा व्यक्त विचारों से भी पूर्णतः सहमत हूँ, मेरा विचार है कि अगला विषय है शीघ्र न्याय, प्रत्यक्ष न्याय और फिर दयालु और ध्यान रखने वाली सरकार का पहलू। अब हम इस सरकार से दया और ध्यान देने की उम्मीद नहीं कर सकते।

हम शीघ्र न्याय की उम्मीद भी नहीं कर सकते क्योंकि अब न्यायिक प्रणाली स्वयं भी अत्यधिक बाधाग्रस्त हो गई है और हम सब आयोग के माध्यम से राजनीति करने लगे हैं। इसलिए जब पूर्व प्रधान मंत्री की हत्या के संबंध में विरोध चिन्ता व्यक्त की जाती है तो समय और संदर्भ महत्वपूर्ण बन जाते हैं। हम भी, इस दल में अपने अनेक राजनीतिक साथियों को खो चुके हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी। हमने अपने दल के अध्यक्ष श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा स्वर्गीय पंडित दीन दयाल उपाध्याय को भी इसी तरह खो दिया। उनके मामले भी आज तक सुलझ नहीं सके। लेकिन रोज हम उस दुःख को तथा राजनीतिक निष्ठा को प्रदर्शित नहीं करते हैं अथवा रोज इस विषय को नहीं उठाते है क्योंकि यह भा.ज.पा. का अपना मामला है। हम निश्चय ही कॉंग्रेस दल के राजनीतिक सिद्धांतों का समर्थन नहीं करते है।

यदि मैंने उन्हें स्वीकार कर लिया होता तो मैं उसके साथ बैठता। लेकिन, चूँकि मैं उनके राजनीतिक सिद्धांतों को नहीं मानता इसलिए मैं यहाँ बैठता हूँ और हमेशा यहीं बैठूँगा। हम व्यक्तिगत दु:खों को बयान नहीं करते हैं। यहाँ दो प्रसिद्ध नेता मेरे साथ बैठे है जो कि इन दोनों स्वर्गीय नेताओं को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। लेकिन वे अपनी व्यक्तिगत क्षति को बैज के रूप में हमेशा लगाए नहीं रहते है और जनता को यह नहीं दर्शाते कि अब हमारी कितनी साख है। मैं ऐसा बहुत संकोच से कह रहा हूँ। लेकिन मैं यह बहुत मजबूर होकर कह रहा हूँ।

जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो स्पष्टीकरण माँगे गए हैं, मैं उन पर आगे और चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। उनका उत्तर देना सरकार का काम है। आप पर आपके दल के वरिष्ठ सदस्य द्वारा आरोप लगाए गए हैं, जो कि किसी समय आपके मंत्री मंडल के नम्बर दो सदस्य थे। आप पर विलम्ब का आरोप लगाया गया है, आप पर तथ्यों को छुपाने का आरोप है, आप पर अपराधी को संरक्षण प्रदान करने का आरोप है और आप पर सहयोग न देने का आरोप है। इन आरोपों के उत्तर आपको देने है।

**श्री आर. प्रभु :** हम भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री की हत्या के बारे में बात कर रहे हैं। वह इस सदन के सभी सदस्यों के प्रिय रहे हैं चाहे वे काँग्रेस के सदस्य हों अथवा विपक्ष के। भारत के प्रधान मंत्री होने के अलावा वह एक अत्यंत उदार व दयालु व्यक्ति थे। हरेक आदमी यह बात जानता है। हम इस संबंध में बात नहीं कर रहे हैं। हम एक व्यक्ति अथवा किसी महिला के पति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम भारत के प्रधान मंत्री की हत्या के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद तथा देश की एकता व अखंडता का समर्थक था तथा जिसका विश्वास था कि इस देश की गरीब जनता को साथ लेकर ही इस देश का विकास किया जा सकता है। मुझे उनके मंत्रिमंडल में मंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तथा कई मामलों में मैंने उनके साथ बहुत निकट रह कर कार्य किया था। मैं जानता हूँ कि अब उदारीकरण की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। परन्तु उनकी मुख्य चिंता यह थी कि देश की गरीब व ग्रामीण जनता की हमेशा सुरक्षा की जानी चाहिए। यही बात श्रीमती सोनिया गाँधी ने अमेठी में कही थी परन्तु किसी ने भी यह बात कल नहीं कही। इन आदर्शों का परित्याग कर दिया गया है। 'हम यहाँ राजनीति पर बहस नहीं कर रहे हैं।' परंतु हम, जैसा कि माननीय सदस्य श्री जसवंत सिंह ने कहा है, इस मामले को रफा दफा किए जाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी कई हत्याएँ हुई हैं। परंतु जाँच आयोगों में इन्हें रफा दफा किए जाने के कोई आरोप नहीं लगाए गए थे। हाँ, इनमें विलम्ब अवश्य हुआ था। मैं श्री अर्जुन सिंह द्वारा कही गई सभी बातों में नहीं जाना चाहता क्योंकि उन्होंने विभिन्न जाँचों के बारे में अधिकतर सभी मुद्दों का उल्लेख कर दिया है। परंतु मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूँ तथा यदि मुझसे कुछ छूट जाता है तो भी आप कृपया ध्यान से सुनें क्योंकि मैं कोई भी बात दोहराना नहीं चाहता।

हम सभी जानते हैं कि तीन प्रकार से जाँच चल रही है। पहली मद्रास में अभिहीत न्यायालय में। विशेष जाँच दल ने दो सालों के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया है। दूसरी वर्मा आयोग में, जिसने 15 जून, 1992 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी तथा तीसरे जैन आयोग के द्वारा जो अगस्त 1991 में गठित किया गया था तथा जिसे इस हत्याकांड के पीछे षड़यंत्र का पता लगाना था।

महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कल कहा था कि वह 24 मई, 1995 के बाद से इस मंत्रालय के प्रति सीधे जिम्मेदार हैं। जब श्री अर्जुन सिंह बोल रहे थे, उस समय संभवत: संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रभारी मंत्री ने कहा था कि वे इससे पहले की घटनाओं से अवगत है। महोदय, अब मुद्दा यह नहीं है कि वह अवगत है अथवा नहीं। परन्तु जब कोई व्यक्ति किसी विभाग या किसी मामले, जो अत्यधिक संवेदनशील हैं, का कार्यभार ग्रहण करता है तो एक

वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते उस व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख तक की सभी जाँच कार्यों की स्थिति से अवगत होगा। अत: वह जानते होंगे। पिछले चार वर्षों से क्या हो रहा था। उन्होंने इस सम्माननीय सभा को इस जानकारी से अवगत नहीं कराया। मेरी इच्छा है कि वे ऐसा करें।

मैं सबसे पहले जैन आयोग के बारे में कहना चाहूँगा। जैन आयोग को वर्मा आयोग की रिपोर्ट को आधार मान कर आगे काम करना था। परन्तु सरकार ने लंबे समय तक वर्मा आयोग की रिपोर्ट की अधिकारिक प्रति जैन आयोग को उपलब्ध नहीं कराई। तथा मैं नहीं समझता कि यह कभी उपलब्ध कराई जाएगी। किसी अन्य स्रोत से यह रिपोर्ट आई तथा न्यायमूर्ति जैन उसे तभी देख पाए। जैन आयोग के गठन के बाद लंबे समय तक किसी वकील की नियुक्ति नहीं की गई। भारत के तत्कालीन महान्यायवादी जैन आयोग में आते हैं तथा कहते हैं, "आपका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। आपके पास कोई अधिकारिता नहीं है। जैन आयोग को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।" उसके बाद जैन आयोग की सहायता के लिए एक वकील की नियुक्ति की जाती है। उन्होंने इस्तीफा दिया तथा और भी कई बातें हुई। तब जैसा श्री अर्जुन सिंह ने कहा कि जैन आयोग को समाप्त करने के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष पत्र आया था। मुश्ताक अहमद नामक वकील ने जैन आयोग को समाप्त करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी। वे एक कनिष्ठ वकील हैं। मुझे ये ब्यौरे मालूम हैं क्योंकि मैं उन संसद सदस्यों में से था जिसने उस याचिका पर कार्रवाई न होने देने के लिए दखल दिया था ताकि जैन आयोग समाप्त न होने पाए। लोकहित वादी के रूप में सामान्यतया एक वकील अपने मुकदमों के लिए ही बहस करता है। वह विख्यात बनने का प्रयास करता है लेकिन इस मामले में वकील जो जैन आयोग के समक्ष सरकार की ओर से पेश हो रहा है, दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री मुश्ताक अहमद की ओर से भी पेश हुआ और मुझे विश्वास है माननीय मंत्री यह सब जानते हैं क्योंकि वे बहुत वर्षों से उसके सहकर्मी रहे है और वे दोनों संभवत: एक ही पीढ़ी तथा एक ही राज्य के हैं। जैन आयोग की अब तक सात बार अवधि बढ़ाई गई है और श्री अर्जुन सिंह ने बहुत सी बातें कहीं है जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ।

जहाँ तक वर्मा आयोग का संबंध था, न्यायमूर्ति वर्मा ने स्वयं कहा है यह सब लीपा पोती करने का प्रयास है। मैंने 5 अगस्त, 1993 को इस सम्माननीय सभा में यह मामला उठाया था। मैंने उसी दस्तावेज से उद्धृत किया था जिससे श्री अर्जुन सिंह ने आज उद्धृत किया है और मैंने सरकार से निवेदन किया था कि वह 5 अगस्त, 1993 को इसका जवाब दे। लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सरकार पर आरोप नहीं लगाया है। न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा है यह मामले पर लीपा पोती करने का एक इस हद तक प्रयास किया गया है कि जो प्रतिवेदन "21" द्वारा गुप्तचर एजेन्सियों को उस समय दिए गए थे जब श्री राजीव गाँधी तमिलनाडु का दौरा करने वाले थे लेकिन वे तमिलनाडु सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारियों को नहीं सौंपे गए।

एस.आई.टी. ने दो वर्ष बाद मद्रास में एक आरोप पत्र दाखिल किया था सामान्यत: दो वर्षों में सी.बी.आई. अथवा सी.बी.आई. की कोई शाखा एक हजार से भी अधिक गवाहों से पूछताछ कर सकती थी लेकिन इस मामलो में उन गवाहों में से आधे व्यक्तियों से भी पूछताछ नहीं की गई और दो वर्षों बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। खैर, मैं इस मामले में हुए विलंब के बारे कुछ नहीं कहूँगा। कतिपय अधिकारियों के मामले में कुछ असामान्य बातें घटित हुई हैं। मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता हूँ। एक ऐसे पुलिस महानिरीक्षक को पद्मश्री दिया गया जो राजीव गाँधी की हत्या के समय मौजूद था।

अभी विचार समाप्त नहीं हुआ है और इस दृष्टि से भी विचार नहीं किया गया कि वह षडयंत्र था या नहीं

फिर भी किसी व्यक्ति को पद्मश्री दिया जाता है। हाल ही में एस.आई.टी. के उप-पुलिस महानिरीक्षक को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है और अन्य व्यक्तियों के सिवाय उल्लेखनीय सेवा जो उन्होंने की है वह यह है कि षणयुगम नामक व्यक्ति जो तमिलनाडु में कतिपय लोगों तथा लिट्टे के बीच एक कड़ी का काम कर रहा था वह हथियारों की सप्लाई करता था। उसे तमिलनाडु के एक जिले में निरुद्ध किया गया था, उसने आत्महत्या कर ली थी। ये उप-पुलिस महानिरीक्षक उस कैम्प के प्रभारी अधिकारी थे। बाद में यही उप-पुलिस महानिरीक्षक कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए सारे विश्व में जाँच पड़ताल करते रहे। खास बात यह भी है कि उन्होंने लंदन में कागजात से भरा एक पूरा सूटकेस ही खो दिया और अब उसी उप-पुलिस महानिरीक्षक को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। तो यह कतिपय असामान्यताएँ हैं जिनसे यह सभा स्वयं समझ सकती है कि यहाँ क्यों हो रहा है?

अब मैं 24 मई, 1995 अर्थात् उस अंतिम तिथि के बाद की स्थिति के बारे में चर्चा करूँगा। कल श्री चिदम्बरम ने कहा था और जिस तिथि से उन्होंने कार्यभार संभाला था, उन्होंने अपने वक्तव्य में, यदि आपने पढ़ा हो तो आप यह समझ जाएँगे कि वे अत्यंत पांडित्यपूर्ण भाषण में कह रहे थे कि जैन आयोग को पूरा सहयोग दिया जा रहा है और वे यह देखने के लिए सभी कदम उठाएँगे कि हर दृष्टि से पूरी जाँच की जाए और वे अपना पूर्ण सहयोग देंगे। लेकिन स्वयं न्यायमूर्ति जैन ने 26 तारीख को कहा था कि सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो उन्होंने जो कहा है कि मैं उसका सारांश देता हूँ। मैं किसी को उद्धृत नहीं कर रहा हूँ।

महोदय, न्यायमूर्ति जैन ने कहा है कि उन्हें केन्द्र सरकार से आशा है कि वह स्वेच्छा से इस संबंध में कुछ जानकारी देगी और सूचना तथा कागजात भी देगी लेकिन वह कोई जानकारी नहीं दे रही है। जब तक उनसे आग्रह नहीं किया जाता तब तक उनसे हमें कुछ नहीं मिलता है। अखिल भारतीय काँग्रेस समिति के अधिवक्ता श्री मित्तल ने इस कार्रवाई के बारे में जो कहा वहाँ रिकार्ड में दर्ज है कि केन्द्र सरकार कागजात तथा रिकॉर्ड न देकर सरकार कागजात छिपाने का प्रयास क्यों कर रही है? और वह किसे बचाने का प्रयास कर रही है? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। यह श्री चिदम्बरम द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के बाद हुआ है। मैं वे तथ्य सामने रख रहा हूँ जो मुझे मालूम हैं। यह तो स्वयं सभा को निर्णय करना है कि जो कुछ हो रहा है अनुचित है अथवा उचित है।

**श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य)** : अध्यक्ष महोदय, जैन कमेटी के सामने कहा गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से डाक्युमेंट देने हैं। कमेटी के चेयरमैन श्री जैन, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अभी तक आयोग द्वारा माँगे गए दस्तावेजों में से केवल दस प्रतिशत दस्तावेज ही उपलब्ध करवाए गए हैं। वे भी बोल रहे हैं और काँग्रेस पार्टी के जो वकील हैं, वे भी बोल रहे हैं कि उनको डाक्युमेंटस नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने इसलिए बताया कि डाक्युमेंट सरकार सामने नहीं लाना चाहती है। उन्होंने कहा हैं - उनके पास वृहद् तंत्र और संसाधन है, सरकार के पास सब कुछ है, यह आम आदमी के हाथ में नहीं है। मामला इतनी धीमी गति से चल रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे प्रधान मंत्रीजी मारे जाते हैं या किसी नारी का पति मरता है, तो वह एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा जो हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री थे, उनकी पत्नी सोनिया गाँधी की वेदना कहती है कि कितनी देरी से यह काम चल रहा है।

यह मामला अर्जुन सिंहजी ने उठाया है, ऐसा लग रहा है कि अर्जुन सिंहजी ने जो यह मामला उठाया है, बहुत अच्छी बात की है, लेकिन जिस तरह से गम्भीरता से उठाया है, उससे लगता है कि वह पोलिटिकल एँगल से उठाया गया है। क्यों? क्योंकि जब वे काँग्रेस में थे, काँग्रेस पार्टी में थे, कैबिनेट मंत्री थे, वे उस समय भी इसको एक्सपिडायट कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय नहीं किया और अभी कर रहे हैं बाहर निकल कर। अभी किसी को पिंजरे में खड़ा करने के लिए उन्होंने ये बातें उठाई हैं, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ चिदम्बरमजी बैठे है, वहाँ आपके चीफ

सेक्रेटरी श्री देशमुखजी ने भी कहा था, जब राजीव गाँधी की हत्या हुई तो चिदम्बरमजी ने स्टेटमेंट दी थी कि स्पेशियल प्रोटेक्शन ग्रुप वापस लिए जाने के बाद श्री राजीव गांधी को प्रदान की गई सुरक्षा पर इसमें संतोष प्रकट किया गया था। यह संतोषजनक थी।

इसलिए जो हमारे चिदम्बरमजी ने यहाँ कहा था, वह सच था या नहीं सच था, वह भी हमारे सामने आना चाहिए।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारे दीनदयाल उपाध्यायजी मारे गए, श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जीजी भी मारे गए। लोगों के दिल में भावना है, कोई भी व्यक्ति मर जाता है, मारे जाते है और लोगों मे आशंका होती है, तो कमीशन एन्कवायरी होनी चाहिए। आज लोगों के दिल में यह भावना है और चन्द्रशेखरजी के ऊपर यह इल्जाम है, इसलिए कमीशन की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी बाहर आना चाहिए। जिस तरह से भूतपूर्व प्रधान मंत्री मारे गए और चन्द्रशेखरजी के ऊपर...(व्यवधान) मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह रिपोर्ट जल्दी से जल्दी बाहर आना चाहिए। इसमें उनकी इमेज गलत होगी और उनकी इमेज खराब होगी। मैं यह नहीं कहता हूँ, वे एक्चुअली इसमें इन्वाल्व है या नहीं है, लेकिन वह रिपोर्ट बाहर निकलनी चाहिए। 'डर्टी पोलिटिकल गेम प्लेड बाई डर्टी पीपल' यह लोगों के दिल में भावना है। जब लाल बहादुर शास्त्रीजी मर गए थे, तब धर्मयुग मैगजीन के अन्दर उनकी पत्नी ललिता देवी शास्त्रीजी का बयान मैंने पढ़ा था। उनकी पत्नी को उनकी लाश के नजदीक नहीं जाने दिया। लोगों के दिल में यह भावना है, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, कि शायद इसके पीछे...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : इसे कार्रवाई वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

**श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य)** : इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर लोगों के दिल में भावना हो, तो उसकी एन्क्वायरी होनी चाहिए और उसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए।

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में मेरे कल के वक्तव्य से सरकार के निर्दिष्ट न्यायालय में चल रहे मुकदमे और न्यायमूर्ति जैन आयोग के समक्ष चल रही जाँच के संबंध में सरकार की वचनबद्धता के बारे में सभी शंकाओं का निवारण हो जाना चाहिए था। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कम से कम इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों को यह विश्वास नहीं दिला सका। इसकी पूर्व सूचना मुझे कल ही मिल गई थी मैंने कहा है कि इसमें सच्चाई है, संकल्पना है। सत्य शाश्वत है अपरिवर्तनीय होता है, सच्चाई को बदला नहीं जा सकता लेकिन संकल्पना को बदला जा सकता है। सच्चाई की धारणा प्रत्येक व्यक्ति की अलग हो सकती है और हर दिन उसमें परिवर्तन आ सकता है।

महोदय, कल मैंने कहा था कि इसमें सच्चाई का होना ही पर्याप्त नहीं है। विश्व को किसी व्यक्ति की सच्चाई को भाँपना चाहिए। अगर मैं कल सरकार की सचेतता, वचनबद्धता और जाँच-पड़ताल के तार्किक परिणाम के बारे में जानकारी देने में विफल रहा हूँ तो उस विफलता की जिम्मेदारी मेरी है।

आज सरकार ने मुझे इन मामलों को समन्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। 23 मई, 1995 तक की कार्रवाई और 24 मई, 1995 के पश्चात् होने वाली कार्रवाई जो भी हो मेरे ऊपर सिर्फ इन्हीं कार्यों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि श्री अर्जुन सिंह, उनके जैसे अन्य लोगों के साथ-साथ इस सभा और इस देश को सरकार के पक्षिम और दृढ़ निश्चय के बारे में विश्वास दिलाना भी है।

महोदय, आज बहुत सी बातें कही गई हैं। इस चर्चा को शुरू हुए चार घंटे और 10 मिनट बीत चुके हैं। अनेक प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। भारत के लोग इसके बारे में प्रातःकाल पढ़ेंगे। उनमें से अनेक लोग हमें भाषण देते हुए

या कम से कम उसके कुछ अंशों को कल देखेंगे। लोगों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मेरा कर्त्तव्य दो उद्देश्यों की प्राप्ति है। पहला, तत्कालीन सरकार ने स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या के बाद विशेष जाँच दल की नियुक्ति की थी जिसने एक रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत की थी कि 41 लोग, जिनमें से 12 मारे जा चुके हैं, षड़यंत्रकारी और हत्यारे थे।

मैं न्यायाधीश नहीं हूँ। मेरा कर्त्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि जिनके निर्दिष्ट न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं, उनको कानून के अनुसार न्याय मिले। मेरा कर्त्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि वह सुनवाई ठीक से हो, कि अभियुक्त यदि दोषी हों, तो उनको दण्ड दिया जाए, यह कि कल, अगले वर्ष, उससे अगले वर्ष, सुनवाई भले ही न्यायालय या अपीलीय न्यायालय, अथवा राष्ट्रपति के समक्ष हो रही हो, दोषी व्यक्ति कानून के शिकंजे से बच न पाए। यह मेरा प्रथम कर्त्तव्य है। और मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा और न ही ऐसा कुछ करूँगा जो उस कर्त्तव्य की कीमत पर हो जो मेरा सर्वोच्च कर्त्तव्य है।

महोदय, सरकार की ओर से मंत्री के रूप में बोलते हुए, मेरा दूसरा कर्त्तव्य जैन जाँच आयोग को उसके निदेश पदों के अनुरूप जाँच पूरी करने में तथा सरकार को प्रतिवेदन देने में सहायता करना है, जो इस संसद को रिपोर्ट देगी कि क्या कोई अन्य षड़यंत्रकारी थे, या क्या कोई अन्य षड़यंत्र था इसके पीछे और फिर यह निर्देश देना है कि उस षड़यंत्र तथा उन षड़यंत्रकारियों के बारे में क्या किया जाएगा? कृपया न्यायमूर्ति जैन आयोग के निदेश पदों को देखें। महोदय, मंत्री के रूप में मेरा कर्त्तव्य जैन जाँच आयोग की सहायता करना है, न कि उनकी जाँच में अड़चन डालना। मेरा कर्त्तव्य वह सब जानकारी प्रदान करना है जो आयोग को चाहिए, और जो सरकार के पास उपलब्ध है। मेरा कर्त्तव्य सच्चाई का पता लगाने में आयोग की सहायता करना है क्योंकि यह आम जानकारी है कि आयोग के सामने जो कुछ आया है वह सभी सत्य नहीं है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कुछ खेद सहित उल्लेख किया था, दो भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों पर आयोग के समक्ष आरोप लगाए गए हैं। इसका निर्णय करने वाला मैं कौन होता हूँ? मेरा कर्त्तव्य न्यायमूर्ति जैन जाँच आयोग को सच्चाई का पता लगाने और यह पता लगाने में सहायता करना है, कि क्या कोई षड़यंत्रकारी है और इसके पीछे कोई और भी षड़यंत्र था, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा अथवा कहूँगा जो जिससे जिसके लिए मुझे अपने इस कर्त्तव्य की कीमत पर समझौता। इस बात को देखते हुए मुझे संक्षिप्त में बोलना है, मुझे अपने शब्दों का सावधानीपूर्वक चयन करना है, मुझे अपनी सीमा में रहना है, मुझे यह दिए जा रहे तर्कों तथा उन सदस्यों के प्रति आदरभाव प्रदर्शित करना है जो अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। मेरा किसी से विद्वेष नहीं है। प्रथम वर्ष में इस सरकार में मंत्री होने पर मैं खुश था। सरकार में मंत्री न होने पर मैं और अधिक प्रसन्न था।

महोदय, पाँच अलग-अलग मुद्दों का उल्लेख किया गया है और मैं उनमें से प्रत्येक का संक्षेप में उत्तर दूँगा। न्यायमूर्ति जैन आयोग के समक्ष अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी की एक याचिका विचाराधीन है जिसमें कतिपय दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। इस पर अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के महासचिव, श्री अहमद पटेल द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, जो राज्य सभा के सम्माननीय सदस्य है। उनके वकील ने भी याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। वह याचिका न्यायिक आयोग में विचाराधीन याचिका है और आयोग ने इस याचिका पर आदेश पारित किए हैं। ये आदेश सार्वजनिक दस्तावेज है। कोई भी इन दस्तावेजों को यह देखने के लिए देख सकता है कि क्या आदेश पारित किए गए थे और उन आदेशों का अनुपालन कैसे हुआ है। मुझे श्री अर्जुन सिंह द्वारा, अपने सामान्य स्वभाव के विपरीत सुझाई गई इस उत्तेजक बात का उत्तर देना है कि याचिका का प्रारूप तैयार करने में मेरा भी कुछ हाथ

है। इस याचिका में एक स्थान पर श्री वी.पी. सिंह का प्रतिनिधि के रूप में उल्लेख किया गया है। मेरे नाम में 11 अक्षर हैं। इस याचिका में भी मेरे नाम में 11 अक्षर है। 11 में से 2 गलत हैं। यदि श्री अर्जुन सिंह ने उस याचिका पर उसकी भाषा, वर्तनी पर कुछ ध्यान दिया होता, जैसा कि वे समान्यतया देते हैं, तो उन्होंने मुझे उस याचिका के लेखक बताकर मुझे जो श्रेय दिया है, उससे कहीं अधिक श्रेय दिया होता।

**श्री जसवंत सिंह** : अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के महासचिव ने यह किया है।

**श्री पी. चिदम्बरम** : उसने कहा, 'मैंने यह कहा है'...(व्यवधान)... मैं उस भाग पर नहीं बोल रहा हूँ।

**श्री जसवंत सिंह** : फिर, आपका सुझाव क्या है? आप शीघ्रता से अपने सुझाव दें।

**श्री पी. चिदम्बरम** : ठीक है। यदि माननीय अध्यक्षजी अनुमति दें तो मैं पाँच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूँगा। ...(व्यवधान)... कृपया मेरे ऊपर कुछ दया कीजिए। मेरा इस याचिका से कोई संबंध नहीं है। उत्तरदायित्व लेने के पश्चात् पहली बार मैंने इसे देखा था और मैंने यह देखने के लिए इस याचिका को पढ़ा कि कितने आदेशों का अनुपालन किया गया है और उनके अनुपालन की क्या स्थिति है।

महोदय, श्री मुस्ताक अहमद के बारे में रिकॉर्ड से मुझे पता लगा है कि उस नाम के एक व्यक्ति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी। उस याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कतिपय आदेश पारित किए थे। याचिकाकर्त्ता पर कुछ प्रतिवादियों ने आपत्ति की है। उक्त मामला न्यायालय के विचाराधीन है। मुस्ताक अहमद की याचिका पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है।

मैं अब तीन खुफिया संगठनों के तीन अध्यक्षों की जाँच पर आता हूँ। न्यायाधीश जैन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार तथा तमिलनाडु सरकार के अतिरिक्त आसूचना ब्यूरो, अनुसंधान और विश्लेषण स्कन्ध तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने न्यायाधीश जैन आयोग के आदेशों के उत्तर में शपथपत्र दायर किए हैं। इन शपथपत्रों के साथ, उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और जिन मामलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे, वहाँ उन्होंने शपथ पत्र में दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के कारण बताए हैं और जहाँ उन्होंने विशेषाधिकार का दावा किया है, तो विशेषाधिकार का दावा किया ही हुआ है। न्यायमूर्ति जैन ने इनमें से प्रत्येक शपथपत्रों की जाँच की है और उपयुक्त आदेश पारित किए हैं।

ये आदेश सार्वजनिक दस्तावेज हैं और उनकी जाँच की जा सकती है। एक चरण पर, जिरह के लिए उक्त तीनों अध्यक्षों को बुलाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। इस सभा को स्मरण होगा कि उक्त तीनों संगठनों के वर्तमान अध्यक्ष हैं उस हत्या के समय अथवा उसके तुरंत पहले अध्यक्ष नहीं थे अत: उनके पास उस दिन या उससे पूर्व हुई घटनाओं की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। उन्होंने सरकारी विवरण के शपथ पत्र दिए हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि सुनवाई के दौरान, केन्द्र सरकार के एक वकील द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि उक्त तीनों अध्यक्षों से जिरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मुझे इसके बारे में बताया गया, तो मैंने उस निर्णय के विपरीत यह कहा था, "नहीं, तीनों अध्यक्ष उपस्थित होंगे और उनसे जिरह की जाएगी।" वास्तव में, दूसरे दिन मैंने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया था कि तीनों अध्यक्ष न्यायमूर्ति जैन आयोग के समक्ष उपस्थित होंगे और जिरह के लिए उपलब्ध होंगे। वास्तव में, कानून स्वत:पूर्ण है। जो कोई शपथ पत्र दायर करता है, भले ही वह सरकारी रिकॉर्ड पर आधारित हो, उसे जिरह के लिए उपलब्ध होना चाहिए। जिरह का स्वरूप क्या है, और किस सीमा तक न्यायाधीश जिरह की अनुमति प्रदान करेगा, ये भिन्न बातें हैं? लेकिन उसे जिरह के लिए उपलब्ध रहना होगा। अत:, यह स्थिति है। यह बताया गया है कि तीनों अध्यक्ष जिरह के लिए उपलब्ध होंगे। न्यायाधीश ने कनिष्ठ अधिकारियों

की जाँच करनी प्रारम्भ कर दी है और यह निर्णय न्यायाधीश करेंगे कि कब और किस सीमा तक तीनों अध्यक्षों से जिरह की अनुमति प्रदान करेंगे?

आयोग के वकील को संदर्भ भेजा गया था। यह कार्य गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है और मुझे यह बताने का निर्देश हुआ है कि श्री अरोड़ा, जो मेरे विचार से एक बुजुर्ग है, ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। उसने कुछ समय पूर्व अपना त्यागपत्र दिया, जिसे 24 अगस्त, 1995 को स्वीकार किया गया था। अत:, 24 अगस्त, 1995 का एकमात्र महत्व यह है कि उस दिन पहले दिए गए त्यागपत्र को गृह मंत्रालय में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विचार करने के पश्चात् स्वीकार किया गया था।

सुरक्षा सलाहकार का उल्लेख किया गया था। आयोग का एक सुरक्षा सलाहकार था। वह अपने एक संवर्ग में वापस चला गया। तब से मुझे बताया गया है, उपयुक्त उत्तरवर्ती अधिकारी के चयन के बारे में गृह मंत्रालय तथा आयोग के बीच पत्र-व्यवहार हुआ था। कुछ नाम सुझाए गए हैं, कुछ सुझाव दिए गए हैं, कुछ अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, सुरक्षा सलाहकार का शीघ्र ही चयन किया जाएगा। इस मामले से संबंधित सुरक्षा पहलुओं पर आयोग को परामर्श देने के लिए न कि आयोग की सुरक्षा के लिए, आयोग के पास एक सुरक्षा सलाहकार का होना अहम है। क्योंकि इस मामले में सुरक्षा विषयों के बारे में कुछ विशेषज्ञतापूर्ण जानकारी की जरूरत है। मैंने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे शीघ्र एक सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति सुनिश्चित करें और जहाँ तक यह मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, तो मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि एक सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है।

वर्मा आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया था। मैं नहीं समझता कि यह चर्चा वर्मा आयोग रिपोर्ट पर की जा रही थी। कल, मेरा उत्तर जैन जाँच आयोग तथा आयोग द्वारा की जा रही जाँच तथा नामित न्यायालय में मुकदमे चलाने तक सीमित था। वर्मा आयोग पर इस सभा में चर्चा की जा चुकी है, अनुवर्त्ती कार्रवाई की जानी है। मंत्रियों के दल ने कुछ कार्रवाइयाँ करने की सिफारिश की है। मंत्रियों के एक दल द्वारा कुछ अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने की सिफारिश के अनुसार ये कार्रवाइयाँ भी की जा रही है। यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है।

इन न्यायिक प्रक्रियाओं पर कोई भी पूर्व निर्णय नहीं ले सकता है और न ही कोई अपनी राय जाहिर कर सकता है, अन्यथा अधिकारियों अथवा अधिकारियों के दोषी होने अथवा दोषी न होने के संबंध में विचार कर रहे प्राधिकरण के स्वतंत्र निर्णय के बारे में लोगों की राय पर प्रभाव पड़ सकता है।

इसलिए, निष्कर्ष के तौर पर मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैंने कल कहा था मैं उस बात पर अटल हूँ। मैं जैन जाँच आयोग को सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग देने का वचन देता हूँ। मैं इस सभा को आश्वासन देता हूँ, जैसा कि मैंने कल कहा था, यदि भगवान ने चाहा तो अभियोजन पक्ष नामित कोर्ट के सामने दिसंबर तक पूरे साक्ष्य दर्ज करवाने का काम पूरा कर देगा। मैं इस सभा को आश्वासन देता हूँ कि अन्य सभी मामलों में भी जिनमें अनुवर्त्ती कार्रवाई की आवश्यकता है, पूर्ण निष्ठापूर्वक अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। मैं बिना किसी डर के, अथवा बिना किसी का पक्ष लिए कार्य करूँगा। मैं अपने अन्त:करण की आवाज के अनुसार कार्य करूँगा। मैंने इस सभा में मंत्री के रूप में तथा एक सदस्य के रूप में जो शपथ ली थी उसके अनुरूप कार्य करूँगा। मैं सरकार की ओर से, प्रधान मंत्री की ओर से तथा मंत्रियों की ओर से बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस सरकार से कोई ऐसा नहीं है जो कि मेरे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से भिन्न विचार रखता हो। हम सब सामूहिक रूप से और मैं चूँकि प्रभारी मंत्री हूँ, यह सुनिश्चित करूँगा कि नामित कोर्ट के समक्ष मुकदमा किसी तर्कपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचे और न्यायमूर्ति जैन आयोग द्वारा जाँच रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी जाए जिसे निश्चय ही संसद के समक्ष रखा जाएगा।

कल, मैं स्वयं से यह पूछते हुए कि मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए और किस चीज की आवश्यकता हो सकती है कि मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, खिन्न मन से और विचारमग्न अवस्था में सभा से चला गया था। आज, महोदय जो बातें इस सभा में कहीं गई हैं, उनके कारण मैं आज इस सभा से कल से अधिक उदास मन:स्थिति में सभा से जाऊँगा। लेकिन यदि आप कहें तो मैं आपसे, जो कुछ भी आपने कल कहा था, उसके सारांश को दोहराने का नम्र निवेदन करूँ जिससे कि मैं समझता हूँ कि प्रदर्शित होती है जिससे सभा द्वारा कल व्यक्त की गई सर्वसम्मति परिलक्षित होती है और जिस तरीके से इस संसद और भारत की जनता के संकल्प को प्रदर्शित किया था कि उन सभी को, जो षड़यंत्रकारियों के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्री राजीव गाँधी की हत्या के लिए जिम्मेदार है, दण्डित किया जाए।

महोदय, मैं इस उम्मीद के साथ अपनी टिप्पणी को समाप्त करता हूँ कि यदि इतिहास हमारा आकलन करेगा वह हमारे बारे में यही निर्णय लेगा कि हमने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन किया। मैं वचन देता हूँ कि यह सरकार अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करेगी।

**श्री अर्जुन सिंह :** महोदय, मैं बिल्कुल थोड़ा सा समय लूँगा। मैं केवल यह कहना चाहूँगा कि मेरे माननीय मित्र श्री चिदम्बरम द्वारा दिए गए जवाबों के कारण मेरा कार्य बहुत आसान हो गया है।

यहाँ तक कि आज भी जब मैंने दस्तावेज पढ़ना आरम्भ किया तो श्री चिदम्बरम ने आपत्ति उठाई, तो मैंने वह दस्तावेज माननीय अध्यक्ष महोदय को सौंप दिया और मैं उस पर उनके निर्णय का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने उस बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि श्री चिदम्बरम ने कहा था कि उस बारे में यदि कुछ कहा गया तो उसका वहाँ चल रहे मुकदमे पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

आपने स्वयं अपने वक्तव्य को यह कहकर अर्थहीन बना दिया है कि मेरे वक्तव्य से जिन लोगों पर मद्रास में नामित कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें न्याय से बच निकलने में मदद मिलेगी। जो कुछ भी आपने कहा है मैं उसके लिए आपको कोई खेद व्यक्त करने के लिए नहीं कहूँगा लेकिन कृपया भविष्य में ऐसी बात कहिए जिसका वास्तविकता के साथ कोई संबंध हो।

आपने तथा श्री चिदम्बरम ने कल सभा में काफी स्वागत योग्य विचार व्यक्त किए है जिनका माननीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत सुंदर तरीके से सार प्रस्तुत किया था। आपके विचार में आज की चर्चा जानबूझकर कल की बात को चरम सीमा से सामान्य स्थिति में लाने के लिए की गई है। फिर भी आपने उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं किया, आपके शब्दों की अभिव्यक्ति बहुत स्पष्ट है।

महोदय, कल बार-बार मैंने यह उल्लेख किया कि इस समय हमें विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करनी चाहिए और इससे कटुता पैदा होगी। मुझे नहीं मालूम कि कल श्री चिदम्बरमजी को किसने कहा था कि विस्तारपूर्वक चर्चा करें क्योंकि वह कोई ऐसा अवसर नहीं था, उनको ब्यौरे देने के लिए किसी ने नहीं कहा था। उनसे किसी ने नहीं कहा था कि वे हमें यह बताएँ कि वे क्या कर रहे हैं और जैन आयोग क्या नहीं कर सकता और उसकी स्थिति क्या है? लेकिन उनके वक्तव्य के उस भाग में, जिसमें उन्होंने सच्चाई और प्रत्यक्ष अनुभूति की बात की है और जिसे उन्होंने आज पुन: दोहराया है, उससे यही प्रतीत होता है कि कुछ लोग यह सोचते हैं कि सच्चाई और प्रत्यक्ष अनुभूति दोनों ही उनके पक्ष में है। मैंने कल कहा था कि एक विभाजन रेखा है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि आप सच्चाई का साथ दे रहे है जबकि अन्य अवबोधन के साथ है और परस्पर जुड़ी हुई ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। ऐसा नहीं हुआ है। जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। इसी कारण से यह चर्चा उठाई गई है। आज भी शंकाकुल होने के बावजूद भी मैंने चुनिंदा शब्दों

का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया। और स्वयं कुछ नहीं कहा है, मैंने न्यायमूर्ति वर्मा को उद्धृत किया है, अगर उनका मानना है कि इसमें लीपा-पोती की गई है, तो मैं भी उन्हीं की बात को दोहराने के लिए स्वतंत्र हूँ। महोदय, यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंत्रियों के दल की बैठक में आयोग की रिपोर्ट के ऊपर की गई अनुवर्ती कार्रवाई चर्चा का विषय था। मैंने पूरी कोशिश भी की कि जो बातें न्यायमूर्ति वर्मा को नहीं प्रस्तुत की गई थी और जिनके कारण उन्होंने कहा कि उत्तर टालमटोल पूर्ण है, तो उनकी सच्चाई का पता लगाया जाए ताकि अनुवर्ती कार्रवाई में सरकार कुछ कर सके।

परन्तु, यह सब संभव नहीं था। मेरे सभी पत्रों में यह बात स्पष्ट है, मेरे पास कोई उचित तरीका न होने के कारण मैंने त्यागपत्र दे दिया था। अगर इससे आपको गुस्सा आया है, तो मुझे इसके लिए खेद है। अगर इसी से आपको नाराजगी है, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने पूर्ण सद्विवेक के साथ उस सरकार में नहीं रह सकता था जो हाल में किए गए सबसे घिनौने अपराध की तह तक जाने के लिए तैयार नहीं है।

दूसरी बात जैन आयोग के बारे में है। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है। कल कहा गया था 'केस डायरी' दी जा सकती है क्योंकि विशेषाधिकार का मामला है, मैं आज यह पूछ रहा हूँ कि क्या न्यायमूर्ति को 'केस डायरी' दिखाई गई थी? किसी अन्य व्यक्ति को मत दीजिए, परन्तु क्या वह माननीय न्यायमूर्ति जैन को दिखाई गई है? मेरी जानकारी के अनुसार उन्हें नहीं दिखाई गई।

महोदय, आयोग को समाप्त करने की बात उठाई गई थी। महोदय, मेरे विचार से आपने स्पष्ट निवेदन किया था और इसी कारण से आपको याद होगा कि मैंने आरम्भ में कहा था कि श्री चिदम्बरम ने 90 दिन का समय माँगा था तथा बाकि बातों का कौन उत्तर देगा? जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने स्पष्ट निर्देश दिया था कि सब कुछ बता दिया जाए। मैं जानना चाहता हूँ कि आयोग को समाप्त करने के मामले को मंत्रिमण्डल के समक्ष रखने का क्या कारण था? महोदय, मैं पूर्ण निष्ठापूर्वक कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्रीजी की स्पष्ट अनुमति के बिना इस मामले को मंत्रिमण्डल के विचारार्थ नहीं लाया जा सकता है। यह कार्य संचालन संबंधी नियम है। कोई भी सचिव, या अन्य कोई भी मंत्रिमण्डल के विचार हेतु कोई कागज चोरी छिपे नहीं ले जा सकता। आपने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। यह अलग बात है कि मंत्रिमण्डल ने इस पर सहमति नहीं दी।

महोदय, इस मामले में न्यायालय में क्या कहा गया है? सरकार को न्यायालय में जाकर यह कहने की छूट थी कि हम नहीं चाहते हैं कि 1987 के पूर्व के मामलों पर आयोग विचार करे, अथवा उन पर चर्चा करे, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई न्यायालय आपके अनुरोध को ठुकरा देता, उनको यह स्वीकारने में खुशी होती। परन्तु, ऐसा नहीं हुआ और बहानाबाजी की गई। एक व्यक्ति ने, जिसका कोई आधार नहीं है, निर्णय ले लिया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस सबसे यही पता चलता है कि साजिश का पर्दाफाश करने तथा तथ्यों का पता लगाने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया है जिसकी वजह से सुरक्षा में चूक हुई और यह त्रासदी घटित हुई, यह सब आपकी कार्यशैली से ही पता चल जाता है।

मैं शब्दों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ, और न ही उन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ जिसके दस-दस अर्थ निकलें। मैं स्पष्ट रूप से सीधे कह रहा हूँ कि न्यायमूर्ति वर्मा ने जो तथ्य छुपाए जाने की जो शंका व्यक्त की है, उसका आधार है और उसका खुलासा किया जाना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति का भी पर्दाफाश किया जाना चाहिए। हमको दोषी व्यक्तियों को ही सजा नहीं देनी है अपितु उनको भी दंडित करना है जो तथ्यों को छुपाने का कार्य कर रहे हैं और इस कार्य में शामिल हैं, और जिन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत और सम्मान की आड़ में उनको भी

सजा देनी है, देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहाँ यह चर्चा की जा रही है। मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि श्री चिदम्बरम और उनके साथियों ने प्रमुख उद्देश्य को पूर्ण भुला दिया है और ऐसी बातें कही है जिनका इससे कोई सरोकार नहीं है। इससे जैसा न्यायमूर्ति वर्मा ने भी कहा था, टालमटोल और छलकपट का पता चलता है। मैं नहीं समझता कि उसे सभा में जो कुछ कहा गया है समझ सकती है, निस्संदेह यह समझ नहीं सकती हमसे और संतुष्ट भी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि वह इस सभा से एक वायदा कर रहे हैं। मैं उनके सदृश विशिष्ट व्यक्ति नहीं हूँ। परन्तु एक विनम्र सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में देश के करोड़ों लोगों की ओर से एक वायदा करना चाहता हूँ कि हम तब तक शांत नहीं होंगे जब तक साजिश का पर्दाफाश नहीं हो जाता। हम उन लोगों का पर्दाफाश करेंगे जिनका राजीव गाँधीजी के हत्याकांड में हाथ है तथा जो इससे जुड़े लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े अथवा कुछ भी परिणाम निकले, परन्तु यह किया जाएगा।

महोदय, मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ और आपको सभा में इस मामले को उठाने देने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ जिन्होंने इस चर्चा में विभिन्न उद्देश्यों और कारणों से भाग लिया है। उनको वह सब कहने का अधिकार है।

परन्तु, यह सच है कि इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई है और जो इसके लिए जिम्मेदार है वे सभा में उपस्थित नहीं हैं। मैं श्री चिदम्बरमजी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनके पास सिर्फ पिछले 90 दिनों की जानकारी है।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे लगता है कि सभा का मानना है कि देश में हुई सभी त्रासदियों की तेजी से छानबीन की जानी चाहिए और सभी मामलों में सभी को न्याय मिलना चाहिए और हमें एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहिए।

मैं सभा में एक बात कहना चाहता हूँ।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, मुझे दु:ख है कि मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ, परन्तु आपने कहा था कि आप दस्तावेज को देखकर मुझे सूचित करेंगे। आपका आशय अगले सत्र से था।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने दस्तावेज देखा है, परन्तु, मैं सोचता हूँ कि मुझे गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए तभी कुछ करना बेहतर होगा।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, धन्यवाद। ठीक है।

**अध्यक्ष महोदय** : सभी न्यायिक पहलुओं की गहराई में न जाकर, मैं संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ कि इसे प्रथम दृष्टया आधार पर कार्रवाई वृत्तान्त का अंग बनाना अनावश्यक है। मैं सिर्फ प्रथम दृष्टया कह रहा हूँ, न कि अंतिम निर्णय के रूप में।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, मैंने सुना नहीं, आप किस प्रथम दृष्टया की बात कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कहा है कि मैंने दस्तावेज के विषय वस्तु को देख लिया है। सभा में सभी बातों को समझने और न्याय करने के लिए इसका साथ होना जरूरी नहीं है। परन्तु, यह मेरा अन्तिम निर्णय नहीं है, जब आप सभी बोल रहे थे, तो मैं इसे पढ़ रहा था।

(लोकसभा कार्रवाई / 26 अगस्त 1995, पृष्ठ 118 से 203)

*6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढाँचे को ढहा देने की घटना की भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, सभी दलों ने एक स्वर से लोकसभा मे 6 दिसम्बर 95 को निन्दा की तथा इसे 'राष्ट्रीय शर्म' करार दिया।*

*श्री अर्जुन सिंह ने श्री सोमनाथ चटर्जी के इस कथन का समर्थन किया कि यह मामला उच्चतम न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 138 (2) के अन्तर्गत भेजना चाहिए। उन्होने देश की एकता, अखण्डता तथा धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने की आवश्यकता जताई। उन्होंने संकीर्णता छोड़कर राष्ट्रहित में काम करने का सभी से आव्हान किया।*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, मुझे दु:ख है कि भाजपा के हमारे मित्र इस मुद्दे पर इतनी अधिक असहिष्णुता दिखा रहे हैं और इसी कारण ही बाबरी मस्ज़िद को ढहा दिया गया; दूसरों के विचारों के प्रति असहिष्णुता अन्य लोग जो उनके विचारों का अनुसरण नहीं करते के प्रति असहिष्णुता हमारे देश के हित में नहीं है। वे बहुत ही प्रमुख प्रतिनिधि हैं जो हमारी बातों का जवाब दे सकते हैं।

इसीलिए, हमें इस दिन को राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाना चाहिए। यह आत्मनिरीक्षण का समय है और साथ ही देश में धर्म-निरपेक्ष लोकतंत्र को बनाए रखने हेतु देश के संकल्प और वचनबद्धता को बरकरार रखने का वक्त है जिससे किसी कीमत पर चाहे जो भी हो समझौता नहीं किया जा सकता है। महोदय, अपने देश के धर्मनिरपेक्ष ढाँचों में हमारा पूर्ण विश्वास है और इसे बनाए रखने के लिए जो भी संभव हो, किया जाना चाहिए।

सरकार को यहाँ अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में उल्लेख किया है, हमने बार-बार कहा है कि यह एक उचित अनुच्छेद नहीं था। इसका उल्लेख करने का क्या फायदा? जाहिर है कि उच्चतम न्यायालय इस पर अपना मत व्यक्त करने के प्रयोजन से कोई निर्णय नहीं कर सका। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय अधिकार सीमित था तथा हमने जैसी उम्मीद की थी वैसा ही हुआ और यह बहुत पहले हुआ था।

अब देश के उच्चतम न्यायालय से निर्णय पाने का एक ही तरीका है और वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 138(2) के अधीन ही किया जा सकता है। लेकिन यह सरकार क्या कर रही है। इस विवाद को विभिन्न स्थानों पर बनाए रखने के बदले हम इसे संविधान के अनुच्छेद 138(2) के अधीन उच्चतम न्यायालय को क्यों नहीं सौंप देते? यह उचित समय है कि हमें न्यायालय के उचित अधिकार क्षेत्र को अवलंब कर उपयुक्त उपबंध के अध्यधीन इसे भारत के उच्चतम न्यायालय को सौंप देना चाहिए। लेकिन सरकार इस भावनात्मक मुद्दे को बनाए रखना चाहती है और जब तक इसका पूर्णतया समाधान नहीं कर दिया जाता तब तक यह हम सभी के लिए एक राष्ट्रीय शर्म के रूप में बना रहेगा।

महोदय, सरकार के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 138(2) के अंतर्गत शीघ्र उच्चतम न्यायालय के सुपुर्द किया जाए। यह हमारी माँग है और हम इस संबंध में आज ही उत्तर चाहते हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर)** : महोदय, मैं सभा को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि 6 दिसम्बर को अयोध्या घटना के तुरन्त बाद उस वर्ष सभा में काफी उत्तेजना और रोष था।

माननीय विपक्ष के नेता ने- मुझे विश्वास है कि यहाँ मेरे मित्र इसे सुनेंगे। सभा में कहा था, इसे कार्रवाई वृतान्त से सत्यापित किया जा सकता है- कि जिन्होंने यह अतिक्रमण किया था वह स्मारक गिराया था वे अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे थे उन्हें इस की कोई मंजूरी अथवा अनुमति नहीं मिली थी, उन्होंने, जो करना चाहते हैं उससे भी

अधिक यह दुष्कर्म किया, उन्हें पहचाना जाना चाहिए, उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए, उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए, रिकॉर्ड से देखा जा सकता है कि श्री वाजपेयीजी ने यहाँ यह बात कही थी। अत: मैं यह जानकर हैरान हूँ कि अभी भी उनके दल के बहुत से सदस्य शायद उनमें से सभी तो नहीं लेकिन उनमें से कुछेक-आवश्यक यह वक्तव्य देते फिरते है कि जो कुछ उन्होंने किया है उस पर उन्हें गर्व और मुझे खेदपूर्वक यह मानना पड़ता है कि श्री आडवाणी के बारे में भी समय-समय पर यह कहा गया कि उन्होंने यह कहा कि यह गर्व की बात है, यह ठीक है अथवा गलत, मुझे मालूम नहीं है। अत: क्या हम इस घटना का यह विवरण सुनें अथवा इस सभा में जो कुछ भी वाजपेयी ने कहा था, जो रिकॉर्ड था, उनको मान कर चलें कि इन लोगों ने जो किया है उन्हें इसके लिए दण्ड दिया जाना चाहिए और उनका पता लगाकर उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए।

मैं जानना चाहता हूँ कि सारे समय यह सम्भ्रम की स्थिति क्यों पैदा की जा रही है?

**श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर)** : अध्यक्षजी, मैं आपका ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर इसलिए आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक हफ्ता पहले भारत के गृहमंत्रीजी ने काँग्रेस सेवा दल के लोगों को सम्बोधित करते हुए यह कहा था कि जो घटना हुई, उससे न काँग्रेस के लोगों को शर्म होनी चाहिए और न उनसे क्षमा माँगने की जरूरत है। मुझे सही रूप में याद है कि हम उस जमाने में विरोधी दल के नेता आदरणीय आडवाणीजी ने अयोध्या की इस दु:खद घटना के बाद अपने पद से त्याग-पत्र देने की बात कही थी। पता नहीं, बाद में उनका विचार क्यों बदला? आज जैसा कि इन्द्रजीत ने कहा कि अगर उनके विचार वही हैं जो इस घटना के तुरन्त बाद थे, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए क्योंकि उन पर भी आक्षेप आता है और मैं उनकी बहुत कद्र करता हूँ।

अध्यक्षजी, इस संबंध में सरकार क्या जाँच कर रही है और आज जो काँग्रेस सेवा दल के कार्यकत्ताओं के समक्ष गृहमंत्रीजी का वक्तव्य आया है, उसमें कहाँ तक तथ्य है? क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि सरकार इस संबंध में क्या करने जा रही है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो और देश को ऐसे शर्म के रास्ते से गुजरना नहीं पड़े?

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया इस बात को समझिए कि आज हमें दो अध्यादेश पारित करने हैं। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हम दो अध्यादेश पारित करेंगे तथा कल हम देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा आरम्भ करेंगे जिसमें आप सभी हिस्सा ले सकेंगे और बोल सकेंगे। मान लीजिए इन मुद्दों में से प्रत्येक मुद्दे पर यदि कुछेक सदस्यों से ज्यादा सदस्य बोलना चाहते हैं तो जिस ढंग से हम कार्य पूरा करना चाहते हैं उसे पूरा करने में कठिनाई होगी, इसीलिए मैं श्री अर्जुन सिंहजी को बोलने का समय दे रहा हूँ...

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा ममताजी को भी।

**श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर)** : महोदय, मैंने भी सूचना दी है। कृपया मुझे भी एक मिनट के लिए बोलने की अनुमति दीजिए।

**श्री अर्जुन सिंह** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सोमनाथजी ने जो यह विषय उठाया है और जो उन्होंने भावनाएँ व्यक्त की हैं, मैं उससे पूरी तरह सहमत होते हुए भी सदन के समक्ष यह कहना चाहता हूँ कि भारत की एकता और अखंडता इससे कम नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम भारत के गंगा-जमुनी सांस्कृतिक स्वरूप को बनाकर रखें। हम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से मानने के लिए स्वीकार करते हुए उस पर कदम उठाएँ। किन्हीं भी संकीर्ण बातों से भले ही हमें कोई राजनीतिक लाभ मिलता हो, यह हम सबका कर्त्तव्य

है कि उससे परे रहकर हम देश के प्रजातंत्र को संचालित करें। यह दुःख की बात है कि 6 दिसम्बर को यह बात ऐसी हुई जिससे सब को गहरा सदमा पहुँचा। हम सब मिलकर यह कोशिश करें कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और भारत की एकता और अखंडता के लिए हमारा जो कमिटमेंट है, समर्पण है, उसे बनाए रखने में हम सक्षम हों।

**कुमारी ममता बनर्जी (दक्षिण कलकत्ता)** : महोदय, हमारा संविधान मुख्यतः धर्मनिरपेक्षता पर निर्भर करता है। मैंने पहले ही यह मुद्दा उठाने का प्रयास किया था और उस समय इन लोगों ने सभा से बहिर्गमन किया था क्योंकि मैंने यह कहा था कि आज का दिन हमारे इतिहास का काला दिन है।

महोदय, 6 दिसम्बर 1992 को क्या हुआ? कोई उस मुद्दे को नहीं भूल सकता है? केवल मस्जिद का ध्वस्त किया जाना बाबरी मस्जिद का ध्वस्त किया जाना ही नहीं था अपितु इससे प्रजातंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था ही नष्ट हो गई थी। मेरा सरकार से निवेदन है कि यह वक्त के तकाजे को समझे। इस घटना के बाद बहुत से लोग साम्प्रदायिक दंगों में मर गए। मुझे मालूम नहीं है कि इन लोगों को कोई राहत मिली है अथवा नहीं। दूसरी बात यह है कि सरकार को यह मामला संविधान के अनुच्छेद 138(2) के अधीन उच्चतम न्यायालय को भेज देना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। हमें यह समझना चाहिए कि इस देश के अल्पसंख्यकों को हमारे देश के संविधान के अनुसार संरक्षण दिया गया है। यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। यह उनका मौलिक अधिकार है। यदि लोकतांत्रिक अधिकार नष्ट कर दिया जाए तो उनके मौलिक अधिकार भी नष्ट हो जाएँगे। मानव अधिकार हर जगह अन्तर्ग्रस्त हैं।

इसलिए संसदीय कार्य मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस मुद्दे पर जोर दें तथा यह देखें कि सरकार इस मामले को संविधान के अनुच्छेद 138(2) के अधीन उच्चतम न्यायालय को भेज दे ताकि लोगों को न्याय मिल सके।...(व्यवधान) मैं यह जानती हूँ क्योंकि आठ माह पूर्व मैंने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था।

अतः महोदय मैं समझती हूँ कि यह दलगत मुद्दा नहीं है और सभा को इसकी निंदा करनी चाहिए। हो सकता है कि किसी दल ने यह किया हो अथवा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को इस पर गर्व हो।

लेकिन यदि कोई हमारे प्रजातंत्र का ढाँचा नष्ट करता है तो देश के लिए यह बहुत अच्छी बात नहीं होगी और इसलिए मैं आपसे अपील करती हूँ कि सभी सदस्यों को इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना चाहिए और हमें सभी वर्गों के लोगों को वे चाहे धनी लोग हों अथवा वे गरीब लोग हों, संरक्षण देना चाहिए। लेकिन धनी लोग अधिक धनी न हों और गरीब लोग अधिक गरीब न हों। अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा सभी अन्य वर्ग के लोगों का दमन न किया जाए, उन्हें कुचला न जाए तथा उन्हें हताश न किया जाए।

महोदय, मैं समझती हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री को आज प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए कि आज का दिन काला दिन है और 6 दिसम्बर 1992 को जो घटना घटी मैं उस घटना की निन्दा करती हूँ। (व्यवधान)

**श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : अध्यक्ष महोदय, मैंने सूचना दी है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको यह समझना चाहिए कि आप दोनों हाथों में लड्डू नहीं ले सकती हैं। यदि कल आप आर्थिक स्थिति पर चर्चा करना चाहती हैं तो आज आपके पास समय नहीं हो सकता है क्योंकि कहीं न कहीं तो मैं सीमा रखूँगा ही। मैंने आपके नेता को बोलने की अनुमति प्रदान कर दी थी। मालिनीजी कृपया सहयोग दें।

(लोकसभा कार्यवाई / 6 दिसम्बर 1995, पृष्ठ 281 से 286)

*19 दिसम्बर को मूलभूत दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दिए जाने के संबंध में सदन में चर्चा शुरू हुई। इस समय अध्यक्ष माननीय श्री शिवराजजी पाटिल पीठासीन थे। इस चर्चा में एक मंत्री पर पक्षपात व भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। इस विषय पर बोलते हुए श्री अर्जुन सिंह ने संसदीय परम्पराओं में अपनी आस्था प्रकट की। उन्होंने श्री चंद्रशेखर द्वारा उठाई गई बात का समर्थन किया। साथ ही सरकार से विपक्ष के अनुरोध को मानने की गुजारिश भी की। उनकी यह टिप्पणी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर थी। श्री अर्जुन सिंह ने विशेष मुद्दे हों या छोटे मुद्दे जहाँ कहीं भी संसदीय परम्परा की बात आई, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रस्तावों का समर्थन किया।*

**श्री शरद यादव :** आप क्यों खड़े हुए हैं, इनको खड़े होने दो। मैं इनको जवाब दे लूँगा। मेरा कहना यह है कि ...(व्यवधान) हम बहस को चाहते हैं। आपने ठीक कहा, यह देश, यह दुनिया गोली से नहीं चलती। बाहर की बहस हमको अच्छी नहीं लगती है कि हम बाहर जा कर अखबारों में बोलें। यहाँ हम ज्यादा महफूज हैं- बेहतर लगता है यहाँ बोलना क्योंकि एक-एक क्षण की बात पूरे देश के पास जाती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपकी जो भावना है, आप इसमें तकलीफ में थे और आपने बहुत कोशिश की कि कोई रास्ता निकले। लेकिन सरकार किसी रास्ते के लिए तैयार नहीं है। एक सुझाव नहीं जे.पी.सी. का, शुक्लाजी एक सुझाव नहीं आया है, कई सुझाव आए हैं। इस सदन में जिनकी आधी उम्र हो गई, उन लोगों ने कोशिश की समझौता कराने की, लेकिन आप किसी कीमत पर किसी बात पर तैयार नहीं हैं। हम तैयार हुए। हम कई जगह झुके, लेकिन आप नहीं झुके। हमने दो हाउस की जगह एक हाउस, हमने कहा कि हम जे.पी.सी. को कैप्ट-इन-अबेयैंस रखते हैं और आप अपने फैसले को थोड़ा कैप्ट-इन-अबेयैंस रखिए। इस पर भी तैयार नहीं हुए। हमने कहा, दोनों सर्वमाननीय प्रिसाइडिंग ऑफिसर– हमारे सदन के अध्यक्ष और उस सदन के अध्यक्ष – के ऊपर छोड़ दीजिए। ये कोई कमेटी बना दें, इस पर आप तैयार नहीं हुए। हमने कहा, कमेटी का कोई एक मकसद होना चाहिए कि वह जाँच करेगी, लेकिन आप इस पर भी तैयार नहीं हुए। हम इस सदन को चलाना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि सदन चले, तो हम दो-तीन महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। इस सरकार को इस मामले से ज्यादा संकट में खड़ा कर सकते हैं, कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि आप कटघरे में न खड़े हों। हम चाहेंगे कि हम बाहर चले जाएँ। आपके हाथ में तो राज है, ताकत है। हमारे पास सिर्फ बहस है, बोली है। आप उस बोली को जानबूझ कर हमसे छीनना चाहते हैं। हमको इस सदन में बोलने के लिए इस मामले पर बहस करने के लिए आपने समूचे सदन के विपक्ष के लोगों को एक करके इस बात की तैयारी करा दी कि यह सदन न चले। यह सदन किसी कीमत पर बहस न करे। न चन्द्रास्वामी आए, न रिलायंस आए और न ही दूसरे भ्रष्टाचार के मामले आए। ...(व्यवधान) न ए.टी.आर. आए।...(व्यवधान) शुक्लाजी, मैं एक मिनट में खत्म करता हूँ। मैं आपसे अपील करूँगा,... (व्यवधान)

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** अध्यक्षजी, जो भी बातें अभी शरदजी ने कही है, आपके चेम्बर में जो बातें हुई थीं। आपको याद होगा कि क्या-क्या बातें हुई थीं? जब आपकी और चेयरमैन की बात हो रही थी। आपको याद होगा कि क्या बातें हुई थीं? तो मैंने तत्काल उसके ऊपर कहा कि हम लोग इसके लिए तैयार है।...(व्यवधान) फिर बाद में संशोधन किया गया कि हम इसे अध्यक्ष को देने के लिए तैयार है, परंतु पहले उसमें एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग

यह हो जानी चाहिए कि वह मॉडेलटीज तय करें, तो हमारा कमिटमेंट पहले होना चाहिए। मैंने बार-बार यह कहा है कि हम लोग हर तरह की बातों के लिए तैयार हैं। हम लोग कोई चीज रूल आउट नहीं करते हैं, परंतु हमें जो भी कहना है हम सदन में बैठकर बात करेंगे।...(व्यवधान) बहस होनी चाहिए। हर काम हो सकता है, कोई चीज रूल आउट नहीं है। हर तरह की विपक्ष की जो माँगें हैं या हम लोगों के जो विचार हैं, हर तरह की जो भी हमारे पास अपेक्षाएँ है हम उसके लिए तैयार हैं। आप उन पर बहस कर लीजिए।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** बैठक में हमने जो कुछ चर्चा की थी, मेरे विचार से हमें उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए।

**श्री शरद यादव :** अध्यक्षजी, मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ। ए.टी.आर., स्क्रूटनी स्केम का मामला, जिस पर जे.पी.सी. बैठी थी आप जरा गौर से सुनिए। ए.टी.आर. पर इस सदन को इसी तरह से 7-8 दिन तक बंद रहना पड़ा।...(व्यवधान) उस मामले में आपने कहा था हम एक्शन टेकन रिपोर्ट पर एक्शन करेंगे। आपके ही सानिध्य में यह तय हुआ था। हम चाहते थे कि आप ए.टी.आर. पर भी रिपोर्ट देते। उस पर भी हम माँगते। अध्यक्षजी, मै आपके माध्यम से शुक्लाजी को जो कहना चाहता हूँ कि सत्ता में रहने वाले आदमी को उदार, दयावान होना चाहिए। लोकतंत्र में विरोधी पक्ष के प्रति सहृदय होना चाहिए। लेकिन आपने पहले दिन से हम सब लोगों को हमेशा हर बात पर यहाँ से निकाले या वहाँ से निकालें, मेरी अंटी, मेरा राम और मेरी बेटी एक है, हमेशा यही कहा। आप जो चाहते हो, वही आप रखते हो। आपने हमको सात दिन तक घुमा-फिरा कर इस हालत में खड़ा कर दिया कि इस सदन में हम रहें या हम इज्जत बचाने के लिए सदन से बाहर रहें। यह संकट इस सदन को नहीं चलने देगा।

अध्यक्षजी, मैं आरोप लगाना चाहता हूँ, मेरा आपसे कहना है कि अभी भी वक्त है आप तैयार होइए और सदन की कार्रवाई को चलने दीजिए। हमने यह कोई बड़ी बात नहीं की है। हमने सिर्फ एक बात कही है कि जाँच करा लें और ऐसी जाँच, जिस पर सजा नहीं होती है। इस सदन में बहस होगी।...(व्यवधान) जब कमेटी बनेगी तो उसमें आपका बहुमत है। उसमें आपके सदस्य ज्यादा रहेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि आपने इस सवाल को इतना गंभीर क्यों बना दिया है? आप इसको इतनी दूर तक क्यों खींच ले गए? मेरी आपसे अपील है कि ए.टी.आर. के मामले में हम लोग भुगत चुके हैं। सरकार ने ए.टी.आर. पर आज तक कोई एक्शन नहीं किया। इसका पूरा देश गवाह है। इसी तरह से एक इंक्वायरी कमेटी बनाने में जो सलाह दी, इसी सदन में इस पर फैसला होता। आपने इसको मानने का काम नहीं किया। कौन है जो इस सदन को नहीं चलने देना चाहता? इसलिए मेरा आपसे कहना है कि हम तैयार है लेकिन आप तो तैयार होइए।...(व्यवधान) हम तो यहाँ बोलना चाहते हैं लेकिन पहले आप तो तैयार होइए। शुक्लाजी, लोकतंत्र में जो सत्ता में बैठता है वह यदि इस मामले को प्रेस्टिज इशू बना लेगा तो निश्चित तौर पर मामला गंभीर हो जाएगा। हम निहत्थे लोग हैं, हमारा कोई प्रेस्टिज इशू नहीं है, हमारा प्रेस्टिज इशू सिर्फ इतना ही है, हमने एक छोटी सी माँग की है और उसको आप मान जाइए। यही मेरी विनती है, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और आपकी बात से हम सहमत हैं। (व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** अध्यक्ष महोदय, महोदय, हममें से हरेक इस सदन के महत्व से पूरी तरह अवगत है तथा आपने भी हमें आज याद दिलाया है कि यह सर्वोच्च निर्वाचित निकाय है जिसमें हमारे माध्यम से पूरे देश का प्रतिनिधित्व हो रहा है। इस स्थान पर हमें सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए।

महोदय, इस तरह की संस्थाओं को चलाने हेतु कुछ आपसी समझबूझ तथा सहयोग का रुख होना चाहिए। केवल हेकड़ी, छिछोरापन अथवा विवाद के माध्यम से इसे नहीं चलाया जा सकता।

महोदय, हमारे संविधान का एक बुनियादी सिद्धांत है— लोकसभा तथा संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही।

यदि हम सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में असफल रहते हैं तो सदन के एक बुनियादी महत्वपूर्ण कृत्य का निर्वहन नहीं होगा।

महोदय, इस ठेके के द्वारा इस क्षेत्र के द्वारा पहली बार निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए हैं। मंत्री महोदय ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि भारत सरकार द्वारा यह अब तक का सबसे बड़ा ठेका किया जा रहा है। सिर चकरा देने वाली बात है कि 62 करोड़ रुपयों की संपत्ति वाली एक छोटी सी कंपनी 85,000 करोड़ का प्रस्ताव पेश कर रही है। यदि कोई इस संबंध में चिंता व्यक्त करता है, वह भी तब जबकि उस कंपनी ने ऐसे सहयोगी चुने हों जिनकी विश्वसनीयता विवादास्पद है, तो क्या हम इस संबंध में सवाल न उठाएँ? क्या हम यहाँ मूक दर्शक हैं? संसदीय कार्य मंत्री इसे आँकड़ों का खेल बनाना चाहते हैं। क्या राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में यही रवैया अपनाया जाना चाहिए? वह एक ही बात हमेशा कहते रहे हैं। एक बार मैंने 'टूटे रिकार्ड की तरह' शब्द का उल्लेख किया था— वहीं बात कही जा रही है। महोदय, मैं वह सब नहीं कह रहा हूँ जो कि इस सरकार के कुछ माननीय मंत्री तथा कई सांसद निजी तौर पर कह रहे हैं। जो कुछ आपके कक्ष में हुआ, मैं उसका भी उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको किसी विवाद में नहीं डालना चाहता तथा शरदजी ने भी ऐसा नहीं किया होता। किसी ने किसी संदर्भ में क्या कहा तथा किसी के दिमाग में क्या था, मैं इन बातों में नहीं पड़ना चाहता? परंतु जब इतना बड़ा ठेका दिया गया उस समय जवाबदेही तथा सांवैधानिक प्रावधानों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए था। बहुत से सांसदों की इस संबंध में गंभीर आपत्तियाँ हैं तथा इसमें देश की सुरक्षा का सवाल भी अंतर्ग्रस्त है।

महोदय, मैंने एक बात साफ तौर पर देखी है कि कोई भी अन्य मंत्री पंडित सुखराम के समर्थन में आगे नहीं आया है। हम यह खुले आम कह रहे हैं तथा मैं यह भी पूछता हूँ कि जब इस मुद्दे पर बात चल रही है तो देश के प्रधान मंत्री का इसमें क्या कहना है। मंत्रीजी कहते हैं कि जब कोई चर्चा नहीं हो रही है तो सदन के नेता का यहाँ कोई काम नहीं है। क्या सदन के नेता की अवधारणा यही है तथा प्रधान मंत्री का यही कृत्य है कि वह सीट नं. 1 पर बैठे रहें तथा एक भी शब्द न बोलें? क्या वह समझते हैं कि यह ठीक है? क्या उन्हें यहाँ नेतृत्व प्रदर्शित नहीं करना चाहिए? भारत की संसद काम नहीं कर पा रही है। कोई यह नहीं कह सकता की कोई मुद्दा ही नहीं है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रधान मंत्री के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। संसदीय कार्यमंत्री केवल एक बात कह रहे हैं तथा यहाँ वाद-विवाद से पहले संख्या पर अड़े हुए हैं। राज्य सभा, अपनी वर्तमान सदस्य संख्या के आधार पर अलग निर्णय ले सकती हैं। तब यह कहा जाएगा कि चूँकि सहमति नहीं है अत: संयुक्त संसदीय समिति नहीं बन सकती तथा उनका अभिप्राय पूरा हो जाएगा। अत: सदन में वाद-विवाद कराने का पक्ष इसीलिए लिया जा रहा है ताकि जाँच से बचा जा सके। हमारा कहना यह है कि जाँच कराई जानी चाहिए क्योंकि हम तथ्यों को जानना चाहते हैं। अभिलेखों के तथाकथित निरीक्षण कराने से क्या नतीजा निकला? मैं वहाँ नहीं था, परंतु हमने माननीय सांसदों, जो कि बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, से सुना है कि जो विपक्ष के नेता वहाँ गए, उनके साथ सहयोग करने का कोई प्रयास तक नहीं किया गया। अत: इस संदर्भ में, जब पूरे देश की दूरसंचार प्रणाली के द्वार खोले जा रहे हैं। रवैया बिल्कुल स्पष्ट है। कोई भी आ रहा है। थाइलैंड आ रहा है, इजराइल आ रहा है। गोपनीयता बरती जा रही है। एक विशेष स्तर पर ऐसा क्यों किया गया? क्या किसी ने सुरक्षा की दृष्टि से सोचा? आपने किस समय इसके बारे में सोचा? गोपनीयता के बारे में आपने कब सोचा? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे है। यदि सरकार सहयोग चाहती है तो अब तक इस पर फैसला हो जाना चाहिए था। कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए होते तथा मामले पर निर्णय हो चुका होता तथा सदन अपनी कार्रवाई जारी रख पाता। हर मुद्दे पर चर्चा हो गई होती। यदि सरकार ऐसा अरुचिकर रवैया अपनाती

है, दुराग्रह प्रदर्शित करती है तथा किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं करती तो उससे क्या फायदा? परमाणु मसले पर विचार-विमर्श में सरकार किस प्रकार सहयोग कर रही है? ब्राऊन संशोधन पर चर्चा में आप हमारी सहायता किस प्रकार कर सकते है? वोहरा आयोग, हवाला रिपोर्ट तथा अन्य बहुत से विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया में आप कैसे सहायता कर सकते हैं?

धरने पर बैठने के लिए आप हम पर व्यंग्य कस रहे हो। यह भी विरोध प्रकट करने का एक लोकतांत्रिक तरीका है। अत: यदि हम विरोध प्रकट करने के लिए यह लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हैं। यदि कुछ मित्र महसूस करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास जाना विरोध का एक अन्य लोकतांत्रिक तरीका है, तब आप हमें बुरा भला कह रहे है तथा हम पर व्यंग्य कस रहे हैं। हमें अपने इन मित्रों से संसदीय शिष्टाचार सीखने की जरूरत नहीं है। हम भी काफी लंबे समय से यहाँ है। यह हमने देखा है तथा हमने वहाँ के दिग्गजों को भी देखा है। बिना सहयोग तथा समायोजन की भावना के आप किस तरह संसद में कार्य कर सकते हैं? आज आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे तथा भाजपा के बीच भारी मतभेद हैं तथा पूरा देश यह बात जानता है परंतु इसके बावजूद इस मुद्दे पर हमारी माँग एक है...(व्यवधान) संयुक्त विपक्ष की इस माँग के प्रति सरकार कितनी संवेदनशील है? क्या वास्तव में कोई प्रयास किया गया है? आरोप लगाना बहुत आसान है। कोई इस बारे में नहीं जानता। हम भी जनता के समक्ष जाने के लिए तैयार है। हम आपको निमंत्रण देते हैं कि आप सोच विचार कर पहले ही जनता के समक्ष जाएँ। हमें यह न बताएँ कि हम जनता के समक्ष जाने से बच रहे हैं। जो कुछ भी उनका फैसला होगा, हमें उसे स्वीकार करना होगा। इस संबंध में तो कोई विवाद नहीं है। परंतु इस आधार पर कि आप जनता को बेहतर जानते है, आप आज यहाँ बैठे-बैठे फैसले कर रहे हैं। हमें उनकी सभी प्रकार की नि:शुल्क सलाहें सुननी पड़ती हैं।

अत: इस देश के हित को देखते हुए आप विरोधी रुख न अपनाएँ। इस देश के भले के लिए आपको संयुक्त संसदीय समिति का यह अनुरोध स्वीकार कर लेना चाहिए।

**कुमारी ममता बनर्जी :** अध्यक्ष महोदय, हम आपके अत्यन्त आभारी हैं विशेषत: इसलिए कि आज आपने यह कहते हुए हम सभी से अपील की है कि आपको बड़ा दु:ख है क्योंकि सभा ठीक प्रकार से नहीं चल रही है। आपने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया। अब हमारे पास केवल दो ही कार्य दिवस बचे हैं। सभा ने 27 नवंबर से कार्य शुरू किया था और यह दु:ख की बात है कि हमारे पास केवल दो ही कार्य दिवस रह गए हैं। हाँ, मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि विपक्षी सदस्यों के अपने प्रजातांत्रिक अधिकार होते हैं। वे मुद्दा उठा सकते हैं, वे अपनी शिकायतें उठा सकते हैं। वे मामले की जाँच कर सकते हैं, वे सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे संविधान के अनुसार यह उनका प्रजातांत्रिक तथा मौलिक अधिकार है। लेकिन महोदय, हमें भी मुद्दा तथा लोगों की आवाज उठाने के मामले में वही अधिकार है। गरीब लोग, कमजोर वर्गों के लोग यहाँ सभा में नहीं आ सकते हैं, प्रेस तक नहीं पहुँच सकते हैं, वे अति विशिष्ट व्यक्तियों तक नहीं पहुँच सकते हैं, वे कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पास आते हैं क्योंकि वे कमजोर वर्ग के है। आज मैं खुश हूँ और मैं इस सभा के सभी नेताओं तथा इस सभा के सभी सदस्यों की आभारी हूँ और मैं समझती हूँ कि हमें विशेषत: आपको बधाई देनी चाहिए, बधाइयाँ ही नहीं, अपितु आपको अपनी शुभकामनाएँ भी देनी चाहिए। महोदय, यह कम से कम आपके प्रयत्नों तथा आपकी दयालुता के कारण हुआ है जिसकी वजह से हमने कुछ बातें शुरू की है। पहले मैंने कुछ विपक्षी मित्रों से पूछा था— मैं सौजन्य, व्यवस्था तथा शिष्टाचार के नाते उनके नाम नहीं लेना चाहती हूँ— कि उन्होंने सभा को क्यों नहीं चलने दिया? उन्होंने मुझे बताया था कि यह उनका चुनावी कार्यक्रम है। मैंने उनको बताया था "यदि आप इसे अपना चुनावी कार्यक्रम मानते है तो आप अब ये सभी समस्याएँ क्यों पैदा कर रहे है? चुनाव

तो मार्च अथवा अप्रैल में होंगे। और आपने तो चुनावी कार्यक्रम उससे तीन महीने पूर्व ही शुरू कर दिए हैं। आपके चुनावी मुद्दों की वजह से लोगों को सर्वाधिक कष्ट उठाना पड़ता है।''

यदि यहाँ भ्रष्टाचार सिद्ध हो सकता है तो सभा इस मुद्दे पर चर्चा कर सकती है। हम सभी नेताओं, जिसमें वाजपेयीजी, शरदजी, सोमनाथजी तथा हमारे संसदीय कार्यमंत्री शुक्लजी शामिल हैं, से सहमत हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सभा इस पर चर्चा कर सकती है और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो सभा यह निर्णय ले सकती है कि क्या संयुक्त संसदीय समिति होनी चाहिए अथवा नहीं? मैं भी संयुक्त संसदीय समिति के पक्ष में हूँ हालाँकि मै सत्तारूढ़ दल की सदस्य हूँ। उन्होंने इस सभा के सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी है। हमें भी आवाज उठाने का अधिकार है क्योंकि काँग्रेस पार्टी जन आधारित पार्टी है। हम सर्वदा जनता पर निर्भर रहते हैं...(व्यवधान) कृपया बीच में हस्तक्षेप मत कीजिए। यदि वे मुझे इस मुद्दे पर पहले बोलने की अनुमति दे देते तो मैं इस मुद्दे को पहले रखती और इस पर अपने मंत्री से अपील करती। चर्चा के बाद सदस्य जो भी निर्णय लेंगे, सरकार उस निर्णय को स्वीकार करेगी। वे और क्या कर सकते हैं (व्यवधान)।

..... कौन किसको हराता है, यह बाद की बात है।

**श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा तो नहीं होता लेकिन मैं सत्य बात बोलता हूँ। जब आपके कहने के बाद अटलजी और दूसरे सदस्य जो बोले उससे लगता है कि कोई रास्ता निकल सकता है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले नौ दिन से हमारा हाउस चल नहीं रहा है। मैं जानता हूँ कि इस हाउस में सबसे ज्यादा तकलीफ आपको है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार एक ऐसा सवाल है, मैं यह नहीं कहूँगा कि काँग्रेस दल में जितने दोस्त बैठे हैं ये सब इसको नजर-अंदाज करना चाहते हैं। जब मैं यह बात कह रहा हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। देश में यह मैसेज गया है कि प्रधान मंत्री और जो अन्य मंत्री हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वे शायद जिस तरीके से हाउस में बहस करानी चाहिए उस बहस से कतराना चाहते हैं। यह गलत है या सही है, लेकिन लोगों में एक मैसेज गया है।

इस सदन का पिछले 20-30 साल का इतिहास देखें। मैं आज काँग्रेस के नेताओं से व सांसदों से कहना चाहता हूँ। मैं कृष्ण मेननजी का नाम लेना चाहता हूँ। वे बहुत ही ख्याति प्राप्त नेता थे। आज काँग्रेस दल में उस तरह के नेताओं की कमी है। चीन के हमले के समय महावीर त्यागी जैसे लोगों ने इनसे इस्तीफा माँगा। जवाहर लालजी ने कहा कि इनका इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। हालाँकि जवाहरलालजी ने अंत में महावीर त्यागीजी का निवेदन मानकर उनका त्यागपत्र स्वीकार किया।

मैं दो और घटनाएँ आपके ध्यान में लाना चाहता हूं जो सदन में जवाहरलाल नेहरूजी के जमाने में घटी थीं। दास कमीशन क्यों बना? के.डी. मालवीय बहुत कुशल मंत्री थे, लेकिन केवल डेढ़ हजार रुपये की शिकायत थी, उसकी जाँच हुई। आप जानते हैं कि दास कमीशन क्यों बना? वे बहुत सही थे, लेकिन उनको भी अपने पद से हटना पड़ा। टी.टी. कृष्णामाचारी, इतिहास गवाह है कि देश के बहुत कुशल वित्तमंत्री थे, लेकिन मूँदड़ा कमीशन बैठा और उनको हटना पड़ा।

मैं जानता हूँ कि पं. जवाहरलाल नेहरू खुद संसद की कार्रवाई में हस्तक्षेप करते थे और हिस्सा लिया करते थे, लेकिन आज यहाँ क्या हो रहा है? दुनिया की सबसे वृहद् पार्लियामेंट, देश की संसद काम नहीं कर रही है, नौ दिन से लोकसभा ठप्प है, लेकिन प्रधान मंत्रीजी ने चुप्पी साध रखी है?

**श्री ए. चार्ल्स** : सीढ़े तीन घंटे बाद मात्र इस मुद्दे पर चर्चा की गई कि सेलुलर दूरसंचार सेवाओं के मुद्दे को लिया जाए। वह अलग मुद्दा था। मेरा कहना है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं हम उनका उत्तर देने को तैयार हैं। हमें समय दिया जाना चाहिए तथा मैं पूरे विपक्ष से अनुरोध करता हूँ कि उचित वाद-विवाद करने की अनुमति दे। वाद-विवाद के अंत में यदि वे संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम संयुक्त संसदीय समिति या सभा की कोई समिति या किसी भी तरह की जाँच करवाने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है। मुझे बहुत दुःख है कि एक बहुत वरिष्ठ सदस्य तथा लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष– मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ– काँग्रेसी सदस्यों पर आरोप लगा रहे है। मुझे इस पर गंभीर आपत्ति है। हम भ्रष्ट नहीं है, हम यहाँ कोई भ्रष्ट कार्य करने के लिए नहीं हैं। (व्यवधान)

**श्री चन्द्रशेखर** : अध्यक्षजी, नौ दिनों से संसद में चर्चा चल रही है पर संसद नहीं चल रही है। जैसा आपने कहा, संसद के बाहर सब कुछ चल रहा है। आज प्रसन्नता इस बात की है कि आपके हस्तक्षेप से कम से कम हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दुःख इस बात का है कि आपके कक्ष में जो बातें होती हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर होती है। आपने एक बार मुझसे उलाहना दिया था, यह गुस्सा दिखाया था कि मैं आपके कक्ष में नहीं जाता। मेरी यही विवशता थी। वहाँ जो बातें होती हैं, उसको यहाँ कहने में मुझे बड़ा संकोच होता है।

वह बातें मुझे एक अजीब दुविधा की स्थिति में डाल देती हैं। एक पक्ष से एक बात कही जाती है, दूसरे पक्ष से दूसरी बात कही जाती है और मैं उसका दृष्टा बना रहता हूँ, चुपचाप सुन लेता हूं, लेकिन यह उचित नहीं है। मैं दोनों बार इसलिए गया कि दो ऐसे व्यक्ति थे, जिनकी बातों को मैं टाल नहीं सकता। पहली बार आपके कक्ष में गया, माननीय इन्द्रजीत गुप्तजी ने मुझे विवश किया और दूसरी बार अटलजी ने मुझे विवश किया, इस कारण मैं वहाँ पर गया था और मैंने सुझाव रखा।

मैं माननीय विद्याचरण शुक्लजी से कहूँगा, निवेदन करूँगा कि एक उत्तरदाइत्वपूर्ण पद पर रहते हुए आपके कक्ष में जो बातें हों, उनकी चर्चा वह न करें तो ज्यादा अच्छा है और अगर चर्चा करें तो इस तरह से न करें कि हमारे जैसे लोग उन बातों पर दुविधा में पड़ जाए। केवल इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।

मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कितनी ही यहाँ पर बहस हो, उस बहस का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, जिस स्थिति में हम पहुँच गए हैं। अटलजी ने, नेता विरोधी पक्ष ने एक बात कही, जिसके ऊपर सोमनाथजी ने भी कहा, जिसके बारे में कुछ अन्य मित्रों ने भी चर्चा की। नौ दिन पार्लियामेंट न चले और सदन के नेता उस पर चुप रहें, यह स्थिति संसदीय जनतंत्र में सोची नहीं जा सकती, क्योंकि प्रधान मंत्री केवल काँग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, वह सदन के नेता हैं। अगर किसी हालत में सदन नहीं चलता है तो हम लोग यहाँ पर किसलिए हैं और प्रधान मंत्री किसलिए सदन के नेता हैं? मैं बिना कुछ कहे हुए आपसे आग्रह करूँगा कि इसे मान-सम्मान का सवाल न बनाया जाए।

मुझे आश्चर्य होता है, जब कहा जाता है, आप प्रधान मंत्री से क्या बात करना चाहते है? मैं भी बहुत दिनों से इस सदन में हूँ, मैंने भी बहुत से प्रधान मंत्रियों से बात की है। यह पहली बार मेरे सामने कहा गया कि पहले यह बता दीजिए कि आप प्रधान मंत्री से क्या बात करेंगे, तब प्रधान मंत्रीजी आपसे मिलेंगे? यह स्थिति तो हमने कभी नहीं देखी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे जीवन का यह पहली बार दुःखद अनुभव हुआ। आप नेताओं को फिर बुलाएँगे, मैं नहीं चाहता कि आपकी उच्च पद की गरिमा को हम लोग यहाँ पर बहस का विषय बनाएँ, इसलिए आपके द्वारा मैं सदन के नेता श्री पी.वी. नरसिंहराव से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वह दूसरे नेताओं को बुलाएँ, इसके पहले कि आप नेताओं को बुलाएँ, उसके पहले प्रधान मंत्रीजी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री शरद यादव, श्री सोमनाथ

चटर्जी, श्री इन्द्रजीत गुप्त, चार लोगों को निमंत्रण देकर अपने घर पर, अपने कार्यालय में बुलाने का कष्ट करें। इससे उनके प्रधान मंत्री पद की गरिमा बढ़ेगी, घटेगी नहीं और उनकी बात के बाद ही कोई निर्णय निकल सकता है। यदि मेरी प्रार्थना का कोई असर हो तो मैं सार्वजनिक रूप से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी प्रार्थना आप प्रधान मंत्री तक पहुँचा दें। इस विषय का अगर कोई निर्णय लेना है तो इन चार लोगों को बुलाकर प्रधान मंत्री बात करें।

प्रधान मंत्री कोई हो, यह लोग भी कल प्रधान मंत्री हो सकते हैं और जो लोग प्रधान मंत्री नहीं हुए हैं, उन लोगों का भी प्रधान मंत्री से कभी-कभी ऊँचा स्थान होता है। हम भी थोड़े दिन प्रधान मंत्री हो गए तो हमको यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम सबसे बड़े आदमी पैदा हो गए थे। प्रधान मंत्री अगर बुलाएँगे तो उनका सम्मान बढ़ेगा और इस विषम परिस्थिति से हम निकल सकेंगे।

**श्री अर्जुन सिंह (सतना) :** महोदय, इस अवसर के लिए मैं आपका आभारी हूँ। जो कुछ भी इस सदन के सम्मानित वरिष्ठ सदस्य श्री चन्द्र शेखर ने अभी कहा है, मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूँ।

यह मात्र औचित्य अथवा अनौचित्य का प्रश्न नहीं है। बड़े-बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं तथा एक संसदीय लोकतंत्र में यह कोई असामान्य बात नहीं है। परंतु संसद ने हमेशा ऐसे तरीके ईजाद किए हैं जिनके माध्यम से सच्चाई का पता किया जा सकता है अथवा जहाँ तक संभव हो सच्चाई के निकट पहुँचा जा सकता है तथा उसका किसी को बुरा भी नहीं लगता। मेरे विचार से सदन की एक समिति, चाहे उसमें कितने भी सदस्य हों, द्वारा इसकी जाँच कराए जाने पर किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। किसी ऐसे विषय जिसमें विचारों में काफी मतभेद हो, पर किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए संसद यही तरीका अपनाती है। मेरे विचार से सरकार को यह अनुरोध मान लेना चाहिए। इसका आकार तथा नाम क्या हो, इस बारे में पीठासीन अधिकारी निर्णय ले सकते हैं? परंतु इस सदन के प्राधिकार के अंतर्गत अथवा अध्यक्षपीठ के विवेकानुसार इस सभा के सदस्यों की एक समिति गठित की जाए जो इस सारे मामले की जाँच करे। क्या फर्क पड़ता है, जब आप दस सदस्यों को बुलाकर फाइल दिखाने के लिए तैयार हैं? तो आप उन दस सदस्यों को इस मामले की जाँच करने तथा सदन को सूचित करने का अवसर तथा प्राधिकार क्यों नहीं प्रदान करते? समिति का और क्या मतलब होता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे विचार से इससे सरकार की अविश्वसनीयता बढ़ेगी। बल्कि रोजाना सदन के स्थगन होने से पूरे देश को यह विश्वास होता जा रहा है कि कुछ न कुछ गंभीर गड़बड़ी हुई है। मैं नहीं समझता कि यह अच्छी बात है। हम इस राष्ट्र की दसवीं लोकसभा के सदस्य हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मैं कभी-कभी महसूस करता हूँ कि क्या हम इस सदन की विश्वसनीयता को बढ़ा रहे हैं अथवा हम मौन साधे संसदीय प्रणाली की मुख्य बात अर्थात् जवाबदेही को शनैःशनैः पूरी तरह लुप्त होते हुए देख रहे हैं। हम इस संसद तथा राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं।

मैंने बहुत साल पहले एक दर्शक के रूप में इस सदन में वाद-विवाद होते हुए देखा है जब हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ सदन के नेता के रूप में बैठते थे। काफी जोरदार बहस हो रही थी। वह पूरे वाद-विवाद के दौरान अविचलित रूप से बैठे रहे तथा इसके अंत में वह उठे और यह कहा। मैं अपनी याददाश्त से बता रहा हूँ उन्होंने कहा, "मैंने हरेक की बात सुनी है। अब मैं बताता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए।"

इस सदन का नेता किसी दल अथवा सरकार का ही नेता नहीं होता। अपितु वह ऐसा नेता है जिसे इन छोटी बातों से ऊपर उठकर अंततः संसद तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि हम सब उसकी होड़ करने की स्थिति में नहीं है। परंतु यह मौका ऐसा है जब सदन के नेता को उपस्थित होना चाहिए, यदि वह उपस्थित नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं कह सकेंगे। दलगत बातों से ऊपर उठना एक बिल्कुल अलग बात है।

इसीलिए जो कुछ मेरे मित्र व वरिष्ठ सहयोगी श्री चन्द्र शेखर ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। यह अत्यंत आवश्यक है कि दिव्यवाणी अब मौन नहीं रहे। उसे दलगत स्वार्थों से ऊपर उठकर निर्भीकता से ऐसे स्वर में बोलना चाहिए जिसे पूरा देश सुनना चाहता है। इसे पूरे देश में गूँजना चाहिए और ऐसे व्यक्ति के माध्यम से व्यक्त होना चाहिए जिसे देश का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी तथा अवसर दिया गया हो।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर)** : महोदय, इस सत्र की निर्धारित अवधि के मात्र तीन दिन शेष रह गए हैं। बिना किसी पर लांछन लगाए मैं यह कहता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उस पर सभी चिंतित तथा दु:खी हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। महोदय, हमें यह बात अच्छी लगे या बुरी, परंतु वास्तविकता यही है कि सदन की विश्वसनीयता कम होती जा रही है। आप सुनिए कि बाहर लोग क्या कह रहे हैं? तभी आप उसका मतलब समझेंगे जो मैं कह रहा हूँ। अब यदि हम इन तीन दिनों के समय में इस गतिरोध का कोई समाधान ढूँढ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ कि यह हमारे तथा इस पूरे सदन की परीक्षा है। यदि हम कोई समाधान नहीं ढूँढ पाते और यदि आप 22 तारीख को इस गतिरोध के जारी रहते हुए इस सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देंगे तो इस सदन के बारे में जनता क्या सोचेगी? यह हम सबकी परीक्षा है। मैं जानता हूँ कि यह बहुत अनुकूल समय नहीं है क्योंकि दुर्भाग्यवश यह चुनाव का मौसम है। मुझे दु:ख है कि एक सदस्य ने यहाँ इस तरह का लांछन लगाया है कि कुछ उद्योगपति इस सदन को चला रहे हैं। हो सकता है कि उद्योगपति किसी पार्टी को चला रहे हों। मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है। परंतु मैं, इस सदन के एक सदस्य की हैसियत से इस तरह के आरोप पर, कि उद्योगपति इस सदन को चला रहे हैं, रोष प्रकट करता हूँ। यदि ऐसा है तो मैं त्यागपत्र देकर बाहर चला जाना ठीक समझूँगा। मैं एक ऐसे सदन का सदस्य क्यों बना रहूँ जिसे उद्योगपतियों द्वारा चलाया जा रहा हो?

उनके एक मंत्री पर पक्षपात, भ्रष्टाचार आदि के अपराधों के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरे मामले को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, किंतु कम से कम अब तक सदन के नेता ने ऐसा संकेत नहीं दिया है कि यहाँ आने में उनकी कोई दिलचस्पी है या प्रत्यक्षत: विपक्ष की भावना या इच्छा जानने या विपक्षी नेताओं से परामर्श करने में पर्याप्त रुचि रखते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, यह प्रश्न भी उठाया गया था और शुक्लजी ने कहा "यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो वे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे" मैंने कहा "यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं" का क्या तात्पर्य है, मैं सदन का नेता नहीं हूँ, वे सदन के नेता हैं, क्या वे रुचि रखते हैं या नहीं? क्या वे यह नहीं समझते हैं कि यह मामला काफी गंभीर और नाजुक है इसलिए उन्हें विपक्ष के साथ सीधी बातचीत करनी चाहिए? ऐसा प्रतीत होता है वे नहीं चाहते हैं। मैं इस दृष्टिकोण की प्रशंसा नहीं कर सकता हूँ। महोदय न केवल संसद की साख समाप्त हो रही है अपितु सदन का नेता, जिसे संसद की संरचना में एक विशेष स्थान दिया गया है, भी अपनी सार्थकता खो देगा। यह निरर्थक बन जाएगा, पहले भी कुछ अवसरों पर ऐसा हुआ है मैं उसका उल्लेख करना नहीं चाहता हूँ।

श्री चन्द्रशेखरजी और श्री अर्जुनसिंहजी ने कुछ विशेष सुझाव दिए हैं। मेरे विचार से उन सुझावों पर कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि इससे कुछ समाधान मिल भी सकता है या नहीं। हमने हर कोशिश की किंतु हमें सफलता नहीं मिली, इसलिए यह कोशिश करने में कोई हानि नहीं है। स्पष्ट रूप से कोई भी पहले से यह वचन नहीं दे रहा है कि जो प्रधान मंत्री कहेंगे हम उसे स्वीकार कर लेंगे। हम स्वीकार नहीं भी कर सकते है, किंतु मैं मंत्री महोदय से एक वचन चाहता हूँ। जब वे यह कहते है कि वाद-विवाद के बाद इस मामले का निर्णय सभा में किया जाएगा। यदि उनके कहने का तात्पर्य यह है कि यह बहुमत, मतदान या मत विभाजन द्वारा किया जाएगा तो हम इससे सहमत नहीं है, अब यह एक मुद्दा बन गया है, इसे एक विवाद का मुद्दा बनाया गया है तथा यह देश

की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कम से कम उन्हें कहना चाहिए कि वाद-विवाद, चर्चा के बाद प्रत्येक सदस्य बोलने के लिए तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है उसके बाद हम क्या करेंगे इसका निर्णय भी पूरी सभा तथा दोनों पक्षों द्वारा साथ बैठ कर किया जाएगा? तब हमें पुनः परीक्षा देनी होगी। यदि हम उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो ठीक है, यदि हम असफल होते हैं और हमें लोगों को कहना पड़ेगा कि हम असफल हुए हैं, उनके दिमाग में जो यह बात है कि हम बहुमत में हैं इसलिए क्या फर्क पड़ता, अन्ततः हम कुछ भी पारित कर सकते हैं जो हम चाहें, किंतु ऐसा होगा नहीं। यह संसदीय लोकतंत्र की भावना नहीं है।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : महोदय, क्या मैं वह बात कह सकता हूँ जिसे में बार-बार ...(व्यवधान)

**श्री पी.जी. नारायणन** : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : कृपया एक मिनट रुकिए।

महोदय, संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाय या नहीं, इस बारे में मैंने बार-बार कहा है और मैं यहाँ स्पष्ट रूप से पुनः कहूँगा कि संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाय या नहीं इसका निर्णय बहुमत या मतदान द्वारा नहीं किया जाएगा...(व्यवधान) यह बिल्कुल साफ है (व्यवधान) क्या मैं संक्षेप में उत्तर दे सकता हूँ (व्यवधान)।

(लोकसभा कार्रवाई / 19 दिसम्बर, 1995, पृष्ठ 352 से 368)

जो कुछ हम करते हैं और जो कुछ नहीं करते है, वह अंतत: इस गणतंत्र की संस्था की साख को प्रभावित करेगा और कभी कभी यह समूचे गणतंत्र को भी प्रभावित कर सकता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हो सकता है कि तब तक हम न रहें किन्तु एक न एक दिन हमें इतिहास के कटघरें में खड़ा रहना पड़ेगा।

अर्जुन सिंह

*29 फरवरी, 1996*



# 1996

*लोकसभा में श्रम जीवी पत्रकारों की माँगों तथा उनके वेतनमान के पुनरीक्षण के संबंध में मामला श्री रामविलास पासवान ने 20 फरवरी को उठाया। अनेक सदस्यों ने पत्रकारों की माँग को उचित बताते हुए सरकार से आग्रह किया कि वह उनकी माँगों को स्वीकार करे।*

*सुश्री ममता बनर्जी ने प्रधान मंत्री और श्रममंत्री से आग्रह किया कि वे पत्रकारों के संगठनों से तत्काल बात करें। माननीय श्री अर्जुन सिंह ने सुश्री ममता बनर्जी की माँग को उचित ठहराते हुए उससे सहमति व्यक्त की। उन्होंने सत्ता पक्ष से पत्रकारों को राहत देने और उनकी माँगों का समर्थन करने का आग्रह किया।*

**श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा)** : अध्यक्षजी, पिछले आठ साल से प्रेस के लोगों का पे-रिवीजन नहीं हुआ है और सरकार उनको 50 परसेंट इन्टेरिम-रिलीफ़ के स्थान पर केवल 20 परसेंट इन्टेरिम रिलीफ देने के लिए तैयार हुई है। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार मैनेजमेंट के हाथों में न खेलें और कम से कम 35 परसेंट इन्टेरिम रिलीफ दे। आज तो इम्पॉर्टेंट डिबेट होने वाली है। आज हवाला के ऊपर डिबेट चलेगी और आज प्रधान मंत्री के ऊपर चार्ज लगेगा। आज अगर पेपर वाले नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा, इसमें क्या हुआ यह कैसे पता चलेगा? इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार को मैनेजमेंट के हाथों में नहीं खेलना चाहिए और जो एम्प्लाईज की जायज माँगें हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट को वक्तव्य देना चाहिए।...(व्यवधान)

**श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर)** : अध्यक्षजी, अखबारों का अपने आप में एक महत्व है। उनके पास यहाँ की खबरें न जाएँ तो कैसे चलेगा? प्रधान मंत्री भी आज सदन में आए हैं यह भी अपने आप में एक खबर है। प्रेस वाले नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? पत्रकारों की जो माँगें हैं वे जायज माँगें हैं ...(व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा)** : वे हड़ताल पर चले गए हैं।...(व्यवधान)...सरकार को मजदूरों के साथ बातचीत आरंभ करनी चाहिए।...(व्यवधान)

**श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा)** : अध्यक्षजी, क्या कारण है कि प्रेस वालों की माँगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। ...(व्यवधान)

**श्री राम विलास पासवान** : सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?...(व्यवधान)

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : ममताजी, आप तो सत्ता पक्ष में बैठी हुई हैं। सरकार स्पष्ट करे कि प्रेस के लोगों की माँगों को क्यों अटकाया जा रहा है?...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप लोगों ने कल मुझे जो सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद करते हुए मैं आज की कार्रवाई आरंभ करता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि आज भी उसी तरह का सहयोग आप लोग देंगे। हम हड़ताल के कारण उत्पन्न कठिनाई को भी समझते हैं और यह भी समझते हैं कि आप चाहते है कि आप सभा में जो प्रश्न उठाना चाहते है, लोगों को उनके बारे में मालूम हो।

फिर हमने मेरे वक्ष में यह निर्णय लिया है। साथ ही, आज यह निर्णय लिया गया था कि हम प्रश्नकाल स्थगित

कर देंगे और तत्काल यह चर्चा आरंभ कर देंगे। एक बात यह है।

दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि चर्चा आज पूरी नहीं हो पाती है, तो आवश्यक होने पर यह कल भी जारी रह सकती है।

तीसरी बात यह है कि हमें पाँच बजे सायं लेखानुदान प्रस्तुत करने के लिए समय और सुविधा उपलब्ध करनी होगी।

अत:, हम दिए जाने वाले भाषणों के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं करेंगे। पहले घण्टे अर्थात् प्रश्नकाल का पूरे देश में प्रसारण किया जा रहा है और हर कोई इसको देख रहा है। यदि संभव हुआ तो हम उसे भी जारी रखेंगे। मैं इसके बारे में यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ। हमें इस बारे में दूसरों से पता करना होगा। जब हम लोगों को प्रचार माध्यमों से जुड़े लोगों और उनकी कठिनाइयों के साथ सहानुभूति है तो हमें आशा है कि वे कठिनाइयाँ भी हल हो जाएँगी। इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम इस पर कभी एक तरह से और कभी दूसरी तरह से निर्णय लें। यह हमारी गरिमा के अनुरूप नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए भी कि यह चर्चा कल भी जारी रह सकती है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमें वाद-विवाद जारी रखना चाहिए।

**श्री जॉर्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर)** : अध्यक्षजी, सवाल हम लोगों के हित का नहीं है, सवाल पत्रकारों के हित का है। सरकार को उनकी माँग स्वीकार करनी चाहिए। आपने उनसे बात क्यों नहीं की? एक अर्से से यह मामला पड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि हम लोगों की सिम्पैथी उनके प्रति है। यह इनकी सिम्पैथी है...(व्यवधान)...अगर आप लोगों की सिम्पैथी है तो कहाँ हैं लेबर मिनिस्टर ..(व्यवधान)

**कुमारी ममता वनर्जी (कलकत्ता दक्षिण)** : महोदय, मैं उनकी भावनाएँ जानती हूँ। इसका कारण यह है कि मैं भी उनके हितों के लिए लड़ रही हूँ। वास्तव में सरकार ने कहा था कि वह तत्काल अंतरिम राहत की घोषणा करने जा रही है। लेकिन वेतन बोर्ड गठित करने का प्रश्न लम्बित है। पेंशन योजना अधर में है। सरकार ने कहा था कि हम पन्द्रह प्रतिशत अंतरिम राहत की घोषणा करेंगे। महोदय, मैं समझती हूँ कि सरकार को श्रमजीवी पत्रकारों के लिए 15 प्रतिशत की बजाय 50 प्रतिशत अंतरिम राहत की घोषणा करनी चाहिए। यह एक बहुत उचित माँग है। वे लोग हड़ताल पर चले गए हैं।

अत:, प्रधान मंत्रीजी से और श्रममंत्रीजी से भी अनुरोध करती हूँ कि उन्हें आज श्रमजीवी पत्रकार यूनियन को बुलाकर इस मुद्दे को तत्काल हल करना चाहिए। राजनीतिज्ञों और प्रशासकों की तरह ही प्रचार माध्यमों से जुड़े लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महोदय, सभा इस बात पर सर्वसम्मत है कि श्रमजीवी पत्रकारों को अंतरिम राहत तत्काल मिलनी चाहिए। उनके लिए वेतन बोर्ड का तत्काल गठन किया जाना चाहिए और उनके लिए पेंशन योजना भी तत्काल लागू की जानी चाहिए।

**श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेंद्रम)** : हम भी इसका समर्थन कर रहे हैं।

**श्री अर्जुन सिंह (सतना)** : सभा, कुमारी ममता बनर्जी की इस माँग से सहमत है कि सरकार को श्रमजीवी पत्रकारों की तत्काल सभी राहतों की घोषणा करनी चाहिए। सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों को इस बात का समर्थन करना चाहिए।...(व्यवधान)

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाट्टे (विजयवाड़ा)** : महोदय, हमें एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्यों ने यहाँ पर

जो विचार प्रकट किए है, उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। हमें इसी क्षण प्रस्ताव पारित करके उसके फलितार्थ को जाने बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए। इस सब पर विचार करते समय माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट किए गए विचारों को ध्यान में रखा जाएगा...

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : अब इस तरह से अपनी बात जारी मत रखिए। यह ठीक नहीं है। आप जो कहना चाहते थे, वह आप कह चुके हैं और जो मैं कहना चाहता था, वह मैं कह चुका हूँ।...

(व्यवधान)

**श्री श्रीकान्त जेना (कटक)** : महोदय, हम वास्तव में आपके आभारी हैं कि आपकी टिप्पणी के बाद प्रधान मंत्रीजी इसका जवाब देंगे। प्रधान मंत्रीजी को हर हाल में जवाब देना चाहिए।

**श्री राम विलास पासवान** : प्रधान मंत्रीजी, इतना तो कह दीजिए कि इस पर विचार करेंगे।...(व्यवधान)

**प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंहराव)** : महोदय, मैंने अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ व्यक्त की गई राय को नोट कर लिया है। मैं इस सब को निश्चित रूप से ध्यान में रखूँगा और मैं समझता हूँ कि हम कुछ और करते हैं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ)** : अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि चर्चा शुरू हो और यह संतोष की बात है कि चर्चा 184 में हो रही है। हमारी माँग थी कि प्रधान मंत्रीजी सदन में आए और वह पूरी हो गई है लेकिन अध्यक्ष महोदय...

**श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी)** : हमारी भी माँग है कि एल.के. आडवाणी यहाँ आएँ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मैं बी.ए.सी. की बैठक में नहीं था। जैसा वहाँ फैसला लिया गया, शायद यह बात कमेटी के नोटिस में नहीं लाई गई कि अखबार हड़ताल पर जाएँगे, कल कोई अखबार नहीं निकलेगा। पार्लियामेंट और प्रेस का संबंध चोली-दामन का संबंध है। हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह केवल चारदीवारी के भीतर चर्चा करने का विषय है...

**अध्यक्ष महोदय** : यह पूरे देश में प्रसारित किया जाएगा। पहला घण्टा पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है।

**श्री अटल विहारी वाजपेयी** : अध्यक्ष महोदय, केवल एक घंटे का सवाल नहीं है। मेरा भाषण तो आ जाएगा लेकिन बाद में जो चर्चा होगी, उसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। मैं चर्चा शुरू करने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं कर रहा हूँ। मैं तो तैयार हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर...

**अध्यक्ष महोदय** : वाजपेयीजी, यह ठीक नहीं है।

**श्री अटल विहारी वाजपेयी** : सदन की राय बने...

**अध्यक्ष महोदय** : जब एक बार हमने निर्णय ले लिया है, तो यह ठीक नहीं है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ।

(लोक सभा कार्रवाई / 20 फरवरी 1996, पृष्ठ 165 से 168)

*गैर कानूनी रूप से पैसा लेने के आरोप लगने पर झारखंड मुक्ति मोर्चे के जमशेदपुर से निर्वाचित सांसद श्री शैलेन्द्र महतो ने लोकसभा में नियम 357 के अधीन 29 फरवरी को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया।*

*माननीय श्री अर्जुन सिंह (तिवारी कांग्रेस) तथा माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी ने श्री महतो द्वारा*

*पत्रकारवार्ता में दिए गए बयान को आधार बनाकर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लोकसभा में रखा था।*

**श्री शैलेन्द्र महतो (जमशेदपुर)** : अध्यक्ष महोदय, मुझे नियम 184 के तहत बोलना है। मैं कल किसी काम के चलते नोएडा गया हुआ था तो मेरी अनुपस्थिति में कुछ बातें उठ गई जिसके लिए मुझे खेद है। मैं अपनी कुछ पर्सनल बातें कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, 26 फरवरी के संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में, जिसमें मेरे साथ अटल बिहारी वाजपेयीजी और राम जेठमलानीजी उपस्थित थे, उन खबरों को आधार बनाकर माननीय सदस्य सोमनाथ चटर्जी और अर्जुन सिंहजी ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। कल से चल रही नियम 184 की बहस में विपक्ष के माननीय सदस्यों ने मेरे ऊपर जुलाई 1993 के अविश्वास प्रस्ताव में सरकारी पक्ष में मतदान करने के लिए धन लेने का आरोप लगाया है। जो सत्य से परे है। इस संबंध में मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। सच्चाई यह है कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य बूटा सिंहजी के साथ प्रधान मंत्री के निवास पर गए थे और उनसे मुलाकात भी हुई तथा कौंसिल के संबंध में चर्चा की गई। सच्चाई यह भी है कि मैं झारखंडी हूँ। झारखंड की अस्मिता के सवाल पर पिछले 20 वर्षों से लड़ता आया हूँ। और आगे भी झारखंड राज्य के लिए लड़ता रहूँगा। इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधान मंत्रीजी ने जब झारखंड कौंसिल का समाधान करने का आश्वासन दिया था तभी हम लोगों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया। जहाँ तक बैंक में रुपया जमा करने का सवाल है, वह रुपया पार्टी का है और पार्टी को सहमति पर पार्टी कार्य के लिए मुझे दिया गया, यह मेरा स्पष्टीकरण है।

कल इस सदन में कुछ बातें ऐसी भी हुईं कि ...(व्यवधान) आप चुप रहिए न। मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकाला नहीं गया। यह बात बेबुनियाद है। नौ अगस्त, 1995 को जब झारखंड कौंसिल का गठन हुआ और उसके बाद पार्टी के बीच में हमारा अन्तर्विरोध शुरू हुआ तो उस अन्तर्विरोध के चलते मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा से 26 नवम्बर को एक नोटिस दिया गया कि आप झारखंड परिषद् में शपथ ग्रहण कर लें, नहीं तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद मैंने अपनी नीतिगत बातों को रखा और रखने के बाद मुझे दो दिसम्बर को महासचिव पद से निकाल दिया गया। उसके बाद मैंने अपने मन से फैसला लिया कि जब मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव पद से निकाल दिया गया तो मैंने स्वेच्छा से, किसी के दबाव में आकर नहीं, भारतीय जनता पार्टी जॉइन करने का फैसला लिया।

सात जनवरी को अटलजी रांची गए हुए थे तो मॉस मीटिंग में मैंने पार्टी को जॉइन किया, लेकिन उसके पहले ही पांच जनवरी को मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। कल जो बातें मंडलजी द्वारा कही गई है, यह गलत हैं। छह जनवरी के विभिन्न समाचार पत्रों में यह बात आई कि शैलेन्द्र महतो को निकाल दिया गया है, इसलिए मैंने त्याग-पत्र देने की कोई जरूरत नहीं समझी। यह मेरा अपना बयान है। ...(व्यवधान)

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा)** : कल आपको कहाँ ले गए थे, आपको कहाँ रखा था? उन्होंने हम मंत्रियों पर डाल दिया कि हम लोगों ने आपको यहाँ आने से रोक दिया।

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म.प. तक के लिये स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

(लोकसभा कार्रवाई / 29 फरवरी 1996, पृष्ठ 254 से 256)

# राज्य सभा

# राज्य सभा

संवैधानिक निर्देशों में यह कहा गया है कि 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षानीति 1986 में आगे यह भी कहा गया है कि शिक्षा में सभी की न केवल पहुँच के लिए बल्कि सफलता के लिए भी समान अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

– श्री अर्जुन सिंह
*16 जुलाई 1991*

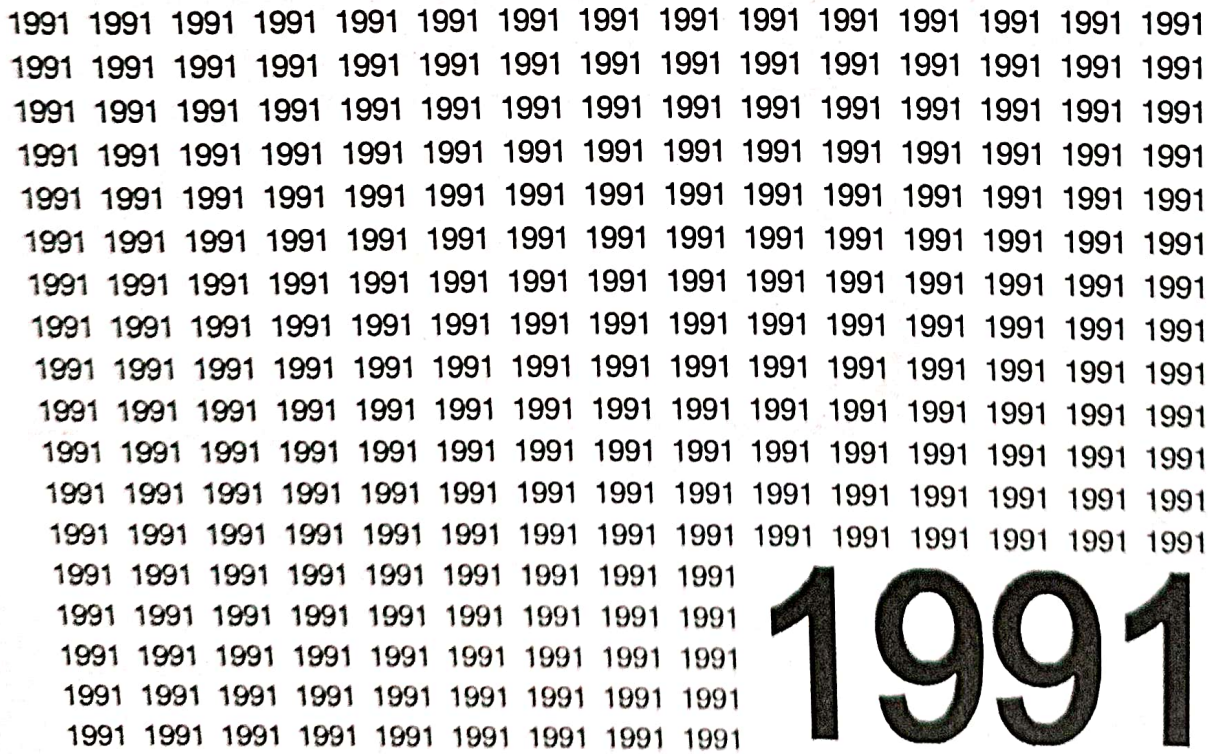

# 1991

*राज्य सभा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित प्रश्नोत्तर।*

*16 जुलाई को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्री अर्जुन सिंह ने माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए।*

## व्यावसायिक कक्षाओं के छात्रों को प्रवेश

*46 **श्री सत्यप्रकाश मालवीय:**
**डा. बापू कालदाते:** } क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि व्यावसायिक विभाग के वे छात्र जिन्होंने (अंग्रेजी, हिन्दी ऐच्छिक लेखाशास्त्र, बैंकिग, III वाणिज्यिक अभ्यास और बैंकिग IV/ विषय लेकर) दिल्ली सीनियर सर्टीर्फिकेट परीक्षा, 1991 उतीर्ण की है तथा 65 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उन्हें दिल्ली के कालेजों में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन हजारों छात्रों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए उन्हें दिल्ली के कालेजों में प्रवेश दिलाने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं तो, क्या सरकार उन व्यावसायिक कक्षाओं को तुरन्त बन्द किए जाने पर विचार करेगी?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, व्यावसायिक/तकनीकी धारा (स्ट्रीम) से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से सीनियर स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा XII) उत्तीर्ण करने वाले छात्र निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिये पात्र हैं:—

(i) बी. ए. (पास)
(ii) बी. कॉम (पास)
(iii) बी. एससी. (सामान्य)
(iv) बी.ए. (ऑनर्स)
(v) बी. कॉम (ऑनर्स)
(vi) बी.ए. (व्यावसायिक अध्ययन)

ये छात्र पत्राचार पाठ्यक्रमों में और विश्वविद्यालय के बाह्य छात्रों के रूप में भी प्रवेश के लिए पात्र हैं।

उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के लिए व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक धाराओं से छात्रों के लिए न्यूनतम अर्हक अंकों में कोई अन्तर नहीं है। सिवाए इसके कि बी.कॉम (ऑनर्स) में व्यावसायिक छात्रों के प्रवेश के लिए कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक अपेक्षित है। चूँकि चालू शैक्षिक सत्र के लिए प्रवेश जारी है, अतः दिल्ली के कॉलेजों में विभिन्न अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के लिए न्यूनतम (कट ऑफ) प्रतिशतता को निश्चित रूप से दर्शाना सम्भव नहीं है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अवन-स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना का सुझाव देने के लिए समिति गठित करने का प्रस्ताव है ताकि व्यावसायिक धारा के छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान किये जा सकें।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## श्रृंगेरी में संस्कृत विश्वविद्यालय

*50 **श्री कपिल वर्मा**
**श्रीमती सुशीला वर्मा तिरिया** } क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राजीव गाँधी के नाम पर श्रृंगेरी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा इसकी स्थापना कब तक हो जाएगी?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) सिद्धान्ततः श्रृंगेरी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी निर्णय लिया गया है। संस्थागत ढाँचे का कार्य शुरू किया जाएगा जो कुछ समय बाद विश्वविद्यालय का रूप ले लेगा।

## उत्तर प्रदेश में एशियाई भाषा संस्थान की स्थापना

**118. श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में एशियाई भाषा संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) इस समय कुशीनगर (उ.प्र.) में एक एशियाई भाषा संस्थान गठित करने का विचार करने का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। तथापि बुद्धा स्नातकोत्तर कॉलेज, कुशीनगर (उ.प्र.) के प्रिंसिपल के साथ-साथ वहाँ के कुछ निवासियों ने ऐसा एक संस्थान गठित करने के लिये मंत्रालय से अनुरोध किया है।

(ख) इन व्यक्तियों ने जिन्होंने उपर्युक्त अनुरोध किया था, अपने अनुरोध के समर्थन में स्वेच्छा से पूर्ण ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए इच्छा व्यक्त की थी जो अभी प्राप्त होने हैं।

## बिहार में पुरातत्व संबंधी खुदाई

**119. श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में चेचर, वैशाली, तथा विक्रमशिला नामक स्थानों पर पुरातत्व संबंधी खुदाई का कितना कार्य हुआ है;

(ख) इन उत्खननों के परिणामस्वरूप अभी तक क्या तथ्य उभर कर सामने आए है;

(ग) 1991-92 के वर्ष के दौरान बिहार में किन-किन स्थानों पर पुरातत्व संबंधी खुदाई किए जाने का प्रस्ताव है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) चेचर में 1977-78 और 1988-89 के दौरान; वैशाली में 1903, 1913-14, 1950, 1958-62, 1988-89 और 1990-91 में; तथा विक्रमशिला में 1962-63 और 1972-1981 में खुदाई-कार्य किया गया था।

(ख) इन उत्खनन कार्यों के परिणाम इस प्रकार हैं:-

**चेचर:** इन उत्खनन-कार्यों से नवपाषाण काल से लेकर कुषाण और गुप्त काल तक की संस्कृति की सिलसिलेवार जानकारी मिली है, कहीं-कहीं सिलसिला टूटा हुआ है। इस स्थल की ऊपरी सतह पर मध्यकालीन चिकना पात्र भी मिला था। सबसे आरंभिक काल से पता चलता है कि उस समय विकसित ग्रामीण अर्थ व्यवस्था थी, और उस समय खेती के औजारों और शिकार के हथियारों तथा मिट्टी के पलस्तर से बने ठट्टरों के मकानों का उपयोग होता था। इसके बाद कुषाण और गुप्त कालों की संस्कृति आई जिसमें उत्तर के काले रंग की पॉलिश वाले बर्तन और बड़ी-बड़ी ईटों वाले मकान बनाए गए। महत्वपूर्ण पुरावस्तुएँ मिली, जिनमें पॉलिश वाले पत्थर और हड्डियों के बने औजार, पत्थर के छोटे-छोटे हथियार, सिक्के, मुहरें, ठप्पे, मूर्तियाँ और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं।

**वैशाली:** सबसे प्राचीन व्यवसाय ईसा-पूर्व प्रथम अर्ध सहस्राब्दी पहले का है और यह मध्यकाल तक जाता हैं उत्खनन कार्य से पूजास्थल, स्तूप, मकान, जल-निकास व्यवस्था आदि; और पुरावस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, जैसे मुहरें, ठप्पे, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, हड्डी और हाथी दाँत की वस्तुएँ, आदि।

**विक्रमशिला:** इस खुदाई से एक भव्य बौद्ध महाविहार परिसर का पता चला है जिसमें विभिन्न प्रकार की पुरा-वस्तुएँ मिली हैं, जिनमें मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, शिलालेख आदि शमिल हैं। इसके अलावा भिक्षु-विहार मठ, तहखाने और विक्षोफ द्वार, एक जल-निकास व्यवस्था, प्रदत्त स्तूप, पानी का एक जलाशय और अन्य इमारतें मिली हैं।

(ग) वर्ष 1991-92 दौरान खुदाई-कार्य केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार मंडल की स्थाई समिति (स्टैंडिंग कमेटी) की सिफारिश के अनुसार किया जाना है, जिसकी बैठक प्रति वर्ष प्रायः सितम्बर में होती है।

## कमजोर वर्गों के बच्चों को शिक्षा

**120. डॉ. अबरार अहमद:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे व्यक्तियों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार की क्या योजना है और उन्हें किस प्रकार शिक्षा तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं;

(ख) ऐसे बच्चों की राज्य-वार संख्या कितनी है और क्या उन्हें कोई आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है; और

(ग) सरकार ने अब तक कितने बच्चों को "बाल श्रमिक" से 'विद्यार्थी' बनाया है और क्या सरकार "बाल श्रमिक को विद्यार्थी बनाओ" जैसा कोई नारा देने का विचार रखती है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (ग) संवैधानिक निर्देशों में यह कहा गया है कि 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में आगे यह भी कहा गया है कि शिक्षा में सभी की न केवल पहुँच के लिए बल्कि सफलता के लिए भी सूची को समान अवसर प्रदान के लिए प्रयास भी किए जाने चाहिए तदनुसार, समानता को बढ़ावा देने तथा विसंगतियों को कम करने के लिए कई कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है जो खराब सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में रह रहे बच्चों तथा काम करने वाले बच्चों के लाभ के लिए होंगे। इन कार्यक्रमों में से मुख्य-मुख्य निम्नलिखित है—

(1) 300 की जनसंख्या वाली सभी बस्तियों में 1 किलोमीटर की पैदल दूरी पर एक प्राइमरी स्कूल का

प्रावधान करना। अ.जा./अ.ज.जा. की आबादी वाली बस्तियों में इस नियम में 200 व्यक्तियों तक की जनसंख्या की छूट दी जा सकती है।

(2) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम के अन्तर्गत सूची प्राइमरी स्कूलों के लिए भौतिक सुविधाओं का प्रावधान करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्राइमरी स्कूलों को न्यूनतम स्तर प्रदान किया जा रहा है।

(3) उन बच्चों को अंशकालिक शिक्षा प्रदान करने के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा का प्रावधान करना, जो अपना गुजारा करने के लिए कार्य करते है अथवा किसी और तरह से अपने परिवार की मदद करते है अथवा जो बच्चे पूरे दिन के स्कूलों में भाग नही ले पाते।

(4) ज.जा/अ.ज.जा. के परिवारों से संबंधित बच्चों तथा लड़कियों को निःशुल्क वर्दियाँ, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा मध्याह्न भोजन आदि जैसे प्रोत्साहनों का प्रावधान करना।

(5) प्राइमरी स्तर तक सभी बच्चों को सभी सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षण का प्रावधान करना।

इस संबंध में अभी आँकड़े उपलब्ध नहीं है कि कितनी संख्या में बच्चे गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं अथवा कार्य करने वाले बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मात्र अकेले शिक्षा का प्रावधान करना ही बच्चों को काम करने की प्रथा को रोकने के लिए पर्याप्त न होगा बल्कि इसके साथ-साथ परिवार की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित कुछ अन्य कदम उठाने भी जरूरी हैं।

(राज्य सभा कार्रवाई / 16 जुलाई 1991 पृष्ठ 21 से 24 तथा 44 से 46)

*30 जुलाई को राज्य सभा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित लिखित प्रश्नों के उत्तर माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने दिए।*

## स्कूली बच्चों के भार को कम करने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम का फिर से निर्धारित किया जाना

*225. **श्री शिव प्रताप मिश्र:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार छात्रों के भार को कम करने के लिए स्कूल पाठ्यचर्या तथा अध्ययन पाठ्यक्रमों को फिर से निर्धारित किए जाने के संबंध में कोई कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) विवरण सभापटल पर रख दिया गया है। जिसका विवरण इस प्रकार है :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (एन.पी. ई.) में राष्ट्रीय ढाँचे पर आधारित एक राष्ट्रीय पद्धति पर विचार किया गया है जिसमें अन्य लचीले घटकों के साथ-साथ एक साझा केन्द्रीय भूत अंग (कामनकोर) भी शामिल है एन.पी.ई. में 14 वर्ष तक के बच्चों के सर्वसुलभ दाखिले को बढ़ावा देने और उन्हें और स्कूल में रोके रखने के प्रयासों के संदर्भ में शिक्षा के प्रति बालकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर भी विचार किया गया है। स्कूली स्तर पर शिक्षा के विषय और प्रक्रिया के पुनर्विन्यास, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाने के बाद शुरू किया

गया था, में स्कूली बच्चों के बोझ को कम करने के प्रश्न सहित कई विषयों पर विचार किया गया।

2. इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) ने वर्ष 1988 में सभी स्तरों की स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम के एक राष्ट्रीय ढाँचे को प्रस्तुत किया। संशोधित पाठ्यक्रम में आधुनिकीकरण और प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के भार को कम करने की जरूरत पर वियार किया गया।

3. राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढाँचे में दी गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं को ध्यान में रखते हुए एन.सी.ई.आर.टी ने संपूर्ण स्कूली पाठ्यक्रम को संशोधित किया और कक्षा I से XII के लिए संशोधित पाठ्यपुस्तकें तैयार कीं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढाँचे और एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकों के आधार पर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने भी पाठ्यक्रम के नवीनीकरण और स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए नई पाठ्यपुस्तकों के विकास के लिए तथा चरणबद्ध क्रम में उन्हें स्कूली पद्धति में शुरू करने के लिए कदम उठाए है।

4. स्कूलों, खासकर शहरी क्षेत्र के स्कूलों द्वारा कई पुस्तकें निर्धारित करने की प्रवृति का विद्यार्थियों के बोझ को बढ़ाने में योगदान हैं। अक्तूबर, 1989 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिवों को जारी निर्देश द्वारा इस प्रवृति को खत्म करने का आदेश किया गया तथा स्कूलों को सही मायने में अपेक्षित पुस्तकों से अधिक पुस्तकें निर्धारित नहीं करने तथा सप्ताह के दिन विशेष के लिए वास्तव में अपेक्षित पाठ्यपुस्तकों/अभ्यास पुस्तिकाओं से अधिक न ढोएँ- यह सुनिश्चित करने का आदेश किया गया।

## नई शिक्षा नीति और राममूर्ति समिति की सिफारिशें

***230. श्री सोम पाल**
**श्री चिमनभाई मेहता** } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नई शिक्षा नीति और राममूर्ति समिति की सिफारिशों में क्या अंतर है और क्या समानताएँ है;

(ख) इस समय सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाता है; और

(ग) भारत और अन्य विकसित तथा विकासशील देशों की वर्तमान साक्षरता प्रतिशत कितनी-कितनी है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) कुछ सिफारिशों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (एन.पी.ई.) और रा. शि.नी. पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट एन.पी.ई.आर.सी. के नीति परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त समानता हैं कुछ क्षेत्र जिनमें एन.पी.ई.आर.सी ने भिन्न दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी थी वे हैंः अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा का व्यावसायीकरण, नवोदय विद्यालय और शैक्षिक परिसरों के माध्यम से प्रबंधन एन.पी.ई.आर.सी ने यह सुझाव दिया था कि प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया जाए।

(ख) उपलब्ध ताजातरीन अनुमानों (1989-90) के अनुसार केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को शिक्षा के लिये कु.रा.उ. का 3.4 प्रतिशत बजट आवंटन किया है।

(ग) 1991 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय साक्षरता दर 52.11 प्रतिशत है।

विश्व विकास रिपोर्ट,1991 के अनुसार (15 वर्ष और इससे ऊपर की जनसंख्या की) प्रौढ़ साक्षरता दर लगभग सभी उच्च आय वाले देशों में 5 प्रतिशत से कम थी। कम आय वाले देशों में उन्नीस देशों की प्रौढ़ साक्षरता दर भारत की प्रौढ़ साक्षरता दर से अधिक है। इनमें बंगलादेश (67%), पाकिस्तान (70%) और नेपाल (74%) शामिल है।

## डॉ. अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना के खर्च में हिस्सेदारी

***232. श्री आनन्द प्रकाश गौतम:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डॉ. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसका शिलान्यास लखनऊ में दो वर्ष पूर्व किया गया था, की स्थापना पर होने वाले खर्च में केन्द्रीय सरकार की हिस्सेदारी कितनी होगी तथा उत्तर प्रदेश सरकार को इस प्रयोजन के लिए अब तक कितनी सहायता राशि प्रदान कराई जा चुकी है;

(ख) इस मामले में अब तक कितनी प्रगति की गई है तथा विश्वविद्यालय में कब तक कार्य शुरू हो जाने की संभावना है, क्या इसको पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार दिल्ली में तथा अन्य राज्यों में डॉ. अम्बेडकर के नाम पर और विश्वविद्यालय खोलने का विचार रखती है या उसकी ऐसी कोई योजना है, यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य विधान द्वारा लखनऊ में डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अधिनियम अक्तूबर, 1989 में ही पारित कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार राज्य ने विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 244 एकड़ भूमि प्राप्त की है व निर्माण कार्य भी आरंभ हो चुका है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 1990-91 में 5.00 करोड़ रुपये तथा चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 में 2.50 करोड़ रुपये दिए थे। विश्व. अनु. आ. विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता देने पर विचार केवल तभी करेगा जब विश्वविद्यालय न्यूनतम बुनियादी सुविधाएँ निर्मित कर लेगा व अध्यापन तथा गैर-अध्यापन स्टाफ की प्रस्तावित न्यूनतम संख्या नियुक्त कर लेगा तथा विश्व.अनु. आयोग अधिनियम व विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अन्य आवश्यक शर्तें पूरी कर लेगा।

केन्द्रीय सरकार डॉ. अम्बेडकर के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

## निर्धनों के लिए शिक्षा के व्यय हेतु वित्तीय व्यवस्था करने के लिये शैक्षिक बैंक

***236. श्रीमती मीरा दास**
**श्री चिमनभाई मेहता** } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्धन और मध्यम वर्ग के छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आसान शर्तों पर ऋण की पुन:अदायगी के आधार पर ऋण देने के लिए शैक्षिक बैंक खोलने अथवा किसी अनुसूचित बैंक को आदर्श अभिकरण बनाने का विचार रखती है;

(ख) क्या विद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश हेतु केन्द्रीय और राज्य शैक्षिक संस्थाएँ अंक तालिका अथवा प्रवेश परीक्षा पर आधारित केवल योग्यता प्रणाली को अपनाने का विचार रखती है; और

(ग) क्या सरकार शैक्षिक संस्थाओं और गुपचुप ढंग से प्रवेश चंदा लेने पर प्रतिबंध लगाने तथा इसका उल्लंघन करने वाली संस्थानों को दंडित करने का विचार रखती है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) जी नहीं। फिर भी कामर्शियल बैंक "शैक्षणिक ऋण" की योजना के अन्तर्गत जरूरत के आधार पर वित्त प्रदान करते रहे है।

(ख) सरकार का यह विचार है कि उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में नामांकन योग्यता और आरक्षण नीति जैसे खास लक्ष्य मानदंड के आधार पर किए जाने चाहिए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

(ए.आई.सी.टी.ई.) ने राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को इंजीनियरिंग और पॉलीटेकनिक कालेजों में दाखिले के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए ताकि ये कालेज शैक्षिक वर्ष 1991-92 से उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए न्यूनतम स्तरों का निर्धारण कर दिया है।

(ग) सरकार केपिटेशन फीस को रोकने के लिए राज्य सरकारों से कदम उठाने का निवेदन करती रही है। आंध्रप्रदेश, बिहार और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने केपिटेशन फीस पर रोक लगाते हुए कानून भी बना दिया है।

ए.आई.सी.टी.ई. को तकनीकी संस्थानों द्वारा लिए गए शुल्कों के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ मार्गदर्शी रूपरेखाएँ तय करने के सांविधिक अधिकार दिये गए है। मार्गदर्शी रूपरेखाएँ ए.आई.सी.टी.ई. के विचाराधीन हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) बिल, 1987 में वर्तमान समय में निजी चिकित्सा कॉलेजों द्वारा लिये जा रहे केपिटेशन फीस को खत्म करने का प्रस्ताव है और यह बिल परिषद् को शिक्षा शुल्क और अन्य और अन्य शुल्कों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए भी अधिकृत करता है। बिल को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया था, जिसने जुलाई, 1989 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। बिल राज्य सभा में विचार के लिए लम्बित पड़ा है।

## केन्द्रीय विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा और योग के अध्यापकों के अनुरोध पर स्थानान्तरण

**1163. श्री अशोक नाथ वर्मा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो सत्रों के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों के शारीरिक शिक्षा और योग के अध्यापकों का उनके अनुरोध पर स्थानान्तरण नहीं किया गया है जबकि अन्य श्रेणियों में ऐसे अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) जी, हाँ।

(ख) जब वर्ष 1981-82 से प्रयोगात्मक आधार पर योग शिक्षा प्रारम्भ की गई थी तब प्रारम्भ में योग शिक्षकों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति की गई थी। इसके बाद केन्द्रीय विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा ओर योग को समेकित करने तथा शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की अर्हताएँ प्राप्त कर लेने के बाद योग शिक्षकों को नियमित करने का निर्णय किया गया था। इन कर्मचारियों के अनियमित होने के कारण स्थानान्तरणों के अनुरोध पर विचार नहीं किया गया।

## नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन

**1191. डा. रत्नाकर पाण्डेय**
**श्रीमती विजया चक्रवर्ती** } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए उपाय किए है;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार नई नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) संसद द्वारा मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.) को अपनाने के बाद इसके लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में इसके कार्यान्वयन के लिए कई कदम उठाए गए थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सहित प्रारम्भिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन, नवोदय

विद्यालयों की स्थापना, शिक्षा के व्यवसायीकरण, विज्ञान शिक्षा, शिक्षा तकनीक और पुराने प्रचलनों को त्यागते हुए उच्चत्तर एवं तकनीकी शिक्षा क्षेत्रों में आधुनिकीकरण जैसे मुख्य-मुख्य क्षेत्रों की कई नई योजनाओं को शुरू किया गया। सरकार ने नई शक्ति के साथ एन.पी.ई. के कार्यान्वयन को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) सरकार का नीति में कोई मौलिक परिवर्तन करने का विचार नहीं है। तथापि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों एवं एन.पी.ई. के अपनाने के बाद होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि एन.पी.ई. के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति गठित की जाए।

## प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की समीक्षा करने का प्रस्ताव

**1255. श्रीमती वीणा वर्मा**
**श्री कपिल वर्मा**
**कुमारी सईदा खातून** } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पुस्तक प्रकाशकों द्वारा प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम का उल्लंघन किए जाने की बढ़ती हुई शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार इस अधिनियम की समीक्षा करने का विचार रखती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस अधिनियम को ठीक रूप से लागू न किए जाने के कारण चोरी के वीडियों कैसेटों और केबल टेलीविजन का फिल्म उद्योग पर बुरा असर पड़ा है; और

(ग) वर्तमान प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था और उसका ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) सरकार विभिन्न वर्गों से प्राप्त सुझावों को दृष्टि में रखते हुए कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की समीक्षा कर रही है ताकि इसे और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाया जा सके।

(ख) इस अधिनियम के दण्ड सम्बन्धी प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तथापि, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं कि केवल टेलीविजन और वीडियो कैसेटो की चोरी से फिल्म उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) कॉपीराइट अधिनियम, 1957,1957 के अधिनियम 14 द्वारा तैयार किया गया था और इसे 21 जनवरी, 1958 लागू को किया गया। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ हैं उन कार्यो का पता लगाना जिनके लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है, इस प्रकार सुरक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की परिभाषा, सुरक्षा का स्वरूप, सीमा तथा अवधि, कॉपीराइट की सुपुर्दगी, किसी कॉपीराइट धारक को उसके अधिकारों के प्रयोग के लिए उपलब्ध कानूनी उपाय और कुछ विवादो के मामलों में सांविधिक मध्यस्थता, आदि।

इस कॉपीराइट अधिनियम में 1983 के संशोधन अधिनियम 23 द्वारा 1983 में संशोधन किया गया था जिसके विशिष्ट उद्देश्य थे-शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित विदेशी कृतियों के अनुवाद तथा पुनः मुद्रण के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित प्रावधान शामिल करना, लेखकों के अधिकारों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना और अधिनियम के संचालन में अनुभव की गई प्रशासनिक भूलों को दूर करना। यह संशोधन 9-8-1984 से प्रभावी बनाया गया।

इस कॉपीराइट अधिनियम में पुस्तकों तथा श्रव्य-दृश्य कृतियों की व्यापक चोरी पर रोक लगाने की दृष्टि से

1984 के संशोधन अधिनियम 65 द्वारा 1984 में और संशोधन किया गया था। इस संशोधित अधिनियम में, जो 8-10-1984 को लागू किया गया, अनेक अपराधों के लिए दण्ड को और अधिक कठोर बनाया गया था।

## नागालैंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थान को परिवर्तित करने का प्रस्ताव

**1267. श्री ख्योमो लोथा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने नागालैंड राज्य सरकार को नागालैंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल को ल्यूमनी से बदलकर किसी नए वैकल्पिक स्थल पर ले जाने के लिए लिखा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या नागालैंड सरकार इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सहमत हो गई है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (ग) ल्यूमनी, नागालैंड में अध्यापन व सम्बन्धन केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधान, अक्तूबर, 1989 में बनाया गया था। ल्यूमनी में संसाधनों की अत्यधिक कमी तथा बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध न होने के कारण विश्वविद्यालय को अभी तक संचालित नहीं किया जा सका हैं। राज्य सरकार से विचार विमर्श करके नागालैंड विश्वविद्यालय के स्थान के प्रश्न की पुनरीक्षा की गई थी तथा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु वैकल्पिक स्थानों के सुझाव के लिए इस विभाग के दिनांक 19-4-91 के आदेश द्वारा स्थान चयन समिति गठित की गई है। समिति को नागालैंड विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक निवेश की पहली किश्त बनाने के लिए भी कहा गया है। नागलैंड विश्व विद्यालय से समिति के लिए अपना प्रतिनिधि नामजद करने का अनुरोध किया गया है।

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय को अनुदान राशि जारी करना

**1268. श्री ख्योमो लोथा:** मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1986-1991 के लिए पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय की वित्तीय समिति द्वारा अनुमोदित अनुदान (गैर-योजना) की संपूर्ण राशि जारी नहीं की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय को उसके विकास सम्बन्धी निर्माण-कार्यों को पूरा करने में पेश आ रहे वित्तीय संकट से उबारने के लिए निकट भविष्य में उसकी बकाया राशियों को जारी करने के बारे में विचार करेगी?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विकास तथा अनुरक्षण अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाते है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, जिसमें उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय भी शामिल है, के रख-रखाव के लिए वार्षिक योजनेत्तर अनुदान वि.अ.आ. द्वारा वित्त समितियों की सिफारिशों, संसाधनों की उपलब्धता तथा अन्य संबंधित कारणों को ध्यान में रखकर मुक्त किए जाते है। आयोग ने 1986-91 के दौरान उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय को इसकी वित्त समिति द्वारा अनुशंसित 4182.45 लाख रुपए के अनुदान के मुकाबले 4117.20 लाख रुपए का योजनेत्तर अनुदान मुक्त किया गया।

केन्द्रीय विद्यालयों की विकास आवश्यकताओं, उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय शामिल है वि.अ.आ. द्वारा प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों की जाँच करने के पश्चात वि.अ.आ. द्वारा मुक्त किए गए योजनागत अनुदानों द्वारा पूरी की जाती हैं। आयोग ने सातवीं योजना के दौरान उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय को योजनागत अनुदानों के रूप में 905.26 लाख रुपए संस्वीकृत किए तथा आठवीं योजना में अब तक विश्वविद्यालय को 253.43 लाख रुपए संस्वीकृत किए हैं।

आयोग ने सूचित किया है कि उसे उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय द्वारा किसी विशेष वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए जाने की कोई जानकारी नहीं है।

## देश में साक्षरता का प्रतिशत

**1287. श्री पशुमपोनत किरुट्टिनन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1991 में देश में साक्षरता का प्रतिशत कितना रहा है और वर्ष 1981 के दौरान यह प्रतिशत कितना था;

(ख) इस सम्बन्ध में तमिलनाडु से संबंधित आँकड़े क्या है; और

(ग) देश में और विशेषकर तमिलनाडु में साक्षरता के प्रतिशत में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार, देश भर में असम राज्य को छोड़कर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या की साक्षरता प्रतिशतता 43.56% तथा वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार (जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर) देश में साक्षरता प्रतिशतता 52.11% थी।

(ख) तमिलनाडु राज्य में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या की वर्ष 1981 और 1991 की जनगणना के अनुसार, साक्षरता प्रतिशतता क्रमशः 54.38% ओर 63.72% थी

(ग) 14 वर्ष तक की आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और उन सबको स्कूलों में बनाए रखने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े दस राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसका उद्देश्य वर्ष 1995 तक 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 800 लाख प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, देश में पूरी तरह से निरक्षरता समाप्त करने के व्यापक कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग बन गया है।

"ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड" योजना के अन्तर्गत इस कार्यक्रम को तमिलनाडु राज्य में 385 ब्लाकों में कार्यान्वित किया गया है। इस राज्य में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 775 केन्द्र काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तत्वावधान में कामराजन, पासुभपन थेवर थिरुमागन और पुडकोटाई में अन्य वर्तमान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के अलावा पूर्ण साक्षरता अभियान आरम्भ किए गए हैं।

## अपंग बच्चों के लिए विशेष योजना

**1370. श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बच्चों के लिए एक विशेष योजना अपनाने का विचार रखती है जैसा कि दिनांक 19 जुलाई, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्यवार कितने-कितने अपंग बच्चों का पता लगाया गया है;

(घ) इस संबंध में विद्यमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस काम के लिए किसी विदेशी एजेन्सी ने सहायता देने की पेशकश की है; और

(च) यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (च) भारत सरकार ने विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना कार्यान्वित की है जिसका मुख्य उद्देश्य सामान्य स्कूलों में अपंग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना हैं।

इस योजना के तहत् राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों/स्वैच्छिक संगठनों के लिए स्कूलों में आवश्यक सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए·शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है। विकलाँग बच्चों को पुस्तकें और लेखन सामग्री भत्ता, परिवहन भत्ता, वर्दी भत्ता, उपकरण भत्ता आदि भी दिया जाता है। इसके साथ-साथ इस योजना में विशेष शिक्षकों के वेतन, संसाधन कक्षों की स्थापना, विकलाँग बच्चों का मूल्यांकन, विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण, स्कूलों में वास्तुकला संबंधी अवरोधों को हटाने तथा विशेष निर्देशात्मक सामग्री के विकास का भी प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, विकलाँग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा परियोजना योजना को अभी हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु तथा दिल्ली तथा बड़ौदा नगर निगम के कुछ ब्लाकों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस परियोजना को विकलाँग बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष रूपात्मकता के संदर्भ में उनके नामांकन वृद्धि करने तथा उनको स्कूल में रोके रखने और उनकी उपलब्धियों में सुधार लाने के लिए अभिनव तरीके विकसित किए जा रहे है। इस परियोजना के लिए यूनीसेफ वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 1986 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में 4 से 15 आयु वर्ग के लगभग 26 लाख विकलाँग बच्चे हैं। इनमें मानसिक रूप से विकलाँग बच्चों को शामिल नहीं किया गया है जिनकी संख्या लगभग 17 लाख है।

(राज्य सभा कार्रवाई / 30 जुलाई 1991 पृष्ठ 25, 30, 31, 34, 43, 82 से 83, 103, 149, 150, 162 से 163, 177 से 178, 226)

*27 अगस्त को राज्य सभा के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित लिखित प्रश्नों के उत्तर श्री अर्जुन सिंह ने दिए। उनके द्वारा दिए गए उत्तरों से स्पष्ट होता है कि वे कितने अध्ययनशील हैं तथा विभिन्न विषयों पर उनकी कितनी पकड़ है।*

### उर्दू संवर्धन ब्यूरो द्वारा उर्दू का विकास

***34. मौलाना अबेदुल्ला खान आजमी:** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उर्दू संवर्धन ब्यूरो एक प्रभावशाली निकाय के रूप में कार्य करने तथा उर्दू के विकास में अपना लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा है;

(ख) क्या उर्दू संबंधी जाफरी समिति ने भी इस ब्यूरो के कामकाज और कुशलता पर अपना असंतोष व्यक्त किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) उर्दू की तरक्की के लिए गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जाँच करने वाली जाफरी समिति की रिपोर्ट में, जिसे 25-7-1991 को राज्य सभा पटल पर रखा गया था, समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उर्दू तरक्की ब्यूरो के कार्यकरण की समीक्षा की थी। समिति का यह अभिमत था कि शिक्षा विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय होने के नाते ब्यूरो अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से नहीं कर पाया हैं। तदनुसार, समिति ने यह सुझाव दिया है कि ब्यूरो का दर्जा बदल कर उसे एक स्वायत्त निकाय का रूप दे दिया जाए ताकि इस कार्यात्मक स्वतन्त्रता और वित्तीय-शक्तियाँ प्रदान की जा सकें।

(ग) प्रक्रिया के अनुसार जाफरी समिति की रिपोर्ट के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

## रविन्द्र नाथ टैगोर की कृतियों का प्रकाशन

***38. श्री गुरुदास दासगुप्त:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रविन्द्र नाथ टैगोर की कृतियों के प्रकाशन के लिए विश्व भारती को मिले प्रतिलिप्यधिकार कवि की मृत्यु को पचास वर्ष पूरे होने के साथ ही समाप्त होने जा रहे है; और

(ख) यदि हाँ, तो भविष्य में उनकी कृतियों का प्रामाणिक प्रकाशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) ओर (ख) चूँकि गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर की मृत्यु 1941 में हुई थी, अतः उनके जीवनकाल में प्रकाशित उनकी कृतियों (उनके द्वारा खींचे गए छायाचित्रों के अलावा) के कॉपीराइट की अवधि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 22 के प्रावधानों के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1991 को समाप्त होगी। किसी कृति के लेखक के मरणोपरान्त प्रकाशित होने के मामले में अधिनियम की धारा 24 के प्रावधान लागू होंगे तथा कॉपीराइट की अवधि कृति अथवा इसके किसी अन्य रूपांतर के पहले प्रकाशन-वर्ष के बाद के कैलेण्डर वर्ष के आरम्भ से 50 वर्ष के लिए होगी। तथापि, यदि उन्होंने कोई छायाचित्र भी लिए हैं तो उनके कॉपीराइट की अवधि प्रकाशन की तारीख से 50 वर्ष होगी।

कॉपीराइट सुरक्षा का प्रमुख का उद्देश्य लेखकों के हितों की रक्षा करना है। समस्त बौद्धिक संपदा कानूनों को रचनाकारों एवं समाज के हितों में संतुलन बनाए रखना होता है ताकि रचनाशीलता भी संवर्धित होती रहे। अतः यह आवश्यक है कि रक्षा की यह अवधि किसी निश्चित सीमा पर समाप्त हो जाए। जब एक बार किसी कृति के कॉपीराइट की अवधि समाप्त हो जाती है, जो देर-सवेर तो समाप्त होनी ही चाहिए तो वह कृति "सार्वजनीन" हो जाती है जिसके पश्चात्, प्रकाशक अपने अलग रूपांतर तथा टीकाएँ प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसाकि अन्य प्राचीन ग्रंथों के संबंध में हो रहा है।

यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन के अंतर्गत इस रक्षा की अवधि लेखक की मृत्यु के पश्चात्, से सामान्यतः 25 वर्ष है तथा बर्न कन्वेंशन के अंतर्गत साहित्यिक तथा कलात्मक कृतियों की रक्षा की अवधि 50 वर्ष है। भारत दोनों कन्वेंशनों का सदस्य है। कोई भी देश इस न्यूनतम अवधि को बढ़ा तो सकता है किन्तु वह अन्य देशों पर इस प्रकार की बढ़ी हुई अवधि लाद नहीं सकता। अतः यदि भारत रक्षा की अवधि बढ़ाना चाहे तो अन्य देश भी इसको

बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं होंगे और अवधि बढ़ाने से प्रभावित भारतीय कृतियाँ उन देशो में स्वतंत्र रूप से पुनः प्रकाशित की जा सकेंगी परन्तु भारत में नहीं।

सरकार गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर की कृतियों के संबंध में व्यक्त चिन्ता को समझती है। गुरुदेव की कृतियाँ अन्य महान कृतियों की तरह ही मानव जाति की सामान्य विरासत का अंग हैं। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों में संशोधन के लिए प्राप्त अनेक सुझावों तथा इसके कार्यकरण से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों की व्यापक समीक्षा की जा रही है, तथा इस मामले पर अन्य संगत मामलों सहित विधिवत् विचार किया जा रहा है।

## पुरी स्थित जगन्नाथ मन्दिर की छतों में आई दरारें

**39. श्री कृष्ण लाल शर्मा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मन्दिर की छत तथा अन्य हिस्सों में हाल ही में कुछ दरारें पड़ी हुई दिखाई दी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस मन्दिर में पिछले वर्ष भी कुछ दरारें दिखाई पड़ी थीं;

(घ) क्या इन दोनों प्रकार की दरारों में कोई समानता है; और

(ङ) ऐसे दोषों की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है या किए जाने का विचार है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) पुरी स्थित जगन्नाथ मन्दिर में हाल ही में कोई नई दरार नहीं आई हैं। किन्तु, जुलाई, 1991 में रथ यात्रा के दौरान गर्भ-गृह के ऊपर शिखर के भीतरी भाग का निरीक्षण करते समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों ने गर्भ-गृह के ऊपर शिखर की दीवारों के भीतरी भाग में दो हल्की सी पुरानी दरारें ही देखी थीं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) पुरी के जगन्नाथ मन्दिर के समुचित संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः—

(i) मुख्य मन्दिर की सतह के फूले हूए पलस्तर को हटाना ताकि निचली सतह और दरार, यदि कोई हो, अनावृत हो सके।

(ii) दरार पड़े क्षतिग्रस्त पत्थर के स्थान पर नए पत्थर लगाना है और ढाँचे की दृढ़ता को बनाए रखना

(iii) जंग लगे लोहे के शिकंजों/ गिट्टकों के स्थान पर नए शिकंजे/ गिट्टक लगाना।

(iv) ढाँचे में आई दरार में इपाक्सी गल की पिलाई करना।

(v) अनावृत सतह का रसायनिक उपचार और परिरक्षण।

## मध्य प्रदेश में नवोदय विद्यालयों की स्थापना

**76. श्री सुरेश पचौरी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की है;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्य में नवोदय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) जी हाँ।

(ख) मध्य प्रदेश के 45 जिलों में से 29 जिलों में नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं। इनकी सूची संलग्न की जाती है।

(ग) और (घ) नवोदय विद्यालय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना की गई है। नवोदय विद्यालय संबंधित राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा प्रस्ताव किए जाने पर खोला जाता है। प्रस्ताव करने वाली राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार को प्रारम्भ में 2-3 वर्षों तक विद्यालयों को चलाने के लिए 30 एकड़ निःशुल्क उचित भू-भाग, पर्याप्त भवन तथा अन्य अवस्थापना, सभी प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता और प्रशासनिक सुविधाएँ प्रदान करनी होती हैं।

**मध्य प्रदेश के उन जिलों की सूची जहाँ नवोदय विद्यालय खोले गए हैं**

1. झाबुआ
2. टीकमगढ़
3. होशंगाबाद
4. जबलपुर
5. रायपुर
6. पन्ना
7. नरसिंहपुर
8. शिवपुरी
9. शहडोल
10. इन्दौर
11. देवास
12. सागर
13. सीधी
14. राजनांदगाँव
15. दमोह
16. मंदसौर
17. भिंड
18. बिलासपुर
19. सिवनी
20. दुर्ग
21. सीहोर
22. खरगोन
23. राजगढ़
24. गुना
25. दतिया
26. मुरैना
27. छतरपुर
28. धार
29. रतलाम

(राज्य सभा कार्यवाही / 27 अगस्त, 1991, पृष्ठ 20, 21, 33 से 39, 50 से 51, 58, 59)

*3 सितम्बर को राज्य सभा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मौखिक प्रश्नों के उत्तर माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने देकर सदस्यों को संतुष्ट किया।*

## विदेशों में भारतीय मूल की पाण्डुलिपियाँ

***106. श्री जॉन एफ. फर्नांडिस :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लिस्बन, लंदन और पेरिस के पुस्तकालयों और संग्रहालयों में भारतीय मूल की दुर्लभ पांडुलिपियाँ रखी हुई है जिन्हें वहाँ पर देश की आजादी तथा गोवा और पांडिचेरी की मुक्ति से पूर्व ले जाया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्हें मूल रूप में पुनः प्राप्त करने, या यदि ऐसा संभव नहीं है, तो उनकी माइक्रोफिल्म प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं ताकि उन्हें अपने देश के विद्वानों और शोधकर्त्ताओं के उपयोग के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय/अभिलेखागार में पूर्णतया उपलब्ध तथा प्रदर्शित किया जा सके?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) जी, हाँ।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने देश से इंग्लैंड, फ्रांस और पुर्तगाल ले जाए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की माइक्रोफिल्में प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं ताकि उन्हें अपने देश के विद्वानों और शोधकर्त्ताओं के उपयोग के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय/अभिलेखागार में पूर्णतया उपलब्ध हैं।

**श्री जॉन एफ. फर्नांडिस :** श्रीमन्, सभापति महोदय, यह हैरानी की बात है कि हमारे देश की आजादी के 44 वर्षों के पश्चात् भी भारत सरकार अभी भी केवल इन दुर्लभ पांडुलिपियों की सूक्ष्म फिल्म प्रतियाँ प्राप्त करने का प्रयास कर रही है न कि इन दुर्लभ पांडुलिपियों की मूल प्रतियाँ। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या इन तीनों राष्ट्रों के साथ किसी नयाचार या समझौते पर सरकारी स्तर पर कोई हस्ताक्षर किए गए हैं, और किस स्तर पर ये लम्बित पड़े हुए हैं?

**श्री अर्जुन सिंह:** श्रीमन्, यह वास्तविकता है कि मूल पांडुलिपियाँ वापस नहीं की गई हैं, और अब तक मुझे इस उम्मीद का कोई कारण दिखाई नहीं देता कि मूल प्रतियाँ वापस की जाएँगी क्योंकि, इस मामले पर इन देशों का दृष्टिकोण लगभग संकीर्ण है। लेकिन जहाँ तक सूक्ष्म फिल्मों का संबंध है, हम ब्रिटेन से पहले ही कुछ सूक्ष्म फिल्में प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जहाँ तक फ्रांस का संबंध है, हमारे पारस्परिक नयाचार के अनुसार, दस्तावेजों की सूक्ष्म फिल्में तैयार करने के लिए, जिनकी पहचान कर ली गई है, अधिकारी बहुत जल्दी वहाँ जाएँगे। पुर्तगाल के मामले में, हम दस्तावेजों की पहचान करने के प्रयास कर रहे हैं, और इस संबंध में हमें पुर्तगाल से पूरा-पूरा सहयोग भी मिल रहा है। मेरे विचार से सूक्ष्म फिल्म तैयार किए जाने में कोई बड़ी रुकावट पैदा नहीं होगी।

**श्री जॉन एफ.फर्नांडिस:** श्रीमन्, मेरे प्रश्न का भाग (ख) इस प्रकार है: हमारे कई विद्वानों को विश्वविद्यालय स्तर पर अनुसंधान कार्य पर अपने शोध-प्रबंध प्रस्तुत करने पड़ते हैं, और इस पांडुलिपि का जटिल भाग यह है कि यह विदेशों में पड़ा हुआ है। इन पाण्डुलिपियों का इस्तेमाल करने के लिए अधिकांश विद्वान और प्रोफेसर अपने ही खर्चे पर विदेश जाते हैं। इन दस्तावेजों तक अपने ही दम पर पहुँच पाना उनके लिए बहुत कठिन होता है। क्या मैं मन्त्रीजी से यह जान सकता हूँ कि इन विद्वानों और प्रोफेसरों की सहायता करने के लिए उन्हें अनुमति प्रदान करने हेतु विदेशों में हमारे मिशनों को कोई निर्देश जारी किया जाएगा?

**श्री अर्जुन सिंह:** श्रीमन्, मेरे विचार से यह एक तर्कसंगत अनुरोध है और इस मामले में विद्वानों की सहायता करने के लिए विदेशों में अपने मिशनों को अनुरोध करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

**श्री जॉन एफ. फर्नांडिस:** मेरे प्रश्न के भाग (ग) में यह है: जब कभी ये विद्वान विदेश जाते हैं, तो उन्हें प्रलेखन फीस अदा करनी पड़ती है। यह अनुचित बात है कि एफ.टी.एस. के अन्तर्गत इन लोगों को केवल 500

डॉलर का भुगतान किया जाता है और परिणामस्वरूप वे सूक्ष्म फिल्म की प्रतियाँ खरीद नहीं सकते। क्या मैं माननीय मंत्रीजी से यह जान सकता हूँ कि क्या इन अनुसंधानकर्त्ताओं को ऐसी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त विदेशी मुद्रा दी जाएगी?

**श्री अर्जुन सिंह:** यह कुछ ऐसी बात है जिसमें जाने के लिए जोखिम नहीं उठाउँगा क्योंकि विदेशी मुद्रा का मामला कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

**श्री सभापति:** विशिष्ट मामलों में आप अनुरोध कर सकते हैं, महत्वपूर्ण मामलों में आप निवेदन कर सकते है।

**श्री अर्जुन सिंह:** मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निश्चित तौर पर अनुरोध करूँगा।

**श्री शंकर दयाल सिंह:** सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि अभी पिछले साल अक्तूबर, 1990 में लन्दन में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसका विषय ही था कि ''द ब्रिटिश राज एण्ड इन्डिया'' उसमें भारत में जब से अंग्रेज आए 1600 से लेकर 1947 तक की सारी चीजें प्रदर्शित की गई थीं। उसमें बहुत बड़ी संख्या में मैनुस्क्रिप्ट, हस्तलिखित पोथियाँ, ऐसी पोथियाँ जो कि बहुत दुर्लभ हैं, चित्र भी और कला संग्रह भी हैं, मैं पहली बात सरकार से यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूची है। लंदन और जिन-जिन देशों का नाम मूल प्रश्नकर्त्ता ने पूछा है पुर्तगाल, पेरिस, लंदन या जर्मनी में ऐसी कितनी दुर्लभ पांडुलिपियाँ हैं? दूसरी बात मैं यह इसके साथ ही जानना चाहूँगा कि जब भी भारतीय शोधकर्त्ताओं को जरूरत होती है तो राजशेखर, मोहम्मद, विश्वनाथ से लेकर अनेक ऐसे पुराने संस्कृत के साहित्यकार हैं, जिनकी कृतियाँ यहाँ उपलब्ध नहीं हैं, विदेशों में उपलब्ध हैं, क्या सरकार जिस तरह से अभी हाल में पुर्तगाल से आपने गोआ का सोना मँगाया, उसी तरह से सरकार कोई प्रयास करेगी कि जो बाहर पांडुलिपियाँ हैं उनकी एक कैटैलॉग तैयार हो जाए, नम्बर एक और दूसरी बात, जो उनमें से मूल चीजें लौट सकें, ले आएँ? तीसरी बात यह कि ले नहीं आएँ तो उनकी मैनुस्क्रिप्ट करवाकर उन रेकार्ड्स को यहाँ पर रखा जाए, इस संबंध में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

**श्री अर्जुन सिंह:** आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिस संदर्भ में इस बात को यहाँ पर कहा है मैं उससे पूरी तरह सहमत होते हुए भी जो आज की परिस्थिति है उससे आदरणीय सदस्य को अवगत जरूर कराना चाहूँगा। इस समय इन देशों में जहाँ ये पांडुलिपियाँ या इस तरह की चीजें हैं अभी उन्होंने उनको हमें देने की बात पर नकारात्मक रुख ही बनाकर रखा है। एक बार फिर इस बारे में प्रयास करने की बात जहाँ तक है, मैं समझता हूँ कि प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक इसमें हमें कोई सफलता पूर्व में नहीं मिली है। इसीलिए इसका दूसरा पहलू रखा गया कि अगर हमें ओरिजनल डाकूमेंट्स वापस नहीं मिल रहे हैं तो कम-से-कम ऐसे दस्तावेज जो हमारे लिए आवश्यक हैं रिसर्च के लिए और शासन के लिए भी, उनकी माईक्रोफिल्म करके उनको उपलब्ध कराया जाए, इस दिशा में हम काफी आगे बढ़े हैं और उसमें हमें कोई ऐसी दिक्कत नजर नहीं आएगी, ऐस लगता है जहाँ तक पुर्तगाल से जो सोने की वापसी के सन्दर्भ में और समानान्तर बात कही गई है मै समझता हूँ कि वैसे तुलनात्मक ढंग से बात कही जा सकती है लेकिन सोने और जवाहरात और इसमें ऐसी कोई समानता नहीं है।

**श्री शंकर दयाल सिंह:** यह उससे भी ज्यादा कीमती है।

**श्री सभापति:** वही वह कह रहे है।

**श्री अर्जुन सिंह:** इसीलिए मै कह रहा हूँ कि उससे ज्यादा ये कीमती है और इनके वापस करने के लिए जब

तक उन देशों के शासन तैयार नहीं होंगे, हम उसका जो दूसरा तरीका है उसी को अख्तियार कर सकते हैं।

**श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी:** श्रीमन्, एक स्थान ऐसा है, जहाँ पर कि भारी संख्या में भारतीय मूल की पुस्तकें पड़ी हैं और यह स्थान इण्डिया हाउस लाइब्रेरी, लंदन में है। उत्तरवर्त्ती भारतीय सरकारें इस संग्रह को छोड़ देने के लिए ब्रिटिश सरकार को राजी नहीं कर पाई हैं। मैं नहीं जानता कि क्या यह सरकार इण्डियन हाउस लाइब्रेरी, लंदन से ये पुस्तकें वापस लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है।

**श्री अर्जुन सिंह:** खैर, पहले से ही किए गए प्रत्यायक प्रयासों को निश्चित तौर पर जारी रखा जा सकता है।

(राज्यसभा कार्रवाई / 3 सितम्बर 1991, पृष्ठ 1 से 13, तक)

तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के समग्र विषय के सम्बन्ध में हमारे व्यापक दृष्टिकोण में विशिष्ट लक्षित कदम उठाए जाएँगे। देश भर में तकनीकी शिक्षा का मानकीकरण निर्धारण करने का कार्य अखिल भारतीय तकनीकी परिषद् कर रही है।

—अर्जुनसिंह,
*27 मार्च 1992*

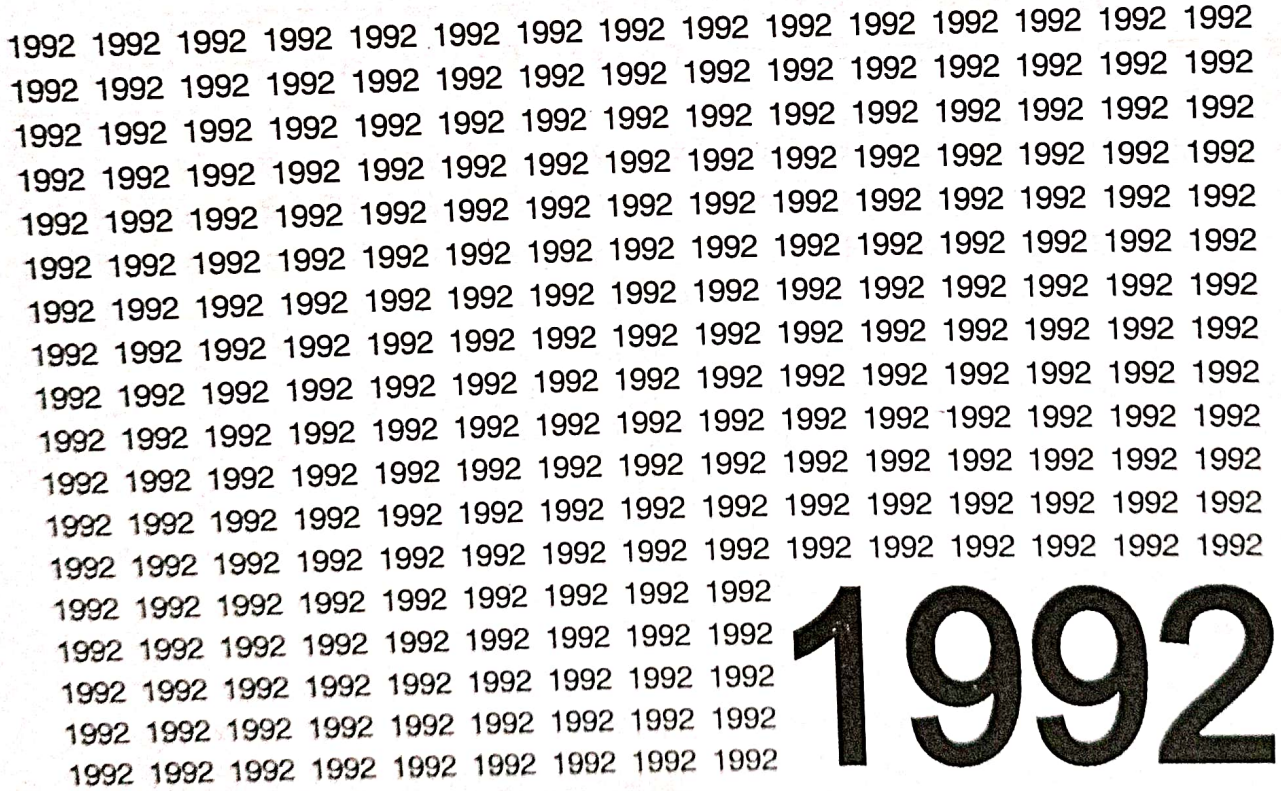

1992

# 1992

*27 मार्च को राज्य सभा में मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्री अर्जुन सिंह ने रोजगारोन्मुख शिक्षा नीति का विवरण प्रस्तुत किया। उनका कथन था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गई है। वे प्रश्नोत्तर काल में विभिन्न सदस्यों के मौखिक उत्तर दे रहे थे। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, रोजगार की क्षमता बढ़ाने तथा कौशल युक्त जनशक्ति की माँग और आपूर्ति में व्याप्त विसंगति को कम करने की आवश्यकता दर्शाई।*

## रोजगारोन्मुख शिक्षा नीति

*401. **श्री ईश दत्त यादव**
**श्री संतोष बागड़ोदिया** } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक रोजगारोन्मुख शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) हमारी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

**मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। विवरण इस प्रकार है :

(क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में पहले से ही व्यावसायिक शिक्षा पर पर्याप्त बल दिया गया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के लिए रोजगार की क्षमता बढ़ाना तथा कौशलयुक्त जनशक्ति की माँग और आपूर्ति में विसंगति को कम करना है। (नीति के पैरा 5.16 से 5.23 तक)। व्यावसायिक शिक्षा में बड़ी संख्या में शिक्षकों और व्यावसायिकों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया जा चुका है (पैरा 6.9)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में तकनीकी और प्रबंध शिक्षा पर विस्तार से विचार किया गया है (पैरा 6.1 से 6.11 तक) अध्ययन प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में आयोजित कार्य-अनुभव पर भी बल दिया गया है (नीति का पैरा 8.14)। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संभावित रोजगार-उन्मुख शिक्षा नीति के सभी पहलू पहले से समाहित हैं।

(ग) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं। प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं में सुधार के लिए वर्ष 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम प्रारंभ की गई थी। शिक्षा की विषय-वस्तु और प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए भी अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में शामिल हैं : पाठ्यचर्या का नवीकरण, पाठ्यपुस्तकों की कोटि में सुधार, शिक्षकों को व्यावसायिक क्षमता में सुधार के लिए उनका सेवाकालीन प्रशिक्षण और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग।

**श्री ईश दत्त यादव** : मान्यवर, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रीजी का जो उत्तर है, इससे यह परिलक्षित

---

* सभा में यह प्रश्न श्री ईश दत्त यादव द्वारा पूछा गया।

होता है कि इस प्रकार की कोई नीति नहीं है और न तो सरकार का कोई इरादा है कि शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए और जो बेकारी देश के अन्दर बढ़ रही है, उस बेकारी की समस्या को हल करने के लिए शिक्षा को रोजगार परक बनाने की सरकार की कोई नीति नहीं मालूम पड़ती। मान्यवर, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और एक राममूर्ति कमेटी भी शिक्षा में सुधार के लिए बनाई गई थी, लेकिन सरकार ने राममूर्ति कमेटी की संस्तुतियों पर तो विचार ही नहीं किया।...

इससे बेकारी की समस्या बढ़ रही है और देश के अन्दर जो उग्रवाद और अपराध बढ़ रहे हैं, इसके मूल में भी एक कारण है, मान्यवर, कि शिक्षित बेरोजगार लोगों का उसमें फ्रस्ट्रेशन होता है। तो मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार शीघ्र इस प्रकार की कोई रोजगारपरक शिक्षा नीति तैयार करके उस पर अमल करेगी ताकि शिक्षा समाप्त होते ही लड़के को जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय, काम या नौकरी मिल जाए? क्या सरकार इस पर गंभीरता से विचार करके इस प्रकार की नीति, नई शिक्षा की नीति का निर्माण करके उसको अमल में लाएगी?

**श्री अर्जुन सिंह** : आदरणीय सभापति महोदय, जहाँ तक नीति का विषय है, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि 1986 की शिक्षा नीति में इस सम्बन्ध में पूरी तरह से व्याख्या है, समावेश है। यहाँ तक राममूर्ति कमेटी की संस्तुतियों का सवाल है, मैं सदन में पहले भी बता चुका हूँ कि इन पर विचार करने के लिए सी.ए.बी. की एक कमेटी बनी है श्री जर्नादन रेड्डी के सभापतित्व में। उन्होंने अपनी संस्तुति दी है। अब सी.ए.बी. में हमको ले जाना पड़ेगा और सी.ए.बी. के निर्णय के अनुसार, सुझाव के अनुसार उस पर अमल किया जाएगा। जहाँ तक आपका व्यापक प्रश्न है कि रोजगारोन्मुख शिक्षा के बारे में हम विचार नहीं कर रहे हैं या कोई दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, मेरे मत में उचित नहीं है। बहुत-सी चीजें तो इस उत्तर में ही बताई गई हैं जो उस दिशा में प्रयास किया जा रहा था।

**श्री ईश दत्त यादव** : मान्यवर, इस देश में दोहरी शिक्षा नीति है, कान्वेन्ट स्कूल, किंडर गार्टन, सैंट्रल स्कूल और नवोदय विद्यालय और दूसरी तरफ टाट-पट्टी वाले प्राइमरी स्कूल हैं, दो तरह की शिक्षा है और यही कारण है कि इस देश के कुछ लोग, जो अच्छे स्कूल-कॉलेजों में पढ़ते हैं उनको तो काम मिल जाता है और जो टाट-पट्टी वाले स्कूल में पढ़ते हैं, जो गाँव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके बच्चों को कोई काम नहीं मिल पाता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस देश में जो दोहरी शिक्षा-व्यवस्था है इसको समाप्त करके पूरे देश के अन्दर एक शिक्षा-व्यवस्था का पाठ्यक्रम रखेंगे, जिसमें गरीब और अमीर, दोनों के बच्चे एक साथ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें और जिससे कोई भेदभाव न रह सके? क्या सरकार शीघ्र इस तरह का निर्णय करेगी, देश में एक समान शिक्षा नीति चालू करेगी?

**श्री अर्जुन सिंह** : आदरणीय सभापतिजी, शिक्षा एक ऐसा विषय है, जिसमें राज्य सरकारों को बहुत मूलभूत अधिकार है। यह प्रयास रहा है कि न्यूनतम आवश्यकताएँ, जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं प्राथमिक स्तर पर, सब जगह समान रूप से उपलब्ध कराई जाएँ। इस दिशा में काफी प्रगति भी हुई है और भी काम आगे हो रहा है। जहाँ तक अलग-अलग विद्यालयों में जो आपने जिक्र किया—चाहे वह नवोदय विद्यालय हो या केन्द्रीय विद्यालय हो, उनकी स्थापना की अलग-अलग प्रक्रिया है और उनके सम्बन्ध में मैं समझता हूँ कि सदन को किसी प्रकार की यह शंका नहीं होनी चाहिए कि हम उसके द्वारा कोई दोहरी नीति अपना रहे हैं।

**श्री संतोष बागड़ोदिया** : महोदय, एक तकनीकी शिक्षा पद्धति तैयार करने की आवश्यकता है जो विशेष तौर से जल संसाधन, बंजर भूमि के विकास और समाज के ग्रामीण और कमजोर वर्गों के उन्नयन से सम्बन्धित राष्ट्रीय

प्रौद्योगिकी मिशन को विकसित करने में सहायक हो सके। यह बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है। मैं यह जानना चाहूँगा कि इस तरह की पद्धति को विकसित करने के लिए सरकार क्या-क्या विशेष उपाय कर रही है।

**श्री अर्जुन सिंह** : तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के समग्र विषय के संबंध में हमारे व्यापक दृष्टिकोण में विशिष्ट लक्षित कदम उठाए जाएँगे। अखिल भारतीय तकनीकी परिषद्, जिसकी स्थापना सन् 1987 में हुई थी, देश भर में तकनीकी शिक्षा के मानकीकरण निर्धारित करने का कार्य करती हैं ताकि देश भर में एक समान मानक और एक समान पद्धति अपनाई जाए और तकनीकी संस्थाओं में बुनियादी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।

विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन सम्बन्धी कार्य आरम्भ किया गया है और कुछ मामलों में तो अन्य देशों और विश्व बैंक द्वारा सहायता भी प्रदान की जा रही है। उदाहरण के तौर पर तकनीकी की शिक्षा के ऐसे क्षेत्रों में जनशक्ति का सृजन। विश्व बैंक की सहायता से दो प्रमुख परियोजनाएँ आरम्भ की गई है जिनका उद्देश्य समग्र बहु शिल्प प्रणाली तथा उसकी गुणवत्ता, क्षमता और कार्य कुशलता में सुधार करना है। इसके बाद उद्योगों और संस्थाओं के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ाने, पाठ्यक्रम और शिक्षकों के प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में एक योजना आरम्भ किया जाना है। मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं वह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन हम अलग-अलग लक्षित योजनाएँ तैयार नहीं कर सकते। कुल मिलाकर हमें इन सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी।

**श्री चिमनभाई मेहता** : महोदय, मैं इस बात को समझता हूँ कि यह प्रश्न मुख्य तौर पर व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित था और बाद में इसे बदल कर शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन के बारे में कर दिया गया था और मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कोई दोष नहीं है। मुद्दा यह है कि अभी-अभी आपने उस नीतिगत ढाँचे का वर्णन किया है जिसका ब्यौरा किसी पुस्तक अथवा किसी दस्तावेज में मिल सकता है। वास्तविक बात है इसके कार्यान्वयन की। जैसा कि मुझे पता चला है कि फिलहाल, केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा पर खर्च किए जाने वाले बजट का मुश्किल से 15 प्रतिशत भाग ही व्यावसायिक शिक्षा पर खर्च किया जाता है।

रोजगारोन्मुख नीति को कार्यान्वित करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है?

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं इस बात को स्पष्टत: स्वीकार करता हूँ कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो कुल आवंटन किया गया है, जिसके बारे में माननीय सदस्यों और प्रश्नकर्ता ने पूछा है। ये समग्र राष्ट्रीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए कम हैं। चूँकि यह मामला संसाधन जुटाए जाने और उनके आवंटन से सम्बन्धित है, केवल मेरा मत ही इसमें निर्णायक घटक नहीं हो सकता। किन्तु हमारे पास जो कुछ संसाधन हैं, हम इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें इस ढंग से खर्च किया जाए ताकि केवल व्यावसायिक शिक्षा की विषय-वस्तु में ही सुधार हो बल्कि इसका लाभ छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में भी हो। इस सम्बन्ध में कई कदम उठाए गए है। इस संबंध में मैं संकेत के रूप में एक उदाहरण देना चाहूँगा। महोदय, सन् 1991-92 तक उन 400 स्कूलों में, जिनमें व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 12,543 स्वीकृत कक्षाप्रभाग है लगभग 256 करोड़ रुपए का कुल खर्च हुआ था। हमें शिक्षा की विषय वस्तु में भी सुधार करना होगा। हमने एक केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित करने का भी फैसला किया है। यह संस्थान शिक्षण सामग्री, पाठ्य-पुस्तकों, शिक्षक-प्रशिक्षण और अनुस्थापन संबंधी कार्यक्रमों को तैयार करने आदि की ओर ध्यान केन्द्रित करेगा।

**श्री भंवर लाल पँवार** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी द्वारा एक राष्ट्रव्यापी शिक्षाविदों और शिक्षा-शास्त्रियों से बहस कराने के बाद यह जो शिक्षा नीति अपनाई गई, उसके व्यवसायीकरण में कमी होने का कारण क्या यह है कि माननीय वी.पी. सिंहजी की सरकार और चन्द्रशेखरजी की सरकार द्वारा इस नीति के संबंध में फिर से चर्चा की गई और इसके अमल में नहीं लाने के कारण उसमें व्यावसायीकरण में कमी आई? मेरे प्रश्न का भाग "ब" यह है कि क्या आठवीं कक्षा तक ही जो 120 लाख विद्यार्थी पास करते थे और फिर छोड़ देते थे, वह संख्या क्या अब कम हुई है? वैसे अब विद्यार्थियों ने आठवीं क्लास और दसवीं क्लास पास कर के नहीं छोड़ा है और आगे पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्रश्न का भाग "स" यह है कि क्या श्रम मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय दोनों मिलकर, बाल व्यवसाय के लिए जो प्रतिबंध है, उसके लिए कक्षा में ही उसे इस प्रकार की पाँचवी क्लास तक व्यवसायिक शिक्षा दी जाय ताकि श्रमिक लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकें और उन्हें आगे शिक्षा मिल सके और वह अपने माता-पिता के लिए रोजगार में कुछ हाथ बँटा सकें। ऐसा कोई आपका कार्यक्रम है?

**श्री अर्जुन सिंह** : आदरणीय सभापति महोदय, जहाँ माननीय सदस्य का पहला प्रश्न है, यह उद्देश्य कुछ भी रहा हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन यह सत्य है कि श्री प्रोफेसर राममूर्ति समिति जो बनी थी, उसने समूची शिक्षा नीति के मूल्यांकन का एक प्रयास किया और स्वाभाविक है कि वह प्रयास जब हो रहा था तब इसके विभिन्न पहलुओं पर उतना जोरदार अमल नहीं हो सकता था जब तक कि उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती। उनको रिपोर्ट आ गई है।

**श्री चिमनभाई मेहता** : यह सच नहीं है। महोदय, व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने का हर संभव प्रयास किया गया था।

**श्री अर्जुन सिंह** : उनकी रिपोर्ट आ गई है, उसमें वोकेशनल एजुकेशन को भी उन्होंने काफी महत्व दिया है और जैसा कि मैंने बताया कि जनार्दन कमेटी ने भी उस पर अपनी समीक्षा दे दी है। अगले महीने या मई महीने के अन्दर सी.ए.बी. की मीटिंग करके उसे मैं सामने रखूँगा और वहाँ जो फैसला होगा, उस पर अमल करूँगा।

**श्री आशीष सेन** : महोदय, इस संबंध में मैं यह बता दूँ कि अखिल भारतीय अली यावर जंग बधिर संस्थान नामक एक संस्थान है। यह एक ऐसा संस्थान है जो उन शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है जो बधिर बच्चों को बोलना सिखाते हैं। यहाँ समस्या यह है कि यह एक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान है लेकिन वहाँ पर शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ सरकार को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि इस प्रयोजनार्थ व्यावसायिक शिक्षण उपलब्ध कराए जाएँ। यह मेरा प्रश्न है।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, चूँकि यह प्रश्न एक संस्था विशेष से संबंधित है.....

**श्री सभापति** : वह बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाने की बात कह रहे हैं। प्रश्न यह है...(व्यवधान) यह एक छोटी-सी बात है।

**श्री आशीष सेन** : जी हाँ, उनके लिए एक प्रशिक्षण संस्थान है, लेकिन शिक्षकों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है।

**श्री सभापति** : शिक्षकों को इस कार्य के लिए यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, कई प्रशिक्षण संस्थाएँ हैं लेकिन इस संस्थान विशेष के संबंध में कठिनाई यह है कि मैं निश्चित रूप से इस मामले की जाँच करूँगा और इस बात को सुनिश्चित करूँगा कि आवश्यक कार्रवाई

की जाए।

**श्री रामदास अग्रवाल :** प्रश्न मेरा यह है कि महोदय कि क्या ऐसी वोकेशनल शिक्षा पद्धति, जो आप प्रारम्भ करेंगे, ऐसे प्रांत जैसे राजस्थान है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है जिसमें आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, उन बच्चों को शिक्षा देते समय, तकनीकी या वोकेशनल सर्विस देते समय क्या उनको कोई छात्रवृत्तियाँ देंगे या उनके रहने की कोई व्यवस्था करके किसी छात्रावास में रखने की व्यवस्था करेंगे या फिर उनको रूरल एरियाज़ में ही आप तकनीकी शिक्षा देने का प्रयत्न करेंगे, यह मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय से।

**श्री अर्जुन सिंह :** आदरणीय सभापति महोदय, आजादी के बाद से राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप और नए परिवेश में प्रकृति, प्रवृत्ति और आवश्यकता, तीनों को ध्यान में रखकर शिक्षा नीति का निर्धारण हुआ है। समय-समय पर उसकी समीक्षा हुई है। देश के महान विद्वानों ने उस समीक्षा के माध्यम से शिक्षा को दिशा दी है। यह कहना कि आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कोई विचार ही नहीं हुआ और हम वहीं खड़े हैं, यह शायद उचित नहीं होगा, न्यायपूर्ण नहीं होगा। जहाँ तक...(व्यवधान)

**श्री रामदास अग्रवाल :** 3 करोड़ बेकार कैसे हो गए हिंदुस्तान के अन्दर...(व्यवधान)

**श्री सभापति :** यह डिस्कशन नहीं हो रहा है....(व्यवधान) आप वह बता दीजिए, उनका जो प्रश्न है, दूसरा भाग जो है जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसमें आप क्या प्रबंध करने जा रहे हैं?

**श्री अर्जुन सिंह :** आदरणीय सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के लिए कई विशेष उपाय किए गए हैं। होस्टल एकोमोडेशन उनमें से एक है, छात्रवृत्ति उनमें से एक है। वह सभी जगह लागू होता है। टैक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी लागू होता है। यदि कोई विशेष आवश्यकता और कहीं होगी तो ऐसे समाज के कमजोर वर्ग के लिए शासन हर तरह के प्रयत्न करने के लिए तत्पर है। ■

(राज्य सभा कार्रवाई / 27 मार्च 1992, पृष्ठ 1 से 14)

*27 मार्च को राज्य सभा में मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्री अर्जुन सिंह ने अपने मंत्रालय से संबंधित प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। जो विभिन्न विषयों से संबंधित थे।*

## केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को भारतीय दूतावास मास्को के कार्मिकों के रूप में माना जाना

4180. **श्री शारदा महन्ती**
**श्री मिसा आर. गणेशन्**
**श्री के.के. वीरप्पन** } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय विद्यालय, मास्को के कर्मचारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा अन्य ऐसे संगठनों, जो आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रमों के लिए सीटों का आरक्षण उपलब्ध कराते है, द्वारा चलाए जाने वाले आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रमों ने अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के मामले में भारतीय दूतावास, मास्को के कार्मिकों के रूप में माने जाते है; और

(ख) यदि हाँ, तो संबंधित उपबंधों का ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) और (ख) केंद्रीय विद्यालय, मास्को के कर्मचारी मास्को स्थित भारतीय दूतावास के एक भाग के रूप में नहीं समझे जाते हैं, इसलिए उनको अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और ऐसे अन्य संगठनों द्वारा आयोजित चिकित्सा पाठ्यक्रमों में आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाती।

## भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अन्तरविषयक अध्ययन

**4181. श्री जगदीश प्रसाद माथुर**
**श्री प्रमोद महाजन**
**श्री सिकन्दर बख्त**
**श्री गोपाल सिंहजी. सोलंकी**

: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् ने अन्तरविषयक अध्ययन की एक व्यापक अनुसंधान परियोजना आरम्भ की है और यह आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है:

(ख) इस परियोजना के उद्देश्यों, आयामों, कार्य-पद्धति, अनुसंधान किए जाने वाले मुद्दों, कार्य योजना और समय सारणी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में 'ओवरव्यू वाल्यूम' की योजना भी की गई है, यदि हाँ, तो उसकी रूप-रेखा क्या है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना के अधीन आने वाले विशिष्ट क्षेत्रों में भारत और विदेश में गैर-सरकारी और सरकारी प्रयासों/संगठनों द्वारा कुछ कार्य प्रकाशित किए जा चुके हैं और कुछ कार्य किए जा रहे हैं, यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं और इस अनुसंधान परियोजना को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए क्या उनके निर्गत को भी सम्मिलित किया जाएगा?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (ग) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् (आई.सी.पी.आर.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परिषद् "भारतीय विज्ञान, दर्शनशास्त्र व संस्कृति के इतिहास के अध्ययन" सम्बन्धी शोध परियोजना के लिए एक नोडल एजेन्सी है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय सभ्यता की वैज्ञानिक, दार्शनिक व सांस्कृतिक विरासत का विस्तृत व अंतरविषयक अध्ययन करना है। परियोजना के विस्तृत आयोजन व कार्यान्वयन के लिए विख्यात अध्येताओं की एक प्रारम्भिक समिति गठित की जा चुकी है। इस परियोजना के अधीन भूगोल, गणित, खगोल शास्त्र, शारीरिक विज्ञान, जीवन विज्ञान, आयुर्विज्ञान भारत उद्योग, कृषि तथा भारत के सामाजिक व राजनैतिक संस्थान जैसे विभिन्न विषयों पर दस खण्ड प्रकाशित किए जाने की संभावना है, जिसको पूरा करने में 7 से 9 वर्ष लग सकते हैं। समिति ने एक "सिंहावलोकन खण्ड" की तैयारी शुरू की है जिसमें अलग-अलग खण्डों की तैयारी के लिए अपनाई जाने वाली विस्तृत रूपरेखाएँ, चुने गए विषय और व्यापक कार्य-पद्धति का निर्धारण किया जाएगा।

(घ) कुछ कार्य, जो प्रकाशित किए जा चुके हैं तथा कुछ अन्य जो भारत व विदेश में निजी और सार्वजनिक प्रयासों/संगठनों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, का भी परियोजना में ध्यान रखा जाएगा। इसमें एशियाटिक सोसायटी, रामकृष्ण मिशन, भारतीय विद्या भवन, आई.एन.एस.ए., भंडारकर ओरियन्टल अनुसंधान संस्थान तथा भारत में अन्य शोध परिषदें, भारतीय पुनर्जागरण के नेता जैसे राजा राममोहन राय, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गाँधी, आदि के कार्य तथा भारतीय व पाश्चर्मी दार्शनिकों के कार्य शामिल है।

राष्ट्रगीत का गाया जाना

**4182. श्री जगदीश प्रसाद माथुर**
**श्री प्रमोद महाजन**
**श्री गोपाल सिंहजी. सोलंकी**
**श्री सिकन्दर बख्त**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 13 दिसम्बर, 1991 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 335 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में स्कूलों को राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान के गाए जाने के अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे स्कूलों की राज्य-वार संख्या कितनी है जहाँ इन अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा क्या ऐसे स्कूलों को सरकारी सहायता और अनुदान बन्द कर दिए जाने के अनुदेश हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में नीति और प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (ग) देश के सभी स्कूलों में सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत गाए जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर आदेश जारी किए गए हैं। अभी हाल ही में अक्तूबर 1991 में मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्कूलों में राष्ट्रगीत गाए जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी करने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों और उप-राज्यपालों को पत्र लिखा। तथापि, राष्ट्रगान गाए जाने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं। राष्ट्रगीत के सम्बन्ध में अक्तूबर, 1991 में जारी अनुदेशों के पालन न किए जाने के सम्बन्ध में किसी राज्य/संघशासित क्षेत्र से अब तक कोई खास रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। राष्ट्रगीत गाए जाने के सम्बन्ध में सरकार की यह नीति रही है कि सभी स्कूलों में प्रतिदिन सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत गाया जाना चाहिए।

विदेशी मुद्रा में व्यय

**4183. श्री जगदीश प्रसाद माथुर**
**श्री प्रमोद महाजन**
**श्री गोपाल सिंहजी. सोलंकी**
**श्री सिकन्दर बख्त**

: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्यतया भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले व्यय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति नहीं लेता है;

(ख) यदि हाँ, तो अनावश्यक व्यय पर नियन्त्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का विचार है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान जिन व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा व्यय करने की अनुमति थी उनके नाम और पदनाम क्या हैं तथा प्रत्येक ने कितनी-कितनी धनराशि व्यय की?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) और (ख) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् द्वारा दी गई सूचनानुसार परिषद, अध्येताओं को विदेशों में अनुसंधान करने के लिए, भारतीय मुद्रा में अनुरक्षण अनुदान स्वीकृत करता है। जिन अध्येताओं को इस प्रकार का अनुदान संस्वीकृत किया जाता है उन्हें विदेशी मुद्रा के लिए विदेशी

विनिमय अधिनियम, 1973 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक को स्वयं आवेदन करना होगा।

(ग) जिन अध्येताओं ने सातवीं योजना के दौरान विदेश जाने के लिए परिषद् से वित्तीय सहायता प्राप्त की है उनके सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## स्वतन्त्रता की ओर परियोजना

**4184. श्री जगदीश प्रसाद माथुर**
**श्री प्रमोद महाजन**
**श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी**
**श्री सिकन्दर बख्त** } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने ''स्वतंत्रता की ओर'' परियोजना कब आरम्भ की थी और इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है तथा क्या इसके 1992 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ख) क्या सरकार का और अधिक अपव्यय को रोकने के लिए इस परियोजना को बन्द कर देने का विचार है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् ने ''स्वतंत्रता की ओर'' परियोजना 20 अगस्त, 1973 को आरम्भ की थी। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् तथा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को अब तक 198.00 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद को आशा है कि यह परियोजना दिसम्बर, 1992 तक पूरी हो जाएगी।

(ख) सरकार परियोजना का वित्त पोषण मार्च, 1992 के बाद बन्द कर देगी, शेष कार्य भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् द्वारा स्वयं पूरा किया जाएगा।

## उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार

**4185. डॉ. ज़ेड.ए. अहमद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए उर्दू उपन्यास का चयन किए जाने के तरीके को लेकर उर्दू लेखकों में क्षोभ है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस चयन का तरीका क्या था; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) साहित्य अकादमी, जो कि एक स्वायत्त संगठन है, ने यह बताया है कि साहित्यिक विषयों पर मतों में भिन्नता होती है और उर्दू पुरस्कार के पक्ष में तथा विपक्ष में—दोनों प्रकार की रिपोर्टें समाचार पत्रों में छपी हैं।

(ख) साहित्य अकादमी पुरस्कारों को विनियमित करने वाले नियमों और क्रिया पद्धति के अनुसार ही इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। यह क्रिया-पद्धति विवरण में दी गई है।

(ग) साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संगठन है और इस कारण सरकार पुरस्कारों के लिए साहित्य अकादमी की चयन क्रियाविधियों में हस्तक्षेप नहीं करती है।

विवरण

साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किसी पुस्तक का चयन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्न प्रकार है :

किसी विशेषज्ञ से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित तथा विचार किए जाने के योग्य पुस्तकों की एक आधार सूची तैयार करने का अनुरोध किया जाता है। भाषा में मान्यता प्राप्त साहित्यिक संस्थाओं से भी उक्त अवधि के दौरान प्रकाशित पुस्तकों की एक आधार-सूची प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। प्रथम चरण में प्राप्त आधार-सूचियों का मिलान करके उन्हें प्रारम्भिक पैनल के 25 सलाहकारों के पास आधार-सूची में से अथवा अपनी ओर से पाँच-पाँच पुस्तकों की सिफारिश करने के लिए भेज दिया जाता है। दूसरे चरण में उन सलाहकारों से प्राप्त सिफारिशों का मिलान करके उन्हें प्रारम्भिक पैनल के उन्हीं सलाहकारों को अब केवल एक-एक पुस्तक की सिफारिश करने के अनुरोध के साथ भेज दिया जाता है। प्रारम्भिक पैनल के सलाहकारों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार पुस्तकों की प्रतियाँ प्राप्त की जाती हैं और उन्हें अन्तिम पैनल (संयोजक सहित) के तीन रीडरों के पास उनको पढ़कर प्रत्येक पुस्तक के सम्बन्ध में अपना-अपना वरीयता क्रम देने के लिए भेज दिया जाता है। अन्तिम पैनल के इन तीन रीडरों से प्राप्त वरीयता-क्रम अकादमी के कार्यकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है जो इन पर विचार करने के बाद पुरस्कार की घोषणा करता है।

## मुगल काल के सोने के सिक्कों का तस्करी द्वारा देश से बाहर ले जाया जाना

**4190. डा. बापू कालदाते**
**श्रीमती कमला सिन्हा**
**श्री यशवंत सिन्हा**
**श्री सत्य प्रकाश मालवीय**
**श्री वी. नारायणसामी**

: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुगल सम्राट जहाँगीर और शाहजहाँ के काल के सोने के सिक्के तस्करी द्वारा देश से बाहर ले जाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा या कोई अन्य जाँच कराई गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

**मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) और (ख) मुगल बादशाह जहाँगीर और शाहजहाँ द्वारा जारी किए गए बड़े आकार की सोने की दो मुहरें, जिन्हें नजराना सिक्के कहते हैं, कुछ विदेशों में दिखाई दिए हैं; समझा जाता है कि उन्हें चोरी-छिपे ढंग से बाहर ले जाया गया है। सन् 1613 और 1639 ई. में क्रमशः आगरा और लाहौर की टकसालों से जहाँगीर और शाहजहाँ द्वारा जारी किए गए क्रमशः 11,93.8 ग्राम और 1,094.5 ग्राम वजन वाले इन सिक्कों की 9 नवम्बर, 1987 को जेनेवा में मै. हब्सबर्ग फेल्डमैन, एस.ए., कलाकृति नीलामकर्ता द्वारा नीलामी की गई थी।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने पहले से ही एक केस पंजीकृत किया हुआ है। जाँच एजेन्सियाँ इस मामले के बारे में भारत में और विदेशों में कानूनी कार्रवाइयाँ कर रही हैं।

## जम्मू और कश्मीर में बेरोजगार इंजीनियर

**4197. श्री शब्बीर अहमद सलारिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में कितने वृत्ति भोगी इंजीनियर उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति के आदेश दिए जाने के बावजूद बेरोजगार हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि वे धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ तक कि जनवरी, 1992 में उन्होंने आत्मदाह का भी प्रयास किया था क्योंकि न्यायालय के आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया गया?

**मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर में बेरोजगार वृत्ति भोगी इंजीनियरों की संख्या 1297 है जिन्हें पर्याप्त संख्या में पद नहीं होने के कारण और चयन प्रक्रिया में लिए गए समय के कारण रोजगार प्रदान नहीं किया जा सका। वे समय-समय पर धरने पर बैठे हुए हैं। तथापि किसी ने आत्म दाह नहीं किया है।

## विज्ञान की शिक्षा पर बल

**4203. श्री रत्न बहादुर राय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में विज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता पर बल दे रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस क्षेत्र में छात्रों और वैज्ञानिकों की रुचि में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1987-88 से शुरू की गई स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार की केन्द्र रूप से प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों को निम्नलिखित स्वीकृत उद्देश्यों के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है:

— अपर प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान किटों का प्रावधान ;

— माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं का उन्नयन तथा सुदृढ़ीकरण;

— माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को पुस्तकों की आपूर्ति;

— शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु विज्ञान शिक्षा तथा शिक्षा से सम्बन्धित सामग्री के विकास आदि के लिए जिला संसाधन केन्द्रों की स्थापना;

— विज्ञान तथा गणित शिक्षकों का प्रशिक्षण।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत, विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोगिक तथा नवाचारी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को भी 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सहयोग से सुनियोजित क्षेत्र परियोजनाएँ शुरू करना, शिक्षण-अध्ययन सामग्री व सहायक साधनों का विकास, पुस्तकें, पत्रक, पोस्टर, श्रव्य-दृश्य सामग्री तैयार करना व उनका प्रसार,

शिक्षकों का अनुस्थापन अथवा प्रशिक्षण, सेमिनारों का आयोजन, स्कूलों में सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप आदि शामिल किए जा सकते हैं।

वर्ष 1987-88 में प्रारम्भ की गई "ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड" योजना के अन्तर्गत, छात्रों को विज्ञान के प्रारम्भिक विचार से अवगत कराने के लिए, शिक्षकों को विज्ञान तथा गणित किटें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान, इंजीनियरों तथा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान स्तरों में सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनेक योजनाएँ शुरू की गई हैं। इनमें कॉलेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम, विश्वविद्यालयों में चुनिन्दा विभागों को सहायता, विश्वविद्यालय विज्ञान माध्यम केन्द्र, विज्ञान शिक्षा केन्द्र, अनुसंधान पत्रों का प्रकाशन तथा विज्ञान के उभरते क्षेत्रों में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सहायता देना शामिल है। सातवीं योजना के अन्तर्गत, आयोग द्वारा नाभिकीय विज्ञान, ज्योतिष तथा खगोल—भौतिकी आदि में सामान्य अनुसंधान सुविधाएँ तथा सेवाएँ प्रदान करने के अन्त: विश्वविद्यालय केन्द्रों की भी स्थापना की गई।

विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ.

**4201. श्री रत्न बहादुर राय :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विषयों में उच्चतर अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को कितनी छात्रवृत्तियाँ दी गई हैं, तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ख) 1990-91 के वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी?

**मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) :** (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम तथा अन्य द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सरकार-से-सरकार कार्यक्रमों के अधीन विदेशी सरकारों द्वारा दी जा रही छात्रवृत्तियों से संबंधित है। इन छात्रवृत्तियों के लिए पूर्ण रूप से दाता देशों द्वारा निधि प्रदान की जानी है। भारतीय मेडिकल परिषद् ने सूचित किया है कि वे भारतीय मेडिकल परिषद् व रूस के उच्च तथा माध्यमिक विशिष्ट शिक्षा मंत्रालय के बीच समझौते के ज्ञापन अनुसार 1990 तक भूतपूर्व रूस में छात्रों को भेजा करते थे, जिसके लिए भूतपूर्व रूस की राज्य उच्च शिक्षा समिति द्वारा वजीफा छात्रवृत्ति दी जाती थी।

विश्व. अनु. आयोग ने सूचित किया है कि वे भी इन देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों को शर्तों के अधीन छात्रों को तीन भाषाओं, फ्रेंच, जर्मन व हंगेरियन में आगे अध्ययन के लिए विदेश भेजते हैं। छात्रों की देखभाल आदि पर व्यय मेजबान देशों द्वारा वहन किया जाता है।

कल्याण मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, गैर-अधिसूचित, खानाबदोश, अर्द्ध खानाबदोश जनजाति नव-बौद्ध आदि छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपार छात्रवृत्ति प्रशासित करता है। इस योजना के अन्तर्गत उन्होंने 25 छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की हैं। इस योजना के लिए पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा निधि प्रदान की जाती है। 1990-91 के दौरान इस योजना के लिए 57.00 लाख रु. का बजट प्रावधान था। ये आस्ट्रेलिया सरकार द्वारा चलाई जा रही समदृष्टि और योग्यता छात्रवृत्ति योजना भी प्रशासित करते हैं। आस्ट्रेलिया उच्च आयोग से अभी छात्रवृत्तियाँ आनी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दूसरे देश या विश्वविद्यालय या संस्थाएँ आदि भी भारतीय राष्ट्रिकों को स्वयं छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं तथा छात्र सीधे उनको आवेदन करते हैं।

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम तथा अन्य द्विपक्षीय व बहुपक्षीय कार्यक्रमों के अधीन 1990-91 के दौरान विदेशी सरकार द्वारा छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या विवरण में दी गई है:—

## विवरण

### विदेशी सरकारों द्वारा विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या

| क्र. सं. | देश/छात्रवृत्ति का नाम | वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आस्ट्रिया | 2 |
| 2. | इटली | 7 |
| 3. | नार्वे | 2 |
| 4. | रूस | 30 |
| 5. | भारत अमेरिका छात्रवृत्ति | 1 |
| 6. | जापान (मोनबुशा) छात्रवृत्ति | 11 |
| 7. | चीन | 11 |
| 8. | इंडोनेशिया | 1 |
| 9. | बुल्गारिया | 1 |
| 10. | जर्मन शैक्षिक विनिमय छात्रवृत्ति (एफ.आर.जी.) | 13 |
| 11. | पोलैंड | 1 |
| 12. | फ्रांस | 4 |
| 13. | राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति योजना | |
| | (i) इंग्लैंड | 26 |
| | (ii) कनाडा | 14 |
| 14. | नेहरू शताब्दी ब्रिटिश अध्येतावृत्ति/ पुरस्कार योजना (इंग्लैंड) | 36 |
| 15. | जवाहर लाल नेहरू स्मारक न्यास (इंग्लैंड) छात्रवृत्ति | - |
| 16. | ब्रिटिश उद्योग समुद्रपार छात्रवृत्ति परिसंघ (इंग्लैंड) | 3 |
| 17. | हंगरी | 1 |

## लौहगढ़ किले का संरक्षण

**4212. श्री धूलेश्वर मीणा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 फरवरी, 1992 में दि हिन्दुस्तान टाइम्स में "एनक्रोचर्स प्लन्डर लौहगढ़ ग्लोरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस किले को अधिक्रमण करने वाले व्यक्ति से संरक्षण प्रदान न करने तथा इसकी वास्तुकला को अनुरक्षित न रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस किले की गरिमा को बनाए रखने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) किले की दीवारें, जिनमें चौबुर्ज गेट और चौबुर्ज स्थित प्रवेश-पुल तथा अष्टधातु गेट, किले की दीवार के चारों ओर की खाई, भरतपुर किले के बाहर दिल्ली गेट, अनाह गेट के समीप फतेह बुर्ज और जवाहर बुर्ज तथा भरतपुर किले के अन्दर अष्टधातु का फाटक शामिल है, केन्द्रीय संरक्षणाधीन हैं, जबकि किले के परिसर के शेष भाग राज्य सरकार के अधीन हैं। किले के अन्दर के केन्द्रीय संरक्षणाधीन स्मारक अच्छी अवस्था में हैं। अन्य के संबंध में, राज्य सरकार का ध्यान आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आकर्षित किया गया है।

## एडविना के पत्रों का गुम हो जाना

**4218. श्री समर मुखर्जी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 फरवरी, 1992 के "हिन्दू" (दिल्ली संस्करण) में "फोर एडविना लैटर्स मिसिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) लंदन से वस्तुत: कितने पत्र लाए गए थे; और

(घ) गुम हो गए पत्रों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) नेहरू कागजात का एक काफी बड़ा भाग संग्रहालय को मार्च, 1990 में सौंपा गया था। इन कागजात में अन्य कागजात के साथ-साथ 100 से अधिक पत्र (23 पत्र— पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेडी एडविना माउंटबेटन द्वारा भेजे गए 7 पत्रों तथा 16 तारों सहित) हैं। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू-लेडी एडविना माउंटबेटन पत्र-व्यवहार, नेहरू स्मारक संग्रहालय को सौंपकर उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के समस्त पत्र-व्यवहार के काफी बड़े भाग में पूर्णत: जोड़ दिया गया है, अत: लंदन से लाए गए पत्रों की सही संख्या निश्चित नहीं की जा सकती।

(घ) संग्रहालय ने यह स्पष्ट किया है कि मार्च, 1990 में उसे सौंपे गए पत्रों में से कोई भी पत्र गुम नहीं हुआ है।

(राज्य सभा कार्रवाई / 27 मार्च 1992, पृष्ठ 137 से 143, 144 से 163)

*राज्य सभा में 30 मार्च 1992 को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 1992 प्रस्तुत किया। लोक सभा द्वारा यह विधेयक पूर्व में पारित हो चुका है। इस समय आसंदी पर उपसभाध्यक्ष प्रो. चन्द्रेश पी. ठाकुर विराजमान थे।*

*विधेयक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टेगोर की पुस्तकों के कॉपीराइट की अवधि दस वर्ष बढ़ाए जाने के संबंध में था। जिसे बहस के बाद पारित कर दिया गया। बहस में भाग लेने वाले सर्वश्री शंकरदयाल सिंह, पी. शिवशंकर, एन.के.पी. साल्वे, प्रो. सौरीन भट्टाचार्य, सुरेश पचोरी आदि सदस्यों ने इस विधेयक में अन्य प्रतिष्ठित लेखकों की रचनाओं को शामिल करने का सुझाव दिया तो कुछ ने इसकी अवधि 15 वर्ष और बढ़ाए जाने की बात कही। कुछ ने किसी एक संस्था को ही श्रेष्ठ साहित्य का एकाधिकार देने का विरोध किया।*

*प्रस्तुत है सारगर्भित बहस।*

## प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 1992

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाए।"

महोदय, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस छोटे से संशोधन विधेयक की ओर दिलाना चाहूँगा, जिसे वास्तव में, जनता की इस माँग पर लाया गया है कि राष्ट्रकवि श्री रविन्द्रनाथजी टैगोर की कृतियों के संबंध में प्रतिलिप्यधिकार विधेयक 31 दिसम्बर, 1991 को समाप्त हो रहा था, तो ऐसा विचार किया गया है कि कई बातों को ध्यान में रखते हुए इसे कुछ समय के लिए और बढ़ाया जाए। इस दौरान, इस संबंध में हमने चर्चा की थी। महोदय, हम एक और विस्तृत प्रतिलिप्यधिकार संशोधन विधेयक की भी समीक्षा कर रहे हैं, जिसे कि पहले ही तैयार कर लिया गया है। इस दौरान हम समय के कारक की वजह से कुछ नहीं कर पाए और जब तक हम 31 दिसम्बर से पहले इस विषय में कुछ कर पाते, हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ होता। अत: प्रतिलिप्यधिकार की अवधि के 50 वर्ष से 60 वर्ष तक बढ़ाए जाने के विशेष प्रयोजन हेतु यह अध्यादेश जारी किया गया था। चूँकि ऐसा प्रत्येक मामले के लिए करना होगा। इसके लिए जैसी भी स्थिति रही हो, हमने ऐसा केवल एक ही व्यक्ति के लिए नहीं किया। बात बस यही है। तदनन्तर, इस सत्र में, हम एक व्यापक प्रतिलिप्यधिकार विधेयक ला रहे हैं, जिस पर सभा विचार करेगी और अपने विवेकानुसार इसे पारित कर देगी।

इस पृष्ठभूमि में मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यह एक ऐसा विधेयक है जिसमें प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के किसी विस्तृत पहलू पर विचार नहीं किया गया है और इसलिए, यह सभा, इस पर विचार करने के बाद इसे पारित कर देगी। हम बहुत ही कृतज्ञ होंगे यदि श्री शंकरदयाल सिंहजी के सहयोग से इसे बिना चर्चा के पारित कर दिया जाए।

(व्यवधान)

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. चन्द्रेश पी. ठाकुर)** : अब विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। क्या कुछ लोग बोलना चाहते है? श्री शंकरदयाल सिंहजी, क्या आप इस पर बोलना चाहेंगे?

**श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार)** : उपसभाध्यक्षजी, मुझे खुशी है कि सरकार ने पुस्तकों के प्रतिलिपि के अधिकार के संबंध में संशोधन विधेयक, 1992 हमारे सामने प्रस्तुत किया है। महोदय लोक सभा ने इस पर पहले ही विचार कर इसे पारित किया है और आज लोक सभा द्वारा पारित और संशोधित विधेयक पर हम भी अपनी मोहर लगाने के लिए खड़े हुए हैं।

महोदय, यह सदन राज्य सभा, एल्डर्स हाउस कहा जाता है, इसलिए मैं यह भी आवश्यक समझता हूँ कि

जो कुछ भी हमारे उस सदन से छूटा हो या भूलवश रह गया हो, इस संबंध में भी हम कुछ निवेदन करें।

उपसभाध्यक्षजी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय ने जो विधेयक हमारे सामने पेश किया है, जिस पर कि हम विचार कर रहे हैं, उसमें 50 साल से बढ़ाकर 60 साल का समय निर्धारित किया गया है। पिछले दिनों जब भारत की जनगणना हुई थी तो उसमें भी मनुष्य की आयु बढ़ गई और निश्चित रूप से लेखकों की भी आयु बढ़ती चली जा रही है। मैं समझता हूँ कि इन सारी बातों को देखते हुए 60 साल की अवधि के बजाय आपको कम-से-कम इसे 75 वर्ष की अवधि रखना चाहिए था। फिर 10 साल बाद यह हो सकता है कि लोग कहें कि नहीं, यह अपूर्ण है। इसलिए एक तो मेरी पहली राय यह है कि इसे 75 वर्ष करें। अब यह कॉपीराइट का जो सिलसिला है, तो यह ठीक है कि भारत सरकार या मंत्री महोदय को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु ने फोन पर यह कहा कि रविबाबू की रचनाओं का कॉपीराइट 31 दिसंबर, 1991 को समाप्त हो रहा है और विश्व भारती के चांसलर या कुलपति माननीय प्रधान मंत्रीजी हैं, इसलिए इसको ध्यान में लाकर रखा गया। लेकिन आप स्वयं प्रोफेसर हैं और ज्ञान में एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए जिस तरह गौरव की बात कवि गुरु रविबाबू की पुस्तकें हैं उसी तरह से अन्य पुस्तकें भी हमारे लिए गौरव की वस्तु हैं। मैं समझता हूँ कि इसकी एक परिधि यह होनी चाहिए थी कि भारतीय भाषाओं में, बहुत से ऐसे लेखक हैं हिंदी में अभी प्रेमचंदजी की शताब्दी पूरी हुई। है और उनकी पुस्तकों के प्रकाशन को लेकर, रायल्टी को लेकर भी वही झंझट है। उस समय सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। रविबाबू का जब प्रश्न आया कि कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे बहुत ही श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारतीय मानस और पूरा विश्व उनके प्रति आदर रखता है। इसलिए उन्हें कवि गुरु हमने कहा है लेकिन, साथ-साथ इस क्लाज में कुछ ऐसा करना चाहिए था कि जिन भारतीय भाषाओं के अन्य रचनाकारों की पुस्तकों की रायल्टी का प्रश्न विवाद का विषय बना हुआ है साल, दो साल के अंदर, उनको भी इस परिधि में लाना चाहिए था, विशेष तौर पर जैसे जयशंकर प्रसादजी और प्रेमचंदजी की पुस्तकें हैं। उनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इसी के साथ, एक बात और जो रायल्टी के संबंध में कहना चाहता हूँ, जो बहुत ही आवश्यक है, इसी में आपको यह स्पष्ट करना चाहिए था, जिसके बिना मैं समझता हूँ कि यह बड़ा अधूरा रह गया है, एक तो रायल्टी हम वैसी पुस्तकों पर देते हैं, जो पुस्तकें रचनाकार की अपनी मौलिक कृतियाँ होती हैं, उनकी अपनी सूझबूझ और कल्पना-शक्ति की देन होती हैं और दूसरी रायल्टी उन पुस्तकों पर देते हैं, जिनका हम संकलन करके संपादन करते हैं या सरकारी भाषण के रूप में वह जिल्द के रूप में आती है, उसके बारे में स्पष्टीकरण करना सरकार का कर्त्तव्य है।

उपसभाध्यक्षजी, आप अच्छी तरह से, जानते हैं कि बहुत-से लोग ऐसे होते हैं जो मूल रचना नहीं करते, मौलिक लेखन नहीं करते, लेकिन संकलन करके एक जिल्द में बाँधकर संपादन कर देते हैं। कोर्स में लगवा देते हैं और रायल्टी पाते हैं। यह हक किनका बनता है? हक उस संपादक का बनता है, जो चयन करेगा या उस लेखक का बनता है जो रचनाकार है? इस तरह से पता लगाएँ, माननीय मंत्रीजी प्रकाशन विभाग से, नेशनल बुक ट्रस्ट से, एन.सी.ई.आर.टी. से जरा पता लगाएँ और तब आपको पता चलेगा कि सरकारी ओहदे पर रहते हुए बहुत-से लोगों ने जो भाषण दिए, उनके सेक्रेटरीज ने जो लेख लिखे या बड़े-बड़े समारोह में पढ़ने के लिए उनके डिपार्टमेंट ने जो भाषण तैयार किए, उनका संकलन तैयार हो गया और उस पर भी उसको रायल्टी मिल रही है।

अब आइए, दूसरी ओर सरकार ने यह बिल लाया। हमारे सामने है कि रायल्टी की रक्षा के लिए आप 60 साल कर रहे हैं। अब यहाँ माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रीजी बैठे हुए है, पहला सवाल मै यह पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा आपका एक विभाग है पुस्तकों का एन.सी.ई.आर.टी. जो करोड़ों रुपयों का व्यवसाय करता है और

कोर्स में जो किताबें चलती हैं उनके प्रकाशन और वितरण के कार्य में जरा आप पता तो लगाएँ कि वे अपने लेखकों को कितनी रायल्टी देते हैं और देते भी हैं या नहीं? मैं अपनी जानकारी से आपको बता दूँ, चूँकि मैं उनका एक लेखक रहा हूँ और दो पुस्तकें उनके लिए मैंने लिखी हैं। दस हजार रुपया पूरी पुस्तक का उन्होंने दिया, जबकि एक-एक पुस्तक की एक-एक लाख से अधिक प्रतियाँ उन्होंने बेचीं। इस पर कौन कदम उठाएगा? सरकार को स्वयं उठाना है।

माननीय उपसभाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से तीन-चार बातें बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूँ। पहली बात, तो यह कहना चाहता हूँ कि यह जो रायल्टी के संबंध में संशोधन विधेयक, 1992 आया है, एकरूपता लाने की दृष्टि से भारतीय भाषाओं या भारतीय प्रकाशनों के सभी प्रकाशनों को इसके अंतर्गत लाना चाहिए था और उन विवादाग्रस्त लेखकों की रचनाओं के लिए भी कहीं-न-कहीं कोई परिधि रहनी चाहिए, जिससे उनकी रक्षा हो सके। दूसरी बात, मौलिक लेखन, संपादन, संकलन इसका भी अलग-अलग कहीं-न-कहीं कोई विशेष उल्लेख होना चाहिए। तीसरी बात, जो सरकारी प्रकाशन है, सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकें, एक प्रकाशक को हम कहते हैं बीस प्रतिशत कमीशन दो और जो एन.सी.ई.आर.टी. जैसी संस्था जब किसी लेखक से किताब लिखवाए और केवल दस हजार रुपया दे। तीन पुस्तकें उन्होंने लिखवाई मुझसे जवाहरलालजी पर लिखवाई, सरदार वल्लभभाई पटेल पर लिखवाई और जयप्रकाश नारायणजी पर लिखवाई और स्वयं उनका कहना है कि इसकी तीस-तीस, चालीस-चालीस, पचास-पचास हजार प्रतियाँ बेची हैं। उन्होंने हमको क्या दिया? दस हजार रुपया। मैं तो भुक्तभोगी खड़ा हूँ आपके सामने, आपके दरबार में खड़ा हूँ। आप ही एक रक्षक हैं। तो सरकार जब तक इस ओर ध्यान नहीं देगी, देखेगी नहीं तो हम दूसरों को क्या कह सकते हैं? इसके साथ जो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि जिन पुस्तकों के 50-60 साल पूरे हो गए, जैसे बंगला के ख्यातिनाम लेखकों, बंकिम बाबू की पुस्तकों का टर्म खत्म हो गया है, कोई भी छाप सकता है, शरद बाबू की पुस्तकों को भी कोई भी छाप सकता है...

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. चन्द्रेश पी. ठाकुर)** : समय पर भी ध्यान रखिए।

**श्री शंकर दयाल सिंह** : बिल्कुल। मैं समाप्त करने पर हूँ। जब आप घंटी बजाएँगे, मैं खत्म कर दूँगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि पुस्तकें ज्ञान की, जीवन की, समाज की एक मर्यादा हैं, तो पुस्तकों की शुचिता के बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ? जिनकी अवधि समाप्त हो गई है, उनको कोई भी छाप सकता है, लेकिन आज आप देखिए कि शरद चन्द्र जैसे विश्व विख्यात उपन्यासकारों की पुस्तकें बाजार में कैसे बिकती हैं? सड़े-गले न्यूज प्रिंट पर छापकर लोग इस कदर से उसकी पुड़िया बनाकर बेचते हैं, कुछ इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि रायल्टी तो आप निर्धारित कर देंगे लेकिन जो नकली किताबें छप रही हैं, मूल प्रकाशक कोई है मुंबई में लेकिन अगर वह किताब चल गई तो दिल्ली में उसको कोई छाप लेगा हजारों-लाखों प्रतियों में और उसको हजारों-लाखों प्रतियों में बेच लेगा, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं?

**श्री पी. शिव शंकर (गुजरात)** : यदि यह प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में शामिल है तो यह एक आपराधिक अपराध है।

**श्री शंकर दयाल सिंह** : मैं वही तो कह रहा हूँ कि उसके बारे में भी आपको इसमें लाना चाहिए और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि आज एक अच्छा विधेयक...

**श्री पी. शिव शंकर** : एक विधेयक ला रहे हैं।

**श्री शंकर दयाल सिंह** : मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो आप विधेयक ला रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। इसलिए स्वागत करते हैं कि सदन में हर तरह की बातें उठती हैं और सदन का समय भी बहुत कम जाया होता

है, लेकिन सदन में ज्ञान-गरिमा की बातें बहुत कम इन दिनों उठ रही हैं, मैं समझता हूँ कि उस संदर्भ में यह बिल हमें कुछ रोशनी दे सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि जो कुछ थोड़े-बहुत सुझाव हमने आपके सामने रखे हैं, उन पर आप अवश्य ध्यान देंगे।

**विपक्ष के नेता (श्री एस. जयपाल रेड्डी)** : क्या आप एक मिनट के लिए मुझे बोलने का अवसर देंगे? उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक ऐसे मामले की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। आज, अभी-अभी हमारे विदेश मंत्री ने एक ऐसे नोट, जिसे उन्होंने स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री को दिया था, के संबंध में एक स्वत: वक्तव्य दिया है। अत: मेरी यह माँग है कि यही वक्तव्य राज्य सभा में भी दिया जाए क्योंकि हमने शून्य काल में यह मामला यहाँ पर उठाया था। वास्तव में वे इस पर चर्चा कराने जा रहे हैं। यदि विदेश मंत्रीजी ने लोक सभा में स्वत: वक्तव्य दिया है तो यह केवल तभी उचित और सार्थक है जबकि यहीं पर भी दिया जाए।

26926

**श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश)** : महोदय, क्योंकि हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों ने अपने नाम वापस ले लिए है इसलिए मैं केवल इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्रीजी को इस कॉपीराइट अमेंडमेंट बिल, 1992 प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहूँगा। यह एक सामयिक कदम है। इस बिल के प्रस्तुत करने से न केवल हम गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों के प्रति सम्मान व्यक्त करेंगे जिनके पब्लिकेशन्स की समयावधि 31 दिसम्बर, 1991 को समाप्त हो रही है बल्कि हम अन्य साहित्यकारों के प्रति भी सम्मान व्यक्त करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था न केवल हमारे भारतवर्ष में हो रही है बल्कि विश्व में अनेक ऐसे देश भी है जिनमें इस प्रकार की व्यवस्था है जिनकी कॉपीराइट की समयावधि 50 वर्ष से ज्यादा की है। जैसे ब्राजील और स्पेन ये दो ऐसे देश हैं जिनमें इस कॉपीराइट की समयावधि 60 वर्ष की है जो अवधि अब भारत में माननीय मंत्रीजी की पहल से हो रही है। यद्यपि अनेक संस्थाएँ इस प्रकार की माँग पिछले बहुत लम्बे समय से कर रही थीं जो विश्व भारती प्रकाशन से संबंधित थीं। उसको मद्देनजर रखते हुए मंत्रीजी ने जो कदम उठाया है वह एक अच्छा कदम है और बहुत अधिक यदि हम इसकी अवधि बढ़ाते तो इससे एक बैलेंस बिगड़ जाता इंडीविजुअल और सोसाइटी के बीच में और बाद में उसको रिवाइज करना उपयुक्त नहीं होता। क्योंकि रिवाइज करने, उस अवधि को घटाने के लिए, तो उससे कई प्रकार के नए विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए 50 से 60 वर्ष की जो अवधि बढ़ाई गई है वह एक सामयिक कदम है। और ज्यादा अवधि बढ़ाना जैसा एक माननीय सदस्य ने बताया कि वह उचित नहीं होता। हमारा जो भारतवर्ष है यह दो कन्वेन्शन— एक बर्न कन्वेन्शन और दूसरा यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेन्शन का मेम्बर भी है जिसमें यह व्यवस्था है कि 50 वर्ष की अवधि कॉपीराइट हेतु होनी चाहिए लेकिन लम्बे अर्से से माँगों को देखते हुए जो अवधि मंत्री महोदय ने 10 वर्ष और बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है वह अच्छा कदम है। मंत्रीजी को इसके लिए बधाई देता हूँ और इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

**श्री अर्जुन सिंह** : श्रीमान्, मैं माननीय सदस्यों का अत्यंत उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आभारी हूँ। श्री शंकर दयाल सिंहजी ने प्रतिलिप्यधिकार कानूनों में सम्मिलित समग्र विषयों के प्रति अपनी कुछ शंकाएँ प्रकट की थीं। श्रीमन्, इस समय मेरी कठिनाई यह है कि जबकि व्यापक विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अभी शेष है, तब तक मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं विधेयक के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब दे सकूँ। यह विधेयक अवधि बढ़ाने संबंधी बहुत ही छोटे से मुद्दे के बारे में है। इसका यह अर्थ नहीं है कि श्री शंकर दयाल सिंह जी, साल्वे जी और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा लाए गए मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं हैं; वस्तुत:,

वे मुद्दे अत्यंत महत्वपूर्ण है पर इस समय तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि व्यापक विधेयक में हमने उन कई बातों को शामिल करने का प्रयास किया है, जिनकी बाबत् सुझाव दिए गए है। लेकिन, फिर भी कुछ बातें छूट सकती है और जब इस महती सभा के समक्ष यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा तो मुझे विश्वास है कि उन सभी खामियों पर ध्यान दिया जाएगा।

अब, श्रीमान्, डॉ. रेड्डी द्वारा विश्वभारती के विरुद्ध की गई शिकायत के संबंध में पेश किए गए मुद्दे और प्रो. भट्टाचार्यजी ने इस संबंध में कि लोगों का सापेक्ष अधिकार क्या है और किसी लेखक का सापेक्ष अधिकार क्या है, जो मुद्दा उठाया है, उसके बारे में स्थिति यह है कि प्रतिलिप्यधिकार की अवधारणा में ही ये सभी बातें आ जाती है और हमेशा ही एक ऐसा बीच का रास्ता ढूँढ लिया जाता है, जहाँ किसी लेखक के संपत्ति के अधिकारों तथा इन अधिकारों पर जनता का अधिकार-क्षेत्र किसी कानून, जो कि प्रतिलिप्यधिकार कानून है, की विषयवस्तु बन जाता है। मैं इस तथ्य के प्रति पूर्णत: सजग हूँ कि हमें एक सीमा से परे, लेखक के अधिकारों की बाबत फैसला करने के लिए न्यायाधीश नहीं बन जाना चाहिए। आज, शेक्सपियर की कृतियों की रक्षा करने के लिए कोई प्रतिलिप्यधिकार नहीं है और तिस पर भी पूरे विश्व भर में उनकी कृतियाँ प्रकाशित होती हैं।

यहाँ एक छोटा-सा मुद्दा यह था कि जब हमें संपूर्ण प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम का संशोधन करने के काम में लगे हुए थे, तब यदि हम 31 तारीख से पहले ऐसा कर लेते और यह अधिनियम संसद के समक्ष प्रस्तुत हो जाता, तो इस प्रश्न पर भी उसके साथ ही विचार हो जाता। एकमात्र कठिनाई यह उत्पन्न हुई है कि समयाभाव के कारण हमें अध्यादेश जारी करना पड़ा और मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को आगामी प्रतिलिप्यधिकार विधेयक में स्थान दिया जाएगा। और हम अपनी ओर से यह भरसक कोशिश करेंगे कि उसमें आपके सभी अत्यंत मूल्यवान सुझावों को सम्मिलित किया जाए। श्रीमन्, इस शब्दों के साथ मैं यह अनुरोध करता हूँ कि अब इस विधेयक को पारित किया जाए।

**उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर)** : अब, मैं श्री अर्जुन सिंह द्वारा उपस्थित किए गए प्रस्ताव पर मत लूँगा।

प्रस्ताव यह है कि :

"प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर)** : अब हम विधेयक पर खंडश: विचार करेंगे।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़े गए।

खण्ड, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़े गए।

**श्री अर्जुन सिंह** : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"विधेयक को पारित किया जाए।"

**प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ।**

(राज्य सभा कार्रवाई / 30 मार्च 1992, पृष्ठ 198 से 210)

*मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह के कार्यकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन किया गया। आंध्रप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन. जनार्दन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में सिफारिश के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट को माननीय मंत्री ने सभा पटल पर 7 मई को रखा। श्री अर्जुन सिंह देश की शिक्षा में नवीन प्रयोग के सदा पक्षधर रहे। उनका मानना था कि समय के अनुरूप शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यक होता है।*

*इस समय माननीय उपसभाध्यक्ष श्रीमती सुषमा पीठासीन थीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन पर हुई बहस में सर्वश्री शंकरदयाल सिंह, मोहम्मद सलीम, रामनरेश यादव, डॉ. रत्नाकर पाण्डेय, जॉन.एफ. फर्नांडीस, रामअवधेश सिंह आदि ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए।*

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा.शि.नी.) मई, 1986 में संसद द्वारा पारित की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने तथा इसके संशोधनों के लिए सिफारिशें करने के वास्ते मई, 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उस समिति ने दिसम्बर, 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अनुरोध पर, राममूर्ति समिति की रिपोर्ट तथा नीति से संबंधित अन्य संगत विषयों पर विचार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधनों पर विचार करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री एन. जर्नादन रेड्डी की अध्यक्षता में जुलाई, 1991 में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने जनवरी, 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट पर 5-6 मई, 1992 को हुई केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का व्यापक रूप से समर्थन करते हुए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने नीति में कुछेक परिवर्तनों की सिफारिश की है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी है। शैक्षिक स्थिति के संपूर्ण क्षेत्र की गहन समीक्षा पर आधारित तथा राष्ट्रीय सहमति के आधार पर तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र में विकास के लिए मार्गदर्शन करने हेतु व्यापक कार्य-ढाँचा प्रतिपादित किया। यह कार्य-ढाँचा आज भी प्रासंगिक है। तथापि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुई प्रगति और इस नीति के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया है। सभा पटल पर रखे गए "राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986– संशोधित नीति निर्धारण" कागजात में अपेक्षित संशोधनों का उल्लेख किया गया है। मैं, नीति से संबंधित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की रिपोर्ट भी सभा-पटल पर रख रहा हूँ।

**श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार)** : महोदया, सबसे पहले मैं इस बात के लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में 1986 के संशोधनों के संबंध में इन्होंने एक वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है और साथ ही केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की नीति संबंधी रिपोर्ट, जो श्री जनार्दन रेड्डी जी की अध्यक्षता में तैयार हुई है, उसे भी प्रस्तुत किया है।

महोदया, शिक्षा का ताल्लुक जीवन के ऐसे सिद्धांतों से है, जिसके बारे में विशेष कुछ कहने की आवश्यकता इस सदन में नहीं है। विशेष तौर से आप भी, महोदया, शिक्षा जगत से संबंध रखती रही हैं और माननीय मानव

संसाधन विकास मंत्री, श्री अर्जुन सिंहजी, शिक्षामंत्री के रूप में जब अपने प्रांत में थे, मुख्यमंत्री के रूप में थे, उन्होंने कई सफल प्रयोग कला और संस्कृति के संबंध में और शिक्षा की विविध नीतियों के संबंध में किए हैं।

लेकिन यहाँ जो वक्तव्य माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, उसका ताल्लुक 1986 की शिक्षा नीति से है, जो तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री राजीव गाँधीजी ने बहुत परिश्रम के साथ और संसद में काफी उसके ऊपर बहस मुबाहसे और गंभीर विचार के बाद प्रस्तुत किया था। उसके बाद आचार्य राममूर्तिजी की अध्यक्षता में, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंहजी के प्रधानमंत्रित्व काल में एक बहुत उच्चस्तरीय समिति गठित हुई, जिसमें काफी विचार-विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1986 की और आचार्य राममूर्ति, दोनों की रिपोर्ट्स के संबंध में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रीजी ने आंध्र के मुख्यमंत्री, श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई है उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अभी हाल में पेश की है, जिसके बारे में यह वक्तव्य है और जो सभा पटल पर रिपोर्ट रखी गई है।

मैं समझता हूँ कि सदन में उस पर विचार के साथ और गंभीरता के साथ विचार होने की आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा जीवन और मानवता की एक ऐसी विधा है कि जिसको लेकर ज्ञान और विज्ञान के कई आयाम हमें मिल सकते हैं।

यहाँ केवल दो बातों की ओर मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और बहुत गंभीरता के साथ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, विस्तार में नहीं जाना चाहता। मेरे पास बहुत कम समय है और मैं जानता हूँ कि क्लैरिफिकेशन में मैं ज्यादा समय नहीं ले सकता हूँ। यह जो शिक्षा संबंधी सलाहकार बोर्ड की नीति रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, इसमें शिक्षा में भाषाएँ विषय को आपके सामने मैं इसलिए रखना चाहता हूँ कि जिससे कि पूरी रिपोर्ट को एक बार और देखने की जरूरत पड़ेगी।

माननीय उपसभाध्यक्षजी, इसमें यह जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसमें शिक्षा में भाषाएँ हैं, जो टेबल की गई है। माननीय मंत्रीजी इसका पृष्ठ देख लें– पृष्ठ 42वें पर लिखा हुआ है कि –

> "राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षण समिति ने उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देना संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी में विकास के लिए विशेष उपाय, संस्कृत शिक्षा में शैक्षिक स्तरों के अनुरक्षण और समन्वय हिंदी और गोरखाली, संथाली, मैथिली और भोजपुरी जैसी अन्तर्राज्यीय भाषाओं के विकास, प्रशिक्षण और अनुवाद के लिए राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएँ देने की बात कही गई है।"

मैं मंत्री महोदयजी, आप से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस वाक्य को तो आप बिलकुल संशोधित कर लें, माडिफाई कर लें या हटा दें, क्योंकि इससे मामला विवाद में पड़ जाएगा, क्योंकि आपने जिन भाषाओं का जिक्र किया है, इनके बारे में कुछ के बारे में है कि यह भाषाएँ हैं कि बोलियाँ हैं, कहना कठिन है। और अगर आपने जैसे मैथिली और भोजपुरी का ले लिया- मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। डॉ. रत्नाकर पाण्डेयजी जो शिक्षा में रुचि रखते हैं, वह बैठे हुए हैं– आपने ले लिया सिंधी या दूसरे लोगों का आपने गोरखाली ले लिया है, तो जैसा मणिपुरी को आपने छोड़ दिया, मान लीजिए, आपने भोजपुरी और मैथिली को ले लिया है, ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, सुरसैनी जैसी भाषाएँ या बोलियाँ कम महत्व की नहीं हैं। जिस भाषा में या जिस बोली में या जिस आधार को लेकर रामचरित मानस का निर्माण हुआ हो, अवधी का इसमें जिक्र नहीं है। संतों ने जिसमें विपुल साहित्य लिखा है, ब्रज भाषा में, उसका जिक्र इसमें नहीं है। राजस्थानी में पूरा डिंगल साहित्य हमारा वीर साहित्य भरा पड़ा हुआ है, उस राजस्थानी का जिक्र इसमें नहीं है। बुन्देलखंडी जहाँ से स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्रीजी आते हैं, बहुत बड़ी परंपरा

उस भाषा की रही है, उसका इसमें कहीं जिक्र नहीं है तो अगर आपने 2-3 भाषाओं का लिया तो देश की पच्चीसों भाषाओं का क्या होगा या बोलियों का क्या होगा? इसलिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मैं अनुरोध करूँगा, उनके वक्तव्य के आधार पर, कि इसमें आप केवल दें कि भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं के विकास के लिए तथा अन्य भारतीय भाषाओं और बोलियों के विकास के लिए आप ऐसे दें, नाम अगर आपने दिया तो आपकी सूची सुरसा के मुँह की तरह से बढ़ती चली जाएगी। रोज आंदोलन शुरू हो जाएगा, रोज स्कूल-कॉलेज बंद होने लगेंगे और इसका वारा-न्यारा नहीं चलेगा, नम्बर एक।

नम्बर दो, इसमें एक जगह यह लिखा हुआ है कि केंद्रीय हिन्दी संस्थान, केंद्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली; इसमें आचार्य राममूर्ति समिति ने रिपोर्ट दी कि तीनों को एक करके एक एपेक्स बॉडी बना दी जाए। मुझे खुशी है कि आपकी इस रिपोर्ट में इसका विरोध किया गया है कि तीनों अगर एक एपेक्स बाडी हो जाती है तो यह बेसंभाल हो जाएगी। तीनों तीन रहें। इसमें थोड़ी-सी भूल इस लिखावट में कहीं न कहीं है और किनके कारण है यह मैं नहीं जानता हूँ। केंद्रीय हिन्दी संस्थान के बारे में दिया गया है कि यह केंद्रीय हिन्दी संस्थान हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए है। केंद्रीय हिन्दी संस्थान मात्र हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नहीं है बल्कि विदेशी विद्वान् या विदेशी लोग जो भारत में हिन्दी पढ़ने आते हैं उनके प्रशिक्षण का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। यह बहुत बड़ी चीज छूट गई है, जिसमें विदेशी विद्वान पूरी दुनिया के हर देश से और भारत सरकार लाखों रुपया खर्च करती है, करोड़ों रुपया खर्च करके स्कॉलरशिप देती है, उसका जिक्र तक नहीं है। इन दो बातों की ओर मैंने समझा कि बहुत आवश्यक रूप से मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूँ। वह भी पृष्ठ 42 पर ही है। आप देख लें। यह बात आई है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए जो रिपोर्ट आपने हमारे सामने पेश की है उस संबंध में मैं इतना ही जानना चाहूँगा कि सदन में इस पर कब विस्तार से चर्चा होगी? जिसमें सभी लोग अच्छी तरह से भाग ले सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपने इतने जल्द, इतने कम समय में और जिस तरह से भी हो सके, यह जो रिपोर्ट हमारे सामने इस सत्र के समाप्त होने के पहले लाई है और अपना वक्तव्य दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ।

**श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल)** : उपसभाध्यक्ष महोदया, हम अब तक बहस करते आए हैं कि शिक्षा के बारे में कमेटी बने, कमीशन बने, उसके रिव्यू हो, फिर रिव्यू की रिव्यू हो और हम किस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे जबकि आजादी के बाद हम अपने देशवासियों के सामने यह वायदा किए थे कि सार्वजनिक जो प्राथमिक शिक्षा है, उसे कम से कम हम पूरा कर लेंगे। तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में यह नई कमेटी, लेटेस्ट जो कमेटी थी जनार्दन रेड्डी कमेटी, वह कहती है समय से जो है इसको ठीक समझा गया तो यूनिवर्सल एलीमेंटरी एजुकेशन के बारे में जो रिपोर्ट कही गई और राममूर्ति कमेटी ने जो बात कही है और जनार्दन रेड्डी कमेटी भी जो बात को मान ली उसके बारे में बजट में जो आपका हिस्सा है एलीमेंटरी एजुकेशन के लिए, तो यह नीति के लिए जो आप बात करेंगे वह एक रहेगा और जब आप शिक्षा के प्रसार के लिए काम करेंगे वह दूसरा रहेगा। रुपए के बिना शिक्षा होने वाली नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या विचार कर रहे हैं? दूसरा सवाल यह है कि नई शिक्षा नीति के साथ नवोदय विद्यालय का संपर्क जुड़ा हुआ था, तो अभी आपका यह कहना है इसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी है, तो नवोदय विद्यालय के बारे में मैं यह पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ आपकी यह शिक्षा नीति में साधारण शिक्षा की बात की है, दूसरी तरफ जो साधारण स्कूल है, वहाँ सिंगल टीचर प्राइमरी स्कूल जो हैं। यहाँ ब्लैकबोर्ड नहीं है, आप ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में पैसा घटा रहे है बजट में और

दूसरी तरफ नवोदय विद्यालय के लिए आप कितना खर्च कर रहे हैं और उससे किसको फायदा मिल रहा है?

तीसरा सवाल मेरा यह है कि आपने साधारण शिक्षा की बात करते हुए जनार्दन रेड्डी कमेटी की रिपोर्ट दे दी। इसमें प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहित करने की बात की गई। आज नीचे से ऊपर तक हमारे देश में शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण चालू है और यह तेजी से बढ़ रहा है। इससे तो जो हमारा असली मकसद है गरीब जनता के पास शिक्षा को पहुँचाने का, उसमें हम कहाँ तक सफल हो पाएँगे?

सवाल फिर आखिरी यह आता है कि हमारे देश में यह जो नई नीति, दोहरी शिक्षा जो चल रही है उसको और भी प्रोत्साहन देंगे तो हमारे यहाँ जो आम जनता है, जिनके पास युनिवर्सल एलीमेंटरी एजुकेशन देने के बारे में जो वादा है वर्षों पहले का, उसका क्या होगा?

**श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश):** महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में वक्तव्य दिया है, वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर देश के विद्वानों ने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गंभीरता के साथ विचार किया। समय-समय पर आयोग भी गठित किए गए। इस देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णनजी ने भी देश की स्थिति को सामने रखकर बहुत-सी बातें कही। वर्ष 1966 में कोठारी आयोग की नियुक्ति हुई और 1968 में उसकी सिफारिशों के आधार पर कुछ किया गया। राजीव गाँधीजी ने जनवरी, 1985 में इस बात की घोषणा की थी कि देश की आवश्यकता को देखते हुए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यापक पैमाने पर तैयार की जाए, जो यहाँ की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लागू की जाए और उसके परिणामस्वरूप सन् 1986 में राष्ट्रीय स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू की गई। इस बीच में कुछ और भी परिवर्तन हुए राजनैतिक तौर पर सत्ता में, उसके बाद राममूर्ति कमेटी नियुक्त हुई, जिसका कि विवरण माननीय मंत्रीजी ने अपने इस वक्तव्य में रखा है। और फिर उन्होंने सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद कुछ अपनी संस्तुतियाँ भी दीं, उनके आधार पर, वैसे तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई थी, उसको तो उन्होंने भी स्वीकार किया लेकिन कुछ स्थानों पर परिवर्तन करने की बात जरूर की गई। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूँ कि आज जो वर्तमान रूप में शिक्षा की स्थिति है इसमें विशेष रूप से दो चीजें जरूर देखने को मिलती हैं। पहली बात तो यह है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में बजट का एलोकेशन होना चाहिए, कोठारी आयोग ने भी उसके बारे में सिफारिश की थी, इतना बड़ा ढाँचा पूरे देश में है और जिस ढाँचे के आधार पर हमारे देश का सर्वांगीण विकास निर्भर है, ऐसी स्थिति में बजट में जिस तरह का एलोकेशन शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूँ कि आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, जिसमें कि गाँव के बच्चे प्राइमरी स्कूल तक तो पढ़ने जाते हैं, जब आप कहते हैं कि हम शिक्षा का सार्वभौमीकरण करने जा रहे हैं, हमारी 1986 की शिक्षा नीति में यह बात कही गई थी, उस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्राइमरी स्कूल में वह बच्चे आते हैं, उसके बाद जूनियर हाईस्कूल में जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, जो ड्राप आउट हैं और विशेष रूप से बस्तियों का जो ड्रॉप आउट हैं, इस ड्रॉप आउट को, क्योंकि कुछ गाँव की कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं- गरीब बच्चे हैं, उनको घरों में भी काम करना पड़ता है तथा पिता के साथ भी काम करना पड़ता है और उस आधार पर गैर औपचारिक शिक्षा की भी घोषणा की गई थी, जो लागू भी की जा रही है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कौन से ऐसे कदम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर उठाए जा रहे हैं ताकि वह ड्रॉप आउट कम हो सके और वे हमारे बच्चे, जिनके लिए गैर औपचारिक शिक्षा के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है, उनको कौन-सी विशेष सुविधाएँ दी जा रही है? विशेष रूप से हमारे ट्राइबल वर्ग के

बच्चे हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चे हैं, आदिम जातियों के बच्चे हैं, कबायली लोग हैं, ऐसे लोगों की शिक्षा के लिए कि उनके बच्चे स्कूलों में जाएँ और घर का भी काम कर सके, उनके लिए किस तरह से मंत्रीजी व्यवस्था करने जा रहे है?

**डॉ. रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश)** : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, हमारे सुयोग्य मानव संसाधन विकास मंत्री ने बहुत-सी बाधाओं के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस सदन में प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। सन् 1986 में जब राजीव गाँधीजी ने संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिचय कराया तो उससे पहले 27 कमेटियों ने इस पर काम किया था। मुझे भी तीन कमेटियों में काम करने का मौका मिला था। फिर उसके बाद आदरणीय राममूर्तिजी की रिव्यू कमेटी बनी। पिछली सरकार और राममूर्ति जी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल लिंगर करने के लिए और हमारी पिछली सरकार ने कुछ कर दिया है, उसकी खामी निकालने के लिए इस कमेटी का निर्माण किया गया था। आंध्रप्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री एन. जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में समिति गठित हुई और फिर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में विचार किया गया और सभी ने व्यापक रूप से इसका समर्थन किया और कोई खास मॉडिफिकेशन उसमें कहीं नहीं हुआ। वास्तव में सकल आय का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, ऐसी हमारी मान्यता है। सच्चाई है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में जिस तरह से धनराशि आवंटित करने में शिक्षा की उपेक्षा की गई है, वह राष्ट्र के लिए चिंता की बात है, दु:ख की बात है और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रीजी अपने प्रभाव का उपयोग करके 6 प्रतिशत नहीं तो कम-से-कम 4 प्रतिशत धनराशि आठवीं पंचवर्षीय योजना में लेंगे, चाहे ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे ग्रामीण तकनीकी समन्वयपूर्ण शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे डिग्रियों से अलग रखकर के प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम हो अथवा राजीवजी ने उस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अति प्राचीन क्लासिकल लेंग्वेजेज के डेवलपमेंट की बात की थी और उनको शिक्षा में इंट्रोड्यूस कराने की बात की थी। लगता है कि उसे एकदम छोड़ दिया गया है और क्लासिकल लेंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए और आने वाली पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार के पास क्या कार्यक्रम है, यह मैं जानना चाहता हूँ?

अंत में, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि शिक्षा के जो हमारे मूलभूत तत्व हैं, जिनमें भाषाओं के माध्यम से विश्व हिन्दी सम्मेलन सन् 1983 में हुआ और उसके बाद वह स्थगित हो गया और उसे वॉलन्टरी इंस्टीट्यूशंस करते हैं, ठीक है। लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय इन चारों का समन्वय होता है, तब कोई संस्था इसको करती है। उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है और कब तक कराएगी? इंदिराजी ने वचन दिया था तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन में कि हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, उस समय की प्रोसीडिंग्ज निकालकर देखा जाए, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री इंदिराजी की नीतियों, कार्यक्रमों और उनके कमिटमेंट्स पर चलने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों में से हैं। तो हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसको यू.जी.सी. ने टर्न डाउन कर दिया था, अपने विवेक की अधिकता या विवेक की शून्यता के कारण, उसको स्थापित करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं इतनी चीजें जानना चाहता हूँ।

**श्री जॉन एफ. फर्नांडिस (गोवा)** : उपसभाध्यक्ष महोदया, यह वक्तव्य बहुत ही संक्षिप्त है और हमें समिति का प्रतिवेदन नहीं मिला है। यद्यपि यह सभा पटल पर रख दिया गया है, तथापि यह उपलब्ध नहीं है। अत: मैं संक्षेप में यह कहूँगा कि हमारे देश की शिक्षा नीति उपनिवेशी शासकों की एक विरासत है और हम कई दशकों

से उन्हीं नीतियों से चिपके हुए है। हालाँकि ये लोग हमारे देश से चले गए हैं और उन्होंने अपनी नीतियाँ भी बदल ली है।

महोदया, यह शिक्षा नीति आधुनिक समय और इस बदलते हुए समय से संगत नहीं है। इस नीति की समीक्षा, इसमें संशोधन करने और इसमें पुन: संशोधन करने के लिए जो समितियाँ और उप-समितियाँ गठित की जाती हैं, इससे पता चलता है कि यह नीति बिलकुल ठीक-ठाक नहीं है। अत: यह उपयुक्त समय है कि पुरानी उपनिवेशी नीति में संशोधन करने की बजाय हम यह नीति पूरी तरह से बदल दें और अपनी एक नई नीति तैयार करें।

**श्रीमती रेणुका चौधरी (आंध्र प्रदेश)** : महोदया, कुछ विशिष्ट मुद्दे हैं जिन पर मैं चाहती हूँ कि माननीय मंत्रीजी विचार करें। पहला मुद्दा यह है कि सेना के अधिकारियों, जिनकी स्थानान्तरणीय सेवाएँ हैं, के बच्चों के लिए कोई नीति नहीं है। मै स्कूली स्तर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं व्यावसायिक कॉलेजों में प्रदेश के बारे में बात कर रही हूँ। अक्सर राज्य सरकार की नीति, जो कुछ केंद्र कहता है, उससे भिन्न होती है। अत: ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है और उसका बच्चा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में दाखिला चाहता है, वे कहते हैं कि आप पिछले पाँच वर्षों से राज्य के निवासी नहीं हैं अत: आपको दाखिला नहीं दिया जा सकता। जब वह बच्चा उस स्थान पर जाता है जहाँ उसके पिता का जन्म हुआ था अथवा जहाँ के वह मूल निवासी हैं, तो उस राज्य के प्राधिकारी कहते हैं चूँकि आप पिछले पाँच वर्षों से यहाँ के निवासी नहीं रहे हैं, आप इसके पात्र नहीं हैं। अत: वे बच्चे कहीं के नहीं रहते। महोदया, मैं इस बात को जानती हूँ क्योंकि मैं स्वयं इस नीति की शिकार हूँ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वह एक मनोविज्ञान के छात्र के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम विकास के लिए शिक्षा को मनोरंजन से नहीं जोड़ते। अधिकांश स्कूलों की दशा जीर्ण-शीर्ण है और वहाँ पर छात्र बहुत ही कष्टदायक स्थिति में पढ़ रहे हैं। यह बात चिकित्सीय रूप से ठीक सिद्ध हो गई है कि शिक्षा एक तनाव है क्योंकि भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों में कुछ ऐसे रोग पाए जाते हैं जो कि तनाव के कारण पैदा होते हैं। उन्हें अत्यधिक पुस्तकें ढोनी पड़ती हैं। उनके मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। प्राथमिक स्तर पर उनके लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है वह इतना जटिल है कि उन्हें घर पर भी ट्यूशन लगानी पड़ती है। उन्हें जो घर के लिए कार्य दिया जाता है, वे उसे पूरा करके स्कूल चले जाते हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ।

**श्री वीरेन जे. शाह (महाराष्ट्र)** : उपसभाध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी की प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परिकल्पना की। शिक्षा के लिए एक शिक्षा मंत्री हुआ करता था, लेकिन उन्होंने सम्पूर्णतया मानव संसाधन विकास के बारे में सोचा, जिसका शिक्षा एक महत्वपूर्ण भाग है। शिक्षा हमारे राष्ट्रीय विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है।

महात्मा गाँधी की बात करते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि उन्होंने शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया था। सन् 1930 से ही उन्होंने बुनियादी तालीम और कई नए विचारों को जन्म दिया। दुर्भाग्यवश आज हम कहाँ हैं? मुझे यह पढ़कर आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी है मैं समझता हूँ कि हमें इस बात पर विचार करना होगा कि यह किस हद तक समय की कसौटी पर खरी उतरी है। मै यह पूछना चाहूँगा कि आज हम कहाँ है? माननीय मंत्रीजी को गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों का काफी अनुभव प्राप्त है। मुझे बहुत कम अनुभव है। लेकिन पहले मैं एक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आया था। आप गाँवों में जाकर देखें। आप शहरों में जाकर नगर पालिकाओं के स्कूलों को देखें। आप यह घोषणा किए बिना वहाँ जाएँ कि एक मंत्री वहाँ आ रहा है।

यह दौरा अचानक ही किया जाना चाहिए। आप पाएँगे कि कुछ स्कूलों में तो शिक्षक ही नहीं है, कुछ स्कूलों में कोई सुविधाएँ नहीं है और कुछ स्कूलों में तो पूरी छत भी नहीं है और जिन स्कूलों में कुछ सुविधाएँ हैं वहाँ की कक्षाओं में बहुत अधिक छात्र है।

जिस दर से इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है उस हिसाब से हमारे देश में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक होगी। इस संदर्भ में हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हम धनराशि कैसे खर्च कर रहे हैं। क्या माननीय मंत्रीजी इस संदर्भ में मानव संसाधन विकास की ओर ध्यान देने की कोशिश करेंगे? हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि शिक्षा प्रदान करने में वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की जा रही है। हमारा अनुभव यह है। मेरी एक नवासी है जिसके पिता हालैंड के नागरिक है। वह चार वर्ष की है। वह हालैंड में रहती है। प्रात: उठकर वह अपनी माँ को कहती है "मुझे जल्दी से तैयार कर दो, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ।" हमारे देश में क्या होता है? स्कूल जाते समय बच्चे रोते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा।

महोदया, मैं अन्त में यह कहना चाहूँगा कि पिछले 15 वर्षों से हम जिन-जिन राष्ट्रीय समस्याओं, विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं, विभिन्न राज्यों के उन लोगों की स्थिति जो देश से अलग होना चाहते हैं और अन्दरूनी झगड़े इन सबका समाधान सही अर्थों में शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण करना है जिसकी व्याख्या महात्मा गाँधी, स्वामी विवेकानन्द और अन्य महापुरुषों ने की थी। खेद की बात है कि इससे ऐसी धारणा बनती है जैसे कि यह भाग अपेक्षित हो। क्या माननीय मंत्रीजी इस बात से सन्तुष्ट हैं कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम उतने ही उत्साह से सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जितने उत्साह से स्वतंत्रता प्राप्त करने के 45 वर्ष बाद हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और हम इस बात को टालना चाहते हैं कि हमारे देश की गिनती उस देश के रूप में न की जाए जिसमें विश्व में सबसे अधिक निरक्षर है? धन्यवाद।

**श्री आन्द प्रकाश गौतम (उत्तर प्रदेश)** : उपसभाध्यक्षजी, हमारे देश की पुरानी शिक्षा नीति के आमूल परिवर्तन करने की दृष्टि से सरकार ने 1986 में एक नई शिक्षा नीति बनाई और उसके बाद उसमें कुछ और राय लेकर कुछ परिवर्तन करने के लिए एक समिति बनाई, जिसकी रिपोर्ट जनवरी, 1992 में आई है।

उसी के संबंध में पाँच और छह तारीख, अभी-अभी कल परसों एक मीटिंग भी शिक्षा सलाहकार बोर्ड की माननीय मंत्रीजी ने की है और उसमें शायद देश के मुख्यमंत्रियों से भी सलाह ली गई होगी।

हमारा देश जो है, वह गाँव में बसता है। नवोदय विद्यालय और तमाम तरह की शिक्षा यहाँ पर उसमें अभी तक चल रही थी। एक नई शिक्षा नीति, जो बिहार के मुख्यमंत्री ने उसकी अवधारणा की है और कनसैप्ट दिया है, वह चरवाहा विश्वविद्यालय है।

जो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या नई नीति में चरवहा नीति के कनसैप्ट को आप जोड़ने जा रहे है?

दूसरा, यह जो नई शिक्षा नीति है, क्या अगले सत्र से आप इसे देश में लागू करने का विचार रखते है?

**श्री अर्जुन सिंह** : उपसभाध्यक्षजी, कई आदरणीय सदस्यों ने इस वक्तव्य पर और रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत की गई है, उस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं ...(व्यवधान)

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज)** : लोक सभा में संविधान संशोधन पर मतदान होना है, जिसमें

रेल मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री, दोनों को पहुंचना है, क्योंकि कोरम बैल वहाँ पर बज रही है तो बेहतर होगा कि हम लोग मानव संसाधन विकास मंत्री का उत्तर और रेल मंत्रीजी का स्टेटमेंट और उसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस कल के लिए रखें। ...(व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदया, मैं कल परसों तो यहाँ नहीं हूँ ...(व्यवधान)

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज)** : आप अगर संक्षेप में उत्तर दे कर के जाना चाहें तो ...(व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** : संक्षेप और वहाँ की घंटी में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन मैं 12 तारीख को, अगर आपकी अनुमति हो तो, मैं 12 तारीख को उत्तर दे दूँ?

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज)** : तो कोई बात नहीं है। ...(व्यवधान)

**श्री वीरेन जे. शाह (महाराष्ट्र)** : यदि वह कल यहाँ आने के लिए तैयार हैं तो ठीक है।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज)** : वे कल आने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें कहीं जाना है। उन्होंने यह अनुरोध किया है कि उन्हें वहाँ जाना है। वहाँ घंटी बज रही है, वह कह तो रहे हैं कि संक्षेप में और उसमें कोई तालमेल नहीं है। ...(व्यवधान)... ठीक है, आपको अगर 12 तारीख सुविधाजनक है तो आपका जवाब 12 तारीख को कर लेंगे और रेलमंत्रीजी कल अपना स्टेटमेंट दे दें और फिर कल ही स्पष्टीकरण उस पर हो जाएँगे।

(राज्यसभा कार्रवाई / 7 मई 1992, पृष्ठ 270 से 287)

*राज्य सभा में 8 मई को मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। प्रस्तुत है उसका विववण।*

## हैदराबाद का केंद्रीय विश्वविद्यालय

**1419. चौधरी हरि सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में कोई विकास योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अधीन स्वीकृत किए गए/स्वीकृत किए जाने वाले प्रोफेसरों, रीडरों और लेक्चररों के अतिरिक्त पदों का ग्रेड-वार और विभाग-वार ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) जी, हाँ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार (वि.अ.आ.), आयोग ने जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हैदराबाद विश्वविद्यालय की विकास योजनाओं के लिए 988.00 लाख रु. के अनुदान का आवंटन अनुमोदित किया है:

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | भवन | - | 424.00 लाख रु. |
| (2) | अध्यापन स्टाफ | - | 58.00 लाख रु. |
| (3) | गैर अध्यापन स्टाफ | - | 13.00 लाख रु. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (4) | पुस्तकें व पत्रिकाएँ | - | 100.00 लाख रु. |
| (5) | उपकरण | - | 100.00 लाख रु. |
| (6) | परिसर विकास | - | 50.00 लाख रु. |
| (7) | संयोजन कार्यक्रम | - | 10.00 लाख रु. |
| (8) | पहली योजना की बकाया राशि | - | 233.00 लाख रु. |
| | | **कुल** | **988.00 लाख रु.** |

(ग) हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार आठवीं योजना के दौरान संस्वीकृत अध्यापन पदों का ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है :–

| विभाग | पदों की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | प्रोफेसर | रीडर | लेक्चरर |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| रसायन विज्ञान | 2 | - | - |
| जीव विज्ञान | 2 | - | - |
| गणित व संगणक | 1 | - | 2 |
| सूचना विज्ञान | - | - | - |
| भौतिकी | 2 | - | - |
| हिन्दी | 1 | - | - |
| दर्शन शास्त्र | - | 1 | - |
| तेलुगु | 1 | - | 1 |
| तुलनात्मक साहित्य | - | - | 1 |
| मानव विज्ञान | - | 1 | - |
| राजनीति विज्ञान | - | 1 | - |
| समाज शास्त्र | 1 | - | 1 |
| क्षेत्रीय अध्ययन | - | 1 | - |
| निष्पादन कला ललित | - | 4 | 4 |
| कला व सम्प्रेषण | - | - | - |
| अनियत पद | 2 | - | - |
| **कुल** | **12** | **8** | **9** |

अमरीकी धनप्रेषण सहकारी संगठन (सी.ए.आई.ई.) के साथ किए गए समझौते में संशोधन

**1420. श्री रामचन्द्रन पिल्लै:**
**श्री समर मुखर्जी:** } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी धनप्रेषण सहकारी संगठन (सी.ए.आई.इ.) नामक अमरीकी एजेन्सी द्वारा मार्च, 1950

के भारत-सी.ए.आई.इ. समझौते के अधीन भारत के लाभार्थियों को उपहार के रूप में भेजा जाने वाला धन, वस्तुएं और अन्य मदें केवल भारत से बाहर के स्त्रोतों से प्राप्त होती हैं;

(ख) क्या बाद में कोई ऐसे समझौते किए गए है जिनके कारण उक्त भारत सी.ए.आर.ई. समझौते में विस्तार या कमी हुई हो अथवा किसी रूप में संशोधन हुआ हो; और

(ग) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास (युवा कार्य और खेल विभाग) मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (कुमारी ममता बनर्जी)** : (क) जी, हाँ 1 मार्च, 1950 के इन्डो केयर करार के अंतर्गत भारत में लाभ प्राप्तकर्ताओं को वितरित उपहार सामग्री और अन्य वस्तुएँ भारत से बाहर स्थित स्त्रोतों से आयात की जाती हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। किन्तु प्रत्येक वर्ष केयर भारत सरकार के अनुमोदनार्थ "प्रावधानों की सूची" नामक कार्य योजना प्रस्तुत करता है जिसमें खाद्य वस्तुओं की मात्रा, लाभ-प्राप्तकर्ताओं की संख्या, 'फीडिंग डेज", और राज्य सरकारों द्वारा देय प्रशासनिक खर्चे शामिल होते हैं। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रावधानों की सूची के अनुसार केयर 1992-93 के दौरान "स्कूल फीडिंग" कार्यक्रम के अंतर्गत 7.83 लाख लाभ प्राप्तकर्ताओं और 89.87 लाख समेकित बाल विकास सेवा लाभ प्राप्तकर्ताओं को पूरक पोषाहार प्रदान करने के लिए 2.42 लाख मीट्रिक टन खाद्य सामग्री प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त केयर महिलाओं और बच्चों के लाभार्थ छः तीव्र श्वास संक्रमण (ए.आर.आई.) परियोजनाओं और पाँच लघु आर्थिक कार्यकलाप विकास (एस.ई.ए.डी.) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करता है।

(राज्य सभा कार्रवाई /8 मई 1992, पृष्ठ 87 से 93)

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा

*राज्य सभा में 7 मई, 1992 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 पर सारगर्भित बहस हुई। इस बहस में अनेक सदस्यों ने भाग लेकर अपने तर्क प्रस्तुत किए। सभी माननीय सदस्यों के विचार जानने के पश्चात् मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्री अर्जुन सिंह ने 12 मई 1992 को राज्य सभा में वक्तव्य दिया। उन्होंने सभी सदस्यों को आश्वस्त किया कि इस नीति के क्रियान्वयन हेतु बनाई जाने वाली कार्य योजना में उनके सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा ताकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार हो तथा उसकी गुणवत्ता में अभिवृद्धि हो। उन्होंने साक्षरता मिशन, नवोदय विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि से संबंधित शंकाओं का समाधान किया। इस समय सभापति की कुर्सी पर उपसभाध्यक्ष श्रीमती जयन्ती नटराजन विराजमान थीं।*

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : महोदया, मैं सभापटल पर रखे गए नीति दस्तावेज के संबंध में गहरी दिलचस्पी लेने के लिए सभा के माननीय सदस्यों का अत्यधिक आभारी हूँ और इससे यह साबित हो जाएगा कि बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों ने न केवल विशिष्ट नीति प्रतिपादन के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया

व्यक्त की है, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर, इसमें सुधार करने के लिए तथा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए कुछ बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिए हैं। महोदया, नीति बना ली गई है और अब इसके बाद नई नीति प्रतिपादन के साथ-साथ इसे अद्यतन रूप देने के लिए इस नीति के अंतर्गत अब कार्य योजना पर ध्यान देना होगा। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के संबंध में उनके द्वारा दिए गए मूल्यवान सुझावों पर कार्य योजना को तैयार करते समय पूरी तरह ध्यान दिया जाएगा, जिसे अंततोगत्वा अगले सत्र के दौरान किसी समय इस सभा में दोबारा रखा जाएगा।

मैं समझता हूँ कि मुझे माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए विशिष्ट मुद्दों पर बोलना चाहिए। एक प्रश्न स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गाँधी द्वारा 1988 में तैयार की गई सम्पूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति के औचित्य के संबंध में है। महोदया, एक माननीय सदस्य की यह बात सुनकर मुझे बहुत दु:ख हुआ कि यह नीति हमारे औपनिवेशिक अतीत का स्मृति चिन्ह है और हमने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान चल रही नीतियों को नहीं छोड़ा है। मैं पूरी विनम्रता लेकिन दृढ़ता के साथ इस प्रकार के संकेत का खंडन करना चाहता हूँ। हमें इस बारे में सावधान रहना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ. कोठारी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात लोगों को स्वतंत्र भारत में शिक्षा संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करने तथा परिवर्तन करने के लिए सिफारिशें करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मैं कल्पना तक नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति यह सुझाव भी दे सकता है कि ऐसे प्रख्यात व्यक्तियों ने स्वतंत्र भारत की शिक्षा के ढाँचे के रूप में औपनिवेशिक अतीत को अपनाया था। श्री राजीव गांधी ने उस पर कार्य किया, उसमें सुधार किया और इसे अद्यतन बनाया। इसके मूलभूत ढाँचे को अस्त-व्यस्त नहीं किया। कुछ संशोधन इसलिए किए गए थे क्योंकि इसके लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को मँगाया गया था। कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। उदाहरण के तौर पर साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। ये सभी उस नीति में किए गए सुधार हैं और यह कहना कि यह औपनिवेशिक अतीत का स्मृति चिन्ह है, ऐसा कार्य है जो न केवल तथ्यों से परे हैं बल्कि मेरे विचार से यह उद्देश्य और प्रयोजन के लिहाज से स्वयं व्यर्थ साबित होता है। दूसरा महत्वपूर्ण सामान्य मुद्दा यह पूछा गया था : हम सर्वव्यापक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्षेत्र में देश को किस प्रकार आगे ले जा रहे हैं? सभा को मालूम है कि यह कार्यक्रम सम्पूर्ण शिक्षा नीति की आधार शिला है और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साथ-साथ हमें पूरा विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य इस सदी के अंत तक प्राप्त कर लेंगे जिन्हें कदाचित इस दशक के मध्य तक प्राप्त कर लिया जाना चाहिए था। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह उठाया गया है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के समान ही, समस्या के प्रति एक मिशन दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। अब यह निर्णय किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा को भी मिशन दृष्टिकोण का रूप दिया जाएगा और मुझे विश्वास है कि मिशन दृष्टिकोण से यह अधिक प्रभावी हो जाएगा क्योंकि यह मिशन जनसाधारण तक पहुँचेगा, जनसाधारण के समर्थन को जुटाएगा तथा वह समर्थन ही अंततोगत्वा इस योजना को आगे बढ़ाने की प्रेरणा शक्ति बन जाएगा। तीसरा मुद्दा एक माननीय सदस्य, जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, द्वारा भाषा नीति के संबंध में उठाया गया था। यह एक बहुत ही मूलभूत मुद्दा है और उनका कहना था कि इस दस्तावेज से सरकार की भाषा नीति में परोक्ष रूप से परिवर्तन कर दिया गया है। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार की भाषा नीति आज भी वही है जो 1968 में घोषित की गई थी, और स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसके संबंध में देश को दिए गए आश्वासन का न केवल पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा बल्कि उसका पूरी तरह से अक्षरश: पालन किया जाएगा।

महोदया, एक सुझाव शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में भी दिया गया था कि शास्त्रीय भाषाओं, संस्कृत तथा

अन्य भाषाओं के विकास के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि यह जरूरी समझा गया था कि शास्त्रीय भाषाओं के संवर्धन के हमारे प्रयासों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है और इसलिए यह निर्णय किया गया है- नीति संबंधी दस्तावेज में भी इसका उल्लेख किया गया है - कि हमें संस्कृत, पाली और देश की अन्य शास्त्रीय भाषाओं के संवर्धन के लिए एक स्वायत्त आयोग की स्थापना करनी चाहिए। इस पर अपेक्षित ध्यान दिया जा सकेगा और यथासंभव इसके लिए संसाधन जुटाए जा सकेंगे। सभी सदस्यों द्वारा पूछा गया। दूसरा सामान्य मुद्दा शैक्षिक कार्यक्रमों को चलाने के लिए संसाधनों की कमी के बारे में था, जो कि सुस्पष्ट प्रतीत होता है। इस मामले में मैं इस सम्माननीय सभा की चिंता से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि मैं न केवल इस चिंता से सहमत हूँ, बल्कि जहाँ तक मेरी पहुँच है, मैं शिक्षा हेतु संसाधनों में बढ़ोत्तरी करने के लिए भी प्रयास कर रहा हूँ। मुझे सभा को यह बताते हुए खुशी होती है कि माननीय प्रधानमंत्री ने इस बारे में किए गए हमारे अनुरोध का बहुत ही अनुकूल प्रत्युत्तर दिया है। मुझे विश्वास है कि जैसे ही आठवीं योजना के लिए संसाधनों में वृद्धि की जाएगी तब सबसे पहले शिक्षा को ही इससे लाभ मिलेगा। उसके बाद कुछ विशेष मुद्दे उठाए गए हैं। मैं उन मुद्दों पर थोड़ा-बहुत बोलूँगा। यदि माननीय सदस्यों की इच्छा हो तो मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि कुछ सदस्यों ने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। मुझे माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में उन्हें सीधे लिखने में कोई हिचक नहीं होगी, ताकि उनके पास कुछ दस्तावेज ऐसा हो सके जिसका प्रयोग वे इस विभाग को अपनी योजना आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करने के लिए कर सकें। लेकिन फिर भी मैं एक या दो मुद्दों का उल्लेख करूँगा क्योंकि वे मुद्दे अति-वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा उठाए गए हैं।

डॉ. रत्नाकर पाण्डेय ने चंदे और कैपीटेशन फीस के बारे में उल्लेख किया है। हम राज्य सरकारों पर इस बात को जोर डालने का प्रयास कर रहे हैं कि वे इस प्रथा से सख्ती से निपटें। कुछ राज्य सरकारों ने अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है और वे इसके संबंध में कुछ कार्रवाई कर रही हैं। कदाचित कुछ स्थानों पर कुछ कठिनाइयाँ मौजूद हैं लेकिन हम अभी भी इस संबंध में प्रयास जारी रख रहे हैं। उन्होंने दूसरा मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में उठाया था। महोदया, भारत की सभी भाषाओं का एक समृद्ध अतीत है। स्वाभाविक रूप से उनके विकास को प्रोत्साहित करने की माँग ऐसी है जिसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस देश में कुछ विश्वविद्यालय कुछ महत्वपूर्ण भारतीय भाषाओं से संबंधित हैं। हिन्दी विश्वविद्यालय की माँग लम्बी अवधि से की जाती रही है। हम समूचे मामले की जाँच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से करवाएँगे। मैं डॉ. पाण्डेय और इस सभा को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जैसे ही इससे संबंधित ब्यौरे तैयार कर लिए जाएँगे, तब मेरे विचार से इस देश में की गई इस माँग को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री रामनरेशजी द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ देने के बारे में भी उल्लेख किया गया था। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या एक चिरस्थाई समस्या है जो देश में सभी शैक्षिक कार्यक्रमों को न केवल किसी विशेष कारण से बल्कि हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन से बहुत ही साधारण तथ्य के कारण प्रभावित करती रही है। इस समस्या से यथासंभव रूप से निपटा गया है लेकिन अभी भी यह समस्या कुछ बहुत बड़े क्षेत्रों में मौजूद है। इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया गया है। प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, 300 तक की जनसंख्या वाले क्षेत्र में, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के मामले में 200 की जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था करना, वर्दी, पाठ्यपुस्तकों, दोपहर के भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करने जैसे प्रोत्साहन दिया जाना, भौतिक सुविधाओं,

प्राथमिक स्कूलों का सुधार किया जाना, पढ़ाई बीच में छोड़ देने वालों के लिए अंशकालिक गैर-औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना इसमें शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि इन सभी पहलुओं के संबंध में सम्मिलित प्रयास का प्रभाव बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर पर पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि श्री रामनरेशजी द्वारा व्यक्त की गई चिंता का हल निकाला जाएगा।

एक मुद्दा नवोदय विद्यालय के संबंध में उठाया गया था। महोदया, इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। जिनको यह नीति दस्तावेज बहुत स्पष्ट रूप से शान्त कर देता है तथा उनसे निपटता है। लेकिन अभी भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। नवोदय विद्यालय योजना कुछ सम्पन्न वर्ग के लोगों के लिए नहीं बनाई गई है। मैं बिना किसी विवाद के, डर के यह कह सकता हूँ कि यह योजना इस राष्ट्र के निचले तबके के लोगों के लिए राजीवजी का एक उपहार था। हमने देखा है कि इस देश के धनी वर्ग के लोगों के लिए उच्च लागत पर बहुत ही उच्च स्तर की शिक्षा उपलब्ध है। उन्होंने इस योजना के माध्यम से यह किया था कि वही शिक्षा इस देश के पिछड़े तबके के लोगों तथा गरीब लोगों को राज्य के खर्च पर उपलब्ध कराई जाए। यही नवोदय विद्यालय योजना का सार है। यह कहना कि यह योजना सम्पन्न वर्ग के लिए है, या तो यह बात पूरी तरह से अज्ञानता या शायद किसी अन्य कारण से कही गई है। मैं ऐसा नहीं कहता। इन स्कूलों में दिए गए दाखिलों से पता चलता है कि नवोदय विद्यालयों में 40 प्रतिशत विद्यार्थी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों से, 60 प्रतिशत विद्यार्थी उन परिवारों से हैं जिनकी यह पहली पीढ़ी है जो शिक्षा ग्रहण कर रही है, 30 प्रतिशत लड़कियाँ हैं, 19 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और 11 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों से हैं। न केवल यही बल्कि इस स्कूल प्रणाली में जो उत्तम बात शुरू की गई थी वह यह थी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से विद्यार्थियों के किसी एक वर्ग को परस्पर रूप से स्थानांतरित किया जा सकेगा। मैंने देखा है कि तमिलनाडु का एक विद्यार्थी मध्य प्रदेश में अध्ययन कर रहा है तो मध्य प्रदेश का विद्यार्थी केरल में। और इन राज्यों की परिवर्तित परिस्थितियों में अध्ययन कर रहे इन विद्यार्थियों को सामंजस्य स्थापित करने में बिल्कुल कोई समस्या पेश नहीं आ रही है। यह स्कूल प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का एक रास्ता है। अत: मैं सुझाव देता हूँ कि इस योजना को बढ़ने देना चाहिए, इसके रास्ते में आने वाली कमियाँ दूर की जा सकती है; इसके लिए कुछ और आवश्यकता हो तो उसकी माँग की जानी चाहिए। लेकिन इस देश की शिक्षा प्रणाली के मूलभूत मूल्यों का अनादर नहीं किया जाना चाहिए। सभा के माननीय सदस्यों से मेरा नम्र अनुरोध है...(व्यवधान)...

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती जयन्ती नटराजन)** : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप बाद में पूछ सकते हैं...**(व्यवधान)**... श्री पोद्दार, उनको अपनी बात खत्म करने के बाद आप पूछ सकते हैं।

**डॉ. आर.के. पोद्दार (पश्चिमी बंगाल)** : यदि वह मुझे अनुमति दें तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ।

**श्री अर्जुन सिंह** : हाँ, कृपया कहिए।

**डॉ. आर.के. पोद्दार** : क्या कृपया आप नवोदय विद्यालयों में जाने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत बता सकते हैं?

**श्री अर्जुन सिंह** : जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि मैं यह सारी सूचना माननीय सदस्यों को उनके उपयोग के लिए तथा सक्रिय रूप से विचार करने के लिए भेजूँगा। मैं इस सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य को इस देश में शिक्षा की प्रोन्नति के लिए एक प्रभावी और सक्रिय साधन के रूप में समझता हूँ क्योंकि यहाँ न कोई राजनीति है और न ही कोई विभाजन; प्रत्येक सदस्य की चिंता देश के बारे में है और शिक्षा समान रूप से एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है, न कि दलीय चिंता का विषय।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा श्रीमती रेणुका चौधरी द्वारा उठाया गया था कि बच्चों को पर्यावरण तथा पर्यावरण की देखभाल के

प्रति जागरूक बनाने के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए। महोदया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पैरा 8.5 विशिष्ट रूप से शिक्षा और पर्यावरण से संबंधित है और इसमें इस पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी विद्यार्थियों के लिए दो वर्षीय सैनिक-सेवा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। यह एक ऐसा मामला है जिस पर गहराई से अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है और कदाचित इस पर इस सरकार के कई अन्य विभागों को कार्य करना होगा तथा कदाचित इस मामले पर राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इसके खिलाफ नहीं हूँ। यदि ऐसा संभव हो सकता हो तो मेरे विचार से यह एक सही दिशा में उठा हुआ कदम होगा। लेकिन मैं अकेला इस मामले पर कोई कानून या नीति निर्धारित नहीं कर सकता।

श्री वीरेन जे. शाह ने पूछा था कि क्या व्यावसायिक शिक्षा में अध्यापकों की प्रशिक्षित करने के लिए कोई पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि अध्यापकों का प्रशिक्षण शिक्षा के व्यावसायिक बनाने का एक हिस्सा है तथा व्यावसायिक मार्गनिर्देश पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए भी अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने दूसरी बात शिक्षा पर प्रभावी रूप से धन खर्च करने के बारे में पूछी थी। मैं फिर से यह कहूँगा कि इस मामले पर गहराई से विचार करना होगा और कार्य योजना में इसकी व्यवस्था की जाएगी। जब कार्य योजना इस सभा में चर्चा के लिए लाई जाएगी, तो मुझे विश्वास है कि यहाँ दिए गए सुझावों द्वारा इसमें प्रभावी रूप से वृद्धि कर दी जाएगी।

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में भी एक विशेष प्रश्न पूछा गया था कि क्या यह काफी है या इसका दर्जा कम किया जा रहा है? मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि इस सभा के समक्ष रखे गए नीति दस्तावेज में वस्तुतः ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के आयामों के विस्तार की विशेष व्यवस्था की गई है। इसमें एक अध्यापक के स्थान पर तीन अध्यापक होंगे और दो कक्षाओं के स्थान पर तीन कक्षाएँ होंगी। अतः ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का दर्जा कम करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वास्तव में नीति में इस कार्यक्रम के कार्य और आयाम को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है।

महोदया, यही वे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो उस दिन उठाए गए थे और जैसा कि मैं विशेष सुझावों या विशेष रूप से उठाए गए प्रश्नों के बारे में पहले ही कह चुका हूँ कि मैं माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर भेज दूँगा और यदि फिर भी कोई गुंजाइश रह जाती है तो किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए मैं माननीय सदस्यों को उपलब्ध रहूँगा। मैं उन सभी सदस्यों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने नीति दस्तावेज पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनकी प्रतिक्रियाओं का इस नीति को प्रभावी बनाने में उपयोग किया जाएगा। यह एक राष्ट्रीय नीति है जिसके बारे में मुझे विश्वास है कि इससे हमारे राष्ट्र को एक आधुनिक देश में परिवर्तित करने में सहायता मिलेगी।

(राज्य सभा कार्रवाई / 12 मई 1992, पृष्ठ 223 से 228)

लोक अभिलेखों का अभी तक केवल कार्यकारी अनुदेशों के अधीन ही प्रबन्धन और संरक्षण किया गया है और इन्हीं के तहत उन तक अभिगम्यता प्रदान की जाती रही है। उनकी मूलभूत कमी यह है कि उनमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है।

—अर्जुन सिंह,
*23 फरवरी 1993*

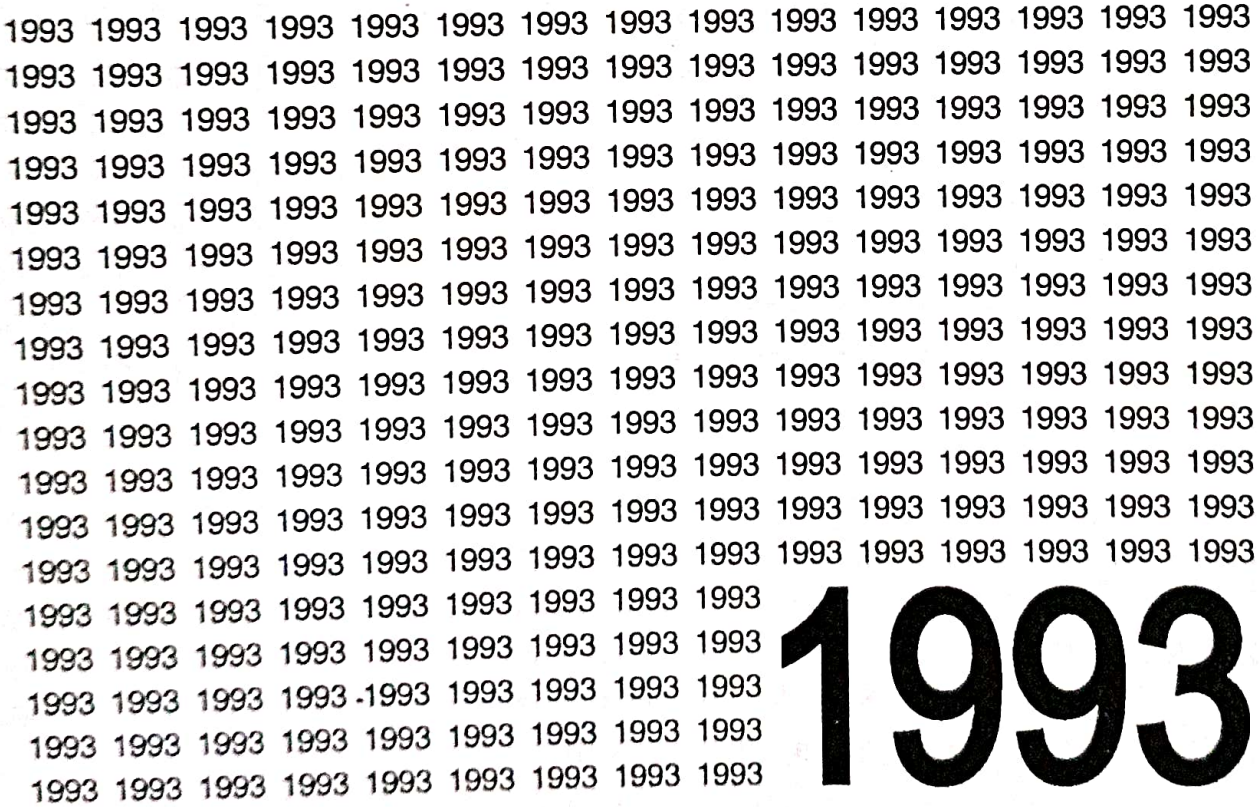

# 1993

*मानव संसाधान विकास मन्त्री श्री अर्जुन सिंह ने लोक अभिलेख विधेयक, 1992 राज्य सभा में प्रस्तुत किया, जो संशोधन के साथ स्वीकृत हुआ। विधेयक पर हुई सारगर्भित बहस में सर्वश्री सुकोमल सेन, श्रीमती कमला सिन्हा, श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उपमन्त्री कुमारी शैलजा ने भाग लिया। अध्यक्षीय आसन्दी पर उप-सभाध्यक्ष श्री मोहम्मद सलीम विराजमान थे।*

*इस विधेयक में शासकीय लोक अभिलेखों के रखरखाव, परिरक्षण, उनके मूल्यांकन, पुनर्विलोकन, वर्गीकरण, नाशकरण आदि के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।*

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

केन्द्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा गठित पब्लिक सैक्टर उपक्रमों, कानूनी निकायों और नियमों, आयोगों और समितियों, लोक अभिलेखों के प्रबंधन, प्रशासन और परिरक्षण को विनियमित करने और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

महोदय, मैं लोक अभिलेखों से संबंधित विधेयक को विचार और स्वीकृति के लिए इस सभा के सदस्यों के सामने रखने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। यह विधेयक इस सभा में 20 अगस्त, 1992 को पुर:स्थापित किया गया था।

लोक अभिलेखों का अभी तक केवल कार्यकारी अनुदेशों के अधीन ही प्रबंधन और संरक्षण किया गया है और इन्हीं के तहत उन तक अभिगम्यता प्रदान की जाती रही है। उनकी मूलभूत कमी यह है कि उनमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। बेशक हमारी कानूनी पुस्तिका में अभिलेख नाशकरण अधिनियम, 1917 है। परन्तु यह अत्यधिक सीमित प्रकृति का है और यह अभिलेखों के नाशकरण से संबंधित किसी कार्य को सम्पन्न करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को बाध्य नहीं करता है। इसके अलावा सभी सरकारी दस्तावेज इसकी परिधि में नही आते हैं। अत: इस कमी को कानूनी लिखत के जरिए दूर करने का प्रस्ताव है जो आपके सामने विचारार्थ रखा है।

जनता की ओर से लोक अभिलेखों के संबंधित समुचित कानून बनाने के लिए लगातार माँग की जाती रही है। एक सरकारी सलाहकार निकाय भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने, जिसमें विद्वानों और पुरातत्वविदों की काफी बड़ी तादाद है, बार-बार ऐसे कानून की जरूरत पर जोर दिया है। संसद सदस्यों और इसकी विभिन्न समितियों ने भी इसी तरह की कार्रवाई की सिफारिश की है।

इस सर्वतोमुखी सार्वजनिक माँग से प्रेरित होकर सरकार ने 1972 में अभिलेख नीति संबंधी संकल्प को स्वीकार किया जिससे भविष्य में इस बारे में एक कानून बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

इस संकल्प ने सर्वप्रथम अभिलेखों के समुचित रखरखाव, अभिरक्षा, प्रबंधन और निपटान के लिए

अभिलेखागार निदेशक, जिसे अब अभिलेखागार महानिदेशक कहा जाता है, के उत्तरदायित्वों के समक्ष संघीय मंत्रालयों, विभागों आदि के उत्तरदायित्वों को परिभाषित किया। इसमें सामान्य जनता की अभिलेखों तक अभिगम्यता को शामिल करने वाली सीमाओं और शर्तों को भी निर्धारित किया गया।

जबकि संघ सरकार अपेक्षित अनुभव अर्जित करने का प्रयास करती रही है और अभिलेखों आदि के प्रबंधन, परिरक्षण और उन तक अभिगम्यता में सुधार करने के लिए कदम उठाती रही है, संसद की विभिन्न समितियों ने पिछले कई सालों में सरकार से इस विषय पर एक उपयुक्त विधेयक लाने का अनुरोध किया है। सरकार ने उनकी सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और संकल्प के प्रभावी कार्यान्वयन के जरिए स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया है।

दुर्भाग्यवश हमारी नेक इच्छाओं के ज्यादा परिणाम सामने नहीं आए हैं। संघ सरकार के अभिलेखों के परिमाण में अत्यधिक तेज गति से वृद्धि हो रही है। स्पष्ट है कि उनके समुचित रख रखाव के लिए अधिकाधिक वित्तीय परिव्यय की जरूरत है। अभिलेखों की घातीय वृद्धि को रोकने और स्थाई महत्व के अभिलेखों को अलग करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके विभिन्न विभागों में अभिलेखों को वैज्ञानिक तरीकों से रखने के लिए कदम उठाए गए हैं। परन्तु अब हम अधिक तेज गति से काम करना चाहेंगे। हमने यह महसूस किया है कि मात्र कार्यकारी अनुदेश ही पर्याप्त नहीं हैं और हम कानूनी लिखत के जरिए उन्हें और अधिक सशक्त बनाना चाहेंगे। अतः, हम आपके समक्ष लोक अभिलेख विधेयक लेकर आए हैं और हम इसे अभिलेखागार महानिदेशक के माध्यम से लागू करने का विचार रखते हैं।

आपके विचारार्थ प्रस्तुत लोक अभिलेख विधेयक में संघ सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कार्यालयों और संघ सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा पूर्णतया या आंशिक रूप से नियंत्रित या वित्त पोषित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, कानूनी और स्वायत्त निकायों/निगमों और केन्द्र सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नियुक्त समितियों और आयोगों के कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया है। इसमें उन्हें उनके अभिरक्षाधीन लोक अभिलेखों के समुचित रख रखाव, परिरक्षण आदि के लिए उत्तरदाई बनाने के अतिरिक्त उनके मूल्याँकन, पुनर्विलोकन, वर्गीकरण, नाशकरण आदि तथा स्थायी/अभिलेखागारीय महत्व वाले अभिलेखों को संबद्ध अभिलेखागार विभागों को हस्तांतरित करने के प्रति भी उत्तरदायी बनाया गया है। प्रस्तावित विधान में आगे अभिलेखों को गैर कानूनी रूप से हटाने या नष्ट करने को रोकने, अस्थाई महत्व के अभिलेखों को नष्ट करने या उनका निपटान करने, रक्षा संबंधी वर्गीकरण वाले अभिलेखों का पुनर्विलोकन करने, गैर सरकारी स्रोतों से अभिलेखों को हस्तांतरित करने और सरकारी अभिलेखों तक अभिगम्यता तय करने का उपबंध किया गया है। प्रस्तावित विधेयक में एक सलाहकार बोर्ड गठित करने का भी उपबंध किया गया है जो बैठक कर आवधिक तौर पर सरकार को वर्गीकृत दस्तावेजों के बेहतर संरक्षण तथा अनुरक्षण, हस्तांतरण या विवर्गीकरण के उपाय और तरीकों के संबंध में परामर्श देगा जिससे विद्वजनों को अपने वास्तविक शोध प्रयोजनों के लिए अभिलेख प्राप्त करने में सुगमता होगी। प्रस्तावित विधेयक के पारित होने के बाद ऐसे कतिपय नियम बनाने का भी प्रस्ताव है जिनसे इस विधेयक के कारगर कार्यान्वयन में सुगमता होगी।

प्रस्तावित विधेयक निस्संदेह ही संघ सरकार द्वारा उठाया गया प्रथम व्यापक उपाय है। मै आशा करता हूँ कि आपके समर्थन से इस विधेयक को स्वीकार करना संभव होगा और भविष्य में सरकार तथा विद्वजनों द्वारा उपयोग के लिए हमारी दस्तावेजी विरासत का कारगर प्रबन्धन और परिरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे हमारे इतिहास की सततता तभी बनी रहेगी। इससे कार्यरत शक्तियों और सरकारी नीतियों को भी सही परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकेगा।

मेरी यह उत्कट आशा है कि राज्य सरकारें पीछे नहीं रहेंगी और जल्द ही अपने नियंत्रणाधीन लोक अभिलेखों के लिए इसी तरह के कानून बनाएँगी।

मैं सभा द्वारा विचार करने के लिए इस विधेयक की सिफारिश करता हूँ।

**अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

**श्री संघ प्रिय गौतम:** उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी, पिछले दिनों अपनी पार्टी के आंतरिक और बाह्य कार्यों में बड़े व्यस्त रहे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस समयानुकूल और महत्वपूर्ण विधेयक के लिए समय निकाला और सदन के समक्ष यह विधेयक प्रस्तुत किया। मैं इसका स्वागत करता हूँ और इसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे यह भी कहने में संकोच नहीं है कि माननीय मंत्रीजी ने अभी कहा कि 1972 में तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया था, लेकिन बीस वर्ष के अन्तराल के बाद यह विधेयक लाया गया। मैं आगे चर्चा करूँ, सबसे पहले माननीय मंत्रीजी का ध्यान विधेयक में उल्लिखित उद्देश्यों और कारणों की ओर दिलाना चाहता हूँ। उद्देश्य और कारण जो उन्होंने बताए, वह एक उद्देश्य और कारण को बताना भूल गए यही सिर्फ काफी नहीं है कि कार्यपालक आदेशों के द्वारा अभिलेखों का और अभिलेखागारों का संचालन होता था जिससे अभिलेखों की प्राथमिकता पर भी संदेह हो सकता था, इतिहास का भी रूप बदला जा सकता था और दायित्व किसी के ऊपर था नहीं, लेकिन इस विधेयक में जहाँ प्रावधान किया है उल्लंघन पर दण्ड का, उद्देश्यों में, उन्होंने यह नहीं बताया कि जो इसका उल्लंघन करेगा वह अपराध घोषित होगा और वह उसके लिए दंडनीय होगा, जिसकी व्यवस्था उन्होंने इस विधेयक की धारा-8 में की है और पाँच वर्ष का कठोर कारावास अथवा दस हजार रुपये की धनराशि का जुर्माना या दोनों दंड उसे भोगने होंगे। इसलिए उद्देश्यों में ये भी जोड़ा जाता और जोड़ा जाना चाहिए। चूँकि देखा गया है कि लापरवाही के कारण जो लोग जिम्मेदार कहे जाते थे निकायों के रिकॉर्ड अधिकारी, ऑफिसर, कहीं पर रिकॉर्ड चोरी हो गए, कहीं पर आग लग गई, कहीं पर नष्ट हो गए जो भारत की संस्कृति, भारत के भूगोल, भारत के इतिहास, भारत के भूगर्भशास्त्र और भारत की राजनीति की मूल्यवान बातों से संबंधित थे, जिनकी समय-समय पर बहुत आवश्यकता होती है। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूँगा कि मंत्री महोदय उद्देश्यों में इसका भी उल्लेख करें कि जो इसका उल्लंघन करेगा वह अपराधी होगा और उस अपराध का दंड पाँच वर्ष की सजा और जुर्माना भी होगा।

मैं सिर्फ यह पाइन्ट आउट कर रहा था कि अयोध्या का मामला चर्चा का विषय बना। अगर कोई अयोध्या के मामले में रिकॉर्ड को नष्ट कर देता है जिसके लिए हजारों लोगों की जानें चली गई तो कोई अधिकारी जानबूझ कर ऐसे वेल्यूएबल रिकॉर्ड को नष्ट कर देता है जिसकी कीमत लाखों, और हजारों की जानों में हो सकता है तो उसके लिए पाँच वर्ष का दण्ड कम है। यह दण्ड अधिक होना चाहिए और परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए।

इसके बाद आपने बोर्ड के बारे में कहा है। इसमें आपने कहा है कि तीन प्राइवेट मेम्बर्स नॉमिनेट होंगे। इनमें से एक अभिलेख का अध्यक्ष होगा और दो हिस्ट्री के प्रोफेसर होंगे। हिस्ट्री के प्रोफेसर के लिए केवल विभागाध्यक्ष या रिकॅगनाइज्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंगे। यहाँ पर आपको यह डिफाइन करना चाहिए कि वे हिस्ट्री के स्पेशिएलिस्ट होने चाहिए। दूसरी बात आपने एलाउन्स और मेंटेनेन्स की बात कही है। एलाउन्स को स्पष्ट होना चाहिए। आपने अपने वक्तव्य में यह इशारा किया है कि आर्थिक संकट भी हमारे सामने आ रहा है और रिकॉर्ड भी सृजित होता जा रहा है। इसलिए इनको कोई मन्थली ऑनरेरियम नहीं मिलना चाहिए। केवल जब बोर्ड की बैठक हो तो उसके लिए टी.ए. और डी.ए. का प्रावधान होना चाहिए। इसलिए आप इस मेंटेनेन्स को भी डिफाइन करें।

आगे चल कर पेज 7 पर आपने धारा 17 की उपधारा (आई) में कहा है—

"धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के सदस्यों को संदेय भत्ते;"

जहाँ लिखा है वहीं पर यह जोड़ा जाना चाहिए जो मैंने बताया कि इनको टी.ए./डी.ए. न मिले। एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। अभिलेखों के सृजन के लिए बहुत बिल्डिंग्ज ऐसी है जो केन्द्रीय सरकार की नहीं है या केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकार की नहीं है या उन विभागों की नहीं है जो सरकार के अधीन है और किराए की इमारतों में अभिलेखागार हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन इमारतों की जिम्मेदारी किस प्रकार होगी? अगर मालिक मकान उस इमारत की मरम्मत नहीं कराता है तथा अभिलेखों के नष्ट होने की परिस्थिति बन जाती है तो इस विधेयक में यह प्रावधान होना चाहिए कि मेंटेनेन्स के लिए यदि वह मकान मालिक रिफ्यूज करता है और आशंका अभिलेखों के नष्ट होने की है तो यह जिम्मेदारी आर्काइब्ज डिपार्टमेंट की होगी। यही मेरा निवेदन है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रीजी द्वारा लाए गए इस विधेयक का समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम)** : श्री एस.एस. अहलुवालिया, यहाँ नहीं हैं। श्रीमती कमला सिन्हा।

**श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार)** : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, यह विधेयक 20 वर्ष बाद लाया गया है। मैं इस विधेयक को पेश करने के लिए मंत्रीजी और मानव संसाधन विकास विभाग को बधाई देती हूँ। हिन्दी में एक कहावत है 'देर आयद दुरुस्त आयद'। आप देर से आए लेकिन दुरुस्त आए।

मैं कुछ बातों की ओर इंगित करना चाहूँगी। उद्देश्यों और लक्ष्यों में कहा गया है कि यह विधेयक अभिलेखागार सलाहकार बोर्ड बनाने के लिए लाया गया है जोकि अभिलेखों और इस विधेयक के उपबंधों के समुचित प्रशासन से संबंधित विषयों पर सरकार को सलाह देगा।

इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि ऐतिहासिक महत्व के लोक अभिलेखों का रख रखाव और परिरक्षा किस तरह से की जाए। पिछले वक्ता ने कुछ बातों का उल्लेख किया था। मैं विवरण में नहीं जा रही हूँ परन्तु मैं एक या दो बात कहना चाहूँगी। उदाहरण के तौर पर, पुस्तकालय विज्ञान समूचे विश्व में मान्यता प्राप्त विज्ञान हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार में पुस्तकों/अभिलेखों का रख रखाव भी विज्ञान की तरह हैं। इस विधेयक में मुझे ऐसा कोई खंड दिखाई नहीं देता है जिसमें यह कहा गया हो कि अभिलेखागार में अभिलेखों के रख रखाव के लिए अलग से एक संवर्ग सृजित किया जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि नियम बनाते समय मंत्रीजी इसका ध्यान रखेंगे। एक अलग संवर्ग आवश्यक है और इस संवर्ग को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि ऐतिहासिक महत्व के लोक अभिलेखों का समुचित रखरखाव और परिरक्षण किया जा सके। इन दस्तावेजों को कैसे रखा जाए, इनका रख रखाव कैसे किया जाए और इसका परिरक्षण कैसे किया जाए— संवर्ग को इन सब बातों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विकसित देशों में अभिलेखागार-विज्ञान भी पुस्तकालय-विज्ञान की तरह एक अत्यधिक विकसित विज्ञान है और अधिकांश बड़े पुस्तकालयों में वे महत्वपूर्ण पत्र और दस्तावेज भी रखते हैं और इसके साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की माइक्रो फिल्में बनाई जाती हैं। वे उनके तीन, चार या पाँच सैट रखते हैं ताकि एक सैट के नष्ट हो जाने पर दूसरे सैट की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। हमारे देश में भी ऐसा किया जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि यह करने के लिए कुछ धनराशि की जरूरत पड़ेगी। परन्तु विभिन्न तरीकों से इतना धन बर्बाद हो रहा है, व्यर्थ किया जा रहा है। यदि यह किया जाता है तो यह भावी पीढ़ी और भविष्य में उपयोग के लिए हमारी राष्ट्रीय दाय योग्यता के संरक्षण, आज जो संरक्षित है उसके संरक्षण के लिए, एक अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे आशा है कि मंत्रीजी इस मामले पर ध्यान देंगे।

दूसरा पहलू बोर्ड के बारे में है। अभिलेखागार सलाहकार बोर्ड का सृजन किया जाने वाला है और पृष्ठ 6 पर

खंड 13 में इसको बनाने के बारे में विवरण दिया गया है। उसमें तीन गैर-सरकारी सदस्य होंगे। वे स्नातकोत्तर इतिहास विभाग से होंगे। मेरे विचार में उनमें से एक प्राचीन इतिहास और संस्कृति का विशेषज्ञ होना चाहिए। मंत्रीजी, मैं यह कह रही हूँ कि गैर-सरकारी सदस्यों में से एक सदस्य प्राचीन इतिहास और संस्कृति का विद्वान होना चाहिए क्योंकि अभिलेखागारों में काफी सामग्री प्राचीन इतिहास से संबंधित है। उदाहरण के तौर पर ब्रिटिश शासन, प्लासी का युद्ध आदि से संबंधित दस्तावेज; ये मूल्यवान दस्तावेज हैं। इसलिए ऐसे किसी व्यक्ति को इनका ध्यान रखना होगा जिसे इन चीजों के बारे में जानकारी हो। पृष्ठ 4 पर खंड 6 में कहा गया है— "सभी लोक अभिलेखों का कालिक पुनर्विलोकन और अल्पकालिक महत्व के लोक अभिलेखों की छँटनी करना।" इस बात का फैसला कौन करेगा कि कौन सा दस्तावेज अल्पकालिक महत्व का है? मेरी राय में विभागाध्यक्षों या कनिष्ठ अधिकारियों को दस्तावेज नष्ट करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा किसी विशेषज्ञ निकाय द्वारा किया जाना चाहिए। राज्यों में और केन्द्र में भी विशेषज्ञ निकाय बनाए जाने चाहिए जो अभिलेखों की जाँच करें और यह फैसला करें कि कौन से दस्तावेज अल्पकालिक महत्व के है। अन्यथा क्या होगा? सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं। यदि अगली बार कोई ऐसी सरकार आ जाती है जिसके मन में हमारे राष्ट्रीय इतिहास, हमारे राष्ट्रीय अभिलेख, हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति या जो कुछ स्वतंत्रतोत्तर काल में किया गया है उसके प्रति कोई आदर न हो, तो वह इन सभी अभिलेखों को नष्ट और विकृत कर देगी।

**श्री सुकोमल सेन (पश्चिमी बंगाल)** : श्रीमन्, सामान्यत: अभिलेखागारों का रखरखाव केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के कार्यपालक आदेशों के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर अभिलेखागार होते हैं, राज्य स्तर पर अभिलेखागार होते हैं और पुलिस विभाग में भी अभिलेखागार होते हैं। यह विधेयक एक ऐसा विधेयक प्रतीत होता है जिसका संबंध केन्द्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के अभिलेखागारों से है। श्रीमन् मैं, अभिलेखागारों के महत्व को देखते हुए, इनके रख रखाव को व्यवस्थित करने के सरकार के प्रयास की सराहना करता हूँ। इस विधेयक की आवश्यकता थी और इसकी लम्बे समय से प्रतीक्षा थी। अब मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणियाँ करना चाहूँगा। यद्यपि हमारे देश में अभिलेखागार एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है तथापि बहुत थोड़े लोग इसकी तरफ ध्यान देते हैं। किन्तु ऐसे व्यक्ति, जो अनुसंधान करने का विचार रखते हैं, जिन्होंने अनुसंधान कार्य किया है और जो शैक्षिक कार्य कर रहे हैं, अभिलेखागारों का महत्व समझते हैं। यदि हम 1947 से पहले और 1947 से बाद की अभिलेखागार-सामग्री को देखें तो पाएँगे कि दोनों में बहुत अन्तर है। 1947 से पहले जब अंग्रेज हमारे देश में शासन करने आए थे तो उन्होंने अभिलेखागारों का बड़े व्यवस्थित ढंग से रखरखाव किया था। उस समय लोग दस्तावेजों तक पहुँच सकते थे अथवा नहीं, यह एक भिन्न बात है। किन्तु अपने प्रयोजन के लिए और अपने प्रशासन के लिए वे फाइलों को बड़े व्यवस्थित ढंग से रखा करते थे। वे महत्वपूर्ण फाइलों को नष्ट नहीं किया करते थे। आज स्थिति ऐसी है कि जब अनुसंधानकर्ता किसी अभिलेखागार में काम करना चाहते हैं तो वे देखते हैं कि 1947 से बाद के दस्तावेजों को ढूँढने की अपेक्षा 1947 से पहले के दस्तावेजों को ढूँढना ज्यादा आसान है। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् अभिलेखागारों के रखरखाव से संबंधित अभिबोधन में गिरावट आई है। आज फाइलों की सुरक्षा के लिए कोई सुव्यवस्थित प्रयास नहीं किया जाता। कौन सी फाइल को नष्ट करना है और कौन सी फाइल को सुरक्षित रखना है, इस संबंध में कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। यह उन प्राधिकारियों की इच्छा पर निर्भर करता है जिन्हें इतिहास की कोई समझ नहीं है और जिन्हें इस बात की भी समझ नहीं है कि राष्ट्रीय दृष्टि से कौन सी फाइल महत्वपूर्ण है और कौन सी फाइल महत्वपूर्ण नहीं है। अब यह कार्य बिल्कुल अव्यवस्थित ढंग से किया जाता है।

"भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार या संघ राज्य क्षेत्र का अभिलेखागार, ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्व के किसी अभिलेख को किसी प्राइवेट स्रोत से दान द्वारा, क्रय द्वारा, या अन्यथा स्वीकार कर सकेगा।

यथास्थिति, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार या संघ राज्य क्षेत्र का अभिलेखागार उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी लोक अभिलेख को ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाएँ, किसी भी सद्भावी अनुसंधानविद् को उपलब्ध कराएगा।"

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि यह कानून केन्द्र के लिए है न कि राज्यों के लिए। मेरा यह कहना है कि आपको राज्य सरकारों से भी बातचीत करनी चाहिए। राज्यों में अभिलेखागारों की हालत बहुत खराब है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वह यह देखें कि राज्य सरकारों को इसी आधार पर उचित दिशा निर्देश दिए जाएँ ताकि राज्य स्तर के अभिलेखागारों का रखरखाव भी उचित ढंग से हो सके। मेरा सुझाव है कि इस विधेयक के पारित हो जाने के पंश्चात् माननीय मंत्रीजी को राज्य के मंत्रियों की बैठक बुलानी चाहिए और राज्यों में अभिलेखागारों के उचित रखरखाव की आवश्यकता से उन्हें अवगत कराया जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय जीवन में केन्द्रीय अभिलेखागार और राज्य अभिलेखागार दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और सांस्कृतिक विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) :** उपसभाध्यक्ष महोदय, लोक अभिलेख विधेयक जो यहाँ पुर:स्थापित किया गया है, हम सब के लिए बहुत महत्व का विधेयक है। सरकार के प्रभावी ढंग से कार्य संचालन के लिए लोक अभिलेखों को सुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है। जनता के लिए भी लोक अभिलेख कम महत्व के नहीं होते क्योंकि उनसे सरकार के कामकाज का एक प्रामाणिक विवरण मिलता है। चूँकि हम सभी चाहते हैं कि हमारा इतिहास तत्थपरक और सही हो तथा यथा संभव वह वस्तुनिष्ठ हो इसलिए यह वांछनीय है कि सरकारी कार्य के दस्तावेजों को विधिवत् सुरक्षित रखा जाए और अपने इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उसे भावी पीढ़ी को सौंप दिया जाए। फिलहाल अभिलेखों का रखरखाव कार्यपालक अनुदेशों के अधीन किया जाता है और उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। इन अभिलेखों तक अनुसंधानविदों की पहुँच के विषय में भी परिवर्तन किया जा सकता है। चूँकि हम इन अभिलेखों तक अनुसंधानविदो की पहुँच को सरल बनाना चाहते हैं और स्थाई महत्व के अभिलेखों को, अभिलेखागारों में शीघ्र स्थानान्तरित किए जाने को सरल बनाना चाहते हैं इसलिए इस विधेयक को पुर:स्थापित किया गया है। प्रस्तावित विधेयक अभिलेखों के कारगर प्रबंधन, परिरक्षण और उन तक पहुँच से संबंधित कार्यपालक आदेशों के लिए एक सांविधिक आधार प्रदान करेगा।

ऐसे अधिनियमन के लिए जनता माँग करती रही है और भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग, जो देश में इतिहासकारों और अभिलेखपालों का एक निकाय है और जिसका दर्जा सरकार के सलाहकार का है, इसके लिए जोरदार ढंग से माँग करता रहा है। इस ओर संसद का भी ध्यान आकृष्ट हुआ था। इसके लिए चारों तरफ से की जा रही माँग पर विचार करते हुए सरकार ने 1959 में एक अभिलेखीय विधान समिति नियुक्त की थी जिसने अपना प्रतिवेदन अगले वर्ष ही प्रस्तुत कर दिया था और अपने प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया था कि संविधान में संशोधन करके समान कानून बनाया जाए। चूँकि संविधान में संशोधन करने की प्रस्तावित विधि बहुत सरल नहीं थी और संविधान में ऐसा एक भी उपबंध नहीं है जिसके अधीन ऐसा कानून बनाया जा सके इसलिए राज्य सरकारों से परामर्श करने का दौर शुरू हुआ और उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपनी ओर से इस विषय में संसद को कानून बनाने की अनुमति दें। दुर्भाग्य से कोई राज्य सरकार केन्द्र को ऐसा प्राधिकार देना नहीं चाहती थी।

इस संकल्प के कार्यान्वयन पर महानिदेशक, अभिलेखागार के वार्षिक प्रतिवेदन में बार-बार विधिक अधिनियम

के जरिए इस कार्य को सशक्त बनाने की दलील दी गई है। संसद की विभिन्न समितियाँ भी, लोक अभिलेखों के संबंध में शीघ्र कानून बनाए जाने के लिए सरकार पर दबाव डालती रही है।

इस चहुँमुखी माँग पर सरकार की प्रतिक्रिया के रूप में उक्त विधेयक को सभा के समक्ष उपस्थित किया गया है और यह आशा की जाती है कि इससे अभिलेखों के समुचित प्रशासन, प्रबंधन और परिरक्षण के मामलों में और अभिलेखों तक पहुँचने में सुविधा मिलेगी। मुझे आशा है कि इस विधेयक से, राज्य सरकारें भी भारत सरकार द्वारा कायम की गई मिसाल का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित होंगीं और वे शीघ्र ही ऐसा कानून बनाएँगी।

अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाएँ गए कुछ मुद्दों का उत्तर देना चाहूँगी। श्री गौतम ने यह मुद्दा उठाया है कि खण्ड 3, उपखण्ड (1) में, 'अनुरक्षण' और 'नाश' शब्दों को जोड़ा जाना चाहिए था। मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि 'निपटान' शब्द के अन्तर्गत अभिलेखों का 'नाश' आ जाता है। अनुरक्षण शब्द 'प्रबंधन' के अन्तर्गत आ जाता है।

उनके द्वारा आवधिक समीक्षा और सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को भत्ते दिए जाने के बारे में जो मुद्दे उठाए गए है, वे मुद्दे, इस अधिनियम के अधीन बनाए जाने वाले नियमों के अन्तर्गत आ जाएगे।

श्रीमती कमला सिन्हा ने अभिलेखों की समीक्षा एक अलग निकाय द्वारा कराएँ जाने के बारे में एक मुद्दा उठाया है। यह कार्य प्रशासनिक विभागों और पुरालेखपालों द्वारा जो अनुसंधानविदों के निकट सम्पर्क में रहते हैं, संयुक्त रूप से किया जाएगा। अत: सभी अभिलेखों की समीक्षा की जा रही है और जो अभिलेख अस्थाई महत्व के होंगे, उनकी ऐतिहासिक और प्रशासनिक दृष्टि से जाँच और मूल्याँकन करने के पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।

श्रीमती कमला सिन्हा का दूसरा मुद्दा सलाहकार बोर्ड के बारे में था। वह चाहती हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के एक प्रोफेसर को सलाहकार बोर्ड में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रोफेसर को सम्मिलित किया जाना वास्तव में बहुत अधिक संगत नहीं है क्योंकि हमारे देश में अभिलेखागार मूलत: मध्य 18वीं सदी के बाद के हैं। सलाहकार बोर्ड में आधुनिक भारतीय इतिहास के दो प्रोफेसर, एक पुरालेखपाल और तीन गैर शासकीय सदस्य होंगे।

**श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदेश)** : जनाब वाइस चेयरमैन साहब, यह बिल जो पब्लिक रिकॉर्ड्स बिल, 1992 पेश किया गया है, मैं इसकी भरपूर ताईद करता हूँ। जैसा कि मिनिस्टर साहब ने बिल मूव करते हुए कहा था कि 1972 ईस्वी में यह फैसला किया गया था कि इस किस्म का बिल लाया जाए, 20 साल गुजरने के बाद आज यह बिल लाया जा रहा है। मैं यह कहूँगा कि "देर आयद दुरुस्त आयद" बिल आ गया है और यह एक अच्छा बिल है और मैं समझता हूँ कि इस बिल के बनने के बाद यह बिल हमारे मुल्क की कौमी यकजहती में भी एक मजबूत रोल अंजाम देगा। इस वजह से कि जहाँ तक हमारे नेशनल आर्काइज़ का जो सवाल है, कई ऐसे अहम दस्तावेजात और डौक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जिनके तहफ्फुज के ताल्लुक से अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया था और इसके जो आफिसर्स रहते थे वे जिस तरह चाहें एक एक्जीक्यूटिव आर्डर के जरिए इसमें तब्दीली कर सकते थे और इनको तलब किया जाता था और डिस्ट्रॉय किया जाता था। इसके लिए बेहद जरूरी था कि इस किस्म का कानून बनाया जाए और उस कानून के जरिए उसके तहफ्फुज़ का इंतजाम किया जाए। अगर उसको तलब भी करना है तो उसको भी यानी बाजाफ्ता कमेटी में तय करके कि कौन सा रिकॉर्ड रखा जाए और कौन सा रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किया जाए, उसकी अहम जरूरत थी। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि यह बहुत अच्छा काम है।

**श्री अर्जुन सिंह** : श्रीमन्, इस विधेयक की विषयवस्तु के प्रति अपनी ऐसी गहन रुचि व्यक्त करने के लिए मैं माननीय

सदस्यों का आभारी हूँ जिससे न केवल माननीय सदस्यों की विद्वता का पता चलता है बल्कि हमारी उस विरासत के बारे में उनकी चिंता होने का भी पता चलता है जो इस समय हमारे अभिलेखागारों और कभी-कभी अभिलेखागारों से बाहर निजी हाथों में पड़ी हुई है और जिसे, उसकी स्वयं की सुरक्षा और विद्वानों के लिए सुरक्षित रखे जाने और बचाए जाने की जरूरत है ताकि विद्वान लोग ऐसे मामलों का, जो वर्तमान महत्व को साबित हो सकते हैं और हमें उस अतीत की जानकारी भी दे सकते हैं जो कभी-कभी वर्तमान पर हावी रहता है और भविष्य की ओर भी संकेत करता है, गहन अध्ययन कर सकें और किसी नतीजे पर पहुँच सकें। इसी निरन्तरता को एक शब्द में विरासत कहा जाता है। इस विधान को लाने में हुए विलम्ब की मुझे जानकारी है। ऐसी बात नहीं है कि अभिलेखीय क्रियाकलापों को शासित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था किन्तु वह संकल्पों और कार्यपालक आदेशों— पर्याप्त रूप से व्यापक आदेशों— के रूप में था लेकिन संसद और अन्य विशेषज्ञ समितियों द्वारा यह आवश्यक समझा गया कि इसके लिए एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिसका कोई अस्तित्व हो और जिसका संदर्भ दिया जा सके तथा जो हमारा मार्ग दर्शन करे और जिसके द्वारा नीति का अनुसरण किया जा सके और यह देखा जा सके कि नीति का कार्यान्वयन ठीक तरह से हो और यदि उसमें कोई व्यतिक्रम हो तो उस व्यतिक्रम से निपटने के लिए एक उपबंध भी हो। इस विधेयक को ऐसी ही व्यापकता प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है।

माननीय सदस्यों ने जिन कमियों का जिक्र किया है मैं उन कमियों को समझ सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि उनमें से बहुत सी कमियों को, बनाए जाने वाले नियमों के द्वारा दूर किया जा सकता है और मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूँ कि उनकी विशिष्ट शंकाओं को, जहाँ कहीं आवश्यक होगा वहाँ नियमों द्वारा दूर कर दिया जाएगा और साथ ही साथ इस विधेयक को अन्तिम नहीं माना जा सकता है। चूँकि देश में यह अपनी तरह का पहला कानून है इसलिए मेरे विचार से, कुछ वर्षों तक इसे लागू रहने के बाद हमें इस क्षेत्र में कुछ और अनुभव हो जाएगा और हमें यह देखने का अवसर मिलेगा कि क्या और किए जाने की आवश्यकता है।

यहाँ एक माननीय महिला सदस्य ने इस विधेयक के अधीन नीति के परिरक्षण और कार्यान्वयन के लिए एक संवर्ग के बारे में एक विशेष मुद्दा उठाया था। श्रीमन् एक संवर्ग का सृजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान में ऐसा किया जा रहा है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अभिलेखागार में केवल वही व्यक्ति कार्य करें जिनके पास इस संस्थान का कोई डिप्लोमा या डिग्री हो और और माननीय सदस्या ने जिस संवर्ग का उल्लेख किया है उसके लिए यही आधार होगा।

वर्ष 1892 के बारे में भी प्रश्न किया गया है। मेरे ख्याल से माननीय सदस्य का यह कहना कि यह एक सौ वर्ष पुराना संदर्भ है— इसलिए वर्ष 1892 का उल्लेख किया गया है— बिल्कुल ठीक है क्योंकि यदि हमारे पास 100 वर्ष पुराना कोई अभिलेख है तो यह माना जाता है कि इसे सुरक्षित रखा जाना है क्योंकि इन सौ वर्षों के दौरान आवधिक समीक्षा होती रही है और उन समीक्षाओं के दौरान हमेशा ऐसे अभिलेख मिलते रहे हैं जो नगण्य महत्व के हैं और जिन्हें सुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता नहीं है और कुछ ऐसे अभिलेख मिलते रहे हैं जो सुरक्षित रखे जाने योग्य हैं भले ही वे सौ वर्ष पुराने नहीं हैं। किन्तु मेरे विचार से सौ वर्ष की समय सीमा एक ऐसी सीमा है जिस पर विचार किया जाना चाहिए और इसलिए 1892 का वर्ष दिया गया है।

वर्गीकृत दस्तावेजों के बारे में प्रश्न किया गया है। आमतौर पर वर्गीकृत दस्तावेज अभिलेखागार में नहीं होते। केवल गैर वर्गीकृत दस्तावेज ही अभिलेखागार में होते हैं और इसलिए उन तक पहुँचने के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं की गई है। कतिपय अभिलेखीय सामग्री पर पुलिस नियंत्रण अभी-अभी उठाया गया है। मुझे कहना चाहिए कि मैं इस

पर अपनी सीधी प्रक्रिया व्यक्त नहीं कर सकूँगा किन्तु मैं यह समझता हूँ कि यह एक महत्वपूर्ण पहलू है इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मुझे इस पर विचार करने तथा यह देखने के लिए थोड़ा समय दें कि इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं और क्या इसे गैर सरकारी स्रोतों से या अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली सामग्री समझा जा सकता है अथवा नहीं? मैं यह देखना चाहूँगा कि इसे इसके अन्तर्गत किस प्रकार लाया जाए।

श्री सुकोमल सेन ने अस्थाई अभिलेखों के संबंध में समीक्षा करने और निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के बारे में उल्लेख किया है। मै केवल इतना कहना चाहूँगा कि इस संबंध में यह उपबंध है कि इसका निर्णय विधिवत् प्राधिकृत और सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना चाहिए। जिस बोर्ड का यहाँ जिक्र किया गया है उसमें योग्य व्यक्ति होंगे और वे अभिलेखों की समीक्षा करेंगे और ऐतिहासिक महत्व के अभिलेखों को सुरक्षित रखे जाने या नष्ट किए जाने के बारे में निर्णय लेंगे। इन व्यक्तियों के चयन के लिए मैं कोई कड़े दिशा निर्देश नहीं दे सकता किन्तु यह स्पष्ट है कि इस बोर्ड में नियुक्ति के लिए जिस व्यक्ति को चुना जाएगा उसे उच्च स्तर की अर्हताओं को पूरा करना पड़ेगा।

श्रीमन् माननीय सदस्य श्री खलीलुर रहमान ने राज्यों के अभिलेखागारों की स्थिति के बारे में उल्लेख किया है। मैंने अपने पहले प्रस्तावना भाषण में बताया था कि अपने भरसक प्रयत्नों के बावजूद हम इसी तरह के अधिनियम बनाने के संबंध में राज्य सरकारों से सहयोग प्राप्त करने में अब तक विफल रहे हैं। मैं इस मामले को उठाउँगा। जैसा कि अनेक सदस्यों ने सुझाव दिया है, इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् हम सभी राज्यों के उन मंत्रियों की बैठक बुलाएँगे जो इस विषय को देख रहे हैं और हम एक बार फिर इस मामले को उनके ध्यान में लाएँगे। इस बार हमारे पास संसद का प्राधिकार भी होगा। संसद भी यह चाहती है कि राज्यों में भी ऐसा कानून बनाया जाए। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें इस पर सम्यक् विचार करेंगी।

श्रीमन् मुझे इतना ही कहना है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम)** : प्रस्ताव यह है कि :

"केन्द्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गठित पब्लिक सैक्टर उपक्रमों, कानूनी निकायों और निगमों, आयोगों और समितियों में लोक अभिलेखों के प्रबंधन, प्रशासन और परिरक्षण को विनियमित करने और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम)** : अब हम विधेयक पर खण्डशः विचार करेंगे।

खण्ड 2 से 18 विधेयक में जोड़े गए।

खण्ड 1 (नाम और प्रारम्भ)

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम)** : अब हम खण्ड 1 को लेंगे। यहाँ एक संशोधन सं. 2 है जिसे श्री अर्जुन सिंह ने उपस्थित किया है।

**श्री अर्जुन सिंह** : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 1, पर पंक्ति 3 में, "1992" अंक के स्थान पर "1993" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित खण्ड 1, विधेयक में जोड़ा गया।

(राज्य सभा कार्यवाई / 23 फरवरी 1993, पृष्ठ 222 से 237)

CAREER COLLEGE
ACC.No.....
Book No.....
Date.....
H.E.L., BHOPAL
26926



CAREER COLLEGE
ACC No.
Book No.
Date
B.H.E.L. BHOPAL
26926
26926



इण्डियन रायटर्स एसोसिएशन की स्थापना कवि-चिंतक और राजनीतिज्ञ श्री श्रीकान्त वर्मा ने 1982 में की थी, जो सभी भारतीय भाषाओं के लेखकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों का राष्ट्रीय संगठन है। पिछले बाईस वर्षों में इस संगठन ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक साहित्यिक परिसम्वाद और सांस्कृतिक समारोह आयोजित किये हैं, जिनमें सार्क देशों के लेखकों का सम्मेलन तथा महात्मा गाँधी और गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर पर परिसम्वाद उल्लेखनीय है।

इण्डियन रायटर्स एसोसिएशन भारत के साहित्यकारों का मंच है, जिसके माध्यम से भाषायी कट्टरपन, साम्प्रदायिकता और क्षेत्रीयतावाद के विरुद्ध लगातार आवाज़ उठायी जा रही है। भाषायी सीमाओं को तोड़ते हुए सभी भारतीय भाषाओं के बीच सम्वाद विकसित करने के उद्देश्य से परस्पर अनुवाद, पुस्तक प्रकाशन और साहित्य संकलन की दिशा में यह मंच सक्रिय है। यह भारत में एक ऐसा वैचारिक आन्दोलन है जो भारतीय संस्कृति की बहुवाचकता के प्रति समर्पित है।

यदि केवल शक्ति हो और कल्पनाशीलता एवं आदर्शों का अभाव हो तो एक प्रकार की निर्मम ताकतें जन्म लेती हैं; जो लोगों की भावनाओं का निर्दयतापूर्वक हनन करती हैं और यदि केवल कल्पनाशीलता हो और शक्ति का अभाव हो तो केवल एक दिवास्वप्न जन्म लेता है, जो आंखें खुलते ही अदृश्य हो जाता है। जब शक्ति और कल्पनाशीलता दोनों का संगम होता है तब राष्ट्र आगे बढ़ता है।

अर्जुन सिंह